राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 10

गुरुवार,

11 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह जी।

प्रतिबन्धित राज्यों के लाटरी टिकटों की राज्य में बिक्री

282. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या अल्प बचत एवं राज्य लाटरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ प्रदेशों की सरकारी लाटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो कब एवं किन-किन प्रदेशों की ? प्रतिबन्ध के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन प्रतिबन्धित राज्यों की लाटरी टिकटें राज्य में अब भी बिक रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि प्रतिबन्धित राज्यों की लाटरी बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक तथा वित्त सचिव को भी पत्र लिखे गये हैं ? यदि हां, तो कब ? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी (श्री जसवंत सिंह विश्नोई) : (1) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.12.95 से आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, आदेश दिनांक 19.1.96 से पंजाब एवं आदेश दिनांक 21.5.96 से हिमाचल प्रदेश राज्य की लाटरियों की राज्य में बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रतिबन्धित लाटरियों के टिकटों की बिक्री भूटान लाटरी के टिकटों के साथ चोरी छिपे बिक्री होने की जानकारी मिली है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित लाटरियों की खरीद व बिक्री नहीं करने के लिये समय-समय पर समाचार-पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग, जिला कलक्टर्स एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को प्रतिबन्धित लाटरियों की बिक्री रोकने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में आम नागरिकों की ओर से कोई भी लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मेरे द्वारा एक पत्र दिनांक 13.6.96 को माननीय गृह मंत्रीजी को भी लिखा गया था (प्रति संलग्न

(2)

(श्री जसवंत सिंह विश्नोई)

है) तथा वित्त विभाग द्वारा प्रतिबन्धित राज्यों की लाटरी बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स, जिला पुलिस अधीक्षक एवं प्रमुख सचिव, गृह विभाग को कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखे गये हैं। प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने दिनांक 13.6.96 को गृह मंत्रीजी को पत्र लिखा कि लाटरी बिक रही है, बन्द कराओ। उसके बाद में आपके फाइनेंस सैक्रेटरी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह सचिव को पत्र लिखा, लाटरी बिक रही है, इसको बन्द कराओ। डी. जी. को लिखा। उसके बाद डिप्टी सैक्रेटरी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त ने डिवीजनल कमिश्नर्स को लिखा, एस. पीज. को लिखा, कलक्टर्स को लिखा, लाटरी बन्द कराओ। उसके बाद फिर दूसरे उप सचिव ने लिखा बन्द कराओ। उसके बाद तीसरे उप सचिव ने तीसरी बार पत्र लिखा, बन्द कराओ। फिर उप सचिव ने पत्र लिखा, बन्द कराओ। फिर उप शासन सचिव ने पत्र लिखा बन्द कराओ तो मैं जानना चाहूंगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : चालू करवा दो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ... कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की भी घोषणा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं, आपने भी आदेश दे दिये, इसके बावजूद गृह मंत्री, गृह विभाग को बार-बार आपके और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी खुले आम लाटरी बिक रही हैं। आपकी गृह मंत्री नहीं सुनते, फाइनेंस सैक्रेटरी की होम सैक्रेटरी नहीं सुनते, डी.जी. पुलिस नहीं सुनते, लोग मर रहे हैं। आपकी नहीं सुनवाई होने से, मैं मानता हूं आप क्षुब्ध हैं, लेकिन आपके दूसरे डिपार्टमेंट पुलिस और आपके डिपार्टमेंट नीचे वाले कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब आप आखिर में क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं? इसका जवाब दें, नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, मंत्रीजी असमर्थ हैं, पूरे प्रयास कर चुके हैं। जब दूसरे विभागों के माध्यम से यह रुकनी है और वह डिपार्टमेंट कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब हम क्या करें?

तीसरा, निवेदन मेरा आपसे यह है कि....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन से यह प्रश्न नहीं पूछे जाते।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : प्रश्न नहीं, आप व्यवस्था कराओ आदेश देकर, आखिर यह जनता कहां जाये। उप मुख्य मंत्रीजी बिराजे हैं, मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में, आसन बाध्य करें इस बात के लिये कि आखिर यह सदन जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता, लोग मर रहे हैं, सूसाइड करके, लुट रहे हैं, किसके पास जाएं?

चौथा प्रश्न है, लाटरी विभाग पुलिस

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

को तो आदेश दे रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पुलिस को तो आदेश दे रहा है कि आप रुकवाओ, क्या लाटरी विभाग स्वयं छापे मारकर, स्वयं कार्यवाही करके, एक्शन लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये, उसके साथ में एक प्रश्न भी किया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची (2) में....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : दूसरे प्रदेशों की लाटरी के बारे में पूछा है, मैं इन्टरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरे प्रदेशों, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यू.पी., दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूं। आपको एक और जानकारी दे दूं....

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मध्य प्रदेश में आज किसी बाहर के प्रदेश की लाटरी नहीं बिक रही है और वहां के मुख्य मंत्री जी ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही की है और वहां लाटरी नाम मात्र नहीं बिकती। वहां कांग्रेस का शासन है, वहां डिटरमिनेशन है। जवान मुख्य मंत्री के मन में प्रेरणा है इस बात की कि मैं बन्द करवाऊंगा और आज बन्द है। क्या आप उस डिटरमिनेशन से कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में बताया था, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची (2) में प्रविष्टि 40 में....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेशों की बात की है, ये इन्टरनेशनल की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं दूसरे प्रदेश जो हिन्दुस्तान में हैं और आप अनुच्छेद की बात भूटान के लिये करेंगे और मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : आप सुनो तो सही, मैं डिटेल बता रहा हूं। प्रविष्टि 40 में यह उद्धरित किया हुआ है कि – "भारत सरकार ही कानून बना सकती है राज्य द्वारा संचालित लाटरियों के बारे में और उसी में राज्य सरकार को कानून बनाने की पावर्स है।"

अध्यक्ष महोदय, यह सन् 1968 से राजस्थान में लाटरी शुरू हुई थी और 1968 के बाद से लगातार 1977 तक निर्विवाद रूप से राजस्थान में बिक रही थी और सन् 1977 के सितम्बर में इन लाटरियों को बन्द कर दिया गया। सन् 1980 में पुनः राजस्थान में लाटरी शुरू हुई और उसके बाद से राजस्थान में लगातार लाटरियां बिक रही हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब ने 1 अप्रेल, 1994 से राजस्थान में दो रुपये की लाटरी पर प्रतिबन्ध लगा दिया था....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : थोथी घोषणा की है।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : और उसके बाद में मुख्य मंत्री महोदय ने एक अप्रेल,

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

1995 से राजस्थान में एक अंक की लाटरी पर प्रतिबन्ध लगा दिया। राजस्थान में और राजस्थान के बाहर इस पर प्रतिबन्ध लगाया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि हम अब क्या करेंगे इसके बारे में ? हमें एक पत्र 9 फरवरी, 1994 को तत्कालीन उप मंत्री, भारत सरकार, माननीय श्री रामलाल जी राही से मिला। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जब आपके अधिकार में ही नहीं है तो फिर आपने कैसे घोषणा कर दी सदन में कि हम बन्द करा देंगे और क्यों आपने मुख्य मंत्रीजी के मुंह से असत्य घोषणा करवाई ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, करीब 20 लाख रुपये प्रति माह राजस्थान की पुलिस इन स्टेट लाटरी वालों से रिश्वत ले रही है और माहवारी बंधी हुई है जिससे कि जनता का शोषण हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लोग खुदकशी कर रहे हैं और आप पुलिस पर नियंत्रण लगाने में असफल हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, रिलेवेन्ट पैरा मैं पढ़कर सुना रहा हूं "राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में निजी लाटरी की अनुमति देने व नहीं देने के पूर्ण अधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग बनाम महाराष्ट्र राज्य प्रकरण ए.सी.सी. ए.आई.आर. 1984 में दिनांक 23 जनवरी, 1984 के आदेशानुसार राज्य सरकारों की संघ सूची के मद संख्या 40 के अन्तर्गत विकेन्द्रीय अधिनियम के अभाव में राज्य लाटरी चलाने व प्राधिकृत करने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने मद संख्या 40 के अन्तर्गत अब तक कोई भी केन्द्रीय अधिनियम पारित नहीं किया है।" जो पत्र मुख्य मंत्रीजी को मिला, उसका जवाब हमने दिया है....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप इतना बता दो कि अब आगे रोकने की क्या कार्यवाही कर रहे हो ? (व्यवधान) गृह मंत्री आपकी सुनता नहीं, डी.जी. आपकी सुनता नहीं, एस.पी. सुनता नहीं, कलक्टर आपकी सुनता नहीं, डिवीजनल कमिश्नर सुनता नहीं, आप ऐसे +++ डिपार्टमेंट को सम्भाल कर क्या कार्यवाही कर रहे हो, यह बताओ। (व्यवधान) आपकी नहीं चलती है तो यू.ओ. दे दो (व्यवधान) जब आपकी नहीं चलती है तो इस्तीफा दे दो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंथली बंधी हुई है। यादगार के नीचे 10 स्टाल हैं। जयपुर में यादगार

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जो पुलिस हैड क्वार्टर है, अजमेरी गेट पर यादगार के बगल में 10 दुकानें हैं.... (व्यवधान) और वहां पर लूट हो रही है और कोई रोक नहीं रहे हैं... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अब आप क्या कार्यवाही कर रहे हो, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पूरे राजस्थान में माहवारी बंधी हुई है और वह लाटरी बन्द नहीं करने देना चाहते। आप की चलती नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान गवर्नमेंट घोषणा के बावजूद भी बेअसर हो रही है....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि मेरी कोई मानता ही नहीं है। अब इनकी कोई मानता ही नहीं है तो फिर मंत्री बने रहने से फायदा क्या है, वह बता दो। फिर मंत्री बने रहने से फायदा क्या है जब कोई मानता ही नहीं है आपकी। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, आप बता दें, मंत्रीजी क्या करेंगे?

श्री शैलेन्द्र जोशी : थोथी घोषणाएं करते हैं। (व्यवधान) कोई कार्यवाही की क्या? (व्यवधान) मंत्रीजी क्या करें, पुलिस की माहवारी रोको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): आप बिराजिये, आप बैठिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप स्पष्ट आज घोषणा कीजिये कि आज के बाद दूसरे प्रदेशों की लाटरी राजस्थान के किसी गांव और शहर में नहीं बिकेगी और बिकेगी तो आप इस्तीफा दे देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और पुलिस की दलाली बन्द होगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सारा प्रदेश बरबाद हो रहा है इसके कारण। आपने घोषणाएं कर दीं और आज तक पालन नहीं हुआ उसके कारण... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। बिराजें आप। अंकित नहीं करें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। अंकित नहीं हो रहा है अब। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, मंत्रीजी को बोलने दें।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(6)

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : एक मिनट, बिराजिये आप। पूरी रिप्लाई तो आ जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कृपया बिराजें। **(व्यवधान)**

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप सब कर रहे हैं तो पूरा अंकित करना ही मुश्किल हो रहा है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कृपया बिराजें। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम): × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित क्यों कर रहे हैं आप। अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें। मंत्रीजी का जवाब सुनें। कृपया बिराज जायं आप। दूसरे प्रश्न भी आने दें, बात ही नहीं सुन रहे हैं आप पहले।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने कई बार कह दिया है। आप इनकी बात सुनें। मंत्रीजी। कृपया शांति बनाये रखें। दूसरे कई प्रश्न हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। पाइंटेड प्रश्न के लिए है यह प्रश्न आवर, और उनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। आप बिराज जायं। अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायं। कृपया बिराज जायं। मंत्रीजी की बात सुनें पहले आप। कृपया शांति बनाये रखें। कई प्रश्न हैं। लाखों रुपये प्रश्न पर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खर्च होते हैं, उनके प्रश्न तो आने दें। विराजें आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की एन्ट्री 40 आफ लिस्ट फर्स्ट मे एक यह आया है, उसमें मै रिलेवेंट लाइन पढ़ कर सुना देता हूं – "Hence, no State Legislature can make a law relating to Government lottery." जो गवर्नमेंट लाटरीज हैं उन पर हम भारत के संविधान के अनुसार बेन नहीं लगा सकते, जो अदर स्टेट की हैं। हमने हमारे स्टेट की लाटरी पर बेन लगा दिया है, वह राजस्थान में नहीं बिक रही है। दिनांक 21.4.94 को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला हुआ और उसमें कुछ वर्णन इस तरह के थे उसके बाद हमने बेन लगाया। उसमें चार तरह के प्रतिबंध लगाये थे कि चार तरह की लाटरी नहीं बिकनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया....

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : जब आप को अधिकार नहीं था तो गृह मंत्रालय को चिट्ठी कैसे लिखी ?

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें। बैठ जायं आप। नो टाक। बैठें आप। (व्यवधान) आप बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री जुबेर खान : सवाल यह उठता है, जब यह कहते हैं कि इनको कोई अधिकार नहीं है बन्द करने का तो इन्होंने गृह मंत्रालय को, जिलाधीश महोदय को, एस.पी. महोदय को चिट्ठी कैसे लिख दी।

श्री अध्यक्ष : आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं फिर नैक्स्ट प्रश्न पुकारता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको अधिकार नहीं है तो इन्होंने पत्र क्यों लिखे ? क्यों गुमराह किया इन्होंने लोगों को ?

श्री जुबेर खान : क्यों गुमराह किया। एक तरफ कहते हैं कि अधिकार नहीं है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं सुनना चाहते हैं। श्री परसादीलाल जी। (व्यवधान) आपको उत्तर नहीं सुनना है। श्री परसादीलाल जी, अपना प्रश्न रखिये आप।.... (व्यवधान) बिराजिये आप। सुनना नहीं चाहते। अब मैं नहीं सुनाऊंगा इनको।

श्री जुबेर खान : एक तरफ कहते हैं हमने चिट्ठी लिख दी, बन्द होनी चाहिये और दूसरी तरफ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। कोई अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात ही नहीं सुनेंगे किसी की ? एक ही प्रश्न है क्या ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री परसादीलाल जी, आप अपना प्रश्न रखिये फिर, कोई नहीं सुनना चाहते ।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न संख्या 283 ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : चलिये, आगे प्रश्न पूछिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ×××

श्री अध्यक्ष : फिर । बिराज जायं आप । आप फिर भाषण देने लग गये । **This is not the debate.** यहां पर डिबेट नहीं हो रही है इसकी, बिराजिये आप । पाइंटेड प्रश्न ।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये अब । बिना अनुमति के बोल रहे हैं आप, 20 मिनट हो गये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब । माननीय उप मुख्य मंत्रीजी खड़े हुए थे, आपने बोलने नहीं दिया । आप पांच जने एक साथ बोलेंगे तो एक की आवाज भी सुनने में नहीं आएगी । बिराजें आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी । (व्यवधान) माननीय उप मुख्य मंत्रीजी । आप बैठ जायं अब ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अवैध लाटरी की बिक्री की चिंता व्यक्त की है, राज्य सरकार भी उस बारे में बहुत ही चिंतित है और कदम उठा रही है । सबसे बड़ी प्रोब्लम यह आ रही है इसमें कि भारतीय दण्ड संहिता में जो कानून दण्डनीय 294(ए) बना हुआ है वह काग्निजेबल नहीं है और काग्निजेबल नहीं होने के कारण पुलिस को उसमें जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिये वह कर नहीं सकती । इसके अलावा कई बार हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने छापे डाले हैं, एक से चालीस हजार रुपये वसूल किये हैं, एक से तीन हजार रुपये वसूल किये हैं । निरन्तर जहां पर सूचना मिलती है वहां पर छापे डाल कर उनको रोकने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि भारतीय दण्ड संहिता में इसको काग्निजेबल आफेंस बना दिया जाए, जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट में है, तो निश्चित रूप से पुलिस उसको मुस्तैदी से कंट्रोल में कर सकती है । फिर भी राजस्थान सरकार की तो मंशा है और इसीलिये हमने प्रतिबंधित कर दी है । हम नहीं चाहते कि यहां पर अवैध बिक्री हो लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कानून बनने के बाद भी और आफेंसेज होते हैं, पुलिस उसमें कार्यवाही करती है, तो पुलिस को अधिकार यदि अधिक मिलें तो पुलिस और ज्यादा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

मुस्तैदी से कार्य कर सकती है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं, उसके बावजूद भी आपकी चिंता के बारे में हम आपके साथ हैं और इस अवैध बिक्री को रोकने के लिये कोई भी कदम उठाने से हम नहीं चूकेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। परसादी लालजी।

जिला दौसा में भूमि विकास बैंक एवं सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की स्थापना

283. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार दौसा जिले में पृथक से जिला भूमि विकास बैंक एवं जिला सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : जी, नहीं। दौसा जिले में पृथक से केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक भूमि विकास बैंक खोला जाना सम्भव नहीं पाया गया, क्योंकि केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर व प्राथमिक भूमि विकास बैंक जयपुर की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है और इन्हें विभाजित कर दो पृथक–पृथक बैंक बनाया जाना दोनों ही बैंकों के लिये और अधिक हानिकारक होगा। इसके साथ ही दौसा जिले में पृथक से यह बैंक बनाया जाना वित्तीय व्यवस्था के अभाव में एवं सक्षमता के मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले और जो राजस्थान में नये जिले बने हैं, जिले तो बना दिये सरकार ने, परन्तु उन जिलों में बैंक नहीं बनाये। अब दौसा जिले वालों को यहां आना पड़ता है। दौसा जिले में एक पंचायत समिति सवाईमाधोपुर की शिफ्ट हुई है उसको सवाईमाधोपुर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति को इसमें कोई मापदंड नहीं मानते हुए आपके बैंक की दोनों ही शाखा दौसा में है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपकी शाखाएं वहां चल रही हैं। मान लो बैंक तो दिन-प्रतिदिन घाटे में जाते रहेंगे तो क्या आप कभी बैंक नहीं बनाएंगे ? बैंक की शाखा अलग से नहीं खोलेंगे वहां ? दौसा में सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक और दौसा भूमि विकास बैंक, किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो कि वहां के किसानों को यहां जयपुर तक नहीं आना पड़े जबकि आज सरकार ने और कामों के लिये तो जिला बना दिया, एस. पी. हैड-क्वार्टर कर दिया, सारे कर दिये और एक को-आपरेटिव बैंक खोलने में सरकार को कहां तकलीफ हो रही है ? यह तो क्या गारंटी है कि बैंक आपके मुनाफे में आ जाएंगे ? यह 50 साल मुनाफे में नहीं आएंगे तो क्या आप वहां पर आर्थिक स्थिति के कारण बैंक नहीं खोलेंगे ? मैं कहता हूं उप मुख्य मंत्रीजी, जहां आपने राजस्थान में नये जिले बनाये हैं आप वहां पर अलग-अलग से सभी जिलों के लिये आप बैंकों की स्थापना करिये। जब आपने जिला बना दिया तो आपको बैंक खोलने के लिये

(श्री परसादी लाल मीणा)

भी आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने गत सत्र में भी यह प्रश्न पूछा था। उनके पूछने के बाद मैंने एक आदेश दिया कि जो नये जिले बने हैं उनमें केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक बनाये जाने चाहिये। इसके निमित्त एक कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी में निम्न सदस्य थे :–

1. केन्द्रीय संयुक्त रजिस्ट्रार–अध्यक्ष
2. उप रजिस्ट्रार (नियम) प्रधान कार्यालय–सदस्य
3. महाप्रबंधक, शीर्ष बैंक–सदस्य
4. प्रबन्धक (लेखा एवं वित्त) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर–सदस्य
5. श्री आर. सी. माथुर, प्रबन्धक, शीर्ष बैंक–सदस्य

इन लोगों की एक कमेटी नियुक्त की और इनसे यह पूछा गया कि ये पांच जिले नये बने हैं इनमें आप देखिये कि बैंक बन सकते हैं या नहीं बन सकते। मगर उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि 46 करोड़ 56 लाख रुपये का घाटा है, इन बैंकों में इतना घाटा है यदि राज्य सरकार 46 करोड़ 56 लाख रुपये दे देती है तो ये बैंक इन जिलों में बनाये जा सकते हैं। सचिव, सहकारिता ने इस पर मनन किया है और मनन करके यह तय किया कि राज्य सरकार की तरफ से इस बात पर जानकारी प्राप्त हो गयी है कि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, लगभग 47 करोड़ रुपये हम देने के लिये तैयार नहीं हैं इसलिये ये बैंक नहीं खोले जाएं। इस आधार पर जयपुर बैंक की जहां तक बात है, 14 करोड़ हमको सरकार की तरफ से मिले, तब यह दौसा में बैंक खोला जा सकता है सरकार की स्थिति ऐसी है नहीं। फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि 14 करोड़ रुपये के लिये इंकार कर दे। मैं सिद्धान्ततः यह मानता हूं कि इन जिलों में बैंक खुलने चाहिये बैंक तभी खुलेंगे जब बैंकों में पैसे होंगे। जब पैसा ही नहीं है और जयपुर बैंक जब हानि में चल रहा है उससे ही काफी नुकसान है। अबकी दफे मैं दो साल से यह कोशिश कर रहा हूं कि उस हानि को धीरे-धीरे कम किया जाए। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जयपुर बैंक फायदे में आएगा तब मैं आपसे वायदा करता हूं कि वहां पर यह बैंक खोले जा सकेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री, महोदय, जयपुर बैंक के हानि और लाभ की हमारे बैंक से तुलना नहीं किया जाएं। 125 किलोमीटर दूर आना पड़ता है बांदीकुई के लोगों को... (व्यवधान)... माननीय मंत्री महोदय, जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक का लाभ या हानि में आना, हमारे नये जिले दौसा में जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक की नयी स्थापना के भविष्य पर निर्भर नहीं होना चाहिये। बांदीकुई के लोगों को 125 किलोमीटर चलकर जयपुर आना पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को। आप सुगमता की दृष्टि से देखते

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैं या जनता की सुविधा के हित के लिये ? यदि जयपुर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने गबन किया है, तो हमारे ऊपर क्या दंड है उसका ? हमारा तो नया जिला बना है.... (व्यवधान)....

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, बारां के बारे में भी बोलें.... (व्यवधान)... बारां में केन्द्रीय सहकारी बैंक बनाने के बारे में क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो नये जिले बने हैं उनमें इन बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिये ।....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आधा घाटा हम लोग लेंगे दौसा के ।

श्री सुजानसिंह यादव : हां, मैं बता रहा हूं ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बात पूरी सुनें । पूरी बात सुनें ।

श्री सुजानसिंह यादव : नाबार्ड के और रिजर्व बैंक के कुछ सिद्धान्त हैं । नाबार्ड के सिद्धान्त यह हैं कि जो बैंक आलरेडी घाटे में चल रहे हैं उनको हम आगे के लिये कर्जा देंगे नहीं और आर.बी.आई. का यह सिद्धान्त है कि वह उसका रजिस्ट्रेशन करते नहीं । जब जयपुर बैंक घाटे में है और भूमि विकास बैंक घाटे में है तो उन दोनों के सिद्धान्तों के अन्तर्गत, नया बैंक रजिस्टर्ड नहीं हो सकता । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक, जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर की स्थिति ऐसी नहीं है कि नये बैंक खोले जाएं । जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि किसान सवा सौ किलोमीटर से यहां आते हैं । हमने व्यवस्था कर रखी है कि दौसा में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की ब्रांच है और भूमि विकास बैंक की भी ब्रांच है, सब काम वहीं होते हैं, सब फाइलें तैयार वहीं होती हैं केवल वहां का अधिकारी फाइल लेने के लिये आता है, स्वीकृति के लिये आता है एक व्यवस्था हमने और की है कि किसान हमारे पास तीन साल में आएगा उससे पहले कोई किसान हमारे पास जयपुर नहीं आएगा । वह हमने गंगानगर पद्धति कायम की है । तीन साल की क्रेडिट लिमिट हमने तय कर दी किसानों की । मसलन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 हजार की क्रेडिट लिमिट कर दी, उसको एक पास बुक भी दे दी और एक चैक बुक दे दी । जब भी किसान को कभी भी जरूरत हो, बैंक में जाएगा, वहां दौसा की शाखा में जाएगा, चैक काटेगा, पैसा ले आएगा, तो किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और किसान को जयपुर आने की हमने जरूरत भी नहीं समझी । जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो नया बैंक खोलने की सुविधाएं हम दे रहे हैं, आलरेडी हमने दौसा में कर रखी है इसलिये किसान को कोई तकलीफ नहीं है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह गलत बयानी कर रहे हैं । ऐसी सुविधा नहीं दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

(12)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय मैं एक बात मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि जो चार नये जिले बने हैं उनके अन्दर घाटे के कारण से हम बैंक नहीं खोल पाएंगे। मंत्री महोदय क्या आपने आज इस बात का आंकलन करवाया है कि नये बैंक नये जिलों के अन्दर खोलने से आपके घाटे की स्थिति क्या रहेगी ? अगर आपका घाटा करीब-करीब उतना ही रहता है तो बैंक आजकल सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज राजसमंद जिले में, ब्यावर के पास राजसमंद जिला फैला हुआ है जो 210 किलोमीटर दूर उसको उदयपुर जाना पड़ता है। अगर घाटे को आप नये जिलों के अन्दर जो सृजित बैंक बनेंगे उनके अन्दर ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा स्टाफ है अगर आप उनको वहां भेज देते हैं और घाटे में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो आपको नये बैंक खुलवाने के अन्दर क्या दिक्कत है ? यह बताएं आप।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की जो सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक है उसकी वित्तीय स्थिति ठीक है तो हनुमानगढ़ जिला बना है, उसमें भी सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक खोलने का मंत्री महोदय का इरादा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ब्रांचें सब जगह हैं। बिराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि....

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो पांच जिले (व्यवधान)....

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि जयपुर शहर में को-आपरेटिव बैंक हैं, उसके घाटे को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे घाटे को दूर किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह डिबेट का प्रश्न नहीं है। आप बिराजें।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं जयपुर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक के बारे में पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 हजार की क्रेडिट लिमिट किस प्रकार के ऋण के लिये फिक्स की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कितनी सप्लीमेंट्रीज होगी, और भी प्रश्न लेने हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की पद्धति, साख पद्धति है, वह बढ़िया पद्धति है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पूरे राजस्थान में इस पद्धति को लागू करके किसानों को लाभ दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 26 बैंक्स हैं, केवल एक बैंक जैसलमेर में है जिसकी स्थिति ज्यादा खराब है और खराब होने का कारण है कि हमारा अधिकारी भी वहां ठीक नहीं है। केवल वह उस पद्धति को चालू नहीं कर पाया है और हम कोशिश कर रहे है कि उनका स्थानान्तरण करके चालू करा सकें। वहां भी गंगानगर पद्धति चालू कर-

(श्री सुजानसिंह यादव)

वाना चाहते हैं मगर जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह कुल 25 बैंकों में हमने चालू कर दी है। इस साल से, 1.4.96 से। सभी बैंक 25 हैं, जैसलमेर बैंक है, हम महीने-डेढ़ महीने में व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि वहां भी यह चालू कर देंगे।

जहां तक गंगानगर बैंक का सवाल है, सिर्फ गंगानगर बैंक शुरू से ही फायदे में रहा है और आज भी फायदे में है। मैं स्वीकार करता हूं। इस बात के लिये मैं स्वीकार करता हूं और मैंने मेरे अधिकारियों को यह आदेश दिये हैं कि जब गंगानगर बैंक फायदे में है तो आप हनुमानगढ़ में बैंक स्थापित क्यों नहीं करने जा रहे हैं? इस पर हम विचार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

"सिन्धीपुरा" (जोधपुर) में पंचायत का गठन

284. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नई पंचायतों के गठन के क्या मानदण्ड/नियम हैं? मानदण्डों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये घोषित राजस्व ग्रामों के विकास की जरूरत को देखते हुए नई पंचायतों के गठन का इरादा रखती है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर में घोषित नये राजस्व ग्राम "सिन्धीपुरा" जिसकी आबादी दो हजार से ज्यादा है, को नई पंचायत बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण में सरकार को स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं नागरिकों के पत्र प्राप्त हुए हैं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर ने अपनी अनुशंसा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को भेजी है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक नये राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा को नई पंचायत के रूप में गठित करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) नये पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 12 एवं 101 में नई पंचायतों के गठन सम्बन्धित मुख्य प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या (2000 से 5000 अथवा एकल ग्राम में 5000 से अधिक की है) गांव की पंचायत मुख्यालय से दूरी 8 किलोमीटर व प्रत्येक पंचायत में वार्डों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हैं। मानदण्डों व अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर ऐसा किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

(3) वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर ऐसा किया जाना व्यावहारिक नहीं है।

(१५)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

(4) जी, हां। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 4.4.95 के द्वारा जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा के समीप ढाणी "सिन्धीपुरा को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। यह ग्राम वर्तमान में नगरपालिका पीपाड़ शहर की सीमा से जुड़ा हुआ है। नगरपालिका से अलग होने के बाद ही इस पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर के पहले भाग में मापदण्ड बताया है कि 2000 की आबादी से वह पंचायत बन नहीं पाती हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने कह दिया जी, नहीं। इसका उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर से बिलकुल विपरीत है, क्योंकि इन्होंने मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं, तो इनको उत्तर यह देना चाहिये था कि जो मापदण्ड हैं उनके अनुसार बनाएंगे। इन्होंने मना कर दिया कि यह विकास के सन्दर्भ में हम नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो राजस्व गांव बने हैं यह राजस्थान में अपने आप में एक पहली घटना है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई नया गांव बना है और सरकार ने नये गांव बनाये। जिसकी 4 अप्रेल, 1995 को सरकार ने घोषणा की है। उसके अन्दर सरकार ने कारण बताये हैं। वह कारण यह है कि सिन्धीपुरा गांव मुख्य आबादी से दूर बसा हुआ है, पीपाड़ शहर के समीप नहीं है, 6 किलोमीटर दूर है और सार्वजनिक सुविधाओं का गांव के लोगों को भारी अभाव रहता है इसलिये राज्य सरकार ने बिलाड़ा तहसील के पीपाड़ गांव सिन्धीपुरा को तुरन्त प्रभाव से राजस्व गांव घोषित किया है। इस आधार पर किया है कि उनमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं। चूंकि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर शामिल तो दूसरे गांव होते हैं पर चूंकि नगरपालिका क्षेत्र का ही यह कोई राजस्व गांव बना है इसलिये मैंने जो प्रश्न पूछा था प्रश्न के चौथे भाग के अन्दर मैंने पूछा है कि वहां पर जन-प्रतिनिधियों ने, जो नगरपालिका के निर्वाचित मेम्बर थे और मैंने भी एम.एल.ए. के रूप में इसको रिकमण्ड किया और जिला परिषद् जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन प्रस्तावों की अभिशंसा करके सरकार को भेजा। प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि हां, वहां से आया है। वहां से इनके पास रिपोर्ट भी आयी है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय; डी.एल.बी. ने यहां से पत्र भेजा है कलक्टर को इसके सन्दर्भ में जांच करे कि यह पंचायत बनाया जाना उपयुक्त है या नहीं है। इसके उत्तर में कलक्टर, जोधपुर ने भी डी.एल.बी. में 24 जनवरी, 1996 को पत्र लिखा। कलक्टर ने उनको वापस रिपोर्ट दे दी है, ग्रामीण विकास को भी इन्होंने वापस जवाब भेज दिया है और उसमें कलक्टर ने यह साफ लिखा है कि इस नये ग्राम को ग्राम पंचायत घोषित कर पंचायत समिति बिलाड़ा में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करें। यह डी.एल.बी. को कलक्टर जोधपुर ने लिखा है यह सारी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जांच कार्यवाही होने के बाद मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो भावना सरकार की है, जिस भावना से इसको घोषित किया गया है, जो वहां की जनता की भावना है और वहां की जिला परिषद् ने जिस केस को रिकमण्ड करके भेजा हैं, क्या नगरपालिका को पत्र भेजकर डी.एल.बी. ने वहां से रिपोर्ट मंगा ली है ? क्या डी.एल.बी. से यदि आपको प्रस्ताव प्राप्त हो जाएगा तो इसको नई पंचायत घोषित कर देंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहला भाग दूसरे भाग के विपरीत है। ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 9, 12 एण्ड 101 यह तीन सेक्शंस हैं जिनमें से सेक्शन 9 में पंचायत की स्थापना है। सेक्शन 12 में संरचना है, कैसी होगी, क्या होगी। सेक्शन 101 में राज्य सरकार को पावर है उसमें परिवर्तन करने का। सरकार को पावर तो है, कर सकती है, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने बताया कि एक नगरपालिका में एक गांव था। उस गांव को रेवेन्यू विलेज घोषित कर दिया गया है....

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, गांव था नहीं, उसे गांव घोषित कर रखा है। था ही नहीं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : गांव था।

श्री राजेन्द्र चौधरी : था ही नहीं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वार्ड था।

श्री राजेन्द्र चौधरी : गांव नहीं था, मैं आपको कह रहा हूं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : गांव था, ढाणी थी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ढाणी नहीं, वार्ड था।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वार्ड था, वही मैं बता रहा हूं। आप सुनिये। Let me finish म्युनिसिपैलिटी को, आज जिसको रेवेन्यू विलेज घोषित किया है। मैं यों ही बोलता हूं, जिसको आज रेवेन्यू विलेज घोषित किया है वह म्युनिसिपैलिटी का भाग था एक वार्ड के रूप में। Am I Correct ? अब यह रेवेन्यू विलेज घोषित हो गया। अब हमको कई एंगल से इस पर विचार करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। पंचायत घोषित करते ही हमारा पंचायत समिति का रिजर्वेशन का ढांचा है, कि इतनी पर्सेन्ट लेडीज सरपंच होगी, इतने पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्ट, इतने पर्सेंट ओ.बी.सी; इतने पर्सेंट यह, वह ध्यान में रखना पड़ेगा। अगेन जो म्युनिसिपैलिटी है, उसके चेयरमैन का जो चुनाव होता है जिसमें बहुमत का ध्यान रखा जाता है। वहां मेम्बर्स कम होंगे तो म्युनिसिपेलिटी पर उसका असर पड़ेगा इसलिये जब तक डी. एल. बी. हमको एन. ओ. सी. नहीं देगा, हमारा काम तो तब शुरू होगा जब, हमारे पास एन.ओ.सी. आएगी। हमारे विभाग के पास एन. ओ. सी. नहीं आयी है तो इसके पहले इस पर विचार करना हमारे यहां सम्भव है ही नहीं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : That is sufficient.

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : डी. एल. बी. ने क्लियर नहीं किया है । वह नहीं देगी एन.ओ.सी; तब तक नहीं हो सकता ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप तो समझ गये मैं भी समझना चाहता हूं ना । आप तो महाज्ञानी हैं पर हम आपके माध्यम से सरकार से ज्ञान लेना चाहते हैं । मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि जोधपुर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सारी रिकमण्डेशंस इनको भेजी हैं । मैंने जब विकास के दृष्टिकोण के लिये कहा तब आपने यह कह दिया । इसलिये मैंने विपरीत बात की थी कि पहले तो इन्होंने प्रावधान बता दिया, दूसरे में कह दिया बिलकुल नहीं है तो मैंने यह कहा कि विकास के दृष्टिकोण से गांव की सरकार ने घोषणा ही इसलिये की । वहां पर नगर पालिका ही थी, उस पर कोई राजस्व गांव नहीं था । मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया । मंत्रीजी ने कहा कि नहीं, वह गांव शामिल है, उसको अलग करते हैं । उस बारे में तो ऐसा नहीं है । यह घटना अपने आप में सरकार के सामने पहली है कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर किसी इलाके को राजस्व गांव घोषित सरकार ने इसीलिये किया कि उसको सुविधाएं नहीं मिल रही । राज्य सरकार ने अपने आदेश 4 अप्रेल, 1995 में यही कहा है इसीलिए उसी आधार पर वहां पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने, जो इलेक्टेड मैम्बर्स थे, उन्होंने रिकमण्ड किया, हमने सब ने रिकमण्ड किया और उसको गवर्नमेंट ने माना और अब जब डी.एल.बी; जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, मंत्रीजी यह कह रहे हैं, डी. एल. बी. ने भी 24 जनवरी को पत्र लिखा कलक्टर को इसके बारे में रिकमण्डेशन मांगी है इसीलिये मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया कि 6 जुलाई को रिकमण्डेशन कलक्टर ने भेज दी है । कलक्टर ने बिलकुल साफ तौर पर यह कहा है कि इसे बिलाड़ा पंचायत समिति में शामिल किये जाने हेतु, ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास विभाग जयपुर को प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करें । यह कलक्टर ने डी.एल.बी. के निर्देश के ऊपर भेजा है, इसलिये मंत्रीजी यदि यह कहते हैं कि इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ढांचा गड़बड़ हो जाएगा पंचायती राज का तो मै आपसे जानना चाहता हूं कि क्या परिवार के अन्दर दो बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक के बाद दूसरा पैदा हो जाता है तो ढांचा गड़बड़ हो जाता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नई पंचायत नहीं बनेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें । जवाब सुनें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का कहना है कि ढांचा गड़बड़ हो जाएगा, यह कौनसी बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा हो जाएगा ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहीं यह नहीं कह रहा हूं । दो प्रश्न हैं सीधे सीधे, कुछ नहीं है इसमें । पहली चीज तो कलक्टर ने रिकमण्ड करके भेज दिया लेकिन किसके पास भेजा ? डी. एल.बी. के पास ।....

श्री राजेन्द्र चौधरी : कापी आपको भी दी है ।

(17)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप सुनिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपको प्रतिलिपि दी है ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अब आप सुनिये तो सही ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, सुन रहा हूं ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कलक्टर की रिकमण्डेशन पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू विलेज घोषित किया है । कलक्टर के पास भेजा, कलक्टर ने हमारे पास भी कापी भेज दी, इससे नहीं होगा जब तक कि डी.एल.बी; एन.ओ.सी. हमारे विभाग को नहीं भेजेगी, नम्बर वन । नम्बर टू, उसके बाद में हमको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि डी.एल बी. पर भी और हमारी पंचायत पर भी जो हमारे दूसरे प्रावधान हैं, रिजर्वेशन के हैं, और दूसरे हैं, व्यावहारिक रूप से वे सब इससे प्रभावित होंगे इसलिये हमने जो इसमें कहा है । इतना ही नहीं, जो दूसरी जगह भी, इस तरह के .. (व्यवधान) मुझे पहले बात तो क्लियर कर लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इनकी बात सुन लें । बिराजें आप ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल गलत जवाब दे रहे हैं (व्यवधान) बाद में गांव डिक्लेयर हो गया, गांव रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर होने के बाद में डी.एल.बी. का जुरिस्डिक्शन ही खतम हो गया । उसमें बाद में डी.एल.बी. कहां बीच में आती है । डी.एल.बी. द्वारा राजस्व विभाग ने पहले रिकमण्डेशन लेकर ही इस गांव को डिक्लेलर किया है । उसके बाद डी.एल.बी. का जुरिस्डिक्शन खतम हो गया । अब आप फालतू बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । (व्यवधान) ऐसा नहीं है जिसमें सभी के जगह माननीय सदस्य डिबेट करें ।

श्री रामनारायण मीणा : यह सिन्धीपुरा जोधपुर का मामला नहीं है । माननीय मंत्रीजी आपको ध्यान होगा, आपके निवाई में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । आप बात सुनो उनकी । पहले बात सुनो उनकी । बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : इनके निवाई में भी ऐसे ही गांव है । (व्यवधान) न कोई नगरपालिका है, न कोई ग्राम पंचायत है....

श्री अध्यक्ष : अभी कई प्रश्न आने हैं, उनके प्रश्न भी नहीं आ पाएंगे । बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : इस तरह के कितने ही मामले हैं, आप इसकी कमेटी बैठाकर ऐसा करा लो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, कृपया बिराजें आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं और सब सदस्य बोल रहे हैं । पता नहीं क्या हो गया आजकल अबकी बार हाउस में, मुझे समझ में नहीं आ रहा. + + + अंकित नहीं करें अब ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(18)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। नैक्स्ट। मंत्रीजी, आपको और कुछ कहना है क्या ? बिराजिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। यह केवल एक गांव की बात हो रही है, बिलाड़ा की। बिराजिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी आपके पंचायत का कहां आ गया बीच में।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : I have not allowed you. No. No. It is not allowed.

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। यह नहीं हो सकता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिलाड़ा की बात हो रही है माननीय आप सब जानते हैं, बहुत सीनियर मैम्बर हैं। कोई अंकित नहीं करें अब।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ मेरी बिलाड़ा तहसील की एक पंचायत के बारे में पूछा है। अब मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। अब आप मुझे बतायें, उप मुख्य मंत्रीजी, आप बिराजे हुए हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, राजस्व गांव डिक्लेयर किसकी सहमति से होता है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप देखिए, 6 तारीख को कलक्टर की रिपोर्ट आई है। जैसे ही डी.एल.बी. से आ जाएगा। इसको पंचायत में लगा दिया जाएगा। हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : गांव डिक्लेयर होने के बाद कहां पंचायत ...

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं भी आपको बता दूं कि अगर डी.एल.बी. की आवश्यकता होगी, उसकी कोई एन. ओ. सी. वगैरह चाहिये तो वह भी अविलंब दिला देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री आर.पी. शर्मा जी।

जिला भरतपुर में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण

285. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला भरतपुर में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ?

++ + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं की गयी।

(श्री आर. पी. शर्मा)

(2) उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थियों को ऋण स्वीकृत किये गये ?

(3) क्या सभी स्वीकृत ऋणों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1994–95 में 1575 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जबकि वर्ष 1995–96 में 1708 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(2) प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1994–95 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से 312 के लक्ष्य के विरुद्ध 575 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गये जिसमें से 204 अभ्यर्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया । वर्ष 1995–96 में प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 390 के लक्ष्य के विरुद्ध 772 आवेदन-पत्र बैंकों को भेजे गये जिसमें से 319 अभ्यर्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया ।

(3) जी, नहीं । 1994–95 के 136 तथा 1995–96 के 75 व्यक्तियों को ही स्वीकृत ऋण का भुगतान हुआ है । योजना के अनुसार 1995–96 के शेष बचे अभ्यर्थियों को ऋण वितरण की कार्यवाही माह मार्च, 1997 तक की जा सकेगी । योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा अभ्यर्थियों को शीघ्र ऋण वितरण हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बेरोजगारों से सम्बन्धित है । जहां हम एक तो बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं सकते वहीं प्रधान मंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत हम लोगों से एक लाख रुपये तक मैक्सिमम लिमिट की ऋण लेने के लिये उनसे एप्लीकेशन लेते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगार व्यक्ति एक लाख के ऋण के लिये पहले उद्योग विभाग को अपनी एप्लीकेशन देता है । उसमें केवल बहुत कम ही ऐसे लाभार्थी हैं जिनको एक लाख रुपया ऋण स्वीकृत किया जाता है । उसके बावजूद भी बैंक विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद उसमें से भी कम पैसे का भुगतान करती हैं और उसमें जितने भी व्यक्तियों के ऋण की बैंको फाइल भेजी जाती है उन पूरे लोगों को ऋण वितरण नहीं किया जाता है । जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि 1994–95 में 312 का हमने टार्गेट रखा था उसमें 204 का मात्र उन्होंने सेंक्शन किया । उसमें से भी 136 लोगों को ऋण वितरित किये गये । दूसरा 1995-96 में 390 का टार्गेट और 319 लोगों के हमने ऋण सेंक्शन किये और अभी तक 75 लोगों के ऋण केवल हम वितरित कर पाये हैं । मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है माननीय मंत्री जी से कि क्या सरकार इस बात की गारंटी या सरकार इस बात की कोई योजना प्रस्तावित करती है कि जिन व्यक्तियों को, उनकी जो ऋण की एप्लीकेशन प्राप्त हो, उद्योग विभाग से जितने रुपये का ऋण उनके लिये स्वीकृत हो बैंक उतने रुपये का ऋण ही उनको स्वीकृत करें तथा जितने व्यक्तियों के लिये विभाग स्वीकृति दे,

(श्री आर. पी. शर्मा)

उतने ही लोगों को बैंक ऋण प्रदान करे, नम्बर वन।

दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि क्या बैंकों द्वारा इन ऋणों का भुगतान करने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि समय सीमा निर्धारित है तो इस सम्बन्ध में समय के अन्तर्गत कितने लोगों को ऋण नहीं दिये गये और उस सम्बन्ध में विभाग ने बैंकों के प्रति, बैंकों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही, किस-किस समय पर की ?

तीसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या बैंकों द्वारा उक्त लाभार्थियों के ऋणों का भुगतान नहीं होने के कारण सहित विभाग को सूचित किया ? यदि विभाग को इस सम्बन्ध में बैंकों ने कारण सहित सूचित किया कि इन कारणों से हम ऋण सेंक्शन नहीं कर रहे हैं तो विभाग को सूचना प्राप्त होने पर बैंकों से विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना में उसको क्रियान्वयन करने के लिये बैंकों को जो सहयोग देना चाहिये, वो नहीं मिल रहा है, यह सही है। हमारे विभाग से बार-बार बैंकों को आग्रह किया जाता है, बैंकों की मीटिंग्स होती हैं, सैंट्रल गवर्नमेंट को भी हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। अभी मैने एक चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्टर को लिखी है, आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष : उस पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है। परसादीलाल जी का प्रश्न अभी आया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये लेटेस्ट जो मैंने चिट्ठी लिखी है :—

"My dear Shri P Chidambaram,

I am writing to you regarding the implementation of the Prime Minister's Rojgar Yojana. As you are no doubt aware, this programme fulfils an important need to provide opportunities of gainful employment to the educated unemployed persons in the country. The scheme envisages careful selection of beneficiaries and evaluation of their projects by the banks, training and appropriate follow-up action. It is a well conceived scheme and has the potential of mitigating to some extent the problem of growing unemployment among the educated unemployed.

"However, the efforts made by the Government of India as well as the State Governments for implementation of this scheme have not fully succeeded. One of the major reasons for the ineffective implementation of the scheme is the somewhat lukewarm approach adopted by the commercial banks. The problem being encountered by us insofar as banks are concerned are as follows :

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(a) Although adequate number of applications are sponsored by the State agencies through the concerned commercial banks, sanctions are not issued in time,

(b) This discourages many of those selected persons and they sometimes altogether drop the idea of pursuing the project.

(c) Even after the sanctions are issued, disbursements are inordinately delayed. This again has a dampening effect on the morale of the prospective loanees. This delay also creates disenchantment with the scheme, and

(d) The amounts sanctioned under the scheme are often inadequate and make it difficult for the beneficiaries to implement their project properly.

"The above issues have been raised with the Government of India in various fora. However, the approach of the bank to the scheme continues to be indifferent. During the year 1995–96, Rajasthan had to achieve a target of benefitting 10,400 educated unemploied youth. The State agencies sponsored 20,247. Although loans were sanctioned in respect of 10,272 persons only, the disbursement was made only in respect of 4,050 cases.

"In view of the problems mentioned above, I shall be grateful if you could kindly undertake a review of the progress of the scheme and issue appropriate instructions to the banks to ensure its effective implementation."

तो जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 312 का जो लक्ष्य रखा है आपने, क्या वह जिलेवाइज लक्ष्य भी तय है कि एक जिले में कितना दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, अलग-अलग है। विराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अलग-अलग है। जिलेवाइज है।

श्री हीरालाल विश्नोई : कितना है ? जिलेवाइज आप बताइये, एक जिले का ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिलेवाइज है।

श्री हीरालाल विश्नोई : जिलेवाइज का क्या टार्गेट है ?

श्री अध्यक्ष : सब का अभी नहीं। He is satisfied.

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप चाहें तो ? जिलेवाइज है मेरे पास ।

श्री अध्यक्ष : यह पूरा लैटर आया, उस दिन आधे घण्टे तक चर्चा हो चुकी है। नैक्स्ट श्री अर्जुनलालजी जीनगर ।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का बैंकों में पैसा जमा होता है । राजस्थान सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि जो बैंक्स अपना टार्गेट पूरा नहीं कर रही हैं, उन बैंक्स में राजस्थान सरकार कम से कम अपना पैसा तो जमा नहीं कराए।.... (व्यवधान) कम से कम यह छोटा सा हथकण्डा तो एप्लाई कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री अर्जुनलाल जीनगर ।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में आयुर्वेद औषधालय

286. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के गांव मरमी व बस्सी में आयुर्वेद औषधालय हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त गांवों में आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) जिला चित्तौड़गढ़ के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गंगरार तथा तहसील राशमी के गांव मरमी एवं बस्सी में वर्तमान में आयुर्वेद औषधालय संचालित नहीं हैं । औषधालय नहीं होने का एक मात्र कारण वहां औषधालय का स्वीकृत नहीं होना है ।

(2) जी, नहीं । फिलहाल वित्तीय वर्ष 1996–97 में राज्य में कोई नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं हैं ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव गंगरार एवं बस्सी जो चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में स्थित हैं, बस्सी की जनसंख्या 8-10 हजार हैं । वहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है । ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा विभाग को, आयुर्वेद विभाग को चाहिये कि वहां पर चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायें । राजस्थान में हम आयुर्वेद पद्धति को लागू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय संकट के कारण यह पद्धति लागू नहीं हो पा रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 1995–96 में भी मैंने आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था । लेकिन उस समय भी नहीं खोले गये और अन्यत्र स्थानों पर खोले गये । मैं आपसे चाहूंगा कि इस बजट में विशेष स्वीकृति कर मंत्री महोदय इन दोनों स्थानों पर, मरमी और बस्सी के अन्दर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें तथा मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री हबीबुर्रहमान जी ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : श्रीमान्, मंत्रीजी आश्वासन दे रहे हैं। (व्यवधान) क्या मंत्रीजी कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : हमको भी सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष : अभी है ही नहीं। इस बारे में रखा ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप नये आयुर्वेद औषधालय तो खोल नहीं रहे हैं। लेकिन जो वर्षों से खाली पड़े हैं, मेहरबानी करके कम से कम उनको तो आप भर दीजिए।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : श्रीमन् आप बैठ जाओ, एक तो क्वेश्चन आया है पांच साल में।

श्री अध्यक्ष : बड़ी मुश्किल से हबीबुर्रहमानजी का क्वेश्चन आया है।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो औषधालय खाली पड़े हैं, उनको राजस्थान लोकसेवा आयोग से प्राप्त चिकित्सकों में से नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। माननीय विधायक अर्जुनलालजी ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में निवेदन है कि इस मद में वित्तीय संसाधन प्राप्त नहीं होने के कारण कोई औषधालय इस वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित नहीं है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अगले साल के लिये कह दो। (व्यवधान) अगले वित्तीय वर्ष के लिये कह दें।

श्री अध्यक्ष : अगले वर्ष में जैसी वित्तीय स्थिति होगी, वैसे ही तो कह सकते हैं।

श्री अचलाराम मेघवाल : अगले वित्तीय वर्ष में संसाधन प्राप्त हो जाएंगे तो विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री हबीबुर्रहमानजी।

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा एवं भीलवाड़ा के विद्यालयों की क्रमोन्नति

287. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) व **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 में कुल कितने स्कूलों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है ?

(2) उक्त स्कूलों को क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी और कहां-कहां ये स्कूल खोले जाएंगे ?

(3) भीलवाड़ा एवं मूण्डवा क्षेत्रों में वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कितने व कौन-कौन से स्कूल क्रमोन्नत किये गये। उनमें छात्र संख्या क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की बासनी, सखबास, दूण के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हबीबुर्रहमान)

(5) क्या सरकार की इस वर्ष भी दो लाख और चार लाख रुपये जमा कराने पर माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक में स्कूलें क्रमोन्नत करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्या इस योजना को इस वर्ष पुनः चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) वर्ष 1996-97 में 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 85 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में तथा 70 माध्यमिक विद्यालयों उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक से माध्यमिक के 85 के लक्ष्य के विरुद्ध 55 तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के 70 के लक्ष्य के विरुद्ध 39 विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। शेष विद्यालयों के लिये वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर क्रमोन्नत करने बाबत समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) भीलवाड़ा एवं मूण्डवा में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमोन्नत विद्यालयों और क्रमोन्नत के समय की छात्र संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की बासनी, सखबास दूण के प्राप्त प्रस्तावों का अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत क्रमोन्नति के मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में से गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(5) विद्यालय क्रमोन्नति के लिए जन सहयोग द्वारा दो लाख रुपये और चार लाख रुपये जमा कराने की योजना में संशोधन किया जाकर पुनः लागू किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हबीबुर्रहमान : अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने 70 माध्यमिक विद्यालय खोलने का जो प्रावधान रखा है, क्या उसमें मेरे बासनी और सखबास गांव को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सखवास गांव से 25 किलोमीटर के एरिये में कोई भी सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं है और बासनी गांव नागौर से 10 किलोमीटर पर है ? नागौर में एक ही सीनियर माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 3500 विद्यार्थी अभी पढ रहे हैं और वहां आपने एक ही शिफ्ट चला रखी है। उस विद्यालय का रिजल्ट बिलकुल अच्छा नहीं रहता है। जो बासनी की साइड में 15–20 गांव हैं, वहां के विद्यार्थी भी जाते हैं, वे लोग फेल हो जाते हैं और आगे पढ नहीं सकते हैं। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप दोनों स्कूलों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करें।

श्री अध्यक्ष : कालूलालजी।

श्री हबीबुर्रहमान : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी इनका भी आ जाने दें।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि इस वर्ष का जो लक्ष्य है उसमें इन्होंने 85 उच्च प्राथमिक से सैकण्डरी स्कूल और 70 सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में आपने 55 और 39 के आदेश कर दिये हैं। पहली बात तो यह कि आपने यह आदेश कब किये ? क्या इसी साल किये, यदि इस साल नहीं करके गये साल ही कर दिये. तो गये साल का और इस साल का वित्तीय प्रावधान इस साल के बजट में आया है या लेखानुदान के बाद आया है और ये पहले ही कैसे क्रमोन्नत हो गये ?

नम्बर दो, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना है कि आपने यह लिखा है कि स्कूलों को गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके खोलेंगे। अब गुणावगुण में आपने एक नियम बना रखा है कि 40 छात्र जिस विद्यालय में अन्तिम कक्षा में हों, वहां स्कूल खोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1995–96 में आपने जो स्कूल खोले हैं उनमें करीब 15–16 स्कूलें ऐसे हैं जहां पर 20, 19, 17, 15, 14, 27, 28, 25 और 24 इस तरह की छात्र संख्या अन्तिम कक्षा में है, फिर भी क्रमोन्नत हुए हैं। फिर ये मापदण्ड कहां माना जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन स्कूलों के प्रस्ताव भेजे उनमें 25, 30, 32 तक छात्र संख्या थी, उनको भी क्रमोन्नत नहीं किया गया है, तो इसका क्या कारण रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) फिर जवाब नहीं आ पाएगा।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोंर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं।

आपने यह नियम बनाया कि छात्र संख्या ज्यादा होगी तभी स्कूल खोलेंगे, तो जहां बड़े गांव हैं, कस्बे हैं, वहां तो ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। वहां तो स्कूल क्रमोन्नत होंगे और जहां ग्रामीण अंचलों में, जहां सरकार का एक उद्देश्य है कि गांव के अन्दर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार हो, वहां छात्र संख्या कम है, तो वहां स्कूल खोलकर छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये न कि जहां गांवों के अन्दर स्कूलें नहीं खोलें। दूसरा मेरा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान) जवाब नहीं आएगा।

श्री कालूलाल गूजर : एक क्वेश्चन है, साहब।

छात्र संख्या का क्या मापदण्ड है ? जैसे एक गांव के अन्दर दो मिडिल स्कूल हैं। एक बालिका मिडल स्कूल भी है और एक छात्रों की मिडल स्कूल है, तो क्या दोनों मिडल स्कूलों की छात्र और छात्राओं की संख्या को मानकर के फिर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का आधार बनाएंगे ?

(श्री कालूलाल गूजर)

क्योंकि वहां को-एजुकेशन है, दसवीं में छात्र और छात्राएं दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। तो सैकण्डरी स्कूल के लिये मापदण्ड आपने मिडल स्कूल का जो बनाया है, क्या वह अलग-अलग छात्राओं की और छात्रों की दो स्कूल होते हुए भी, दोनों को अलग करके मानेंगे या एक मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। इतना लम्बा भाषण दे रहे हैं आप। पाइण्टेडली क्वेश्चन पूछिये।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुरा में भी मंत्रीजी ने घोषणा की कि हायर सैकण्डरी कर देंगे और यह मेजा में भी सैकण्डरी की है, तो यह भी बता दें कि उसको इस साल पूरा करेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996–97 के बजट में 85 स्कूल जो माध्यमिक स्तर के लिये रखे हैं, उसका ब्रेक-अप इस तरह से है। 50 सामान्य और 35 जन सहभागिता से। 50 के विरुद्ध 39 हमने पिछले साल सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी एक साथ अगले विद्यालयों की स्वीकृति पिछले साल की सूची में दे दी ताकि उनमें हम समय पर अध्यापक लगा सकें। क्योंकि इतने पद प्रिंसिपल्स और हैड-मास्टर्स के, जो आर. पी. एस. सी. से सलैक्शन करवाकर भरने होते हैं, उन पदों को भरने में विलम्ब होता था। इस कारण से हमने पिछले साल एक वर्ष पहले ही आदेश जारी कर दिये। 50 के अगेंस्ट में 39 हमने पिछले साल खोल दिये। इस वर्ष में मात्र 11 बचे हैं। 85 में से 1/35 जन सहभागिता के थे, उसमें से 16 हम पिछले साल खोल चुके हैं, जिनको एक साल आगे की स्वीकृति दे दी थी, 19 उसमें बचे हैं। इसी तरह से सीनियर माध्यमिक विद्यालय 70 हैं। 70 में से 50 विद्यालयों में से 34 की हम पूर्व में ही स्वीकृति दे चुके थे। 16 उसमें से बचे हैं। जन 20 सहभागिता में है उसमें। उसमें से पांच हम पहले दे चुके। उसमें से 15 बचे हैं तो आज की तारीख में जो विद्यालय हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय साधन हमको उपलब्ध है, उनको ध्यान में रखकर ही हम इस बार सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल कर सकेंगे। इसके आधार पर माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं-कहीं संख्या के कम और अधिक होते हुए भी, तो केवल संख्या का ही मापदंड नहीं है। विद्यालय खोलने में उसकी दूरी का भी मापदंड रखा हुआ है। कहीं 15 किलोमीटर अगर कोई विद्यालय नहीं मिलता है, सैकण्डरी स्कूल नहीं है तो हमने कोशिश की है कि उसकी दूरी को भी प्राथमिकता देते हुए उस विद्यालय को हमने क्रमोन्नत किया है। उसमें संख्या, जो हमारा नोर्म्स है, उससे कहीं-कहीं पांच या सात कम होते हुए भी हमने वह लिया है। माननीय सदस्य, आपका जो प्रस्ताव था मेजा के बारे में और आपने यहां सुरास में एक दूसरा विद्यालय दो के बीच में था। सुरास से क्योंकि ग्यारह किलोमीटर–दस किलोमीटर तक कोई दूसरा सैकण्डरी का विद्यालय नहीं मिलता था और मेजा से तीन किलोमीटर पर मांडल मिलता था इसलिये

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमने पहले इस बात की पुष्टि की कि सुरास चूंकि बहुत ही इंटिरियर क्षेत्र है। उस कारण से उसको किया था। माननीय सदस्य मूण्डवा वालों ने जो प्रस्ताव दिये वैसे पिछले साल इससे पहले वाले साल में हमने दो सैकण्डरी स्कूल जरूर आपको दिये आपकी जो मांग है।

श्री हबीबुर्रहमान : एक में तो हमने पैसे भरे हैं लोकल चंदा वाले एक में तो लोकल चंदा था, जिससे आपने खोले लिये। हमने दो लाख रुपये जमा करवाये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं समझता हूं कि इस साल के जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के आधार पर जो हमारे पास उपलब्ध इस समय साधन है, उनको ध्यान में रखकर जो कुछ भी सम्भव होगा, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ (अजमेर) में रीको द्वारा भू-खण्डों के आवंटन में अनियमितताएं

351. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ अजमेर में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच के आदेश उद्योग मंत्री ने दिये थे? यदि हां, तो कब तथा इसकी जांच किसके द्वारा की गयी?

(2) जांच में क्या क्या मुद्दे शामिल किये गये तथा जांच प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ? जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयी? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किशनगढ़ के अलावा कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन में अनियमितताएं पायी गयीं तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ. 10 (26) राज/ग्रुप–1/96 दिनांक 6.5.96 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ जिला अजमेर के भूखण्डों में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करने हेतु श्री एन. एस. भण्डारी सदस्य, राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(2) रीको की क्षेत्रीय इकाई द्वारा भूखण्डों के आवंटन के सभी पक्षों में की गयी अनियमितताओं की जांच प्रस्तावित की गयी है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर 1995-96 में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1.	बापी जिला दौसा	तत्कालीक सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को

(उद्योग मन्त्री)

1	2	3
		निलम्बित किया जा चुका है तथा आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच की जा रही है।
2.	जैतपुर, जिला जयपुर	तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर को आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच की जा रही है।

सिकपा इण्डिया लिमिटेड, भिवाड़ी

352. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी औद्योगिक विस्तार क्षेत्र में सिकपा स्थित इण्डिया लि. का उद्घाटन करीब डेढ़ वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह इकाई कार्यरत है ? यदि हां, तो वर्तमान में इसके द्वारा में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी-कितनी मात्रा में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इकाई बन्द होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिकपा इण्डिया लि. का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25.3.95 को किया गया था। यह रीको के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एवं विस्तार में स्थित नहीं है। यह इकाई भिवाड़ी अलवर मुख्य सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है।

(2) यह इकाई वर्तमान में कार्यरत है। इस इकाई में विशेष प्रकार की प्रिंटिंग इंक का उत्पादन हो रहा है। यह इंक करेंसी नोट छापने में काम आती है। दिनांक 25.3.95 से 31.3.96 तक कुल 70 टन इंक का उत्पादन किया गया है तथा अब इसमें दो टन प्रिंटिंग इंक का प्रतिमाह उत्पादन किया जा रहा है।

भरतपुर जिले का औद्योगिक विकास

353. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले 10 वर्षों में भरतपुर जिले में कितने भारी उद्योगों की स्थापना हुई ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर में भारी उद्योग नहीं चलने का मुख्य कारण भरतपुर के पास ताजमहल व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का होना है ?

(3) क्या विभाग ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये भरतपुर के औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यो ?

(4) क्या सरकार औद्योगिक विकास हेतु भरतपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा

(श्री आर. पी. शर्मा)

जिला घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में पिछले 10 वर्षों में किसी वृहद उद्योग की स्थापना नहीं हुई।

(2) जी, हां। भरतपुर जिले का अधिकांश भाग ताजमहल ट्रेपेजियम के अन्तर्गत आता है। जिसके कारण भारी प्रदूषणकारी उद्योगों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में स्थापना पर रोक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आस पास भी प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होना सम्भव नहीं है।

(3) चर्म आधारित उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से रीको ने ब्रज औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) भरतपुर में एक चर्म पर आधारित काम्प्लेक्स बनाने की योजना बनायी है। इस काम्प्लेक्स को करीब 31,400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जिसमें सभी चर्म उत्पाद उद्योगों को भूमि आवंटित की जा रही है।

(4) जी, नहीं। ऐसी घोषणा भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

देवगढ़ (राजसमन्द) में औद्योगिक क्षेत्र

354. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजसमन्द जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित देवगढ़ कस्बे में ग्रेनाइट व मार्बल कटिंग यूनिट्स की सम्भावनाओं और क्वार्ट्स व फैलसफार की खानों के कारण रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र बनाने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आशय के प्रस्ताव जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देवगढ़ जिला राजसमन्द में रीको के माध्मम से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर रीको द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी, हां। प्रस्ताव रीको के विचाराधीन है।

शेखावाटी के प्रसिद्ध मन्दिरों हेतु ट्रस्ट की स्थापना

355. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सालासर हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राणी सती मन्दिर, झुंझुनूं पर सरकार का क्या नियंत्रण है ? पिछले 5 वर्षों की आय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मन्दिरों पर स्वयं का नियन्त्रण रखना चाहती है ? यदि

(श्री गोपीराम जाट)

हां, तो कब तक एवं किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इन मन्दिरों के रख-रखाव हेतु ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सालासर हनुमानजी, चूरू राणी सती मन्दिर झुंझुनूं राजकीय मन्दिर न होने के कारण देवस्थान विभाग के नियंत्रण में नहीं है । मंदिर श्री खाटूश्याम जी जिला सीकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है । पंजीकृत प्रन्यास होने के कारण विभाग का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है । मन्दिर श्री हनुमानजी सालासर चूरू मन्दिर श्री राणी सती झुंझुनूं विभागीय नियंत्रण में न होने से इन मन्दिरों की आय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । मन्दिर श्री खाटूश्यामजी, सीकर के गत 5 वर्षों की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष		आय
1992	—	2,45,939.00
1993	—	3,25,839.00
1994	—	6 16,387.00
1995	—	6,18,484.25
1996	—	12,04,424.25

(2) जी, नहीं । मन्दिर श्री हनुमानजी सालासर चूरू एवं श्री राणी सती मन्दिर झुंझुनूं को राजकीय नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । श्री खाटूश्यामजी मन्दिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास होने के कारण इस पर विभाग का अपरोक्ष नियंत्रण है ।

(3) मन्दिर श्री हनुमानजी सालासर, चूरू के पुजारियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्राइवेट मन्दिर मानकर दिनांक 26.2.74 को निर्णित कर ड्राप कर दी । राणी सती मंदिर के पंजीयन की कार्यवाही सहायक आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 10.4.74 में मन्दिर का रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट 1860 (पं. बंगाल) के अन्तर्गत पंजीकृत होने एवं इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कारण राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आवश्यक नहीं मानकर ड्रोप कर दी गयी । मंदिर श्री खाटूश्यामजी, सीकर पंजीकृत प्रन्यास है । जिसके पंजीयन क्रमांक 3/सीकर/1986 दिनांक 4.3.86 हैं ।

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा के मन्दिरों की देखरेख हेतु बोर्ड का गठन

356. **श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा, तहसील आबूरोड के मंदिर भगवान मधुसूदन, मन्दिर ऋषिकेश एवं मन्दिर माता भद्राकाली की करोड़ों रुपयों की भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है ? क्या सरकार ने कभी उक्त प्रकरण की जांच

(श्री प्रभूराम गरासिया)

करायी है ? यदि हैं, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व राजपरिवार के सदस्यों ने उक्त मन्दिरों की व्यवस्थाओं में अपनी दखल बना रखी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वहां की जनता ने लिखित में शिकायतें भी की हैं ? क्या उन शिकायतों की भी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मन्दिरों की देखरेख हेतु कोई बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मन्दिरों में व्यवस्था, कुप्रबंध एवं अनुरक्षण सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर से जांच करायी जा रही थी। परन्तु मधुसूदन संस्थान मुक्ति समिति के कुछ सदस्यों द्वारा शिकायत किये जाने पर सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 45 के तहत पुनः उप जिला कलक्टर, सिरोही को दि. 3.7.96 को जांच किये जाने हेतु लिखा गया है, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(2) उक्त मन्दिर देवस्थान बोर्ड सिरोही के अन्तर्गत आते हैं। देवस्थान बोर्ड सिरोही राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा धारा 38 के अंतर्गत जांच प्रारम्भ कर अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(3) जी, नहीं। चूंकि उक्त मन्दिर देवस्थान बोर्ड सिरोही के अन्तर्गत आते हैं एवं देवस्थान बोर्ड सिरोही राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है अतः इस हेतु अलग से बोर्ड गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समितियों एवं कृषि विपणन बोर्ड के चुनाव

357. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों एवं कृषि विपणन बोर्ड के अब तक चुनाव नहीं कराये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ? उक्त संस्थाओं के चुनाव कब तक करवा दिये जाएंगे।

उत्तर

सरकार का कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र करवाने का विचार है। वर्तमान में मण्डी समितियों की चुनाव प्रक्रिया के सरलीकरण एवं भविष्य में चुनाव समय पर सुनिश्चित करने के लिये मण्डी कानून में समुचित संशोधन किया जाना विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। मण्डी कानून में उपयुक्त संशोधन हो जाने के

(राज्य मंत्री, कृषि)

पश्चात् मण्डी समितियों के चुनाव बिना विलम्ब के सम्पन्न करा दिये जावेंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 12सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं व्यापारी सदस्यों द्वारा किया जाने का प्रावधान मण्डी कानून में है। अतः बोर्ड के चुनाव मण्डी समितियों के चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् ही कराये जा सकेंगे।

कृषि उपज मण्डी समिति खेड़ली (अलवर) का आय–व्यय

358. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कृषि उपज मण्डी समिति खेड़ली (अलवर) द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी आय अर्जित की गई? प्राप्त आय में से निर्माण, सम्पर्क सड़कों एवं अन्य मदों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? आय एवं व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, खेड़ली (अलवर) द्वारा गत तीन वर्षों में अर्जित आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	आय	व्यय			(राशि लाख रुपये में)
	विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल आय	निर्माण एवं सम्पर्क सड़कों	संस्थापन व्यय	बोर्ड अंशदान	योग
1993-94	102.10	17.31	23.95	10.01	51.27
1994-95	121.29	116.45	21.04	11.23	148.72
1995-96	128.51	110.55	25.67	11.22	147.44

कृषि उपज मण्डी मंडावा (झुंझुनूं) द्वारा सड़क निर्माण

359. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मंडावा (झुंझुनूं) में गत कुछ माह पूर्व कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क बनवाई गयी थी? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामग्री काम में न ली जाकर घटिया सामग्री काम में ली गयी जिसके कारण सड़क टूट गयी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्माण की जाँच करवाकर पुनः इस सड़क का निर्माण कृषि उपज मंडी द्वारा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इस कार्य पर 2.45 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) जी, नहीं। उपर्युक्तानुसार जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उपज मण्डी सीकर का आय-व्यय

360. श्री बनवारीलाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर में जून, 1995 से मई, 1996 तक मण्डी शुल्क से कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतिमाह मण्डी शुल्क की आय में कमी के क्या कारण रहे ? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) उक्त आय में से कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों पर व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर में जून, 1995 से मई, 1996 तक मण्डी शुल्क से निम्न प्रकार आय हुई :-

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	माह	प्राप्त मण्डी शुल्क
1-	जून, 1995	10.92
2-	जुलाई, 1995	8.14
3-	अगस्त, 1995	5.29
4-	सितम्बर, 1995	4.24
5-	अक्टूबर, 1995	6.82
6-	नवम्बर, 1995	8.07
7-	दिसम्बर, 1995	7.32
8-	जनवरी, 1996	7.36
9-	फरवरी, 1996	5.25
10-	मार्च, 1996	6.39
11-	अप्रेल, 1996	6.08
12-	मई, 1996	8.80
	योग-	84.68

कृषि उपज मण्डी समिति में जून, 1995 से मई, 1996 तक की आय में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। तथा निम्नांकित माहों में गत वर्ष की तुलना में मण्डी शुल्क से आय में कमी हुई है।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	नाम माह	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	अन्तर	प्रतिशत
1-	सितम्बर	5.97	4.24	- 1.73	29
2-	मार्च	7.35	6.39	- 0.96	13
3-	मई	10.11	8.80	- 1.31	13

(34)

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) उक्त आय में कमी के निम्नांकित कारण हैं :–

1– माह अगस्त, 1994–95 की तुलना में वर्ष 1995–96 में अधिक दिनों में वर्षा का होना तथा भावों में कमी का होना रहा है। जो परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

2– माह मार्च में पिछले वर्ष इसी माह से मण्डी शुल्क कम प्राप्त होने का कारण माह मार्च, 1995 में 2.50 लाख रुपये मण्डी शुल्क अग्रिम प्राप्त किया जाता रहा है।

3– माह अप्रेल का मण्डी शुल्क जो मई में प्राप्त होता है, के लिये अप्रेल, में लोकसभा चुनाव की समस्त व्यवस्थाएं मण्डी प्रांगण के अन्दर रखी गयी। इससे 10 दिवस तक व्यापार अस्त-व्यस्त रहा जिससे आवक कम रही है।

4– उक्त कारणों के अतिरिक्त वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 में बुवाई का क्षेत्रफल व पैदावार में भी कमी होना रहा है जो निम्न प्रकार है :–

ऋतु फसल	वर्ष	बुवाई का क्षेत्रफल हैक्टेयर		पैदावार मैट्रिक टन
रबी	1994–95	72646		150802
	1995–96	63575		148748
		सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	
खरीफ	1994–95	11061	163095	92602
	1995–96	8289	121657	69119

उक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि इस कमी के लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

(3) माह जून, 1995 से मई, 1996 तक निम्न प्रकार राशि व्यय की गयी है :–

1– संस्थापन 40.84

2– निर्माण कार्य 97.77

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विभाग कर्मियों हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति

361. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को स्वतन्त्र विभाग का दर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो इस विभाग के अलग से सेवा नियम एवं स्वतंत्र संवर्ग नियंत्रण (केडर) का निर्माण अभी तक क्यों

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

नहीं किया गया ? विभाग के सेवा नियमों एवं स्वतंत्र केडर कब तक निर्मित होंगे ?

(2) क्या यह सही है कि जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान हैं ? यदि हां, तो दोनों संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला में अन्तर के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार भविष्य में समान कार्य हेतु समान वेतन की नीति लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कृषि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु अभियांत्रिकी संवर्ग के कुल पदों का बंटवारा विस्तार संवर्ग एवं अभियांत्रिकी संवर्ग में क्यों किया जा रहा है ? किन कारणों से यह प्रणाली विस्तार संवर्ग के पदों हेतु नहीं अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा नहीं दिया गया है । यह विभाग केन्द्रीय योजनाओं के बजट से कार्य करता है, अतः इसकी आवश्यकता अब तक महसूस नहीं की गयी ।

(2) जी, हां । इस विभाग में कृषि सहायक अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान हैं । कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन श्रृंखला (1400-2600) अन्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के समकक्ष ही कृषि विभाग में भी रखी गयी हैं तथा सहायक कृषि अधिकारी की वेतन श्रृंखला (1640-2900) वेतन आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हैं । दोनों कर्मचारियों का संवर्ग अलग-अलग होने के कारण वेतन श्रृंखला में अन्तर हैं ।

(3) सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं का संवर्ग अलग-अलग होने तथा वेतन आयोग की अनुशंसा पर दोनों पदों की वेतन श्रृंखला को समान कार्य हेतु समान वेतन की नीति लागू नहीं की जा सकती है ।

(4) जहां तक पदों के बंटवारे का प्रश्न है यद्यपि दोनों संवर्गों के बीच कोई अनुपात निर्धारित नहीं है फिर भी जो सहायक कृषि अधिकारी पहले से भू-संरक्षण कार्य में ही पदस्थापित थे तथा जो भू-संरक्षण कार्य में प्रशिक्षित है और जो भू-संरक्षण में स्नातकोत्तर की उपाधि रखते हैं उनके अनुभव एवं कार्य की दक्षता के पूर्ण उपयोग हेतु दोनों संवर्गों के बीच आपसी समन्वय के आधार पर सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ट अभियन्ताओं को जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में पद स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह कार्य कृषि विस्तार एवं अभियांत्रिकी विधियों का समन्वित कार्यक्रम हैं और प्रशिक्षित सहायक कृषि अधिकारी कृषि एवं अभियांत्रिकी दोनों प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं, जबकि कनिष्ठ अभियन्ता मात्र कृषि अभियांत्रिकी कार्य ही करते हैं । इसलिये कृषि विस्तार कार्यक्रम में कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक कृषि अधिकारी

(राज्य मंत्री, कृषि)

पद के विरुद्ध पदस्थापित करना कृषकों के हित में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जजावर (बून्दी) का क्रमोन्नयन

362. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जजावर (बून्दी) में वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ? कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में काफी लम्बे अर्से से मांग की जा रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जजावर (बून्दी) की कक्षावार छात्र संख्या निम्न-निम्न प्रकार हैं :–

कक्षा	6	7	8	9	10
छात्र	46	25	31	69	46
छात्रा	08	06	10	06	10
योग	54	31	41	75	56

(2) गत वर्ष क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(3) वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता, क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने एवं उसके आस-पास में स्थित शैक्षणिक सुविधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रस्तावों के साथ जजावर के प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर क्रमोन्नत किया जाता है।

अध्यापकों का मुख्यालय से अनुपस्थिति प्रकरण

363. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधिकतर अध्यापक अपने विद्यालय के मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और रोजाना आते-जाते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों में क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो जारी आदेशों व नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवानियम के खण्ड–2 के परिशिष्ट-1 के भाग-5 के अन्तर्गत मुख्यालय त्यागने से पूर्व मुख्यालय त्यागने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(शिक्षा मंत्री)

"राजस्थान सेवा नियम-खण्ड-2 के परिशिष्ट-1 के भाग-5 के अनुसार राज्य कर्मचारी को अपना मुख्यालय या जिला पूर्व बिना अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिये"

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच करवाई जाकर, सी. सी. ए. नियमों के तहत कार्यवाही भी की जाती है।

गंगापुर (भीलवाड़ा) में वर्ष 1985-86 में निर्मित छात्रावास भवन

364. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर (भीलवाड़ा) में वर्ष 1985-86 में विभाग द्वारा एक छात्रावास भवन का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का कितने छात्रों के आवास के लिये और किस नियमित व्यवस्था के अन्तर्गत ? विवरण की सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास अधीक्षक का नहीं होना, छात्रों की दैनिक व्यवस्था का अभाव एवं पर्याप्त कमरों की कमी आदि का मुख्य कारण आर्थिक प्रावधान की कमी रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी की पूर्ति हेतु अपेक्षित व्यवस्था इसी सत्र में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) में वर्ष 1985-86 में विभाग द्वारा बजट मद 477-शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं पूंजीगत परिव्यय में 6 लाख रुपये की लागत से 48 छात्रों के आवास हेतु छात्रावास का निर्माण करवाया गया।

(2) यह सही है कि वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्कूल के किसी एक व्याख्याता को अधीक्षक का कार्य करने हेतु लगाया जाता है। छात्रावास में रहने हेतु पर्याप्त कमरे हैं। 12 कमरे छात्रों के आवास हेतु, एक वार्डन क्वार्टर, एक भोजन कक्ष तथा एक रसोई बनी हुई है तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रावास में 48 छात्रों हेतु व्यवस्था है जबकि वर्तमान में मात्र 21 छात्र ही पिछले सत्र से इसका उपयोग कर रहे हैं। इस सत्र में प्रवेश कार्य चालू है। छात्रो से 25/- रुपये बिजली-पानी, सफाई आदि की व्यवस्था हेतु शुल्क के रूप में वसूल किये जाते हैं। भोजन व्यवस्था छात्रों द्वारा ही संचालित होती है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में सेवा निवृत कर्मियों की पुर्ननियुक्ति प्रकरण

365. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में किस-किस संवर्ग में

(श्री विष्णु मोदी)

कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति दी गयी और किस-किस संवर्ग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में सेवानिवृति के पश्चात् भी मण्डल की सेवा में कार्यरत हैं ? पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों के नाम, पद, योग्यता समयावधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी गयी अथवा उनके कार्यानुभव के आधार पर ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विभिन्न संवर्गों में सेवानिवृति के पश्चात् मण्डल में पुनः नियुक्ति दिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची "अ" संलग्न है ।

इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इनके तकनीकी ज्ञान, पद पर योग्यता एवं कार्य दक्षता व विषय विशेष में कार्यनुभव के आधार पर नियुक्तियां दी गयी थी ।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की सेवा में पुनर्नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति योग्यता व कार्यानुभव दोनों के आधार पर दी गयी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जाखम सिंचाई परियोजना से बिजली का उत्पादन

366. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जाखम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बिजली उत्पादन की कोई योजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना के अनुसार कितना मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया ?

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । जाखम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बिजली उत्पादन की योजना बनाई थी, जिसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2×2.5 मेगावाट है ।

(2) जाखम विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाकर दिनांक 16.12.1995 को खोली गई थी । निविदाओं की शर्तों व दरों आदि के लिये दिनांक 30.1.96 व 24.4.1996 को निविदादाताओं से वार्ता की गई थी । निविदाकारों ने सिंचाई विभाग से पानी की उपलब्धता हेतु आवश्यक जानकारी चाही है । इसके लिये कार्यवाही चल रही है । अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है ।

राज्य विद्युत मण्डल में हो रहे घाटे की पूर्ति

367. श्री रामपाल उपाध्याय(सहाडा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विगत तीन वर्षों में ऊर्जा दरों में वृद्धि/संशोधन किये हैं ? यदि हां, तो कितनी बार व कितने प्रतिशत ?

(2) क्या ऊर्जा उत्पादन तथा खपत में अन्तर है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? अन्तर की पूर्ति हेतु गत तीन वर्षों में किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डल का आय-व्यय संतुलित है ? यदि नहीं, तो दर संशोधन से क्या लाभ हैं ? विगत 3 वर्षों के आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऊर्जा उत्पादन व्यय तथा प्रशासनिक व्यय में अन्तर है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? विगत 3 वर्षों का तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ऐसे घाटे की पूर्ति के लिये प्रदेश के नामधारी उद्योगपतियों की सैकड़ों करोड़ रुपयों की बकाया राशि को वसूलने के लिये आपसी वार्ता के प्रयास सफल हो सकते हैं ? यदि हां, तो किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिलिंग माह जून, 1994 एवं अक्टूबर 1995 में विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरों में वृद्धि की गयी थी। इससे पूर्व बिलिंग माह सितम्बर, 1992 में वृद्धि की गयी थी। बिलिंग माह जून, 1994 में यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत एवं अक्टूबर, 1995 में लगभग 10 प्रतिशत थी।

(2) जी, हां। ऊर्जा की मांग व स्वयं/हिस्सेदारी परियोजनाओं से उत्पादन एवं सम्पूर्ण तंत्र में ऊर्जा उपलब्धि पिछले तीन वर्षों में निम्न रही :—

वर्ष	मांग (मि.यू.) 14वें सर्वे के आधार	(उपलब्धि मि.यू.) स्वामितत्व तंत्र से व हिस्सेदारी योजनाओं से	राज्य की सम्पूर्ण
1995-96	20218	8891	18277 (अस्थायी)
1994-95	18327	8151	16425
1993-94	16585	7888	15400

ऊर्जा की मांग एवं उपलब्धि का अन्तर 1995-96, 1994-95 एवं 1993-94 वर्ष में क्रमशः 9.6% 10.4% एवं 7.1% रहा। इस उपलब्धि में पड़ौसी राज्यों से महंगी दरों पर क्रय की गयी। विद्युत व केन्द्रीय विद्युत गृहों से लगभग 606 मेगावाट उत्पादन क्षमता के विशेष आवंटन से जनित विद्युत व उत्तर क्षेत्र से ओवर ड्रा की गयी विद्युत सम्मिलित है।

ऊर्जा की उपलब्धि बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किये गये।

1. वर्तमान विद्युत गृहों से अधिक से अधिक उत्पादन।

(ऊर्जा मंत्री)

2. विद्युत मण्डल की निर्माणधीन उत्पादन परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति।

3. केन्द्रीय विद्युत गृहों से विशेष आवंटन।

4. मंहगी दरों पर भी विद्युत क्रय।

5. निजी क्षेत्र से विद्युत उत्पादन के लिये अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली इत्यादि द्वारा लगभग 2330 मे. वा. विद्युत गृहों के लिये आशय पत्र जारी करना व शेष 2480 मे. वा. की निविदाएं विचाराधीन व 2 × 394.25 मे. वा. विद्युत गृह के एम. ओ. यू.।

6. पार्वती जल परियोजना में भागीदारी।

7. निजी क्षेत्र की कम्पनी में सीपा के. हिरमा विद्युत गृह से 1200 मे. वा. विद्युत खरीदने का निर्णय।

8. नई विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण आदि।

(3) जी, नहीं। विद्युत मण्डल का आय-व्यय संतुलित नहीं है। विद्युत दरों में समय-समय पर हुए संशोधन से प्राप्त राजस्व व्यय की तुलना में सदैव कम रहा है। क्योंकि दरों में बढ़ोत्तरी कभी भी व्यय को मद्देनजर रखते हुए नहीं हो पायी है। मण्डल के तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

	1992–93	1993–94	1994–95
अर्जित किया राजस्व	1262.69	1466.78	1924.76
राजस्व व्यय	1484.12	1821.60	2336.57

(रुपये करोड़ों में)

(4) उत्पादन व्यय तथा प्रशासनिक व्यय के दो भिन्न-भिन्न मद हैं, जिनमें उत्तर स्वाभाविक है, क्योंकि उर्जा उत्पादन व्यय में उर्जा उत्पादन के सम्बन्धित खर्चे ही शामिल होते हैं जबकि प्रशासनिक व्यय में पूरे मण्डल के प्रशासनिक कार्यालयों एवं गतिविधियों के खर्चे शामिल होते हैं। विगत तीन वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

	1992-93	1993-94	1994-95
उर्जा व्यय	334.66	378.48	430.81
प्रशासनिक	25.33	31.48	37.23

(5) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने उपभोक्ताओं की विवादित राशि से सम्बन्धित प्रकरण आपसी सहमति व गुण दोषों के आधार पर सुलझाने के लिये समझौता समितियों का गठन कर रखा है। अब तक मण्डल स्तरीय समझौता समिति ने 174 प्रकरणों का निपटारा किया है।

ग्राम जयसिहपुरा (लालसोट) में विद्युत कनेक्शन

368. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री परसादी लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि तुरन्त योजना के अन्तर्गत जयसिंहपुरा (लालसोट) के गोपाल, लादू, रामलाल, तेजा, केसरलाल ने एक हजार रुपया जमा करवाकर कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों ने फिक्स चार्जेज सिक्योरिटी राशि एवं कनेक्शन फीस के 8700 रुपये 31 दिसम्बर, 1990 को जमा करा दिये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवेदकों को पोल की राशि जमा कराने का मांग पत्र नहीं मिला और आवेदन रद्द कर दिया गया ? यदि मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र की रसीद जो पोस्ट आफिस से मिली उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आवेदकों का मांग पत्र रजिस्टर्ड ए. डी. से भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम जयसिंहपुरा के श्रीगोपाल, लादू, रामलाल पुत्र छोटे लाल मीणा ने तुरन्त प्राथमिकता योजना में कृषि कनेक्शन लेने हेतु 1000/– रु० रसीद संख्या 8939/19 दिनांक 23.10.1990 को सहायक अभियन्ता लालसोट कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा कराया था।

(2) जी, हां। मण्डल नियमानुसार जारी आंशिक मांग पत्र की राशि 8700/: रुपये आवेदक द्वारा रसीद संख्या 78954/18 दिनांक 31.12.90 को ही जमा करा दी गई थी।

(3) जी, नहीं। दूसरा मांग पत्र आवेदक को नोटिस संख्या 1174 दिनांक 5.3.1991 से रजिस्टर्ड ही दिया गया था। मांग पत्र की राशि 30 दिन के अन्दर-अन्दर जमा नहीं कराने पर पत्रावली स्वतः ही मण्डल नियमानुसार रद्द मान ली गई। डाकघर द्वारा प्राप्त रजिस्टर्ड ए. डी. की रसीद रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हो पाई। आवेदक को भेजा गया रजिस्टर्ड मांग पत्र उपभोक्ता को प्राप्त हो गया था। जिसकी पुष्टि उपभोक्ता स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा की है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।

(4) उक्त आवेदक को मांग पत्र नोटिस संख्या 1174 दिनांक 5.3.1991 से रजिस्टर्ड ही भेजा गया था।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

भूमि विकास बैंक झुंझुनूं का आय–व्यय

369. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि विकास बैंक झुंझुनूं को जून, 1995 को समाप्त हुये वर्ष में कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई तथा उक्त वर्ष में कुल कितना रुपया प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त खर्च हुआ ? यह खर्चा किन-किन मदों पर किया गया ?

(2) भूमि विकास बैंक झुंझुनूं के पास कितनी गाड़ियां व जीपें अपनी हैं तथा इस

(श्री शिवनाथ सिंह)

वर्ष में कितनी जीपें किराये पर ली गयी तथा प्रत्येक पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

(3) किराये पर रखी गयी जीपों में से प्रत्येक कितने-कितने किलोमीटर चली तथा उनमें कितना-कितना डीजल आदि का खर्चा किया गया ? ये जीपें किस-किस अधिकारी/कर्मचारी ने काम में ली ?

उत्तर

(1) भूमि विकास बैंक झुन्झुनूं के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, आडिट रिपोर्ट वर्ष 1994–95 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1994–95 को समाप्त हुए वर्ष में ब्याज के रूप में 231.67 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं एवं उक्त वर्ष में प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त 11 04 लाख रुपये खर्च हुए, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट (ए) पर अंकित है।

(2) झुंझुनूं भूमि विकास बैंक के पास वर्तमान में 3 जीपें स्वयं की हैं। इस वर्ष बैंक द्वारा 17 जीपें किराये पर वसूली हेतु ली गई थी। प्रत्येक जीप पर हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट (2) के कालम 7 पर अंकित है।

(3) विवरण संलग्न परिशिष्ट (2) पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समिति दौसा द्वारा निरीक्षण दौरा प्रकरण

370. **श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समिति, दौसा ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 के दिन महुआ की ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पलानहेड़ा का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विशेष लेखा परीक्षक ने उक्त तिथि को ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण नहीं किया एवं दौसा स्थित अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहे ? यदि हां, तो उक्त तिथि की उपस्थिति पंजिका की सत्यापित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विशेष लेखा परीक्षक ने 21,22,23 दिसम्बर, 1995 में महुआ तहसील की कतिपय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निरीक्षण हेतु अपना भ्रमण प्रोग्राम बनाया था ? यदि हां, तो विशेष लेखा परीक्षक द्वारा भरी गयी दैनन्दनी (डायरी) में अंकित 21,22,23 दिसम्बर, 1995 की सत्यापित प्रति एवं विशेष लेखा परीक्षक द्वारा उक्त दिनों के लिये प्राप्त किये गये यात्रा भत्ता से सम्बन्धित प्रस्तुत बिल की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां दौसा 21 दिसम्बर,

(सहकारिता मंत्री)

1995 से निरन्तर राजकीय प्रवास पर रहने के उपरान्त दिनांक 23.12.95 को दौसा मुख्यावास पर वापस लौटे। उपस्थिति पंजिका की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) जी, नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण नहीं किया। खेड़ला बुजुर्ग लुहारी सुथारी सहकारी समिति का टेस्ट ऑडिट तथा हाथ करघा सहकारी समिति का टेस्ट एवं अन्वेषणात्मक ऑडिट तथा मण्डावर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के बयान रिकार्ड तथा पलानहेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के धारा 74 के प्रकरणों की जांच की थी। दिनाक 21,22 एवं 23 दिसम्बर, 1995 की दैनन्दिनी एवं यात्रा भत्ता बिल की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किसानों को स्वीकृत अल्पकालीन फ़सली ऋण

371. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने वर्ष 1995-96 से मई, 1996 तक किसानों को कितनी राशि के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये ?

(2) राज्य में उक्त अवधि में सामान्य फसल उत्पादन के साथ तिलहन, दलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु कितनी वित्तीय सहायता विभिन्न साख सीमाओं के तहत उपलब्ध करायी गयी ?

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक से अधिक फसली ऋण उपलब्ध हो इस हेतु भविष्य में कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार स्वयं कोई फसली ऋण वितरण नहीं करती है। सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 1995-96 (1 अप्रेल, 1995 से 31 मार्च, 1996) के दौरान कुल 395.89 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गये तथा वर्ष 1996-97 के दौरान माह अप्रेल व मई, 1996 में कुल 98.19 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गये।

(2) सहकारी बैंकों द्वारा फसल उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता न दी जाकर ऋण दिया जाता है। राज्य में उक्त अवधि में सामान्य फसल उत्पादन के साथ तिलहन, दलहन उत्पादन हेतु निम्न प्रकार अल्पकालीन फसली ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये :—

वर्ष 1995-96	रुपये (राशि करोड़ों में)
तिलहन उत्पादन	72.02
दलहन उत्पादन	13.70
वर्ष 1996-97 मई, 1996 तक	
तिलहन उत्पादन	8.80
दलहन उत्पादन	0.77

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी, हां । वर्ष 1996–97 में 476.00 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, फसली ऋण वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है । आगामी 5 वर्षों में निम्न प्रकार फसली ऋण वितरण की योजना है :–

प्रथम योजना वर्ष	548 करोड़
द्वितीय वर्ष	630 ,,
तृतीय वर्ष	724 ,,
चतुर्थ वर्ष	832 ,,
पंचम वर्ष	956 ,,

ग्राम पंचायत धोबलाई (जयपुर) में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क रिहायशी भू-खण्डों का आबंटन

372. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोबलाई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के भूतपूर्व कार्यवाहक सरपंच ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976 में भूमिहीनों, अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को 1500 वर्ग गज के निःशुल्क रिहायशी भूखण्ड आबंटित किये थे ? जिनमें उक्त सरपंच द्वारा अपनी स्वयं के नाबालिग पुत्र एवं अपने रिश्तेदारों को भी निःशुल्क भू–खण्ड दिये थे ? क्या वे इस प्रकार निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने के पात्र थे ?

(2) क्या उक्त मामले की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा सरकार या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जयपुर को की गयी थी ? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार कब तक इस पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । जांच रिपोर्ट के आधार पर ये भूखण्ड प्राप्त करने के पात्र नहीं थे ।

(2) जी, हां । शिकायत ग्रामवासियों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को की गयी थी । जांच रिपोर्ट की प्रति सलंग्न है ।

(3) पूर्व कार्यवाहक सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नियमानुसार उनसे स्पष्टीकरण चाहने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत सीमल्या (कोटा) में जारी भूमि के पट्टे

373. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीमल्या जिला कोटा के पूर्व सरपंच द्वारा निःशुल्क पट्टे जारी करने की आड़ में 50

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

से भी ज्यादा समर्थ व्यक्तियों से राशि प्राप्त कर पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि का पट्टा जारी किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कोई शिकायत वर्तमान में निर्वाचित सरपंच द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच द्वारा तालाब की भूमि पर भी पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। पूर्व सरपंच को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 21 [2] के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

(3) जी, नहीं। उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों का अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने में सरपंच सक्षम है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला परिषद् अजमेर द्वारा जनता आवास योजना में लक्ष्य पूर्ति

374. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद अजमेर द्वारा वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में जनता आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा चयनित लोगों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त की गयी थी ?

(2) उक्त योजना के तहत अब तक कितने आवासों का निर्माण कर लोगों को वास्तव में लाभान्वित किया जा चुका है तथा कितने आवास निर्माण कराये जाने शेष हैं ?

(3) शेष रहे आवासों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवाया जाकर लोगों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना की क्रियान्विति में धनाभाव और लालफीताशाही बाधक रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जनता आवास योजना के तहत वर्ष 1994–95 में लोगों को लाभान्वित किये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अजमेर जिले के लिये वर्ष 1995–96 के प्रारम्भ में 900 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु केन्द्र सरकार से प्रति

(राज्य मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज)

लाभार्थी 2600/– रुपये का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार को विवश होकर वर्ष 1995–96 के लिए 450 एवं 1996–97 के लिये 450 के लक्ष्यों का विभाजन करना पड़ा त । चयनित लोगों के प्रति व्यक्ति 6010/- रुपये प्राप्त किये गये ।

(2) उक्त योजना के तहत 450 व्यक्तियों को 6,800/– रुपये प्रति व्यक्ति भवन निर्माण हेतु दिये जा चुके हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है । वर्ष 1996–97 के लक्ष्य 450 के विरुद्ध 443 व्यक्तियों द्वारा प्रति व्यक्ति 6,010/– रुपये जमा कराये जा चुके हैं जिनके पोस्ट आफिस में खाते खुलवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । हुड़को से प्रथम किश्त का ऋण प्राप्त होने पर इन्हें भी दे दिया जाएगा ।

(3) शेष रहे भवनों का निर्माण कार्य मार्च, 1997 तक लाभार्थियों द्वारा पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है ।

(4) जी, नहीं । हुड़को से वर्ष 1995-96 में मार्च, 1996 में प्रथम किश्त के रूप में 31.17 लाख रुपये 450 लाभार्थियों में वितरण हेतु प्राप्त हुए जिन्हें पंचायत समितियों के माध्यम से प्रति व्यक्ति 6800/– रुपये दिये गये । वर्ष 1996-97 में ऋण प्राप्ति हेतु हुड़को जयपुर को रुपये 31.16 लाख के लिये आवेदन किया जा चुका हैं । अतः धनाभाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम रोहीमाला (झाड़ोल) का प्राथमिक विद्यालय

375. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत स्कूल खोलने के क्या आधार है ? निर्वाचन क्षेत्र झाड़ोल में वर्तमान में कहां-कहां स्कूल कब-कब से संचालित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों का नियंत्रण किसके अधीन है ? इनमें कार्यरत अध्यापकों/शिक्षाकर्मियों को क्या-क्या सुविधाएं एवं वेतन दिया जाता है, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पंचायत समिति, झाड़ोल जिला उदयपुर के ग्राम रोहीमाला में उक्त स्कूल खोली गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि वहां पूर्व में संचालित प्राथमिक शाला को बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम रोहीमाला के प्राथमिक स्कूल बन्द कर शिक्षाकर्मीशाला खोलने का वहां की जनता ने भारी विरोध किया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस आशय के ज्ञापन/निवेदन सरकार को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त ज्ञापन की प्रति मय उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार ग्राम रोहीमाला में पुनः प्राथमिक शाला प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत स्कूल खोलने के निम्नलिखित आधार हैं :–

1– गांव दूरस्थ स्थान पर हो।

2– बालक-बालिकाओं का ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि कम हो तथा विद्यालय अनियमित हो।

ऐसे विद्यालयों के प्रस्ताव पंचायत समिति शिक्षाकर्मी बोर्ड को देती है तो गांव वालों की सहमति से शिक्षाकर्मियों का चयन कर शिक्षाकर्मी विद्यालय खोले जाते हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इन विद्यालयों का दैनिक नियंत्रण पंचायत समिति द्वारा किया जाता है, किन्तु अंतिम आदेश शिक्षाकर्मी बोर्ड के माने जाते हैं। वर्तमान में एक शिक्षाकर्मी को दिवसीय विद्यालय एवं प्रहर पाठशाला संचालन करने पर 1350/– रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में 56 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि शिक्षाकर्मी पढ़ाई करता है, तो पाठ्य पुस्तकों का 90 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाता है। वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा 30 दिवस का मेडिकल अवकाश आधे वेतन पर दिया जाता है तथा 3 वर्ष के बाद इन्हें 11 दिन के लिये देश के दूसरे भागों में भ्रमण के लिये भेजा जाता है।

(3) पंचायत समिति, झाड़ोल ग्राम रोहीमाला में जुलाई, 19 5 में स्कूलों को शिक्षाकर्मी परियोजना में लिया गया। यह सही नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों को बन्द कर दिया गया। बल्कि राज्य सरकार द्वारा खोले गये प्राथमिक विद्यालयों को ही शिक्षाकर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है।

(4) जी, नहीं। ग्राम रोहीमाला में शिक्षाकर्मी विद्यालय खोलने पर वहां की जनता द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया और न ही कोई ज्ञापन ही प्राप्त हुआ।

(5) ग्राम रोहीमाला के ग्रामवासियों से यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी यदि शिक्षाकर्मी अपेक्षानुसार कार्य करते हुए नहीं पाये गये तो ऐसी स्थिति में ही शिक्षाकर्मियों को हटाकर पंचायत समिति के शिक्षक लगाये जा सकते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला पाली की पंचायत समितियों के ग्रामों में आयोजित ग्राम सभाएं

376. **श्री रामप्रताप कासनियां** (पीलीबंगा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत, रायपुर तथा बर और पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायत बीजागुडा में वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में कौन-कौन सी तारीखों को ग्राम सभाएं आयोजित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति, रायपुर (पाली) द्वारा ग्राम सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम वर्ष 1994-95 से 1996-97

(५८)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

में रखा गया ? यदि हां, तो कार्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा जानबूझ कर पंचायत अधिनियम की धारा 3 तथा 8 की लगातार पालना नहीं करने से अधिनियम की धारा 38 व 39 के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें हटाया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत रायपुर व बर तथा पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायत बीजागुडा में वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में जिन-जिन तारीखों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम पं.स.	ग्राम पं. का नाम	वर्ष 94-95 में आयोजित की गई ग्राम सभाओं की दिनांक	वर्ष 95-96 में आयोजित की गई ग्राम सभाओं की दिनांक
रायपुर	रायपुर	4.3.95	20.2.96
रायपुर	बर	23.3.95	20.1.96
सोजत	गुडाबीजा	22.11.94	22.6.95
		2.3.96	17.3.96

(2) पंचायत समिति रायपुर द्वारा वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाएं आयोजित करने हेतु कार्यक्रम जारी किये गये हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। वर्ष 1995–96 के दौरान ग्राम सभाओं सम्बन्धित कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

(3) उक्त ग्राम पंचायत रायपुर, बर तथा गुडाबीजा के विरुद्ध ग्राम सभाएं आयोजित न करने सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 व 8 की पालना नहीं करने पर जांच के पश्चात् यदि सरपंच के स्तर पर कर्त्तव्य निर्वहन में चूक पायी जाती है, तो अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्था को आदेशित किया जा सकता है। इसके पश्चात् भी यदि आदेशों की अवहेलना की जाती है तो अधिनियम की धारा 38 के तहत सरपंच को हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने का कानूनी प्रावधान है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में अध्यापकों के पद

377. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं

(श्री परसराम मोरदिया)

पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में कुल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा केन्द्र कितने-कितने हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षण संस्थाओं में सत्र 1995-96 में छात्रों की कुल संख्या कितनी रही ?

(3) उक्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवधि में अध्यापकों के कुल कितने पद थे जिनमें से कितने भरे गये एवं कितने रिक्त रहे ?

(4) नियमानुसार छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के कितने पद होने चाहिये ? क्या इस अनुपात में अध्यापकों को पदस्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 34619 प्राथमिक, 11847 उच्च प्राथमिक एवं 18800 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं।

(2) उक्त संस्थाओं में छात्रों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

प्राथमिक (आयु वर्ग 6–11)	62.90 लाख
उच्च प्राथमिक (आयु वर्ग 11 से 14)	19.74 लाख
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	4.66 लाख
कुल योग :–	86.79 लाख

(3) राजकीय विद्यालयों के अन्तर्गत इस अवधि में अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

स्वीकृत	भरे/कार्यरत	रिक्त	वि.वि.
तृतीय श्रेणी अध्यापक शहरी क्षेत्र			शिक्षा
48162	47524	633	विभाग
तृतीय श्रेणी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र			ग्रामीण
84236	78577	5659	विकास
द्वितीय श्रेणी अध्यापक			शिक्षा
12578	11627	951	विभाग

(4) प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो तृतीय श्रेणी अध्यापक तथा 100 की संख्या पूरी होने पर तीसरा अध्यापक देने की व्यवस्था है। सीमित वित्तीय संसाधनों के तहत राज्य सरकार उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार अध्यापक उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा का पर्यटन विकास

378. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि से आबू पर्वत के बाद राजस्थान का सबसे ऊँचा क्षेत्र है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गोगुन्दा क्षेत्र उदयपुर से आबू पर्वत व रणकपुर मार्ग पर स्थित है एवं प्राकृतिक दृष्टि से भी

(श्री महावीर भगोरा)

सुरम्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गोगुन्दा राज्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है ।

(2) जी, हां । गोगुन्दा में मेवाड़ कॉम्पलेक्स की योजना के तहत एक कैफेटेरिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है । लैण्ड स्केपिंग का कार्य प्रगति पर है । गोगुन्दा के विकास हेतु विभाग ने राज्य योजना अन्तर्गत रुपये 67.12 लाख वर्ष 1995-96 में स्वीकृत कर जिला विकास अभिकरण उदयपुर के पी.डी. खाते में जमा कराये हैं । इसके व्यय हेतु योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जिला पाली की विभिन्न पंचायत समितियों में महिला समृद्धि योजना के लक्ष्य

379. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिलाओं को बचत खाते खुलवाकर उन्हें बचत करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ? यदि हां, तो पाली जिले में इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाओं ने खाते खुलवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पाली जिले के लिये इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न पंचायत समितियों के लिये कितने-कितने लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले प्रत्येक पंचायत समिति में कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक लक्ष्य प्राप्त कर लिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां । पाली जिले में मार्च, 1996 तक इसके अन्तर्गत 16,476 महिलाओं ने खाते खुलवाये ।

(2) पाली जिले के अन्तर्गत समस्त 10 पंचायत समितियों में से प्रत्येक को केवल वर्ष 1995–96 में 3000 खाते खोलने का लक्ष्य आबंटित किया गया । इस प्रकार कुल 30,000 खाते खुलवाने का लक्ष्य पंचायत समितियों को दिया गया । वर्ष 1995–96 में लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धी निम्न प्रकार रही :–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	उपलब्धी
1	2	3
1.	देसूरी	1375
2.	पाली	813
3.	बाली	1100
4.	राणी	522
5.	सुमेरपुर	340

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

1	2	3
6.	मारवाड़ जंक्शन	1703
7.	सोजत	500
8.	रायपुर	1215
9.	जैतारण	186
10.	रोहट	75
	कुल योग :–	7829

(3) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार दूरदर्शन, आकाशवाणी व जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। जिले के विभिन्न विभागाधिकारियों द्वारा ग्राम नागरिकों, जन प्रतिनिधियों एवं स्वयं-सेवी संस्थाओं का व्यापक सहयोग प्राप्त कर योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला महिला विकास अभिकरणों व समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से भी ग्रामीण महिलाओं के अधिकाधिक खाते इस योजना के अन्तर्गत खुलवाये जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा।

अलवर जिले की औद्योगिक इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लांट

380. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले में वर्ष 1990 से 1996 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितनी औद्योगिक इकाइयों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये ? सरकार अब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? दर्ज मुकदमों की संख्या मय औद्योगिक इकाई एवं जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में अलवर जिले में कितनी ऐसी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिन्होंने अब तक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये हैं ? सरकार अब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? बकाया ट्रीटमेंट प्लांटों वाली इकाइयों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में दिनांक 1.1.90 से 31.3.96 तक 14 उद्योगों के विरुद्ध ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) नहीं लगाने के कारण राज्य मण्डल ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक परिवाद एवं 14 प्रार्थना पत्र न्यायालय में दर्ज किये गये हैं। वर्तमान में जिन उद्योगों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) नहीं लगाये गये हैं उनके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 1990 से 1996 तक 14 उद्योगों के विरुद्ध 15 मुकदमे न्यायालय के समक्ष दायर किये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में अलवर जिले में एक उद्योग द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र)

(पर्यावरण मंत्री)

स्थापित नहीं किया है जिसके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इस उद्योग की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

मकराना में मार्बल-पत्थर की चिराई से प्रदूषण

381. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मकराना में मार्बल कम्पनियों में पत्थर चिराई से निकलने वाला पाउडर डालने के लिये कोई निर्धारित स्थान नहीं होने के कारण सड़कों के ऊपर तथा सड़कों के दोनों तरफ पहाड़ बन गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस कारण आवागमन अवरुद्ध व वातावरण दूषित हो गया है ?

(2) क्या सरकार इन क्षेत्र में मार्बल पाउडर से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इसके लिये स्थान निर्धारित है। जहां तक आवागमन का प्रश्न है आवागमन अवरुद्ध नहीं है, गीले पाउडर के सूखने के पश्चात् हवा से एवं ट्रक, ट्रेक्टर, बस और जीप आदि के चलने से सूखा पाउडर उड़ने के कारण वातावरण दूषित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(2) मकराना में मार्बल कम्पनियों में पत्थर चिराई से निकलने वाला पाउडर को डालने के लिये मंगलाना रोड पर मोजा मंगलाना तहसील परबतसर में 55 बीघा 7 बिस्वा भूमि नगर पालिका मण्डल मकराना को दिनांक : 19–8–1993 को आबंटित की गयी है। आबंटित भूमि पर मार्बल पाउडर डाला जा रहा है। नगर पालिका मण्डल, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि उद्यमी निर्धारित स्थान पर ही मार्बल फैक्ट्रियों से निकलने वाला गीला पाउडर डाले।

डूंगरपुर जिले में निगम की बसों का आबंटन

382. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के लिए परिवहन निगम द्वारा नई बसों का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। वर्ष 1996 में 7 नई बसें आबंटित की गयी हैं।

परिवहन निगम कर्मियों द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के चुनावों में भागीदारी

383. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम के प्रतिनिधि/सदस्य के निर्वाचन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा चुनाव लड़ा गया था ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों द्वारा ? नाम, पद एवं निर्वाचन के स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है निगम प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कुछ कर्मचारियों द्वारा निगम प्रशासन से चुनाव लड़ने के के लिये लिखित में स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की गई थी और उन्हें भी चुनाव लड़ने की स्वीकृति नहीं दी गयी ?

(4) वर्तमान में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो निगम में कार्यरत हैं और स्थानीय निकायों के निर्वाचित पदों पर भी कार्य कर रहे हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम पद, स्थान आदि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । निगम रिकार्ड के अनुसार इन संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले कर्मचारियों की सूची मय नाम, पद एव निर्वाचन स्थान के सदन के पटल पर रख दी गयी है (परिशिष्ट–ए)

(2) जी, नहीं । निगम द्वारा परिपत्र संख्या 63 दिनांक 11–5–1988 के द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के कारण कर्मचारियों को स्वीकृति नहीं दी गयी । प्रतिलिपि परिशिष्ट "बी" पर उपलब्ध है ।

(3) जी, हां ।

(4) निगम रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में निगम के कर्मचारी के साथ-साथ स्थानीय निकायों में निर्वाचित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची मय नाम, पद एवं स्थान सदन के पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट 'सी")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में नये रूट खोलने व नये परमिट जारी करने के मानदण्ड

384. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) नये मार्ग खोलने व नये रूट परमिट देने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या मानदण्डानुसार विभाग द्वारा उदयपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों का सर्वे करा लिया गया है? यदि हां, तो कितने नये मार्गों पर परमिट देने के प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(3) क्या बिना रूट परमिट के भी निजी वाहन यात्री परिवहन का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उदयपुर जिले के किन-किन क्षेत्रों में ?

उत्तर

(1) मंजिली वाहनों के लिये नये मार्ग

(राज्य मंत्री, यातायात)

खोलने का निर्णय आवेदन पर मार्ग के सर्वेक्षण के उपरान्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता था। दिनांक 14-11-1994 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) में संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में अब राज्य सरकार द्वारा नये मार्ग निर्धारित किये जाएंगे। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा नये मार्ग खुलने पर, उन पर परमिट नियमानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(2) नये परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 70, 71, 72 व राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 में निहितप्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।

जन-प्रतिनिधियों, जनता एवं वाहन स्वामियों के आवेदनों पर वर्तमान में उदयपुर जिले में कुल 141 मार्ग मंजिली वाहनों के लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा पांच मार्गों का सर्वेक्षण कराया जाकर, मार्ग खोले जाने का प्रकरण विचाराधीन है, और 12 अन्य मार्ग खोले जाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके सर्वेक्षण हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(3) बिना परमिट वाहन का संचालन अवैध है। अवैध वाहनों के संचालन के समय व मार्ग निर्धारित नहीं होता है, इस कारणवश इनकी संख्या बताया जाना संभव नहीं है। तथापि विभाग अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु प्रयासरत है। ऐसे वाहनों के वर्ष 1995-96 व 1996-97 (मई 1996 तक) की अवधि में 2149 चालान बनाये गये और 793 वाहन सीज किये गये।

अलवर जिला बुनकर सहकारी संघ से कपड़ा खरीद प्रकरण

385. श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माडा योजना के छात्रावासों के लिए बिना निविदा के कपड़े खरीदने हेतु सरकार से अधिकृत संस्थाएं कौन-कौन सी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माडा योजना के छात्रावासों के लिए वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में डी. आर. डी. ए. अलवर द्वारा विभिन्न किस्म के कपड़ों की खरीद की गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में अलवर जिला बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड से कपड़ा खरीदा गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त संस्था सरकार से अधिकृत संस्थाओं की सूची में है? यदि नहीं, तो उक्त संस्थाओं से कपड़ा खरीदने के लिए सरकार परियोजना निदेशक के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार को बिना निविदा के अनधिकृत संस्था से कपड़े खरीदने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

गयी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा निम्न संस्थाओं को बिना निविदा के कपड़े खरीदने हेतु अनुमोदित किया गया है।

1– राजस्थान राज्य हाथ करघा विकास निगम।

2– राजस्थान राज्य बुनकर संघ

3– नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन

(2) जी, हां। वर्ष 1994–95 में मात्रा छात्रावासों के लिये कोई कपड़ा नहीं खरीदा गया। वर्ष 1995–96 में छात्रावासी छात्राओं को वर्दी हेतु

निम्नानुसार कपड़े की खरीद की गयी–

1– टेरीकाट सूटिंग (नेवी ब्ल्यू)

2– पोलिस्टर सटिंग (सफेद)

3– पोलिस्टर सटिंग (आसमानी)

(3) वर्ष 1994–95 में छात्रावासों के लिये कोई कपड़ा नहीं खरीदा गया तथा वर्ष 1995–96 में छात्रावासी छात्राओं की वर्दी का कपड़ा अलवर जिला बुनकर सहकारी संघ लि. से निम्नानुसार खरीदा गया—

(राशि रुपयों में)

कपड़े की किस्म	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4
1– टेरीकाट सूटिंग (नेवीब्ल्यू)	250 मी.	66.30	16575
2– पोलिस्टर सटिंग (सफेद)	900मी.	35.50	31950
3. पोलिस्टर सटिंग (आसमानी)	600मी.	35.50	21300
		कुल	69825

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों में दी जाने वाली औषधियां

386. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय में कुछ दवाइयां रोगियों को मुफ्त दी जाती हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? मुफ्त दी जाने वाली दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में अधिक संख्या में मुफ्त दवाएं औषधालयों को दी जाती थीं ?

(3) मुफ्त दी जाने वाली दवाओं की संख्या घटाने के क्या कारण हैं ?

(4) आयुर्वेद विभाग का वार्षिक व्यय कुल कितना है तथा उसमें से दवाओं पर

(श्री हरजीराम बुरडक)

कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधियां रोगियों को मुफ्त दी जाती हैं । वर्ष 1996-97 में मुफ्त उपलब्ध करायी जाने वाली आयुर्वेद औषधियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी, हां ।

(3) मुफ्त में दी जाने वाली औषधियों की संख्या कम करने का मुख्य कारण निम्न हैं:-

1. औषध निर्माण की दीर्घकालिक प्रक्रिया एवं रसायनशालाओं की निर्माण क्षमता का ह्रास ।

2. औषध निर्माण में काम आने वाले अनेक प्रमुख व शुद्ध घटक द्रव्यों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता ।

3. औषधालयों में प्रचुर मात्रा में अति आवश्यक औषधियों की उपलब्धता बनाये रखना ।

4. औषधि निर्माण हेतु धन की कमी ।

(4) विभाग का कुल व्यय, औषधियों पर किया गया व्यय तथा प्रतिशत व्यय का, गत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	कुल व्यय (लाख रु.)	औषधियों पर व्यय (लाख रु.)	प्रतिशत
1993-94	5082.22	114.79	2.26
1994-95	5929.82	225.98	3.81
1995-96	6730.76	208.28	3.09

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कानफेड की दुकानों में स्टॉक सीमा

387. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कानफेड की दवाइयों की दुकानों में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में विक्रेताओं के विरुद्ध स्टॉक कमी के प्रकरण पाये गये ? यदि हां, तो किन-किन विक्रेताओं के विरुद्ध किस-किस दुकान में कितनी-कितनी राशि का तथा इसके लिये प्रत्येक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा किस-किस प्रकरण की चोरी, गबन, आपसी लेन-देन की श्रेणी सहित उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों का बीमा कराया जाता है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रत्येक दुकान का कितनी-कितनी राशि का बीमा था तथा कितनी-कितनी राशि का स्टाक था । पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि दुकानों में स्टाक निर्धारित सीमा से ज्यादा था ? यदि हां, तो किस-किस दुकान में कितना-कितना,

(श्री नाथूराम अहारी)

किस-किस कारण से तथा इसके अधिक रहने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दुकानों में सीमा से ज्यादा स्टाक रखने पर विक्रेता के विरुद्ध तो कार्यवाही की जाती है, परन्तु क्या स्टाक ज्यादा होने पर अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण अधिकारी के नाम व प्रकरणवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या संघ की कानफेड की मेडिकल शाखाओं की अवधिपार दवाइयों को गोदाम में माल सम्भालने तथा प्राप्ति की रसीद विक्रेता को देने के उपरान्त कम्प्यूटर शाखा में स्टाक राशि को निर्धारित नहीं किया जाता है ? वर्ष 1991 से 1996 तक की दुकानों में कितनी अवधि पार व टूट-फूट के कारण दवाइयां जमा हुई और कम्प्यूटर शाखा में इनका मिलान कब-कब हुआ ? दुकानवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि कानफेड की दवाइयों की दुकानों में वर्ष 1993-94 से 1994-95 में विक्रेताओं के विरुद्ध स्टाक कमी के प्रकरण पाये गये हैं। जिन-जिन, कर्मचारियों के विरुद्ध जिन-जिन दुकानों पर कितनी राशि की कमी या शार्टेज पायी गयी एवं उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी वह परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। कमी/शार्टेज के प्रकरणों को चोरी, गबन या आपसी लेन-देन के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी, हां। कानफेड द्वारा सभी दवाइयों की दुकानों का बीमा प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है। परिशिष्ट "2" पर दुकानवार, स्टॉकवार, स्टॉक सीमा जिसका बीमा करवाया जाता है विवरण अंकित है।

(3) जी हां। यह सही है कि कुछ दुकानों में स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। विवरण परिशिष्ट "2" के कॉलम संख्या–6 पर संलग्न है। विक्रेता द्वारा सीमा से अधिक दवाइयों की प्राप्ति हेतु मांग करना ही स्टॉक अधिक होने का कारण है। स्टॉक सीमा के अनुरूप स्टॉक रखने के लिये संघ के निर्देशानुसार विक्रेता एवं सुपरवाइजर का दायित्व है।

(4) सीमा से अधिक स्टाक रखने का दायित्व विक्रेता एवं सुपरवाइजर का होता है। अतः दुकानों में सीमा से अधिक स्टॉक रखने पर विक्रेता के विरुद्ध तो कार्यवाही की गयी है। गत तीन वर्षों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है।

(5) जी, हां। संघ की मेडिकल शाखा में अवधि पार दवाइयों को गोदाम में प्राप्त करने पर विक्रेता को रसीद दी जाती है। परन्तु अवधिपार दवाइयों को प्राप्त करने के पश्चात् उनकी चैकिंग गोदाम स्तर पर की जाती है। तत्पश्चात् जमा-खर्च हेतु कम्प्यूटर शाखा को सूचित किया जाता है। वर्ष 1991 से 1996 तक की सूचना परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री अरुण सिंह एवं श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के सरिस्का तथा रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों की संख्या में निरन्तर कमी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट पंचायत के ग्राम सहसपुरा में प्राथमिक विद्यालय भवन की स्वीकृति होने के बावजूद विद्यालय भवन नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री एमादुद्दीन अहमद खान एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से वक्फ एक्ट, 1996 राज्य में अभी तक भी लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर, कोटा, बूंदी एवं बारां जिले के विद्यालयों में कथित दुर्भावनावश किये गये स्थानान्तरणों से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के पटवार मण्डल, पून्दला, माणकलाव, सुरपुरा एवं मण्डोर के पटवारियों के मुख्यालय पर निवास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांदीकुई थाना में दर्ज मुकदमा नम्बर 250/96 अन्तर्गत धारा 317 ई. सी. एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना (नागौर) के कब्रिस्तान में शहर के गंदे पानी के भराव से कब्रों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र घाटोल के संस्कृत कालेज, घनोडा में स्टाफ व कमरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के राजकीय चिकित्सालय गुहाला में एक बालिका की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

की उपजाऊ काश्त की भूमि अवाप्त की जाकर औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से काश्तकारों को फव्वारों से सिंचाई योजना हेतु बैंकों से अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के राजकीय विद्यालयों के भवनों के क्षतिग्रस्त होने तथा कुछ एक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत जल संसाधन विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सरदार उच्च सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कोटपूतली में आठ व्याख्याताओं के पद कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में पीने के पानी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

(12) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल: राहत कार्यों में लगे श्रमिकों का 30 जून तक भुगतान तथा सामग्री मद की अग्रिम राशि का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल दिया ?

श्री जुबेर खान : मैंने परसों दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल लगा कि नहीं ? कल लगा देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल दिया था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का इस सप्ताह एक भी आ रहा है ... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये आप। विराजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आसन पैरों पर है।

(60)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। यह क्या हो जाता है, आप लोगों को, समझ में नहीं आता (व्यवधान) जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस सप्ताह में बोल दिया, नियम 295 का प्रस्ताव एक सप्ताह में एक ही लगता है।

एक माननीय सदस्य : दो।

श्री अध्यक्ष : पहले उन माननीय सदस्यों का लगाया जाएगा जिन्होंने एक भी बार भाग नहीं लिया। उसके बाद ज्यादा समय होगा तो दो-दो लगा देंगे।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा बहुत व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने नीति बनायी है। स्थानान्तरण की। ग्रामीण विकास....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जो लगाया है, वह आ तो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल।

श्री रामनारायण मीणा : विभाग ने, दूसरे विभाग ने भी बना रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेलाफाइड-इंटेंशन से जातिवाद के आधार पर राजस्थान में स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपने....

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल जातिगत नीति के आधार पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियम 295 का प्रस्ताव दिया है न आपने?

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, मेरा नियम 295 का प्रस्ताव नहीं है। मेरा स्थगन प्रस्ताव है माननीय अध्यक्ष महोदय जो स्थानान्तरण करा रहे हैं मंत्रीजी, वह जातिगत नीति के आधार पर करा रहे हैं। कहते हैं कि आप तो हमारी जाति के नहीं हो...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये वे यहां बैठे नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानकारी मंगायी जा रही है। बिराजिये, क्या कर रहे हैं आप? जब एक व्यवस्था दे दी है कि उसकी जानकारी होगी। अब न तो मंत्रीजी को जानकारी है और न मुझे जानकारी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : न मुझे देते है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर तो इस तरीके से कैसे हाउस चलाएंगे? हर मामले में बोलने लग जाएंगे तो यह जानकारी काहे के लिये मांग रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जातिवाद पनपाया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर आपने दिया काहे के लिये है? ऐसे बोलकर खड़ा होना है तो, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण मीणा : हम मुंह खोलेंगे तो वह धरती पर आ जाएंगे (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण मीणा : जातिवाद पनपाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, और (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : लोगों को, कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है, यह कोई बात है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय श्री ललित किशोरजी, बिलकुल जानते हैं हम। हम उन लोगों की औकात भी जानते हैं लेकिन कम से कम बतायें तो सही। आप भी शामिल होंगे तो आप भी बताएंगे। आप नहीं होंगे तो जो शामिल होगा वह बताएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 9 तारीख को हम 14 सदस्यों ने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री रामनारायण मीणा : एक रामपाल सिंह है, वहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री ने उसका ट्रांसफर इसलिये किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आप आकर के चैम्बर में मिल लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं–नहीं, यहां पर मेंशन तो आप....

श्री अध्यक्ष : हां, मैं वह दे चुका हूं। आप मिल लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उसके बारे में वहां... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं दे चुका हूं। मुझे याद तो है नहीं सब चीजों का। अभी आकर मिल लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसकी आपने नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, न तो कल दी है, न आज दी है।

श्री अध्यक्ष : हर मामले में व्यवस्था सुनाना आवश्यक नहीं है और यह रूलिंग है। यह आप जानते हैं कि आउट आफ हाउस यह रिजेक्ट किये जा सकते हैं। बिराजिये आप। श्री धारीवाल साहब।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना तो बता दो कि सरकार से जवाब कब तक आ जाएगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जवाब किस तारीख

(62)

(श्री रामनारायण मीणा)

को दे देगी। मुझे तो यह बता दें। जवाब सरकार कब तक दे देगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। दे देंगे, बिराजिये आप। अतिशीघ्र मिल जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : अतिशीघ्र हो जाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोला आपने ?

श्री अध्यक्ष : हां, उस समय आपको पुकारा था, आप इधर-उधर लग गये थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी, हां। बूंदी तहसील के करीब 31 गांव और केशवरायपाटन के करीब 46 गांव, इस प्रकार 77 गांवों की करीब 10 हजार एकड़ जमीन को सरकार ने एक साल पहले चुपचाप डी-कमाण्ड घोषित कर दिया। यह आर्डर है, 6.3.1995 का। 6.3.1995 को कागजों में इसको डी कमाण्ड करके इस दस हजार एकड़ जमीन को जिस पर कि पिछले साल भी पानी लगा था, हो सकता है कुछ पार्ट पर नहीं लगा हो लेकिन कम से कम सात–आठ हजार एकड़ जमीन पर पानी लगा था। उसको 6.3.1995 को डी-कमाण्ड करके और इस कागज को दबाये रखा सरकार ने और अब जाकर यह चौड़ा हुआ कि यह सब कार्यवाही चुपचाप क्यों की गयी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी प्रकार....

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन था, उसके ऊपर (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहाना यह बताया गया है कि जन-प्रतिनिधियों ने इस प्रकार का रिप्रजेंटेशन दिया था....

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन था, उस दिन आप बोले नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे कौनसे जन-प्रतिनिधि थे, वे कौनसे कृषक संघ के पदाधिकारी थे, जिन्होंने इस जमीन को डी-कमाण्ड करने का आपसे आवेदन किया था ? मेरा निवेदन यह है कि इस जमीन पर हमेशा से पानी लगता आया था। जब से कमाण्ड एरिया बना है, हो सकता है किसी न किसी वर्ष कोई न कोई नहर टूटने की वजह से या किसी नहर के रख-रखाव की कमी की वजह से या वितरण प्रणाली का दोष होने की वजह से किसी जमीन पर पानी नहीं लगा लेकिन जब किसानों ने आवाज उठाना चालू कर दिया तो यह प्रशासनिक कार्यवाही चुपचाप कलक्टर, बूंदी के मार्फत करवा ली गयी और यह प्रस्ताव करवा लिया कि इस जमीन को डी–कमाण्ड कर दिया जाए सिर्फ इसलिये कि अपनी बात को छिपाया जाय कि नहरों का हम रख–रखाव नहीं कर सकते, वितरण प्रणाली को हम सुधार नहीं सकते इसलिये इसको डी–कमाण्ड घोषित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे कम्प्लीट कर लेने दें, मंत्री महोदय। एक मिनट का टाइम लगेगा।

63

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मेरा आप से निवेदन है कि सरकार ने अपने जवाब में सिर्फ तीन बातें कहीं हैं कि लोग सीलिंग से इफेक्टेड होते थे, अधिक लगान दिया करते थे और ऋण नहीं मिलता था। ऋण तो आज भी नहीं मिलता और लगान तो आप आज तक लेते आये हो, किसने मना किया था कि आप सिंचाई करो और लगान नहीं लो? तीसरी बात है सीलिंग, तो सीलिंग के तो फैसले हो चुके। इन काश्तकारों को यह बहाना बना कर आपने उनकी जमीन डी–कमाण्ड कर दी कि इन तीन कारणों मे हम कर रहे हैं। असल कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नहरों के रख-रखाव के लिये जो पैसा इन्होंने सैंक्शन किया था उसमें भी 55 लाख रुपये तो प्लान के बजट में और करीब एक करोड़ रुपये नोन प्लान में इस वर्ष कम कर दिया गया। यह जान बूझकर कम किया ताकि यह किसी भी प्रकार डी-कमाण्ड हो जाए। और इन सब बातों से कुल मिलाकर जो कार्यवाही किसानों के विरुद्ध हुई है उससे आर्थिक नुकसान होगा, उत्पादन में कमी होगी और अशांति का वातावरण बनेगा। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस जमीन को, आज भी लिफ्ट मेन केनाल में 300 क्यूसेक्स पानी के लोसेज हैं जबकि एक हजार एकड़ जमीन के लिये सिर्फ 6 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में आप का है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप 60 क्यूसेक्स पानी भी उपलब्ध करवा लें 300 क्यूसेक्स के लोसेज में से लिफ्ट कर के और वापस कैनाल में डाल दें तो यह 10 हजार के बजाय ज्यादा जमीन आज भी इर्रिगेट हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (उर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है वह सचमुच चिंता की बात है।

यह बात भी सही है कि यह 1995 में अनकमाण्ड घोषित किये गये। किन्तु यह बात सच है कि 1985 से ही, जहां तक मैं यदि साल नहीं भूला हूं तो, कोटा और बारां कलक्टर निरन्तर सरकार को यह लिख रहे हैं कि कमाण्ड एरिया में पानी लगता नहीं है और कमाण्ड एरिया होने के कारण सीलिंग में इनकी जो सीमा है वह बहुत कम हो गयी है इसलिये इसको अन-कमाण्ड घोषित किया जाए। वर्षों की लिखा-पढ़ी का....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बूंदी का किस्सा है। आपने कोटा और बारां की फरमायी है। यह टोटल बूंदी का किस्सा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बूंदी का है बारां नहीं, मैं बारां गलत बोल गया। बूंदी है यह। (व्यवधान)....

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपका अभी ध्यान आकर्षण है। जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था दो मिनट बोलने का अवसर उस समय नहीं मिला (व्यवधान)....

(64)

श्री रामनारायण मीणा : यह वहां के विधायक के नाते जवाब दे रहे हैं या सरकार के मंत्री के नाते जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : यदि सरकार के मंत्री के नाते जवाब दे रहे हैं तो, माननीय अध्यक्ष जी, 1979 में यह जनता पार्टी की सरकार ने कागजात चलाये थे । उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आयी, उन्होंने ड्राप करवा दिये और इनकी सरकार आयी, इन्होंने काश्तकारों के कंठ पर छुरी रख दी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप का ध्यान आकर्षण है, कोई बात आप कह रहे हैं । आप बैठिये ।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्ताव दूसरी बात का है । जनता पार्टी ने किसानों का गला घोटा है ।

श्री अध्यक्ष : आप का ध्यान आकर्षण है आज । वैसे भी ध्यान आकर्षण है आज ।

श्री रामनारायण मीणा : हजारों बीघा जमीन, 77 गांव जिस तरह से इन्होंने डी-कमाण्ड किये हैं उसकी भर्त्सना की जानी चाहिये सरकार के खिलाफ इस सदन में । (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सारे काश्तकार दुःखी हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह एडजोर्नमेंट मोशन बाद में है, बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : और इसमें सारे विधायक एक मत हैं, मान्यवर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : जब 1988 में कांग्रेस का शासन था, बूंदी कलक्टर ने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । यह आज एडजोर्नमेंट मोशन है आपका । माननीय बिराजें ।

यह उस दिन एडजोर्नमेंट मोशन पर नहीं बोल पाये थे ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह गांव वापस कमाण्ड में लिये जाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आज आपका ध्यान आकर्षण है, बिराजें आप । उस पर चर्चा अलग से होगी । बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये सरकार की तरफ से जब जवाब दें मंत्रीजी तो हमें भी बात करने का मौका दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : व्यक्तिगत जवाब दें तो बात दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । श्री दीपेन्द्र सिंह जी ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका एक स्पष्टीकरण दे रहा था। वह जो कार्यवाही निरन्तर चल रही थी, अब रामनारायण जी तो हर बात को राजनीतिक रूप से लेते हैं। यह किसानों के हित का सवाल है। आप के राज में (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : 1979 में आपने चलाये कि नहीं चलाये ? इसमें राजनीति क्या करेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हमारे राज में चली, यह बात अलग है। लेकिन यह काफी समय से....

श्री अध्यक्ष : आप का आज है एडजोर्नमेंट मोशन। उन्होंने कोई बात (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह बड़े किसान होंगे मैं छोटा किसान हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका आज ध्यानाकर्षण है।

श्री रामनारायण मीणा : इनके पास जमीन-जायदाद ज्यादा होगी, मेरे पास कम होगी। (व्यवधान) यह नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : काफी समय से यह पत्राचार हो रहा था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आपके परिवार के लोग पूली नहीं हांकते होंगे मेरे परिवार के लोग पूली हांकते हैं। अब अन्तर क्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो फरमाओ।

श्री रामनारायण मीणा : यह मंत्री हैं, मै एम. एल. ए. हूं। यह भी सदन में हैं, मैं भी सदन में हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान का हित येह है कि उनको पानी दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ये ब्राह्मण हैं मैं मीणा हूं। यह जातिवाद की बात करते हैं, उच्च वर्ग के हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं। (व्यवधान) मैं जातिवाद नहीं करता हूं आपकी तरह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, क्या बार-बार खड़े हो रहे है, रामनारायण जी ?

श्री रामनारायण मीणा : जातिवाद आप फैलाते हो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हर बात में जातिवाद आ जाता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप जातिवाद चलाते हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं।

66

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री रामनारायण मीणा : आप जातिवाद चलाते हो + + +

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप एक्सपंज कर दें ।

श्री रामनारायण मीणा : और कोई नहीं चलाता इस सदन का सदस्य आपके अलावा । इस प्रकार जातिवाद चला रहे हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी आज एक नियम 131 का है ।

श्री रामनारायण मीणा : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दें ।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : सबसे ज्यादा जातिवाद आपने फैलाया है । (व्यवधान) लेकिन आप थे फैलाने वाले ।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, मैंने आप के लिये नहीं कहा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त ।

श्री रामनारायण मीणा : लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगाया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त । माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह जी ।

श्री रामनारायण मीणा : ऊर्जा मंत्री जी के ऊपर लगाया है मैंने ।

श्री अध्यक्ष : आप का बाद में है । नहीं, तो फिर नहीं बोलने दूंगा मैं ।

श्री रामनारायण मीणा : और यह जातिवाद फैलायेंगे तो उसको उसी ढंग से निपटा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं चैलेंज करता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियम 131 में उठाना (व्यवधान)

श्री अर्जुन दास मदान : जातिवाद सबसे पहले फैलाया श्री रामनारायण जी, तो आपने फैलाया । (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : लोग भूखे मर जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें ।

श्री रामकिशन वर्मा : लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । अब अंकित नहीं हो । कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री रामकिशन वर्मा : × × ×

श्री अर्जुन दास मदान : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित ही नहीं हो रहा है और फिर नियम 131 में बोलने नहीं दूंगा, एक-एक मिनट में निपटाऊंगा फिर। बिराजिये, आप विराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : क्यों भाषण दे रहे हैं आप। माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया समय खराब न करें। यह नियम 131 में प्रस्ताव आज है, ध्यानाकर्षण है आज।

श्री अर्जुन दास मदान : × × ×

श्री अध्यक्ष : नियम 131 में प्रस्ताव आज है, उस समय आप बोल लें। माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को निवेदन करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली कि नेशनल हाईवेज के ऊपर जयपुर से सीकर के बीच या जयपुर से बीकानेर के बीच में कुछ अतिक्रमण हटाये जाएंगे और हमको बड़ी खुशी भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से इस अभियान के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र रींगस में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बहुत बड़ा षड़यंत्र रच कर कुछ लोगों को बेदखल, बेघर किया गया। रास्ते में और दूसरे विधान सभा क्षेत्र भी थे जिनसे चुन कर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आये थे, किन्तु केवल मात्र कांग्रेस से चुन कर आने की वजह से रींगस नगर पालिका क्षेत्र में जिस ढंग से तोड़-फोड़ की गयी, जिस ढंग से व्यापारियों को परेशान किया गया, 25-25 वर्ष से बाउण्ड्री वाल से, रोड बाउण्ड्री से हट कर जो लोग रोजगार कर रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया। नेस्तनाबूद करने वाले लोगों ने उनको धमकियां दी, मोटी रकम ऐंठने के लिये उनको कहा गया और बड़े नृशंस तरीके से तोड़फोड़ की गयी। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने नाजायज रूप से परेशान किया है उनका आप पीछा करना छोड़ें। जहां तक आपकी सीमा है वहां तक रह कर उसके बाद में जिन लोगों को परेशान किया गया, उनको वहां रहने की इजाजत दें। लोगों को अपना रोजगार कमाने दें और राजनैतिक द्वेषतावश किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, जो आप से मेल नहीं खाते हैं, इंगित करते हुए आपने परेशान करने की जो योजना मेरे क्षेत्र में बनायी है उसको समाप्त करें और सारे प्रकरण की जांच करें, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवायें। यह मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 26 और 27 तारीख को बाढ़ आयी और उसके बाद में लगभग 15 दिन बीत गये लेकिन अभी भी शहर के कुछ क्षेत्रों में, जैसे भगवान टाकीज के पीछे ईदगाह,

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री आर. पी. शर्मा)

भगवान टाकीज के पास जो सब्जी मंडी है वह, तूफानी नगला, इसी तरह से ग्रामीण इलाके में जिसमें लगभग तीन और चार हजार बीघा जमीन आती है, इकरन, आजाद नगर, पिड़यानी, केवल का नगला, पीरनगर इत्यादि गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है और वहां के लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी को शीघ्रता से निकाला जाए।

दूसरी बात, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था कि पी.एम.टी. के इम्तिहान 27 से 30 तारीख तक होने वाले थे। चूंकि भरतपुर के कुछ एरिया में, हाउसिंग बोर्ड कालोनी में और रणजीत नगर में पानी भरने की वजह से पी.एम.टी. के विद्यार्थी उस इम्तिहान में नहीं बैठ पाये थे और बी.ए. और पी.ई.टी. वालों के सभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिये गये हैं लेकिन अभी तक पी.एम.टी. के इम्तिहान पोस्टपोन नहीं किये गये हैं। भरतपुर के कुछ क्षेत्रों के तो, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 140 छात्र इम्तिहान देने से रह गये हैं। उनको भी दुबारा पी एम.टी. में बैठाने की परमिशन दिलायी जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़ जी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से निवेदन कर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैकण्डरी परीक्षा का परिणाम 27 जून को घोषित किया गया। 27 जून को करीब 20 हजार स्टूडेन्टों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। कुछ का परीक्षा परिणाम रोक लेते हैं जिन्होंने अनफेयर मींस अडाप्ट किये हैं। यह ऐसा मामला नहीं था और ऐसा नहीं होने की वजह से इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। इनका जब भी नतीजा जारी किया जाएगा तब तक इनको जहां आगे एडमिशन लेना है, जैसे कुछ विद्यार्थियों को एस.टी.सी. में एडमिशन लेना होता है, वह नहीं ले पाएंगे, उसकी डेट चली गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मंत्रीजी को कल इस बारे में कहा था और आज सुबह भी मैंने उनको सूचित किया। मुझे लगता है कि वह शायद जानकारी करने ही गये हुए हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इन 20 हजार विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार से बचाने के लिये एक तो जितने एडमिशंस हो गये हैं, उनकी तारीख में रद्दोबदल करें, विशेषकर एस.टी.सी. में जो एडमिशंस हुए हैं उसकी डेट चली गयी है और शीघ्र ऐसी व्यवस्था करें कि जो देरी हुई है दो नतीजों के डिक्लेयर करने में, उस पर कार्यवाही हो।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात क्यों हुई? 20 हजार विद्यार्थियों का नतीजा क्यों नहीं जारी किया गया? क्या सैकण्डरी बोर्ड ने एक ऐसी नीति अपना ली है कि कुछ का तो नतीजा जारी कर दिया जाएगा और कुछ का नहीं किया जाएगा। 20 हजार की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार को इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये और विद्यार्थियों को राहत दिलानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंता जैसा कि आज के राजस्थान पत्रिका में मोटा-मोटा विज्ञापन आया है, महामहिम राज्यपाल महोदय का फोटो है, मुख्य मंत्रीजी का फोटो है और चिकित्सा मंत्रीजी का फोटो है। आज अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हैं। मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या आज इस प्रान्त के लिये ही नहीं, इस देश के लिये भी सबसे महत्वपूर्ण ज्वलन्त समस्या है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। सन् 2001 तक पूरे राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ पार कर जाएगी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इतनी ज्वलन्त समस्या होते हुए सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले पहल की थी। जब पंचायत राज (संशोधन) बिल आया था कि दो बच्चों से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। मैं यह मांग करता हूं कि जिनके दो बच्चे या इससे कम हैं उनको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये और जिनके दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हों, उनको निरुत्साहित करना चाहिये। जब तक यह मंसूबा सरकार नहीं बनायेगी तब तक यह बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश और देश में नहीं रूकेगी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर आप सवेदनशील हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ठीक है हो गयी आपकी बात। बिराजें।

श्री जुबेर खान : तो आप जरूर कोई न कोई कदम उठायें कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर हम नियंत्रण रख सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री बुरडक साहब।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सीमित परिवार रहे, जनसंख्या सीमित रहे इस सम्बन्ध में सरकार चिन्तित है और सरकार ने कुछ कारगर कदम भी उठाये हैं। पिछली बार हमने विकल्प योजनाएं लागू की थीं दौसा और टोंक जिलों में। वहां जन्म दर के अन्दर कमी भी आयी है और हमने इस परिवार कल्याण के कार्यक्रम को, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सरकार के कार्यक्रम से हटाकर जनता का कार्यक्रम बनाने का पूरा प्रयास किया। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मी योजना, राजलक्ष्मी योजना हैं। मैं समझता हूं कुछ इस तरह के विषय हैं जिन पर पूरे सदन को सारी राजनैतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिये। आज निश्चित तौर पर विश्व जनसंख्या दिवस है और इस दिन पूरा विश्व बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण चिन्तित है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उससे मै सहमति व्यक्त करता हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह का वातावरण बनना चाहिये वह वातावरण बन नहीं पा रहा है। उसके पीछे मात्र सरकार नहीं बल्कि हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिये, जन-प्रतिनिधियों को, स्वयं सेवी संस्थाओं को, तब ही इस तरह का वातावरण बनेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा निश्चित तौर पर यह सबसे ज्यादा प्राथमिकता का विषय है मुख्य मंत्री महोदय का भी है और सरकार का भी है और हम इस पर निरन्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां विधान सभा में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय को पिछले वर्ष में क्रमोन्नत करके "अ" श्रेणी का कर दिया गया है और होम्योपैथिक चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के लिये यहां विधान सभा सचिवालय से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया था और डायरेक्ट्रेट से प्रपोजल मांगे। डायरेक्टर के यहां से प्रपोजल भेजे हुए आज कई महीने हो गये....

श्री अध्यक्ष : नही, कहां है वह ?

श्री हरजीराम बुरडक : पिछले साल का यह लिखा हुआ है। राज्य सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसमें डायरेक्टर ने यह भी प्रपोजल दिया है कि अगर फाइनेंशियल दिक्कत हो और नयी पोस्टें क्रियेट नहीं हों, तो दूसरी जगह जो चिकित्सालय क्रमोन्नत किया हुआ है और वहां वह हो नहीं सकता, क्योंकि वहां न भवन है, न कोई और व्यवस्था है। उसको यहां विधान सभा में ट्रांसफर कर क्रमोन्नत करने की व्यवस्था की जाए। मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इसको देखें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल जी।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज सुबह गांव ऊंच्याड़ी के नागरिकों ने फोन पर सूचना दी कि वहां के सारे लोग धरने पर बैठे हैं। यह गांव ग्राम पंचायत नांदड़ाकलां का है, पंचायत समिति मंडोर है। यहां पर एक एनीकट बना हुआ है। यह एनीकट अकाल के समय में बनाया गया था। यह अभी पानी से भरा हुआ है इसका पानी मीठा है और यह पानी गांव वालों और मवेशी, सब लोगों के काम में आ रहा है। उसके पास ही मिलिटरी एरिया है। उस मिलिटरी एरिये में जो मकान बन रहे हैं और जो मिलिटरी एरिया का ठेकेदार है वह वहां से ट्रकों में पानी भर-भर कर ले जा रहा है और गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है और मैं यह चाहूंगा कि इस एनीकट का पानी सिर्फ गांव वाले ही काम में लें, वह ठेकेदार काम में नहीं ले। कहीं वहां झगड़ा नहीं हो, इसकी व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं सरकार आती है और जाती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही

(श्री रामनारायण मीणा)

हो। अधिकारियों को चाहिये कि वह नियमानुसार काम करें।

अभी हाल ही में ग्राम अणदगंज तहसील हिण्डोली में खसरा संख्या 175 की दस बिस्वा में हीरालाल, कालूलाल गुर्जर का मकान था। वहां के सरपंच ने खुद ने वहां पर कब्जा कर रखा है। खसरा नम्बर 110 अणदगंज की जमीन में, जिसका खुद का मकान है, सरकारी जमीन है, नया मकान है उसने अपना मकान तो नहीं तुड़वाया, बी.डी.ओ. और तहसीलदार को लेकर खसरा संख्या 175 पर जो मकान बना हुआ था हीरालाल गुर्जर का उसको तुड़वाया। उसी के पास में खसरा नम्बर 191, अणदगंज में कन्हैयालाल का मकान है, 198 में लादू गुर्जर का मकान है। इस तरह की घटनाएं अधिकारियों द्वारा दबाव में आकर शासकीय दल के लोगों द्वारा, सरपंचों द्वारा की जा रही है, वह ठीक नहीं है और ऐसी घटनाओं पर रोक होनी चाहिये। यह फिरकापरस्ती पार्टी के नाम पर जो हो रही है, वह उचित नहीं है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आप कृपा करके ऐसे मामलों को रोकने में सहयोग करें। कोटा संभाग का मामला है। अधिकारी लोग कंट्रोल में रहें और केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर काम नहीं करें। वे नियमानुसार और सबके साथ समान तौर पर व्यवहार करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। एक प्रश्न पर दो माननीय सदस्यों के नाम आये हैं। माननीय लक्ष्मण सिंहजी और माननीय अर्जुनलाल जी। अर्जुनलाल जी कह रहे हैं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है। आप कह रहे हैं मेरा भी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह तो फर्स्ट कम फर्स्ट है। जिसका पहले आया वह कह दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ तारीख को राजस्थान के चित्तौड़ शहर में एक बहुत ही दुःखद और अनोखी घटना घटी।

शिवलाल लुहार नाम का व्यक्ति जो गंगरार तहसील का रहने वाला है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसने पुराने किले की छत पर चढ़कर अपने आप पर केरोसीन डालकर शाम को 5.30 बजे आत्मदाह कर लिया। मेरे ख्याल से राजस्थान में अपने प्रकार की एक अनोखी घटना थी और उस वक्त सैकड़ों व्यक्ति वहां पर देख रहे थे जब शिवलाल का शरीर धू-धू करके जल रहा था। यह गरीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले करीब सात महीनों से पीड़ित था और इसकी जेब से तीन पत्र मिले। उन तीनों पत्रों में उसने यह बात लिखी कि जिला प्रशासन से पीड़ित होकर, वहां के जिला कलक्टर से परेशान होकर वह आत्मदाह कर रहा है। उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि एक जगदीश लश्कार के कहने से जिला कलक्टर ने बिना जांच किये एक मिथ्या आरोप के कारण से उसका स्थानान्तरण कर दिया और वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चूंकि नयी जगह अरनोद पर छह-सात महीने से गया नहीं था। इस कारण से उस को सात महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी तथा वह मानसिक रूप से बहुत पीड़ित था और विक्षिप्त होने की स्टेज पर पहुंच गया था।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अध्यक्ष महोदय, इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवलाल ने अपना रिप्रजेन्टेशन कलक्टर को दिया, उसने कई बार गुहार की, कई बार उसने प्रार्थना की कि उसका स्थानान्तरण रद्द किया जाए। उसके ऊपर जो आरोप लगा है वह मिथ्या है। उसके ऊपर लक्षकार की लड़की को छेड़ने का आरोप भी था।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बात पूरी कर दूं प्लीज। लेकिन उस आरोप की जांच तक नहीं की गयी और बिना जांच किये उसका स्थानान्तरण वहां से कर दिया और सात महीने तक कलक्टर उस विषय को गम्भीरता से नहीं लें और वह व्यक्ति इतना मजबूर हो जाए कि वह आत्मदाह कर ले। वैसे आत्मदाह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है और जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाकर अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आत्मदाह करता है तो यह इस सरकार के लिये, और वहां के जिला कलक्टर और जिला प्रशासन के लिये कलंक की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और अपेक्षा करूंगा कि सरकार इस मामले में जांच करे, इसको गम्भीरता से ले और अगर सरकार में थोड़ी भी गरिमा है तो इसमें आगे आकर वक्तव्य दे तो मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ अन्याय क्यों हुआ था।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर एक आत्मदाह हुआ। उदयपुर संभाग के कुछ अखबार छपे हैं उनकी हैडिंग्स पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हैडिंग्स नहीं, आप तो वैसे ही बता दें। हैडिंग्स जितना समय नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : जिला प्रशासन द्वारा परेशान व्यक्ति द्वारा आत्मदाह, मृतक शिवलाल लुहार ने मरने से पूर्व दुर्ग की एक दीवार पर चाक से अपनी मृत्यु का कारण लिखा।

श्री अध्यक्ष : कृपया केवल बात कहें। आप श्री लक्ष्मणसिंहजी ने ध्यान तो दिला ही दिया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय, मुझे उठाना पड़ेगा और इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिये, प्रशासन को दोषी ठहराया गया है। साथ ही घटना स्थल पर उसके तीन पत्र लिखित में प्राप्त हुए। प्रातःकाल पत्रिका आयी कि तबादले से क्षुब्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आत्मदाह किया। शिवलाल गंगरार तहसील मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त था लेकिन काफी समय से उसे प्रतियुनिक्ति पर कलक्ट्रेट में लगा रखा था लेकिन करीब सात माह पूर्व 2 दिसम्बर, 1995 को उसका तबादला यहां से अरनोद तहसील में कर दिया गया और डाक द्वारा रिलीव भी कर दिया गया लेकिन उसकी वृद्ध मां व उसकी पारिवारिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण वह अरनोद नहीं जा सका। इस तबादले को अनुचित ठहराते हुए उसने समाचार-पत्रों के माध्यम से न्याय की मांग की। एक पत्रिका और है जननायक।....

श्री अध्यक्ष : कृपया अखबार नहीं पढ़ें। आप ऐसे ही फरमा दें, सारी बात आ गयी है नोलेज में।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : "चरित्र हनन का आरोप और तबादला ही मौत बना"। "मेवाड़ी मीरा" में छपा है, आर्थिक तंगी का शिकार हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा आत्मदाह! राष्ट्रदूत में छपा है कि "वह धू-धू कर जलता रहा, प्रशासन को कोसता रहा, चित्तौड़ में सरेआम आत्मदाह"।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक नगर चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग के प्रथम दरवाजा पाडनपोल के ऊपर घटित आठ जुलाई की वह काली शाम, जिस शाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आत्म ग्लानि की अनुभूति, जिला प्रशासन की अकर्मण्यता व आर्थिक तंगी के कारण से आत्मदाह करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : आप अखबार पढ़ रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, वह कहिये?

श्री अर्जुन लाल जीनगर : साहब, अखबार नहीं पढ़ रहा हूं मैं, अखबार नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप शांति रखें। This is not the debate.

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर स्थिति पर सरकार का जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : यह डिबेटिंग का पार्ट नहीं है। विराजें।... (व्यवधान) वह बात अपनी कह रहे हैं आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं बार-बार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है .. (व्यवधान) मुझे कम्पेल नहीं करें आप... (व्यवधान) चालीस-चालीस तो चिटें देते हो आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : काफी समय पूर्व अलाउद्दीन खिलजी के कारण रानी पद्मिनी को भी इसी दुर्ग के ऊपर जौहर करना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा। लेकिन यह जिला कलक्टर है जिसका पुनः अलाउद्दीन खिलजी के रूप में अवतार इस जिले में हुआ है जिस कारण से....

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय भंवर सिंहजी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : साहब पूरा बोलने दें अभी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। माननीय, विराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर विषय है, इस पर स्टेटमैंट दिलवायें, हर विषय को अलग-अलग तरह से लेना पड़ेगा।....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(74)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । यह बात आपने जीरो आवर में उठायी है । यह बात आपने रख दी, बिराजें आप । माननीय श्री भंवर सिंहजी । (व्यवधान) बिराजें आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य बहुत कम मुद्दे यहां उठाते हैं । कल से ये दुःखी हैं । इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है इसलिये थोड़ा सा आप काग्निजेंस लें, इनको अपनी बात कहने दें और कोई जवाब आ जाएं तो आप सरकार से भी कहें कि इसकी देखभाल करें, इसकी जांच करें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने मना किया है क्या, कह दी बात सारी इन्होंने ।

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्रीजी, मौन साधे क्यों बैठे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : पत्रों के आधार पर तो कई केस किये जा सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मरने वाले ने जिला प्रशासन के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाये हैं .. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप भी सरकार पर थोड़ी सख्ती कीजिये और सरकार को बाध्य करो कि ऐसे मामलों में आज शाम तक स्टेटमेंट आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आचरण से तो लग रहा है कि यह भली-भांति परिचित हैं और इनकी शह से यह काम हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । कोई अंकित नहीं हो । माननीय जुबेर जी, बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अर्जुन लाल जीनगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें । जीरो आवर को बिना फैसला करवाये ।(व्यवधान)नहीं बोलने दें और खड़े हो जाए आप और किसी माननीय सदस्य को अलाऊ करते हैं तो डेढ़ घंटे तक डिबेट .. (व्यवधान) मैने आपको मना किया । माननीय सदस्य आप नहीं बोलें । मैं हर काम में... (व्यवधान) इस तरीके से सभी सदस्य खड़े होकर.... (व्यवधान) आपने ध्यान में ला दिया है । बिराजें आप ।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अर्जुन लाल जीनगर : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यान में ला दी है ।....(व्यवधान) But he cannot compel the Govt.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । आप मेरी बात सुनें । आप सभी माननीय सदस्य मुझे चैम्बर में मिलें, विराजें आप ।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अर्जुन लाल जीनगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । श्री भंवर सिंहजी ।... (व्यवधान) मैंने यह कहा है कि आप चैम्बर में मुझसे बात करना । क्या आप मुझे सुनना भी नहीं चाहते हो ? चलाओ, एक घंटा और चलाओ । क्या मतलब है इससे फिर । विराजिये आप । माननीय भंवरसिंह जी ।....(व्यवधान).... जुबेर जी, आप विराजें ।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित ही नहीं हो रहा है । जुबेर जी, आप क्यों बोले जा रहे हैं, यह अंकित ही नहीं हो रहा है । विराजें आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अर्जुन लाल जीनगर : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप । सौ बार टोकना पड़ेगा क्या आपको ?.... (व्यवधान) विराजिये । आप मुझसे चैम्बर में बात करें । विराजिये, माननीय श्री भंवरसिंह जी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आपका नाम लेकर बोल रहा हूं । विराज जाइये आप । माननीय श्री भंवरसिंह जी ।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक जुलाई की घटना है । मेरे क्षेत्र के बड़वासी गांव में महादेवा राम मीणा अपने खेत में काम कर रहा था । शाम को करीब चार-पांच बजे दस-बारह आदमी एक जीप में भरकर आये और महादेवा राम को जबर्दस्ती उठाकर जीप में डालकर ले गये । गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने पीछा किया लेकिन रात भर महादेवा राम का पता नहीं चला । सुबह जाकर उसका पता चला कि उसको कोर्ट में पेश किया गया । उस पर दारू का झूठा केस बनाया और रात भर उसको इतना पीटा गया कि उसके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, जहां लाठियों की चोटें नहीं हों, नील नहीं जमी हो । कलक्टर के पास भी सौ-दो सौ आदमी गये और महादेवा राम को पेश किया । कलक्टर को भी देखकर रहम आया कि इस तरह की घटना आज भी इस देश में हो रही है । बड़ी लज्जा की बात है । पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने कहा लेकिन जो केस दर्ज हुआ, एफ. आई. आर. दर्ज हुई अपहरण की, आज तक भी उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया । मुलजिम यूं ही घूमते फिर रहे हैं । उस गरीब को ताड़ना देते हैं कि हमारे ऊपर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भंवर सिंह)

केस क्यों दर्ज करवाया, हम फिर से बदला लेंगे। ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस केस में तुरन्त मुलजिमों को अरेस्ट करवाएं। वह अग्रिम जमानत की कार्यवाही करने के लिये फिर रहे हैं। अपहरण का केस है, गरीब आदमी को बुरी तरह से पीटा गया है। शायद ही ऐसी घटना कहीं घटी होगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि गृह मंत्रीजी इस पर जरूर कार्यवाही करायें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिला आदिवासी बहुल जिला है। अधिकतर आदिवासी रहते हैं और उनका खेती और मजदूरी का धन्धा है। आज तक इस वर्ष बारिश बांसवाड़ा जिले में नहीं होने से वहां बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आदिवासी रात-दिन लगातार गुजरात और एम.पी. में पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को खाने के लिये घास नहीं मिल रही है, इन्सानों को खाने के लिये अनाज की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिये पशु तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार ने उन आदिवासियों के साथ अगर सही रूप से अकाल राहत कार्य नहीं खोल कर उन्हें व्यवस्था नहीं दी तो उनके साथ सरकार और भी घोर अन्याय करेगी और वहां के आदिवासी आपको बद्दुआएं देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। उदयलाल जी आंजना।

श्री जितेन्द्र नीनामा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी-कभी बोलता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : आदिवासियों का मामला है बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बोलें।

श्री जितेन्द्र नीनामा : अध्यक्ष जी, मेरा सरकार और अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां अकाल राहत के कच्चे कार्य जो आपने बन्द कर दिये हैं वह वापस चालू करें और इस बात का मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आपने हमारे कहने पर पन्द्रह दिन के लिये कार्य बढ़ाये हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं हैं, पूरे नहीं हैं और मजदूरों की आपने सीलिंग और कम कर दी जबकि अभी भयंकर अकाल है। मेरा अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनकी सीलिंग बढ़ायें और अकाल राहत कार्य सभी पुनः चालू करें और घास, पानी की व्यवस्था करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : आंजना जी।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो जून की घटना है। दो जून को निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के पचास एस.टी., एस.सी. के व्यक्ति यात्रा के उद्देश्य से जोगणिया माता और तिलिस्म महादेव के दर्शन के लिये गये। तीन तारीख को वह वापस लौट रहे थे कि उनका ट्रेक्टर दुर्घटना-ग्रस्त हो गया और उसमें छह व्यक्ति तो

(श्री उदयलाल आंजना)

मौके पर ही मर गये और दो गम्भीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गयी और 42 लोगों को काफी गम्भीर चोटें आयीं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा भी लेकिन एस.सी., एस.टी. के व्यक्तियों को कोई राहत नहीं दी गयी। वहां का जिला प्रशासन किस प्रकार संवेदनशील है, इसका मालूम तो आठ तारीख की घटना से वैसे ही पड़ रहा है। अभी माननीय सदस्य ने भी यह बात उठायी है। आज दिन तक उन एस.सी., एस.टी. के व्यक्तियों को कोई राहत नहीं पहुंचाई गयी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि मृत व्यक्तियों को एक लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उनको दस-दस हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे क्षेत्र की है। मैंने तो मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। ज्योंही घटना हुई, इनके परिजनों को उचित मुआवजा देने के लिये पत्र लिखा था, परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनको मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, अभी राजस्थान की सभी जिला परिषदों में अध्यापकों का चयन हुआ है और एक प्रक्रिया अच्छी अपनायी गयी कि सर्टिफिकेट्स की जांच हो ताकि फर्जी सर्टिफिकेट्स से कोई अध्यापक सरकारी नौकरी में नहीं आ सके और यह जांच का काम जिला परिषदों का था। कई जिलों में जिला परिषदों ने इस जांच के काम को जहां से यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी थी, वहां से करवाकर लाने में देरी कर दी और उस देरी के कारण से 30 जून के बाद उन अध्यापकों का अपाइन्टमेंट देने में दिक्कट आ रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का और खास तौर से पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे अध्यापक, जिनका इंटरव्यू हो गया और जिनकी जांच होने में 30 जून के बाद दो-चार रोज का डिले हुआ है उसको कन्डोन करके उनको अपाइन्टमेंट दिया जाए। यह बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों अध्यापकों के साथ यह दिक्कत आ रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रावधान है कि 27 नवम्बर, 1995 के बाद यदि पंचायत राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों के तीसरी सन्तान पैदा हो जाती है तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अतः इसी नियम के अन्तर्गत पंचायत समिति खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर में तीन सदस्यों के तीसरी सन्तान के बाद जो सन्तानें पैदा हुई हैं उन को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। श्रीमती रेखा कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत छाण। इनको 16.4.96 को चौथी सन्तान (पुत्री) पैदा हुई है। दूसरा हनीफ मोहम्मद, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड नम्बर सात, पंचायत समिति खण्डार को आठवीं सन्तान पैदा हुई है।

(78)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। रामगोपाल जी बैरवा। (व्यवधान)....क्या हो गया? बिना अनुमति के ही बोल रहे हैं, कोई तो डिसेंसी रखो आप।

श्री हरिनारायण : श्री जगन्नाथ सिंह गुर्जर के पांचवीं सन्तान, एक पुत्री 22.5.96 को पैदा हुई है। अतः इन तीनों को अयोग्य घोषित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल जी बैरवा।....(व्यवधान) कृपया बिराजें। नो डिस्टर्बेंस। इस समय कोई डिस्टर्बेंस अलाऊ नहीं है।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे मुख्य स्कूल है सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, इटावा। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अगस्त, 1994 में यहां साइंस बायोलोजी का एक सब्जेक्ट खोला लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगस्त, 1994 में साइंस बायोलोजी में 82 छात्र छात्राओं का एडमिशन होने के बावजूद आज दिन तक भी वहां पर साइंस बायोलोजी का व्याख्याता नहीं लगा। यहां पर व्याख्याता नहीं लगने के कारण जो प्रथम वर्ष में 82 छात्र-छात्राओं का एडमिशन हुआ वह घट करके 50 और 55 के बीच में आ गया। आज तक वहां पर साइंस बायोलोजी का व्याख्याता नहीं है और छात्रों का भविष्य अन्धकार में है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर साइंस बायोलोजी का व्याख्याता शीघ्रातिशीघ्र लगाने को कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में इस समय वर्षा नहीं होने से वहां का जनमानस बिलकुल ठप्प हो रहा है। काफी मवेशियां मर रही है, घास की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि घास के लिये अनुदान की राशि तत्काल प्रभाव से दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधीश को यहां से कोई निर्देश भेजें जिससे कि वहां घास की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। दूसरा, मजदूरी के लिये आपने 15 दिन बढ़ाये हैं, मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि 31 तारीख तक इसकी मियाद और बढ़ा दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र की लूणकरणसर एवं नोखा तहसील में काफी गांवों में कातरे की समस्या पैदा हो रही है और उससे फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिये मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि किसानों को बी.एच.सी. पाउडर वगैरह की व्यवस्था करवायें जिससे कि वे फसल का बचाव कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पूरे शेखावाटी जोन, चूरू डिस्ट्रिक्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

बीकानेर, गंगानगर, नागौर, पूरे बेल्ट में यह समस्या है ।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है । नागौर जिले में भी कातरे की समस्या है । मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि सरकार से कोई व्यवस्था करायें, किसानों को दवाइयां उपलब्ध करावें । पूरा इलाका बाढ़ से, अतिवृष्टि से ग्रस्त है । किसानों को इस प्रकोप से बचाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरी बार नहीं बोलने देऊंगा ।

श्री रिछपाल सिंह : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है और मैंने इस मामले को सदन में उठाया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बात कही है, यह अच्छी बात कही है ।

श्री रिछपाल सिंह : नागौर जिले में अधिकांश तहसीलों में कातरे का प्रकोप है । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का और कातरे का है हमारे यहां पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें आप ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कातरे वाली बात उठायी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें आप ।

श्री भीमसेन चौधरी : जो बात चौधरी साहब ने उठायी । अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नोखा में भी कातरे की समस्या बहुत है । नोखा में पिछली बार भी अकाल इसीलिये पड़ा था कि पहले जब बरसात हुई और कातरा हो गया....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं, आप सुनें ।

श्री भीमसेन चौधरी : अब यही हाल हो रहा है । इसलिये इनकी रोकथाम का कोई प्रबन्ध करें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । बिराजें ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई नोखा का या जोधपुर का ही सवाल नहीं है । सिरोही जिले में और राजस्थान भर में बरसात तो आयी नहीं, कातरे हो गये खूब । जिन लोगों ने थोड़ी बहुत फसल कुए से बोयी है....

श्री अध्यक्ष : उसी पर बात कह रहे हैं । आप मंत्रीजी से बात सुनें पहले ।

श्रीमती तारा भण्डारी : कुए से जो फसल बोयी थी, ऐसा जबरदस्त कातरा लगा है । किसान रो रहे हैं फूट-फूट करके । आप कोई व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बात सुनें । यह कोई अच्छी बात नहीं है आप बीच में बोलें ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कातरे की बात उठायी, निश्चित रूप से हमारा कृषि

(80)

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

विभाग और हम इसके बारे में चिन्तित हैं कि कातरे की वजह से हमारी फसल खासकर गंवार, मोठ की जो हमारी फसल है उसको विशेष रूप से नुकसान हो रहा है। पिछले सालों में भी कातरा आया लेकिन इस बार हमारी छोटी फसल पर जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है कातरे का इससे निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ-साथ प्रिकाशंस के मामले में जो हमारी पुरानी परम्परा थी, आग जला करके मेड में, वह व्यवस्था प्रायः खतम होती रही। पहले सालों में बैसाख, जेठ में जोरदार गर्मी पड़ती थी हमारे पिलानी एरिया में। मुझे याद है कि बाड़ की बुआई करते थे हलों से जिससे जर्म्स वगैरह आ जाते थे और खतम हो जाते थे लेकिन सारी परिस्थितियां बदल गयीं। मौसम भी बदल गये और वह पूरे रूप से नष्ट नहीं होने की वजह से कातरे का निश्चित रूप से ज्यादा असर है। हमारे जो 10-11 जिले हैं जयपुर से लेकर पश्चिमी राजस्थान में हमने हर जगह असि.डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हिदायत भी दी है और जितने पाउडर की उनको आवश्यकता थी वह उनको दिया है। 150 रुपये की हर काश्तकार को सब्सिडी दी है और उसके बाद मैंने कल ही हमारे ए. पी. एस. को इस बात के निर्देश दिये हैं कि काश्तकारों को. हमारे अधिकारियों को यह निर्देश दें कि सामूहिक रूप से छिड़काव करें। मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री जी से आज बातचीत करूंगा कि सामूहिक रूप से किस प्रकार का छिड़काव काश्तकारों के हित में कर सकते हैं। इसके बारे में हम निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। काश्तकारों को जैसे भी हम कातरे से बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : हमारे बीकानेर में ऐसा नहीं किया। बीकानेर में आपने एसी कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : पूरे क्षेत्र में छिड़काव कराने की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं क्या ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जैसा अभी भीमसेन जी ने कहा, इसके तुरन्त बाद में कृषि सचिव को बुला कर इसकी पूरी रिपोर्ट करूंगा और जहां भी इस बात के निर्देश देने होंगे देंगे। किसी एम. एल. ए. को या जनप्रतिनिधि को दुबारा मेरे पास में इस बारे में शिकायत नहीं आये, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से उनको पाबन्द किया जाएगा और इसमें जो भी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी। (व्यवधान) अब बात हो गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : हैलीकाप्टर से छिड़काव की कोई योजना रखते है क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : Everybody is very much serious about it. आप बार-बार खड़े नहीं हों।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आवास विकास मण्डल कोटा वृत्त में कुल्हाड़ी योजना में लिये गये कार्यों में की गयी अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

योजना में 5 करोड़ का कार्य आदेश संख्या 4, 1995–96 की निविदा के द्वारा अप्रेल 1996 में 36.5 प्रतिशत अपर बी. एस. आर. पर लिया गया जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा में 1995–96 की निविदा का कार्य फरवरी, 1996 में मात्र 16 प्रतिशत अपर बी. एस. आर. 1993 पर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया पढ़े नहीं। ऐसे ही फरमायें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अर्थात् एक करोड़ का लाभ आवास मण्डल के नये ठेकेदार को दिया गया जिसकी...

श्री अध्यक्ष : अब आप इसे पढ़े नहीं। ऐसे ही फरमा दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जांच करवायी जाए। एक करोड़ की राशि में करीब 200 मकान निर्धन लोगों को मिल सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि इसकी जांच की जाए। इसके अन्दर कौन अधिकारी दोषी है और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का क्या कारण है ? एक करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। सरकार का एक करोड़ रुपया ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का क्या कारण दिया गया। इसलिये इसकी जांच करवायें। मै चाहती हूं मंत्रीजी हों, तो इस बात का उत्तर दें जरा।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा एव मेड़ता रोड, इन दोनों विद्यालयों में भौतिकशास्त्र व गणित के व्याख्याताओं के पद लम्बे समय में रिक्त पड़े हैं। सम्बन्धित अधिकारीगण का बार-बार पत्र लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। मंत्रीजी जागरूक हैं, यह बात नहीं कहता कि मंत्रीजी कार्यवाही नहीं करेंगे। परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही से यह पद रिक्त पड़े हैं। ग्राम कुचेरा की स्कूल में 25–30 गांवों के आस-पास के इलाके के लड़के पढ़ने के लिये आते हैं। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं....

श्री अध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

श्री रिछपाल सिंह : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, पूरी बात कह दूं जरा। इन पदों को जल्दी से जल्दी आप मेहरबानी करके भरवायें ताकि लड़कों का भविष्य अंधकार में नहीं हो, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे गांव कुम्हारी का जो जी. एस. एस. बना हुआ हैं उसका ट्रांसफार्मर 1.6 एम. वी. ए. का 21.5.96 को जल गया था। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं हुई और न ही वहां से ट्रांसफार्मर हटाया गया है। वहां से 5–6 फीडर जाते हैं, किसानों में भारी रोष है और दो महीने से वहा लाइट भी नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जल्दी से

(श्री हबीबुर्रहमान)

जल्दी वहां से जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलवाकर किसानों को राहत पहुंचायें।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांदीकुई डिग्री कालेज के अन्तर्गत 319 छात्रों ने फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में एडमिशन के लिये निवेदन किया हैं। आज आखिरी तारीख है, किन्तु अभी तक दो सैक्शन होने के कारण 53 प्रतिशत पर जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को एडमिशन प्रवेश मिल सकता है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है। कि आपकी घोषित

(13.00)

नीति से 45 पर्सेंट तक के जो छात्र हैं उनको एडमिशन मिल सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप छात्रों के जीवन को बचाने के लिये एक नये सैक्शन की घोषणा करें और यह भी घोषणा करें कि जो सरकार का मानदंड हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय सदस्य को। बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 45 प्रतिशत प्राप्तांक अंक होने पर प्रवेश मिल जायेगा। वह भी सुनिश्चित करें। वर्तमान स्थिति से दो सैक्शन हैं दोनों सैक्शन मिलाकर 53 पर्सेन्ट पर आखिरी विद्यार्थी का एडमिशन हुआ हैं। कुल मिलाकर 187 विद्यार्थी एडमिशन के लिये रह गये हैं। आप थोड़ी मेहरबानी करें और कुछ कीजिये विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आर्ट्स और कामर्स में जहां-जहां एलिजिबिल पर्सेन्टेज से ऊपर विद्यार्थी होंगे और पढ़ाने का स्थान होगा वहां-वहां निश्चित रूप से सैक्शन बढ़ाये जाएगे। अगर पढ़ाने का स्थान नहीं होगा, तो इसमें मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह तो क्लास एक्स्ट्रा भी पढ़ाई जा सकती है। टाइम टेबल में एडजेस्टमैन्ट भी किया जा सकता है। मेरे बांदीकुई के बारे में क्या हुआ है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। स्वास्थ्य देख लें वहां। श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामनारायण चौधरी : कितने पर्सेन्टेज तक रखे हैं?

श्री अध्यक्ष : वह बाद की बात हैं। आप बिराजें। यह कोई डिबेट की बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पागल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कुत्तों का आतंक फैल रहा है। आये दिन पागल कुत्ते लोगों को खा रहे हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपका असर तो नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। दो ही रहे हैं। जल्दी खतम करने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्थान ठीक ढंग से चुना है उन्होंने।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है। काटना ही नहीं उनके कारण मौतें भी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सी. एम. एण्ड एच. ओ. जो करौली बैठते हैं। जिले का सबसे बड़ा वहां जो हॉस्पिटल है....

श्री अध्यक्ष : वहां इंजेक्शंस की कमी हो, तो इंजेक्शंस पहुंचाये। बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहां पर हॉस्पिटल के अन्दर इंजेक्शंस नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। गोपीचन्द जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मरीज वहां गये थे। उनको मना कर दिया। उनको जयपुर आना पड़ा। जयपुर का कितना खर्चा होता है। दो तो रास्ते में ही मर गये और उन्होंने टकरा-टकरा कर अपनी जानें दी हैं। वे पागल हो गये। इसलिये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय बतायें कि क्यों नहीं वहां इंजेक्शंस की व्यवस्था रखी गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : हाइड्रोफोबिया की बीमारी बहुत खतरनाक है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। आपने ध्यान में ला दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह पैसा मांगते हैं कि आप पैसा दो तो इंजेक्शंस लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस प्रकार से मंत्री महोदय आप इसे देखें।

श्री अध्यक्ष : आपने बात कह दी। श्री गोपीचन्द जी बिराजें एक सैकण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय पागल कुत्ते काटने से जो हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी फैलती है उसके लिये जो इंजेक्शंस बनाये जाते है वह भारत सरकार का एक उपक्रम बनाता है और दूसरी कोई भी कम्पनी उसका निर्माण नहीं करती है। हो सकता है कि इंजेक्शंस की कमी हो। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि यह मुझे सूची दे दें कि किस-किस गांव में पागल कुत्तों के काटने से लोग पीड़ित हुए हैं। मैं यहां से मेडिकल टीम भी भेज दूंगा और वहां इंजेक्शंस की आवश्यकता पड़ी तो वह भी व्यवस्था करवाऊंगा। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हीं के क्षेत्र में पागल कुत्तों का आतंक क्यों हुआ? यह भी बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इसके बारे में जांच करें। पागल कुत्ते ही नहीं पागल सांड होते हैं तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं पागल कुत्ते हों तो इनके निर्वाचन क्षेत्र में। वहां पास में बालाजी का मन्दिर भी है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये भी जांच करा लें, बाकी प्रबन्ध मैं कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री गोपीचन्द जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री जी ने सारे पागल कुत्ते मेरे यहां ही भेज दिये, मैं क्या करूं इसमें ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी।

श्री गोपीचन्द (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 24.5.96 में देवका हरमाड़ा में रामचन्द्र गुर्जर की हत्या के विषय में ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। यह रामचन्द्र गुर्जर देवका हरमाड़ा के नाले में मरा हुआ मिला था। स्थानीय पुलिस ने जो चंदवाजी के थाने के अन्दर पड़ता है। इस मौत को लू से हुई मौत घोषित की है। जबकि पोस्टमार्टम के अन्दर इसके मुंह से खून निकलता हुआ बताया गया है। चेहरे पर घाव बताये है, कंधे पर चोटें बताई हैं, निचले होठ को कटा हुआ बताया है ? बांई जांघ पर निशान बताये हैं और इसकी फोटो मे भी यह साफ नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने मारकर नाले में डाला है। यह बात भी क्लीयर हो गयी कि यह एक दिन पहले वह नाकावाला नाम के गांव में किसी गोपीराम पुत्र गाडाराम जी के घर पर ठहरा है और दूसरे दिन, यदि वह लू से मरता तो रास्ते में मरे हुए मिलता और लू से मरे हुए व्यक्ति के इतनी चोटें किस बात की आतीं? खून कैसे निकलता ? निश्चित रूप से चंदवाजी की पुलिस इस मौत को रफा–दफा करना चाहती है और अपराधियों से पैसे लेकर इस मामले को दबाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुकदमा दर्ज कराकर अपराधियों की तलाश करायी जाए।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया एक बार में एक ही। दूसरी बार और मौका मिलेगा। बिराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण की माननीय विधायक ने यहां चर्चा की है, उस बारे में पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। मैंने डी.आई.जी. स्तर के व्यक्ति को इस सारे प्रकरण में डीपली प्रोब इन करके बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं सदन का एक ऐसी घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस राजस्थान के लिये भी कलंक की बात है। एक ड्रग स्मगलर माफिया जो इस राजस्थान में पकड़ा गया, अश्विनी कुमार भारद्वाज और मेरी निश्चित रूप से मान्यता रही है कि ऐसे लोगों को बचाने में राजनीतिक संरक्षण रहा है। वरना पहले ही पकड़े जा सकते थे। ऐसे

(श्री अमराराम)

लोग नहीं पकड़े जाते इसका कारण मुख्य रूप से राजनीतिक संरक्षण रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। इतना लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : भाषण नहीं, उसका सबूत (व्यवधान) बिलकुल हो सकता है अगर मैंने भी दिया हो तो, वह, भी आते हैं।

श्री अध्यक्ष : सूचना की बात करिये आप तो। मुझे बहुत बिजनेस लेना है अभी।

श्री अमराराम (धोद) : एक सैकण्ड। मैं इस अखबार में से एक लाइन पढ़कर....

श्री अध्यक्ष : आपको कोई विशेष जानकारी हो तो बतायें। अखबार की बात नहीं करें।

श्री अमराराम (धोद) : अखबार की एक लाइन जो इसको ताईद करती है, वह पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। भारद्वाज ने कहा है कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबार के आधार पर कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री अध्यक्ष : कृपया नहीं। आइ विल नोट अलाऊ।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने कहा है पकड़ा गया है और आज राजस्थान पत्रिका ने यह छापा है कि उसको चित्तौड़गढ़ लाया जा रहा है। उसमें यह दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : कृपया नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय आप जिद्द क्यों कर रहे हैं। बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। आइ विल नेवर अलाउ फरदर।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : यू आर मिस यूजिंग। बिराजें आप। नाट अलाउड।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउ। आपका यह अंकित नहीं हो जो कुछ कहा है। आइंदा सोचना पड़ेगा। आप लोगों को बुलवाने के लिये। बिलकुल सोचना पड़ेगा। मर्जी आये जैसे बोल देते हैं। 295 श्री मोहनलाल जी मेघवाल।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर जिले में पटवारियों के मुख्यालय पर आवास व्यवस्था

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहन मेघवाल)

हूं कि जोधपुर जिले के पटवार मण्डल पून्दला, माणकलाव, सुरपुरा एवं मण्डोर के पटवारी गण मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास भी पटवार मण्डल माणकलाव, बनाड, सुरपुरा नान्दड़ाकला, जाजीवाल कलां की शिकायतें जनता द्वारा बार-बार प्रस्तुत की जा रही हैं। परन्तु ये पटवारीगण भूमि तस्करों से सांठ-गांठ एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने से प्रशासन पर सदैव अपना दबदबा कायम रखते हैं व अपना पदस्थापन जोधपुर के आसपास करवाते रहे हैं तथा भूमि तस्करों से लिप्त रहते हैं। भू-माफियों को इन पटवार मण्डल के पटवारियों का संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त पटवार मण्डल के पटवारी स्वयं भी भूमि का व्यवसाय करते हैं, स्वयं ही किसानों से जमीन खरीद कर स्वयं ही रजिस्ट्री करवाते हैं तथा रजिस्ट्री के समय स्वयं ही बेचानकर्ता की पहचान करते हैं।

अतः उपरोक्त पटवार मण्डल के पटवारियों को तुरन्त वहां से हटाया जावे तथा 1988 के बाद समस्त पटवार मण्डलों के नामान्तरकरण की जांच करवायी जावे, इनके अन्य कार्य-कलापों की भी जांच करायी जावे एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

बांदीकुई थाने में धारा 317 (ई. सी. एक्ट) के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 2.5 के तहत पुलिस थाना, बांदीकुई में दर्ज मुकद्मा नम्बर 250/96 की धारा 317 भारतीय दण्ड संहिता के तहत बालचन्द गुर्जर चीनी डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय निवेदन है कि दिनांक 13.5.96 को ग्राम पंचायत सिकंदरा के पदेन सचिव मनोहरलाल शर्मा द्वारा पुलिस थाना, बांदीकुई में 65 राशन कार्डो में जबरदस्ती पंचायत भवन में घुसकर फर्जी इन्द्राज कर करीब 330 लीटर केरोसीन तेल का ब्लैक किया जिस पर पुलिस थाना बांदीकुई ने ग्राम पंचायत भवन सिकन्दरा आकर 65 राशन जब्त किये तथा सभी राशन कार्ड वालों के बयान लिये। ग्राम सिकन्दरा की जनता ने सभी गवाह सबूत पुलिस को दे दिये उसके बावजूद पुलिस ने आज तक चीनी, केरोसीन डीलर को गिरफ्तार नहीं किया तथा डीलर से रुपये लेकर इस मामले को रफा-दफा किया जा रहा है।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, दौसा को इस डीलर का फर्जी कारगुजारी की शिकायत लिखित में दी गयी तथा सारी विभागीय जांच में ग्राम सिकन्दरा की जनता ने बयान व राशन कार्ड दे दिये लेकिन रसद अधिकारी ने चीनी डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की सिर्फ लाइसेंस3माह के लिये निरस्त ही किया गया है तथा रुपये लेकर वापस बहाल किया जा रहा है। यह डीलर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तथा ग्राम जनता को करीब 4 साल से चीनी-तेल नहीं दे रहा है

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

ग्रौर सारे माल को ब्लैक में बेच देता है। ग्रत: इसकी निष्पक्ष जांच कराकर शीघ्र गिरफ्तार किया जावे तथा इसका लाइसेंस हमेशा के लिये निरस्त किया जावे।

उक्त लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की ग्रनुमति प्रदान करावें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय श्री हबीबुर्रहमान

मकराना (नागौर) के कब्रिस्तान में गंदे पानी का भराव

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : ग्रध्यक्ष जी, मकराना (नागौर) के कब्रिस्तान में शहर के गंदे पानी के भराव से कब्रों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय निवेदन है कि शहर मकराना के गंदे पानी को कालानाडा तक निकासी हेतु नाला कब्रिस्तान के बीच में से बनाया हुग्रा है। यह गंदा पानी पहले करबला चौक से नाले के लेवल से कालानाडा के भराव के लेवल से ऊंचा होने से बराबर के रूप से जाया करता था। बाद में कालानाडा के भराव क्षेत्र में खान हेतु सरकारी भूमि का ग्रावंटन, खान खुदने से मलबा डालने से योजनाबद्ध तरीके से खानों से कालानाडा का भराव क्षेत्र दस प्रतिशत ही का मलबा रात-दिन कालानाडा के भराव क्षेत्र में डालने से सरकारी भूमि पर ग्रतिक्रमण ग्रादि नहीं रहा जिससे पानी रुकने लग गया ग्रौर कब्रिस्तान में घुसने लग गया। कब्रिस्तान में गंदा पानी भरना एवं कब्रों के क्षतिग्रस्त होने की कई वारदातें हो चुकी हैं। रात को नाला तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है इससे मुस्लिम सम्प्रदाय में भारी रोष है।

यह मामला कालानाडा से पानी के निकासी का नहीं है पर कालानाडा में शहर का पानी जाने का है। वर्षा का मौसम शुरू हो गया है। प्राकृतिक भराव क्षेत्र में छेड़छाड़ से विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गयी है। शहर के गंदे पानी के साथ वर्षा का पानी भी नाले में ही जाएगा तब कब्रिस्तान में पानी भरने एवं कब्रों को क्षतिग्रस्त होने पर हम प्राकृतिक विपदा का सहारा लेकर असहाय खड़े–खड़े देखते रहेंगे।

अत: सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से ग्राकर्षित करके निवेदन है कि अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के देखरेख में एक ऐसी ग्रापात योजना तैयार करवायें जिससे मकराना शहर का गंदा पानी कब्रिस्तान के बीच में से न जाकर ग्रन्य स्थान से निकाला जावे, ताकि शहर का गंदा पानी कब्रिस्तान में नहीं जा सके ग्रौर कब्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय श्री जितेन्द्र नीनामा।

संस्कृत कॉलेज, गनोड़ा (घाटोल) स्टाफ व कमरों का ग्रभाव

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : ग्रध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया, के नियम 295 के तहत

(88)

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

विधान सभा क्षेत्र धाटोल में संस्कृत कालेज गनोडा में स्टाफ व कमरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक ही संस्कृत कालेज है और पूरे विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी छात्र अध्ययन करने यहीं आते हैं। सबसे ज्यादा समस्या आज छात्रों को बैठने की हो गयी है। कई सारे छात्रों को एडमिशन भी नहीं मिल पाया जिसका कारण यही था कि छात्रों को बैठाने की समस्या व व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भर दें और साथ ही यह भी निवेदन है कि सरकार कमरों की व्यवस्था भी करदें। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय व सरकार से यह भी मांग करता हूं कि पिपलखूंट पंचायत समिति में एक और संस्कृत सैकेण्डरी स्कूल खोली जाए जिससे वहां के आदिवासी छात्र/छात्राओं को पढ़ने की सुविधा हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महादेव सिंह। (अनुपस्थित) श्री गोपीराम जाट।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में उपजाऊ काश्त की भूमि अवाप्त की जाकर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत किसानों के हितों के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र आमेर जो जयपुर शहर से बिलकुल सटा हुआ है। इस क्षेत्र में काश्त की भूमि बहुत ही उपजाऊ है तथा इस क्षेत्र के काश्तकारों का मुख्य व्यवसाय काश्तकारी है। यह क्षेत्र जयपुर शहर को सब्जी, दूध, चारा एवं खाद्यान्न आपूर्ति करता रहा है। मगर काफी समय से इस क्षेत्र के किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। मैं सदन को अवगत कराऊंगा कि बिन्दायका क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और अब इस क्षेत्र को धानक्या ग्राम तक बढ़ाया जा रहा है, इसी प्रकार वी.के.आई. क्षेत्र को भी बढ़ाया जा रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र बढ़ाने से कढारना के काश्तकारो की काफी उपजाऊ भूमि इस कार्य हेतु एक्वायर की जाएगी एवं सैंकड़ों काश्तकार बेरोजगार हो जाएंगे। इस क्षेत्र में 2 बीघा जमीन में एक लाख रुपये की भिण्डी होती है।

इसी तरह निवारू, कोयलवाल में फायरिंग रेंज स्थापित किया गया है। काश्तकारों को बारानी भूमि का मुआवजा 1500/– रुपये एवं चराही भूमि का मुआवजा 2000/– प्रति बीघा दिया गया। क्या इस मुआवजा राशि से काश्तकार भूमि खरीद सकता है? सैंकड़ों काश्तकार बेरोजगार हो गये हैं जो आज बेलदारी करने को मजबूर हो गये हैं।

जबकि विद्याधर नगर की जमीन के बदले में फायरिंग रेंज को निवारू व कोयलवाल से जमीन दी गयी है। आज विद्याधर नगर की जमीन 2500/– प्रति वर्ग गज बिक रही है जबकि हमारे किसानों को

(श्री गोपीराम जाट)

आज भी उचित मुआवजा नहीं मिला तथा भूमि के बदले भूमि भी नहीं दी गयी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही सरणा-डूंगर, बावड़ी व कूकस में भी औद्योगिक क्षेत्र के लिये भूमि अवाप्त की जा रही है जो बहुत उपजाऊ है। मेरा अनुरोध है कि उपजाऊ भूमि को अवाप्त नहीं किया जावे तथा अन-उपजाऊ भूमि को अवाप्त किया जावे।

इसके अतिरिक्त सरकार का ध्यान जयपुर की बढ़ती आबादी और प्रदूषण को रोकने हेतु जयपुर के 30 मील की परिधि के बाहर औद्योगिक क्षेत्र को कायम करने पर शहर की आबादी भी नहीं बढ़ेगी और नागरिक प्रदूषण के शिकार भी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण ग्रामों से रोजगार के लिए बसों के द्वारा इन उद्योगों में काम करने आते हैं वे भी उन ग्रामों में रुक जाएंगे और वहां पर उन्हें रोजगार मिल जाएगा।

मैं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालना चाहता, परन्तु सरकार इस क्षेत्र में उपलब्ध सैंकड़ों बीघा भूमि चरागाह की पड़ी है। इस चरागाह की भूमि पर ही औद्योगिक क्षेत्र बनाये जावे, ताकि काश्तकारों की उपजाऊ भूमि बच सके एवं काश्तकार बेरोजगार नहीं हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अन्नोपपुरा, नांगल, लाड़ी, धौंप व बगवाड़ा व सेवापुरा में अभी भी हजारों बीघा भूमि सरकारी है जो शहर से दूर भी है जिससे प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

फव्वारा सिंचाई योजना हेतु काश्तकारों को बैंकों से अनुदान

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि काश्तकारों को फव्वारों से सिंचाई के लिये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, परन्तु जिस प्रकार इस योजना का प्रचार किया जा रहा है उसका उतना लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। न तो समय पर इनकी स्वीकृतियां जारी होती हैं, जिनकी स्वीकृतियां हो जाती हैं उनका समय पर भुगतान नहीं होता और जिन बैंकों से इनका ऋण स्वीकृत हुआ है उनमें अनुदान की राशि सरकार द्वारा बैंकों में नहीं भेजी जा रही है। जिसके कारण इनका भुगतान नहीं हो रहा है और काश्तकारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिन सप्लायरों से काश्तकारों ने फव्वारा सैट खरीदा है उनका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है जिसके कारण काश्तकारों को उनके भुगतान के लिये परेशान कर रहे हैं। अनुदान को ऋण के साथ जोड़ने के कारण बिना अनुदान के बैंक ऋण का भी भुगतान नहीं कर रहे हैं।

अतः मेरा इस सदन के जरिये माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि समय पर बैंकों में अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाए तथा इसके कारण काश्तकारों को कठिनाई नहीं होनी चाहिये और जो लोग ऋण लेना न चाहे उनको भी अनुदान दिलाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी बैरवा।

(90)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। ये इजरायल जाकर आये हैं, इसका लाभ भी तो मिलेगा।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री बुरडक जी ने स्प्रिंकलरों पर मिलने वाले अनुदान पर कुछ काश्तकारों को होने वाली असुविधाओं के बारे में जिक्र किया। इनकी कुछ बातों से तो मैं निश्चित रूप से सहमत हूं कि वास्तव में इस अनुदान को मिलने में देरियां भी होती हैं और कई जगह भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हमारे सामने आयी हैं। इस वर्ष जैसा इन्होंने बताया कि बैंकों में पैसा जमा नहीं हुआ है। हमें वोट ऑन अकाउण्ट में जितने पैसे मिले थे वे तो हमने 30 तारीख तक सारे के सारे भुगतान कर दिये हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें हमने पारदर्शिता लाने का भी निर्णय किया है। क्योंकि काश्तकारों को 3–3, 4–4 महीनों तक पीछे घूमना पड़ता है इसके लिये हमने निर्णय किया है कि काश्तकारों को सुविधा हो इसके लिये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यालय में दो रजिस्टर रखे जाएंगे। पहले रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होगा और विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि 10 दिन में उसकी वरीयता का प्रमाण पत्र देकर दूसरे रजिस्टर में इसका अमल-दरामद करे इससे न तो उसकी वरीयता भंग होगी और 30 दिन में सहायक निदेशक को उसके ऋण और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं जिससे काश्तकारों को परेशान न होना पड़े। ज्यों ही हमको पैसा मिलेगा, हम निश्चित रूप से बैंकों में जमा करायेंगे। इसलिये हमने जो अनुदान बढ़ाया है उसका फायदा काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मिले, उसको सुविधा हो इसके लिये हम निश्चित रूप से इस कदम को उठाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायणजी बैरवा।

खण्डार विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय भवनों के क्षतिग्रस्त होने तथा कुछ विद्यालय क्रमोन्नत किया जाना

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, खण्डार का भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में है, दीवारें मिट्टी से चुनाई की हुई हैं जो जगह जगह से फटी हुई हैं जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अतः सर्वे कराकर नये भवन का निर्माण कराया जाए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पांचोलास में भवन पर्याप्त नहीं है, भवन निर्माण कराया जाए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सारसोम में पूरा भवन क्षतिग्रस्त है जिसमें 5–6 कमरों को ताले लगा रखे हैं। अतः सर्वे कराकर पूरे भवन का मरम्मत कार्य करवाया जाए। संस्कृत विद्यालय चौथ का बरवाड़ा के अधूरे हाल को पूरा करवाया जाए। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, चौथ का बरवाड़ा में साइंस व कॉमर्स विषय खोले जाएं। ग्राम कुरेडी, बाज़ौली, डांगरवाड़ा,

(श्री हरिनारायण बैरवा)

नार्यपुर, रामडी सीनोली, डेहक्वां, जीनापुरा, गम्भीरा, दूमोदा, फैलोवी क्यारी, तलवाड़ा, रजवाना, जोला, अल्लापुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की बैठने की जगह की कमी है अतः भवन निर्माण करवाये जावें। जिन विद्यालयों में अध्यापक कम हैं वहां सर्वे करवाकर अध्यापकों की पूर्ति की जाएं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय भेडोता में भवन मिर्माण करवाया जाए। शिक्षा का वजट बढ़ाया जाए जिससे नये विद्यालय क्रमोन्नत हो सकें। महिला शिक्षा को वढावा देने के लिये छात्रा विद्यालय नये खोले जाए व छात्रा विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर के वार्ड नं. एक चकलेनपुरा में जो कि सौ प्रतिशत अनुसूचित जाति का गांव है वहां कन्या विद्यालय खोला जाए।

शिक्षाकर्मी योजना का विस्तार किया जाए। खण्डार और शिवाड के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाकर महाविद्यालयों में किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जल संसाधन विकास

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 1971–72 में समूचे देश में बार-बार सूखे से प्रभावित होने वाले कुछ जिलों का चयन कर सूखे की स्थिति पर नियंत्रण के लिये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया था जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक वर्षों में अधिकांश कार्य जल संसाधनों से सम्बन्धित हुए तथा कई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण हुआ, जिससे सिंचित क्षेत्र बढ़ा तथा ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की माली हालत में सुधार हुआ।

धीरे-धीरे बाद के वर्षों में डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत अन्य गतिविधियां जैसे वन विकास, भू-संरक्षण, पशुपालन आदि का समावेश होता गया और वर्ष 1995 से यह स्थिति है कि जल संसाधन विकास के सारे कार्य इस कार्यक्रम से बंद करते हुए केवल भू-संरक्षण जिसे "वाटर शेड" का नाम दिया गया है, के कार्य ही करवाये जा रहे हैं। इस विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन के कारण सूखा सम्भावित क्षेत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है, क्योंकि जल संसाधनों के विकास का मुख्य आधार लघु सिंचाई बांध है और इनके अभाव में सूखे की स्थिति को नियंत्रित करने की कल्पना ही निरर्थक है।

उपरोक्त नीतिगत परिवर्तन का आधार भारत सरकार द्वारा सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के विश्लेषण हेतु नियुक्त हनुमन्तैया कमेटी की रिपोर्ट को बताया गया है। उक्त समिति ने अपनी सिफारिश में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को "वाटर शेड बेसिस" पर करने का उल्लेख किया है जिसका अर्थ राजस्थान में यह लगा लिया गया है कि सभी कार्य वाटर शेड के ही करने हैं और इसे जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा ही किया जाना है। यह विभाग तो

(श्री महावीर भगोरा)

नया है लेकिन सिंचाई विभाग तो वर्षों से वाटर शेड बेसिस पर ही लघु सिंचाई बांधों का निर्माण करता रहा है।

उक्त नीतिगत परिवर्तन के कारण सूखा संभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की प्रवृत्ति पर गम्भीर विपरीत असर पड़ा है। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार का विशिष्ट योजना संगठन हनुमन्तैया कमेटी की सिफारिशों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण को पुनः वांछित महत्व दे, ताकि सही जल का संग्रह करके सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति जारी रह सके।

इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये माननीय विशिष्ट योजना संगठन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्पूर्ण योजना पर हनुमन्तैया कमेटी की भावना का ध्यान रखते हुए पुनः विचार कर लागू की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

राजकीय सरदार उच्च सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कोटपूतली में व्याख्याताओं के पद कम कर दिया जाना

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सरकार के समक्ष लोक महत्व के तथ्य पेश कर रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के 8 पद कम कर दिये गये हैं उनमें से एक पद गणित का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चित्रकला एवं 4 वाणिज्य विषय के पद कम किये गये हैं जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्राचार्य महोदय, ने गत वर्ष गणित, विज्ञान वर्ग में जानबूझकर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जबकि प्रवेश कार्य हेतु शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बाधा पहुंचाई है। इन आठ पदों के कम होने से स्कूल में एवं छात्रों में काफी रोष व्यापत हो रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है एवं विद्यार्थी अध्ययन के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं तथा उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इसी प्रकार राजकीय कन्या सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी इसी तरह से कुछ पद अध्यापकों के कम किये गये हैं जो न्यायोचित नहीं है। क्या ऐसी समस्या से सरकार का कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता है। सरकार इन पदों को पुनः स्वीकृत करने का विचार कब तक रखती है ताकि विद्यालयों में विद्यार्थियों को समुचित रूप से शिक्षा मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

नागौर जिले में पीने के पानी की समस्या

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में पीने के

(श्री राकेश मेघवाल)

विकट समस्या है। वर्तमान में आयी बाढ़ के कारण यह समस्या और भी बढ़ गयी है। तालाबों एवं बंधे टूट गये हैं। तथा नागौर क्षेत्र के गांवों में जैसे खींवसर, माडपुरा, मोमासर, अचीणा, देऊ, करणु, बुटाटी आदि गांवों में भयंकर बाढ़ आने से जिन लोगों के निजी टांके थे, बन्धे पानी से भर गये हैं। बाढ़ के कारण सड़ा हुआ अनाज, खाद, बीज, कई प्रकार की दवाई पानी में मिलकर पानी को जहरीला बना दिया और उनके टांकों में भर गया। जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाएं कि पम्प सैटों द्वारा इन टांकों को खाली करावे क्योंकि इन टांकों में साल भर पानी काम में लेते हैं। आने वाली बरसात का पानी तब ही इकट्ठा हो सकेगा, जब उन्हें खाली कराया जावे।

ग्राम आचीणा तहसील नागौर में ट्यूब वैल बन गया विद्युत कनेक्शन हो गया परन्तु बोरिंग कर पानी सप्लाई का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। इस गांव में 6 जी.एस. आर. बनी हुई है। पाइप डाले हुए हैं, परन्तु पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ग्राम करणू में पानी सप्लाई का जी. एल. आर. पेन्दे से टूटा हुआ है। पानी नहीं रुकता है इसे शीघ्र ठीक करवाया जाये।

ग्राम मेड़ में तालाब की पाल टूट गयी जिससे पानी नहीं ठहरता। तालाब की पाल वापस बनवायी जावे। इस गांव में ट्यूब वैल बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी है, परन्तु बोरिंग करवाकर पानी सप्लाई किया जाना है। जो काम अधूरा पड़ा है 5 जी.एल.आर. में पाइप लगे हुये हैं, परन्तु पानी नहीं जाता इसलिये पानी सप्लाई कराया जावे।

ग्राम टांकला में नाड़ी (तालाब) की पाल टूट गयी जिसे ठीक कराया जाए। जी. एल. आर. की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। यह जी. एल. आर. मेड़ रोड पर है। उन्हें बदला जाये। इसी ग्राम में एक दूसरा जी. एल. आर. क्षतिग्रस्त है जिसमें पानी नहीं ठहरता मरम्मत करवाया जावे।

कुचामन सिटी से मकराना पानी सप्लाई होता है। यहां जलदाय विभाग के कनेक्शनों की विद्युत लाइन अलग नहीं होने से पानी सप्लाई के ट्यूब वैलों को भी बराबर बिजली नहीं मिलती। अन्य लोगों की सप्लाई कटौती होने पर इसकी बिजली भी कट जाती है। अतः कुचामन में जहां-जहां पानी सप्लाई के ट्यूब वैल हैं उनकी बिजली लाइन अलग से कराया जावे। कुचामन शहर में मेहरों की ढाणी के पास जी. एल. आर. 2–3 वर्ष से बनी हुई है। परन्तु उसमें पानी कभी नहीं डाला जाता जबकि इस ओर पाइप लाइन भी लगी हुई है। घाटी कुआ, लूरजी की डूंगरी वानूडा भवन की गली आदि क्षेत्रों में पीने के पानी पर्याप्त नहीं पहुंचता है। यहां व्यवस्था करायी जावे।

गच्छीपुरा बांका पट्टी के नाम से विधान सभा क्षेत्र में लगने वाली पंचायत समिति मकराना के अन्तर्गत आने वाली 11 ग्राम पंचायतों में पानी बिलकुल खारा है, पीने के योग्य नहीं है। इस पानी को पीने पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती

(९४)

(श्री राकेश मेघवाल)

हैं जैसे विकलांग होना। यहां साल भर पानी काम में लेते हैं। इससे बीमार हो जाते हैं। यहीं पीने के पानी हेतु गच्छीपुरा बांक पट्टी जल योजना बनाई गई हैं। इस योजना से 67 ग्रामों को लाभ मिलेगा। परन्तु इस योजना को अभी तक मंजूर नहीं किया है। इस प्रकार क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। अतः जल योजना ढाणी खेडी, शिला जल योजना खारडिया, जल योजना गिगालिया, जल योजना बेसरोली, जल योजना भैयाकला आदि योजनाओं का काम शीघ्र करवाया जावे।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध कर रहा हूं कि कार्य शीघ्र करवाया जावे। स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें जो 1994 से 1996 जून तक हुए हैं तथा अधूरे पड़े हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 295 के अन्तर्गत हम जो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पूरे राजस्थान में बाढ़ से और अकाल से इतनी तबाही हुई और उसके बाद गैर-जिम्मेदार रहे और आज सुनने के लिये मंत्री जी भी यहां उपस्थित नहीं हैं किस को सुनायें ?

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़िये ना आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : पढ़ तो रहा हूं। पर किस को सुनाऊं मैं। कितने गैरजिम्मेदार हैं मंत्री जी कि इस मौके पर भी नहीं मिलते हैं। पूरे राजस्थान में बाढ़ अकाल से सैकड़ों जानें चली गयीं।

श्री अध्यक्ष : किसी पर आक्षेप करने के बजाय आप पढ़ना प्रारम्भ करें।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों तथा सामग्री मद की राशि का भुगतान

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै उपरोक्त विषय में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करता हूं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ से ही कम स्वीकृत लगाये गये और स्वीकृत कार्यों पर भी कम श्रमिक लगाने के साथ ही लगभग 78 ग्रामों में तो कार्य ही स्वीकृत नहीं किये और जून के प्रथम पखवाड़े के मध्य जो कार्य स्वीकृत किये थे वे भी वर्षा नहीं होने पर बंद कर श्रमिक क्षेत्र में पहले से ही कम लगे होने के बावजूद आधी श्रमिक संख्या घटाकर वर्षा नहीं होने पर भी ज्यादती की है।

यह स्थिति वर्षा के अभाव में गम्भीर है और अभावग्रस्त लोगों के साथ क्रूर मजाक भी है। वर्षा नहीं होने पर लगभग 100 कार्य बंद कर 2000 से अधिक श्रमिकों को कार्य से हटाकर जो ज्यादती की है। वह गांव गरीब को गणेश मानने की सरकार की कथनी के भी विरुद्ध है।

क्षेत्र की जनता ने सरकार की इस अदूरदर्शिता से वर्षा के नहीं होने पर की गयी ज्यादती से लोगों के सामने जीवन-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यापन की भी एक समस्या बन गयी है। मैं अकाल सहायता विभाग की वर्षा न होने पर काम बंद करने की इस जनविरोधी नीति को गम्भीर मानते हुए सरकार से तुरन्त बंद किये गये कार्यों को वर्षा न होने तक आरम्भ रखे जाने की मांग करता हूं। ये कार्य क्षेत्र में 25 जून से ही बंद कर दिये और फिर 1 जुलाई, 1996 से और ज्यादा कार्य बंद कर दिये है।

क्षेत्र में श्रमिकों का भुगतान 15 जून, 96 तक का भी नहीं हुआ है और बकाया है। अनेक पंचायतों में घपलेबाजी की शिकायतें होकर जांच करने पर फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार व घपलेबाजी की शिकायतें प्रमाणित होने के बाद अभी तक एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश निर्देश के अनुसार विकास अधिकारी ने पालना नहीं की और इतना गम्भीर फर्जीवाड़ा और घोटालेबाजी के बाद आज तक न तो ऐसी पंचायत के काम हटाये गये और न ही अन्य स्थानों की तरह समितियां गठित कर राजनैतिक भेदभाव और संरक्षण दिया जाना गम्भीर प्रकरण है। इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

पंचायतों को पक्के कार्यों की अग्रिम राशि का भुगतान सामग्री हेतु देने में भेद-भाव, करने तथा एक प्रकृति के कार्यों में भी सामग्री राशि में काफी अन्तर रखकर जो पक्षपात किया जा रहा हैं इस स्थिति पर जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी कर पंचायतों को पर्याप्त राशि सामग्री मद की पक्के कार्यों के अनुपात के अनुसार भुगतान करवाया जाए ताकि राहत कार्य अधूरे नहीं रह सके।

उपरोक्त तथ्य एवं स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि तत्काल श्रमिक बढ़ावें जाएं, वर्षा न होने से 31 जुलाई तक कच्चे राहत कार्य वापस पुनः आरम्भ किये जाएं; श्रमिकों को भुगतान तत्काल 30 जून तक का कराया जाए तथा पंचायतों को भी सामग्री मद की अग्रिम राशि बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के शीघ्र भुगतान कराई जाए ताकि पक्के कार्य पूरे हो सकें। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण जी मीणा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने बहुत अच्छी चीज रख रहा हूं।

तहसील नैनवां के ग्राम रेठोदा में बाला तालाब की मरम्मत

अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील नैनवां के ग्राम रेठोदा में बाला तालाब की मरम्मत करवायी जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम जी।

सीकर जिले के नगर पालिका क्षेत्र लोसल में उप तहसील की स्थापना

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर जिले के नगरपालिका क्षेत्र लोसल में उप तहसील की स्थापना बाबत दो

(श्री अमराराम)

व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

पुरातत्व महत्व के परकोटे गंगापोल के बाहर परकोटे में गैर कानूनी तरीके से दरवाजा निकालकर अतिक्रमण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुरातत्व महत्व के परकोटे गंगापोल के बाहर परकोटे में गैर कानूनी तरीके से दरवाजा निकालकर अतिक्रमण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

श्याम नगर विस्तार जयपुर "जी" ब्लाक के पार्क के विकास के सम्बन्ध में

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्याम नगर विस्तार, जयपुर 'जी' ब्लाक के पार्क के विकास के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

निवाई पंचायत समिति में पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करना

(1) निवाई पंचायत समिति में पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

निवाई से मांशी बाध तक ग्रेवल रोड

(2) निवाई से मांशी बांध तक ग्रेवल रोड बनाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती तारा भण्डारी।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 1995–96 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1995–96 का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 1995–96 का तृतीय प्रतिवेदन

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1995–96 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(श्री अध्यक्ष)

तारा भण्डारी ने निवेदन किया है और मंत्री जी ने भी निवेदन किया हैं कि इसे स्थगित किया जाये। स्थगित किया जाता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कब निवेदन किया हैं ? पिछले 3–4 सालों से लगातार....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिये। मैंने तो कोई स्थगन नहीं मांगा है। मैं पिछले दो तीन वर्षों से, हमारे आबू में जो एक विधवा डायना वड्‌सवर्थ थी....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय डिबेट होगी तो मुझे भी बोलने देना।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप बीच में नहीं बोलें, मुझे अपनी बात कहने दें। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कोई डिबेट नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह एक व्यवस्था तो कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। आप मेरे नाम से स्थगित करें....

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मांगा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरी बात तो सुन लें। दो तीन वर्षों से यह प्रकरण चल रहा था। हमेशा मैं यह प्रश्न लगाती हूं। अध्यक्ष महोदय, और आप....

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सबजुडिस मामला है....

श्रीमती तारा भण्डारी : आप बैठिये तो सही, बोलने दीजिये। आप अपना काम करो न, आपसे कौन राय मांग रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हाई-कोर्ट में सबजुडिस है। सबजुडिस मैटर पर आप डिस्कस नहीं कर सकती हो।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरी बात तो सुन लें।

श्री रामपाल उपाध्याय : सबजुडिस मैटर पर कैसे बात हो सकती है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : आप कल्याणकारी राज और महिलाओं के हितों की बात करते हैं। पिछले दो तीन साल से मैं यह प्रश्न लगा रही हूं और मुझे आप कभी-भी विचार-विमर्श का मौका नहीं देते। +++

श्री अध्यक्ष : जवाब देना है सरकार को।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा निवेदन तो सुन लो। आपका जवाब नहीं आया तो अगले सप्ताह में मंगलवार, बुधवार किसी भी दिन जवाब मंगवाकर चर्चा तो करायें। +++

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्या ने स्थगन नहीं मांगा है तो माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सदस्या के नाम से स्थगित मत कीजिये। आपके पास जवाब नहीं आया, यह बात दूसरी है लेकिन जवाब आया है, इतना मुझे मालूम है। इसलिए आपको इस पर चर्चा करानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन जी पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13.45)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा में बारां रोड पर कमाण्ड क्षेत्र की ग्रीन बैल्ट की भूमि पर कारखाने लगाये जाना

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में बारां रोड पर कमाण्ड क्षेत्र की ग्रीन बैल्ट की भूमि पर कारखाने लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजें। माननीय मंत्री महोदय। मैं दूसरा ले लेता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरा क्यों लें। हाउस में मंत्रीजी नहीं हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कई बार आप भी नहीं होते हो।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय सदस्य नहीं हो तो दूसरा ले सकते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो सीधा अपमान है। किसी माननीय सदस्य ने मूव कर दिया और आपने पुकार लिया माननीय सदस्य को। माननीय मंत्रीजी यहां पर नहीं है, यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है। या तो आप व्यवस्था दीजिये, यह तो बड़ी आपत्तिजनक बात है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के वक्त में आपने उसको लगा रखा है और माननीय सदस्य को काल कर दिया, उन्होंने ध्यानाकर्षित कर दिया और आपने मंत्री को काल कर लिया कि उत्तर दीजिये। उसके बाद मंत्रीजी गायब हो गये। यह तो बड़ी भयंकर विचित्र स्थिति है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाउस में सब बराबर हैं चाहे वह मंत्री हो या और कोई भी हो। जब कभी हमारा नाम पुकारा जाता है और हम नहीं होते हैं, तो आप दुबारा बोलने का मौका नहीं देते हो तो मंत्रीजी को यह रियायत किन नियमों के तहत दी जा रही है ? जब मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। एक मिनट आप बिराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो बहुत सक्रिय हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (पर्यावरण मंत्री) : मैंने कह दिया, आपकी कृपा से।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में बारां रोड पर स्थित चार उद्योग निम्न प्रकार से है :–

(1) मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, गढेपान

यह उद्योग कोटा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर लगा है। कमाण्ड क्षेत्र का ग्रामीण कृषि भूमि पर यह उद्योग लगा है। इस उद्योग में यूरिया खाद का उत्पादन होता है। उद्योग में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट के आधार पर जल उपचार संयंत्र एवं वायु उपचार संयंत्र लगा रखे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा पत्र प. 11011/8/87–I दिनांक 15.11.88 द्वारा साइट क्लियरेंस दी गयी है। उद्योग हेतु 881 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन राज्य सरकार के उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक प. 4/1/85 दिनांक 18.6.94 से राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र भू आबंटन नियम 1959 के अन्तर्गत आवंटित की गयी है। इस प्रकार यह उद्योग नियमों के तहत लगा है एवं इस उद्योग में प्रदूषण को नियंत्रण करने के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित संयंत्र लगे हैं। उद्योग के प्रभाव से कोई भूमि ऊसर नहीं हुई है।

(2) मैसर्स कोठारी ग्लोबल लि., ताथेड़

यह उद्योग कोटा शहर से 15 किलोमीटर दूर लगा है। कमाण्ड क्षेत्र की ग्रामीण कृषि भूमि पर यह उद्योग लगा है। इस उद्योग में सोयाबीन तेल का उत्पादन होता है। उद्योग ने जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सहमति ले रखी है। उद्योग कुल 8.10 हैक्टेयर भूमि पर है। 4 हैक्टेयर भूमि सोलवेंट एक्सटेंशन एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ ऑयल हेतु राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नियम, 1961 के द्वारा स्थानान्तरित कर नियम, 1959 के अन्तर्गत 99 वर्ष की लीज पर कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 2–क (271) राजस्व/पब्लिक उद्योग/2396 दिनांक 31.8.91 से आबंटित की गयी है। 4.10 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व क्षेत्र में कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन नियम, 1992 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प-2 क(383) राजस्व/92/2454–59 दिनांक 1.6.93 द्वारा भूमि संपरिवर्तन की गयी है।

इस प्रकार यह उद्योग नियमों के तहत लगा है एवं इस उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों में आवश्यक संयंत्र लगे हैं। उद्योग के कारण कोई भूमि ऊसर नहीं हुई है।

(3) मैसर्स कुसुम एग्रो लिमिटेड, ताथेड़

यह उद्योग कोटा शहर से करीब 15 कि.मी. दूर लगा है। कमाण्ड क्षेत्र की ग्रामीण भूमि पर यह उद्योग लगा है। इस उद्योग में खाद्य तेल का उत्पादन होता है। उद्योग ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण जल के शुद्धिकरण हेतु जल उपचार संयंत्र लगा रखा है। उद्योग ने जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सहमति ले रखी है। उद्योग 4.96 हैक्टेयर भूमि पर लगा है। यह भूमि उद्योग हेतु राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण कृषि क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषि

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन नियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यालय के आदेश क्रमांक प-2 क (313) उद्योग/राजस्व/6266–72 दिनांक 22.12.92 से भूमि संपरिवर्तन किया गया है। इस प्रकार यह उद्योग नियमों में लगा है तथा उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों में अपेक्षित संयंत्र लगे हैं। उद्योग के प्रभाव से कोई भूमि ऊसर नहीं हुई है।

(4) मैसर्स सेमकोर ग्लास लिमिटेड, नया नोहरा

यह उद्योग कोटा शहर से करीब 7 कि.मी. दूर मास्टर प्लान क्षेत्र में लगा है। कमांड क्षेत्र की ग्रीन बैल्ट में यह उद्योग लगा है। कुल 27.79 हैक्टेयर भूमि में उद्योग है। यह भूमि ग्रीन बैल्ट में होने के कारण कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु यू.डी.एच. विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 10(33) यू.डी.एच./92 दिनांक 15.9.92 द्वारा उद्योग हेतु भू-परिवर्तन किया गया है। उपरान्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 4(29)उद्योग/1/92 दिनांक 23.4.93 से भूमि नियम, 1959 के अन्तर्गत आबंटित की गयी है। यह उद्योग श्वेत-श्याम टी.वी. के पिक्चर ट्यूब का उत्पादन करता है। उद्योग ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट के आधार पर जल उपचार संयंत्र एवं वायु उपचार संयंत्र लगा रखे हैं। उद्योग ने वायु जल अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति ले रखी है। इस प्रकार यह उद्योग नियमों के तहत लगा है एवं प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिये नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित संयंत्र लगे हैं। उद्योग के कारण कोई भूमि ऊसर नहीं हुई है।

(5) मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ताथेड़

यह उद्योग कोटा शहर से लगभग 15 कि.मी. दूर लगेगा। कमांड क्षेत्र की ग्रामीण कृषि भूमि पर यह उद्योग लगेगा। इस उद्योग हेतु फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की 18.18 हैक्टेयर कृषि भूमि विभिन्न खातेदारों से खरीद की है। इलेक्ट्रिकल्स लैम्प प्रोजेक्ट का उद्योग स्थापित करने के लिये कम्पनी द्वारा करीब एक माह पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम, 1992 के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन हेतु कलक्टर, कोटा को आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर भू-संपरिवर्तन की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कोटा क्षेत्र में उद्योगों के लिये क्या जमीन नहीं बची, ऊबड़-खाबड़ जमीन नहीं है, रीको के प्लाट नहीं है ताकि आप उस कमांड एरिया में जमीन जिसमें नहरी पानी चलता है, नहरें उसके पीछे से निकली हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने रायड बैंक कैनाल का उद्घाटन करके बैराज और नहरों को चालू किया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सवाल पूछें, सवाल।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं वही सवाल की बात कर रहा हूं कि वहां पर क्या

(श्री रामकिशन वर्मा)

आवश्यकता आ गयी उसके अन्दर इसकी इजाजत दी। यह इजाजत बिलकुल गलत इससे कमांड के इलाके के अन्दर जमीन ऊसर हो रही है, उससे तेजाबी पानी निकलता है, गैस निकलती है और यही वजह है कि अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से सारे उद्योग वहां से हटाये गये हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की औद्योगिक फैक्ट्रियों को आगे नहीं बढ़ने दें और इन्हें भी हटाने के आदेश यहां से दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदान साहब। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आपने अभी उत्तर में बताया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने मदान साहब को पुकारा है। क्या आप सुन नहीं रहे हैं माननीय सदस्य ? (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन से आज्ञा लीजिये, फिर बोलिये।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चार उद्योग लग चुके हैं और पांचवां उद्योग जो लगने जा रहा है, सारे के सारे मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और कोटा के औद्योगीकरण में आज जितने भी रीको के प्लाट्स कटे हैं या बड़े-बड़े उद्योग आये हैं, वह किस जगह आकर लगे हैं और अगर वहां पर स्थान नहीं हो, तो निश्चित रूप से आप एग्रीकल्चर लैण्ड को लें, जो कमांड एरिया में हों और ग्रीन बैल्ट में आती हो।

यह मैं दूसरा निवेदन आपसे करूं, क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते, क्या वह समझते नहीं हैं ? मैं जानता हूं कि इस मामले में इनको भी पूरी जानकारी है, हर आदमी से हर काम नहीं होता। आप हलवाई की दुकान पर किसी दवाई वाले को बेचने के लिये बैठा दो तो शायद वह नहीं बेच पाएगा। किसान का बेटा केवल मात्र खेती कर सकता है। आप कमांड एरिया में भूमि लेते चले जाओगे, ग्रीन बैल्ट में भूमि लेते चले जाओगे, जब आपके पास कोटा में और भी भूमि है, नहीं हो तो कोई बात नहीं लेकिन जब बड़े-बड़े उद्योग, रीको के सारे प्लाट्स, आने वाली और औद्योगिक इकाइयां जब वहां लग सकती हैं, ठीक है यह हुआ। इनमें से ज्यादातर स्वीकृति गवर्नर शासनकाल में मिली है, यह मैं मानता हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना तो सरकार को ध्यान देना चाहिये कि हैम्बरिंग करके अगर आप औद्योगिक इकाइयों को लगाते चले जाओगे तो किसान का जीवन कितना दूभर हो जाएगा और उससे प्रभाव क्या होंगे ?

तीसरी बात, आपने कहा कि यह चार उद्योग पर्यावरण से बिलकुल विशुद्धित हैं। नहीं है, उन पर किसी प्रकार का, मैंने अभी मंत्री महोदय को एक पत्र दिया था और यह कहा था कि कुसुम इण्डस्ट्रीज के लिये

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

ताथेड़ गांव के लोगों ने मिल कर यह दिया कि हमारे यहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और सारी भूमि ऊसर होती चली जा रही है। पहले उपजाऊ थी वह भी नहीं बच पा रही है इसलिये इन 3–4 प्रश्नों को ध्यान में रख कर मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य और पूछ रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जैसा आपने अभी उत्तर में बताया है कि फिलिप्स इंडिया की परमिशन के लिये कलक्टर के यहां फाइल है और उधर से जाने का हमारा वह रास्ता है, वहां मौके पर काम चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, सवाल। प्रश्न पूछिये।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : सवाल ही पूछ रहा हूं। काम कैसे चल रहा है? जब परमिशन ही नहीं हुई अभी तक तो वहां फ़िलिप्स इंडिया का काम कैसे चल रहा है?

दूसरी बात, डी. सी. एम, कोटा के प्रदूषण से इतनी बुरी हालत है वहां, जानवर मर रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं और ग्रीन बैल्ट में किस नियम के तहत परमिशन दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गढेपान में जो फैक्ट्री लगी है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अपने स्थान पर तो आइये। उतने मैं दूसरे को नम्बर दे देता हूं। गस।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजस्व कानून में यह व्यवस्था है कि खातेदारी की भूमि या गैर खातेदारी या पड़त जमीन मिलती है तो एक्वायर नहीं की जाए या उसको तब्दील नहीं की जाए और खातेदारी की भूमि में भी अगर असिंचित भूमि कहीं उपलब्ध हो तो सिंचित भूमि को अकृषि कार्य में परिवर्तित नहीं किया जाए, इन नियमों का कहां तक पालन हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, गढ़ेपान में चम्बल फर्टिलाइजर का कारखाना लगा और जिसकी बाबत अभी मंत्री महोदय ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के यंत्र वहां पर लगा रखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो फरमाया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल पर ही आ रहा हूं। क्या मंत्री महोदय को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि किस उद्योग के द्वारा रूगदी की खाड़ी में गंदा पानी डाला जा रहा है जिससे कि हजारों की तादाद में जीवित मछलियां मर चुकी हैं। क्या इसी उद्योग के लिये कठनावदा गांव के पास जो नाला निकाला गया है, उससे कालीसिंध प्रदूषित नहीं होती है? यह यंत्र लगा रखे हैं उन्होंने, यह यंत्र तो फैक्ट्री के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आसपास के इलाके के लिये काम में लेते हैं लेकिन इनके द्वारा जो दूषित जल प्रवाह किया जाता है खाड़ी में और कालीसिंध की नदी में, उससे गांव वालों की कम्प्लेंट वक्त-वक्त पर प्रदूषण बोर्ड को और राज्य सरकार को मिलती रही है और राज्य सरकार ने फिर क्या कार्यवाही की है ?

(14.00)

दूसरा मेरा सवाल है कुसुम एग्रो के बाबत। मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में एक बार मंत्री महोदय वहां से जरूर पास होते होंगे। उसको बिलकुल सड़क पर बनाने की इजाजत किस प्रकार दे दी गयी ? सड़क पर कम से कम कोई भी इण्डस्ट्री लगाएं तो उसकी दूरी तो होनी चाहिये, तीन सौ फीट पीछे लगाएं, चार सौ फीट पीछे लगाएं ताकि एकदम वह जितना भी ट्रैफिक उस सड़क के पास होता है, उसको प्रदूषित न करे। तो यह इजाजत किस प्रकार से दी गयी, क्या इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आखिरी सवाल मेरा यह है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाता हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहूंगा माननीय पर्यावरण मंत्रीजी से। माननीय पर्यावरण मंत्रीजी, जमीन कन्वर्जन का आपका कोई दोष नहीं है मैं मानता हूं। लेकिन कोटा सम्भाग में जो सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि पर ही उद्योग बनते जा रहे हैं, यह भी आप मानते हो और आपका विभाग एन.ओ.सी. देता है। उद्योग बनने के बाद आपके पास आते हैं। क्या आप राज्य सरकार स्तर पर ऐसा निर्णय लेंगे कि इस तरह की जमीन जो कम होती जा रही है, जैसे बूंदी में आप देख लीजिये, जी. पी. आ गयी, और पता नहीं कौन सा आ गया, एक आर. टी. के लिये तो बूंदी से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत प्रश्न उठाये, 60 लाख की पेनल्टी लगा दी और माफ कर दी। यह घोटाघोटी जो हो रही है वह भले ही आपके स्तर पर नहीं हो रही है लेकिन आप जानते तो हैं ही। फिर राज्य सरकार स्तर पर जब तक मंत्रीमण्डल में आप निर्णय नहीं लेंगे माननीय पर्यावरण मंत्रीजी, तब तक यह बीमारी खतम नहीं होगी। कोटा के किसान, कोटा सम्भाग का बूंदी हो, बारां हो या कोटा हो, वहां के किसानों की भूमि कम होती जाएगी, और जमीन इतनी ज्यादा वहां पड़ी हुई है जिससे कितने ही उद्योग स्थापित हो सकते हैं, क्या आप राज्य सरकार स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने की कृपा करेंगे, इसके बारे में आप गहनता से विचार कर पाएंगे ? यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाशजी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मास्टर प्लान के अधिकारी जिसको चाहे ग्रीन बेल्ट में से जमीन निकाल कर उद्योगों के लिये दे देते हैं ? नम्बर

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

एक । नम्बर दो, मेरा प्रश्न यह है कि बूंदी जिले में उद्योग विभाग, रीको ने भूमि मांगी, जहां पर कृषि की भूमि थी, सिंचित एरिया की भूमि थी....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोटा में है माननीय सदस्य ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कोटा सम्भाग का ही निवेदन कर रहा हूं साहब, बात वहीं आ रही है । ग्रीन बेल्ट के बारे में बात है, वहां पहुंच रहा हूं मैं, स्पेसिफिक पूछ रहा हूं । बूंदी जिले में उद्योग विभाग ने भूमि मांगी, परन्तु ग्रीन बेल्ट का नाम लेकर मना कर दी । दूसरी ओर आर. टी. एक्सपोर्ट नामक उद्योग को राज्यपाल शासन में स्वीकृति दे दी गयी । वह किस नियम के आधार पर दी गयी ? दूसरे उद्योगों द्वारा, जो रीको जमीन मांग रही है उसको किस आधार पर नहीं दी जा रही है, यह भी मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपलदा) : उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो बात जानना चाहूंगा । जो इण्डस्ट्रीज वहां पर लगायी गयी, क्या इण्डस्ट्रियल एरिया में वहां पर इनके पास जमीन उपलब्ध नहीं थी ? यदि जगह उपलब्ध थी तो फिर किन कारणों के तहत यह वहां पर लगायी गयी ? इस तरह से ग्रीन बेल्ट में जो उद्योग लगातार लगाये जा रहे हैं, पांच–छह उद्योगों को जो परमीशन दी गयी है, क्या आगे जाकर ऐसे उद्योगों पर रोक लगायी जाएगी कि ग्रीन बेल्ट पर कोई भी उद्योग आगे जाकर नहीं लगे ? जो भी उद्योग लगे वह केवल इण्डस्ट्रियल एरिया में लगे । क्या इस पर रोक लगायी जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री रामनारायण मीणा : राज्य सरकार उत्तर दे ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, सवाल कई आये हैं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कई का जवाब दे रहा हूं साहब । सबसे पहले तो मैं रामगंजमण्डी से आने वाले विधायक महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि यह पर्यावरण सम्बन्धी क्वेश्चन बहुत मुद्दे के उठाते हैं । पिछली बार इन्होंने चम्बल नदी के प्रदूषण को उठाया था, अभी इन्होंने फैक्ट्रीज के प्रदूषण को उठाया । अब सवाल ग्रीन बेल्ट का आया और ग्रीन बेल्ट के बारे में मेरा ऐसा है कि केवल एक उद्योग ग्रीन बेल्ट में है–सेमकोर और कोई ग्रीन बेल्ट में नहीं है । वह कमाण्ड एरिया में है । और ग्रीन बेल्ट का यह नियम है कि वह टाउन प्लानर बनाता है और सरकार उसे सैंक्शन करती है । उसी सरकार को उसे ग्रीन बेल्ट से अलग करने का अधिकार है और सेमकोर को अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हेतु उद्योग को भूमि परिवर्तन का अधिकार है । इसी के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 10/33/यूडीएच/92 दिनांक 15.9.92 से सेमकोर उद्योग को भू-परिवर्तन किया गया । यह तो केवल एक उद्योग है ग्रीन बेल्ट में । अब कमाण्ड एरिया की जो बात है, अब कोटा की बात है, इटावा से आने वाले माननीय

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सदस्य बता रहे थे कि वह रीको क्षेत्र में क्यों नहीं लगा रहे । कोटा में बहुत उद्योग हो गये हैं, कोटा से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर लगाने से कोटा प्रदूषण से बचेगा । जहां तक अभी कुसुम की बात श्री धारीवालजी ने कही, यह बात सच है आपकी, वहां पानी इकट्ठा हो गया था, उनको नोटिस दिया गया प्रदूषण मंडल की तरफ से । उन्होंने उसका उपचार कर लिया । जहां तक पानी निकलने का सवाल है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो केवल कोठारी सोयाबीन का ही पानी नाले में डाला जा रहा है और बाकी सब पानी को उपचारित करके अपनी खेती के काम में ले रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गढ़ेपान के लिये कहा है मैंने, चम्बल फर्टिलाइजर ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गढ़ेपान के लिये कहा है । तो मेरे ख्याल से गढ़ेपान का नहीं है और यदि है तो मैं उसमें सुधार कर लेता हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रून्दी की खाड़ी में और काली सिंध नदी में ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं उसमें सुधार कर लेता हूं और उनको बाध्य करते हैं कि पानी न डालें । इसके लिये हम उनकी कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेमटल जो कम्पनी है, राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वह सेमटक कम्पनी है । It is the top most. और वह जो यंत्र बना रही है, उसमें पर्यावरण का कहीं कोई नुकसान होने की सम्भावना नहीं है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसमें पर्यावरण का सवाल ही नहीं उठाया, हमने सिर्फ चम्बल फर्टिलाइजर के पर्यावरण का सवाल उठाया है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, पर्यावरण का बहुत बड़ा उसमें इन्वोल्वमेंट है । मैं माननीय मोदीजी से कह रहा हूं । बहुत बड़ा मामला है । पर्यावरण के सम्बन्ध में आप जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है । लेकिन हमने पूरी सावधानी बरत रखी है कि उनका जो वेस्ट है वह इतना डेंजरस है...

श्री विष्णु मोदी : सेमटल का ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां । उसके लिये हम पक्का हौज बनाकर ड्रमों में उसको रखवा रहे हैं, उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ विशेषज्ञों से राय ली जा रही है । लेकिन इस विषय में हम सावधान हैं और माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि ऐसी बात सामने आएगी तो उस पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये मैं आपको आश्वस्त करता हूं ।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिर्फ एक प्रश्न और अगर आप अनुमति दें तो ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी सवाल जवाब हो गये हैं ।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया ।

श्री अर्जुनदास मदान : कोई जवाब नहीं। जैसा आपने कहा कि रीको, में, मैं निवेदन करूं कि आप अनंतपुरा से चलें, रीको की जमीन जहां पर खतम होती है और मंडाना से लेकर दरा तक चले जाएं, चालीस की चालीस किलोमीटर की पूरी लाइन पठारी एरिया है और सड़क के ऊपर है यानी कि यह तो सड़क जाती है बारां को, बारां में कोई विशेष रूचि मंत्री महोदय की हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं यह निवेदन करूं....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसको भी रीको एक्वायर कर रहा है। सबको एक्वायर कर लेंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : वही मैं कहता हूं कि रीको अब एक्वायर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब जब रीको एक्वायर कर ही रहा है तो ग्रीन बेल्ट से या जो भी कमाण्ड एरिया है वह जमीन आप उधर क्यों नहीं दे देते? 40 किलोमीटर जमीन, मान्यवर, मै आपको बिलकुल विश्वास के साथ कहता हूं कि किसानों को, जिनसे आप जमीन खरीदते हैं, आने वाले दो-पांच सालों में सब पैसा खा-पी जाते हैं और स्थिति यह होती है कि दर-दर भटकते हैं। उनकी चिन्ता सरकार को करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामकिशन वर्मा . उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रश्नकर्त्ता हूं, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। मैं कमाण्ड एरिया के ग्रीन बेल्ट के लिये माननीय मंत्रीजी से जवाब मांग रहा हूं कि जब आपके पास और जमीन मौजूद थी, अकृषि के लिये उस जमीन का उपयोग क्यों किया गया, कौन सी आवश्यकता आ गयी थी? जब हमारे पास उबड़-खाबड़ जमीन है, रीको के प्लाट हैं, पथरीली जमीन मौजूद है, वहां पर क्यों नहीं लगाये? आप इस प्रकार से क्या पूरी जमीन को ऊसर बनाकर फिर हमें रेगिस्तान की ओर अग्रसर करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : एक मिनट। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ग्रीन बेल्ट में जे.के. को स्कूल बनाने के लिये 50 एकड़ जमीन दी है और यदि दी है तो किस नियम के तहत और ग्रीन बेल्ट में ही क्यों दी?

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्ट है सवाल, ग्रीन बेल्ट में क्यों दी गयी, यह है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहली बात तो यह है कि यह उद्योग लगाने की परमीशन उद्योग विभाग देता है, हम तो केवल पर्यावरण का एन.ओ.सी. देते हैं। इसलिये आप उनसे यह बात पूछ लें। रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि ग्रीन बेल्ट और कमाण्ड एरिया अलग-अलग चीज है। कमाण्ड एरिया अलग है, ग्रीन बेल्ट में तो केवल सेमकोर लगा है और उसको नियमानुसार परमीशन मिली है।

श्री रामकिशन वर्मा : अगर आप सेमकोर की बात कहते हैं तो सेमकोर तो शिड्यूल कास्ट के, लस्टी समाज के लोगों की जमीन है। उसको आप यहां मत खुलवाओ, वरना वह बिलकुल ही....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत।

श्री रामकिशन वर्मा : एक मिनट और माननीय मंत्री महोदय से मैं यह चाहूंगा, पिछली दफा भी मैंने चम्बल के सफाई अभियान के तहत बैराज से केशोरायपाटन तक का सवाल किया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे पा रहा हूं। कृपया आप बिराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : अभी तक काम चालू नहीं हुआ काम कब चालू हो जाएगा? इसका जवाब आप इण्डस्ट्रीज मंत्रीजी से, उद्योग मंत्रीजी से मेरे को दिलवायें तब मैं आपकी बात से संतुष्ट होऊंगा, काश्तकार का सवाल है, कोटा का सवाल है। जिस समय चम्बल फर्टिलाइजर सवाईमाधोपुर के पास लगने लगी तो इस बात का प्रश्न आया कि वहां अभयारण्य के अन्दर रणथम्भौर के जानवरों को क्षति पहुचेगी। उसको बचाना चाहते हैं, लेकिन इंसानों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिये सहमत हैं। ऐसे उद्योगों को वहां से हटाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही आप करें अन्यथा कोटा के लोग सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपनी कार्यवाही के लिये मजबूर हो जाएंगे।

वित्तीय समितियों का गठन समितियों के कार्यकाल में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 जुलाई, 1996 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1), 231 सहपठित नियम 232 (1), 233 (खा) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, 1996–97, प्राकलन समिति (क) 1996–97 तथा प्राकलन समिति (ख) 1996–97 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1996–97, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था।

सर्व विदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1) 231 सहपठित नियम 232 (1) 233 (खा) (1) को निलम्बित कर यह सदन चारों वित्त समितियों के गठन को यथावत रखते हुए इनका कार्यकाल आगामी वित्त वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है तथा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे रिक्त स्थानों पर मनोनयन अपने विवेक से कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट कृपया क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से कार्यकाल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन वर्मा : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वो चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री रामकिशन वर्मा : एक मिनट साहब, खाली जवाब है। वो तैयार हैं उनके पास जवाब मौजूद है साहब।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चम्बल की नहरों के आधुनिकीकरण नहीं किये जाने एवं बाड़ाबन्दी की राशि का दुरुपयोग

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामनारायण मीणा, श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री शैलेन्द्र जोशी तथा श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा चम्बल की नहरों के आधुनिकीकरण नहीं किये जाने एवं बाड़ाबन्दी की राशि के कथित दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप एक लाइन में ध्यानाकर्षण करदें।

श्री रामनारायण मीणा : एक लाइन में कर रहा हूं थोड़ी आप कृपा करें?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में समय देंगे आपको।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल परियोजना जिस तरह की है यह माना जाता है कि यह मात्र एक ऐसी परियोजना है कि जिसको हम संभाल नहीं पाये इसलिये, क्योंकि बाड़ाबन्दी नहीं है आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, टेल एण्ड पर पानी....इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने जो निवेदन किया उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। आप नियमों को जानते हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये मैं इस सम्बन्ध में चम्बल की नहरों के आधुनिकीकरण नहीं किये जाने व बाड़ाबन्दी की राशि के कथित दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वो प्रस्ताव हो गया क्या?

श्री उपाध्यक्ष : वो तो हो चुका.... सहमति से हो गया सर्वसम्मति से।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : चम्बल परियोजना में सिंचाई सुविधा कोटा बैराज से निकलने वाली नहरें, दायीं मुख्य नहर एवं बांयी मुख्य नहर प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। नहरों का निर्माण लगभग 36 वर्ष पूर्व किया गया था।

अधिकांश नहरें कच्ची हैं। प्रारम्भ में नहरों का निर्माण 21 प्रतिशत खरीफ एवं 55 प्रतिशत रबी फसल में सिंचाई सघनता के अनुरूप किया गया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत 5,69,000 एकड़ क्षेत्र में डिजाइन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाना प्रस्तावित था, किन्तु वर्तमान में इस प्रणाली द्वारा खरीफ एव रबी फसल में क्रमशः 1,52,000 एकड़ एवं 5,20,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसकी सिंचाई सघनता 118 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना पद्धति के अन्तर्गत वितरण प्रणाली में आवश्यक लाइ-

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

निग, बैंकों को मजबूत करना, चकों का पुनः निर्धारण, पानी मापने के यंत्र लगाना तथा आवश्यकतानुसार आउटलेटों के कार्य प्रस्तावित हैं। इसी अनुरूप विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना के अन्तर्गत दांयी मुख्य नहर प्रणाली की डाबर ब्रांच पलायथा ब्रांच, इटावा ब्रांच एवं लक्ष्मीपुरा राजवाह जिनकी लागत क्रमशः 1007, 357, 1439 एवं 301 लाख रुपये थी एवं बांयी नहर प्रणाली की बाजडरजवाह, इटावा रजवाह, कमनेरता रजवाह और पाटन रजवाह जिसकी लागत क्रमशः 274, 188, 128, 205 एवं 213 लाख रुपये थी। इस प्रकार कुल 9 स्कीम्स जिनकी लागत 41 करोड़ 12 लाख रुपये हैं, उनके प्रस्ताव जल संसाधन मन्त्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 3.8.1994 को प्रेषित किये जा चुके हैं। यह योजनाएं जल संसाधन मन्त्रालय, दिल्ली के स्तर पर विचाराधीन हैं। इसके अति रिक्त चम्बल कमाण्ड में सुचारू जल प्रवाह एवं सम्पूर्ण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु समग्र रूप से एक योजना जिसकी लागत 145 करोड़ रुपये है दिनांक 20.8.1994 को मुख्य अभियन्ता, सिचाई, जयपुर को उसे वाटर रिसोर्स कंसोलिडेशन परियोजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित की गयी है। इन प्रस्तावों पर भी विश्व बैंक अधिकारियों से मुख्य अभियन्ता स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

परन्तु यह मानना अव्यवहारिक है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में जो भी नहरों की स्थिति है उसका एकमात्र कारण आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होना ही है। वास्तव में इस समस्या के कई कारण हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं जैसे किसानों द्वारा नहरों की ड्रेन काट देने की प्रवृत्ति, जगह–जगह ओढ़ा लगा लेना, खेतों में अंधाधुंध पानी लेकर सरप्लस पानी को बिना किसी अंकुश के नालियों में बहा देना, अनधिकृत धोरों का निर्माण कर लेना या नहर और खेतों के बीच में आउटलेट पर जो पाइप लगे हैं उनको तोड़ देना और जानवरों को खुले आम नहरों में घूमने देना इत्यादि। जब तक इन समस्याओं पर समन्वित रूप से प्रहार नहीं किया जावेगा तब तक आधुनिकीकरण से पानी कम मिलने या समय पर न मिलने की समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। यही बात माह अक्टूबर, 1995 में आधुनिकीकरण के सी. ए. डी., कोटा के प्रस्तावों के संबंध में आयी वर्ल्ड बैंक टीम के अधिकारियों ने भी आधुनिकीकरण के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही थी कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की नहरी समस्याओं का समग्र रूप से देखकर ही निदान किया जाना वांछनीय होगा।

उपरोक्त टीम ने यह सहमति प्रकट की थी कि यदि पहले चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की नहरी प्रणाली के सुधार के उपायों हेतु एक फिजिबिलिटी स्टडी सीडा के मार्फत राजाड द्वारा करा ली जाए, तो उपयुक्तता के आधार पर नहरों के आधुनिकीकरण हेतु उचित धनराशि दिलाने के लिये तत्पर होंगे। प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राजाड प्रोजेक्ट में कार्यरत यू. एम. ए. कम्पनी कनाडा वर्ल्ड बैंक तथा सीडा से सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा फिजिबिलिटी स्टडी की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त एप्रोच के अनुसार ही चम्बल

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कमाण्ड, सी. ए. डी. द्वारा विगत कुछ समय से ऐसे कई अनुशासनात्मक तथा सुधारात्मक प्रयास किये गये हैं जिनसे सिंचाई व्यवस्था सुधारने में काफी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आएंगे। इनमें से कुछ प्रयास आधुनिकीकरण से भी सम्बन्ध रखते हैं। ये प्रयास मुख्यतः निम्न प्रकार हैं :–

(1) विभाग द्वारा अनधिकृत मोघो को हटवाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था एवं गत वर्ष 198 एवं इस वर्ष 200 लक्ष्यों के विपरीत 180 आउटलेट हटाये या साइज परिवर्तन किया गया।

(2) पानी की बर्बादी रोकने हेतु नहर एवं खेतों के बीच मिसिंग लिंक पाइप लगवाये गये। विगत वर्ष 181 एवं इस वर्ष 36 की उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।

(3) विशेष अभियान चलाकर नहरों से गत वर्ष 425 ओड़े हटवाये गये जिससे पानी वितरण में मदद मिली।

(4) भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत गत वर्ष 3007 हैक्टेयर एवं इस वर्ष अब तक 1500 हैक्टेयर में उपलब्धि अर्जित की गयी।

(5) शहरी क्षेत्र में दायीं मुख्य नहर को औद्योगिक मांग के कारण वर्ष भर चलाते रहने से नहर की दशा जर्जर हो चुकी है और दुर्घटना की आशंका सतत् बनी रहती थी। इस वर्ष स्थानीय उद्योगों को सहमत कर नहर में डाइफ्रामवाल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं 450 मीटर लम्बाई में डाइफ्रामवाल बना ली गयी है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। इसके दायीं नहर पर पानी की काफी बचत भी हो सकेगी।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1974-75 में भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़ाबन्दी लागू कर पानी पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। बाड़ाबन्दी हेतु कार्यक्रम बनाकर कृषकों में समयानुसार पर्चियां बंटवा दी गयीं, परन्तु कृषकों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिल पाया। इसका मूल कारण यह है कि कृषकों में अभी भी एक ही बार में पूरे खेत में पानी लेने की प्रवृत्ति है। नहरों का आधुनिकीकरण एवं बाड़ाबन्दी प्रणाली की सफलता कृषकों की भागीदारी द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। इसी दिशा में कार्य करते हुए विभाग द्वारा अरनेठा, बड़ोद एवं कवारंती माइनर पर जल प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है एवं 12 अन्य माइनरों पर समितियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। बाड़ाबन्दी मद के अन्तर्गत जो राशि व्यय की गयी है वह मुख्यतः पटवारियों, मोबाइल मजिस्ट्रेट एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर की गयी है। बाड़ाबन्दी मंद के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

कृषकों द्वारा निर्मित सिलिंग प्रकरणों के निस्तारण में आपत्तियों के किये जाने के कारण एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा में लगातार मांग उठाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा वर्ष 1988 एवं 1990 में प्राथमिकता के स्तर पर ऐसे खसरा नम्बरों की सूची तैयार की गयी, जिसमें गत कई वर्षों से नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी थी एवं भविष्य में भी उपलब्ध

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कराना सम्भव प्रतीत नहीं होता था। इस प्रकार बून्दी जिले के 77 ग्रामों का 9,777 एकड़ क्षेत्र डि-कमाण्ड घोषित किया गया। डि-कमाण्ड घोषणा से कृषकों को अन-कमाण्ड क्षेत्र को सिलिंग सम्बन्धी एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा नहरी व्यवस्था की ओर निर्भर नहीं रहकर स्वयं की सिंचाई व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ भी आसानी से मिल सकेंगे।....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी द्वारा + + + आसन के लिये कहा गया है। आसन पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता इसलिये इसको विलोपित किया जाता है।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस चम्बल के बारे में बात हो रही है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, यह आपने व्यवस्था दी है तो किसके एतराज पर दी है या ताराजी ने एतराज किया है या दूसरे माननीय सदस्य ने एतराज किया है या सुओमोटो एतराज आया है और उस वक्त जब + + +

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने अपने विवेक के अनुसार कहा है। आप विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : जिस वक्त यह + + + उस वक्त क्या स्थिति थी। अभी तो उस गला घोटने का कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री रामनारायण मीणा : अब चम्बल का गला नहीं घोटा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 5 मेजर परियोजनाएं हैं, इन्दिरा गांधी नहर, गंग नहर भाखड़ा नहर, जाखम नहर, चम्बल परियोजना, गुड़गांव नहर और माही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति किसी परियोजना की है तो चम्बल परियोजना की है। सब जगह बाड़ाबन्दी लागू नहीं है। गुड़गांवा और माही में बहुत कम रकबा है। 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर सिंचित है उसमें से माननीय मंत्री जी आप जवाब देते हैं। इस प्रश्न में जवाब में अभी इसी सत्र में आया है— हमने 95 हजार हैक्टेयर जमीन बाड़ाबन्दी कर रखी है। सबसे पहले तो आप इसकी जांच कीजिये कि किस अधिकारी ने जवाब दिया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस परियोजना को देखा है, खेतों में गये हैं, मैं मानता हूं। हम यह धन्यवाद देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इतनी देर में एक सवाल पूछा है।

श्री रामनारायण मीणा : सवाल नहीं, मान्येवर।

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरा सवाल पूछें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा पहला सवाल तो यह है कि 1974–75 से बाड़ाबन्दी चल रही है और आज की तारीख में वास्तविक रूप में एक बिसवा जमीन पर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(११२)

(श्री रामनारायण मीणा)

बाड़ाबन्दी नहीं है फिर कौन अधिकारी था जिसने इस तरह से 95 हजार के बारे में आपको बाड़ाबन्दी के लिये कहा। सबसे पहले क्या उस अधिकारी के खिलाफ आप जांच कराएंगे ?

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सवाल है कि आप सीड I के माध्यम से काम करने की बात करते हो, दूसरे माध्यम से काम करने की बात करते हो, इस परियोजना के ऊपर के खेतों में कोटा के आसपास के खेतों में कभी सीडा की बात करते हो, कभी आप जल निकास की बात करते हो लेकिन टेल क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया। टेल क्षेत्र सबसे ज्यादा दुःखी, पीड़ित और प्रताड़ित होता है जिसके लिये आपने कहा है कि 9 हजार हैक्टेयर जमीन हम निकाल रहे हैं। 9 हजार हैक्टेयर जमीन को क्या आप वापस शामिल करोगे ? चूंकि किसान का उसमें पानी जाता है। तीसरा, यह आन्दोलन का मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आन्दोलन पर है सारी जनता।

दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि टेल के किसान को एक ही पानी मिलता है। आपके जल निकास और सिंचित अधिनियम तो एक नियम है लेकिन आप व्यावहारिक दृष्टि से किसान इसकी रिपोर्ट नहीं करे, आपके कानूनगो, पटवारी या अधिकारी स्वतः ही इसकी जांच करके यदि किसी के एक पानी मिला है या उसके फसल नहीं हुई या कम हुई, तो उसको मुआवजा देने का या पिलाई माफ करने के लिये आप कार्यवाही करेंगे ? इसी के साथ, मेरा निवेदन करना यह है, मान्यवर, आप 200 किलोमीटर पर रोड बनाने की बात करते हैं। यह नहरों का सवाल हैं। नहरों की आप दुर्दशा सुधार नही सकते और आप बात करते हो ड्रेनों की। क्या आप सदन को आश्वस्त करोगे कि 200 किलोमीटर जो रोड बनाया जाएगा वह मुख्य कैनाल पर बनाया जाएगा जैसे बून्दी ब्रांच कैनाल जिसके लिये, मान्यवर, यह कन्टूर कैनाल है। एक साइड में इसमें पानी जाता है। यह सबसे ज्यादा टूटती है, सबसे ज्यादा शिकायत है, आपने जवाब दिया है कि चम्बल की नहर की है। इस नहर को, जो सबसे ज्यादा टूटती है, क्या बून्दी ब्रांच कैनाल का आधुनिकीकरण करेंगे ? जिसके लिये 5–5 साल से लड़ाई चल रही है। इसके साथ-साथ मेरा महत्वपूर्ण सवाल और है, मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष : वैसे नियमों में एक दो सवाल पूछने का ही है।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं. यह नियम वह नहीं है, साहब। यह प्रश्नकाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्रश्नकाल नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : इनके जवाब में जो मुझे दिखेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो प्रक्रिया आपने बतायी है उसके आधार पर माननीय मंत्री जी के वक्तव्य देने के बाद नियमों में एक दो प्रश्न पूछने का ही है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं किसान

113

(श्री रामनारायण मीणा)

के हित की बात कर रहा हूं, किसान के लिये सब कहते हैं इसलिये मैं भी कह रहा हूं, मान्यवर, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपने हैड रिचेज को नहीं सम्भाला है। कृपा करके आप मोगे हटाते हो क्या? पूरी जो कैनाल है उसके आधे पर आपके अधिकारी लोग टेल पर जाकर तावान लगाते हैं, कट की बात करते हैं। जहां साल में एक दफा पानी नहीं पहुंचता है। यह बारहमाही नहर है। क्या आप ऐसी नहरों की दशा सुधारेंगे ताकि टेल तक 12 महीने पानी जाता रहे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी, आप भी कोई सवाल पूछ रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हां, पूछ रहा हूं साहब।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सवाल नहीं है? माननीय मंत्री जी, आप खुद भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे इसलिये कृपा करके आप सही बात को देखें। आप सही काम करते हैं। इस मामले में भी सही ढंग से डिसीजन लें और बूंदी ब्रांच कैनाल के आधुनिकीकरण में जितना पैसा लग सकता है, आपने देखा कि 8 फीट मिट्टी उसमें पड़ी हुई है और उसको निकालने की बात कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछना चाह रहे है क्या?

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये इसकी दुर्दशा सुधारें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आवाज तो बहुत बुलन्द है।

श्री रामनारायण मीणा : आप 9 हजार बीघा जमीन को वापस सिंचित करने के लिये घोषणा करें....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय देने की कोशिश करें। ताकि जन आन्दोलन नहीं हो और इस बात के लिये जनता आपको धन्यवाद दे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल कमाण्ड एरिया की बात चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि बासमती चावल जितना बायीं मुख्य नहर और दायीं मुख्य नहर में होता है उतना राजस्थान में किसी जगह होता है? और इससे जो हिन्दुस्तान को विदेशी मुद्रा मिलती हैं इतनी मुद्रा राजस्थान में किसी दूसरी वस्तु से मिलती है? क्या यह सही है कि इसकी नहरें 1960 में जो बनी थीं और 1977 से ड्रेनें बनीं उसके बाद में उनको ठीक कराने का प्रयास किया गया और जो किया गया उसमें....(व्यवधान) एक मिनट

श्री उपाध्यक्ष : जो किया गया, आप क्यों बता रहे हैं। आप तो आगे चलें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं। 1992-93 में 47 किलोमीटर सड़क बनायी और 13 लाख 46 हजार रुपये इन्होंने ड्रेन नहर पर खर्च किया, 1993-94 में 22.0 किलोमीटर

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सड़क बनायी और 10.50 लाख रुपये ड्रेन और नहर पर खर्च किया, 1994–95 में 40.36 किलोमीटर सड़क बनायी और 24 लाख रुपये इन्होंने ड्रेन पर खर्च किया। 1995–96 के लिये एक करोड़ रुपये आपने खर्च किये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि इस वर्ष प्रशासनिक खर्चे जिसमें तनख्वाह के अतिरिक्त ड्रेन और नहर साफ करने के लिये कितना पैसा दे रहे हैं ? दूसरा, प्रत्येक सहायक अभियन्ता को मशीनें देने की आपकी योजना है या नहीं ? मेरा एक आखिरी प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, बायीं मुख्य नहर में एक लाख दो हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है जबकि 50 हजार हैक्टेयर पर एक कार्यालय खोला जाता है। क्या बूंदी जिले में जो कार्यालय है उसके साथ-साथ कापरेन में एक कार्यालय और खोला जाएगा ? इसका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी। मैं अब किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। तीन माननीय सदस्यों ने सवाल कर लिये। अब मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, मैं भी पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्षेत्र तो पूरा राजस्थान है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, चम्बल कमाण्ड का सवाल है, राजस्थान का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह मान लिया, समझ गये।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांत रह कर बोलूंगा। सन् 1974–75 में जो भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया चम्बल सिंचित क्षेत्र में, क्या वह राज्य सरकार द्वारा किया गया था और क्या उस सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो किसान खेती करते थे, जो किसानों की जमीनें आती थीं, वे जमीनें क्या गिरवी रखकर कोई ऋण प्रदान किया गया था ? पहला, दूसरा सवाल मेरा यह है कि उस सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या वह पैसा राज्य भूमि विकास निगम के द्वारा दिया गया या वह बैंकों के द्वारा उन जमीनों को सुधारने के लिए ऋण प्रदान किया गया ? यदि भूमि विकास निगम के द्वारा दिया गया है वह तो कर्जा आज की तारीख में लगभग कितना है ? तीसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि बूंदी जिले में 77 गांवों में 9,777 एकड़ भूमि को जो डि-कमाण्ड घोषित किया गया, इस डी-कमाण्ड घोषित की गयी जमीन में पानी आज तक वहां नहीं पहुंचा और पानी नहीं पहुंचा तो क्या इस जमीन से प्रभावित काश्तकारों ने आज तक भूमि पर लगान सिंचित भूमि के हिसाब से पैमेंट किया है ? कई ऐसे गांव है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि टेल क्षेत्र में केशवरायपाटन क्षेत्र के जहां तक मेरी जानकारी का सवाल

(श्री बाबूलाल वर्मा)

है ऐसे सैंकड़ों गांव हैं जहां आज आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहुंचा है।

श्री बाबूलाल वर्मा : नहीं पहुंचा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बड़ाखेड़ा और बावड़ी ऐसे गांव हैं जहां मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अनकमाण्ड घोषित नहीं हुआ है। उस एरिया में हमेशा से पानी लगता आया हैं और मैं आपकी जानकारी में ला दूं, जब श्री चंदमल जी सी. ए. डी. मिनिस्टर थे तो टेल के एक-एक बिस्वा पर पानी पहुंचा था और एक-एक बिस्वे का श्री चंदनमल जी ने दौरा किया था, मैं खुद मौजूद था। मैंने आंखों से देखा है और यह माननीय विधायक बैठे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस 10 हजार एकड़ जमीन को आप जो डी-कमाण्ड घोषित कर रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नहरों के रख-रखाव और वितरण प्रणाली में आप सुधार नहीं ला सके हैं....

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल जी आप आसन ग्रहण करें। कृपया आप बैठें। आप व्यवधान नहीं डालें बीच-बीच में।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी में है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। श्री धारीवाल जी को जानकारी है तो धारीवाल जी बता देंगे उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब मैं किसी बात को कह रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कहिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है आखरी लाइन में कि इस क्षेत्र को डी-कमाण्ड घोषित करके उस एरिये के जो भी किसान होंगे उन्हें सिचाई के साधन उपलब्ध करा देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसानों की जमीन आज तक गिरवी रखी गयी है? कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन गिरवी रखी हुई हैं और वे किसान किसी भी तरह का ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो भूमि सुधार कार्यक्रम निगम के द्वारा किये गये हैं उनसे उन काश्तकारों को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचा है, चाहे पीपल्दा तहसील हो, चाहे केशवरायपाटन क्षेत्र हो। ऐसे कई काश्तकार हैं जो कि आज तक इस तरह के सुधार कार्यक्रम से पीड़ित हैं और उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे काश्तकारों को जो कि कैचमेंट में और जो इस तरह से प्रभावित लोग हैं उनको राहत दिलाने का वह आश्वासन दें। कम से कम ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके लिये मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज ओ. एफ. डी. के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने सुधार तो करवा दिया। एक किसान के पास 10 बीघा जमीन है....

(116)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं, टू दी पाइंट बात पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नही।

श्री बाबूलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मै टू दी पाइंट बात पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजें।

श्री बाबूलाल वर्मा : उस 10 बीघा जमीन को बैंक के गिरवी रखी हुई है। वह किसान किसी भी तरह से अपने सिंचाई के साधन नहीं लगा सकता। इस चीज पर आप ध्यान दिलाने की कोशिश करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र है सारा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : नहीं बोलने देंगे तो बैठ जाऊंगा अगर इस तरह की बात है तो।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें इतनी चर्चा नहीं हो सकती।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मेरा विधान सभा क्षेत्र है सारा ही।

श्री उपाध्यक्ष : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर घंटों तक चर्चा नहीं हो सकती। आगे बहुत सा कार्यक्रम अभी है। कार्य सूची के अन्दर बहुत कार्यक्रम बाकी है....(व्यवधान) कृपया बिराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मेरे बोलने से सदन का समय खराब हो रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : +++ साहब। मुझे आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? विनम्र निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : +++ इसको एक्स-पंज किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय आप बोलिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दे पा रहा हूं, आप बिराजें। अंकित नहीं हो। माननीय मंत्री महोदय।

श्री मांगीलाल मेघवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आपका नाम भी नहीं है इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में। आप बिराज जाएं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

समय का अभाव है। आप बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री मांगीलाल मेघवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने आज्ञा दी थी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे ही जवाब दे दूं आपकी बात का।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस एरिया का यह विवाद है वहां के ये विधायक हैं। आप पुनर्विचार करने की कृपा करें। इन्हें इस पर बोलने दें आप.... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल इस काल अटेंशन में दो बातें कही गयीं हैं कि नहरों में बाड़ाबंदी में राशि का दुरुपयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि जो नहरों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है उसमें पैसा नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछूंगा जैसा जवाब में कहा गया है कि जब से 1961-62 से नहरें चालू की गयीं, पानी चालू किया गया तब 21 पर्सेंट खरीफ और 55 पर्सेंट रबी की, कुल 76 पर्सेंट पानी पिलाने की नहरों की क्षमता थी। जवाब दिया गया है कि आज 118 पर्सेंट पानी पिलाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा वे मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दें-118 पर्सेंट कौन-कौन से हैड और टेल पर, किस अनुपात से, डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर में क्या यह अनुपात 118 पर्सेंट का चालू किया जा रहा है? जबकि इस हैड पर पानी दिया जा रहा है और टेल सूखा हुआ है। वहां 5 पर्सेंट भी नहीं पिलाई जा रही है। ऊपर ज्यादा पानी पिलाया जा रहा है। इसका जवाब दिलाया जाए।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें 1974 से बाड़ाबंदी लागू की गयी। 12 वर्ष तक सही पानी दिया गया। वहां अवरोध पैदा हुआ, किसानों को पानी नहीं मिला। बाड़ाबंदी 1974 से लागू की गयी, 1974 से बाड़ाबंदी लागू की गयी और उसके तहत पैसा खर्च किया गया। मैंने गत विधान सभा सेशन में एक प्रश्न पूछा था कि कब से लागू की गयी थी? कहा गया कि 1974-75 से। मैंने आगे पूछा था कि 1993-94, 1994-95, और 1995-96 में कितना-कितना पैसा बाड़ाबन्दी में खर्च किया गया? जवाब दिया गया 1992-93 में 42 लाख....

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल क्या है? सवाल कीजिये, सवाल। आप प्रश्न कीजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : हां, तो मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा इतिहास मत बताइये। आप प्रश्न कीजिये, सवाल पूछिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं यही पूछ रहा हूं कि इतना बाड़ाबंदी में पैसा खर्च

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करने के बाद यह आ रहा है कि केवल पटवारियों को पर्ची बांटी गयी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं। ये 6 कारण बता दिये गये कि नहरों को काट कर ड्रेनों में पानी बहा देते हैं, ओड़ा लगा देते हैं, जमीन में ज्यादा पानी पिलाकर नालियों में बहा देते हैं, अनधिकृत ओड़े लगा रखे हैं, नहरों और खेतों के बीच आउट लैट किसानों ने तोड़ दिये हैं, जानवरों को पानी पिला रहे हैं। जब हर वर्ष 50–50 लाख रुपया खर्च करके पटवारी और मोबाइल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं, तो इनकी क्या ड्यूटी थी ? कैसे ओड़ा लगा रहे थे किसान ? 48 लाख रुपया साल में खर्च करके केवल आपने पटवारियों को आफिस में बैठाये रखा, मोबाइल मजिस्ट्रेट एअर कंडीशन में बैठे रहे और किसान ओड़े लगाते रहे, नहर पर, जानवर चरते रहे और बाड़ाबंदी के नाम से केवल आफिसों में बैठकर काम किया गया। क्यों नहीं उनको पाबंद किया गया ? मंत्री महोदय, यह जो 1974 से अब तक पैसा खर्च किया गया, मेरा आरोप है कि इसकी जांच करवाई जाए और मैं चाहूंगा कि इस पवित्र सदन के माननीय सदस्यों को वहां जांच के लिये उस क्षेत्र में भेजा जाए। मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय का, उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है और दौरा करने के बाद जो स्थिति सामने आयी है, पैसा सरकार का खर्च हो रहा है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। भाषण नहीं होगा। इस पर भाषण नहीं होगा। आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिये। आप बिराजें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : तो बाड़ाबंदी के नाम पर जो पैसा लिया गया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपने काफी सवाल पूछ लिये, काफी पूछ लिया।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राइट मैन कैनाल पर पिछले वर्षों में जितने एकड़ की सिंचाई होती थी उतनी इस वर्ष क्यों नहीं हुई ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है और किसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे ? एक तो यह बताएं। दूसरी बात, आर.एम.सी. में मिट्टी की खुदाई के नाम पर 20 वर्ग दिये जाते हैं 50–50 हजार के, 10–10 हजार के, 20–20 हजार के, उसमें कम्पलीट फर्जीवाड़ा होता है। अभी बरसात भी नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसकी अभी जांच करवा सकते हैं, इसमें कम्पलीट फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरे पास जानकारी है। मंत्री महोदय उसकी जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री रामकिशन वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : एक ही सवाल बतायें आप।

श्री रामकिशन वर्मा : एक ही होगा साहब। लैफ्ट मैन कैनाल के अंदर जब उसका नक्शा बना होगा, जब इसकी डिजाइन बनी होगी, पानी की क्षमता का पता लगा होगा, तभी कहीं जाकर के 2 लाख 53 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई का अनुमान लगाकर नहर को चालू किया गया। अब बार–बार हम लोग डी–कमाण्ड की बात करते हैं, पानी नहीं जाता। सच्चाई तो यह है कि नहरों का रख–रखाव ठीक नहीं होने से ज्यादातर पानी सीपेज के माध्यम से बह जाता है, जिससे वो टेल पर नहीं पहुंचता। काश्तकार के उपयोग में नहीं आता और हम बहाना कुछ भी लगा लें, तो माननीय मंत्री महोदय, ज्यादा से ज्यादा पैसे की व्यवस्था करें, ताकि नहरों का आधुनीकीकरण कराके उसका लाभ किसानों को हो और उसका उपयोग हो सके।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राइट-मैन कैनाल और लैफ्ट-मैन कैनाल में बजट के अभाव में नहरों की दुर्दशा है। वहां अन्तिम छोर के इलाके में पानी नहीं पहुंचता है। क्या इन नहरों की मरम्मत करके अन्तिम छोर पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे? 77 गांव जिसमें 9777 हैक्टेयर बीघा जमीन, डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण अनकमाण्ड घोषित की गयी है, क्या उसको वापस कमाण्ड में लिया जाएगा? एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, बाड़ाबंदी के नाम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उस बाड़ाबंदी में कितना काम हुआ है। इसकी जांच करवाकर क्या बाड़ाबंदी सिस्टम को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से लागू किया जाएगा?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायकों ने इस चम्बल परियोजना के प्रायः सभी क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछे हैं। सी. ए. डी. मंत्री होने के नाते जब मैंने पहली बार चम्बल परियोजना क्षेत्र का दौरा किया था तो वास्तव में एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हमको मिली। क्योंकि हम भी ऐसे क्षेत्र से आने वाले हैं, जहां आई. जी. एन. पी., गंग कैनाल और भाखड़ा, तीनों नहरों का संगम है। लेकिन वहां चम्बल में हमने स्थिति देखी तो वहां बिलकुल विपरीत परिस्थिति है, चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हैं। यहां जो मौजूदा माननीय विधायक बैठे हैं, कम से कम वे तो इस बात को समझते हैं। क्योंकि शुरू से ही इस बात के कभी प्रयास नहीं किये गये कि कैनाल को चैनेलाइज किया जाए, बाड़ाबंदी लागू की जाए, इसका कैसे रख–रखाव किया जाए। ये सारे के सारे कार्यक्रम, सरकार को और हम लोगों को प्रथम दृष्टया लेने चाहिये थे, नहीं ले पाये और नहरों की स्थिति आगे से आगे बिगड़ती गयी।

जहां तक श्री मांगीलालजी ने अभी बाड़ाबंदी की बात कही है, तो बाड़ाबन्दी की बात कम से कम चम्बल क्षेत्र में तो निश्चित रूप से लागू नहीं है। चाहे हमारे अधिकारी इन आंकड़ों को कहीं भी बढ़ा कर ले जाएं। वास्तव में बाड़ाबंदी लागू नहीं है। पिछले दो साल से हमने प्रयास भी किये हैं लेकिन बाड़ाबंदी आगे नहीं बढ़ी। जैसे अभी माननीय श्री रामनारायणजी ने बात कही, अगर इस प्रकार से कोई गलत आंकड़े दिये गये हैं तो

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बीच में नहीं। बाद में पूछें आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : दूसरी बातें, जो मुख्य रूप से उठी हैं। वह हमारे आधुनिकीकरण की है। अब हमारे मुख्य मंत्रीजी भी चिन्तित हैं हमारा विभाग भी चिन्तित है और हम भी चिन्तित हैं कि ऐसी बढ़िया धरती पर ऐसा प्रोजेक्ट और जो नहर आयी, उस नहर का कैसे रख-रखाव किया जाए, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिये एक मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। इसके लिये हम लोगों ने आधुनिकीकरण की कुछ योजनाएं बनायी हैं। वाटर रिसोर्सेज रिकंसिडरेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत हमने करीबन 145 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है और योजना तैयार करके, इस बात का हमारा प्रयास है कि इस आधुनिकीकरण योजना को जल्दी से जल्दी मंजूर किया जाय। मेरे मंत्री-काल में, अगस्त 1994 में हमने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। उसके बाद हमारी सरकार और वर्ल्ड बैंक भी इस बात के लिये सहमत है कि आधुनिकीकरण का काम हो लेकिन आधुनिकीकरण का जो नहर का इंजीनियरिंग वर्क है, उसके साथ-साथ हमें नोन-इंजीनियरिंग वर्क को भी साथ लेना होगा। इसके लिये हमने पिछली 19 तारीख को हमारे सी.ए.डी. सचिव और राजस्थान कैनाल बोर्ड के चेयरमैन को भी वहां भेजा। उन्होंने हमारे इंजीनियर्स और कृषि अधिकारियों से बातचीत की। हम इस बात के लिये एक एप्रोच पेपर तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस नहर के आधुनिकीकरण के साथ-साथ, हमारी जो समस्याएं हैं चाहे बाड़ाबंदी की हैं, चाहे टेल पर पानी पहुंचाने की है, और जो भी अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। इस प्रकार से समग्र रूप से इस योजना को हम लागू करना चाहते हैं।

जहां तक हमारी अन्य समस्याओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से वहां पिछले साल से इस बात की मांग उठती जा रही है कि वास्तव में जो ढांचा है, उसके हिसाब से हमारे डिवीजन खुलें, सब-डिवीजन खुलें। इस बात के लिये हमारे निश्चित रूप से प्रयास हैं और प्रयास रहेंगे कि संगठन को वहां और ज्यादा स्ट्रेंथन दिया जाए। पिछले साल हमने करीबन 6 करोड़ रुपये तो रख-रखाव की मद में से और करीबन 4 करोड़ 24 लाख, हमने हमारी योजना मद से वहां पर नहर पर, सफाई में, मशीनों में खर्च किये। लेकिन इससे भी कोई विशेष हल होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने खुद जितनी ड्रेनेज देखीं, अभी जैसा रामनारायणजी बता रहे थे, बूंदी मैन ब्रांच की बात, अभी हमने देखा कि उससे कोई विशेष हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी योजना उसे कोई दीर्घकालीन मजबूती दे पाये, ऐसी योजना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयास हैं कि इन सब कामों को विशेष रूप से देखें।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

अन्त में, मैं आप सब माननीय विधायक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बाड़ाबंदी की बात करते हैं, टेल पर पानी पहुंचाने की बात करते हैं। टेल के ऊपर पानी कैसे पहुंचेगा, जब पहला काश्तकार पूरे खेत को भरने के बाद आगे पानी देता है। इसके लिये निश्चित रूप से हमारा जन-सहयोग बहुत आवश्यक है। हमारे जन-प्रतिनिधि, जिस प्रकार की बात आज यहां कहते हैं, उस प्रकार की बातें गांव में जाकर के कहें कि पानी का सही उपयोग करें, आखिरी टेल तक पानी को पहुंचने दें जिससे हर काश्तकार उसका फायदा उठाये। इसके लिये हमारी कुछ समितियां भी बनी हैं। हमने फैसला किया है कि हमारी जो जन समितियां बनेंगी, सारा का सारा काम हम उनके द्वारा कराएंगे। बाड़ाबंदी का काम भी हम उनको सौंपना चाहते हैं। तीन माइनर्स पर इस प्रकार की चक समितियां बनी हैं। 12 और समितियों का हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। जो तीन चक समितियां बनी हैं, उनको हमने 40 लाख रुपये का विशेष अनुदान इस बात के लिये दिया है कि उस क्षेत्र में वे काम कर पायें। और भी इन्फास्ट्रक्चर तैयार करने के लिये, जो नयी समितियां गठित की हैं, उनके लिये हम दो करोड़ रुपये और स्वीकृत करने जा रहे हैं।

इस प्रकार से हम यह महसूस करते हैं कि हमारे चम्बल प्रोजेक्ट में जब तक जन भागीदारी नहीं आएगी, चाहे जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे काश्तकार हैं उसके अन्दर सम्मिलित नहीं होंगे, चाहे आधुनिकीकरण का कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन वह वास्तव में उस स्थिति पर नहीं पहुंच सकती है, जिस स्थिति में आज हमारी भाखड़ा और गंग-कैनाल हैं। इसके लिये सब तरफ से प्रयास होने जरूरी हैं। सरकार की तरफ से, हमारे इस प्रोजेक्ट की जो भी योजनाएं हैं, हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से टीम वहां आये। जल्दी से जल्दी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण की जो योजनाएं हैं वे मंजूर हों और उस इलाके में हमारे काश्तकार ज्यादा से ज्यादा उस पानी का सदुपयोग कर सकें। आर. एल. डी. सी. का जो पुराना पैसा है, उस पैसे के बारे में भी यहां जिक्र किया गया। उस पैसे का भुगतान तो नहीं हुआ लेकिन उस पर निश्चित रूप से एक रोक मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण से लगायी है। इससे वसूली तो निश्चित रूप से बन्द हुई है लेकिन काश्तकारों को सही मायने में फायदा नहीं मिल पा रहा है। काश्तकारों को उसी दिन फायदा होगा जब सरकार या कोई भी एजेंसी हमारी बैंकों में उसका भुगतान करे। इसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमने जो बात कही है, उस बात को व्यावहरिक बनाने के लिये, हमें किसी भी मद से, चाहे कैसे भी करें, उन काश्तकारों के खाते साफ होंगे, तभी काश्तकारों को अन्य योजनाओं के जरिये कर्जा मिल सकेगा, काश्तकार उसमें भागीदार बन सकेंगे।

अन्य दो-तीन बातें जो अन्य माननीय विधायकों ने कही हैं। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें सहयोग करें। हमारा चम्बल का प्रोजेक्ट है, हमारी इस योजना का कैसे ज्यादा से ज्यादा

(122)

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

आधुनिकीकरण करके सुधार किया जाए, इसके लिये सबका प्रयास आवश्यक है। डी कमाण्ड का मामला अभी माननीय विधायकों ने उठाया। वास्तव में कमाण्ड, डी-कमाण्ड का मामला, 1988-90 में कलक्टर के द्वारा, रेवेन्यू और कोलोनाइ-जेशन डिपार्टमेंट के इंसेंटिव पर विभाग द्वारा प्रस्ताव मंगाये गये थे कि वास्तव में उसका पानी लगता है कि नहीं लगता है। उस समय हमारे विभाग ने इस बात की रिपोर्ट दी कि कोई सूखी पुरानी नदी हो, उसके आस-पास का ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कलक्टर का क्या लेना-देना है उसमें... (व्यवधान) सिंचाई विभाग से ? ....(व्यवधान) कलक्टर का क्या लेना-देना है ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आप इसको उठायें, सर।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उसको एप्रूव करो (व्यवधान) उस केशवरायपाटन को डी-कमाण्ड कर दिया है। .. (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जो कमाण्ड, डी-कमाण्ड का मामला है, वहां से प्रस्ताव आये हैं, उसके बाद पिछले साल उसको डी-कमाण्ड घोषित किया गया। अब प्राय: जैसी आप सभी विधायकों की राय है, उस राय के अनुसार तो यह बात स्पष्ट नजर आती है कि उस एरिये को डी-कमाण्ड घोषित नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि जनता में जवाबदेह आखिर आप विधायक हैं, आप जन-प्रतिनिधि हैं, कल श्री कौशल साहब से भी मेरी बातचीत हुई थी। इस-लिये जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं को देखते हुए मैं इसको रि-ओपन करूंगा और इस बात की भी व्यवस्था....(व्यवधान) करूंगा जिससे काश्तकार उसका फायदा उठा सकें, काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र में फायदा मिल सके।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नहरों में काफी पानी है। आप कम क्यों करते हैं ? नहरों में पानी को बहुत है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो सवाल पूछने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारे सवालों के जवाब आ गये हैं। रि-ओपन कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के संदर्भ में दो सवाल मुझे पूछने हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, मेरे बायीं मुख्य नहर का मामला है। इसमें हमने जो प्रश्न पूछे हैं.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय मंत्री महोदय से, नम्बर वन, एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पजेशन की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उसका जवाब नहीं आया है। मैंने तीन प्रश्न पूछे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावनाओं के अनुसार रि-ओपन कर दिया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नहीं, साहब, भावनाएं वहां नहीं चलेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी भावनाओं को समाहित कर लिया है इन्होंने ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है । क्या यह सही है कि सीडा के माध्यम से पंचवर्षीय योजना बना कर 143 करोड़ रुपये कनाडा सरकार अनुदान दे रही है, वह खर्च किया जा रहा है और उसी के साथ सात करोड़ रुपये राज्य सरकार भी उसमें देगी ? 150 करोड़ रुपये देने के बावजूद पानी ड्रेन के माध्यम से निकलता था, वह भी नहीं निकल पा रहा है । इन 150 करोड़ रुपये से अगर यह पक्की नहरें बन जाए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस समय अगर-मगर मत करिये । वैसे आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है । आप बिराजिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : वरना फालतू जा रहा है अभी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह पैसा फालतू जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह पैसा फालतू जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूं ?

श्री विष्णु मोदी : नहीं साहब, एक सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप बिराजिये । आपने सवाल पूछ लिये । (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसकी जांच करवायें । 150 करोड़ रुपया केवल पच्चीस हजार हैक्टेयर के लिये खर्च हो रहा है और दो लाख इक्कीस हजार हैक्टेयर का प्रोजेक्ट, एक करोड़ रुपये के लिये तरस रहे हैं हम । यह विषमता है ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अधिकारी केवल अपने हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं, यह गलत योजनाएं हैं ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसकी जांच करवाये वहां । 150 करोड़ रुपये पच्चीस हजार हैक्टेयर की... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समझ में आ गया ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : पर लग रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : समझ में आ गया, उसको बार-बार मत दोहराइये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : और एक करोड़ के लिये तरस रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ...

श्री मांगीलाल मेघवाल : (व्यवधान) खोलने वाला नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे को थोड़े ही बोलने देंगे फिर वह ।

श्री विष्णु मोदी : मैं मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जो....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी पूछ रहे हैं। उनका सवाल था, पहले वे पूछेंगे।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट। पहले वे पूछ लें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो उसका आप जवाब नहीं दे पाये, माननीय मंत्रीजी, बूंदी ब्रांच कैनाल के आधुनिकीकरण को शामिल करने के बारे में क्या कर रहे हैं? तारांकित प्रश्न संख्या 38 सिंचाई, आइटम नम्बर 194, दिनांक 8.7.1996 को यहां लगा है। आपने 95000 हैक्टेयर बाड़ाबंदी बतायी है और आप कहते हैं कि एक बिस्वा नहीं है, इसके बारे में कब जांच करवा रहे हैं? किस अधिकारी के द्वारा कर रहे हैं या सदन की कमेटी बैठा रहे हैं? और चार करोड़ रुपये आपके बाड़ाबंदी में 1974 से अभी तक खर्च हुए हैं। उन चार करोड़ रुपये का हिसाब किससे मांग रहे हैं? जबकि एक बिस्वा भूमि में बाड़ाबंदी नहीं है। यह बातें बहुत जरूरी हैं, आप बतायें?

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि हर साल इन नहरों के रख-रखाव पर कितना पैसा खर्च होता है और उससे रेवेन्यू जो इरिगेशन की होती है, उस वाटर से जो इरिगेशन करते है, उससे इरिगेशन चार्जेज कितने होते हैं? क्या यह सरकार इस बात का विचार रखती है कि आगामी आने वाले सालों में, क्योंकि यह समस्या हर जगह खड़ी होगी, जो परिसम्पत्तियां बनती जा रही हैं लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : आगे बढ़िये।

श्री विष्णु मोदी : वे मेनटेन नहीं हो पाएंगी, तो क्या हर साल के रख-रखाव और मेंटिनेंस का जितना खर्चा है वह इरिगेशन चार्जेज से वसूल किया जाएगा? नम्बर वन।

नम्बर दो, यह राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप फ्लो सिस्टम को बन्द करके कोई और अल्टरनेटिव सिस्टम, आप इजरायल जाकर के आये हैं, इजरायल में फ्लो सिस्टम कहीं नहीं है, तो क्या राज्य सरकार इस बात का विचार रखती है कि आगामी आने वाले साल में फ्लो सिस्टम के अलावा कोई दूसरा सिस्टम डवलप करेगी? और तीसरा, जो मोबाइल मजिस्ट्रेट की पहले जो व्यवस्था थी, वह क्या चालू रहेगी या नहीं?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री रामनारायणजी ने कहा कि बाड़ाबंदी के मामले में, वह तो मैंने अभी कहा कि तथ्य सही नहीं है और इसकी निश्चित रूप से जांच करायी जाएगी और उसमें अब के विधायकों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा।

दूसरी बात, जो बूंदी मैन कैनाल की कही है, तो मैंने खुद ने उसको देखा है और हम निश्चित रूप से जो हमारी ब्रांचें ज्यादा खराब हैं उनको प्राथमिकता पर लेंगे और उनका आधुनिकीकरण में उनका जल्दी काम शुरू कराएंगे। श्री ओमप्रकाश जी ने कहा

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कि हमारा सीडा का जो अनुदान है, उसमें कोई हमारी, भारत सरकार की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसीलिये वे विशेष क्षेत्र में राजाडे के द्वारा जो भी ड्रेनेज का है, जहां सीपेज का है वह पानी के रिसाव को रोकने का काम कर रहे हैं। वह इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन एक मुख्य, विशेष भाग का वे अपना, कनाडा के सहयोग से काम हो रहा है। दूसरी जो हमारी....

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सात करोड़ तो यहां है, राजस्थान का।

श्री मांगीलाल मेघवाल : साहब, यदि नहरें ठीक नहीं होंगी, आपने बढ़िया कांच की तरह प्लाट कर रखा है, वहां पर पानी आएगा नहीं तो आप करोगे क्या ? और देही के पास नहरें फूटी हैं। सारे सदस्य हाड़ौती के जानते हैं। देही तो कोटा से सात किलोमीटर है। अगर आप केवल.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुनें। माननीय मंत्रीजी को सुनें आप।

श्री मांगीलाल मेघवाल : किसी टी.बी. के मरीज को यह कहो कि खूब शराब पी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या पता वे आपकी बात कह जायं। आप विराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : तो ड्रेनों, मूल नहरें ठीक कर देंगे तो ड्रेन की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय मंत्रीजी, विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी, विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : जवाब तो दिलवा दें।

आय-व्ययक 1996-97
अनुदान की मांग

मांग संख्या-42 उद्योग की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक (बजट) 1996–97, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार। श्री हरिशंकर भामड़ा, उप मुख्य मंत्री मांग संख्या–42–उद्योग एवं श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, मांग संख्या–43–खनिज विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा(उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,79,85,000/– (रुपये एक अरब, छत्तीस करोड़, उनयासी लाख, पिच्चासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या-43 खनिज की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,69,45,000/– (रुपये बयालीस करोड़, उनहत्तर लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :

1. राजसमन्द के देवगढ़ नगर में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. उद्योगों हेतु किसानों की उपजाऊ भूमि अवाप्त न कर, अनुपजाऊ भूमि पर ही उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

3. सिरोही जिले में चल रहे उद्योगों एवं नये स्थापित उद्योगों में जिले के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. सिरोही एवं शिवगंज में ग्रेनाइट की टाइल्स बनाने की फैक्ट्रियां निरन्तर बन्द होने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

5. सिरोही मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र को समृद्ध बनाकर, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

6. बून्दी में नये उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

7. खण्डेला जिला सीकर में सलेदीपुरा में खाद का कारखाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. खण्डेला जिला सीकर में गोटा उद्योग को ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :

9. धौलपुर जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर):

10. उद्योग स्थापित करने वालों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. राजस्थान के उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) :

12. गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्र का समुचित विकास तथा विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

13. भीलवाड़ा में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं पर सर्वेक्षण एवं ग्रामोद्योग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के व्यापक विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

14. जनजाति क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से उद्योग नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. जनजाति क्षेत्र में उद्योग नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

16. सीमेंट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

17. भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक भूमि पर बिना सरकारी स्वीकृति के कॉमर्शियल काम्पलेक्स बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत औद्योगिक ग्रोथ सेंटर को चालू कराने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

19. उद्यमियों को भूमि आबंटन में हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

20. बेरोजगारी के निराकरण हेतु बून्दी जिले में सीमेंट, चीनी एवं अन्य कृषि पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल को दूषित पर्यावरण के सुधार हेतु विभाग द्वारा विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के निराकरण हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग एवं लघु उद्योगों का प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. केशवरायपाटन स्थित सहकारी शुगर मिल में अनुसूचित जाति, जन जाति का आरक्षित कोटा पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. लाखेरी (बून्दी) ए.सी.सी. कम्पनी में अनुसूचित जाति, जन जाति का आरक्षित कोटा पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

25. देश में तुलनात्मक दृष्टि से राज्य के उद्योगों में निवेश न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. राज्य में औद्योगिकीकरण के लिये कृषि भूमि अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को

(श्री जगदीप धनखड़)

शहरों से दूर करने हेतु योजनाबद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) :

28. माण्डलगढ़ में सीमेंट कारखाना लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

29. इटावा कोटा के इण्डस्ट्रीयल एरिया हेतु जमीन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

30. उद्योग मेले का आयोजन करने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. विदेशी निवेशकों को प्रदेश में पूंजी विनियोजन हेतु आकर्षित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

32. आर. एफ. सी. द्वारा प्रदेश के अन्दर रूग्ण उद्योगों की पुरस्थापना हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. रीको द्वारा प्रदेश के रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित किये जाने की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

34. कुशलगढ़ क्षेत्र में उद्योग लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

35. बांसवाड़ा जिले में दाल मिल, आटा मिल लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

36. बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम माचा मोलन व चीतोड़ा में मेटेरीयल उपलब्ध होने पर भी सीमेंट व पाउडर फैक्ट्री लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

37. राज्य में उद्योगों के रूग्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

38. इन्फास्ट्रक्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

39. बीकानेर की चीनी मिट्टी पर आधारित इकाईयों को आडिट आक्षेप के आधार पर उद्योग की श्रेणी में न मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

40. रीको द्वारा खारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों को प्रति मीटर दर लागत से अधिक वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रूपाराम (सकराना) :

41. उद्योग स्थापित करने हेतु लीज की प्रक्रिया में सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

42. रूग्ण उद्योगों में विभाग की हिस्सा पूंजी होने पर भी उन्हें पुनर्जीवित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

43. टोंक रोड स्थित जयपुर ग्लास एण्ड पोटरी कम्पनी द्वारा उनको आवंटित भूमि का दुरुपयोग किये जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. लाडनूं व चूरू की ऊन मिलों को बेचने की ऊंची बोली को स्वीकार नहीं करने के कारण हो रहे भयंकर घाटे के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन में अनियमितता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

47. औद्योगिक भूमि पर निर्माण किये गये आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48 राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋण की वसूली न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. सवाईमाधोपुर जिले को समस्त रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर को पुनः प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. सवाईमाधोपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कर जिले में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

52. राजस्थान वित्त निगम द्वारा घटिया किस्म की मशीनरी उपकरण विक्रय करने पर विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

53. खण्डार एवं चौथ का बरवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहरों से बाहर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

56. चाकसू एवं फागी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

57. उद्योग विभाग द्वारा बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में ई. एस. आई, अस्पतालों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. खारा औद्योगिक क्षेत्र में नयी यूनिट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. बीकानेर में उद्योग विभाग से पंजीकृत चीनी मिट्टी की इकाई को उत्पादन इकाई न मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

60. नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अनुसूचित जन जाति का कोटा एवं इन व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. जनजाति आयोजना क्षेत्र में जनजाति के लोगों को रोजगार देने के लिये विशेष छूट देते हुए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

62. जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को लघु उद्योगों की स्थापना में विशेष प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार दिलाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

63. जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्तमान में चल रही औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की आवश्यकता को देखते हुए आई. टी. आई. में प्रशिक्षण कोर्स चलाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

64. अजमेर के ग्राम पिपलाज को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. विजयनगर (अजमेर) के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

66. टोंक जिले में प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को लाभान्वित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

67. विभाग द्वारा जिला अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी शहर से बाहर निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. विभाग द्वारा जिला अलवर की तहसील तिजारा की कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये अवाप्त किये जाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

69. विभाग द्वारा उद्योगों की स्थापना में प्रदूषण रोके जाने की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

70. देहली से निष्कासित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को राजस्थान में स्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) :

71. भीलवाड़ा में एक्सपोर्ट जोन प्रोसेस खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से प्रभावशाली तरीके से राज्य का पक्ष रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. नवीन उद्योगों को अन्य राज्यों के समकक्ष सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. गत वर्ष लगी हुई फैक्ट्रियों को अभी तक सब्सिडी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनमोहन (खैरथल) :

74. अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु कृषि भूमि को अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

75. दिल्ली की प्रदूषित इकाइयों को अलवर जिले में स्थापित करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

76. अलवर में लग रहे शराब उद्योग को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. विभाग द्वारा उद्योगों को प्रदूषित पानी को अन्यत्र डलवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

79. माखुपुरा (अजमेर)–परवतपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में बारानी भूमि के स्थान पर चाही भूमि अवाप्त करने से किसानों को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

80. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के गांव रामसर में गोटा-किनारी लघु उद्योग को पूरे समय बिजली उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. किशनगढ़ बाई-पास पर मार्बल उद्योग से हो रहे प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

82. विभाग द्वारा नसीराबाद के निकट बैंजा ग्राम में मिनी उद्योग केन्द्र की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. नसीराबाद व उसके आसपास टेनेरी उद्योग को विपुल सम्भावनाओं के बावजूद भी विभाग द्वारा दोहन की समुचित व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली):

84. कोटा जिले में नये उद्योगों को लगाने में उद्योग विभाग व प्रशासन द्वारा पहल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

85. कोटा में बन्द पड़े उद्योगों को चालू कराने में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं (2) **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) :

86. राज्य के प्रत्येक जिले का स्थानीय सर्वे कराकर स्थानीय उद्योग खोले जाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

87. बांसवाड़ा जिला मुख्यालय में 1980 से पूर्व स्थापित उद्योग रीको के अन्तर्गत सम्मिलित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री फूल चन्द (सलूम्बर) :

88. विभाग द्वारा उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर औद्योगिकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) :

89. सिकराय विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

90. विभाग द्वारा बन्द औद्योगिक इकाइयों को अन्य व्यक्तियों को बेचे जाने के बजाय पूर्व मालिकों को ही आर्थिक मदद देकर पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

91. वन विण्डो सिस्टम से सभी प्रकार के उद्योगों को पानी व बिजली उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. विभाग द्वारा जयपुर नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सुविधा मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

1. सिणेर तहसील सिवाना में सरकार द्वारा दी गयी खान तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. बूंदी जिले में 100 × 200 मीटर के स्थान पर 60 × 100 की लीज आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

3. धौलपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूल किये जाने से हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

4. धौलपुर जिले में खनन ठेकेदारों को विभाग द्वारा सहयोग नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर):

5. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम में व्याप्त अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के उपरांत दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

6. खनिज विभाग में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

7. राजस्थान में खनिज के व्यापक सर्वेक्षण में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

8. जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध खनिज का सर्वे कराकर खनिज पट्टे दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. जनजाति क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. जनजाति क्षेत्रों में खनिज पट्टे जनजाति समुदाय के लिये 50% आरक्षित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

11. विभाग द्वारा खनिजों पर मनमानी रॉयल्टी लगाये जाने एवं उसकी वसूली में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

12. जालौर जिले में स्थित खाम्बी की पहाड़ी से खनन को विकसित करने के लिए डामर की पक्की सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

13. खनिज के अवैध खनन से राज्य को राजस्व आय की हानि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

14. खनिज विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.80 के अनुसार क्रियान्विति आदेश लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15 भीलवाड़ा जिले की तहसील माण्डलगढ़ के उपरपाल क्षेत्र की शिकारगाह एवं नया नगर की खनन क्षेत्र की भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ गलत आबंटन करने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये ।

16. खनिज विभाग द्वारा राजसमन्द खनिज अभियन्ताओं के क्षेत्रों में लगे हुए छोटे व्हीलकटर्स पर लगायी गयी रॉयल्टी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

17. नई खनिज नीति के तहत मारबल की खानों के आबंटन के लिये निर्धारित की गयी प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

134

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

18. खनिज पट्टाधारियों में विभाग की बकाया राशि वसूली में शिथिलता बरते जानें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।'

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

19. केशवरायपाटन क्षेत्र के भाड़ला (पापड़ी ग्राम पंचायत) गांव के पास मेज नदी से रेती का अवैध खनन होने से विभाग को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

20. केशवरायपाटन के कापरेन नगर से टाकरवाड़ा, पीपल्दा तक अथाह पत्थर व रेती क्वेरी होने के बावजूद भी सड़क न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. खनिज विभाग में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. केशवरायपाटन स्थित चम्बल नदी से पीपल्दा; टाकरावाड़ा क्षेत्र से चोरी छुपे पत्थर व रेती ले जाने की स्थिति को विभाग द्वारा न रोकने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. बूंदी जिले में खनिज क्षेत्र में सड़क, पीने का पानी,, विद्युत आदि का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

24. लिग्नाइट खनन के विकास पर रकारी उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लियें।

25. खनन कार्यों पर सरकारी रियायतों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) :

26. खनिज विभाग द्वारा 16.12 80 के आदेश को पुनः लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

27. कई खनिज क्षेत्रों में पलस्टर में खाने बनने से बिगड़ते पर्यावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर) :

28. खनिज विभाग की मिलीभगत से रॉयल्टी की चोरी से हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. अवैधानिक खनिज कार्य से सरकार को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. कोटा स्टोन के खनन मलवे तथा पॉलिश किये गये पत्थर के पाउडर को राष्ट्रीय राज मार्ग (12) सड़क के सहारे डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

31. खनिज पट्टाधारियों की कठिनाइयों का निराकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

32. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में **अनुसूचित जाति/जनजातियों के परिवार**

(श्री फतेह सिंह)

को खनिज पट्टे नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

33. राज्य में खनिजों के समुचित व सुव्यवस्थित दोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रूपाराम (मकराना) :

34. मकराना मार्बल की खानों का खनन कार्य करने के लिये उपयोग में आने वाली बारूद को प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

35. खनिज ठेकेदारों की लीज समाप्त हो जाने पर खनिजों को पुनः ठेकेदारों को लीज पर न देकर खनिज मजदूरों को खानें आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. खनिज उद्योगों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. खानें आबंटित करते समय एक ही परिवार को एक यूनिट मानते हुये खान आबंटन एवं एक परिवार में एक से अधिक आवंटित खानों को निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

38. सवाईमाधोपुर जिले में अनाधिकृत रूप से खानों में खनन कार्य कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

39. राजसमन्द में अवैध खनन कार्य को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) :

40. जिला सवाईमाधोपुर में मजदूरों व किसानों को घरेलू कार्य के लिए पत्थर लाने पर रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को खनिज व्यवसाय में आरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

42. वन क्षेत्रों में अवैध खनन से राजस्व आय एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

43. खनिजों के अन्धाधुन्ध दोहन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

44. खनिज उद्योगों से निकलने वाले अनुपयोगी सामग्री से पर्यावरण, कृषि भूमि एवं जल स्त्रोतों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

45. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थानीय उत्पादित खनिजों (मार्बल एवं लाइम स्टोन) में अनुसूचित जनजाति हेतु लीज आवंटन में कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. खनिज मालिकों द्वारा खनन के बाद खुदी हुई खदानों से होने वाली दुर्घट-

(श्री महावीर भगोरा)

नाम्रों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) :

47. ब्यावर तहसील के मसूदा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन कार्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

48. टोंक जिले में खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

49. जिला अलवर की बन्द पड़ी हुई खानों का कार्य शुरू कराने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

50. उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में खनिज विभाग से निर्धारित रॉयल्टी दरों से अधिक दर से ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी की वसूली वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये ।

51. खनिज विभाग द्वारा उदयपुर-वाटी तहसील क्षेत्र में किशोरपुरा गांव की सरहद में लाइम स्टोन की नियम विरुद्ध खनन अलॉटमेंट पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) :

52. खनन पट्टे माण्डलगढ़, बिजौलिया क्षेत्र में नयी समितियों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

53. नई खनिज नीति के अनुरूप खान मालिकों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

54. विभाग द्वारा अजमेर जिले में उपलब्ध खनिजों के दोहन किये जाने हेतु आवश्यक सुविधा मुहैया न कराने पर चर्चा के लिये ।

55. नसीराबाद के आसपास क्वारटज व फेलस्पार आधारित पोटरी उद्योग हेतु साधारण सुविधा केन्द्र की स्थापना 1983 से लम्बित होने के बावजूद स्वीकृत न होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

56. नसीराबाद व उसके आसपास उपलब्ध खनिजों का दोहन न होने एवं खनन सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

57. अजमेर जिले में क्वारटज व फेलस्पार रा–मेटेरियल बहुतायत में होने पर भी उसके दोहन व खनन पूरी तरह न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

58. अजमेर जिले में मार्बल व ग्रेनाइट खनिज के नये विपुल भंडारों के दोहन की व्यवस्था में विभाग द्वारा पहल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) :

59. विभाग द्वारा राजस्थान में प्राप्त सभी खनिजों में पर्याप्त दोहन कराये जाने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

60. खनिज क्षेत्र त्रिपुरा सुन्दरी में नई नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थियों को भूखण्ड आवंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (सेलूम्बर) :

61. उदयपुर जिले में खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. उदयपुर जिले में जनजाति क्षेत्र में मार्बल के खनन पट्टे जनजाति के लोगों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

63. ग्राम राहोरी के पहाड़ों पर ग्राम संस्था द्वारा लगाये गये वनों व पेड़ों को काटकर पत्थर निकाले जाने की विभाग द्वारा अनुमति दिये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

64. ग्राम नटाटा पंचायत मुख्यालय के पहाड़ों से तोड़े जाने वाले पत्थरों के निकाले जाने हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न दिये जाने के लिये व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

65. राकफास्फेट, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट, मार्बल आदि की खनन पद्धति में आधुनिकतम उपकरणों के लिये दिये जाने वाली सब्सिडी व पर्याप्त दोहन की आवश्यकता के लिये।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 पर सदन में चर्चा हो रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस त्वरित गति से राजस्थान का विकास हुआ है वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उद्योगों का विकास जिस तेजी से राजस्थान में हुआ और नये-नये उद्योगपति जिस तेजी से राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये आ रहे हैं, यह राजस्थान सरकार की नीतियों की देन है। मैं लम्बा-चौड़ा नहीं कहकर एक उदाहरण दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे भीलवाड़ा में आज के पांच साल पहले कुछ ही लूम थे, पर आज वहां सैकड़ों लूम लग चुके हैं और कपड़ा निर्माण में आज भीलवाड़ा देश में अपना एक स्थान रखता है। यह राजस्थान सरकार की नीतियों की देन है। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा... (व्यवधान) अभी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की....

श्री रामनारायण मीणा : यह भाषा तो श्री बद्रीप्रसादजी की नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : श्री रामनारायणजी, आपकी छाया नहीं है आज मेरे पर। चिन्ता मत करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़, जिसके आसपास काफी लाइम स्टोन है। श्री शिवचरण जी जब मुख्य मंत्री थे, तब वहां उन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

थी । उनको तो खैर, घोषणा मंत्री कहते हैं सदन में सब लोग, मैं इसमें नहीं आऊंगा परन्तु आस-पास का जो लाइम स्टोन है और मांडलगढ़ क्षेत्र में कोई उद्योग-धन्धा नहीं है । जौहरी एग्रो सीमेंट को पहले लाइसेंस भी दिया था । वहां मांडलगढ़ और हुरड़ा गांव के बीच में उन्होंने जमीन भी ली थी । कालूलालजी थे तब उन्होंने माइनिंग लीज की एप्लीकेशन भी दी थी । शायद लीज भी उनको ग्रांट हुई थी, परन्तु जिन लोगों को लाइसेंस मिले हैं या लीजें ग्रांट हुई हैं, उन लोगों ने वहां फैक्ट्री नहीं खोली तो मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस त्वरित गति से राजस्थान को औद्योगिक जगत में आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी नीतियों के द्वारा इस देश के ही नहीं, विदेश के कई व्यवसायी राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये प्रेरित हो रहे हैं । तो मांडलगढ़ क्षेत्र में आप सीमेंट का कारखाना लगाने में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रयास करायें ।

(15.00)

एक मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे मांडलगढ़ क्षेत्र में मांडलगढ़ के पास रातेखेड़ा में ग्रोथ सेन्टर के लिये जगह भी ले ली थी, तय भी हो गया था, ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत भी हो गया था पर न जाने किन कारणों से वहां ग्रोथ सेन्टर हटा दिया है, आप इन कारणों का पता लगवाइये जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि पानी की कमी की वजह से वहां से ग्रोथ सेन्टर हटाया, तो मंत्रीजी, मांडलगढ़ में काफी पानी है बनास नदी पास बहती है । पानी की वहां पर कोई कमी नहीं है । यदि किसी ने यह रिपोर्ट दी है तो गलत है । मैं आप से चाहूंगा कि ग्रोथ सेन्टर पुनः मांडलगढ़ में चालू किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, चाहे 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और श्री कैलाशजी मेघवाल खनिज मंत्री थे ।

श्री परसादीलाल मीणा : हैं । थे नहीं, हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं 1977 की बात कर रहा हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : अब भी है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अभी तो अब आऊंगा मैं ।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, आगे बढ़िये आप ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी खनन की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने खनिज नीति बनायी थी और काफी खनन व्यवसायियों की समस्या का समाधान किया था । मेरे क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर प्लाटों का आबंटन किया जाता था । लाटरी पद्धति द्वारा एप्लीकेशन लेकर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बेइमानी नहीं और एप्लीकेशन लेकर जनता के सामने लाटरी डाल कर प्लाट आबंटन की एक प्रक्रिया शुरू की । जिससे हजारों गरीबों को इस खनन व्यवसाय में जुड़ने का मौका मिला । उसके बाद पुनः अभी राजस्थान में श्री भैरोंसिहजी शेखावत

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

के शीर्ष नेतृत्व में श्री कैलाशजी मेघवाल ने नयी खनिज नीति बनायी है। आज राजस्थान में जिस ढंग से खनिजों का विकास हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, और जिस त्वरित गति से राजस्थान खनिज के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह बहुत ही उपयोगी और बहुत लाभदायक स्थिति वाला क्षेत्र है।

1993–94 में जहां 163.04 करोड़ की आमदनी थी वहीं 1994–95 में 182.75 करोड़ की आमदनी हुई और 1995–96 में, जो गुजरा वर्ष है, उसमें 213.69 करोड़ की आय हुई। इस प्रकार विगत दो वर्षों में खनिज के क्षेत्र में आय बढ़ी है। वह इस खनिज नीति की वजह से बढ़ी है, उद्यमियों को खनिज व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने की वजह से बढ़ी है, नियमों का सरलीकरण करने की वजह से बढ़ी है।

आज चाहे अपने ग्रेनाइट का क्षेत्र हो, चाहे मार्बल का क्षेत्र हो, चाहे सैंड स्टोन का क्षेत्र हो, आज यहां का ग्रेनाइट विदेशों में जा रहा है, मार्बल विदेशों में, जा रहा है और विदेशी ग्रेनाइट में जिस ढंग से सुविधाएं दी हैं, ग्रेनाइट मे जिस ढंग से मशीनें लेने के लिये लोन आदि की सुविधाएं की हैं, उन सारे कारणों से आज ग्रेनाइट भी यहां का विदेशों में जा रहा है और विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। मार्बल भी जा रहा है। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, जो सैंड स्टोन विदेशों में कम ही जाता था वह आज भारी मात्रा में विदेशों में जा रहा है।

आज मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे यहां सैंड स्टोन है। उनकी टाइल्स बन रही हैं और वह टाइल्स सतपुड़ा, कालीघाटी यह तीन–चार बाउंड्रियां हैं, जहां कि टाइल्स बन रही हैं और समुद्र के किनारों पर जो मकान बनते हैं उनमें समुद्र की नमी से मकानों पर असर नहीं हो, वहां टाइल्स लगायी जा रही हैं। इस प्रकार खनिज के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में राजस्थान की खनिज सम्पदा बहुत बड़ा आय का एक साधन बनेगी।

माननीय गृह मंत्रीजी ने जो खनिज नीति बनायी, उसके दो–तीन बिंदुओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नयी खनिज नीति के मूल उद्देश्य निम्न हैं:–

आधुनिक तकनीकी अपना कर खनिज भण्डारों की त्वरित गति से खोज करना, विशेषतः उन क्षेत्रों में जो दुरस्त हैं तथा आदिवासी अथवा मरु क्षेत्र है। खनिज संरक्षण एवं पर्यावरण जैसे पहलुओं पर ध्यान देते हुए खानों का उचित यंत्रीकरण कर वैज्ञानिक खनन पद्धति से खनिज भण्डारों का विकास करना, राज्य में प्रसंस्करण इकाइयों एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर खनिजों का मूल्य संवर्धन करना; निर्यात क्षमता वाले खनिज के निर्यात को प्रोत्साहन देना; खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन के विकास को प्रोत्साहन देना; प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर स्पष्ट निर्णय प्रदान करना और खनन क्षेत्र में विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति यदि

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कोई उद्देश्य लेकर कार्य के प्रति प्रेरित होता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और वह कार्य उसका सुन्दर होता है। इसी प्रकार सरकार ने जो एक खनिज नीति बनायी और जो उद्देश्य इन्होंने तय किये उन उद्देश्यों के द्वारा राजस्थान में खनिज नीति का विकास होगा और इन्होंने इसके लिये कार्य योजना की व्यू रचना की। इसमें इन्होंने तय किया, खनिज अन्वेषण व दोहन तथा खनिज आधारित उद्योगों, जिनमें निम्न श्रेणी के खनिजों का परिष्करण भी सम्मिलित है, के क्षेत्र में विकास हेतु अध्ययन कार्य करना; अनधिकृत खनन व राजस्व अपवंचन को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करना; खनिज नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अप्रदान खनिज रियायत नियमों का सरलीकरण कर उन्हें समुचित रूप से संशोधित करना और खनिज विकास के हित में तथा राज्य सरकार को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करना। यह इन्होंने कार्य योजना की व्यू रचना बनायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन में से दो बिंदुओं की ओर माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये, मेरा विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि 10 मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं दिया जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : दो डिमांड हैं। डिमांड एक नहीं दो हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मेरा और दिनों का समय ले लेना, उपाध्यक्ष महोदय। मेरा अपना विषय है, मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, और दिनों का मेरा समय मैं आपको दे दूंगा, बोलूंगा ही नहीं मैं पूरे सदन में अब।

श्री उपाध्यक्ष : इन दोनों विषयों के अन्दर करीब 40 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय चाहूंगा आज मैं विशेष रूप से आपकी कृपा से।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

कल आपने हम को तो 10–10 मिनट बोलने दिया, कई माननीय सदस्य एक–एक घंटे बोल लिये। आप 10 मिनट की सीमा नहीं बांधिये, दो डिमांड हैं पांच पांच मिनट में कोई क्या बोल पाएगा। आप बोलने दें, हम रात को दो बजे तक बैठने को तैयार हैं कहां परेशानी है आप को। दो बजे तक बैठेंगे हम। कल रात को 12 बजे तक बैठे, आज दो बजे बैठेंगे। किसी भी माननीय सदस्य की सीमा नहीं बांधिये। अपनी बात यहां नहीं कहेंगे तो हम कहां कहेंगे हमारी बात को? आप सीमा नहीं बांधिये मेहरबानी कर के। आप से यह निवेदन है हमारा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उत्तर सुनते–सुनते कहोगे, हो गया, हो गया।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं कह रहा हूं उत्तर नहीं सुनोंगे, फिर कहोगे, हो गया, हो गया।

श्री परसादी लाल मीणा : हां, सुनेंगे, दो बजे तक। दो बजे तक सुनेंगे हम।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर स्पष्ट निर्णय प्रदान करना और खनिज नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अप्रदान खनिज रियायत नियमों का सरलीकरण कर उन्हें समुचित रूप से संशोधित करना। उपाध्यक्ष महोदय, अप्रदान खनिज रियायती नियम में दो तरह की पद्धतियां हैं। एक तो लीज पद्धति है, एक क्वारी लाइसेंस पद्धति है। मैं अपने आप को क्वारी लाइसेंस पद्धति पर ही सीमित रखूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कई प्रकार की खनिज समस्याएं हैं और इस खनिज नीति में क्वारी लाइसेंस होल्डरों की जो समस्याएं थीं जिनके बारे में हमने सुझाव दिया था, सरकार ने उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया। माईनिंग लीज वालों को तो काफी सुविधा दी गयीं उससे उनको खनिज में विकास करने का मौका मिला, परन्तु क्वारी लाइसेंस होल्डरों की काफी समस्याएं इस खनिज नीति में रह गयी। मेरे क्षेत्र की मूल समस्या यह है कि मेरे यहां प्लाटों में जो आउट आफ बाउण्ड्री के प्लाट हैं वह प्लाट होल्डर आगे बढ़ जाते हैं। पूर्व में 16-12-1980 को जब कांग्रेस का शासन था, खनन व्यवसायियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने अपनी मजबूरीवश आबंटन नहीं होने की वजह से या नियमों में किसी प्रकार की आबंटन की नीति नहीं होने की वजह से, परन्तु उनकी व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए जिन्होंने अपने प्लाट से लगी हुई सीमा के बाहर कार्य किया है, उनको एक वर्ष का रेन्ट लेकर रेगुलराइज कर दिया जाए और उनको फेट और गैप के रूप में और क्षेत्र दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में 11 अप्रेल, 1984 को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ी गति बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैंने समझा घंटी बजा रहे हैं। हां, बोलने की स्पीड बढ़ा रहा हूं। बंशीलाल जी पटवा का प्रश्न था उसके उत्तर में यह बताया था कि भीलवाड़ा जिले के परमाल क्षेत्र में इमारती पत्थर की कोई खानें नहीं है, अतः अतिक्रमण की समस्या नहीं है। इन्होंने जिनका रेगुलराइज किया था, उनके बारे में कहा था। कुल अतिक्रमण 43,364,26 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-4-1988 के अनुसार अतिक्रमण किये क्षेत्र का रेन्ट लेकर उन्हें नियमित कर दिया गया है। इस प्रकार उस समय रेन्ट लेकर 16-12-1980 के नोट और 18-9-1981 के इस आदेश के तहत है, मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, समय की सीमा है, यह दिया गया। उससे जो स्थिति बनी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बाउण्ड्रियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जो क्षेत्र है

१४९

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

उसमें इन प्लाट वालों को तो इतना क्षेत्र दे दिया और यह प्लाट वाले वंचित रह गये। इसी प्रकार अन्य बाउण्ड्रियों में हुआ, हर बाउण्ड्री में हुआ। आप मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो पाएंगे कि कई लोगों को प्लाट आबंटन कर दिये गये और कई लोग उससे वंचित रह गये। कई लोगों को कई क्षेत्र बाउण्ड्री से बाहर उनको आबंटित हो गये और कई लोग वंचित रह गये। धीरे-धीरे, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि वह लोग जिनको क्षेत्र आबंटित नहीं हुआ, वह चूंकि इधर का दे दिया, उधर का दे दिया, बीच वालों को नहीं दिया या किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, वह उनके साथ-साथ आगे बढ़ते रहे और जिन्होंने अवैध खनन नहीं किया, वह आज अवैध खननकर्ता की परिभाषा में आ गये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह विसंगति रही है और जिस प्रकार उस समय 16–12–1980 के आदेश द्वारा यह दिये थे, यही नहीं, इसके बाद 1983 में इसको बन्द कर दिया था और इसके बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार नियमों में शिथिलिता प्रदान करते हुए यहां से लोगों को प्लाट आबंटन करती रही। मैं आपको बताऊं 29 सितम्बर, 1983 को श्री हिम्मत सिंह पुत्र भोपाल सिंह प्लाट नम्बर 105 और 106 के आगे रिक्त क्षेत्र हैं। श्री भैरूंलाल पुत्र उदयलाल गूजर बायां तालाब बीच बाउण्ड्री में 15×30 मीटर, मोडूलाल पुत्र गंगाराम मीणा 15×30 मीटर, तेजमल पुत्र प्यारचंद जैन 15×30 मीटर। इस प्रकार कई लोगों को प्लाट्स यहां से राज्य सरकार आबंटित करती रही।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समस्या है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कृपया बिराजें। ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हां, कर रहा हूं। बहुत जल्दी कर रहा हूं। इस प्रकार कई लोगों को प्लाट आबंटित किये गये। इसके बाद 7–7–1992 को राज्य सरकार ने आदेश निकाला। उसमें भी एक विसंगति रह गयी और उस विसंगति के कारण फेट गैप लोगों को आबंटित नहीं हो सका। उसके बाद माननीय डिप्टी सैक्रेटरी बिजौलिया पधारीं, स्वयं फील्ड में गयीं, मौके का निरीक्षण किया और उन्होंने कुछ सुझाव वहां के खनन व्यवसायियों से मिलकर बनाये। मैं, खनिज मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा यह बहुत गम्भीर मसला है। यह दोनों काम करने से, जो खनन व्यवसायी काम कर रहे हैं, उनकी समस्या का अन्त हो सकता है। इसी प्रकार खातेदारी भूमि में भी प्लाट आबंटन की एक नीति सरकार ने बनायी थी। हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में जाने के बाद उस समय आबंटन नहीं हो सका। उसके बाद अभी हाई कोर्ट का फैसला हो गया परन्तु उसमें जो सीमा रही 200×200 मीटर की,

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

उस कारण से उस क्षेत्र में इतनी जमीन किसी के पास नहीं है कि उस सीमा का पालन कर सके। इसलिए जैसे पूर्व में आदेश निकाला और जो तय किया था 100 × 200 या 200 × 200 फीट, मैं खनिज मंत्रीजी, आपसे आग्रह करूंगा यदि इसमें वापस उच्च न्यायालय की राय लेनी पड़े या विधि विभाग की राय लेनी पड़े तो आप इसमें राय लेकर इस कार्य को कराने की कृपा करें।

इसके अलावा कुछ सुझाव देना चाहूंगा। खान अनुज्ञा पत्र के नियम 31 के तहत उसमें उल्लिखित समान कैटेगरी वाले को ही अन्तरण होगा। इस बारे में सुझाव है कि यदि यह अन्तरण अन्य कैटेगरी के व्यक्ति के नाम पर भी हो जाये तो उत्तम रहेगा। यानि अन्तरण में कैटेगरी का बन्धन नहीं होना चाहिये।

इसी प्रकार आज मेरे क्षेत्र में कोई बाउण्ड्री खुलती है, लाटरी सिस्टम भी है, लाटरी सिस्टम से होता क्या है कि जिस क्षेत्र में बाउण्ड्री खुलती है उस गांव वालों को, एप्लीकेशन भी लगाते हैं, वे वंचित रह जाते हैं। मैं, माननीय खनिज मंत्रीजी, आपसे आग्रह करूंगा कि जिस क्षेत्र में बाउण्ड्री खुले उस क्षेत्र के 10 प्रतिशत लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस खनिज नीति में पर्यावरण का भी सरकार ने तय किया था। आज खनन का कार्य होता है, कई मीलों तक पत्थर डाल दिये जाते हैं। पत्थर डालने से जमीन बेकार हो जाती है और मजदूरों के लिये जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था नहीं होने से वे आस-पास के जंगल को काट देते हैं। उस आस-पास के जंगल के काटने से अभी, उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक व्यवस्था की थी जो ढेर पड़े हुए हैं, वहां पर अंग्रेजी बबूल के बीज लगाये थे। इस प्रकार यदि इन ढेरों पर वृक्षारोपण किया जाए तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जायें।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : एक मिनट और। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है। आज खनन विकास के लिये विस्फोटक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और जो कानून बने हुए हैं उनके तहत कोई भी व्यक्ति, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, विस्फोटक सामग्री नहीं रख सकता। विस्फोटक सामग्री चाहे ब्लास्टिंग करो, हर क्षण तो ब्लास्टिंग होनी चाहिये वहां पर तब जाकर आप और बर्डन हटाकर पत्थर निकाल सकोगे। ब्लास्टिंग के लिये कोई सुविधा नहीं होने की वजह से और विस्फोटक सामग्री रखने का कोई लाइसेंस नहीं होने की वजह से आये दिन उनको पुलिस वाले पकड़कर ले जाते है। खनन व्यवसायियों को आये दिन तंग करते हैं। अपनी खनिज नीति में भी कहा गया है कि हम भारत सरकार से बात करके 50 किलो तक विस्फोटक सामग्री क्वारी लाइसेंस होल्डर्स और खनन पट्टेदारों को देने की सुविधा कराएंगे। मैं, माननीय खनिज मंत्री जी से, जो कि गृह मंत्री भी हैं, निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करायी जाएं। क्वारी लाइसेंस होल्डर्स और प्लाट होल्डरों को उनके क्वारी लाइसेंस पर 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो विस्फोटक सामग्री एट ए टाइम रखने की सुविधा हो

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

जिससे कि उनको पुलिस वाले तंग नहीं करें और खनिज का विकास भी हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं, राज्य सरकार ने जो मिनरल पालिसी, 1994 निकाली है, वास्तव में वह सराहनीय है। इसका काफी लाभ खनिज पट्टेधारियों को मिला है। जो और बहुत सारी समस्याएं थीं उन्हें हल करने की कोशिश की गयी है, पर मैं एक बात और कहता हूं कि There is many a slip between the tongue and the lip. जो हम चाहते हैं वह हम कर नहीं पाते हैं। कहना और लिखना बड़ा आसान है और जो चाहते हैं वह यहां पर कुछ हो नहीं रहा है। इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। एक ओर खनिज विभाग ने बीड़ा उठा रखा है अनधिकृत माइनिंग के खिलाफ, दूसरी ओर इल्लीगल माइनिंग को लीगलाइज किया है। यह कैसे? इसका उदाहरण यह है कि धौलपुर जिले में, भरतपुर जिले में और सवाई माधोपुर जिले में जो भी खनिज बेरियर्स के थ्रू जाते हैं, चाहे वह लीगल माइनिंग का हो, चाहे वह इल्लीगल माइनिंग का हो, उनकी एक किस्म की रायल्टी लगती है। सीकर में भी अब कह रहे हैं। जबकि कानून के अन्दर प्रावधान है कि जो बिना लीज होल्डर्स हों वह न खनिज कर सकता है और खनिज के बहाने से बिना लीज होल्डर्स का जो माल आये उसके ऊपर दस गुना वसूल किया जाए। एक प्रश्न के द्वारा पूछा गया था कि धौलपुर जिले में कितनी रायल्टी वसूल की गयी? राज्य सरकार की ओर से जवाब आया कि 1995–96 में 94.58 लाख रुपया वसूल किया गया और 1996–97 में 22.93 लाख रुपया वसूल किया गया। यह भी पूछा गया था कि कितना अन-अथोराइज्ड माइनिंग में कितना पैसा वसूल किया गया? तो बताया गया कि मात्र 26 हजार रुपया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि रायल्टी फ्राम लेसीज में 26.75 लाख रुपये हैं कुल। जो डिफरेंस 67.73 लाख रुपये हैं, जो इल्लीगल माइनिंग से आया है, जबकि राज्य सरकार को छह करोड़ सतेत्तर लाख रुपये वसूल करना चाहिये थे, दस गुना, जबकि इसने मात्र वसूल किया एक गुना। यहां बातें करते हैं कि राजकोष को बढ़ाया जाए और हम खुद इल्लीगल को लीगल बनाते हैं। इसी तरीके से रायल्टी कलेक्शन फार दी ईयर 1996-97, मात्र तीन महीने के आंकड़े मैं बताता हूं, अप्रेल से लेकर जून तक 22.93 लाख रुपये वसूल किये गये हैं जिसमें रायल्टी लेसीज से, उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख सात हजार रुपये, डिफरेंस है इक्कीस लाख छियासी हजार रुपये अनअथोराइज्ड सोर्सेज से आये हैं, जिसमें एक गुना रायल्टी लगी है। इसको दस से मल्टीप्लाई करें तो दो करोड़ रुपये का तीन महीने के अन्दर घाटा हो गया है और सात करोड़ रुपये पिछले साल का। इसका उदाहरण, महोदय, यह रहे गवर्नमेंट के पट्टे, यह रहे गवर्नमेंट के

(श्री दलजीत सिंह)

रवन्ने। यहां क्या लिखा गया है, नाम व्यापारी इत्यादि जो भी है, नाम ठेकेदार ख़ास, क्षेत्र ख़ास यह तो रवन्ने हैं। क्या आप लीगल काम को इल्लीगल बनाना चाहते हैं? फिर यह नीतियां यह कानून किस काम के हैं? कानून केवल लीगलाइज आदमी के लिये है, इल्लीगल के लिये कोई कानून ही नहीं है। जब उस इल्लीगल को आप लीगल करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि हम लोग क्यों पट्टेधारी बनें, हम किस कानून के अन्दर आयें, यह कौनसा + + + है। हमें खुशी हुई कि इन्होंने रायल्टी के लिये, कलेक्शन के लिये ठेके दिये। सरकार का कोष, एक करोड़ बीस लाल रुपये की बोली, बोली गयी लेकिन पहाड़ में से निकला चूहा। एक करोड़ बीस लाख दी थी एक्सेस रायल्टी वसूल करने के लिये, केवल एक्सेस। और एक्सेस का मतलब क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पट्टेधारी की डैड रेंट के अलावा जो रायल्टी निकलती है उसको भी एक्सेस कहते हैं, इल्लीगल को एक्सेस नहीं कहते हैं। पर जैसे यह रवन्ने मैंने आपको बताये हैं, यह एक्सेस हैं, यह सरेआम लूट हैं, सरेआम चोरी है जो राज्य सरकार करा रही है और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आरोप लगाने की चीज नहीं है उन चीजों के ऊपर जो राइटिंग के अन्दर है। इसके ऊपर इन्क्वायरी बैठा दीजिये तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं सही बात कह रहा हूं या असत्य।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खनिज क्षेत्र से पहले माल खानों से आता है, उसके ऊपर रायल्टी लगती है और फिर वह माल जाता है डिपो में। वहां व्यापारी खरीदता है, वहां पर फैक्ट्री आनर खरीदता है। वह दुबारा, क्योंकि वहां छोटे से गांव सर-मथुरा के अन्दर बेचने की कोई मण्डी तो है नहीं, कोई मकान तो है नहीं, तो वह सारा का सारा माल प्रान्त से बाहर जाता है। जब वह माल प्रान्त से बाहर जाता है एक और चुंगी पर बैठे हैं लाठीधारी ठेकेदार, लाठियों से लैस और कहते हैं कि दुबारा रायल्टी दीजिये। तो पहले तो यह दे दिया खनन के ऊपर। बेचने का टाइम आया तो दुबारा फिर दे दिया, यह क्या लूट हो रही है?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, royalty is realisable only on excavation and despatch of material. जब डिस्पैच हो जाता है उसके ऊपर रायल्टी लगती है। उसके अलावा जब फैक्ट्रियों में आती है वहां लाजिमी है कि फैक्ट्री के अन्दर पत्थर कटेगा, उसमें टाइल्स बनेंगे, उसमें स्लेब्स बनेंगे, वहां पालिश होगा पर होता क्या है? फैक्ट्री वालों से आपको रायल्टी लेने का क्या अधिकार है? आप लीज होल्डर्स से ले सकते हो, फैक्ट्री वालों से नहीं ले सकते हो। हां, फैक्ट्री वालों से सर्च एण्ड सीज कर सकते हो कि इल्लीगल माइनिंग से आया है वह पत्थर तब तो आप उस पर दस गुना लगाइये। पर नहीं, आप ने वही माल के ऊपर दुबारा एक गुना रायल्टी लगायी है और वह भी नहीं कानून के अनुसार तीस रुपये टन। उसके ऊपर ड्योडा पैंतालीस रुपये टन आपने ठोका। क्यों? जब मैं किसी चीज की रायल्टी दे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(146)

(श्री दलजीत सिंह)

बैठा हूं, क्यों मेरे को पेनेलाइज कर रहे हो ? मेरे को तीस रुपये टन देने थे, आपने पैंतालीस रुपये टन कर दिये और जिसके ऊपर दिया हुआ है तो कौन फैक्ट्री खोलेगा और ऐसे बैकवर्ड एरियाज के अन्दर जो जो डकैतों से लैस है, जिसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसमें बिजली नहीं है और जिसका एक मात्र लाइबली हुई हैं वह खनिज और आप कहते हैं कि उद्योग बड़े खोलेंगे । हां, उद्योग खोलेंगे दस-दस करोड़ वालों के लिये लेकिन जो आदमी 25 हजार और 30 हजार से अपना लघु उद्योग खोलता है उसके ऊपर तो आप जुर्माना कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरेआम अन्याय है और इस अन्याय को राज्य सरकार को तुरन्त रोकना चाहिये । यह जो आपने ठेके दिये हैं मैं स्वागत करता हूं इन ठेकेदारों का ताकि अनधिकृत माइनिंग बन्द हो पर वहां साथ में सरकारी मुलाजिम भी बैठें जो अपनी एक्सेस रायल्टी वसूल करें और सरकार अपनी तरफ से भी दस गुना वसूल करे । मैं कहना चाहता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से दस करोड़ का आलरेडी नुकसान इस राज्य सरकार का हो चुका है ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, If the guardians of the law are to break the law themselves. फिर इस देश के लिये क्या होगा ? मंत्री महोदय के पास केवल खनिज विभाग ही नहीं है, ला एण्ड आर्डर भी है, होम भी है और जब आप इल्लीगल माइनिंग को नहीं रोक सकते हो तो फिर आप इस प्रान्त को क्या बचा पायेंगे ? कोटपूतली में माइनिंग आफिसर्स इल्लीगल माइनिंग को रोकने गये तो सरेआम वहां पर पिटे, मेरे एरिये के अन्दर मेरे सामने वह किसी की जमीन का सर्वे करने गये, तो वहां पिटे और फोरेस्ट वाले रोकने के लिये गये कि फोरेस्ट के अन्दर हुआ है वहां पिटे । कोई चालान नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं और आप कहते हैं कि हम इल्लीगल माइनिंग को खतम करना चाहते हैं । जब आपने कानून के अनुसार कलक्टर को, कानून के अनुसार पुलिस को पाबन्द कर दिया तो – They can check and support the mining egencies for stopping illegal mining. क्या हो रहा है ? इसमें कोई सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा है इनको ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मात्र विभाग होगा । जैसे कव्वा होता है, अपने घोंसले में कभी अण्डा नहीं देता है, अण्डा देता है किसी और के बने बनाये घोंसले में । इसी तरीके से यह विभाग है न तो इनके पास कोई जमीन है । जमीन है तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट की, जमीन है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जमीन है तो खातेदार की, जमीन हो तो आबादी की और पैसा वसूल करने के लिये तैयार बैठे हैं । माइनिंग इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिग माइनिंग इन्जीनियर, एडिशनल डायरेक्टर, इनका काम क्या होता है, इनका काम केवल पैसा वसूल करने का है या हम लोगों को सिखाने का ? लेकिन जो पट्टेधारी हैं उनकी माइनिंग कैसे हो, कैसे उनको बढ़ावा हो, वैसी कोई बात नही है । जब जमीन ही नहीं है इनके पास । एप्लाई करें तो एन.ओ.सी फोरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लेकर आएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से

(श्री दलजीत सिंह)

हम लेकर आएं, कोई चीज स्वीकृत करानी है तो हम कराकर आएं, क्योंकि हमारी जमीन है जो हमें ही मेहनत करनी पड़ती है। जमीन तो सरकार की है, आप किराया लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो You want a vacant possession. अन्यथा आप किराये पर क्यों लोगे वह जमीन। वह तो आपका काम है। आप जिस मकान के मालिक हो We are only tenants. यह सारे काम तो आप करिये, हमसे क्यों कराते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात इन्होंने जरूर कही थी, इस विभाग के, डायरेक्टर ने भी कही थी और नीचे के अधिकारियों से कि जो भी जमीन, फोरेस्ट के अन्दर नहीं है, जिसके अन्दर खनिज हो रहे हैं और आबादी और कल्टीवेशन जहां नहीं हो रहा है तो उसका प्लानिंग बनाकर दें ताकि राज्य सरकार उसको एक खनिज का क्षेत्र बनाये, जिसमें बार-बार न तो एन. ओ. सी. लेना पड़े। फोरेस्ट डिपार्टमेंट से, न कलक्टर से न किसी और से कम से कम राज्य सरकार को, आखिर विभाग सब एक ही हैं, सब एक ही सरकार के नीचे हैं चाहे रेवेन्यू हो, चाहे फोरेस्ट हो, चाहे माइनिंग का हो। जमीन तो सब सरकार की है; तो जब सरकार ने फोरेस्ट के लिये दे रखी है, रेवेन्यू के लिये दे रखी है तो वैसे ही खनिज के लिये भी दे दीजिये ताकि हमेशा-हमेशा के लिये यह जो लड़ाई फोरेस्ट डिपार्टमेंट की और माइनिंग डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वह समाप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक रिन्युअल करने के लिये कई दफा सालों निकल जाते हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने यह प्रावधान निकाल दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : बड़ा गुस्सा खा रहे हैं आज तो।

श्री दलजीत सिंह : नहीं, मैं गुस्सा नहीं खा रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि आप सतर्क हो जाइये।

श्री विष्णु मोदी : यह तो सरासर लूट है। यह तो बिलकुल आपके विभाग ने ऐसा काम किया है जो बिलकुल अनअथोराइज्ड को अथोराइज कर दिया है।

श्री कालूलाल गूजर : आप तो खुद ही खान मालिक हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका समय ले रहे हैं, श्री दलजीत सिंह जी।

श्री दलजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के अन्दर, धौलपुर के अन्दर सरे आम डकैत आते हैं और डकैत खानों पर जाकर गरीब मजदूरों को पीटते हैं। कई दफा ऐसा होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उन मजदूरों की पीठ के ऊपर इतने बड़े खंडे रखकर लटका कर उन्हें मजबूर किया गया कि खानों में से आप जब तक नहीं आओगे जब तक यहां पर पैसे नहीं देंगे। ऐसे ऐसे इंस्टांसेज भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, टांकी होती है जिसको चीजल कहते हैं उस टांकी को लेकर एक मजदूर के हाथ पर मारा ताकि वह काम नहीं कर पाये। ऐसी कंडीशंस में मंत्री महोदय कह रहे हैं कि गुस्सा क्यों हो रहे

(श्री दलजीत सिंह)

हो, क्या ऐसी बातें सुनकर आप गुस्सा नहीं होते ?

यह आज की परम्परा नहीं है, यह सालों से चला आ रहा है। यह माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकेगा जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हम लोग भय के मारे, हमारा स्वार्थ है, हम खान चलाना चाहते हैं, कई दफा नेगोसिएट भी हो जाता है, पर यह काम पुलिस का काम है. रिपोर्ट करने का काम हो जाती है उसके ऊपर पैरवी नहीं होती है। जून, 1996 की पहली तारीख को सरमथुरा के अन्दर बाजार बन्द हुआ। कम से कम पांच हजार व्यक्तियों ने जाकर धरना दिया पुलिस को अवगत कराने के लिये। सरमथुरा पुलिस स्टेशन से सौ गज की दूरी पर फैक्ट्रियां हैं, डकैतों ने खुले आम वहां आकर लूटकर सारी फैक्ट्रियां बन्द करा दीं और पर्चे दे दिये कि पांच-पांच, दस-दस हजार रुपये दोगे तब ही यह फैक्ट्रियां चलेंगी, पुलिस स्टेशन से सौ गज दूरी पर। तो फिर इस खनिज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, प्रोटेक्शन आप दीजिए आप होम मिनिस्टर भी हैं और माइन्स मिनिस्टर भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री दलजीत सिंह : इसके अलावा वाद-विवाद के पैंडिग ? केसेज सरकार के और लेसीज के जो चल रहे हैं वे बहुत हैं। एक सक्युंलर में जो 13.7.95 का है, खनिज सचिव ने डायरेक्ट किया डायरेक्टर को कि जो भी पैण्डिंग केसेज हैं उन केसेज को सामने लाया जाए ताकि वे कम्प्रोमाइज हों, आउट आफ कोर्ट हो। बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत साल निकल जाते हैं, लीज पीरियड समाप्त हो जाता है और फिर भी लीजेज चलती रहती हैं। जिनके एक्सेस एरिया हैं उनमें भी वह चलते रहते हैं।

इसके लिये पूरे साल में केवल मात्र तीन केसेज आये हैं जबकि सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हीं पैंडिग केसेज के लिये प्रचार प्रसार किया है और उसने छूट दी है कि जो भी पैंडिग केसेज हैं सैल्स टैक्स विभाग में लोग सामने आएं। उनके इन्ट्रेस्ट माफ किये जाएंगे और पचास पर्सेंट जो पैनल्टी है उसको भी माफ किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, तो यह जो पैंडिग केसेज हैं, यह जो वाद-विवाद हैं बिटविन माइनर्स एण्ड दी गवर्नमेंट, वह समाप्त हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में फोरेस्ट के बारे में माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी जब लीडर आफ दी अपोजीशन थे, उन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठाया था। कोटा और अलवर में जाकर बड़े जोर–शोर से कहा था कि जो जमीन माइनिंग की है वह सारी फोरेस्ट में जा रही है उससे बहुत सारे लोग जो खनिज में हैं, वे सारे बेरोजगार हो जाएंगे। यह अच्छा बीड़ा है। पर आज पता नहीं किन कारणों से, आज साइलेंट क्यों हैं ? जबकि Protected forest is within the purview of the State Government. Only reserve forests or the game sanctuary is within the purview of the Central Government. फैसला भी है। प्रोटेक्टिव फोरेस्ट में जब मर्जी आये उसको नोटिफाई करवाकर जो वेस्ट लैण्ड है, वास्तव में फोरेस्ट नहीं है उसको डी-नोटिफाई करवाकर आप खनिज में दे सकते हो, पर कर क्यों नहीं रहे हैं ?

(श्री दलजीत सिंह)

कारण क्या है ? गुजरात में अण्डर दी जनरल क्लाजेज एक्ट उन्होंने एक नियम पास किया था कि बिफोर नोटिफिकेशन आफ फोरेस्ट लैण्ड जो भी लेसीज थे, उनकी जमीन के अन्दर जो नोटिफाई फोरेस्ट हो भी गये होंगे वह लेसीज विल बी परमिटेड टू वर्क । यह ऐसा कानून राजस्थान में क्यों नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री दलजीत सिंह : आखिरी जो फोरेस्ट लैण्ड का नोटिफिकेशन हुआ, 1971 में हुआ है । लीसेज चले आ रहे हैं 1950 से जब आप पचास साल के लीसेज देते हो, साठ साल के लीसेज देते हो तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है । पर हम जो साठ साल के लीसेज लेते हैं हम उस लीज पर लेते हैं कि परिवर्तन हो तो कानून के अंदर हो । परिवर्तन उतना ही हो जितना लागत हम लगा रहे हैं उस लागत की वसूली भी हो । लागत लगाने वाले बड़े-बड़े सेठ हों, जो इण्डस्ट्रीज के हों, उनको छूट । उनको हरेक किस्म की सैल्स टैक्स से छूट, बैकवर्ड एरियाज की छूट ।

हम लोग जो बिलकुल बैकवर्ड एरियाज के अन्दर खनिज करते हैं । एक फैक्ट्री लगाने के लिये पांच सौ आदमियों के लिये उनको तो मिल जाएगा दस करोड़, पन्द्रह करोड़, बीस करोड़ रुपये का लोन और हम लोग जब पांच सौ मजदूर लगाएंगे तो आरोप मिलेंगे इल्लीगल माइनिंग का, डकैती का, बुरे नाम मिलेंगे । अपने पैसे से तो काम करते हैं और एक पांच सौ आदमियों की फैक्ट्री लगाने वाला कोई टाटा आएगा, कोई बिड़ला आएगा वह तो लोन लेकर चला जायेगा । बहुत बड़ा उद्योग खोल रहे हैं और हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर खोल रहे हैं, हमारे लिये कोई प्रावधान नहीं । हमारे लिये कोई अच्छे काम ही नहीं । सैल्स टैक्स माफ हो, या इन्कम टैक्स माफ हो या बैकवर्ड एरिया का माफ हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग काम करेंगे । आपके थ्रू मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस इण्डस्ट्री को आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य । श्री रतनलाल ताम्बी । श्री कालूलाल गूजर ।

श्री दलजीत सिंह : यह जो आपने खनिज निकाली है उसके अनुसार काम करने की कृपा करेंगे । धन्यवाद ।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है....

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो मंत्री रहे हुये हैं ।

श्री कालूलाल गूजर : जो कुछ मेरे टाइम में ठीक हुआ है और जो कुछ अभी रह गया है उसको ठीक करने के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं । मोदीजी ।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश का विकास और किसी भी देश की बहबूदी इस बात

(श्री कालूलाल गूजर)

पर निर्भर करती है कि उस देश का औद्योगिक विकास कितना हो चुका है; उस देश के अन्दर कितना औद्योगिक विकास हो गया और कितना उद्योग लगाने की सम्भावनाएं हैं, उस देश की कृषि की आय कितनी है; उस देश के अन्दर औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना है, यातायात के साधन कितने हैं और वहां की बिजली और पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं। इस पर उस देश का विकास निर्भर करता है। राजस्थान में भी विकास की दृष्टि से तेजी से क्रान्ति हो रही है। विशेषकर के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, 1990 से अब तक राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो उद्योग लग रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं हैं, तो वह है खनिज बेस्ड उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योगों का यहां पर ज्यादा स्कोप है। मैं सोचता हूं कि जितने छोटे सीमेंट प्लांट, बड़े सीमेंट प्लांट या और भी खनिजों, लाइम स्टोन पर आधारित उद्योग या और भी खनिजों पर आधारित उद्योग काफी यहां पर लगे हैं और भविष्य में भी और लगने की यहां पर भारी सम्भावनाएं हैं। यहां विपुल मात्रा में खनिज मिलता है। सभी प्रकार के उद्योग इस राजस्थान में है। मैं जब उद्योग का नाम लेता हूं तो मेरे गृह जिला भीलवाड़ा को निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा औद्योगिक दृष्टि से आज राजस्थान के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के नक्शे पर और यदि संसार के नक्शे में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। भीलवाड़ा औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हुआ है। वहां का टैक्सटाइल उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। डेढ़ करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह भीलवाड़ा में शूटिंग का आज की तारीख में बन रहा है जो हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ समस्याएं भीलवाड़ा में औद्योगिक दृष्टि से है उनकी ओर माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी ने बताया था कि औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर भीलवाड़ा में लगना था, पहले उनके क्षेत्र मांडलगढ़ में तय किया गया था, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके द्वारा औद्योगिक डवलपमेंट होना है। चूंकि मांडलगढ़ में किसी कारण नहीं लगा तो उसे भीलवाड़ा के पास हमीरगढ़ के नजदीक लगाने का राज्य सरकार ने निर्णय किया और वहां पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही रीको द्वारा हुई। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 3, 4, 5 की कार्यवाही हो गयी लेकिन आगे की कार्यवाही वहां पर रुकी हुई है। इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन अवाप्त की जा रही है वह जमीन खेती के लिये, काश्तकारों के लिये बहुत अच्छी है, खूब उपजाऊ जमीन है इसलिये, वहां के काश्तकार विरोध कर रहे हैं कि इस औद्योगिक सेन्टर को यहां से हटाया जाए और हमारी खेती के लिये जो बहुमूल्य जमीन है, उसको उद्योग के काम में नहीं ली जाए। इसलिये यह मामला अभी अटका हुआ है। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में जो भी निर्णय लेना है उस

(श्री कालूलाल गूजर)

सम्बन्ध में जल्दी ही फैसला करें, चूंकि यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है यदि हमने समय पर इसको उपयोग में नहीं लिया तो यह लैप्स हो जाएगा और करोड़ों रुपया इस सैन्टर के लिये आया है वह लैप्स हो जाएगा। उद्योग मंत्री जो अगर यह समझते हैं कि ये वहां पर लगाना ठीक नहीं है, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इन्हें सुझाव देना चाहूंगा कि जिस स्थान पर प्रस्तावित है उसके बजाय मेरे विधान सभा क्षेत्र के समीप ही मांडल क्षेत्र है, जो केवल 10 किलो मीटर दूर है (व्यवधान) मेरे यहां पर माण्डलगढ़ में पानी नहीं है, मेजा डैम भरा हुआ है मांडल विधान सभा क्षेत्र में तो मेजा और भादू गांव के बीच में काफी जमीन भी है और यह औद्योगिक क्षेत्र वहां स्थानान्तरण हो सकता है, स्थापित हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर भी माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि भीलवाड़ा में जो रीको एरिया है उसमें करीब-करीब उद्योग लग चुके हैं और काफी लम्बा चौड़ा इलाका उद्योगों के द्वारा पूरा होने वाला है, थोड़ा बहुत ही खाली बचा है, अब भीलवाड़ा में जैसे-जैसे औद्योगिक दृष्टि से और दबाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जिस स्थान पर अभी औद्योगिक क्षेत्र है यहां कोई भूमि उद्योग लगाने के लिये बचेगी नहीं। इसलिये इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिये सैटेलाइट स्थान औद्योगिक दृष्टि से और चुनना चाहिये और उसके लिये वह स्थान जो मैं बता रहा हूं वो ही उपयुक्त हो सकता है। इसलिये इसका सर्वे करवाया जाए। औद्योगिक ग्रोथ सैन्टर के लिये भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि वहां बंद करना है तो मैं बता रहा हूं उस जगह लगाया जाए और जो जगह मैंने बतायी इसको भी रीको के तहत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके वहां पर उद्योगों को पनपाया जाना चाहिये। ताकि भीलवाड़ा की जो औद्योगिक गति चल रही है उसमें और तीव्रता आ सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान कुछ भीलवाड़ा में अनियमितताएं हो रही हैं उनकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। मैंने पूर्व में विधान सभा में एक मामला उठाया था। पहले भीलवाड़ा छोटा शहर था तब उसके आसपास कई उद्योग लग गये और लोगों ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि को आवंटन करवा लिया। कुछ लोगों ने अपनी खुद की जमीन को भी सरेण्डर करके औद्योगिक प्रयोजनार्थ उसको सैट अपार्ट करवा लिया, कन्वर्जन करवा लिया। जिसमें क्रिस्टाजिनिंग फैक्ट्री, प्रमुख उद्योग हैं उसके पास ही झंवर प्लास्टिक है, नरेन्द्र एण्ड नरेन्द्रा है, ऐसे 4-5 उद्योग हैं। चूंकि यह उद्योग पहले चलते थे लेकिन लम्बे समय से बन्द हो गये और बंद होने के कारण उनकी फैक्ट्रियों में जो मशीनें थीं वह भी बेच दी और जो जमीन थी, जो पहले गांव के बाहर थी अब बिलकुल शहर के बीच में आ गयी और बहुत ही वेल्यूएबल लैंड हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ तो आवंटन करवा रखी है, परन्तु उसके ऊपर लोगों ने कामर्शियल काम्पलैक्स बना लिये। जिसकी शिकायत मैंने यहां की, जिसकी जांच भी करवायी गयी। वहां कामर्शियल काम्पलैक्स बने, उद्योग विभाग के अधिकारी का दफ्तर वहां पास में, रीको

(श्री कालूलाल गूजर)

के अधिकारी का दफ्तर वहां पास में और सबके सामने दुकानें बनी। जब मैंने यह शिकायत की उसके बाद उस पर कार्यवाही हुई। ऐसा लगता है कि रीको के जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं उनकी मिलीभगत से यह बने हैं। लेकिन उस अधिकारी को वहां लगे हुए तीन-चार साल हो गये लेकिन उद्योग मंत्री जी ने उसको अभी तक हटाया नहीं। मैंने तो यह निवेदन किया है कि उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने औद्योगिक भूमि पर कार्मशियल काम्पलैक्स बनाने में शेयर किया। इस तरह की शिकायतें और भी हो सकती हैं। मैंने तो केवल दो-तीन नाम बताये। इस प्रवृत्ति को रोका जाए अगर यह प्रवृत्ति नहीं रुकी तो जो शहर के बीच की जमीनें हैं उनका उद्योग बन्द कर देंगे और आराम से वहां पर कार्मशियल काम्पलैक्स बना कर बेचेंगे, किराये पर देंगे। इसके सरकार को जो कन्वर्जन के चार्जेज मिलने चाहिये, कन्वर्जन होने काबिल जमीन है यहां नहीं इसकी कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। सीधे ऐसे बना लेंगे तो सरकार को भी घाटा होगा और सब अव्यवस्थित कार्य हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी कार्मशियल काम्पलैक्स बनते हैं उनमें किस तरह की रिक्वायरमेंट होनी चाहिये, वहां कहां पार्किंग स्थल होना चाहिये, वह सब डिजाइन हो लेकिन इन सब बातों को जो नये तरीके के कार्मशियल काम्पलैक्स बना रहे हैं। वह नहीं देख रहे हैं और शहर की सुन्दरता खतम हो रही है। इसीलिए इस ओर ध्यान दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में ग्रेनाइट मिल रहा है इसलिये ग्रेनाइट के कारखानें भीलवाड़ा में लग सकते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्रेनाइट के लिये अलग से औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए ताकि वहां पर ग्रेनाइट के डवलपमेंट के लिए फैक्ट्रियां लग सकें। वहां कुछ खानें आबंटन कराने के लिये कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है, एग्रीमेंट भी हुए हैं, कुछ खानें चल भी रही हैं, कुछ लोगो ने अभी एग्रीमेंट नहीं करवाये हैं लेकिन चूंकि आने वाले समय में यह मिनरल क्षेत्र डवलप होने वाला है इसलिये इसमें फैक्ट्रीज लगाने के लिये भी व्यवस्था की जाए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भीलवाड़ा में टैक्सटाइल उद्योग तो लग रहे हैं और टैक्सटाइल उद्योग की प्रबल रूप से डवलप होने की अच्छी सम्भावनाएं भी हैं लेकिन इसके साथ-साथ और भी बड़े उद्योग वहां पर लग सकते हैं। यदि बड़े उद्योगों को लगाने के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी जब बाहर पधारते हैं और बड़े-बड़े उद्योगपतियों से बात करते हैं तो वहां मारुति का कारखाना लगे, लेलैण्ड कम्पनी का लगे इस तरह के कारखाने हो वहां तो क्योंकि एक ही टाइप का उद्योग भीलवाड़ा में पनपे उसके बजाय एक आध और कोई टाइप का उद्योग वहां लगे इसके लिये भी उद्योग मंत्री जी यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वहां सारी सुविधाएं हैं। वहां पर यह डवलप हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ खनिज विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहां हो गया। मैं तो अभी बोला ही नहीं। अभी तो पांच मिनट हुए हैं। लोगों ने आधा-आधा घण्टा बोला है। मुझे तो पांच मिनट हुए हैं। मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूं। खतम ही कर रहा हूं।

खनिज की दृष्टि से राजस्थान में विपुल भण्डार हैं और राजस्थान की धरती में बहुत खनिज हैं। इससे कोई दोराय नही है। खनिज का दोहन हो रहा है। खनिज से राजस्थान की सरकार को खूब अच्छी इन्कम भी हो रही है इसमें भी कोई दोराय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विभाग इन्कम की दृष्टि से और ध्यान दे तो और बढ़ सकती है, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं खनिज विभाग में पहले मंत्री रहा था तो मुझे ध्यान है। इसमें यह आंकड़े भी आये हैं कि 1990–91 में 78 करोड़, 1991-92 में 103 करोड़, 1992–93 में 153 करोड़, 1993–94 में 163 करोड़, 1994-95 में 183 करोड़ और 1995–96 में 213 करोड़ की इन्कम हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह कि 1990–91 में 7 करोड़, 1991–92 में 31 करोड़ तथा 1992–93 में 50 करोड़ की वृद्धि हुई थी। राज्यपाल के शासन में केवल 10 करोड़ की वृद्धि हुई। उसके बाद फिर 9 करोड़ और जब 21 करोड़ की वृद्धि हुई हैं। यह जो गति है तो किस तरह से तीन साल में 7,31 और 50 बढ़ती गयी है और यह बीच में कम हो गयी और फिर वापस इस साल ठीक हुई है। इसका मतलब यह है कि विभाग में जिस तरह से इन्कम बढ़ाने की प्रक्रिया है, जो गति हैं वह ऊंची-नीची हो रही है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : ऊंची करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर : हां, इसको ऊंची ले जाएं। सब ध्यान है इनको। यह तो पुराने +++ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह+++शब्द निकाला जाए।

एक माननीय सदस्य : यह तो कहावत है।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, इन्कम बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव है और वह सुझाव मैं माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। एक तो हमारे यहां राजस्थान में लिग्नाइट के अपूर्व भण्डार हैं। यहां पर खूब लिग्नाइट है। परन्तु लिग्नाइट के लिये हमेशा यह तय किया गया कि बिजली पैदा करने के लिये इसका रिजर्वेशन किया जाए। बाद में 1991–92 में यह तय किया कि जो बिजली के लिये रिजर्व भण्डार हैं, उसके अलावा इनको प्राइवेट सैक्टर में देकर इसका दोहन किया जाए। लेकिन जिस तरह से इसका दोहन होना चाहिये वह अभी तक हुआ नहीं है। यह बात हम किसी जमाने में किताबों में पढ़ते थे कि राजस्थान में पलाना के पास लिग्नाइट मिलता हैं। लेकिन अभी तक उसका उपयोग जिस तरह से होना

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(154)

(श्री कालूलाल गूजर)

चाहिये उस तरह से हुआ नहीं है। इसलिये इसका ज्यादा से ज्यादा दोहन जल्दी से किया जाए। इसी तरह से आपने जो नई खनिज नीति बनायी है उसकी वजह से खनिज मालिकों को काफी सुविधा मिली है और उससे इन्कम भी बढ़ी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मार्बल की जो नीति बनायी है उसके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि आपने मार्बल नीति में यह तय किया कि खानें आवंटन करने के लिये डेलीनेशन करके फिर आवंटन करेंगे। जबकि पहले यह था कि कोई भी आदमी एरिया ढूंढ़कर खान देखता उसको फर्स्ट-कम-फर्स्ट के आधार पर आवंटन होता था। इसके कारण से कई आदमी इस खोज में लगे रहते थे कि कहां पर मार्बल मिलेगा और उसको ढूंढ़कर एप्लीकेशन लगाये, ताकि प्रायोरिटी से उसे खान मिले। अब आपने उसको जनरेलाइज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : कोई भी आदमी अब आगे होकर मार्बल की खान का पता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मैं ढूंढूंगा तो पता नहीं किसको मिल जाए। प्रायोरिटी तो उसकी है नहीं। इसलिये एक तो यह दिक्कत है। नम्बर दो यह कि जो छोटे एरिये है जहां पर दो या चार प्लाट हैं, उसका डेलीनेशन नहीं हो सकता। डेलीनेशन के लिये बड़ा प्लांट, बड़ा एरिया, बड़ी जगह चाहिये। अब राजस्थान में बड़े-बड़े एरिये तो मार्बल के बचे नहीं है, कई छोटी-छोटी जगह बची हैं, उनका इस नीति की वजह से डेलीनेशन नहीं हो सकता, आवंटन नहीं हो सकता। इसकी वजह से भी आपकी इन्कम कम हो रही है। आप इस नीति में चेंज करके बढ़ा सकते हैं।

इसी तरह से मकराना के अन्दर क्वारी लाइसेंस है। मार्बल में क्वारी लाइसेंस दिये जाते हैं। लेकिन वहां पर उसकी साइज 100 बाई 100 मीटर की रख रखी है। जबकि वहां लोगों की डिमाण्ड है, वहां आप स्वयं पधारें, कभी देखें, तो छोटे छोटे प्लाट हैं। वहां 50 बाई 50 फीट, 100 बाई 50 फीट के भी प्लाट हैं जिनमें माइनंस चल रही है। मैं कहता हूं कि इतने छोटे न भी दिये जाएं, परन्तु कम से कम क्वारी लाइसेंस में जो नियमों में आपने दे रखे हैं 30×60 मीटर, वह पद्धति तो लागू करे ताकि वहां छोटे-छोटे जो टुकड़े पड़े हैं जहां अवैध खनन हो रहा है। रोज शिकायतें मिल रही हैं वे शिकायतें दूर हो सकती हैं। वह आवंटन हो जाए तो उससे भी आपकी इन्कम बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेंट है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री कालूलाल गूजर : एक भीलवाड़ा का मामला कह कर बात समाप्त कर रहा हूं कि वह इम्पोर्टेंट है... (व्यवधान) बिजौलिया के अन्दर क्वारी लाइसेंस दे रखे हैं और क्वारी लाइसेंस....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था। आप अनुपस्थित थे....(व्यवधान) अब लास्ट में आएगा।

श्री कालूलाल गूजर : क्वारी लाइसेंस जो वहां पर जारी कर रखे हैं। यहां पर अभी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मैन्युअल लेबर और जो सर्विस में मारे गये उनकी विधवाएं हैं, इस तरह की कैटेगरीज बना रखी हैं और लाइसेंस दे रखे हैं।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें माननीय सदस्य। श्री लक्ष्मण सिंह जी

श्री कालूलाल गूजर : लेकिन अधिकतर खानों पर माफिया गिरोहों ने कब्जे कर रखे हैं। नाम पर खानें किसके हैं और दूसरों ने कब्जे कर रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गूजर : मैंने एक सर्कूलर जारी किया था कि वहां पर उनकी फोटो लगायी जाएं, फोटो लगाने के बाद ही उनका नवीनीकरण किया जाए और नये लाइसेंस दिये जाएं। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। माफिया गिरोह जो पनप रहा है जो गरीब आदमियों के नाम से खानें आवंटित करा रहा है और एक-एक आदमी की पता नहीं कितनी खानें लेकर धंधे कर रहे हैं। नाम तो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है। उनके ऊपर रोक लगाने का प्रबन्ध किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की मांग पर अपने विचार प्रकट करूंगा। देश में पिछले कुछ वर्षों से लिबरलाइजेशन का वातावरण बना हुआ है और केन्द्र सरकार की नई नीति की अनुपालना में उसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी उद्योग की नई नीति बनायी है। उद्योग की नीति में कई आदर्श स्थापित किये हैं और आदर्श स्थापित करने भी चाहिये। आइडियल्स आर लाइक आवर गाइडिंग स्टार। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो यह राज्य सरकार अपने उन आदर्शों की प्राप्ति करने में विशेष रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। आज के उद्यमी को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उद्यमी को क्या चाहिये ? उद्यमी को चाहिये जमीन, उद्यमी को चाहिये पूंजी और उद्यमी को चाहिये बिजली। रा-मैटीरियल का इन्तजाम वह स्वयं के साधनों से ही करता है। अगर हम उसको जो जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराती है उसकी नीति पर देखें, तो या तो वह अपनी प्राइवेट लैण्ड को कनवर्ट कराये जिसको कनवर्सन कराने में नियम आपने जरूर सरल बनाये हैं लेकिन फिर भी आज उद्यमियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नीचे तहसीलदार और एस.डी.ओ. के स्तर पर उनको आज भी काफी चक्कर काटने पड़ते हैं और अगर हम रीको के माध्यम से जो लैण्ड अवेलेबल करायी जाती है उसको देखें, तो जो आपका रिकार्ड है रीको का 1994–95 का प्रतिवेदन। उसी के हिसाब से आपने विकसित भूमि पिछले वर्षों में जो उपलब्ध करायी है उसमें काफी कमी रही है। 1992–93 में 740 एकड़, 1993–94 में 390 एकड़,

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

1994–95 में 293 एकड़ विकसित भूमि उपलब्ध करायी।

(16.00)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो दूसरी समस्या उद्यमी फेस करता है वह है पूंजी की। कोई भी साधारण या औसत दर्जे का उद्यमी अपनी स्वयं की पूंजी के आधार पर एक उद्योग नहीं लगा सकता और उसको आर.एफ.सी. की, रीको की मदद लेनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि आर.एफ.सी. और रीको ने पिछले वर्ष में कुछ नहीं किया, उन्होंने काफी कुछ किया है लेकिन फिर भी कई जगह पर उनको अपने कार्य-कलापों में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं वापस रीको के ही 1994–95 प्रतिवेदन को रैफर करूंगा, जिसमें आपने जो ऋण वितरित करना बताया है कि 1992-93 में वह 35 करोड़ 75 लाख का था जो 1993-94 में घट कर 30 करोड़ 82 लाख का हो गया और 1994-95 में आपने अपना लक्ष्य भी 1992-93 से कम अर्थात् 32 करोड़ का रखा। इसी प्रकार से आपने जो अंश पूंजी का वितरण किया 1992-93 में वह 648 लाख था और उसमें आपने लक्ष्य 1994-95 में सिर्फ 600 लाख का ही रखा। इसी प्रकार से सब्सिडी का वितरण हुआ वह भी कम होता गया। 1992-93 में 4 करोड़ 87 लाख रुपये का था वह घट कर 1993-

(16.03)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

94 में 4 करोड़ 2 लाख का हुआ और आपने लक्ष्य 1994-95 में सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख रुपये का रखा।

सभापति महोदया, तीसरी चीज उद्यमी को जो आवश्यकता होती है वह विद्युत की होती है। विद्युत के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आज जो विद्युत की स्थिति बनी हुई है, ऊर्जा की स्थिति बनी हुई है वह निःसन्देह उद्यमी के लिये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और मैं सरकार को इस बारे में आगाह करना चाहता हूं कि 1997 is going to be the darkest year for industri l atmospher and for the industries of Rajasthan. क्योंकि आपके इस दो साल के पीरियड के अन्दर आपकी नयी यूनिट्स आयी नहीं और इस पीरियड में आपकी इण्डस्ट्रियल यूनिट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी इस कारण से लोड पड़ेगा और आपके पास एनर्जी कम है इसी लिये इण्डस्ट्रियल सैट बैक का वर्ष 1997 होने वाला है। इसलिये राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

सभापति महोदया, अगर हम विवेचना करें कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो औद्योगिक वातावरण बनाना चाहते थे और जो आधुनिकीकरण होना चाहिये था वह क्यों नहीं हुआ, तो कुछ बातें सामने आएगी। पहली चीज तो हमारे एफर्ट्स हाफ हार्टेड हैं और हमारी जो पोलिसीज बनीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, विशेष रूप से लोवर लेबल पर और डिस्ट्रिक्ट लेबल के ऊपर हम उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाये। इसके साथ-साथ में जो पोलिसी स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी नीति के यहां पर उद्घोषक हैं, वह चाहे सरकार के प्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारीगण हों उनके स्टेटमेंट में काफी

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

विरोधाभास होता है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस कारण से चाहे विदेश में हो या चाहे देश के अन्य प्रांतों में हो राजस्थान के बारे में एक भ्रामक सी स्थिति बनी हुई है। पहली चीज तो यहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब राजस्थान में बात करते हैं तो कहते हैं कि पानी की कमी है, बिजली की कमी है, ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन जब विदेश में जाते हैं, यहां से बाहर जाते हैं तो उनको सब्जबाग दिखाते हैं। आफ्टर आल कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट्स यहां पर आएगा तो पूरी तहकीकात करके आएगा और जब देखता है कि मुख्य मंत्री जी बाहर इजरायल में जाकर कुछ कहते हैं, दिल्ली में जाकर के, बैंगलोर में जाकर के, कलकत्ता में जाकर के कुछ कहते हैं और वस्तु स्थिति यहां पर कुछ और है। तो उसकी नजर में स्टेट गवर्नमेंट की और मुख्य मंत्रीजी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। इस कारण से वे विश्वसनीयता खोने के कारण से वे यहां आने का साहस नहीं जुटा पाते हैं।

सभापति महोदया, मैं उदारीकरण के बारे में भी, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में अक्सर अपने विचार प्रकट करते हैं, उनको कहना चाहूंगा। उप मुख्य मंत्री जी ने अलवर में 19 फरवरी को कहा था कि जिन समस्याओं से देश का आम नागरिक जूझ रहा है उदारीकरण की नीतियों के कारण उनसे निजात मिलना मुश्किल है। बेरोजगारी, गरीबी और आत्म निर्भरता की नीतियों का इस देश में कोई लाभ नहीं होगा। एक तरफ तो आप उदारीकरण की नीतियों की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ उसी उदारीकरण की नीति की अनुपालना के अन्दर अपने यहां पर प्रावधान करना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? आफ्टर आल आपके प्रिंसिपल में, आपकी प्रेक्टिस के अन्दर बैलेंस नहीं रहेगा। अगर उनके अन्दर समानता नहीं होगी, तो कोई भी उद्योगपति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसी प्रकार से उप मुख्य मंत्रीजी ने 16 अक्टूबर, 1995 को यह भी कहा, "पिछले वर्ष की विदेशी पूंजी के अबाध निवेश से अर्थ व्यवस्था को चुनौती"। हम एक तरफ तो चाहते हैं कि विदेशी पूंजी आये। अब मुझे मालूम नहीं कि यह चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि स्वदेशी का वहां बीच में जाल डाल रखा है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि विदेशी पूंजी का अबाध निवेश। यह गलत है तो इस बारे में स्पष्ट किया जाए कि आप करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं।

इसी दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया था 6 मार्च को। उन्होंने उसमें विदेशी पूंजी बल पर विकास कार्यों की निर्भरता का विरोध किया और कहा कि शनैः-शनैः कुछ इस प्रकार का मानस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि विदेशी पूंजी से ही विकास सम्भव है। उन्होंने कहा कि हमको देशी पूंजी के विनियोजन के जरिये ही आत्म निर्भर बनना पड़ेगा और विदेशी पूंजी और निजी क्षेत्र के सहयोग से विकास सम्भव हो, ऐसी भावनाओं को हमें देखना पड़ेगा। अब स्वदेशी पूंजी तो आपके पास कम है और विदेशी पूंजी के बारे में आप इस प्रकार से विरोधाभास वाली बात करते हैं, तो इस कारण से कंफ्यूजन है और ज्यादा पैदा होता है।

(1·58)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

सभापति महोदया, मैंने अभी स्वदेशी वाली बात कही। स्वदेशी के बारे में सरकार की नीतियां, सरकार का सोच बड़ा विकृत रहा है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। विदेशी पूंजी लाना चाहते हैं लेकिन शब्दों में उसका विरोध करते हैं। इजरायल की यात्रा करते हैं, थाइलैंड की यात्रा करते हैं लेकिन जब वहां से विदेशी पूंजी ला नहीं पाते हैं तो यहां पर आकर विदेशी पूंजी का विरोध करते हैं और यहां पर स्वदेशी के नाम ऊंची बात करते हैं। चलिये, आप ऊंची बात करते हैं लेकिन कम से कम उसकी अनुपालना तो कीजिये। यह कहते हैं कि हम विदेशी पूंजी वहीं लगाएंगे जहां पर ऊंची टेक्नोलोजी की आवश्यकता हो और जिस क्षेत्र के अन्दर इंडियन इण्डस्ट्रियलिस्ट प्रवेश नहीं कर सकते हों, वहीं पर हम विदेशी कम्पनियों को लगाना चाहेंगे। लेकिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में विदेशी उद्यमियों द्वारा यहां पर कौन-कौन सी फैक्ट्री, इण्डस्ट्रीज लगायी गयी है, मगर मैं इस पूरे को पढ़ कर ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। आपने एक विन्शन ब्रेवरीज को यहां पर इन्वाइट किया। उन्होंने पूंजी लगायी बीयर बनाने पर। अब बीयर बनाने के लिये कौन सी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है जिससे कि आप विदेशी कम्पनी को इन्वाइट कर रहे हैं। आपने शेविंग ब्लेड के लिये यहां पर एक विदेशी कम्पनी को आमंत्रित करके उनकी फैक्टरी लगायी। आपने यहां पर रेडियटर्स के लिये विदेशी कम्पनी को यहां पर आमंत्रित किया, उनकी फैक्टरी लगायी। इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वदेशी पर उदारीकरण पर जो राज्य सरकार के अक्सर स्टेटमेंट आते रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में जो विरोधाभास आता रहा है उसके कारण से प्रदेश के अन्दर नये पूंजीपति, नये इण्डस्ट्रियलिस्ट यहां पर आने को कतराते रहे हैं और वे राज्य सरकार का विश्वास नहीं करते कि यह कह क्या रही है और करेगी क्या।

सभापति महोदया, पिछले कुछ वर्षों में मुख्य मंत्री और यहां के कई अधिकारीगण विदेश गये, थाइलैंड, इजरायल गये। हमें उम्मीद थी कि वहां से पूंजी का विनियोजन होगा, एम.ओ.यूज. साइन किये जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने इजरायल के साथ में 17 एम.ओ.यूज. पिछले वर्ष साइन किये। गुजरात की गवर्नमेंट ने भी 7 एम.ओ.यू. साइन किये इजरायल के साथ में लेकिन मेरी नालेज में तो नहीं है, अगर है तो आप मुख्य मंत्रीजी बता दीजिए कि आपने पिछले वर्षों के अन्दर इजरायल या थाइलैंड की यात्राएं की हैं वहां से कितने एम.ओ.यूज. और किन-किन इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए आपने साइन किये हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर परफोरमेंस का हम विश्लेषण करें, सभापति महोदया, और उसका आंकलन करें तो हम पाएंगे कि पिछले वर्षों में इण्डस्ट्री के ऊपर जो प्लांड एक्सपेंडीचर था उसके प्रतिशत में भी कमी आयी है। यह सरकार न तो किसानों की सरकार है और न ही इण्डस्ट्रियलिस्ट की सरकार है। किसी एक की सरकार हो तो भी समझ में आता है। न यह बिजली देती है, न यह कृषि के लिये प्लान में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराती है और इण्डस्ट्री के लिये पिछले तीन साल

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

का अमर मैं आपको बताऊं कि प्लान एक्सपेंडीचर कितना हुआ, प्रतिशत में गिरावट हुई है तो यह स्पष्ट हो जाएगा। 1992-93 में प्लान एक्सपेंडीचर 5.84 प्रतिशत था आपके कुल प्लान का, वह 1994-95 में 5.28 घट कर रह गया और 1995-96 में सम्भवतया 5.10 प्रतिशत था। इण्डस्ट्री के ऊपर आपका प्लान एक्सपेंडीचर तो घटता चला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर इण्डस्ट्रियल वातावरण बनाना चाहते हैं। इन दोनों चीजों का तालमेल नहीं होता है। सभापति महोदया, आपके प्रोडक्शन को देखें, वह भी इस बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश के अन्दर इस प्रदेश की सरकार प्रोडक्शन को बढ़ाने के अन्दर असफल रही है। आपने अपने इकोनोमिक रिव्यू 1995-96 के पेज 22 में करीबन 26 प्रोडक्शंस की लिस्ट दी है। इन 26 प्रोडक्शंस में से पिछले तीन वर्षों में 14-15 प्रोडक्शंस में गिरावट आयी है। उनमें भी विशेष रूप से नमक, सीमेंट, पानी, के मीटर पोलीयस्टर व सूती धागा इत्यादि के प्रोडक्शंस में लगातार गिरावट आयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार न तो गम्भीरता से नीति बनाती है और न ही गम्भीरता से उसका पालन करती है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, दो बिन्दू और निवेदन करना चाहूंगा। इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरे राजस्थान में हो और राज्य में बेलेंस बने यह मैं चाहता हूं। मैं गुजरात का एक उदाहरण देना चाहूंगा वहां एक इण्डस्ट्रियल कोरीडोर बना हुआ है वह रोड के अहमदाबाद और बोम्बे के बीच एन. एच. 8 पर बना हुआ है। गुजरात का 87 प्रतिशत प्रोडक्शन सिर्फ इन तीन सिटीज बड़ौदा, सूरत और भरौंच के आसपास है। इसी कारण से वहां बड़ा इम्बेलेंस हो गया है। कुछ कुछ वैसी ही स्थिति राजस्थान में भी बनती जा रही है। यहां पर इण्डस्ट्रियल एटमोस्फीयर या प्रगति है वह सिर्फ तीन-चार पाकेट्स में हो रही है। कोटा, अलवर और जयपुर में है। जबकि कई डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पीछे रह रहे हैं। इस इम्बेलेंस को दूर करने के लिये डिस्ट्रिक्ट्स को यूनिट नहीं माने कि कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पीछे हैं बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स के साथ-साथ में तहसील और सब डिविजन को यूनिट मानें कि कौन-कौन से तहसील और सब-डिविजन में इण्डस्ट्रीज कम हैं और उन तहसीलों और सब-डिविजन्स को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की आवश्यकता पर मैं बल देना चाहूंगा।

विदेशी निवेश भी इण्डस्ट्रियल इम्बेलेंस को बढ़ा रहा है। आज अगर कोई विदेशी आता है तो या तो वह कोटा जाता है या भिवाड़ी जाता है या अलवर जाता है, वह प्रदेश के पिछड़े इलाकों में नहीं जाता है जबकि हम वहां उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमें उनको प्रेरित करना चाहिये कि वह प्रदेश के पिछड़े इलाकों में जाकर इण्डस्ट्री लगाये। इन पिछड़े इलाकों में अजमेर, नागौर और डूंगरपुर भी हैं।

मैं लैंड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि इण्डस्ट्री तो जमीन पर ही लगेगी लेकिन किस प्रकार की जमीन पर लगेगी इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

आप किसान की वह अच्छी जमीन जिसमें वह तीन–तीन फसलें पैदा करता है, वह एक्वायर कर लेते हो। बहुत अच्छी जमीन पर इण्डस्ट्री लगाना मेरे ख्याल से एक कदम आगे जाकर दो कदम पीछे हटना है। जमीन रबड़ की तरह बढ़ नहीं सकती। जमीन तो सीमित है। इसलिये यदि आपको अपना इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करना है, तो कृपा करके आप सिर्फ जो बारानी जमीन है उसी को एक्वायर कीजिये या बंजर जमीन को लीजिये। इस प्रकार अनुपयोगी जमीन का ज्यादा से ज्यादा एक्वीजिशन करके नये इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित कीजिए।

मैं विशेष रूप से अलवर का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां इसी फेक्टर के कारण किसानों की बेशकीमती जमीन जो एक्वीजिशन में आ रही थी, पैसों के लालच से या दबाव से समझ लीजिये, वह बेशकीमती जमीन एक्वायर कर ली और उसका कोई अल्टरनेटिव न होने से वहां उन किसानों की पीढ़ियां एक तरह से बरबाद हो गयीं। इसलिये इस दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिये।

मेरा अन्तिम निवेदन है कि आप इण्डस्ट्रियल पालिसी का सारा क्रियान्वयन प्रदेश स्तर या जयपुर के स्तर से न करें। जब तक आप जिला स्तर पर डी.आई.सीज. को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर की डिस्ट्रिक्ट्स इण्डस्ट्रीज सेन्टर को पावर नहीं देंगे। तब तक हम इण्डस्ट्रिलाइजेशन के लिये अच्छा वातावरण नहीं बना पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज आफिसर को इतना सक्षम होना चाहिये कि वह वहां पर निर्णय ले सके और उससे जो गाइडेंस लेने आये उनको सुचारू रूप से गाइडेंस दे सके। इस प्रकार के हमको इंतजाम करने चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं श्री+++द्वारा प्रयोग में किया गया+++में से++शब्द को एक्सपंज करने के निर्देश देती हूं। श्री रतनलालजी ताम्बी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। शब्दों को अंकित नहीं करने की परिपाटी बहुत ज्यादा होती जा रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत गलत चीज है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई बात नहीं। आपके लिये नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो हमेशा (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आपको शक्ति दी है....(व्यवधान) ..

श्री सभापति : बिराजिये। श्री रतन लालजी ताम्बी को बोलने दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दिस इज टू मच ...(व्यवधान) ..

श्री सभापति : दिस इज नोट टू मच.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : लोकोक्तियां और मुहावरे तो लेंग्वेज को रीच करने के होते हैं।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : मुझे आपसे कोई निर्देश नहीं लेना है। मैंने इसको एक्सपंज कर दिया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं अपने विचार प्रकट करूंगा .. (व्यवधान)... इस तरह से यूं ही एक्सपंज थोड़े करते हैं। आप रिकार्ड निकाल कर देख लें जितना एक्सपंज इन दिनों किया जा रहा है उतना एक्सपंज कभी नहीं हुआ। भाभड़ाजी के वक्त में भी इतना एक्सपंज नहीं हुआ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं लेकिन जितने असंसदीय शब्द अभी बोले जा रहे हैं उतने पहले नहीं बोले जाते थे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप कभी पार्लियामेंट में जाकर सुनें आपको मालूम पड़ जाएगा, कान के पर्दे खुल जाएंगे.... (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाज़पुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हुआ अपने विचार रखना चाहूंगा। किसी प्रदेश के विकास में जहां कृषि, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान हो वहां उद्योग और खनिज के माध्यम से बहुत बड़ा नियोजन और रोजगार उपलब्ध होता है। इसीलिये हमारे प्रदेश की सरकार ने औद्योगिक और खनिज नीति बनायी। सरकार इन नीतियों के आधार पर राजस्थान का विकास करना चाहती है। नीति बनाने के बाद नियमों के सरलीकरण की बात भी हुई और कुछ नियमों का सरलीकरण हुआ लेकिन अभी यह बात उठी कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। इसको दूर करने में ये दोनों विभाग ही काफी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आज जहां औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आधारभूत ढांचा तैयार करके वहां तो सरकार कुछ ध्यान दे देती है लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों और जिलों में औद्योगिक विकास के नाम पर कुछ नहीं है। मैं इस मौके पर उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रत्येक तहसील या प्रत्येक नगर पर एक औद्योगिक मास्टर प्लान तैयार करायें कि वहां स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से उद्योग लग सकते हैं और किस प्रकार इस क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सकती है यह देखने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान को यह वरदान प्राप्त है कि यहां प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा विद्यमान है। पर इसका दोहन वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके परिणाम भी गम्भीर होते जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां पर खनिज आधारित उद्योग लग सकते हैं, इस प्रकार की योजनाएं उद्योग और खनिज विभाग समन्वय समिति स्थापित कर बनाये इससे औद्योगिक विकास के काफी अवसर सुलभ हो सकेंगे।

राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, योजनाएं बनती हैं पर ऊर्जा की स्थिति ऐसी है जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में अवरोधक बनी हुई है। इसलिये मेरा आग्रह है कि कुछ क्षेत्र जहां पर उद्योगों की प्रचुर आवश्यकता है, जहां पर आधार-भूत ढांचा और कच्चा माल

162

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हो उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये विद्युत प्रसार को प्राथमिकता दी जाए।

कांग्रेस की सरकार के समय भी और वर्तमान सरकार के भी कई मंत्री जब प्रवासी राजस्थानियों के बीच जाते हैं, बहुत बड़ी बात करके आते हैं और कहते हैं कि हम एक ही खिड़की पर सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे और उसके आधार पर उद्योग खोलने में कठिनाई नहीं होगी। मगर आज कोई भी नया उद्योग लगाता है तो उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं और इतनी कठिनाई आती है, पहली बात तो राजस्थान में बिजली, पानी की कमी के कारण उसका मानस ही बन नहीं पाता है फिर ये अवरोधक सामने आते हैं। इसलिये एक ही खिड़की पर सब सुविधाएं सुलभ हो जाए इसके लिये मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। आप पुरानी बातें जितनी कही गयी हैं, आप जगह-जगह भाषण देते हैं उसके अनुसार और अपन सब लोग चिंतन करके इस प्रकार की उद्योग नीति राजस्थान में बनाये। उसके साथ ही एक ही खिड़की पर अधिक से अधिक लोगों को समय पर पैसा या अनुदान जो भी मिलना हो, स्वीकृत हो इस बात के प्रयास किये जाएं।

तीसरी बात मैं ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। सही बात तो यह है कि जितने भी प्राचीन उद्योग थे, हमारे परम्परागत उद्योग थे, गांवों में रोजगार सुलभ था, दस्तकार थे वह सारे प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं। उसके साथ ही गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ग्रामोद्योग को हम फिर से अधिक से अधिक स्थापित कर सकें और उनका समुचित ढंग से विकास कर सकें, खादी ग्रामोद्योग आयोग बना हुआ है, बोर्ड्स बने हुए हैं उनकी कार्य-प्रणाली, उनके तरीके अपने ढंग से हैं और लोग छोटे-छोटे बिना पढ़े लिखे गांवों में इस तरह के उद्योग करने वाले हैं उनको आसानी से यह सब सुलभ नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन यह है कि ग्रामोद्योगों को भी हम किसी तरह से गांवों में फैला सकें उस बारे में हमारा निश्चित रूप से ध्यान जाना चाहिये।

मैं यह कहते हुए थोड़ा खनिज के बारे में बात कहना चाहूंगा। जी. एस. आई. के नाम से, मैं खास तौर से माननीय खनिज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर विपुल खनिज सम्पदा कई प्रकार की हैं। 1956 में जी. एस. आई. ने बहुत बड़ा क्षेत्र आरक्षित किया नये सर्वेक्षण के नाम पर। जिस तरीके के खनिज सर्वेक्षण की बात उन्होंने कही उस तरीके का सर्वेक्षण करके उसका आज तक तो कोई गुणात्मक परिणाम उन्होंने दिया नहीं। फिर भी इसमें सुझाव यह है, मैं पिछली बार भी वह आपके समक्ष कह चुका हूं कि वह जिस प्रयोजन के लिये आरक्षण चाहते हैं। उस खनिज के अतिरिक्त दूसरी सम्पदा उस धरती में है। मैं कहना यह चाहता था कि जिस तरह के खनिजों को छोड़कर हमारे यहां पर सोपस्टोन है, चाइनावले हैं, लाइम स्टोन हैं डोलोमाइट है और संगमरमर के भी नये क्षेत्र अब डवलप हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में अभी भी संगमरमर निकलता है। जी.एस.आई. के नाम पर जहाजपुर तहसील, कोटडी तहसील

(श्री रतनलाल ताम्बी)

माण्डलगढ़ का कुछ हिस्सा सन् 56 से आरक्षित है। राजस्थान सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करे और प्रयत्न करे और अन्य खनिज सम्पदा जो वहां पर मौजूद है, काम उस इलाके में फैल सकता है।

एशिया की सबसे बड़ी सोप स्टोन की खदानें हमारे क्षेत्र में हैं धनपुरा के अन्दर और खनिज मंत्री महोदय भी आप उसी पड़ौस के क्षेत्र मे आते हैं—मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी इस क्षेत्र में खदानें होते हुए और खनिज विभाग की इतनी आय होते हुए भी वहां पर सड़कों की स्थिति क्या है? तो खनिज की सड़कें वहां पर डवलप हों यह बहुत आवश्यक है। खजूरी से लगाकर गाडरानी तक बीच में संगमरमर का एरिया अभी काफी डवलप हुआ है। वहां लाइम स्टोन का एरिया काफी पड़ा है, सोप स्टोन चलता है तो सड़कें कम्पलीट नहीं है वहां आज तक। तो मैं चाहूंगा कि खनिज क्षेत्र के हिसाब से आप सड़कों के भी निर्माण करने के बारे में सोचें ताकि उस क्षेत्र का और भी खनिज और औद्योगिक विकास आगे बढ़ सके।

राजस्थान में लिग्नाइट के 1 हजार मिलियन टन के भण्डार है और लाइम स्टोन के भण्डार जैसलमेर में 500 मिलियन टन के निकले हैं। मैं यह चाहता हूं कि उसके आधार पर बरसों से हम देख रहे हैं कि बिजली बनाने की बात उसमें चलती रही। तो यह सारा का सारा खनिज औद्योगिक विकास निगम को क्षेत्र दिया हुआ है। उदयपुर में आपने दे रखा है आर.एम.डी.सी. को। तो यह सारा इतना देने के बावजूद भी उसमें करोड़ों रुपयों की सम्पदा है उसके बाद भी हम पूरा दोहन नहीं कर पा रहे मैं समझता हूं कि लोगों को रोजगार मिले। खनिज अन्वेषण एवं दोहन बिलकुल वैज्ञानिक ढंग से हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले।

यह बात भी मैं कहना चाहता हूं कि खनिज क्षेत्र में जो नाजायज खनन हो रहा है, बेनामी खनन हो रहा है। भीलवाड़ा जिले में करोड़ों रुपये का इससे सरकार को नुकसान होता है और ऐसा आम जनता मानती है। वह चारागाह क्षेत्र बना हुआ है राजनेताओं के लिये, अधिकारियों के लिये। इस तरह की धारणा वहां बनी हुई है। स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है। उनको काम नहीं मिले और बेनामी काम बहुत बड़े ढंग से हो जाता है और आपके विभाग की हालत यह है कि एक तरफ तो वह लिख रहे हैं कि किसी प्रकार की यहां पर कोई आपत्ति नहीं है और कुछ वर्षों बाद लिख देते हैं कि यहां पर तो वन भूमि है। आपने पहले एन.ओ.सी. क्यों दे दी? यह जो गड़बड़ घोटाले होते हैं इस विभाग में इसको भी आप देखें। नाजायज खनन के नाम पर बहुत बड़े काम होते हैं उनको आप देखते नहीं हैं। सब आपके ध्यान में आता है और कभी थोड़ा बहुत अभियान दिखावे के लिये कुछ करते हैं और सब जेबें भर भर कर वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर वही नाजायज खनन चलता है। इसलिये इन सब बातों के लिये मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि पूरे क्षेत्र का आप एक सर्वेक्षण प्लान तैयार करवायें। कौन-कौन से जायज खनन है और कौन-कौन से नाजायज खनन हैं, कौनसी बेनामी समितियां है और वह बेनामी समितियां जो बन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रही हैं उनमें कौन लोग हैं। यह सारी बातें माननीय खनिज मंत्री महोदय आपके ध्यान में हैं मगर आपके ध्यान में होते हुए यह सब कुछ क्यों हो रहा है? गृह मंत्री भी आप हैं। आप पुलिस के डंडे बरसाने का भी इन्तजाम कर सकते हैं तो पता नहीं चार दिनों में वापस क्या हो जाता है। इस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि यह सारा काम मिलीभगत से नीचे से ऊपर तक हो रहा है। यह मेरी निश्चित मान्यता है। मिलीभगत के बिना इतना गलत काम गलत ढंग से नहीं होगा।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने संकेत दिया है। मैं समझता हूं कि आप इस बारे में इसको गम्भीरता से लेंगे और उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को जो गरीब हैं, आप अपने आपको शिड्यूल्ड कास्ट का नेता भी मानते हैं, आप गरीब की बात भी करते हैं, गांव, गरीब, गणेश के नारे भी देते हैं और नारा देने के बाद उसके अनुसार काम नहीं करते तो यह लोगों की जो सरकार के प्रति धारणा बनी हुई है वह दूर नहीं होगी। इस बात का आप प्रयत्न करें।

मैं अन्तिम बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि खानों पर गेट और फेट के नाम से जो वहां पर काफी नाजायज काम होते हैं और आपकी सरकार कई बार संशोधन, नयी रीति नीति यह सब करती है, आप खनिज नीति बनाते हैं उसके विपरीत कई काम इस ढंग से हो जाते हैं तो यह धारणा जो उन लोगों में व्याप्त है उसको आप दूर करके एक सुव्यवस्थित ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से खनिज का दोहन हो, अधिक से अधिक राज्य सरकार की आय हो और गरीबों को और हाथ से काम करने वालों को अधिक से अधिक अवसर मिलें। मेरे इन सुझावों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : सभापति महोदय, करीब 4–5 महीने पहले जयपुर के मेरे एक व्यवसायी मित्र सिंगापुर गये। 5–7 दिन सिंगापुर में रहने के बाद जब वह लौटकर आये, देर रात आये तो सवेरे उठते ही सबसे पहले मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप थके-थकाये आये हैं, अभी तो रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी, ट्रेवलिंग में थोड़ा हिसाब-किताब गड़बड़ हो जाता है इसलिए आराम से मिल लेंगे आज। उन्होंने कहा कि आज नहीं मैं अभी आया। वह आते ही मुझसे पहले तो बहुत उत्साह से मिले और बहुत तारीफ करने लगे कि जालौर का इतना महत्व है मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि क्या हो गया कुछ बताइये तो सही। उन्होंने कहा कि मैं सिंगापुर के बाजारों में घूम रहा था। घूमते-घूमते ऐसे ही एक मार्बल की दुकान में घुस गया और वहां घुसकर भावताव पूछने लगा कि किस भाव बिकता है, किस भाव आता है, कहां से आता है, क्या होता है। जब ग्रेनाइट के बारे में मैंने पूछा तो बताया कि ग्रेनाइट हमारे यहां कुछ तो मलेशिया से आता है, कुछ इन्डोनेशिया से आता है और बाकी जालौर से आता है। भारत नहीं, राजस्थान नहीं, सीधे जालौर। इसलिये वह बोला कि मैं आपके पास आया हूं और इतने महत्वपूर्ण

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

स्थान के आप रहने वाले हो, आपने तो मुझे बताया ही नहीं।

सभापति महोदया, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं कितने महत्वपूर्ण और महान स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुझे गर्व है इस बात का लेकिन यह जो जालोर का नाम बना है आप भी जानती हैं कि इसके पीछे पिछले 15 सालों की कठोर तपस्या है, साधना है जालोर निवासियों की। अब तक ग्रेनाइट में जो कुछ होता था कटिंग होती थी, पालिशिंग होती थी, सारी की सारी टेक्नोलोजी इटली से आती थी। मशीनरी इटली से आती थी दुनियां भर में। इटली की बनी मशीनें आती, इटली का कटिंग का तरीका, इटली का पालिशिंग का तरीका, पानी का उपयोग करके डायमण्ड का कटर लगाकर वह सारा सिस्टम था। वह बहुत मंहगा और बहुत कष्टसाध्य काम था। प्रोडक्शन बहुत कम होता था उसमें और प्रोडक्शन कोस्ट बहुत आती थी। 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया फीट की उसमें कोस्ट आती थी और इसीलिये यह कहावत बन गयी कि ग्रेनाइट करोड़पतियों के काम की चीज है। गरीब आदमी के काम की चीज नहीं है। उस करोड़पति के काम की चीज को जालोर के उद्यमियों ने, जालोर के व्यवसाइयों ने गरीब आदमी के काम की चीज बना दी। सभापति महोदया, आज की तारीख में अच्छे मार्बल की तुलना में ग्रेनाइट ज्यादा सस्ता है। अच्छा मार्बल 50 रुपये फीट से शुरू होता है, ग्रेनाइट तो हमारे 50 रुपये फीट है, 40 से 50 रुपये के बीच में उसका भाव चलता रहता है। यह जो गरीबों की चीज बनी है ग्रेनाइट, करोड़पतियों के ड्राइंगरूम से निकलकर के आज गरीब आदमी के किचन और ड्राइंगरूम में लगने लगी हैं। इस स्थिति में ग्रेनाइट को पहुंचाने वाला एकमात्र स्थान जालोर है। तरीका क्या रहा? इटली में वाटर बेस्ट सिस्टम था। पानी की धार छोड़ते थे और फिर डायमंड कटर से काटते थे। जालोर के लोगों ने दूसरे तरीके से प्रयोग किया। पानी की जगह केरोसीन काम में लिया। केरोसिन काम में लेने के कारण कटर की उम्र बढ़ गयी। एक कटर से जितनी पानी के साथ कटिंग होती थी उससे कई गुना ज्यादा कटिंग केरोसिन से होने लगी। दूसरी बात, उसमें आग लगने का खतरा कम हो गया। पानी प्रयोग में लेंगे तो आग लगने का खतरा ज्यादा है और केरोसीन काम में लेंगे तो आग लगने का खतरा कम है। यह चमत्कारिक प्रयोग जालोर के लोगों ने किया है। इसके कारण से डायमंड कटर की उम्र कम से कम 4-5 गुना बढ़ गयी, जो बहुत महंगा आता था। साथ में ऊर्जा की खपत 80 पर्सेन्ट कम हो गयी और उस सारी लागत में, प्रोडक्शन कोस्ट होती है उसमें 50 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके अलावा जो यूनिट कोस्ट है उसमें तो इतनी कमी आयी है कि जिसका उल्लेख करूं तो सदन को आश्चर्य होगा। इटली के सिस्टम से आज मशीनरी लगाएं तो 8 करोड़ की लागत जितनी यूनिट के लिये आती है उतनी ही यूनिट के लिये हमारे जालोर सिस्टम से लगायेंगे तो सिर्फ 15 लाख रुपये में तैयार हो जायेगी। कहां 8 करोड़ रुपये और कहां 15 लाख। यह जो फर्क आया, यूनिट कोस्ट में फर्क आया, प्रोडक्शन कोस्ट में फर्क आया, ऊर्जा

(166)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की खपत में फर्क आया, कटर की खपत में फर्क आया, वह सब जालोर की पद्धति के कारण आया है। इसके अलावा उस पद्धति के कारण उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गयी, मैं सिर्फ जालोर जिले की उत्पादन क्षमता बता रहा हूं, 10 लाख वर्गफीट प्रति महीने का उत्पादन सिर्फ जालोर करके दे रहा है। 400 से 500 के बीच में पूरे जालोर जिले में फैक्ट्रियां हैं और जालोर को छोड़कर पूरे राजस्थान में 400–500 फैक्ट्रियां हैं। एक तरफ सारा जालोर और एक तरफ पूरा राजस्थान। इतना प्रोडक्शन, इतनी फैक्ट्रियां और लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों को इन यूनिटों के माध्यम से रोजगार मिल रहा है।

इसके अलावा निर्यात भी बहुत हो रहा है। फोरेन करेन्सी भी जालोर लाकर दे रहा है टाइल्स का निर्यात हो रहा है, ब्लाक्स का निर्यात हो रहा है। टाइल्स और ब्लाक्स के अलावा मैं और नयी बात बताना चाहूंगा, जो मशीनरी कटिंग की, पालिशिंग की जालोर ने डवलप की, मैं गर्व के साथ इस हाउस को जानकारी देना चाहता हूं, पहली बार हिन्दुस्तान के बाहर ग्रेनाइट कटिंग और पालिशिंग की मशीन गयी है। जकार्ता में एक मशीन दो महीने पहले ही गयी है। आज तक हम लाते ही लाते थे, पहली बार मशीनरी बाहर जाने लगी है, तैयार की हुई टाइल्स जाने लगी, ब्लाक्स जाने लगे, इन सब के कारण यह जो अपने देश का नाम रोशन हुआ, देश को फोरेन करेन्सी की आमदनी हुई, यह सब जालोर के कारण हुई है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वह इण्डस्ट्रीज बन्द हो गयी है। ग्रेनाइट की चिन्ता करो।

श्री रामपाल उपाध्याय : जालोर पुराण पढ़ रहे हो क्या? आगे चलिये न। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : ग्रेनाइट की चिन्ता भी कर लूंगा। आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : समस्याओं के बारे में भी बताओ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदया. मैं इसी पाइंट पर आ रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : वहां लोग पूछेंगे कि आप क्या बोले ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जिस जालोर ने हिन्दुस्तान का इतना नाम रोशन किया है, जिस जालोर ने इतना सब दिया है उस जालोर की ग्रेनाइट इण्डस्ट्री की वर्तमान परिस्थिति क्या है, वह भी मैं बताना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : दुर्गति है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : दुर्गति असली हालत तो नहीं लेकिन समस्याएं हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : दुर्गति नहीं है ? कितनी फैक्ट्रियां आज की तारीख में बन्द हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : 6 × 12 की हण्ड्रेड पर्सेन्ट बन्द हैं और 1 × 2 की एक भी बन्द नहीं है।

श्री हीरालाल बिश्नोई : हण्ड्रेड परसेन्ट बन्द हैं और दुर्मति नहीं है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : 6 × 12 की इसलिये बन्द हैं, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है।

श्री हीरालाल बिश्नोई : केरोसिन देती है क्या आपकी गवर्नमेंट ? कोटा है क्या वहां पर ?

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्यमंत्री): सभापति महोदया, मुझे एक निवेदन करना है। अभी तक की जो बहस हो रही है, बहुत सीरियस हो रही है। यदि आप लोग बोर हो जाएं तो थोड़ी हंसी-मजाक जरूर करें लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं कि अच्छे पाइंट आ रहे हैं, कृपया मुझे सुनने दीजिये।

श्री हीरालाल बिश्नोई : हमने समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है और कुछ नहीं बोले हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह खुद ही बोलने वाले थे। वह जालौर की इतनी प्रशंसा करने के बाद अब वहां पर क्या बात है वह बताने वाले हैं। आप उनकी चिन्ता क्यों कर रहे हैं, वह बता ही रहे हैं अपने आप।

श्री हीरालाल बिश्नोई : वही हम सुनना चाहते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस जालौर ने इतना नाम रोशन किया, वह इससे 100 गुना और हमारा नाम रोशन कर सकता है यदि सरकार थोड़ी सी उनको और सुविधा दे। वह सुविधा क्या-क्या चाहिये, वह मैं टू-द-पाइंट, कम से कम समय में बताना चाहूंगा। इण्टरप्ट नहीं करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से बता पाऊंगा।

यह केरोसिन बेस्ड इण्डस्ट्री है। पानी की जगह केरोसिन काम में लिया, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा, उसके कारण ऊर्जा की खपत कम हुई, उसके कारण कटर की कोस्ट कम हुई, उस केरोसिन की उपलब्धि में हमको समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है ? इसके लिये इण्डस्ट्रियल कोटा हमको मिलना चाहिये। कोटा मिला, 6 हजार किलो लीटर का कोटा अभी-अभी जारी किया साल भर के लिये। लेकिन यह मिलने के बाद भी कोटा पूरा नहीं उठता एक तकनीकी कारण से, और जब कोटा पूरा नहीं उठता तो सरकार कहती है कि आपको दिया और आपने उठाया नहीं, कैन्सिल करो। पिछली बार भी ऐसे ही कैन्सिल हुआ। इसलिये यह हंगामा खड़ा हुआ कि केरोसिन नहीं है। मैं सभापति महोदया, वह तकनीकी कारण यह है मैं आपके माध्यमसे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक इकाई को हमने एक हजार लीटर प्रतिमाह देने का अधिकार कलक्टर को दे दिया। एक इकाई एक हजार लीटर प्रतिमाह में नहीं चल सकती। उनकी डिमांड 3 हजार की है, कलक्टर की कैपेसिटी एक हजार की है। इसके कारण से वह कोटा उठ नहीं पाया।

श्री हीरालाल विश्नोई : वहां भी कलक्टर पक्षपात करते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्लीज आप मत बोलिये। मैं जालौर की वकालत कर लूंगा आप सांचौर की चिन्ता करिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : हम भी तो जालौर के हैं।

श्री समापति : आप भी जालौर के हैं तो आप अपने समय का इंतजार कीजिये। ऐसा थोड़े ही है कि बीच में बोलेंगे जालौर के हैं तो। बिराजिये। आप कैसे खड़े हो गये ? मैं अलाउ नहीं करती। बिराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : समापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि केरोसिन उपलब्ध हो रहा है वह भी हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते इस तकनीकी खामी के कारण। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि कलक्टर को एक इकाई को एक हजार के बजाय तीन हजार लीटर प्रतिमाह देने का परमिट जारी करने का अधिकार दिया जाए तो यह समस्या खतम जाएगी। केरोसिन की कोई कमी उपलब्ध में नहीं है लेकिन उद्यमियों को वहां से प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, वह समस्या खतम हो जाएगी।

दूसरी समस्या खान विभाग से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री महोदय बिराज रहे हैं। नयी खान नीति में यह निर्णय लिया गया कि जो भविष्य में उद्योग लगायेंगे उनको खानें दी जाएंगी। खान आज अलाट हो रही है और उनको छूट दी गयी है कि दो साल के अन्दर-अन्दर आप आराम से उद्यम लगा लेना। उनमें से अधिकांश लोगों ने उद्यम नहीं लगाया जबकि दूसरी तरफ जो इण्डस्ट्री आज की तारीख में चल रही हैं, कम से कम 200 इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो आज की तारीख में चल रही हैं, उनके पास एक भी खान नहीं है। तो जो हमारी गोद में है उसको तो हम रोटी दे नहीं रहे और जो पेट में है उसकी चिन्ता कर रहे हैं। जो कल इण्डस्ट्री लगाने वाले हैं उनको आज खान दे रहे हैं और जो इण्डस्ट्री लगा चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं, उनको हम खान नहीं दे रहे हैं। यह जो हमारी नीति में खामी रही है, माननीय मंत्री महोदय, इसको दूर करने का प्रयास करें और जो आज की तारीख में जितनी इण्डस्ट्रीज कार्यरत हैं उनको सब को कम से कम एक-एक खान तो उनकी क्षमता के अनुसार, छोटी है एक मिले, बड़ी है दो मिले, उससे बड़ी है तो चार मिले। यह तो कम से कम लागू होना ही चाहिये।

तीसरी, समस्या सेल्स टैक्स की है। सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है। पूरे हिन्दुस्तान की तुलना में राजस्थान में सेल्स टैक्स लिग्नाइट पर सबसे ज्यादा है। 16 प्रतिशत हम ले रहे हैं राजस्थान का भी, 16 प्रतिशत हम ले रहे हैं सैण्ट्रल का भी और इस कारण से हम, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो ग्रेनाइट निकलता है, उसके मुकाबले खड़े नहीं रह पाते है। 20 रुपये प्रति फीट लागत का फर्क है कर्नाटक के ग्रेनाइट में और जालौर के ग्रेनाइट में। हम कहां मुकाबला कर पाएंगे। मेक्सिमम कलर्स....

श्री रामपाल उपाध्याय : मुख्य मंत्रीजी हमेशा सरलीकरण की तारीफ करते-करते अघाते नहीं थे। मैं मुख्य मंत्रीजी की बात पर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इसके बारे में उन्होंने कभी सोचने का कष्ट नहीं किया कि यह राजस्थान का मूल आधार स्तम्भ उद्योग है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : समापति महोदय,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं निवेदन कर रहा था कि 20 रुपये प्रति फीट का फर्क आता है कर्नाटक में जो ग्रेनाइट तैयार होता है उसमें और राजस्थान में जो टाइल्स तैयार होती हैं उनमें। मैक्सिमम कलर्स, जितनी कलर्स वैरायटी राजस्थान में है, पूरे हिन्दुस्तान में नहीं। जितनी इण्डस्ट्रीज हमारे पास हैं, और कहीं नहीं हैं। उसके बावजूद भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। यह जो ग्रेनाइट इण्डस्ट्री कई जगह कमजोर पड़ रही है मंदी आ रही है उसमें बहुत बड़ा कारण यह भी है। उस कम्पीटिशन में हम टिक नहीं पा रहे हैं और इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे। सैल्स टैक्स कम करने की दृष्टि से और अगर सम्भव हुआ तो इसको कम करके राहत प्रदान करें।

एक और बात, माइन्स विभाग से सम्बन्धित, जब ग्रेनाइट इतना नाम कमा रहा है चारों तरफ, उस समय जालोर में एक इकाई है सरकार की, आर.एस.एम.डी.सी. की इकाई है, ग्रेनाइट की कटिंग की, पालिशिंग की बहुत बड़ी इकाई है, जालोर की वह सबसे पुरानी इकाई है। इतनी बड़ी वह इकाई, आज की तारीख में सरकार निर्णय कर रही है उसे प्राइवेट सैक्टर में देने की, नीलाम करने की। सभापति महोदया, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इसका मैसेज क्या जाएगा। हम तो गुणगान कर रहे हैं कि ग्रेनाइट जालोर में पनप रहा है। ग्रेनाइट के कारण जालोर चमन हो रहा है और सरकार अपनी एक मात्र इकाई बेचने जा रही है। आम आदमी में राजस्थान से बाहर उससे जो मैसेज जाएगा, वह यह जाएगा कि जालोर का ग्रेनाइट पिट रहा है तो जो छोटे-छोटे उद्यमी जैसे-तैसे गिर-पड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी इसके पीछे पिट जाएंगे इसलिये मंत्री महोदय, वे बातें क्यों चल रही हैं। जब उससे छोटी इकाइयां आज घाटे में नहीं चल रही हैं, वह जैसे-तैसे कमाकर खा रहे हैं, हमारी इकाई घाटे में क्यों चल रही है। उसके घाटे में चलने के जो-जो कारण हों, उनका पता करके उन कारणों को दूर करें और आप इकाई लाभप्रद स्थिति में लाकर चलायें। मैं नहीं कहता कि आप घाटे में चलायें और लाभप्रद स्थिति में लाया जा सकता है। जब प्राइवेट सैक्टर को आप देंगे और फिर वह लाभ में लाएगा तो हम क्यों नहीं ला सकते, इस बात की हमको चिन्ता करनी चाहिये।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, राजस्थान में उद्योगों को लेकर बहुत कुछ हुआ है और जैसे इसी बजट में घोषणाएं हो रही हैं। ब्यावर और बीकानेर में ऊन पर आधारित काम्प्लेक्स बन रहे हैं, वूलन इण्डस्ट्रीज के लिये। भिवाड़ी में फ्लोरीकल्चर और होजरी के काम्प्लेक्स बन रहे हैं। बीकानेर में सेरेमिक काम्प्लेक्स बन रहा है। आई.जी.एन.पी. क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के काम्प्लेक्स बनाने की योजना है। मानपुर-माचेड़ी, भरतपुर, भिवाड़ी में चर्म उद्योगों पर आधारित काम्प्लेक्स बन रहे हैं। सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब इतनी सारी चीजों के हम काम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक ही जगह पर सारी सुविधा देने की योजना बना रहे हैं तो इस सारी सूची में ग्रेनाइट क्यों छूट गया? ग्रेनाइट

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

को भी शामिल करिये और जालौर में ग्रेनाइट का काम्प्लेक्स डवलप करिये। सारी सुविधा एक छत के नीचे, एक स्थान पर मिले तो जालौर में आज 400 इकाइयां चल रही हैं, 400 की बजाय 1000 इकाइयां चलने की गुंजाइश है। यदि आप यह सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से वहां पर यह सब भी चलेगा।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, रीको बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है और मैं आंकड़े भी देना चाहूंगा। रीको ने पिछले पांच वर्षों में पुराने पांच वर्षों की तुलना में 497 प्रतिशत अधिक भूमि अवाप्त की हैं और 274 प्रतिशत अधिक प्लाट विकसित करके बांटे हैं। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि रीको बहुत मेहनत कर रहा है, उनकी नीयत में कोई कमी नहीं, वह प्रयास कर रहा है लेकिन जो रीको में और रेवेन्यू विभाग में सम्बन्ध होना चाहिये, रीको में और कलक्टर के बीच में सम्बन्ध होना चाहिये, उसमें रुकावट नहीं आये, वहां वह स्थिति अभी निर्मित हुई नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जालौर में आशापुरा वीविंग स्पिनिंग मिल लगाने की योजना है जो तिरपाल बनाएगी। पिछले तीन सालों से वह मैटर मेरे पास है। मैं उसके टच में हूं, रीको के भी टच में हूं, इण्डस्ट्रीज के भी टच में हूं उसके लिये बार-बार मैं भी आता-जाता हूं, मेरे मित्र हैं लगाने वाले। 5–6 करोड़ का ओरिजनल प्लान था। आज वह बढ़ते-बढ़ते 65 करोड़ तक पहुंच गया। वे चाहते हैं कि 65 करोड़ जालौर में एक साथ इन्वेस्ट करें लेकिन हम उनको दो साल में जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाये। जमीन सलैक्ट हो गयी। जमीन अवाप्त करनी है यह बात तय हो गयी। रीको ने लिख दिया कलक्टर को। कलक्टर को वहां से नोटिस निकालना है, इस बात में साल-डेढ़ साल लग गया और आखिर में अब जाकर रीको को यह निर्णय करना पड़ा कि कलक्टर की बजाय हम उसको अवाप्त करने का नोटिस निकालेंगे और उसमें भी विलम्ब हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस प्रक्रिया से, जब हम बाहर दूसरे प्रांतों में जाते हैं, राजस्थान के प्रवासियों से हम निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि राजस्थान में आइये। वे लोग आते हैं हमसे आकर्षित होकर, हमारी बातों से और यहां आने के बाद जब उनको यह बड़ा स्मूथ नहीं मिलता है, कहीं न कहीं अनावश्यक रुकावट आती है, उसके कारण वे डिस्करेज होते हैं, निरुत्साहित होते हैं। इसकी तरफ भी और अधिक ध्यान देकर....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री भीमसेन जी चौधरी ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि कई सवाल आएंगे, कुछ बातें भी मैं बीच में निपटाता जाऊं । अभी आपने यह जो मिट्टी के तेल की बात कही कि 1000 की बजाय 3000 कर दिया जाये, वह हम कर देंगे, वह व्यवस्था हो जाएगी । (व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त करें ।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, आप उनसे कहिये कि पक्षपात नहीं करें । कई इण्डस्ट्रीज वालों के साथ पक्षपात करते हैं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उसकी शिकायत आएगी तो उसको भी देख लेंगे ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदया, जब इंटरप्ट कर रहे हैं तो बता दूं कि पिछले 42 वर्षों में जितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, उससे कई गुना ज्यादा, 287 प्रतिशत ज्यादा सिर्फ चार सालों में हो गयी है । काम बहुत हुआ है । आंकड़े बोल रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, आप और हम कुछ नहीं कर सकते । लघु उद्योगों में पिछले पांच वर्षों में और इन पांच वर्षों में 141 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो आंकड़े अपनी जगह बोल रहे हैं । काम बहुत हुआ है लेकिन और करने की गुंजाइश है और अच्छा करने की गुंजाइश है, यह मैं निवेदन करता हूं । आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन जी चौधरी ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से संक्षेप में बीकानेर में उद्योग के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उन की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सबसे पहले हमारे बीकानेर में बहुत बड़े उद्योग नहीं हैं । केवल एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं या मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज़ हैं, छोटी-छोटी यूनिट्स हैं । उन यूनिट्स के सामने समस्याएं हैं । सबसे बड़ी तो हमारी क्ले पाउडर बनाने वाली यूनिट्स हैं, वह एस.एस.आई. यूनिट्स हैं, रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं और उनमें सेल्स टैक्स वाले तंग कर रहे हैं । आज वह यूनिट्स अपने कंसेशन और इन्सेन्टिव्ज जो मिल रहा है, उनका उपयोग करते हुए और अपने कच्चे माल के लिये कंसेशन रेट पर अपना रॉ-मैटीरियल खरीदती हैं । अब उनको आडिट आब्जेक्शन के माध्यम से तंग किया जा रहा है कि यह तो मेन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है । सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्ले पाउडर बनाने वाली यूनिट्स हैं, वे डिफरेंट इण्डस्ट्रीज के लिये अपना माल तैयार करती हैं । उनका जो क्ले है, रबर इण्डस्ट्री के काम में आता है, पेंट इण्डस्ट्रीज के काम में आता है, पेपर इण्डस्ट्रीज के काम में आता है । अलग-अलग उद्योगों के लिये अलग-अलग तरह की चीजें तैयार करते हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं मानना, मेरी समझ में यह उनके साथ न्यायोचित बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इन छोटी-छोटी यूनिट्स को इस तरह से सैल्स टैक्स विभाग के द्वारा....

(172)

श्री हरिशंकर माभड़ा : सभापति महोदया, क्योंकि इस प्रश्न का हाइएस्ट कमेटी में विचार हो चुका है। आपके जो कटमोशन हैं, उनका जवाब यह है कि उसको प्रोसेस माना गया है और प्रोसेसिंग और मैन्यूफैक्चरिंग में अन्तर है। इसमें केवल क्ले ग्राइण्डिंग ही होता है। आप पीसकर क्ले बनाते हैं, मैन्यूफैक्चरिंग उसमें नहीं हो रहा है इसलिये उसको मैन्यूफैक्चर नहीं माना है। इससे यदि मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर दें तो उसको मैन्यूफैक्चरिंग मान लेंगे। आप केवल पीसकर बेचते हैं इसलिये वह केवल प्रोसेसिंग होता है इसलिये सैल्स टैक्स के इन्सेन्टिव्ज नहीं मिल रहे हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : नहीं, यह केवल पीस का नहीं है, डिफरेंट ग्रेड्स हैं उनके। और डिफरेंट ग्रेड्स की मैन्यूफेक्चरिंग की जो आपने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन में क्लियर है–To be manufactured, there must be such a transformation that a new and different article must emerge having a distinctive name, character and use. तो मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि पेंट इण्डस्ट्री में जो चीज काम आती है उसकी अलग क्वालिटी है, रबड़ इण्डस्ट्री में जो काम आती है उसकी अलग क्वालिटी है और इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स के लिये अलग अलग इण्डस्ट्रीज में काम आने वाली चीजें, अलग-अलग चीजें बनाते हैं वह। तो इस तरह से यह जो मैन्यूफेक्चरिंग आइटम बनाते हैं, इसलिये आपका यह कहना.....

श्री हरिशंकर माभड़ा : इस पर फिर से विचार करेंगे। इस पर दुबारा और विचार कर लेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : सभापति महोदया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, स्टोन क्रशर्स है, वह स्टोन क्रशर्स क्या करते हैं, बड़े-बड़े पत्थरों को छोटे-छोटे चेक देते हैं। उनको मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स मानते हैं तो आप इनको क्यों नहीं मानते? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनके साथ आप अन्याय न करें। आज इतने वर्षों से यह यूनिट्स लगी हुई हैं, आप उनको एस. एस.आई. यूनिट्स मानते हैं, उनको कंसेशन देते आये हैं इसलिये आज इनको तंग क्यों किया जा रहा है, यह मेरे समझ में नहीं आता।

इसके अलावा हमारे बीछवाल, इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन की तरफ से आपके सामने भी प्रतिनिधि मिले हैं कल परसों। वहां के उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं आपके सामने रखी हैं। वहां पर आपके रीको की तरफ से उनको जो पानी दिया जाता है उसके आप बहुत ज्यादा चार्जेज लेते हैं। जो भी पी.एच.ई.डी. चार्ज करता है उससे बहुत ज्यादा पैसे आप चार्ज करते हैं। इसके बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है। जहां आपने ट्यूब वैल लगा रखे हैं, ट्यूब वैल से जो पानी निकलता है वह पानी एज इट इज आप उनको सप्लाई करते हैं। जबकि पी.एच.ई.डी. तो जो पानी सप्लाई करता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करता है, पाइप लाइन से करता है, आप तो कुछ भी नहीं करते। इसके बावजूद भी आप पी.एच.ई.डी. से दो गुने, तीन गुने रेट चार्ज कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है?

इसी तरह से हमारे बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में करीब पांच हजार लेबर्स हैं

(श्री भीमसेन चौधरी)

जो डिफरेंट इण्डस्ट्रीज में काम करती हैं और ई. एस. आई. हास्पिटल वहां से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। उद्योग मण्डल में उनके पास भवन है, वह देने को तैयार है। इसलिए ई. एस. आई. के डाक्टर वगैरह हैं, वह हास्पिटल बीछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया में आप कायम कर दें तो मैं समझता हूं, कि वहां लेबर्स को सुविधा होगी। इस तरह से मैंने कुछ समस्याएं आपके सामने रखी हैं, मैं समझता हूं कि इन समस्याओं को आप दूर करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री अर्जुन दासजी मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापतिजी, आज सदन जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है, मैं यह मानता हूं कि आर्थिक ढांचे में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिये तो धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं सारे रक्त का प्रमाण करती ही हैं शरीर में, किन्तु लघु उद्योग, मध्यम उद्योग वृहद उद्योगों के माध्यम से आर्थिक प्रगति की दौड़ में जो कुछ हम प्रगति करते हैं, मैं यह मानता हूं कि यह भी ठीक उसी तरह से तीन नसों का काम करती हैं आर्थिक जीवन के उत्पादन में और इसीलिये आज यह ऐसा गम्भीर विषय है जो राजस्थान के लिये तो अपना विशेष स्थान रखता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उद्योग मंत्रीजी को कि तीन हमारी औद्योगिक पालिसीज हमने बनायी हैं। सबसे पहली पालिसी 1978 में बनायी, दूसरी 1990 में बनायी और तीसरी 1994 अक्टूबर में बनायी। 1994 के अन्तर्गत बनने वाली जो हमारी तीसरी पालिसी थी उसने जितना लाभ हमको दिया है, मैं यह मानता हूं कि वह निश्चित रूप से काफी अच्छा है और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से सदन के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा यह दर्शाने के लिये कि वाकई इस योजना से हमको कितना लाभ मिला है :

आर. एफ. सी. का लोन, जो अगस्त, 1992 से मई, 1994 में 291.36 लाख था वह जून, 1994 से मार्च, 1996 तक 333.24 करोड़ हो गया। रीको का लोन अगस्त, 1992 से मई, 1994 तक जो 82.44 करोड़ का था वह जून, 1994 से मई, 1996 तक 108.60 करोड़ का हो गया। अर्थात् 31.73 प्रतिशत की हमने उसमें वृद्धि की। इसी प्रकार से विदेशी पूंजी भी जो 1970 तक केवल मात्र 2.60 करोड़ लगी हुई थी, 1995 में 174 करोड़ बढ़ कर हो गयी। सातवीं योजना के अन्त तक जो उद्यम हम 875 रुपये का प्रति व्यक्ति कर पाते थे वह बढ़ कर आठवीं योजना के 1996 तक, 1996 की बात कर रहा हूं, क्योंकि आठवीं योजना समाप्ति में अभी एक वर्ष बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा अनुमान है कि हम 875 रुपये के स्थान पर 2614 रुपये तक पहुंच जाएंगे। जो कि आंध्र और तमिलनाडु को छोड़ कर तीसरे स्थान पर हम हिन्दुस्तान में हो गये, कोई जमाना था कि हम यू.पी. से, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, न जाने कितने प्रांतों से पीछे थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी कि हम तीसरे या चौथे स्थान पर खड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय की ओर यदि मैं

(श्री अर्जुनदास मदान)

सदन का ध्यान आकर्षित करूं, महोदया, तो आप पाएगी कि 1993–94 में जो प्रति व्यक्ति आय 5319 रुपये थी वह 1994-95 में बढ़कर 6406 रुपये हो गयी अर्थात् 20.5 प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई और ऐसा अनुमान है कि 1995–96 तक यह प्रति व्यक्ति 6810 रुपये हो जाएगी। औद्योगिक निवेश में भी, लार्ज और मीडियम फैक्ट्रीज में या उद्योगों में जो 1990 तक हमारे 2500 करोड़ रुपये लगे थे वह 1994–95 में 11108 करोड़ रुपये लगे। चार सौ प्रतिशत ज्यादा हुए अपेक्षाकृत पिछले वर्षों के। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की ओर यदि मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो मैं पाता हूं कि 1989–90 में 762 करोड़ रुपये हमने इसमें लगाये थे और अब 1994–95 में यह राशि बढ़ कर 1500 करोड़ रुपये हो गयी। उद्यमियता में जो आई.एम.एस. भरना पड़ता है लोगों को, उसमें अक्टूबर, 1994–95 से लेकर मार्च, 1996 तक हमने 53 प्रतिशत की वृद्धि की और थर्ड पोजीशन हमने हिन्दुस्तान में अर्जित कर ली। खादी और ग्रामोद्योग के मामले में भी 1993–95 में हमने 26.16 करोड़ रुपये का उत्पादन किया जो बढ़ कर 1995–96 में 44.60 करोड़ का हो गया। ग्रामोद्योग के अन्तर्गत भी जो हमारा उत्पादन 229.86 करोड़ का था 1994–95 में, वह 1995–96 में बढ़कर 252 करोड़ रुपये हो गया है। रोजगार के अन्तर्गत भी जो 1994–95 तक हम केवल मात्र सवा चार सौ लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सके थे, 1995–96 में हमने तीस हजार लोगों का लक्ष्य रखा और दिसम्बर, 1995 तक बारह हजार बियालिस लोगों को हम रोजगार देने में भी सफल हुए। निर्यात की दृष्टि से यदि मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो 1991–92 में 688 करोड़ 86 लाख का हमने निर्यात किया। 1993–94 में 1432.28 करोड़ रुपये हो गया और 1994–95 में 2832.20 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 96 प्रतिशत की हमने वृद्धि की।

महोदया, यह तो मैंने केवल मात्र आंकड़े आपको और सदन को इसलिये बताये हैं कि हमारी प्रगति का दौर क्या है, हम किस तरह चल रहे हैं, किस मार्ग की ओर हम अनवरत हैं और किस मंजिल पर पहुंचने की हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि लघु उद्योग पीटने को जा रहे हैं राजस्थान में, बड़े-बड़े लोगों के तो बड़े-बड़े हाथ होते हैं, बड़ी-बड़ी एप्रोचेज होती है, बड़े-बड़े साधन होते हैं। यह लार्ज और मीडियम फैक्ट्रीज के लोग तो अपना लोन पास करा सकते हैं लेकिन जो छोटी इकाइयां हैं वह पिट जाती हैं, क्योंकि उनके अपने कोई साधन भी नहीं होते और उन साधनों के अभाव में आज यह देखेंगे कि अपेक्षाकृत राजस्थान में जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बनी वह धीरे-धीरे बन्द होती चली गयीं और परिणाम यह हो गया कि आज कई बार तो यह सोचना पड़ता है कि यह छोटी इकाइयां चलेंगी कैसे। हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में बेईमानी भी हो, कई लोग तो फैक्ट्रीज खोलते ही इसलिये हैं कि उनको बन्द करनी होती है। पैसा लिया, खा गये और चल दिये। ऐसी नीयत भी हो सकती है कुछ लोगों की। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लघु उद्योग आज राजस्थान में निश्चित रूप से अपेक्षाकृत मध्यम और बृहद उद्योगों के, पिछड़ते

(श्री अर्जुनदास मदान)

जा रहे हैं। उसका एक कारण मैं आपको यह बता देता हूं, मैं निवेदन करूंगा उद्योग मंत्री महोदय से, अभी क्या होता है कि लघु उद्यमी जब जाता है, बैंक के पास अपनी एप्लीकेशन देता है या आर. एफ. सी. में अपनी एप्लीकेशन देता है, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब उसका अप्रेजल हो तो दोनों जगह अलग अलग नहीं होना चाहिये। आर. एफ. सी. और बैंक के लोगों को एक साथ बैठा दीजिये। अब एक बार रीको से इनका लोन सेंक्शन हो गया, उसके बाद फिर वह बैंक में गया, फिर बैंक वालों ने कहा कि हम तो अलग से अप्रेजल करेंगे। अगर दोनों मिलकर बैठ जाएं तो निश्चित रूप से छोटे उद्योग इस तरह नहीं पिटेंगे। क्योंकि मैं अभी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हो क्या स्थिति रही है, महोदया, सवाई-माधोपुर की एक फैक्ट्री का मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो कि मैंने उप मुख्य मंत्रीजी को भी दिया है। एक उद्योग हैं, छोटा सा एक जैन परिवार है कोटा का, उसने वेल्डिंग राड की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिये आवेदन किया। रीको ने प्लाट दे दिया। नौ लाख रुपये उसने खर्च कर दिये। बिल्डिंग बना दी, मशीन ले आया, मशीनों का इंस्टालेशन भी कर दिया और जब आर. एफ. सी. के पास लोन लेने के लिये गया तो उन्होंने कहा कि यह तो वायबल नहीं है।

(17.00)

अव्वल तो मैं यह मानता ही नहीं, क्योंकि हमारे कोटा में तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं। हो सकता है वायबल न भी हो, परन्तु एप्लीकेबेल नहीं थी तो जिस दिन उसको मंजूर क्यों की तथा उसमें 9 लाख रुपये लगवाने की क्या जरूरत थी? आज वह कहां जाएं? आज आपने उसको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसको यह भी पता नहीं है कि मुझे कहां जाना है। अब स्थिति क्या होगी कि यदि हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो बैंकों के चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा तो पैसा चटाएगा और पैसा चटाने के बाद फिर यदि लोन ले भी लेगा तो उसको सफलता कहां तक मिलेगी यह मेरा निवेदन करना है।

इसी तरह से मैं उप मुख्य मंत्री महोदय को एक एक्जाम्पिल और दे रहा हूं कि आबू के पास अभी आपने आबू और पालमपुर के बीच एक स्थान विकसित किया है। मुझे ध्यान है कि एक उद्योग वाले ने यह कहा कि साहब ढाई करोड़ रुपये का मैं प्लांट लगाना चाहता हूं। डेढ़ करोड़ तो मैं दूंगा और एक करोड़ रुपये मेरे को आप दे दें। रीको दे दे। अब उसने जब एप्लीकेशन दी तो बहुत दिन तक वह फिरता रहा, उसने कहा कि डेढ़ करोड़ मै लगाने को तैयार हूं एक करोड़ रुपया आप मुझे दे दें। उससे यह कहा गया कि अभी यह स्थान डवलप नहीं है। यह कब तो डवलप होगा, कब चालू होगा और क्या पता हो सकता है कि फैक्ट्री चले नहीं बन्द करनी पड़े इसलिये हम आपको लोन नहीं देंगे। मान्यवर, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी यह नहीं सोचता कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाने के लिये श्मशान में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं मरूंगा जिस दिन पता चलेगा। आप पहले कैसे कल्पना कर रहे हैं कि साहब वो मरेगा और इसलिये उस आदमी की फैक्ट्री

(श्री अर्जुनदास मदान)

बन्द हो जायेगी और हम ऋण नहीं देंगे। यह स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो हमको यह दर्शाती है और बताती है कि कम से कम इन लोगों को व्यावहारिक कठिनाइयां इस क्षेत्र में कितनी आती हैं।

अब जे. आर. वाई. का मैं आपके सामने एक्जाम्पिल देता हूं। मान्यवर, इतनी कठिनाई आती है। आपने पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देने के लिये बैंकों से एक लाख रुपये देने की बात कर दी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक आदमी जाता है, बैंक की एप्लीकेशन भरता है, चक्कर लगाता है। मैं आपको इसी वर्ष 1996 के आंकड़े बताता हूं। 1995-96 में जे. आर. वाई. में कुल 10400 लोगों को बैंकों के माध्यम से लोन देने का हमारा लक्ष्य था। उसके प्रतिकूल 6064 एप्लीकेशन्स तो स्वीकृत की गयीं और लोन कितने लोगों को मिला, केवल मात्र 444 लोगों को अर्थात् 5 प्रतिशत से भी कम लोग ले पाये अब आप कल्पना कीजिये कि इतने लोगों को तो आपने यह कह दिया कि साहब मेरे यहां भोजन करने आना और वे बैठ भी जाएं आपके यहां और फिर आप उसको खड़ा कर दो कि उठ जायें यहां से। मैं तो समझता हूं कि यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आखिर जिन लोगों को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं और जिन बेरोजगार शिक्षित लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं, जो पहले ही उपेक्षित हैं, तिरस्कृत हैं और अपमानित जीवन बिता रहे हैं यदि उनको हमने प्रोत्साहित नहीं किया तो स्थिति कहां तक दूभर हो जायेगी इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं।

अब इसके अलावा मैं आपसे बैंकों के बारे में भी निवेदन करूंगा। मान्यवर, बहुत चिन्ता का विषय है। हमको राजस्थान की अपेक्षा आज देखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में टोटल बैंकों में कितनी तो डिपोजिट्स हैं, राजस्थान में कितनी हैं, उसके अनुपात में उन बैंकों के माध्यम से कितनी हमारी क्रेडिट हमको मिलती है, पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिशत क्या है और राजस्थान का प्रतिशत क्या है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारी जमा की हुई पूंजी राजस्थान के उन लोगों का पैसा है जो आज राष्ट्रीय बैंकों में जयपुर में या राजस्थान के किसी भी कोने में जमा होता है। वह होता तो ज्यादा जमा है और ऋण आपको कम मिलता है और पैसे का धीरे-धीरे पलायन होता चला जा रहा है। वह दूसरे प्रान्तों में जा रहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह समस्या हमारे सामने रोज आती है इसलिये हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह चुनौती बैंकों को दे दी है कि राजस्थान के डिपोजिट्स पर यदि राजस्थान में लोन पर नहीं दिये गये और बाहर ड्रेन किया गया तो गवर्नमेंट अपने डिपोजिट्स उस बैंक में, जो इस प्रकार से हमारे डिपोजिट्स को बाहर देगा लोन के लिये और यहां नहीं देगा तो वहां अब राजस्थान के जो भी डिपोजिट्स हैं वह विद-ड्रा कर लेंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं, वह ठीक है, साहब। प्रयासरत तो आप हैं ही, मैं यह मान भी चुका हूं और मैं आपको धन्यवाद भी दे चुका हूं कि निश्चित रूप से आपने भारत के अन्दर प्रगति की है। किन्तु जहां-जहां लेकूनाज हैं, जहां-जहां

(श्री अर्जुनदास मदान)

कमियां हैं उसकी पूर्ति तो निश्चित रूप से हमको ही करनी पड़ेगी। उसको कौन करेगा ? अगर आप आंकड़े चाहें तो मेरे पास हैं कि कितने तो इण्डिया में डिपोजिट्स हुए, राजस्थान में कितना हुआ उसका कितना प्रतिशत था तो इसे मैं रख लेता हूं, मान्यवर यदि आपके पास हैं तो, सदन भी जानना चाहे तो मैं उसे भी बता सकता था लेकिन आप इसको रहने दें।

अब आपने जो यह सोचा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत अब आप एक विकास की गति बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, सबसे ज्यादा फैक्ट्री पिटती है जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की या सामान्य सुविधाओं की हमारे यहां कमी होती है। अभी रीको ने 1996 में टोटल चार हजार एकड़ बीघा जमीन खरीदी थी जिसमें हजार एकड़ तो लगभग खाली भिवाड़ी-भिवाड़ी में है और अब आप वहां पर विकास भी करने जा रहे हैं। मान्यवर, यह एक आदरणीय विषय है एवं प्रशंसनीय विषय है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि योजना के अन्तर्गत जो कुछ भी आप बताने जा रहे हैं, चाहे आप औद्योगिक पार्क बनायें या आप इसमें कुछ और स्कूल खोलें, पार्क खोलें; इसमें जन-सुविधाओं की प्राथमिक सुविधाएं जो आदमी को चाहिये वे आदमी को मिले तो बहुत अच्छा है। आर. एस. ई. बी. के माध्यम से जो अभी आपने निर्णय लिया है वह भी बहुत प्रशंसनीय है कि अब आप बिजली के कनेक्शन खुद नहीं देंगे। अभी तक तो क्या स्थिति होती थी कि आर.एस.ई.बी. को रीको सप्लाई करता था, लाइन लगा दी जाती थी, ट्रांसफार्मर लगा दिये जाते थे और अब इंस्टालेशन का नम्बर आता था तो हाथ खड़े कर देते थे। परिस्थिति यह हुई कि जिस आदमी ने उद्योग लगाया अगर आप उसको चार महीने के लिये भी रोक देंगे, अगर चार महीने तक भी वह रुक गया तो उसकी तो चार महीने के लिये मनी ब्लाक हो गयी जबकि कोई भी पूंजीपति, कोई भी पैसा लगाने वाला आदमी अगर एक रुपये को ज्यादा घुमाता है बाजार में तो उसका लाभ का अर्जन निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। कारण क्या होता है कि वह तो उद्योग था उसको तो आपने 4-6 महीने पीछे छोड़ दिया तो उन 6 महीनों की पूर्ति वह आने वाले साल-डेढ़ साल में भी नहीं कर पाएगा। इसलिये मेरी आप से बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें।

वैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि यह भी बहुत है कि अब नियोजन के लिये एक राज्य सरकार ने कर दिया। अभी तक क्या होता था कि नयी-नयी फैक्ट्रियां आती थीं, कोटा का अनुभव मुझे भी हैं और मेरे अन्य साथी विधायकों को भी हैं। आज नियोजन तो होते हैं, कलकारखाने तो लगते हैं किसी स्थान पर और वहां के पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आपका यह निर्णय प्रशंसनीय हैं, मैं उसके लिये आपको साधुवाद देता हूं कि 70 प्रतिशत तक अकुशल श्रमिक और 50 प्रतिशत तक कुशल श्रमिकों के लिये आपने जो निर्धारण नयी फैक्ट्रियों के लिये किया है वह भी निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है।

सीमेंट के उद्योग में भी हमने तरक्की की है लेकिन आज हम तीसरे स्थान पर

(178)

(श्री अर्जुनदास मदान)

हैं, एम. पी. को छोड़ दीजिये, आन्ध्र प्रदेश को छोड़ दीजिये, इन दो प्रान्तों को अगर हम छोड़ दें तो तीसरे नम्बर पर आज राजस्थान है। आपके 10 आवेदन-पत्र अनुबंध के लिये केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन भी हैं और मैं यह जानता हूं कि यदि उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गयी और हम फैक्ट्री का इंस्टालेशन कर सकने में सक्षम हो गये, तो शायद हम दूसरे स्थान पर भी आ जाएंगे इसके लिये भी मैं आपको साधुवाद देता हूं।

अब मेरा एक निवेदन यह है कि यह तो हो गया उद्योग के सम्बन्ध में, जो छोटी सी चर्चा के माध्यम से मुझे आपसे निवेदन करना था। मान्यवर, एक पहलू ऐसा भी है, हालांकि वह आपसे सम्बन्धित विषय नहीं हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि कोई भी उद्योग मजदूरों के बिना नहीं चलता किसी भी फैक्ट्री के लिये फाइव एम्स चाहिये, मनी चाहिये, मार्केट चाहिये, मैटीरियल चाहिये, मशीन चाहिये और मैन पावर चाहिये। अब इन पांचों एम्स में से एक जो आखिरी है मैन पावर उसको हम इतना उपेक्षित समझे हुए हैं जैसे उसकी तो उद्योग में कोई भूमिका ही नहीं है। आप ही नहीं बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि यहां पर श्रम मंत्री जी भी बिराजे हैं वे भी मेरी बात को सुन लें। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आज क्या होता है कि फैक्ट्री एक्ट, 1948 के अन्तर्गत कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत एक फैक्ट्री इंस्पैक्टर जाता है उसको न जाने कितने ही फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पावर्स हैं लेकिन वह केवल बायलर इंस्पेक्शन करके चला आएगा, क्योंकि उसमें उसको सुविधा शुल्क मिल जाता है। अब वह सेठ के पास जाए और उससे जाकर कहे कि मैं बायलर इंस्पेक्ट करता हूं तो वे करवा देंगे। लेकिन आज मैं पूछता हूं कि फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत वह क्या यहीं साइलेंट हो गया, क्या इस फैक्ट्री अधिनियम ने यहीं चुप्पी साध ली। श्रम मंत्री महोदय, फैक्ट्री एक्ट यह भी कहता है कि आप मजदूरों से कितने घंटे काम लें, उनके कार्य की दशाओं को भी आप देखेंगे, उसका मनन करेंगे और यह भी आप देखेंगे कि अगर वे ओवरटाइम करते हैं तो कितने घंटे करते हैं और जितना अधिनियम के अन्तर्गत हैं उतना वे करते हैं कि नहीं करते है। ऐसा तो नहीं कि चार घंटे ओवरटाइम करते हों और आपसे बचने के लिये वह दो घंटे लिख दें और डबल चार्ज उनको चार घंटे का दे दे। लेकिन उसने तो चार घंटे काम किया और आपने दो घंटे लिख दिया। जहां यूनियन सबल हैं वहां तो अपनी मनमानी से वे डिक्टेट करती हैं और जहां पूंजीपति सबल हैं वहां वे अपनी बात को सोचते हैं। इसलिये मैं श्रम मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के श्रमिक जो आज निर्माण कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, मुझे बहुत दुःख है कि वह आदमी जो आज निर्माण करता है, निर्माण करने वाले की प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी होती है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि उत्पादन करने वाला किसी खपत करने वाले से ज्यादा प्रशंसनीय है लेकिन आज वह प्रशंसा का विषय नहीं बन रहा है। आज तो वह उपेक्षा का विषय बन रहा है।

इसी के साथ-साथ अब मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे

(श्री अर्जुनदास मदान)

में भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं। श्रम मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें तो उनकी बहुत कृपा होगी। मान्यवर, अब क्या होता है कि मान लीजिये कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर और मालिक में कोई झगड़ा हुआ और मामला समझौता अधिकारी के पास कंसीलिएशन में गया। कंसीलिएशन में जाने के बाद न जाने कंसीलिएशन में कितनी देर लग जाती है। कंसीलिएशन के बाद आप ज्यादातर यह मानकर चलिये कि फेल्योर रिपोर्ट जाएगी फेल्योर रिपोर्ट लेबर कमिश्नर के पास आती है। लेबर कमिश्नर उसको रेफर करता है औद्योगिक प्राधिकरण के पास और वहां मान लीजिये सालों लग गये तथा अवार्ड भी यदि लेबर कोर्ट ने दे दिया तो मान्यवर बाद में, उसका परिणाम भी उसके प्रतिफल में यह होता है कि वे लागू नहीं करते सेठ के ऊपर, कोई बाइंडिंग तो है नहीं और इस कानून में कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि सेठ को उस अवार्ड को मानना ही पड़ेगा। फिर वापस वह लेबर कमिश्नर के पास जाएगा फिर लेबर कमिश्नर लिख देता है कि इस मालिक ने अवार्ड को लागू नहीं किया। मान्यवर अब आप एक कल्पना कीजिए, जो मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक जिसको अपनी उदरपूर्ति के साधन बटोरने में भी अपने जीवन की बहुत बड़ी खपत करनी पड़ती हो वह आदमी कहां से समय निकलेगा और कहां-कहां घूमता फिरेगा? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने आदमी को उपेक्षित कर दिया जो कि मूलधारा है, आदमी ही निर्माण कर रहा है, आदमी के लिये निर्माण कर रहा है लेकिन दुःख है जिसके लिये वह निर्माण कर रहा है वह तो मजे में है और जो निर्माण कर रहा है वह आज उपेक्षित है, अपमानित है। उसकी कोई चिन्ता करने को तैयार नहीं। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे विक्रय विनिमय में मैं आपको और भी कई कह सकता हूं, ग्रैच्युटी का है, बोनस का है लेकिन उन नियमों को भी हम थोड़ी देर के लिये रास्ते पर यह सारी जो व्यावहारिक कठिनाइयां मजदूर के सामने आती हैं। उन पर भी श्रम मंत्री महोदय निश्चित रूप से सोचें, ऐसी मेरी आपसे याचना और प्रार्थना है।

अब मैं थोड़ी सी बात हमारे माइंस मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा। महोदया, आपने यह जो सिस्टम निकाला कि हम लाटरी के आधार पर नयी-नयी लीज दे रहे हैं, अब आप यह जानते हैं कि पूंजीपति के सामने एक साधारण आदमी अगर लीज की किसी फीट्स को लेना चाहता है तो परिस्थिति क्या होती है कि वह तो 500 रुपये न जाने कहां से इकट्ठा करता है। उसका तो वह खर्चा है, उसका एक्सपेंडीचर है लेकिन सेठ जो एप्लीकेशन का देता है वह इन्वेस्टमेंट है, वह लागत है उससे वह कमाएगा। अब परिणाम क्या होता है कि आपने लाटरी सिस्टम कर दिया। एक मजदूर तो एक ही एप्लीकेशन देगा। सेठ क्या करते हैं उनके पास पैसा है, पैसे की बदौलत वह एक लाख रुपया बाजार में फेंकता हैं और न जाने कितने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से

(180)

(श्री अर्जुनदास मदान)

उन लोगों से एप्लीकेशन भरवा लेने हैं। लाटरी निकलते समय उन लोगों में से किसी का नाम आ ही जाता है, क्योंकि अधिकांश लाटरी तो उन्हीं के नाम से ही होती हैं। अब आप लाटरी निकालें और दो आदमियों के बीच में लाटरी निकले और दोनों नाम मेरे ही लिख दें तो निश्चित रूप से लाटरी तो मेरे नाम से ही निकलेगी, क्योंकि नाम ही मेरा है, दूसरे का तो नाम ही नहीं है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज पूंजीपति अपने पैसे के बल पर उन गरीबों को जिनको आप रोजगार देने की बात करते हैं, वह आज रोजगार नहीं पा सकते। इसलिए मैं हमारे खान मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दें। एक और निवेदन करना चाहूंगा, खान मंत्री महोदय, आज स्थिति क्या है कि आपने बहुत बड़ी-बड़ी लीज दे दीं। एक तरफ तो आप बेरोजगारी कम करना चाहते हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि रोजी की तलाश

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

में न जाने कितने लोग आज भटकते फिरते हैं। आज राजस्थान की आबादी, वैसे तो सारे हिन्दुस्तान में बंगाल का प्रतिशत सारे ससार में ज्यादा है, सैकण्ड नम्बर पर हिन्दुस्तान के लोग हैं और हिन्दुस्तान के लोगों में भी, सभापति महोदया, राजस्थान सबसे पहले है, पहले नम्बर पर आता है जहां पर आबादी सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में बढ़ रही है। अब बेरोजगारी की समस्या आती है। आपने एक तरफ तो दसों मीलों का एरिया किसी आदमी को दे दिया। मैं निवेदन करूंगा कि छोटी-छोटी फीट्स बांटिये ताकि उन लोगों को भी रोजगार मिल सके जो आज रोजी की तलाश में खड़े हैं आप उनको अलाट कीजिये और अलाटमेंट में यह लाटरी सिस्टम भी थोड़ा सुधारिये।

तीसरा निवेदन मेरा खान मंत्री महोदय से यह है कि अब आप....

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री अर्जुनदास मदान : महोदया, बस केवल मात्र दो मिनट और क्षमा चाहूंगा।

खान मंत्री महोदय से एक और निवेदन करता हूं। होता क्या है कि सबसे पहले मेरे से अगर आप पूछें तो आज खानों का एक ठेकेदार बंधक है, मजदूर बंधक नहीं है, क्योंकि परिस्थिति क्या है कि कोई किसी भी खान में काटने वाला मजदूर जहां कहीं भी जाता है वह 20 हजार 25 हजार रुपये एडवांस लेता है और किसी भी खान में बिना एडवांस लिये काम नहीं चलता। अब खान में जब एडवांस लेता हैं तो परिस्थिति यह होती है कि वह एडवांस तो ले लिया, अब मान लीजिये कि 20 हजार रुपये मेरी खान से लिये और 10 हजार रुपये का ही काम किया। 10 हजर रुपये लेकर भाग गया। जिस खान मालिक के पास वह काम कर रहा होगा वहां मैं जाऊंगा और वहां उसको कहूंगा कि मेरी खान पर काम कर तो वह बंधक मजदूर एक्ट के अन्तर्गत मेरे खिलाफ मुकदमा चला देता है और कहीं एस.सी., एस.टी. का हुआ तो धारा 3 और लगवा देता है। मान्यवर, कल्पना कीजिये कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, यानी असल में तो बंधक मालिक है, मजदूर सही अर्थों में नहीं है।

(श्री अर्जुनदास मदान)

चौथा, अन्तिम मेरा सुझाव खान मंत्री महोदय से यह है कि आप जो इसमें रवन्ने काटते हैं, रवन्नों का एक सिस्टम है, रवन्नों में बहुत दुरुपयोग होता है। मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जहां बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां मकराना में हैं, रामगंजमण्डी में हैं, कहीं आप और ले लें। वहां यदि आप ठेकेदारी सिस्टम लागू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रवन्नों के माध्यम से जितना पैसा आज राज्य सरकार को मिलता है, आप उन निठल्ले लोगों को बैठाकर वेतन भी दे दें, एक किसी ठेकेदार को ठेका दे दें तो आपको इन रवन्नों से अलग जो रिकवरी है वह अपेक्षाकृत ठेकेदार से ज्यादा पैसे में आज चली जाएगी। पैसे का विभाजन भी होगा, आपकी यांत्रिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण भी होगा। वह अव्वल तो टाइम डालते नहीं कि कितने बजे निकला रवन्ने से, वहां का टाइम उसने लगाया नहीं। कहीं चौकियां हैं तो उनके इशारे चलते हैं, आपस में चलने वालों में तो टाइम डाल देते हैं। नहीं, तो एक रवन्ने के ऊपर बिना टाइम डाले हुए 4–4, 5–5 ट्रक निकालता है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चार सुझावों के साथ उद्योग मंत्री तथा खान मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया है, मेरी प्रार्थना अर्पित की है। हमारे उद्योग मंत्री महोदय मेरे निवेदन पर विचार करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकिशन जी वर्मा। (अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्र सिंह जी शेखावत।

(17.15)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय खनिज मंत्री महोदय ने खान की नीति की घोषणा की और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने अनुभवी खान मंत्री की खान नीति की बड़ी तारीफ की। खान नीति का तो मुझे ज्यादा पता नहीं लेकिन इनके खान मंत्री बनने के बाद राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुजारी सरकार है और देवताओं के मन्दिरों की रक्षक है, देवताओं के मन्दिरों की भूमि पर जो अतिक्रमण किया है उसका ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज देवताओं की बात नहीं चल रही है, अभी तो खान की बात चल रही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं खान की ही बात करता हूं और बात जब चल पड़ती है मन्दिरों की, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कांकरोली मन्दिर जो द्वारकाधीश का है, उसकी खान पर जो अतिक्रमण हुआ है। हालांकि मंत्री जी कह सकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ली थीं और कई आई.ए.एस., आई.पी.एस. आफिसरों ने भी ली थीं इसीलिये आपके नेता भी पीछे नहीं रहे। खैर, मैं पहले जिक्र करना चाहूंगा आर.एस.एम.डी.सी. का, इन्होंने जमीन देकर 30 प्लाट, आर.एस.एम.डी.सी. को दिये। मन्दिर की जमीन पर काम कर मार्बल निकाले और आर.एस.एम.डी.सी. ने प्लाट ले लिये लेकिन चार खान मालिकों को तीसों

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

के तीसों प्लाट आगे दे दिये। पहले मेवाड़ मार्बल लिमिटेड को 10 प्लाट सबलेट किये दूसरा, निर्मल मार्बल को सबलेट 5 प्लाट किये, तीसरा सेक्सरिया मार्बल को 5 प्लाट सबलेट किये और चौथा इंटरनेशनल मिनरल लिमिटेड को इन्होंने 5 प्लाट दिये। खैर, 90 रुपये प्रति टन के हिसाब से राजस्थान का खनिज विभाग और सरकार आर.एस. एम.डी.सी. से रायल्टी वसूल करती। आर. एस.एम.डी.सी. ने 290 रुपये प्रति टन के हिसाब से कम उनको देकर रायल्टी लेना शुरू किया तो सीधा विभाग को 200 रुपये टन का यह घाटा हुआ। दूसरा, दिया जो तो दिया, सन् 1990 में आर.एस.एम.डी. सी. ने कांटेक्ट तोड़ दिया और माइंस डिपार्टमेंट ने कहा कि आर.एस.एम.डी.सी. इस पर काम नहीं करेगा। आर.एस.एम. डी.सी. पिक्चर से हट गयी, किन्तु 1990 से 1995 तक सब-कांट्रेक्टर एक काम करता रहा। मूल आर.एस.एम.डी.सी. को जो काम करने का अधिकार दिया था, वह मूल व्यक्ति वहां से हट गया और अब मूल मालिक के किरायेदार वहां अनआथोराइज्ड काम कर रहे हैं। खनिज विभाग ने डायरेक्ट रवन्ना तक उनको इश्यू कर दिये। अब खान मालिकों के रवन्ना तक चलने लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा जो रवन्ना बुक खान के सबलीज में लिये, यदि उनको और निकले हुए खान के मैटीरियल का मूल्यांकन करायें, तो 10 करोड़ रुपये का खनिज निकाल करके लोग डकार गये। हर साल बड़े से बड़े अफसरों को 10 लाख रुपये पहुंचाते रहे। आर.एस.एम.डी.सी. पिक्चर से हट गयी ओर व्यापारी खान विभाग को चूना लगाते रहे।

हालांकि जब आपके आगे शिकायतें हुई, जांच चली, मामला सामने आया, अखबारों में छपा। तो पिछले दिनों दीवाली के आस-पास तीन को तो इन्होंने किसी तरह हिम्मत करके कई वर्षों बाद बेदखल कर दिया। लेकिन मेवाड़ मार्बल अभी तक भी अवैध काम कर रहा हैं। जिसने 10 के बजाय 12 प्लाट पर कब्जा कर रखा है, यह आपकी नीति है। एक्चुअल वेरीफिकेशन यदि किया गया तो करोड़ों का गोलमाल सामने आएगा, मंत्री जी जरा हिम्मत दिखाइए। देवस्थान विभाग के मन्दिरों की भूमि पर नाथद्वारा में कब्जे करते जा रहे हैं, कांकरोली में आप कब्जा करते जा रहे हैं। कुछ नये छुटभइया बी.जे.पी. के नेताओं ने देखा कि बड़े नेताओं ने तो कांकरोली में हाथ मार लिया, कांकरोली में बड़े-बड़े लोग हैं। मैं नहीं कहता कांग्रेस के भी होंगे, आई.ए.एस., आई.पी.एस. भी होंगे लेकिन आप वाले भी नहीं चूके हैं और प्लाट लिये जो तो लिये बल्कि इससे भी आगे निकल गये। एक उदाहरण कांकरोली के उसी देवस्थान के मन्दिर का देना चाहता हूं। दो व्यक्तियों को आपने प्लाट कराये – एक 498/92 और दूसरा 173/92। यदि मैं नाम बोल दूंगा तो यहां आग लग जाएगी। क्यों भामड़ा साहब नाम ले दूं?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं जानता हूं आप जिसके इशारे पर बोल रहे हैं, बोलिये। मुझे कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन एक्सपोज हो जाओगे, यह समझ लेना आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : खैर, 498/94 और 173/92 दो खान के पट्टे अलाट हुए। किनको अलाट हुए, चूंकि भामड़ा

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

साहब चाहते हैं कि मैं नाम बता दूं, एक 498/94 सुरेन्द्र कुमार नाम के व्यक्ति को हुआ और 173/92 बिहारीलाल शर्मा पुत्र छगनलाल शर्मा के नाम से हुआ। अब ये कौन हैं यह तो मंत्री जी जानते हैं, जिन्होंने अलाट कराया। कौन लोग इन्वाल्व हैं, किस का पीछे हाथ है, यह मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं। ये कितने बड़े नेता हैं, यह आप जानते हैं। लेकिन मेरा निवेदन इतना है प्लाट आपने दिये होंगे, कानूनी कार्यवाही पूरी की होगी, फाइल का पेट भर दिया होगा। लेकिन मंत्री महोदय, कम से कम यह तो ध्यान रखो कि इधर का प्लाट और उधर का प्लाट देने के बीच में भी बेईमानी हुई है। एक प्लाट बीच में खाली छोड़ दिया, जिसको लोग पहले ही चाट गये। अपने ओरिजिनल पर काम नहीं कर रहे हैं और लाखों रुपये रायल्टी का चूना लगाया है। यदि असेसमेंट करके इनक्वायरी करा दो तो आपको पता लगे, मैं वह भी बता देता हूं मेरा क्या है। खैर, कांकरोली को नहीं छोड़ा, उदयपुर नहीं छोड़ा। छुटभइयाओं ने देखा हम पीछे रह गये तो सांवर की बारी आयी। अजमेर जिले में केकड़ी के पास बामन माता का मन्दिर एक ट्रस्ट जिसका मालिक है, छुटभइया लोग, बी.जे.पी. के नेता लगे कि हम भी लूट खाएं, और एस.डी.ओ. से नो-ऑब्जेक्शन ले लिया। हालांकि यह परिपाटी तो नहीं है लेकिन मेरी यह आदत है। मैं फिर भी अजमेर के कलक्टर को धन्यवाद दूंगा कि उसने उस घपले को रोका। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बामन माता की जमीनों पर कृपा कीजिए और जिन छुटभइयाओं को आपके आशीर्वाद से मार्बल की खानें देने का षड़यंत्र रचा गया है, एस.डी.ओ. ने इजाजत दे दी है, उस पर रोक लगा दीजिए। लोगों ने आंदोलन करने की आपको धमकी दी है, लोग आंदोलन करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा नारा दिया स्वदेशी का। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारियों ने स्वदेशी की रक्षा की सौगंध ली। अध्यक्ष महोदय, उस स्वदेशी का एक नमूना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। घूर करके मत देखो, अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे का लोगों ने टाइम लिया है और दो मांगें हैं। पिछले दिनों राजस्थान में सोना, चांदी, नगीने, अन्य धातुएं खोज कर के निकालने की मंत्रीजी को उत्कंठा जागृत हुई। इस काम के लिये केन्द्र सरकार को सिफारिश करके भेजी है कि दो मल्टी नेशनल्स को इजाजत दी जाए, क्योंकि आप स्वदेशी पसंद करते हैं। आपके रीको की औकात नहीं है, आपके आर.एस.एम.डी.सी. की औकात नहीं है। हिन्दुस्तान में इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो इस काम को कर सकें। लेकिन क्यों? इंग्लैण्ड की मेट्राडिस्ट कम्पनी को बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर में 3500 वर्ग किलोमीटर का एरिया आप देना चाहते हैं; तीन जिलों में 3500 वर्ग किलोमीटर। दूसरी आस्ट्रेलिया की एक ब्रोकनहिल प्रोपराइटर कम्पनी, जिसने हिन्दुस्तान जिंक के साथ ऑफर देकर के एम.ओ.यू. किया है, उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, टोंक अजमेर और जयपुर में। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि उसे 20 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया देना चाहते हैं मंत्री जी, क्योंकि आप स्वदेशी को पसंद करते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक से चाहूंगा कि जिन कम्पनियों का इन्होंने रेफरेंस दिया है; यह सत्य है, इनको हम देना चाहते हैं। लेकिन इनके पास जो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज है, वह हिन्दुस्तान में कहीं अवेलेबल है क्या ? यह आप बताइए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं उस टैक्नोलाजी को बता देता हूं, बताना नहीं चाहता था, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह टेक्नोलाजी भी मुझे बतानी पड़ेगी। टेक्नोलाजी कौनसी है, हिन्दुस्तान जिंक के अन्दर जो एम. डी. नौकरी करता था और रिटायर हो गया, वह आस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। उसके मार्फत सौदा हुआ है। चीफ सैक्रेटरी का दामाद लायजनिंग कर रहा है। यह टैक्नोलाजी हिन्दुस्तान में और किसी के पास नहीं मिल सकती। स्वदेशी की यह टेक्नोलाजी हिन्दुस्तान में शायद किसी के पास नहीं आये। वर्तमान में कानून बना हुआ है कि 25 (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर आप मुझे टोकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती मान रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वर्तमान कानून में 25 किलोमीटर से ज्यादा ये दे नहीं सकते। केन्द्र सरकार ने विचार किया है कि 500 किलोमीटर तक का एरिया देने पर विचार किया जाना चाहिये। ये 20 हजार किलोमीटर पर पहुंच गये, लेटेस्ट टेक्लोलाजी। इनकी खान की नीति का एक नमूना प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1993 में राज्य सरकार ने एक केस स्टडी करवाया। एग्जाम्पल के लिये खाली बिजौलिया को लिया कि बिजौलिया में क्या करना चाहिये, क्या हो रहा है, स्टडी किया जाए। जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर मि. एम. एल. झंवर को स्टडी का काम दिया गया। उन्होंने इस पर बिजौलिया की रिपोर्ट तैयार की। बहुत बड़ा अफसर, खान के बारे में समझने वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अफसर सोच करके इन्होंने उसको जानकारी दी। उसने वापस रिपोर्ट इनको पेश की, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के तथ्य यदि आपके सामने आएंगे तो गजब हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा है कि 1971 में बिजौलिया की रिपोर्ट है, यह एक खनन एरिया की रिपोर्ट है। 1971 से लेकर जो जंगलों में कमी होती आयी है, उसने उसका आंकड़ा दिया है कि 273.8 वर्ग किलोमीटर जंगल उस एरिया में 1971 में था। 1984 में 273 से घटकर के 174.2 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानि जहां 38.5 पर्सेंट पहले था कुल एरिया 1984 में आकर 28.2 पर्सेंट रह गया। 1991 में 127.7 वर्गकिलो मीटर एरिया रहा, यानि कुल एरिया 20.7 पर्सेंट पहुंच गया। 20 वर्षों में 47 पर्सेंट एरिया घटा है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज में भी घटा है, मैं कह रहा हूं घटा है। लेकिन मंत्री महोदय, जो रफ्तार घटने की आपने फैलायी है, जिस स्पीड से आपने घटाया है, वह कीर्तिमान स्थापित करता है। कृषि भूमि 1971 में 56.8 पर्सेंट थी वह 1984 में 52.5 पर्सेंट हो गयी और 1991 में 49.9 पर्सेंट तक पहुंच गयी। इस तरह से जबरदस्त गिरावट आयी है। इसमें मुख्य भाग वेस्ट-लैंड का

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

भी है । आप यह न सोचें कि वह अलग है । यह सिढ़ी केवल विजोलिया के ऊपर गयी । इसमें मिस्टर झंवर ने कहा है कि जहां खनन कार्य होता है, वहां 5 विभागों ने मिलकर लूट का काम कर रखा है । यह आपकी रिपोर्ट कहती है । खान विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फोरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और कामर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट मिलकर के लूटने में लगे हैं । दूध देने वाली गाय मिल गयी, पांचों लूट रहे हैं धार निकल रही है, मंत्रीजी, वाकई धार निकल रही है ।

मिस्टर झंवर की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता, अध्यक्ष महोदय, एक हजार रुपये प्रति ट्रक ये डिपार्टमेंट्स रिश्वत लेते हैं । पटवारी को ढाई–सौ रुपये प्रति ट्रक, वहां के खान के कर्मचारी को ढाई-सौ रुपये प्रति ट्रक, फोरेस्ट वालों को ढाई–सौ रुपये प्रति ट्रक और बचे हुए ढाई–सौ रुपये पुलिस और कामर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जाते हैं । यह आपकी सर्वे रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता ।

अध्यक्ष महोदय, जहां यह हालत हो, वहां इनकी कौन सी नीति काम करेगी, जहां लूट मची हुई है । फिर उसके बाद चलिए, एक तरफ एन्वायरनमेंट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का के बारे में जो भी आदेश दिये, उनकी कम्प्लायंस आपने कितनी की लोग प्रोटेक्टेड फोरेस्ट की बात भी करते हैं, रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट भी आता है, शेरों के बचाव की बात भी करते हैं । वहां की जनता आन्दोलन भी करती है । सुप्रीम कोर्ट में जब जनहित याचिका दायर की गयी, सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का के अवैध खनन को स्टे किया । सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स जस्टिस मिस्टर एम. एल. जैन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक कमेटी भेजी । सारी इंक्वायरी के लिये वह कमेटी सरिस्का गयी है । उस कमेटी ने 28 सितम्बर, 1992 को रिपोर्ट दी है और कहा है कि अनधिकृत खनन पर्याप्त तादाद में हो रहा है । उसे तत्काल रोका जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, हड़बड़ाहट मच गयी । क्यों ? इसमें करीब....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माइंस पर एक-दो मिनट और, फिर इण्डस्ट्रीज पर 5 मिनट ।

श्री अध्यक्ष : अभी काफी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है । मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, कुल 262 खानें वहां थीं । जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यह खनन गलत है, इसको बंद करो, हड़कम्प मच गया । क्योंकि नेता इन्वाल्व थे, बड़े अफसर इन्वाल्व थे । जो बड़ा अफसर अलवर के सरिस्का में से निकला उसकी लार टपकी और उसने खान ली, जब दबाव पड़ा सरकार पर, तत्कालीन खान सचिव श्रीमती कृष्णा भटनागर ने पत्र लिखा उस कमेटी के चेयरमैन एम. एल. जैन को कि जो खानें चल रही

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

हैं, हमको इतनी खानें चलाने दीजिए। हम नया जंगल उगा लेंगे। जंगल उगाए नहीं जाते, केवल भरोसा दिया जाता है। वर्षों से अरबों रुपया खर्च हो रहा है, जितना जंगल बचा पाये। अरावली के नाम पर लूट मची है, कितना जंगल उगा पाये। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसने कागज पर, उनकी मांग पर और यह कहा कि आपको बंद करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, 262 खानें जहां अवैध चल रही हैं उनमें से 215 खानें तो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट एरिए के अन्दर चल रही हैं। गांव वालों ने घेरा डाला, आन्दोलन किया, अवैध खनन से उनके जीवन को खतरा है, इस बात को लेकर आन्दोलन हुआ। बड़े नेताओं और अफसरों के दबाव में आज तक खनन बंद नहीं कर पायी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। यह कौनसी आपकी खनन नीति है।

सिर्फ एक मिनट खनन पर और लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने कारपोरेशंस बनाये। उन कारपोरेशंस का जनता के हित में उपयोग कीजिए लेकिन मैं नमूना पेश कर रहा हूं, कारपोरेशंस को गोचर मत बनाइये। इन्कम टैक्स के एक बड़े अफसर जयपुर में घपलों में पकड़े गये। दो बार पहले ट्रांसफर हुआ। एक बहुत बड़े अधिकारी ने उसको कैंसिल कराने मे सफलता हासिल कर ली। क्योंकि साथ में क्रिकेट खेलते हैं। उनके साथ में उनकी खुद की वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। इस स्थिति में जब इन्कम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, तो राजस्थान के बहुत बड़े अधिकारी को तकलीफ हुई कि मेरा जिग्री जा रहा है। दो बार कैंसिल कराने के बाद, जयपुर की कुछ मेडिकल की फर्मों के छापों में जब रिश्वत के मोटे आंकड़ें पहुंचे, सीकर की कुछ फर्मों से 20–30 लाख रुपये की रिश्वत का मामला सामने आया, एक व्यक्ति को जबरदस्ती गलत फंसाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्रक्चर पास किया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने इन्कम टैक्स के उस असिस्टेंट कमिश्नर को इस्टर्न-स्टेट्स में ट्रांसफर किया। राजस्थान के बड़े अधिकारी को फिर तकलीफ हुई और उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से कैंसिल हो। पार नहीं पड़ी तो किसी प्रकार बंगाल से वापस भोपाल ट्रांसफर हो पाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इससे सारे अधिकारियों के नाम आ जाते हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप क्लियर कराना चाहते हो। मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। अभी कर देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्लियर करना चाहिये। सबको कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब वह इन्कम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इसमें लूंगा फिर 5 मिनट इण्डस्ट्रीज में लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बहुत देर हो गयी। अब आप दूसरे विषय पर बोलें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पार्टी का समय तय नहीं है। यहां जो कटमोशंस दिये हैं, उसी हिसाब से बोलना पड़ता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्कम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल तो पहुंच गये लेकिन राजस्थान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी को भरोसा नहीं हुआ। उनके कृपा-पात्र अधिकारी दूर कैसे बैठें, तकलीफ हुई। आप ताज्जुब करेंगे कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के लिये बैक-डोर से राजस्थान के बिजली बोर्ड में डेपुटेशन कराने की चेष्टा की गयी। जब बिजली बोर्ड में श्री भण्डारीजी ने मना किया तो इन्कम टैक्स के उस असिस्टेंट कमिश्नर दिलीप शिवपुरी का पोस्टिंग राजस्थान की आर.एस.एम.डी.सी. में नयी पोस्ट क्रीएट करके करवा दिया गया। क्योंकि वे राजस्थान के चीफ सैकेटरी के मित्र थे। अफसरों की एशगाह के लिये कारपोरेशंस को गोचर मत बनाइये। यह आपकी नीति है, टेनिस आप खेलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, मैं पांच मिनट का समय इण्डस्ट्रीज पर और लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उद्योगों के बारे में वातावरण बनाया जा रहा है। उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उद्योगपति आयें, उद्योग लगायें, एक खिड़की से सुविधा। मैंने एक उद्योगपति से पूछा कलकत्ते से आये थे, मेरे यहां के रहने वाले थे, क्या सुविधा है? उन्होंने कहा एक खिड़की से सुविधा है। राम-बाग में ठहरो, एक ही खिड़की में बुलाओ, सारी सुविधाएं हैं। उद्योग भवन के इर्द-गिर्द जो घूमता है, आप उसको कितने सुविधाएं दे पाते हैं। कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया। बड़े-बड़े आश्वासन देते हैं, मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, मंत्री और कारपोरेशंस के अध्यक्ष लोग, बंगाल से राजस्थान आइये, मुम्बई से मातृभूमि में चलिये। यहां आने के बाद निराशा उनको लौटती है, आप एक तरफ तो बिजली के, पानी के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उनको आमंत्रित करते हैं। कैसे वे आएंगे। आवश्यकता है कि आपने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करके सबूत दीजिए कि वाकई आप उद्योगीकरण में विश्वास करते हैं।

आपके औद्योगीकरण का मैं नमूना प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन कुछ उद्योगों को ऋण देती है। लेकिन ऋण देने से पहले उसने तय कर रखा है कि फैक्ट्री लगाने वाला उद्योगपति फैक्ट्री लगाने के लिये मशीनें कहां से खरीदेगा। वह लिस्ट वे देते हैं। बड़े गेंगसा लगाने के लिये राजसमंद में अलंकार इंजीनियर्स को अथोराइज कर रखा है। पिछले दिनों उसने 7 मशीनें दीं, जिनमें से 5 का भट्टा बैठ गया। उद्योगपतियों ने शिकायत की कि आर. एफ. सी. के लोगों ने रिश्वत खाकर के एक लिस्ट एप्रूव कर रखी है, उसके बाहर हम खरीद नहीं सकते। ताज्जुब है, जो मशीनें बेकार देता है, वही लेनी पड़ेंगी। इंक्वायरी हुई, जांच हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

सी. एम, को शिकायत हुई, डिप्टी सी. एम. को शिकायत हुई, आर. एफ. सी. के चेयरमैन को शिकायत हुई, उद्योग विभाग के सचिव को शिकायत हुई। जांच हुई, जांच के बाद पाया गया कि उस पर आरोप सही हैं। सुझाव दिया गया कि उसे ब्लैक-लिस्टेड किया जाना चाहिये। तीन महीने कम्पलीट हो गये जांच को, कि इसको ब्लैक-लिस्टेड कर देना चाहिये। यह ओवर-बिलिंग करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जिस फर्म को ये देना चाहते हैं। उस फर्म ने कांट्रेक्ट किया है। आप चाहेंगे तो उसके सबूत के लिये फोटो स्टेट कागज मैं आपको दे दूंगा। एक व्यक्ति से कांट्रेक्ट किया कि आपको 33 लाख का प्लांट दे दूंगा। आर.एफ.सी. ने 36 लाख लोन मंजूर किया है। तीन लाख का सौदा आर. एफ. सी. ऊपर की ऊपर करती है। क्या यही आपकी उद्योग नीति है? अध्यक्ष महोदय, तीन महीने से उस फाइल को दबा कर रखा गया है, उच्च स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जब जांच की गयी, जांच में तथ्य सामने आये लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय वहां कार्यरत दो ईमानदार अफसरों का स्थानान्तरण करके भेज दिया गया, जिससे कोई मामला खुल नहीं जाय। यह इनकी उद्योग नीति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। पिछले दिनों मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि 25.7.1995 को राज्य में चालीस करोड़ रुपये से औद्योगिकीकरण हो रहा है, इण्डस्ट्रीज लगेंगी, चालीस हजार करोड़ की। पाइप लाइन से चल रही है, राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। वह पाइप लाइन कहां पंचर हुई? वह पाइप लाइन कहां रुक गयी? केवल आश्वासनों के आधार पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों लम्बी-लम्बी घोषणाएं, आश्वासन दिये गये, उद्योगपतियों को आकर्षित करने की बात कही गयी, एम. ओ. यू. साइन करने की घोषणाएं की गयीं। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितने एम.ओ.यू. पिछले दिनों साइन किये गये और उन पर कितनों में काम हुआ? केवल घोषणाओं के आधार पर उद्योग नहीं लगते। आपने 1990–91 से अगस्त, 1995 तक 95 एम.ओ.यू. साइन किये जाने की बात हुई अगस्त, 1995 तक 60 एम.ओ.यू. साइन हुए थे, और उनमें से भी 21 के आइडिया तो ड्राप हो गये। उद्योगपति वापस चले गये या अन्य पड़ौसी राज्यों में जाकर उन्होंने उद्योग लगा दिये। आपने घोषणाएं राजस्थान की जनता के सामने कर डालीं। स्थिति यह हुई कि केवल पांच पर कार्य प्रारम्भ हुआ। इतनी बड़ी घोषणाओं का आडम्बर और झांसा राजस्थान की जनता को मत दीजिये, उप मुख्य मंत्रीजी। इन्होंने 1993 में आई.टी.सी. लिमिटेड के साथ एम.ओ.यू साइन किया। सौ करोड़ रुपये का उद्योग यहां लगने वाला है। हमको भी खुशी हुई। आयल सीड काम्प्लेक्स बनेगा अलवर में, सौ करोड़ रुपये खर्च होगा। राजस्थान सरकार ने आई.टी.सी. को राजी कर लिया है। घोषणाएं आपने कर दीं।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, रीको ने एक जमीन भी ले ली।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : लेकिन आई टी.सी. कम्पनी उनके व्यवहार की वजह से जमीन लेने को तैयार नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हो गया। बिराजिये आप। श्रीमती तारा भण्डारीजी। अब आप बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष, महोदय, सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया। पूरे पच्चीस मिनट हो गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मात्र दो मिनट। लोगों ने आधा–आधा घंटा लिया है।

श्री अध्यक्ष : पच्चीस मिनट से ऊपर हो गये। अब आप बिराजिये। सबको दस-दस मिनट दी है। अब आप बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मात्र दो मिनट लूंगा। नहीं, दो ही पेज हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक एम.ओ.यू. साइन किया कि दस करोड़ का नेचुरल ग्रेनाइट का प्रोजेक्ट लगेगा। लोगों ने खुशीयां मनायीं। राजस्थान का ग्रेनाइट साफ होगा, विदेशों में जाएगा, रोजगार मिलेगा। जमीन खुद ने खरीद ली, नेचुरल ग्रेनाइट ने। यूनिट स्थापित आज तक नहीं हो सकी। क्योंकि राजस्थान की खान अलाट करने वाली थी। आज तक नहीं की। क्योंकि मन्त्रीजी जानते हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब आप बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अब सारी ही यहां ही पढ़ेंगे क्या ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नैतिकता की बात सरकार ने की। भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक के पुजारी चरित्र निर्माण की बात जो लोग करते हैं, उनकी मैं एक ही बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान में पिछले दिनों आपकी सरकार आने के बाद कितने शराब के कारखानों को आपने लाइसेंस दिये ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्या औद्योगिकीकरण का मतलब शराब है ? क्या राजस्थान की जनता को आप शराब पिला करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, राम राज्य बनाएंगे। पर्यटन नीति बनी, माननीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम हेरिटेज लिकर राजस्थान में बनाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारीजी। ताराजी, आप फरमायें। बिराजिये आप। अब अंकित नहीं हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब अंकित नहीं होगा।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(190)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अब अंकित नहीं होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और खनिज दोनों बड़ी महत्वपूर्ण मांगें हैं।....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय आप बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उद्योग और खनिज, दोनों ही ऐसे विषय हैं, जो राजस्थान की इकॉनोमी, राजस्थान की बहबूदी और राजस्थान की समृद्धि से जुड़े हुए हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है। आपकी बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ताराजी, प्रारम्भ करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और खनिज दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण मांगें हैं। दोनों ही मांगें राजस्थान के आर्थिक विकास, राजस्थान की समृद्धि और राजस्थान की बहबूदी से जुड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे मेरे विपक्ष के बंधु चौड़े–चौड़े हाथ करके कुछ भी राजस्थान की कमियां गिनाते रहें, बार बार कहते रहें पानी नहीं, बार–बार कहते रहें, बिजली नहीं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना तो जरूर उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि जहां राजस्थान के विकास का सवाल है, वहां हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें। केवल नहीं, नहीं, नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, इससे भी बढ़कर मैं एक बात कहना चाहती हूं कि आज राजस्थान में उद्योगों के लिये वातावरण बना। सरकार ने एक सम्मिलित प्रयास किया है कि हमारे यहां उद्योग आयें; उद्योग लगे उसके लिये समय–समय पर हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे उद्योग मंत्रीजी ने राजस्थान और राजस्थान के बाहर जाकर के कई बातों के लिये प्रयास किया है ताकि प्रवासी बंधु भी राजस्थान की ओर आकर्षित हो सकें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे विपक्ष में बैठे हुए बंधु बात करते हैं, राजस्थान में यह भी नहीं, वह भी नहीं, मुझे बड़ी घबराहट होती है कि इनकी बात अगर हमारे प्रवासी बंधु सुनेंगे, तो हमारे राजस्थान को निश्चित रूप से घाटा लगेगा। इसलिये जब हम इस इकोनोमिकल इश्यू पर बात कर रहे हैं तो बात बहुत सोच–समझ कर बोलनी पड़ेगी।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली से निकल कर राजस्थान के प्रवेश द्वार भिवाड़ी से अगर हम चलना शुरू करें तो पूरा राजस्थान घूमते हुए आप आबू रोड पर गुजरात तक जाइये, उद्योगों की एक शृंखला लगेगी। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में ऐसे बड़े–बड़े उद्योग आये, बड़े–बड़े काम शुरू किये हैं, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते थे, मैं तो यहां तक कहूंगी कि चाहे हमारे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, पिछले दस वर्षों में राजस्थान में उद्योगों में बहुत प्रयास किया गया है और उद्योग लगे हैं। जहां–जहां नहीं थे, वहां जीरो इण्डस्ट्रियल एरिया करके भी उद्योग लगाने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, आज आप भीलवाड़ा को देखिये। लोग सूरत की बात करते थे। सूरत वर्ल्ड काम्पीटीशन में आता है। आज हमारा भीलवाड़ा सिंथेटिक फाइबर के मामले में और सूटिंग-शर्टिंग के मामले में इतना समृद्ध हो गया है कि लोग सूरत भूल गये, लोग भिवाड़ी भूल गये और आज हमारा भीलवाड़ा सबसे आगे चल रहा है। और तो और, अध्यक्ष महोदय, आज मार्बल आधारित उद्योगों को आप स्वयं देखते होंगे जब आप अपनी कांस्टीट्यूएंसी से जयपुर पधारते होंगे। ऐसे लगता है कि सब सफेद नगर हो गये हैं। इतना ही नहीं, राजमसन्द में, नाथद्वारा में, उदयपुर में आप आइये, सिरोही में कितने मार्बल आधारित उद्योग लगे हैं और तरह-तरह के उद्योग लगे हैं आज सिरोही के मार्बल और मूर्तिकारों ने विश्व में नाम किया है। आज दुनिया के लोग हमारे यहां पूछने आते हैं। लन्दन में मन्दिर बनता है तब सिरोही पूछने आते हैं कि आपके मूर्तिकार बताइये, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे यहां अवेलेबल रा-मैटीरियल है, उनके आधार पर जो उद्योग लगते जा रहे हैं, ये निश्चित ही राजस्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे।

हमारे श्री दीपेन्द्र सिंहजी शेखावत चले गये। वे स्वदेशी की बात कर रहे थे। मेरे को लगता है कि उन्होंने सुनी–सुनायी बातें की हैं। खाद खोदने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, खानें जिसने खोदी हैं, उनको पूछो कि एक खान खोदकर उसमें से कुछ निकाल लेना कितना कठिन है। मैं एक उदाहरण दूंगी मेरे स्वयं के पास दो माइन्स थीं। एक माइन्स तो जमीन में इतनी नीचे थीं कि खोद–खोदकर थक गये तो भी उस पत्थर का दर्शन नहीं हुआ। अब दूसरी माइन्स जमीन से इतनी ऊपर थी कि चढ़ ही नहीं पाये। फिर भी बहुत मेहनत करके, अध्यक्ष महोदय, हमने उसको खोदा। हमने कई टैक्निशियंस की सलाह भी ली लेकिन इतने खोदने के बावजूद और जिनको हम एक्सपर्टीज कहते हैं, उन्होंने बताया कि आपके इस खान में गारमेंट निकलेंगे। इतना बड़ा लोभ होने के बावजूद अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक उस खान को मैंने खोदा। लाखों रुपया बरबाद हुआ और इसीलिये आज उस को मैंने सरेंडर कर दिया। यह कोई सोना–चांदी निकालना, हीरे–पन्ने निकाल देना, बोलना और निकालना, इसमें बड़ा फर्क है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, मेरे यहां विपुल खनिज सम्पदा है। आप देखिये, मेरे यहां संगमरमर खूब है, मेरे यहां पर ग्रेनाइट भी खूब है, मेरे यहां

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पर लाइम स्टोन के बड़े-बड़े भण्डार हैं और तो और फिलासफर ग्रौर बेलेस्टोनाइट जैसे महंगे खनिज भी मेरे यहां उपलब्ध हैं। अब तो मेरे यहां सर्वे हुआ है और सोना भी बताया जा रहा है और सोने की लीज लगी है। हंसिये मत, आइये इन्वाइट करती हूं, हमारे यहां सोने की लीज लगी है, हंसने की बात नहीं है इन खनिजों का समुचित दोहन करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, खनिज बहुत हैं, आज सिरोही के बेलेस्टोनाइट ने एशिया में अपनी मोनोपोली बनायी है। एशिया में सिरोही के मुकाबले का बेलेस्टोनाइट नहीं है और यह हमारा अहो-भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों में हम इतना खोज पाये हैं कि कहां-कहां हमारा कितना महंगा खनिज है और उसके आधार पर कितने उद्योग लग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मार्बल पर आधारित कई उद्योग लगे हैं। तो मार्बल के कई तरह के, जो स्लेबस काटने का हैं वह तो एक सीधा रास्ता है, इसके अलावा छोटी-छोटी इकाइयां हमारे यहां लगी हैं। छोटे-छोटे लोगों ने कारखाने लगाये हैं जो कई तरह के मार्बल के आइटम्स बनाते हैं। इसी प्रकार कई लोगों ने, पत्थर पीसने की भी बात चल रही थी, उसमें भी केमिकल पाउडर बनाने के कई प्रकार के कारखाने लगाये हैं। तो यह सारा जो विकास हुआ है यह हमारी राजस्थान सरकार की समृद्धि के लिये है, बहबूदी के लिये है। हमें आज यह भी विचार करना है कि इस प्रकार का जहां भी खनिज हो और अगर उसका समुचित दोहन खान मालिक नहीं कर सकता है और वह क्यों फेल्योर हो रहा है, तो उसके बारे में भी सोच कर एक्सपर्टीज उनको उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि और तो और पर्यटन भी कोई छोटा उद्योग नहीं है। पर्यटन भी आज एक उद्योग नहीं है। पर्यटन भी आज एक छोटा उद्योग के दर्जे में आ गया है और मेरे यहां पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध आबू जहां पर देलवाड़ा का इतना सुन्दर कलाकृतियों का केन्द्र है जिसे दुनिया के लोग देखने आते हैं, हिन्दुस्तान के और राजस्थान के लोग देखने आते हैं, उसको भी हम तरीके से विकसित कर सकते हैं।

देखिये, मैं आपके बीच में बोलती नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा बोलना है, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी।

इतना जरूर कहूंगी कि यह हमारे यहां पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, लोग आबू आ कर विचार करते है, आगे कहां जाए। आबू से उतरते ही लगभग साढ़े चौदह सौ खम्भों का और कारीगरी के लिये विख्यात रणकपुर का टैम्पल है। दूसरी तरफ जाए, नाकोड़ा का टेम्पल है, जालौर का किला है, माता का मन्दिर है और हमारी तरफ भी बहुत ही सुन्दर, बहुत ही प्राचीन और परमात्मा के जीवित समय तक के मन्दिर भी आज हैं। यदि इस सारे को एकजाई रूप से देखें कि पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकास किया जाए, तो यह भी हमारे यहां एक बड़ा उद्योग बन सकता है। और तो और आवागमन के साधन भी बनाने पड़ेंगे। हमारे यहां सारा क्षेत्र ही औद्योगिक है, या

(श्रीमती तारा भण्डारी)

तो हमारे लोगों ने उद्योग लगा रखे हैं या बाहर साउथ इंडिया में कहीं भी वो व्यापार में हैं, तो आने जाने का भी राजस्थान में एक सही साधन नहीं मिल पाता। आज मेरे यहां हवाई अड्डा बना हुआ है, लाखों नहीं तो मैं समझती हूं करोड़ों से ऊपर लागत लगा कर वहां हवाई पट्टी, टर्मिनल पाइंट सारा कुछ बना हुआ है, मैं उप मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहूंगी कि उद्योगों में पर्यटन तो नहीं आता, पर्यटन मंत्री जी अलग हैं लेकिन उद्योगों की दृष्टि से सिरोही में हवाई पट्टी विकसित हो, इसके लिये मैं सोचती हूं आप प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी खनिज विभाग की बात आती है, फोरेस्ट की बात पहले चलती है। हमारे विपुल खनिज हैं लेकिन फोरेस्ट के झगड़े हैं और, अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट एक बार जिस पर सैक्शन–4 का नोटिस निकाल दे उसमें अगर यह विधान सभा कवर होती तो भी उन्हीं की, फिर उन से कुछ छुड़ा कर लाना किसी के बस में नहीं है। एक तरफ तो हमारे यहां इतना कीमती फलासफर है जो सारा का सारा जंगलात में है। अब उस कीमती फलासफर की कोई कीमत नहीं और लोग चोरी से निकालते हैं, क्योंकि वह सारा फोरेस्ट है। मैंने पिछली बार जब हमारे पूर्व मंत्री कालूलाल जी गुर्जर थे, तब यह सवाल उठाया था कि लोगों ने पी. एल. का नाम लगा कर के फलासफर को, एक जैन बंधु और एक सोमानी बंधु ने लाखों का फलासफर वहां से चोरी-चोरी पी. एल. के नाम पर निकाल दिया। तो क्या इस पर विचार कर के, प्रयास कर के, उन खानों को विधिवत नहीं दे सकते? हम विधिवत दे नहीं दे पा रहे हैं, चोरी आज भी यथावत है। आज भी फोरेस्ट में फलासफर निकल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक उदाहरण और देना चाहूंगी। हमारे वहां सिरोही नगर के कुछ मेघवाल बंधु हैं जिनको सिरोही स्टेट ने 1932 में उन खानों के पट्टे दे दिये थे, स्टेट ने दिये थे। हमारे जो पूर्व राजा थे, उनके हाथ के 1932 से उन लोगों के पास पट्टे हैं और 1932 से वे मेघवाल बंधु उन खानों को खोदते आ रहे हैं। करते क्या हैं, खुद ही मजदूर हैं खुद ही खान के मालिक हैं, दिनभर मजदूरी करते हैं पांच-सात कातले निकालते हैं, उनको बाजार में बेजते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन वह भी फोरेस्ट में आ गया इसलिये हर साल उनको फोरेस्ट वाले पीड़ा देते हैं, उसका काम बन्द करा देते हैं। क्योंकि कातले भी बिकते हैं और मेघवाल भी बिकता है, गरीब की जोरू सब की भाभी। वहां कोई न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हंसिये मत, गृह मंत्रीजी, यह सही बोल रही हूं कि "गरीब की जोरू सब की भाभी," और अगर असंसदीय है तो मैं पहले ही बोलती हूं निकाल दीजिये। सवाल यह है कि गरीब का कौन है? आप स्वयं खनिज मंत्रीजी एस. सी. जाति को बिलोंग करते हैं, एक बार विचार करिये कि आप क्या करना चाहते हैं। खानों में तो देखो जिस की मातबरी होगी, वही टिक पाएगा, कमजोर आदमी नहीं टिकेगा। लेकिन राजस्थान सरकार और हमारे खान मंत्रीजी अगर यह विचार करें कि हमें ऐसे लोगों को कुछ

(श्रीमती तारा भण्डारी)

देना है जो गरीब हैं, जो कांपीटिशन में नहीं आ सकते, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की परिभाषा में नहीं आते, ऐसे एस. सी., एस. टी. के लोगों को अगर वे खान का काम कर सकते हैं, अगर उनके पास खानें हैं और अगर वे लेना चाहते हैं तो कोई न कोई ऐसा तरीका निकालिये, कोई ऐसी नीति करिये और उस नीतिगत आधार पर उनको आप खानें आबंटित करिये। उनको पैरों पर खड़ा करिये, उनको विकसित बनाइये, उनका आशीर्वाद लीजिये।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगी। हमारे उद्योग मंत्रीजी को, जो उप मुख्य मंत्री भी हैं, मैं बधाई देना चाहूंगी कि जब से वे उद्योग मंत्री बने हैं उन्होंने निरन्तर प्रयास किये हैं कि औद्योगिक वातावरण बने, उद्योग के लिये आधारभूत सुविधाएं बनें। उसके लिये सभी ने मिलजुल कर एक जोइंट प्रयास किया। सड़कों का विस्तार हुआ, भू-खण्ड एक्वायर किये गये, जमीनें अवाप्त की गयीं और रीको ने उसके प्लाट बनाये। बिजली का भी उत्पादन किया, और, तो और जहां-जहां एक्सपोर्ट की विपुल संभावनाएं हैं वहां कंटेनर दिये और एक्सपोर्ट के लिये भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं देकर एक्सपोर्ट बढ़े, उसके लिए प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे यहां भी प्रयास किये हैं। शिवगंज में गत दिनों एक करोड़ से अधिक की लागत की जमीनें अवाप्त की गयीं, मुझे भरोसा है कि उसके अच्छे प्लाट बनेंगे और लोग भी और नये उद्योगों के साथ आएंगे। लेकिन मेरा सिरोही हर तरीके से बच जाता है।

(18.00)

क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, सिरोही में रेल भी नहीं है, और न ही आवागमन के अच्छे साधन हैं और जयपुर से बहुत दूर है। पता नहीं मैं कैसे आती-जाती हूं। 425 किलोमीटर की यात्रा एक बार में करनी पड़ती है। मैं उद्योग मंत्री और खनिज मंत्री दोनों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां खानें तो बहुत हैं, खनिज भी बहुत हैं, इसलिये उद्योग मंत्रीजी पहल करें जिससे सिरोही नगर में कोई अच्छे उद्योग लग सकें, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा उद्योग पनपेगा तो हमारी समृद्धि बढ़ेगी। हमारी पर कैपिटा आमदनी भी बढ़ेगी। जिस प्रान्त में उद्योग नहीं हैं तो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी। अगर पर-कैपिटा आमदनी हमें बढ़ानी है तो उपलब्ध साधन सुविधाओं का समुचित दोहन हो और अधिक से अधिक उद्योग लगें।

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे लम्बे-लम्बे हाथ करके राजस्थान से बाहर कभी इस प्रकार का प्रचार नहीं करें कि राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान में बिजली नहीं है, राजस्थान में एक खिड़की की कोई सुविधा नहीं है, सब सुविधाएं होंगी। आपने कुछ नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिजली तो चमक रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महो-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

दय, अगर विपक्ष में बैठे हमारे कांग्रेस के बन्धु पहले से ही विचार करते, जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद हुआ और राजस्थान बना कि राजस्थान में कुछ उद्योग-धन्धे बढ़ाएं तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज हमको चीखने की जरूरत नहीं होती कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या के बारे में सोचना था तो 1947 में सोचना था कि इस राजस्थान की जनसंख्या क्या होगी और राजस्थान की स्थिति क्या होगी ?

श्री विष्णु मोदी : आपने सोचा होता 1977 में। जनसंख्या के लिये कोई जिम्मेदार है तो आप हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बीच में मत बोलें। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप हैं आप। आपकी पार्टी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिराज जाऊंगी लेकिन यह बात निश्चित है कि देर आये दुरुस्त आये.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : एक महिला के सामने इतने सारे खड़े हो गये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, प्रयास नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना तो करनी चाहिये। कभी असत्य बोलना पड़े तो बोलें कि आइये हमारे राजस्थान में बहुत पानी है, आइये हमारे राजस्थान में बिजली के कारखानें लगाये हैं, आइये हमारे राजस्थान में हम पेवर रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हम उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिये एक काम्पलैक्स तरीके का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह की बातें कीजिये और राजस्थान की बहबूदी में साथ दीजिये। मुझे आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपके खुद के यहां से मद्रास में और बम्बई में बहुत हैं। आप भी प्रयत्न करें। माननीय श्री अमराराम जी चौधरी।

श्री अमराराम (धोद) : हम दोनों ही चौधरी हैं।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी (पचपदरा)।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ-साथ हमारे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने की आवश्यकता पैदा हो गयी है। वैसे 1947 के बाद भारत में बहुत कुछ हुआ और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ काम किया। उद्योग, भवन वगैरह आज देख ही रहे हैं, यह व्यवस्था बनायी और आज जो कुछ काम हो रहा है और जो सहयोग दे रहे हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाने, पीने और धन्धे के लिये उद्योग धन्धों का होना बहुत जरूरी है। मैं एक औद्योगिक नगर बालोतरा, जिसका कपड़ा,

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

पोपलीन, ब्लाउज पीस, पेटीकोट पीस वगैरह पूरे हिन्दुस्तान में ग्रौर हिन्दुस्तान के बाहर नेपाल तक जा रहे हैं और भी देशों में जा रहे हैं, मैं ऐसे नगर से ग्राता हूं, हमारे उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, वहां हमारी सबसे बड़ी समस्या वाटर पोल्यूशन की है। वाटर पोल्यूशन नो सोल्यूशन। इस वाटर पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं है चाहे ग्राप कितनी ही बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायें, कितने ही टैक्निशिनों को बुलाकर ग्रपनी रिपोर्ट तैयार करें। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की, दूषित पानी को शुद्ध करने की जहां तक मैं समझता हूं जो टैक्निक है, वह सफल नहीं हुई।

माननीय श्री पूनमचन्द जी जब ग्रध्यक्ष थे, उस समय भी बालोतरा पधारे थे ग्रौर अभी पिछले साल भी दो बार बालोतरा पधारे। ग्रापने वहां उद्योग-धन्धों को देखा ग्रौर ग्रापको बड़ी चिन्ता हुई। ग्रापने वहां ग्राकर जो सुझाव दिये थे ग्राज से दस साल पहले, बारह साल पहले यदि वह ग्रडाप्ट कर दिये जाते तो ग्राज डाइंग एण्ड प्रिन्टिग की नई फैक्ट्री लगाने के लिये जो एन.ग्रो.सी. नहीं मिल रही है, वह हमारे लिये कोई समस्या पैदा नहीं होती, बाधा नहीं होती। लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं देकर फोरेन, अमेरिका में जाते हैं, वहां से लोग स्टैडी करके ग्राते हैं। पैसों की बरबादी करते हैं। लेकिन हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक नाला बाकुंटी के खार तक बन जाता तो यह गन्दे पानी की जो प्राब्लम है, वह कभी की समाप्त हो जाती। अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये काम कर रहे हैं ग्रौर जो नाला ग्रापने बनाया जसोल के पास, उस नाले का पानी गिरेगा ग्रौर जसोल की ग्राबादी बड़ी है, उसके बाद नदी में यह पानी जाएगा और नदी में पानी जाते-जाते कितने ही गांव, सिणधरी वगैरह के सैंकड़ों गांव उस गन्दे पानी से, रंग के पानी से, कास्टिक के पानी से प्रभावित होंगे। मैंने पिछले बार भी आब्जेक्शन किया था यह नाला वहां न बनाकर बाकुंटी के खार में बनाया जाए। बाकुंटी का खार वहां से 20 किलोमीटर है, पानी तो वैसे ही ग्राप-रेट हो जाएगा ग्रौर उसके चारों तरफ फेंसिग कर दें तो ग्राने वाले 20 सालों के लिये बालोतरा के लिए वाटर पोल्यूशन की प्राब्लम नहीं रहेगी। लेकिन वह नहीं किया ग्रौर एक नयी टैक्निक ग्रपना रहे हैं ग्रौर कब इसको शुरू कर रहे हैं, कोई पता नहीं।

माननीय, जो नये उद्योग लगाने की बात है, आज बाड़मेर जिला है जहां से ग्रेनाइट, लिग्नाइट ग्रौर इस प्रकार के कई खनिज पदार्थ हमें मिल रहे हैं उनसे हमारी ग्रार्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारी जो माली हालत है, वह सुधरेगी। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नये उद्योग लगाते हैं उन लोगों को कितनी ही बार ग्रार. एफ. सी. के चक्कर काटने पड़ते हैं। किसी भी ग्रादमी से आप बात करें तो वह बतायेगा कि बीस बार तो मुझे जयपुर ग्राना पड़ा ग्रौर उसके बाद में जहां ग्रार. एफ. सी. का लोकल आफिस है, यानि डिप्टी मैनेजर का ग्राफिस है, वहां से फाइल यहां तक ग्राने में उनके कितने ही रुपये खर्च हो जाते हैं जोश-जोश के ग्रन्दर वे ग्रेनाइट की फैक्ट्री लगा देते हैं ग्रौर भी कोई नया उद्योग लगा देते हैं। लेकिन घर की पूंजी जब ज्यादा

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं होती हैं, तो हम अक्सर अखबारों के अन्दर नीलामी की लिस्ट देखते हैं कि फलां फैक्ट्री आक्शन होगी, फलां फैक्ट्री आक्शन होगी। यह क्यों हो रहा है ? कारण यह है कि हमारा ऋण देने का जो तरीका है वह बहुत गलत है। हमारे यहां सालभर के अन्दर ऋण पास नहीं होता। तब तक हमारी कास्ट बढ़ जाती हैं, लेबर कास्ट बढ़ जाती है, मैटीरियल कास्ट बढ़ जाती है और इसके कारण जो भवन हम बनाते हैं उनकी कास्ट बढ़ जाती है, मशीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। माननीय मंत्रीजी काफी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको ऋण मिल जाये। उन्होंने प्रयास किये भी हैं लेकिन आज भी मंत्रीजी, आपको हम नहीं कहते हैं, व्यापारी कभी नहीं कहता है कि मेरे साथ क्या बीतती है। वह आपको बताता ही नहीं है। उसको कितने चक्कर आर.एफ.सी. के काटने पड़ते हैं, यह आपको पता ही नहीं है कि एक करोड़ का जब वह लोन लेता है तो उसको कितने चक्कर भुगतने पड़ते हैं यह तो वह ही जानता है, यह हकीकत मैं आपको कह रहा हूं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील में 56 पहाड़ हैं। दस-पन्द्रह पहाड़ ऐसे हैं जहां बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट है लेकिन वह एरिया फोरेस्ट में आ गया। कुछ ऐसी खानें आपने अलाट कर रखी हैं, वहां रास्ते नहीं है। माननीय खनिज मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिनेर के अन्दर एक व्यक्ति की खान है मूसे खां मुसलमान की। वहां बहुत बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट निकला है। एक खेत बीच में है। अब हर बार उसको पैसे दो, हर ट्रिप में उसको पैसे दो। क्यों नहीं आप माइंस तक पहुंचने के लिये रास्ते की सुविधा देते हो। वह रोड आपके विभाग को बनानी चाहिये। आप हमसे तो पैसे ले रहे हो, खान की साल की आपकी रायल्टी या जो भी है, वह आप हमसे ले रहे हो लेकिन हमें उस खेत वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ पन्द्रह बीस फीट चौड़ा रास्ता चाहिये वहां तक पहुंचने के लिए। जब हमें पर-ट्रिप पचास या सौ रुपये देने पड़ते हैं तो फिर क्यों न चौड़े रास्ते का प्रबन्ध कर दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा माल जाएगा, आपकी रायल्टी बढ़ेगी, उद्योग-धंधों को फायदा होगा। जहां कहीं भी माइन्स हैं वहां रास्ते के सम्बन्ध में आप ऐसा कानून भी बनायें कि खान तक जाने के लिए कोई रुकावट नहीं करेगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मोकलसर में ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां लगी हैं। उन ग्रेनाइट की फैक्ट्रियों के पास में फोरेस्ट का एरिया है, जहां माइंस हैं, बहुत बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट उस फोरेस्ट एरिये में हैं। आप कम से कम एन. ओ. सी. लेकर उसको छुड़वाने की कोशिश करें जिससे लोगों को नजदीक ही बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट मिल जाएगा और उद्योग-धंधे लगाने वालों को भी फायदा होगा और वह भी अपनी फैक्ट्री को आराम से चला सकेंगे। उद्योग चलाना कोई हंसी की बात नहीं है, लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है वे रात दिन एक करते हैं। ग्रेनाइट वालों से पूछो, उनको मार्केट ढूंढनी पड़ती है। अगर उनको कोई अच्छी मार्केट नहीं मिलती है तो ग्रेनाइट साल भर के लिये पड़ा रहता है

(श्री अमराराम चौधरी)

तथा उसके ब्याज में ही उसकी फैक्ट्री और वह बरबाद हो जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यही है कि जहां भी इस प्रकार की फोरेस्ट लैण्ड आयी है उनमें आप एन. ओ. सी. दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम जी परमार। श्री दयाराम जी एरिये का मार्बल दुनिया में सबसे अच्छा है।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : इसीलिए मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 पर चर्चा हो रही है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति बनी और उस नीति के आधार पर उद्यमियों को हमने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दीं और वे भी यहां आकर्षित होकर उद्योग-धंधे लगा रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी बड़े उत्साही हैं। वे बाहर जाकर वहां से विदेशियों को यहां आमंत्रित कर उद्योग लगाना चाहते हैं। लेकिन हमारी इस नीति के अन्तर्गत यह नहीं सोचा गया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि उद्योग धंधे कहां पर लगने चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं ट्राइब्ल एरिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं तथा उनको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है। आदमी बेरोजगार घूमता फिरता रहता है। वह गुजरात पर निर्भर है, गुजरात में कुछ मिले इस पर जिन्दा रहता हैं। सरकार को चाहिए था कि वह इस नीति के अन्तर्गत यह व्यवस्था करती कि ट्राइब्ल एरिया में भी उद्योग धंधे लगें और वहां उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष तरह की सुविधा देकर उनको आकर्षित करने का काम करना चाहिये। इसलिए उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस बिन्दु पर ध्यान रखने की कृपा करें।

दूसरा, मैं उद्योग पर यह कहना चाहता हूं कि आज जितने भी हम उद्योग लगा रहे हैं वह चाहे नेशनल हाइवे की जमीन हो, चाहे स्टेट हाइवे की जमीन हो, बढ़िया से बढ़िया जमीन जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं और वह अनाज खाकर हम जिन्दा रहते हैं उस जमीन में फैक्ट्रियां लगाकर हम उस जमीन को बरबाद कर रहे हैं। आने वाले पचास वर्षों में क्या होगा, खाने के लिये अनाज हम कहां से पैदा करेंगे। यह सोच-कर भी सरकार को उद्योग-धंधे लगाने चाहिये और ऐसी जमीन जो अनुपजाऊ है जो कभी काश्त के काबिल नहीं है, उस जमीन पर उद्योग लगाने की हमको पालिसी बनानी चाहिये। यह मुझे उद्योग-धंधों के लिये निवेदन करना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खनिज का सवाल है, जो भी खनिज निक-लता है वह विशेषकर पहाड़ी एरिये में ही निकलता है। आप जानते हैं कि समाज की ऐसी व्यवस्था रही है कि जो बढ़िया जमीन थी, मैदान थे, वहां पर जो लोग समझदार थे वे रह गये और आदवासियों को धकेलकर पहाड़ों के अन्दर भेज दिया, वे पहाड़ों में जाकर बसे। अपनी छोटी-मोटी खेती करके गुजारा करते रहे लेकिन धीरे-धीरे यह पता चला कि जो पहाड़ हैं वहां पर विशेष प्रकार के खनिज और

(श्री दयाराम परमार)

पत्थर निकलते है और वे वेल्यूएबल हैं, तो पता नहीं, कहां-कहां से, देश के विभिन्न भागों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मद्रास से, कोई कलकत्ता से आकर हमारी जमीनों पर माइन्स खोदने लगे और उन्होंने एक तरह से एकाधिकारसा कर लिया, जहां पर हमारा घर था आज हमारा घर नहीं रहा, हमारा खेत था वहां खेत नहीं रहा, हमारा बीड़ था वहां बीड़भी नहीं रहा। आज स्थिति यह है कि वहां पर हमारी जमीनों को खोद-खोद कर वे करोड़पति बन गये और हम केवल मात्र मजदूर बनकर बीस-तीस रुपये पर और उनकी दया पर जिन्दा हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने खनिज नीति बनायी। उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि हमारे लिये बीस प्रतिशत रिजर्वेशन करने की बात कही गयी है। जो माइन्स लेना चाहते हैं उनके लिये सिर्फ बीस प्रतिशत का रिजर्वेशन। माननीय अध्यक्ष जी वहां पर हम लोग अस्सी प्रतिशत हैं फिर आप हमारे लिये बीस प्रतिशन रिजर्वेशन करके हमारे साथ किस तरह का सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसके लिये माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान की सरकार से यह मांग करता हूं कि हमें पचास प्रतिशत माइंसों में रिजर्वेशन दिया जाए। अगर आपने पचास प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं दिया तो फिर यह सामाजिक न्याय की खाई बराबर बनी रहेगी। जब खाई बनी रहती है तो फिर वर्ग संघर्ष होती है और जब वर्ग संघर्ष होता है, तो क्या होता है यह मैं कहना नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष जी, इन माइंसों पर हमारे जो लोग काम करते हैं, वहां पर जाते हैं उनको समान रूप से या उचित रूप से उनको मजदूरी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय खनिज मंत्री जी विराज रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लेबर खानों पर मजदूरी पर जाते हैं, खान का काम सबसे कठिन होता है और उस काम का उनको समुचित पैसा नहीं मिलता है। वे वहां पर केवल बीस-तीस रुपये में अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। वे अपनी जिन्दगी वहां गुजारते रहें। इसके लिये सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनको समय पर तथा श्रम का सही पैसा मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो खानें देना चाहते हैं वह लाटरी सिस्टम के आधार पर देते हैं। लाटरी में एक आदमी पांच-दस माइंस अलाट कर लेगा। जिसके पास पैसा होगा वह 10–20 फार्म भर देगा तो लाटरी में उसका नाम निकल जाएगा और गरीब हाथ मलता रहेगा। इसलिये इस लाटरी सिस्टम को आप किसी तरह से बदल सकते हैं तो बदलें या पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि जो पहले आया उसको पहले प्रायोरिटी के आधार पर मिलेगी, उसी व्यवस्था को लागू करें तो न्याय होगा वरना उसको न्याय नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कितनी माइंस ले सकता है, इस पर हमारी कोई रोक-टोक नहीं है। हम पैट्रोलियम पदार्थों के लिये चाहे गैस एजेंसी हो, या चाहे पैट्रोल पम्प के लिये एप्लाई करते हैं तो एक फार्म में लिखकर देते हैं कि मेरे

(श्री दयाराम परमार)

परिवार के इतने लोगों तक किसी प्रकार की कोई गैस एजेंसी या इस तरह के पैट्रोलियम पदार्थ का कोई धंधा नहीं है। लेकिन माइंस में एक आदमी इस तरह लखपति-करोड़पति बन रहा है और वह एक साथ 10 माइंस लेना चाहे तो ले सकता है। फिर हम वहां पर दूसरे लोगों को क्या देना चाहते है? और जिसके पास में पैसा होता है वह सबसे ज्यादा माइंस ले लेता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा माइंस नहीं ले पाये।

अध्यक्ष जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे श्री दीपेन्द्र सिंह जी शेखावत जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि विदेशी कम्पनियों को बांसवाड़ा और डूंगरपुर का बहुत बड़ा एरिया दे रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विदेशी कम्पनियों को देने का ऐसा दुःसाहस सरकार ने किया और हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की, तो इस तरह की कम्पनियों को हम हमारी जमीन किसी भी तरह से नहीं खोदने देंगे। वहां कम्पनियां खोलकर सरकार चाहे कि उसको रायल्टी मिले, हमारी जमीन खुदती रहे और हम देखते रहें, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अध्यक्ष जी, हमारे एरिया में चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो और चाहे खैरवाड़ा हो बहुत सारी माइंस निकलती हैं और रायल्टी के रूप में मिलता हैं सरकार को करोड़ों रुपया। उन करोड़ों रुपये को हमारे विकास के नाम पर कहीं नहीं लगाया जाता वह आप राजस्थान में कहीं पर कुछ भी लगाते हों, इसलिये उसका एक निश्चित भाग, जिस तहसील से, जिस जिले से जो पैसा रायल्टी का मिलता है वह वहां विकास के काम में लगना चाहिये ताकि हमारी सड़कें बन सकें, हमारे स्कूल भवन बन सकें, दवाखाने बन सकें। नहीं, तो हम और स्कीमों से पैसा मांगते रहेंगे। वैसे भी ट्राइब्ल एरिये की ओर, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार का ध्यान कम जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरह का काम करे।

आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय यह कोशिश करें कि हमारा पचास प्रतिशत रिजर्वेशन हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 पर मैं मेरे कुछ सुझाव हमारे उद्योग मंत्री जी को आपके मार्फत देना चाहता हूं। ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देकर कुछ सुझाव ही मैं देना चाहता हूं और कुछ बातें भी कहना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि आज लोग कहते हैं कि राजस्थान पिछड़ा हुआ है, उद्योगों की दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में आज यहां पर ऐसा कंड्यूसिव इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट बन गया है। उसके दो-तीन कारण हैं। एक तो नोर्दन इण्डिया का जो मार्केट है दिल्ली, वह आज सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जोन बन गया है फिर साउथ

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

है, पर ग्राज दिल्ली सबसे बड़ा हो गया है। पहले बाम्बे के अन्दर जितना एक्सपोर्ट होता था उससे भी काफी ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है ग्रौर उसका फायदा राजस्थान को मिल रहा है। दिल्ली के ग्रन्दर ग्रौर हरियाणा के ग्रन्दर एक सेचुरेशन पाइंट पर पहुंच गये। राजस्थान के अन्दर जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर ग्रौर एक्सप्लाइट किया जाए। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह स्थिति है योरोप की स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वार ग्रौर सैकण्ड वर्ल्ड वार के बीच में थी। रेनेसा उसको कहते हैं ग्रौर आज मैं यह कहूंगा कि यह रेनेसा है ग्रौर कैसे हम रेनेसा से इक्कीसवीं शताब्दी के ग्रन्दर पहुंचेंगे। जो रेनेसा ग्राया, उसके साथ, इण्डस्ट्री के साथ में बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं ग्रायीं उनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा ग्रौर उसी के कारण ग्राज मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान पीछे रह ही नहीं सकता India has to catch up with the European and Far East countries. अपन पीछे रह ही नहीं सकते ग्रौर राजस्थान भी हिन्दुस्तान की तुलना में पीछे रह ही नहीं सकता।

परन्तु मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपको ग्राज क्या करना है। इन्फास्ट्रक्चर डवलप कर दो, यही काफी है। लोग तैयार हैं, वे इण्डस्ट्री लगाने के लिये आएंगे, उनके लिये समस्या कोई नहीं होगी। They will still come. ग्रपने को करना क्या है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुग्रा है। कुछ साल पहले श्री विष्णु जी अगर पुष्कर की बात करना चाहते थे ग्रौर पता लगाना चाहते थे कि वहां पर क्या समस्या हो रही है, तो एस.टी.डी. की फेसेलिटी नहीं थी, ग्राज है। सड़क बन रही है, फोर लेन बन रही है। ग्रभी तक बनी नहीं है, बन जाएगी। बिजली के ग्रन्दर हम पीछे हैं। जब ग्रार.एस.ई.बी. पर डिस्कशन होगा, तो मैं बिजली पर लम्बा कहूंगा। मुझको एक ही निवेदन करना है ग्रौर वह यह है कि ग्राज जो शार्ट टर्म पालिसी ग्रार.एस.ई.बी. की बिजली की है कि हम लोगों को डीजल जनरेटिंग सैट लगाकर दो साल के अन्दर, क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड डीजल जनरेटिंग सैट लगाने का कम होता है। तो 100 मेगावाट के 15 या 16 जितने भी हम पी.पी.ए. साइन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि यह गलतफहमी है ग्रार.एस.ई.बी. को भी ग्रौर दूसरों को भी कि इससे राजस्थान की समस्या हल हो जाएगी। यह सौ मेगावाट के जो डीजल जनरेटिंग सैट लगाये हैं यह कैप्टिव पावर प्लांट जैसे ही लगाये हैं। भिवाड़ी ले लो, भीलवाड़ा ले लो, जोधपुर का इण्डस्ट्रियल एरिया ले लो, यह सब वहीं लगे हैं, अगर दो साल में लग जाते हैं ग्रौर हम उनको पर्याप्त बिजली दे देंगे तो एक सुविधा उनको मिल जाएगी ग्रौर इण्डस्ट्रीज ग्रा जाएंगी। पर ग्रगर ग्रापने यह सोचा कि यह छोटे-छोटे प्लांट्स लगाकर राजस्थान की बिजली की समस्या हल करें, ऐसा नहीं होगा। बहुत समस्याएं हैं। छोटे सौ मेगावाट के सैट्स ग्राप लगाओ। ग्राप कैसे तो इवेकुएशन करेंगे, ग्राप कैसे उसको सिंक्रोनाइज करेंगे ग्रौर ग्रिड के अन्दर ड्रिप हो जाएंगे। यह किसी ने विचार ही नहीं किया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

(व्यवधान) इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा तो इण्डस्ट्री अपने आप आएगी यह कह रहा हूं मैं।

मेरा निवेदन है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की जो बात है, इण्डस्ट्री से बिलकुल रिलेटेड है। आप इनको सबको कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाकर, वहां की समस्या हल करो।

दूसरा, मैं जैसे रेनेसा की बात कह रहा था और जो समस्याएं आने की बात कह रहा था – पाल्यूशन और एन्वायरमेंट का अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? रीको जितने भी अपने इण्डस्ट्रियल सैंटर्स बना रहा है, उसने यह किया है कि दिल्ली के आस-पास लगाते जा रहे हैं। ठीक हैं, नेशनल हाइवे पर लगाते जा रहे हैं। बहुत सारे यहां से भी अधिकारी बाहर गये होंगे। योरोप के अन्दर हाइवे के पास कोई भी इण्डस्ट्री नहीं होती। वह एक-दो-पांच किलोमीटर अन्दर होती है। वह बिलकुल नेशनल हाइवे पर क्यों बना रहे हैं? पहले ही इतना पोल्यूशन है। सड़कें और चौड़ी कैसे करोगे, इसलिये इनको आप एक-एक, दो-दो किलोमीटर अन्दर रखें।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि रेड टेपिज्म, कहते तो हैं कि हम वन-विंडो सिस्टम लाना चाह रहे हैं। कोई आया, उनका प्रस्ताव पास किया और इण्डस्ट्री जल्दी से लग गयी। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है रीको को, मैं अभी बात कर रहा था और मुझसे कहा गया कि दिल्ली के अन्दर कैम्पस लगते हैं और उसके अन्दर जो भी इण्डस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इंटरप्रिन्योर आते हैं उनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी इण्डस्ट्री लगाने के लिये पास कर देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि सब कुछ दिल्ली से होता है, आज तमिलनाडु का जनरल मैनेजर रेंक का आदमी दिल्ली बैठा हुआ है, आज महाराष्ट्र का भी वहां बैठा हुआ है। राजस्थान इतना पास में है इसलिये यह सोचते हैं कि रोजाना आ जाएंगे और ये लोग कैम्प लगाते हैं महीने–दो महीने के अन्दर। वहां दो महीने में दो दिन कैम्प होता है वह कहीं पर सिंगापुर चला गया और बैंकाक से आ नहीं सका, या हवाई जहाज नहीं मिला तो आप जनरल मैनेजर रेंक का आदमी वहां क्यों नहीं रखते हैं।

मेरा एक सुझाव और है कि आज सबसे ज्यादा फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है फोर ईस्टर्न कंट्रीज के अन्दर है, वह बैंकाक के अन्दर है। बैंकाक ने एक बहुत अच्छी चीज रखी। उन्होंने एक ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट रखा है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके अन्दर बहुत सारे आफिसेज हैं। वह वन विंडो ही समझ लें, बहुत बड़ी वन विंडो है। उसके अन्दर इण्डस्ट्रियलिस्ट आता है, इंटरप्रिन्योर आता है उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि वह आएगा उसके लिये होटल की भी व्यवस्था वे करेंगे, पेमेंट तो वही करेगा, रिजर्वेशन करवा देंगे, इण्डस्ट्री लगाएंगे तो उसको बाद में बच्चे को स्कूल में भी भेजना पड़ेगा तो स्कूल का भी वह इंतजाम कर देते हैं। उनको इन्कम टैक्स की समस्या है, तो उसी बिल्डिंग के अन्दर, एक ही जगह सब समस्याएं उसकी हल हो जाती हैं। उसको अगर गैस लेनी है तो काउंटर पर ले सकता है। कोई बाहर से आया है तो गैस की लाइन में खड़ा होगा

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

और उसको गैस भी नहीं मिलेगी तो एक ही जगह ये सब सुविधाएं आप दें।

मेरा एक और निवेदन है कि आज कुछ भी आप कहो यह जो डवलपमेंट हो रहा है, गैट और डब्ल्यू.टी.ओ. से जो भी हमें फायदा हो रहा है वह कब जाकर गांव तक पहुंचेगा, सक्यू लेट नीचे करेगा, उसमें काफी समय लगेगा।

श्री विष्णु मोदी : नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसके लिये हम एक कवच तैयार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : "मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना"। यह तो अलग-अलग सोच है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा यह निवेदन है, मैंने पहले ही कह दिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये आप लोग उनको ले आयें। अपने आप सब चीज हो जाएगी। हम तो खाली इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर आप हाई टैक्नोलोजी लायें। उसकी बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज दुनियां में दो ज्वाइंट्स को देख रहे हैं कि आगे निकलता है या हिन्दुस्तान आगे निकलता है। आप देखें, मैं छोटी सी चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं—

"China grew while India watched." और उसकी चार लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा—

"An article in the New York Times late last year had described how the students even in the elementary schools in China were able to repair air-conditioners and refregirators and how in China in the year 1991, the educational institutions–elementary to universities ran six lakh eighty thousand business–brought in 850 million dollars."

तो एजुकेशन सिस्टम भी अपने को रखना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लड़कों की आप ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं, यह बात नहीं है। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि कब यह सक्यूलेट करेगा गांव तक। उसके लिये सर्विस इण्डस्ट्री पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमारे उद्योग मंत्रीजी ने सही कहा था भुजिया, पापड़ यह छोटी सी बात है। सर्विस इण्डस्ट्री के अन्दर बहुत बड़ा है। टूरिज्म की शर्मा श्रीमती ताराजी ने बात कही और ऐसे ही सर्विस इण्डस्ट्री में अगर हम लोगों ने ध्यान दिया तो हमारा डवलपमेंट हो जाएगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ये जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, ये मैं तेरहवीं बार कटौती प्रस्ताव दे रहा हूं, लेकिन मंत्रीजी, आज तक उन कटौती प्रस्तावों के ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है, रिप्लाई तो आया है लेकिन जो मैंने कटौती प्रस्तावों के द्वारा जो समस्याएं रखीं उनका निदान आज तक नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आज तक आपने सवाईमाधोपुर जिले के

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

लिये क्या किया ? सवाईमाधोपुर जिले में क्या आपने रीको का इण्डस्ट्रियल एरिया बना दिया, क्या करौली के अन्दर, हिण्डौन के अन्दर और गंगापुर के अन्दर आपने इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया और क्या आर.एफ.सी. का दफ्तर आपने खोल दिया ? आपने जो इण्डस्ट्रियल एरिया गंगापुर में बनाया उसमें आज तक कितनी यूनिटें लगीं, कितनी यूनिटें बन्द हो गयीं और क्यों बन्द हो गयीं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहने में बिलकुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सवाईमाधोपुर जिले के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आजादी के बाद से आप देख लें सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर इस उद्योग विभाग ने उद्योग के नाम पर सिवाय बरबादी के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, आजादी के पूर्व सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर 2 बड़े कारखाने थे। एक भारत सरकार का रेलवे का और दूसरी सवाईमाधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। जो कारखाना गंगापुर में रेलवे का था, वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा लोको शेड, वेस्टर्न वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा केरी शेड जहां पर रेलवे वैगन बनती थी, लोको के अन्दर रिपेयर का काम होता था और कल-पुर्जे मंगवा कर इंजन में जोड़ने का भी काम होता था लेकिन जहां पर 60 हजार मजदूर काम करते थे उस रेलवे लोको शेड और केरी शेड की स्थिति यह बना दी गयी है कि वहां पर आज 3 सौ भी मजदूर काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, यह तो खैर भारत सरकार जाने। रेलवे की आज स्थिति यह बना दी है कि जहां 12 सौ करोड़ की पूंजी उन बिल्डिंग्स में, कारखानों में 18 सौ क्वार्टर्स बने हुए हैं, ए टाइप के, बी टाइप के, एफ टाइप के 18 सौ क्वार्टर बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 12 सौ करोड़ की पूंजी वहां लगी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। उनके अन्दर कितनी गन्दगी है यह तो हम लोग ही जानते हैं। यह तो भारत सरकार का काम है। पिछली बार भी मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से निवेदन किया कि आप कम से कम भारत सरकार को लिखें कि जो 12 सौ करोड़ की पूंजी वहां लगी हुई है उसका किसी न किसी तरह यूटिलाइजेशन वह करे। अब आयी सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री, एशिया की सब से बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी। कितने आन्दोलन किये, क्या-क्या नहीं किया और कब-कब क्या-क्या घोषणाएं नहीं की गयीं। अब आप चालू करने जा रहे हैं। मुझे खुशी होगी उप मुख्य मंत्रीजी आप इसको जल्दी से जल्दी चालू करवा दें। 1955 में गंगापुर के अन्दर 9 राइस मिलें थीं और सवाईमाधोपुर में कुल 11 राइस मिलें थीं तथा पूरे राजस्थान के अन्दर कुल मिला कर 14 राइस मिलें थीं। अकेले गंगापुर में 9 राइस मिलें थीं लेकिन आज गंगापुर में सिर्फ एक राइस मिल रह गयी है। क्योंकि एक कानून आया हलर का और सेलर का, जिन राइस मिलों के अन्दर हलर लगे हुए हैं उनको तो बन्द कर दिया जाए और उनके अन्दर सेलर लगा दिये जाएं। एक-एक राइस मिल को अगर सेलर में परिवर्तन करते हैं तो 8–8, 9–9 लाख रुपये उनको एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। गंगापुर की ताकत यह नहीं थी, गंगापुर में

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जो छोटे उद्योगपति थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे 8–8, 9–9 लाख रुपये लगाकर के उसको चेंज कर लें। खैर, प्रकृति ने भी अपना प्रकोप दिखाया। जहां बरसात बहुत बढ़िया हुआ करती थी, जिससे धान पैदा होता था वह सारा का सारा खतम हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर 1965 या 1967, एक्यूरेट वर्ष तो मुझे याद नहीं है, हैवी इलेक्ट्रिक का कारखाना लगाने का सर्वे हुआ और उसके लिये जमीन भी देख ली, सब कुछ हो गया लेकिन न जाने क्यों उसको हरिद्वार में जाकर लगा दिया। सिर्फ एक बहाना लगाया था। इसी तरह से जो आज रिफाइनरी मथुरा में लगी हुई है पहले सवाईमाधोपुर में लगने वाली थी। लेकिन उसको भी मथुरा में ले जा करके लगा दिया गया। क्यों लगाया ? रिपोर्ट के अन्दर यह कहा कि सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर पानी की कमी है। मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि सवाईमाधोपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर 12 महीने वाली बनास और चम्बल दोनों नदियां हैं। इन दोनों नदियों के पानी का हमारे सवाईमाधोपुर जिले के लिये कोई उपयोग नहीं है। न तो इससे सिंचाई होती है, न पीने के पानी के काम में आता है और न इण्डस्ट्री के काम में आता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप में हिम्मत हो या आपके पास कोई तरकीब हो, तो दोनों नदियों को हमारे सवाईमाधोपुर जिले से ले जाओ। दोनों को सवाईमाधोपुर जिले से ले जाओ। जिस नदी का हमारे लिये कोई उपयोग ही नहीं है उसका रहने से फायदा क्या है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, बिड़ला जी ने हिम्मत की कि सवाईमाधोपुर जिले में खाद का कारखाना लगा दिया जाए और उन्होंने उसके ऊपर दो करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया। जमीन एक्वायर कर ली, जमीन एक्वायर करने के साथ-साथ उन्होंने पाइप लाइन बिछाना चालू कर दिया जो आज भी अधूरी पड़ी हुई है। लेकिन आप तो जानते हो कि हमारे यहां सवाईमाधोपुर के अन्दर शेर-बघेरों की बहुतायत है जिसको सेन्चुरी कहते हैं। देखने के लिये तो सब पहुंच जाते हैं लेकिन सवाईमाधोपुर जिला इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको जाकर कोई नहीं देखता। खैर, वह भी वहां चले गये। इण्डस्ट्रियल एरिया तो आपने बना दिया, 'इण्डस्ट्रियल एरिया आपने घोषित कर दिया, रीको के माध्यम से आपने यूनिटें भी बना लीं और यूनिटें भी आपने तय कर लीं। उद्योगपतियों ने, उद्योगपति काहे के हमारे तो लघु उद्योग लगाने वाले हैं। उन्होंने छोटे-छोटे उद्योग उनके अन्दर लगा लिये और आज स्थिति यह हो गयी कि उनमें से 80 पर्सेण्ट लघु उद्योग बन्द पड़े हैं। वह इसलिये पड़े हुए हैं कि सवाई-माधोपुर जिले में सरसों का उत्पादन, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान में सरसों का उत्पादन बहुत बढ़ा है। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि हमारा सवाईमाधोपुर जिला सरसों उत्पादन में राजस्थान में अपने आपमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितनी भी यूनिट्स हैं, जो छोटे-छोटे कल-कारखाने लगे हुए हैं, एक-एक एक्सपेलर, दो-दो एक्सपेलर, कोई बड़े स्तर के अन्दर तो हैं नहीं, छोटे-छोटे कारखाने लगे हुए हैं। ये जो बड़े महारथी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

हैं। आपके जो बड़े कारखानें लगे हुए हैं, जिनमें आज नई टेक्निक के स्प्लेंडर लगे हुए हैं और भी ऐसी यूनिट्स लगी हैं जो एगमार्का का तेल तैयार करती हैं। वे सब गंगापुर की यूनिट्सों से तेल खरीदकर, अपने पीपों में भरकर उन पर एगमार्का का ठप्पा लगा देते हैं। वह तेल तो बाजार में 200 रुपये क्विटल ज्यादा के हिसाब से बिकता है और जो गंगापुर में सवाईमाधोपुर में या करौली में या राजस्थान की और जो छोटी–छोटी मिलें हैं उनका तेल उनसे 200 रुपये कम भाव से बिकता है। नतीजा यह निकलता है कि वह उनसे कम्पीटिशन में नहीं ठहर पाते हैं। अभी मंत्रीजी ने 1995–96 के बजट में जो 4 पर्सेंट टैक्स रख दिया था वह बिलकुल माफ कर दिया और सबको बराबरी पर ला दिया। अब मुख्य मंत्रीजी ने फिर दुबारा 1996–97 का जो बजट पेश किया है तो उसको 4 पर्सेंट से घटाकर, वह पहले माफ कर दिया था, 2 पर्सेंट पर ला दिया। इसका इफैक्ट यह पड़ा कि बड़ी मिल वाले और ज्यादा फायदे में हो गये। अगर आप छोटी यूनिटों का माफ कर देते तो मेरे ख्याल से आज उनके ऊपर यह भार नहीं आता, और उनके कम्पीटिशन में वे छोटी यूनिट्स बदस्तूर चलती रहतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से यह निवेदन करूंगा कि सवाई-माधोपुर जिले के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अभी टाइम कहां हुआ है साहब। दो मिनट ही तो बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके दो मिनट अलग बात है। मैं तो नोट करके फिर कहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे और बढ़ाया जाता है।

अभी तो काफी माननीय सदस्यों को बोलना है।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर अग्रेत्तर विचार

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, 1974 में हमने गंगापुर सिटी में एक सेमिनार की थी। उसमें चंडीगढ़ से, दिल्ली से, राजस्थान से आपके सारे एक्स-पर्ट्स जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कसर्न रखते थे, एग्रीकल्चर से कंसर्न रखते थे, को सेमिनार में बुलाया था। हमने 3 दिन सेमिनार की थी और उसमें यह ज्ञात हुआ कि गंगापुर या सवाईमाधोपुर जिले में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री लग सकती है। उन्होंने उसमें कई चीजें जैसे राइस ब्रान्ड का है, उसमें तेल निकालने का है, एग्रीकल्चर का सोल्वेंट प्लांट है, रिफाइनरी हैं, इनमें से

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जो-जो भी लग सकती थीं, उनके सबके बारे में चिन्तन किया था। लेकिन चिन्तन करने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सहकारिता मंत्रीजी तो अभी बिराजमान है नहीं। उन्होंने गंगापुर में एक बड़ा....(व्यवधान) अच्छा है सहकारिता मंत्रीजी। बिराजे हुए हैं। सहकारिता मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने ले देकर के तो गंगापुर सिटी में एक वृहद स्तर पर तेल मिल लगायी। आपको पता है उस तेल मिल की स्थिति क्या है? उसको लगे हुए तीन साल भी नहीं हुए हैं और आज वह 2 करोड़ के घाटे में है। आपने कभी यह मालूम करने की कोशिश की है कि यह मिल क्यों घाटे में जा रही है जिसको लगे हुए सिर्फ तीन साल हुए हैं। तीन साल में 2 करोड़ के घाटे में हो गयी।

श्री टीकम चन्द कान्त : मंत्रीजी, आप सीट पर जाकर जवाब दे दें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कहीं से भी जवाब दे दें। मैं तो आपको बता रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। श्री चुन्नीलाल जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सवाईमाधोपुर जिला पिछड़ा हुआ जिला है। सवाईमाधोपुर को आप जब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे तब तक कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं होगा। सवाईमाधोपुर जिले में कच्चा माल फैक्ट्री लगाने के लिये बहुत मौजूद है, आप सीमेंट फैक्ट्री लगाइए। कैला देवी के पास अटूट भण्डार है लेकिन वहां कोई लगाने के लिये तैयार नहीं है। कारण कि आप वहां कोई सुविधा ही नहीं देते हैं। इसलिये आप पानी की सुविधाएं और बिजली की सुविधाएं दें। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री चुन्नीलालजी

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज दोनों की मांगों पर बहस चल रही है। प्रदेश में उद्योग एवं खनिज दोनों ऐसे विभाग हैं जिनका सीधा प्रदेश की आमदनी पर बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज देश की आजादी के बाद पहली बार पूरे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है और उसके लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। आज पूरे प्रदेश में एक औद्योगिक नीति बनाकर के देश के विभिन्न कोनों में बसे हुए उद्योगपतियों को राजस्थान के भीतर उद्योग लगाने के लिये एक मानसिकता बनायी है, वातावरण बनाया है। आज औद्योगिक क्षेत्र में पूरा राजस्थान जिस तरह से डवलप होना चाहिये वह हुआ है। लेकिन विशेषकर राजस्थान का दक्षिण अंचल का भाग जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा है, जिस गति से राजस्थान का विकास हुआ है उस गति से दक्षिण राजस्थान का विकास नहीं हुआ है। उसके पीछे जो कारण या मुद्दे रहे हैं वह है आधारभूत सुविधाओं की कमी।

मान्यवर, आज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आधारभूत सुविधाओं की कमी

208

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

के कारण जितने उद्योगों का विकास होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है। मैं विशेष रूप से उद्योग मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर जो जनजाति क्षेत्र में आता है वहां पर विशेष रूप से गुड़ली, सुखेर और खानपुर हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। सुखेर और खानपुर पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। गुडली औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जिसे विकसित हुए लगभग 3 वर्ष हुए हैं। उसे अभी विकसित नहीं कह सकते, अभी वह विकासशील रास्ते पर है। लेकिन वहां पर आपकी जो नयी उद्योग नीति बनी है उस उद्योग नीति के तहत जो अरबन एरिया है, उस अरबन एरिया में 31 मार्च, 1996 को सब्सिडी बन्द कर दी है। अरबन एरिया और नगर परिषद एरिया इन दोनों में डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी पालिसी में अरबन एरिया जो शब्द है उसको आप अगर हटा देंगे तो प्रदेश में जो औद्योगिक वातावरण बना है वह बनेगा। अगर इस अरबन एरिया को नहीं हटाएंगे तो आज केवल गुडली एरिये में ही नहीं पूरे राजस्थान में कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्लाट आबंटित हुए है, वे लोग अपने आप निरस्त करा लेंगे, क्योंकि कोई भी उद्योगपति बिना सब्सिडी के अपना उद्योग लगाना पसन्द नहीं करेगा। आज गुडली ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी उद्योग नीति में अरबन एरिया शब्द जुड़ने के कारण वहां कई आबंटी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आबंटन को निरस्त कराने के लिये एप्लीकेशंस लगायी हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुडली क्षेत्र जहां आपने सब्सिडी बन्द करने का आधार बनाया है उसमें संशोधन करें और अरबन एरिये के स्थान पर नगर परिषद एरिया, नगर पालिका एरिया लगाएंगे तो उससे गुडली एरिया दूर रहेगा, क्योंकि उदयपुर से गुडली एरिया कम से कम 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरकार ने अरबन एरिया इसलिये घोषित किया था कि अरबन क्षेत्र में लेकर के उस क्षेत्र का विकास हो लेकिन आज उद्योग नीति में विकास होना तो दूर उस क्षेत्र की अवनति होगी, विकास नहीं होगा, इसलिये मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से गुडली क्षेत्र है उसको आप अरबन एरिये से निकालकर नगर परिषद क्षेत्र के दायरे में लेंगे तो वह अपने आप में रूरल एरिये में रहेगा। आज गुडली में जो विकास हो रहा है। जिनमें कई प्लाट आबंटित हुए हैं, जिसमें अभी उद्योग लगे नहीं हैं, उद्योग लगाने की ओर अग्रसर हैं। इस तरह से उद्योगपतियों को हम प्रोत्साहित कर पाएंगे और उस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो पाएगा। आज गुडली क्षेत्र में लगभग 236 एकड़ जमीन को अलाट करके सरकार द्वारा उसको विकसित किया गया है, सारी उनको सुविधाएं दी हैं और आर.एस.ई.बी. के द्वारा भी पूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। उस क्षेत्र के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने भाषण में यह घोषणा करें कि गुडली को हम उस क्षेत्र से बाहर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका भी एरिया आ रहा होगा उसमें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मेरा स्वयं का क्षेत्र आता है, माननीय अध्यक्षजी, आपका क्षेत्र भी आता है। इसलिये मैं उद्योग मंत्री

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि हम दोनों को आप ओब्लाइज और लाभांवित करेंगे। दोनों का ही है, नहीं, नहीं, मुझे खान नहीं चाहिये, प्लाट नहीं चाहिये। यह खान का विषय नहीं है, उद्योग का विषय है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो विचार है उन पर अमल करके इसमें राहत दिलावें।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजाति क्षेत्र है। आपके औद्योगिक क्षेत्र जरूर घोषित हुए है लेकिन वहां कोई मूलभूत सुविधा नहीं देने के कारण आज तक कोई भी उद्योगपति वहां प्रोत्साहित नहीं हुआ है। चाहे डूंगरपुर का आप रतनपुर औद्योगिक क्षेत्र उठाकर देख लें, चाहे दो औद्योगिक क्षेत्र बांसवाड़ा में है ठीकरिया और पीपलवा उनको देखें। वहां बहुत गिनती के उद्योग आये हैं और उसके पीछे कारण यही है कि वहां उद्योगपतियों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिये वह नहीं मिलने के कारण वहां उद्योगपति प्रेरित नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र को प्राथमिकता देने से, जिस तरह से आज अलवर क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, वैसा ही विकास और विस्तार जनजाति क्षेत्र में होगा। क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा क्षेत्रों में जिस तरह के उद्योग विकसित हुए हैं उस तरह के उद्योगों का विकास हम जनजाति क्षेत्र में कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों का वर्गीकरण करके उनको ज़ोन वाइज लगायें तो मैं समझता हूं कि हम प्रदूषण की समस्या को भी दूर कर सकेंगे और अधिक से अधिक रोजगार हम उस क्षेत्र के लोगों को दे सकेंगे। जनजाति क्षेत्र में खेती बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में उद्योगों के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक उन्हें रोजगार दे सकते हैं। इसलिये हम ऐसे उद्योगों को विकसित करें जो मिनरल बेस पर हों। विशेष रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मार्बल का काफी भण्डार है, उसका आज काफी दोहन भी हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज उद्योगों के माध्यम से, विशेष रूप से मार्बल उद्योग के माध्यम से अधिक से अधिक गेंगसा और छोटी इकाइयां लगा करके वहां के निवासियों को और विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा रोजगार वहां के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक नया क्षेत्र लिया है कालडवास, जो गिरवां क्षेत्र में आता है, जनजाति क्षेत्र में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गुडली में आपने जो नियम लागू किये हैं वे नियम अगर यहां पर भी हो गये तो जो नया क्षेत्र कालड़वास विकसित किया है वह भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिये इस क्षेत्र को भी विकसित करने के लिये जो अरबन शब्द है उसको हटा कर नगर परिषद क्षेत्र रखेंगे तो जो नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आपने योजना बनायी है वह अच्छी तरह से विकसित हो पाएगा, कालड़वास क्षेत्र के बारे में मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां ऐसे उद्योग लगाये जाएं जो प्रदूषण रहित हों। ऐसे उद्योग लगाने

(210)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

से अधिक से अधिक उद्योग लग पाएंगे और जो उदयपुर के नजदीक हैं वहां प्रदूषण जैसी समस्या भविष्य में न हो पाये। इसलिये विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से यह भी चिंता आपको जता रहा हूं कि ऐसे उद्योगों को वहां पर प्राथमिकता दें जो प्रदूषण रहित हों। उदयपुर में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो आज घनी आबादी में आ गये हैं उन उद्योगों को वहां से दूसरी जगह जमीन आबंटित करके सरकार शिफ्ट करे। विशेष रूप से उदयपुर में पेस्टीसाइज है, आज उसकी फैक्ट्री शहर के मध्य में है इस कारण से शहर में इतना प्रदूषण हो रहा है कि वहां रहना दुभर हो गया है। मैं मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फैक्टरी को, इन उद्योगों को किसी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि उदयपुर शहर के लोगों को वहां से निजात मिल सके और वह फैक्ट्री भी सही जगह शिफ्ट हो जाए। मैं आज इस मौके पर उद्योग मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

उद्योग के साथ–साथ खनिज विभाग की मांग पर भी आज बहस है। माननीय खनिज मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एस.सी; एस टी. का 20 प्रतिशत आरक्षण आपने किया है लेकिन आज तक उस आरक्षण की क्रियान्विति नहीं हुई है। आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मार्बल माइंस हैं, वह उन्हें आबंटन करने के साथ–साथ में वे कैसे अपने आपको सरवाइव कर सकें, इस संबंध में भी उनको ज्यादा से ज्यादा रियायत दें ताकि आबंटी अपनी माइंस चला सकें। चाहे वह को–आपरेटिव आधार पर हो और चाहे समिति बना कर हो, ताकि लोग वहां आकर अपनी माइंस चला सकें। इसके लिये आप विशेष रूप से रियायत दें, तभी मैं समझता हूं कि 20 प्रतिशत का जो आरक्षण सरकार ने किया है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोग ले सकेंगे।

जनजाति क्षेत्र में निजी खातेदारों की जमीनों में जिनकी खाने हैं उनके आबंटन में भी कम से कम परेशानी आये। इसके लिये विशेष रूप से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी निजी जमीनों में खाने हैं उनको आबंटित करने के लिये ज्यादा से ज्यादा विभाग द्वारा एन.ओ. सीज देने के मामले में प्राथमिकता दी जाए। कई बार आबंटन में ऐसी समस्याएं आयी हैं कि जिनको एन. ओ. सी. दी जाती है, उनसे कई तरह की, फोरेस्ट की, रेवेन्यू की, एन. ओ. सी. मांगी जाती है जबकि उनके पास स्वयं की अपनी खाते की जमीन है फिर भी फोरेस्ट वाले टांग अड़ा देते हैं कि यह फोरेस्ट में आती है। जबकि वह फोरेस्ट में कहीं आती नहीं है लेकिन फोरेस्ट अपनी मनमर्जी के कारण इस तरह की टांग लगाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उसके खाते में आती है तो सीधे ही माइंस विभाग उनको आबंटित करदें। उदयपुर में आर.एस.एम.डी.सी. एक यूनिट है। उस आर.एस.एम.डी.सी. का दोहन का तरीका है उनका औद्योगिक या कोई टैक्निकल नहीं है। उस कारण से जो भी जमीनें अलाट की जाती हैं वे ठेकों के आधार पर की जाती हैं। जिस

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कारण से जिस तरीके का उनका दोहन होना चाहिये वह नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आर. एस. एम. डी. सी. को अपने अण्डर लें या टैक्निकल आधार पर इसका दोहन करें ताकि अधिक से अधिक दोहन किया जा सके। आर. एस. एम. डी. सी. को कई इस तरह की जैसे लिग्नाइट का जैसलमेर और बीकानेर में दिया गया है। अगर सही ढंग से इनका दोहन किया गया तो मैं समझता हूं कि विद्युत पैदा करने के लिये लिग्नाइट काम में आती है तो आर. एस एम. डी. सी. में टैक्निकल हैण्ड पर्सन लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक लाभ सरकार को मिलेगा। आज आर. एस. एम. डी. सी. की क्या हालत है? बीमार यूनिट के जो एम्प्लायज हैं उन एम्प्लायज को आप अन्य विभाग में ट्रांसफर कर दें या उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर के नये लोग लगाएंगे तो शायद मैं समझता हूं कि अच्छा काम कर सकेंगे और सरकार को जो घाटा हो रहा है वह नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पर्यावरण और खनिज के बारे में बोलना चाहूंगा। उदयपुर के केसरियाजी के पास में जो एरिया है वहां पर अधिकतर माइंस मार्बल की है। वहां पर्यावरण के नाम से कुछ भी नहीं है। अधिकतर लोग ट्राइब्ल क्षेत्र में रहते हैं वहां पर पानी का जो लेबल है वह काफी नीचे चला गया है और उस कारण से वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर एक्साइज ड्यूटी या रेवेन्यू के रूप में जो राशि मिलती है उससे कम से कम मुआवजे के रूप में कुछ तो भरपायी की जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य, श्री दयारामजी इस क्षेत्र के बारे में बोले कि वहां पर जो रेवेन्यू मिलती है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है उसको वहां के विकास में ही खर्च किया जाए ताकि वहां के क्षेत्र में जो आधारभूत सुविधाएं नहीं है वह सुविधाएं उन लोगों को दे सकें। आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर जितेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल बैरवा जी (अनुपस्थित)। श्री जगदीप धनखड़जी (अनुपस्थित)। श्री विष्णुजी मोदी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : श्री महावीर जी, मेरी आदत नहीं है। इस हाउस में क्या प्रोप्राइटी होनी चाहिये एक मैम्बर की उसका मुझे ज्ञान है और उसी का कारण रहा है कि पिछले ढाई साल में मैंने खनिज विभाग में एक सवाल नहीं पूछा है। इसलिए आप पहले भी इस तरह के कमेंट करते हैं। मैं आपका आदर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : 6.58 पर आप प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, आप मुझे जिस वक्त कहेंगे मैं उस वक्त बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें। एक बार तो आपको बैठा दिया है। अब आप थोड़ा सा 15 या 17 मिनट में कम्पलीट करने की चेष्टा करें। 17–18 मिनट में कम्प-

(श्री अध्यक्ष)

लीट करें, काफी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की प्रगति और किसी भी प्रदेश की प्रकृति इस बात पर निर्भर रहती है कि वहां कितना औद्योगीकरण होता है। पिछले ढाई साल से और जब आदरणीय श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्रीजी बने, 1977 में मुख्य मंत्री बने तो वे एक औद्योगिक नीति लेकर आये, 1990 में मुख्य मंत्री बने तो एक औद्योगिक नीति लेकर आये और फिर अब तीसरी बार मुख्य मंत्री बने तो तीसरी बार भी औद्योगिक नीति लेकर आये। अच्छी बात है, आप प्रयत्नशील हैं, माननीय उद्योग मंत्रीजी प्रयत्नशील हैं और मैं समझता हूं कि इस देश में लिबरलाइजेशन के बाद में एक नया युग शुरू हुआ है इण्डस्ट्रिलाइजेनशन का, उसमें आप भी प्रयास कर रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया जैसा एक मूर्तरूप राजस्थान में रीको ने बनाया है।

(19.00)

वह वास्तव में सराहनीय काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह दें कि अब वातावरण बना है और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपके कहने मात्र से तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का वातावरण बना है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हो रहा है।

माननीय उद्योग मंत्रीजी आज जब जवाब दें तो उसमें एक बात बता दें कि पिछले तीन साल में राजस्थान में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप पिछले तीन या पांच साल से कम्पेरीजन न करें, क्योंकि इस दौरान आपके इन्फलेशन बढ़ने और दूसरी बातें भी आएंगी। मैं बीच में कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि उससे आपको गुस्सा आ जाता है। मैं शांति से सुनना चाहता हूं कि आपने पिछले तीन साल में कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में किया और आल इण्डिया का क्या प्रतिशत है? मैं समझता हूं कि यह आपके और हमारे लिये लाभकारी होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक्सपियरेंस रहा है। मैं पिछले दो साल से इस बात में प्रयासरत रहा हूं कि कौनसी इण्डस्ट्री से कितना एक्साइज कलेक्ट होता है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री से कितना कलेक्ट होता है उसकी जानकारी तो ए.जी. आफिस से मिल गयी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उद्योग मंत्रीजी को लिखने के बाद भी मुझे आज तक यह जानकारी नहीं हुई कि कौनसी इण्डस्ट्रीज से एक्साइज का कितना शेयर राजस्थान में आता है। इसमें मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा लेकिन आपको यह तो जानकारी होगी कि इस इण्डस्ट्री से इतना एक्साइज आ रहा है। आपको यह जानकारी होगी तो आप उस इण्डस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिये कुछ समुचित प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आप टैक्स इन्सेंटिव या बेनिफिट की बात करते हैं वहां मैं कहूंगा कि आपने सिर्फ नकल की है। नकल में भी अकल की जरूरत होती है लेकिन आपने देखा कि सेल

(श्री विष्णु मोदी)

टैक्स इन्सेंटिव हरियाणा में क्या है, गुजरात में क्या है और पंजाब में क्या है, उसी पैटर्न पर आपने इण्डस्ट्रियल पॉलिसी बना ली और उसी तरह से आपने इन्सेंटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह देंगे कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का वातावरण बन गया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जितने इन्सेंटिव्ज की घोषणा की हैं उनका लाभ इण्डस्ट्री लगाने वाले को बगैर पैसे दिये नहीं मिल सकता। उद्योग मंत्रीजी आप उद्योग भवन में बैठते हैं, आप पूछ लें यदि कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट आपसे वहां मिलने आये उसको इन्सेंटिव बगैर पैसा खर्च किये मिलता है कि नहीं मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इन इन्सेंटिव्ज की नेगेटिव लिस्ट पढ़कर बड़ी खुशी हुई। लगा कि नकल तो हुई लेकिन कुछ अक्ल भी है। अब राज्य में कोई वेजीटेबल ऑयल का कारखाना लगाएगा तो उसे सेल टैक्स इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा लगा लेकिन बाद में मैंने देखा कि इन्सेंटिव्ज और नेगेटिव लिस्ट में कौन-कौनसी चीजें आती हैं लेकिन वेजीटेबल ऑयल लॉबी काम कर रही थी वहां अक्ल काम नहीं ली कि हमारे यहां दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हम घी पर इन्सेंटिव नहीं देंगे तो भी कारखाने लग जाएंगे। मगर वेजीटेबल ऑयल लॉबी ने सोचा कि यदि नयी यूनिट को इन्सेंटिव मिल गया तो उनका कम्पीटिशन हो जाएगा तो नेगेटिव लिस्ट में आ गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सीमेंट प्लांट तो वहां लगेगा जहां लाइम स्टोन होगा और मार्बल इण्डस्ट्री वहां लगेगी जहां मार्बल होगा। आज क्या आलम है? आज मार्बल फैक्ट्री लगाने वाले को तो आपका सेल टैक्स इन्सेंटिव भी है, सब्सिडी भी है लेकिन कोई खान में एक क्रेन भी लगेगी तो उस पर न सेल टैक्स इन्सेंटिव है और न सब्सिडी है। राजस्थान में हिन्दुस्तान का 95 प्रतिशत मार्बल रिजर्व है लेकिन माइनिंग क्रेन लगेगी या दूसरे इक्विपमेंट लगेंगे तो उस पर न सब्सिडी मिलेगी न सेल टैक्स इन्सेंटिव। लेकिन आपने ज्यों ही एक इण्डस्ट्रियल लैण्ड डिक्लेयर कर दी वहां आप सारे इन्सेंटिव्ज देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विकास अवश्य होगा। माननीय वी. पी. सिंह जी कह रहे थे कि इण्डस्ट्रीज डवलप कर दें। माननीय सिर्फ दो काम कर दीजिये। एक तो वर्क कल्चर, इसकी जब बात आती है तो मुझे खुशी है कि आपके टॉप लेवल आफिसर्स में वर्किंग कल्चर आयी है। लिबरलाइजेशन के क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं और उसका इंवेस्टमेंट राजस्थान में कैसे लाया जाए उसकी चिंता होने लगी है आपको चिन्ता होने लगी है, लेकिन अभी यह पोलोराइज डाउनवर्ड्स नहीं है। डाउनवर्ड्स की आज हालत आज यह है कि आप आज तक यह तय नहीं कर पाये कि आपकी लैण्ड की क्या पोजीशन है। आप इन्वेस्टमेंट की तो बात करते हैं लेकिन आज तक राजस्थान में लैण्ड की क्या पालिसी है, यह आप तय नहीं कर पाये। आज भी सदन में चर्चा हो रही थी कि कौनसी लैण्ड पर उद्योग लगाये जाए और कौनसी पर नहीं। अध्यक्ष

(श्री विष्णु मोदी)

महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि दिल्ली से अभी कुछ कारखाने हट रहे हैं, कुछ और आएंगे। राजस्थान को ब्रॉडगेज के आने से, जो पहले एक छोटे से हिस्से में थी, बहुत लाभ मिलने वाला है।

पावर जनरेशन की बात मैं नहीं करूं तो उचित होगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि आ रही है, आ रही है, आ रही है, आकाश से आ रही है, पाताल से आ रही है। आकाश से सोलर आ रही है क्योंकि सूर्य हमेशा चमकता रहा है लेकिन वह कभी नहीं आने वाली और जिस रेट पर आने वाली है उसका कुछ बुरा हाल है। पाताल से, लिग्नाइट के माध्यम से बिजली के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं दूसरे दिन दस्तखत करने वाला था लेकिन सरकार को बर्खास्त कर दिया पर आज ढाई वर्ष हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस इण्डस्ट्रियलाइजेशन की आप बात करते हैं, पेट्रोल की रेट बढ़ाने की बात का विरोध करते हैं लेकिन राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग ने पिछले महीने रात को बारह बजे 37 पैसे पर यूनिट बिजली की रेट इण्डस्ट्रीज के लिये बढ़ा दी।

आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिये कि आप लैण्ड का क्या करना चाहते हैं। रीको, जिसने अच्छे काम भी किये हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्रियों की आपसी खींचतान से आपने किशनगढ़ में कम से कम पांच सौ से हजार करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था वह रोक दिया। मैंने पन्द्रह पत्र लिखे होंगे कि वहां रीको के पास जमीन नहीं है। तो जिन लोगों ने जमीन खरीदी उनको एन. ओ. सी. दे दी, वहां फैक्ट्री लग गयी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री भंवरलाल जी शर्मा साहब को, इन्होंने इस तरह से कोशिश की कि यहां विथ वन पेन स्ट्रोक, उस इर्रिटेशन को भी खतम कर दिया जब पेरिफरी लैण्ड और ग्रीन बेल्ट की बात आयी। फिर रीको ने सोचा अगर वे लोग जमीन खरीद कर उस पर उद्योग लगा रहे हैं तो हमारी तो दुकान ही उठ जाएगी। आप यह तो तय कर लीजिये की रीको का काम जमीन बेचना है या केटलिस्ट का किस रूप में काम करने का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन किशनगढ़ में 20 इण्डस्ट्री वाले जिन्होंने आज एडवांस दे रखा है, फाउण्डेशन भर ली है, बाउण्ड्री-वाल बना ली है उसको अब ढाई साल से रीको तानाशाही के कारण एक्वायर करेगी। उन इण्डस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ अब रीको ने एक्वीजिशन के नोटिस जारी किये। आप अगर वास्तव में मन से, निष्ठा से राजस्थान का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी और उसमें भी विशेष रूप से मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा।

आपने भीलवाड़ा में क्या किया? वहां एक कानोडिया रबड़ इण्डस्ट्री है, उसमें राजकोन, जो राजस्थान सरकार की एक संस्था है, उसने एक पैकेज बनाया। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 26/2/इण्डस्ट्री 1/87/जयपुर, दिनांक 21–6–1990 के खण्ड तीन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री विष्णु मोदी)

"रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध अधिशासी भूमि सरप्लस जमीन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी समता समिति के माध्यम से बेचान कर प्राप्त धनराशि में से रुग्ण इकाइयों के पुर्नस्थापना हेतु अनुमानित पैकेज के आधार पर ब्याज मुख्य ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कानोडिया रबर फैक्ट्री लगायी, चालू हो गयी, बन्द हो गयी। राजकोन के पास गये, आर. एफ. सी. के पास गये आर. एफ. सी. के पास जमीन मोर्गेज रखी और राजकोन ने पैकेज बनाया, बैंक आफ बड़ौदा शामिल हुआ और उसने 26–12–1990 को जिला कलेक्टर मीलवाड़ा के पास जाकर एप्लाई किया कि यह राजकोन का पैकेज है, यह राजस्थान सरकार के परिपत्र हैं और यह पैसा वह खुद नहीं लेना चाह रहे थे। उसने कि यह तो मेरी आउटस्टेंडिंग आर. एफ. सी. का है, बैंक आफ बड़ौदा का है इसको आप बेचकर इसका जो पैसा है उसमें जमा हो जाएगा और शेष बचे हुए पैसे से ही इन्डस्ट्री चालू हो जाएगी लेकिन कलक्टर को वह सर्विस चार्ज नहीं दे सका तो बजाय उसको परमीशन देने के 1993 के अंदर उन्होंने जमीन को अपने आप में निहित कर लिया और निहित ही नहीं किया हजार गज जमीन तो श्री कैलाश जी मेघवाल वहां गये कि मेरे पास सदर थाना नहीं है इसमें से हजार गज जमीन अलाट कर दो। तो सदर थाने के लिये हजार गज उसमें से अलाट भी हो गयी ....

श्री कैलाश मेघवाल : थाना जरूरी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : आर. एफ. सी. को पैसा दे दो। थाना जरूरी है तो आप जरूर लें, मेरा कोई एतराज नहीं है लेकिन आर. एफ. सी. में जो आउटस्टेंडिंग है उसको दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक इस तरह के वातावरण प्रदेश में जारी रहेंगे तो सिग्नल कोई अच्छा नहीं जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो उस दिन कह गये भ्रष्टाचार की बात मत करो। फोरेन इन्वेस्टमेंट आना बन्द हो जाएगा। तो मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की राठौड़ी कार्यवाहियां बन्द करो जिससे राजस्थान के बाहर यह सिग्नल नहीं जाए।

वह कह रहे थे कि ट्रांसपरेंसी में हम बहुत ऊपर है ट्रांसपरेंसी में आप अगर ऊपर हैं तो आपकी गवर्नमेण्ट के सर्कूलर, आपकी राजकोन संस्था, आर. एफ. सी. आपकी संस्था, बैंक आफ बड़ौदा भारत सरकार की संस्था और उस जमीन की आपके कलक्टर ने बजाय उसकी परमीशन देने में उसमें निहित कर दी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह प्रायोरिटीज तय कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सबसे बड़ा बाधक राजस्थान में कोई इण्डस्ट्रीज है तो वह पावर है और पावर की शार्टेज है। आगे और बढ़ेगी और मैं इस सदन के रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान में कितने ही भाषण यहां कर लीजिए, कितने ही आप आश्वासन दे दीजिए आप एक मेगावाट बिजली नहीं ला सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 13 हजार मेगावाट ला रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय घनश्याम जी ढाई साल से कान पक गये, कान पक गये आकाश से, पाताल से। उस बरसिगसर की, जिसकी मन्जूरी है, एन्वायरनमेंट क्लीयरेन्स हैं उसके ऊपर तो आज तक कुछ नहीं हुआ और न आगे होने वाला है और जिस सोलर की आप बात करते हैं वह 10-20 मेगावाट आपने तो लेबोरेट्री बना दी है राजस्थान को लेकिन आप सोलर लायें, आप लिग्नाइट लायें, आप चाहे नेप्था लायें, आप ले आयें। लेकिन आप नहीं ला सकते....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाकर रहेंगे।

श्री विष्णु मोदी : लाकर रहेंगे लेकिन वह इण्डस्ट्रियलाइजेशन वेट नहीं करेगा। अगर यहां बिजली नहीं होगी तो इण्डस्ट्रीज वेट नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय. पावर की शार्टेज तो है ही लेकिन इस शार्टेज के अलावा आर. एफ. सी. भी इज दी बिगेस्ट एनीमी आफ दी इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, 37 पैसे रेट आपने बढ़ायी। हिन्दुस्तान में मेरा ख्याल है कि कोई एक स्टेट अगर हो तो उसकी तो टेरिफ शायद ज्यादा हो बाकी राजस्थान की टेरिफ इण्डस्ट्रीज में भारत में सबसे ज्यादा है। और उनके साथ मुसीबत यह है कि मर्जी आये जब सिक्योरिटी बढ़ा दी। उससे ज्यादा पावर है नहीं। पावर 6 बजे से 10 बजे तक आप देते नहीं जो आपका इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमें भी नहीं देते. क्योंकि वह पीक लोड है शाम का लेकिन मिनिमम चार्जेज आप वही 30 दिन का लेते हैं, तो आप और तो कुछ नहीं कर पायेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि आप जितने घण्टे बिजली देते हैं उतने घण्टे के मिनिमम चार्जेज ही वसूल करेंगे तो भी राजस्थान में इण्डस्ट्रीज में बढ़ोत्तरी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता हो गयी है हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं और मैं जानना भी चाहूंगा माननीय उद्योग मंत्री जी से अपने जवाब में कि इस ब्रॉडगेज के बेस पर आपने कौन से इण्डस्ट्रियल एरिया प्लान किये? मैंने माननीय मुख्य मंत्री को भी और इण्डस्ट्रीज सैक्रेटरी को भी लिखकर दिया है कि आप का जो वैस्टर्न राजस्थान है वह अगले दस साल में बहुत जबरदस्त फ्लोरिश करने वाला है। आज गुजरात की माननीय लक्ष्मण सिंह जी बात कर रहे थे। तो आज राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव एरिया है तो वह वेस्टर्न राजस्थान है। ब्रॉडगेज आ गयी है, लिग्नाइट है, साल्ट है, हाइग्रेड लाइमस्टोन है, पावर है, वाटर है, एम्पल आफ लैण्ड है। मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि आज से ही हम प्लान करें कि केमिकल, आर्गेनिक केमिकल अगर गुजरात में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसमें केमिकल फार्मस्यूटिकल इण्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। हमें जो अपना एप्रोज है वह एप्रोज तो छोड़ना पड़ेगा और जिस तरह से दुनिया तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह से माइक्रो इकोनामी की बात है, जिस तरह प्रोफेशनलिज्म की बात है उस तरह से हमें पहले ही एडवांस प्लान करना पड़ेगा। और अगर आपने किया है तो यह बता दें कि ब्रॉडगेज

(श्री विष्णु मोदी)

के ऊपर आप कौन से नये इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट सेल ग्राउट करने वाले हैं। और मैं यह भी जानना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कम्यूनिकेशन के बारे में, अपनी इण्डस्ट्रीज से रिलेटेड है। आपको देखना है कि आपके कौन से इण्डस्ट्रियल एरियाज में कम्यूनिकेशन की कमी है, वह क्या आपने आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने भारत सरकार से को-आर्डिनेट किया है? कम से कम मैं आपको बगरू की हालत बताता हूं। जहां आप नया से नया इण्डस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, वहां से जयपुर बात नहीं हो सकती। तो इस तरह की एप्रोचेज लानी होगी और इस तरह की कार्यवाही करनी होगी कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत करें। आलम यह है कि स्थिति तो बन गयी, वातावरण बन गया, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन 1995-96 में उद्योग पर 81,10 बजट था जो कि 1996-97 में 72,22 है याने माइनस 10,94 है। और इसके साथ-साथ यह कह रहे हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सड़क एवं पुल कौनसा इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं? सबसे बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तो कम्यूनिकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है। उसके ऊपर भी आपका इस साल का बजट है वह 2,80 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हावभाव से लग रहा है कि आप मुझे मना करने वाले हैं। तो मैं खुद ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। उस दिन तो वह बिजनेस टुडे था और आज मैं बिजनेस टुडे नहीं दिखा रहा हूं मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। इसके फ्रन्ट पेज पर लिखा है। "Orissa has become a new micca for mega projects."

जो पाइपलाइन में उड़ीसा में प्रोजेक्ट्स हैं वह—

1 million ton aluminium-4000 crore, 2 million ton aluminium-, 6000 crore, 1 million ton aluminium-8000 crore, 4000 crore, 5000 crore, 7000 crore, 2000 crore. Project in pipeline for Orissa 4250 stainless steel, 1525 crore steel, 3410, 2070,6000 gold products, 1150 stainless steel 1600, 2700, 5000.....

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा माननीय उद्योग मंत्री जी से कि कितना कौन-कौन सा बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आपका पाइप लाइन में है जिसका काम शुरू हो गया है वह कितने करोड़ रुपये का है? और इसके साथ में मैं वहां के मुख्य मंत्री का एक इन्टरव्यू है, श्री जे. पी. पटनायक का वह पढ़ देता हूं। "Infrastructure in Orissa is still in poor shape."

"Infrastructure in India as such needs large scale investment. The railways, for instance, has no funds but there are sectors which have to be developed in Orissa. We are talking to the Japanese Exim Bank for aid for some of railway projects like Talchur line and the Talchur-Sambalpur line. Some new connections have to be developed and other areas need expansion af line. Talchur-Para-

218

(श्री विष्णु मोदी)

deep needs doubling of line. We also need to improve traffic handling. We are also trying to attract investment for super highways in Orissa.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ एक 200 किलोमीटर की रेल लाइन राजस्थान में बनवा देंगे, चाहे आप कोई विदेशी सहायता लेकर आयें या कर्जा लेकर आयें, आप निम्बाहेड़ा से धरियावद, धरियावद से घाटोल, घाटोल से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से नीमखेड़ा, उससे दिल्ली-बम्बई का जो रूट है, उसकी 250 किलोमीटर डिस्टेंस कम होती है और इस 200 किलोमीटर की लाइन से आप बम्बई के सबब बन सकते हैं। आज जो स्थिति है, बड़ौदा है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप गलत फरमा रहे हैं, 200 किलोमीटर कम हो ही नहीं सकता।

श्री विष्णु मोदी : हां, टोपोग्राफी भी है, नक्शा भी है। कोटा बीच में हट जायेगा तो क्या कह सकता हू वह तो नक्शा है। (व्यवधान) तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने यहां वर्क कल्चर ले आये, टाप लेवल की जो एफिसियेंसी है, जो इन्टेंशंस है, जो कमिटमेंट है उसको नीचे के लेबल तक परकुलेट कर दें और आप इस तरह के इन्फास्ट्रक्चर की भी बात करें कि आप नयी लाइन, रेलवे लाइन यह जो डाल देंगे उससे पूरा ट्राइबल एरिया आपका कवर होगा और उससे आपका औद्योगिकरण बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : अब मैं अपनी बात माइंस पर बहुत छोटी सी कह कर पूरी करूंगा। अन्त में एक बात रह गयी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जनवरी, 1997 में हांगकांग चायना में चला जाएगा। आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के डेली- गेशन वहां बैठे हुए हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वह अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में लेकर आ सकें।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको भी राज्य सरकार की ओर से अधिकृत किया गया कि आप भी जाकर हांगकांग बैठें। क्या यह सही है या गलत ?

श्री अध्यक्ष : आपकी सुसराल भी है वहां। आप जा सकते हैं वहां।

श्री विष्णु मोदी : मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान में बहुत अच्छे अफसर हैं, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, आप कोशिश करें कि इस राजस्थान के अन्दर इसमें इन्वेस्टमेंट आये तो राजस्थान का भला हो।

श्री अध्यक्ष : चालीस हजार हिन्दुस्तानी है हांगकांग में, और आपके भी काफी लोगों से सम्पर्क है, आप भी तो कर सकते हैं उस में।

श्री टीकमचन्द कांत : इसमें श्री वी.पी. सिंह जी कौन से कम पड़ रहे हैं साहब।

(श्री टीकमचन्द कांत)

विचार करना चाहिये। श्री वी. पी. सिंह जी भेजे जा सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय मैं तो जहां मेरा प्रयास होता है, मैं कमिटेड हूं, मैं इस विचारधारा का हूं कि राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो राजस्थान में स्कूल खुल सकेंगे, न और कोई डवलपमेंट हो सकेगा। मैं इसी बात के लिये इतनी सारी लिखा-पढ़ी करता रहता हूं कि राजस्थान का डवलपमेंट हो और मेरा कमिटमेंट है कि राजस्थान का डवलपमेंट हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज के बारे में थोड़ा सा समय लेते हुए माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 18 मार्च, 1994 को इसी हाउस में उन्होंने जो जवाब दिया, उसको पढ़ कर अपना शुरू करना चाहता हूं। यह डिमाण्ड का जवाब दे रहे थे मंत्रीजी 18 मार्च, 1994 को। सवाल यह है कि यहां बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी और चिन्ता लगातार सन् 1977 से 1980, मतलब जब पहली बार वह माइंस मिनिस्टर थे तब का भी एक्सपीरियंस था उनको, तब मैं खनिज मंत्री था। उसके बाद विपक्ष में बैठा था। उसके बाद इस बार भी, पिछली बार भी एक चिन्ता हुई थी कि अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और रायल्टी का लीकेज भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आगे वह गम्भीरता बताते हुए कहते हैं, रायल्टी लीकेज न हो, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, मतलब Finally with an experience of 3 years as Mines Minister, then member of Opposition here in this House, then after hearing the debate in the House, he has come a conclusion.

राजस्थान सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि एक विशेष कानून बनाया जाए। एक स्पेशल लॉ। जो अवैध खनन होता है उसमें दण्ड का प्रावधान रखा जाएगा कि वह साबित करे–कि अवैध खनन है कि नहीं, अगर नहीं है और जहां खनन पाया गया तो उनको दण्डित किया जाएगा। इसके लिये विशेष कानून की व्यवस्था की जा रही है। और उसमें आगे कहते हैं कि इस कानून में यही नहीं है कि जो कर रहे हैं या जिसने कराया है और मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं, इसलिये उस कानून में इस तरह के प्रावधान रखे जाएंगे कि इस तरह की बात अगर उनके माइनिंग इंजीनियर्स के लिये कह रहे हैं, कि अगर उनकी जानकारी में है तो उनका इस सीमा तक दायित्व निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह से उनको भी दण्डित किया जाए। तो माननीय खनिज मंत्री जी ने इस सदन में यह कहा कि हम एक स्पेशल कानून बना रहे हैं, यह समस्या बहुत गम्भीर है और आप इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं, तो दो साल हो गये, वह कानून अभी तक तो कहीं नजर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। वह कहीं नहीं दिखा। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप, मान्यवर. कम से कम

(श्री विष्णु मोदी)

इस तरह का कानून बनाइये। आपके राजस्व में गिरावट आ रही है। आपकी निश्चित रूप से रेवेन्यू बढ़ सकती है। एक बात आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं कि अभी तो इस सदन में खाली चिन्ता हो रही है भू माफियाओं की, शराब माफियाओं की, लेकिन माइनिंग माफिया इन सब को पीछे छोड़ देंगे अगर आपने वक्त रहते हुए कानून नहीं बनाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, अफसोस है, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह बहुत सही कही कि खनिज विभाग के अधिकारी जब अवैध खनन को नहीं रोक सके तो माननीय मंत्री महोदय का इस तरह का स्टेटमेंट आने के बाद में उन्होंने इस बात की साजिश रची कि इसको लीगलाइज किया जाए। उन्होंने इस अवैध खनन को, जिसका कि टेन टाइम्स रायल्टी वसूल करने का प्रावधान है, उसको लीपापोती करने के लिये इस तरह के आक्शन और इस तरह के रवन्ना जारी किये गये हैं जो कि सर्वथा कानून के विपरीत हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, श्री दयारामजी भी अभी बोल रहे थे, उधर से भी माननीय सदस्य बोल रहे थे, जब मार्बल पालिसी आपने बनायी उस वक्त भी मैंने इसका विरोध किया था और बाकायदा आपके रिकार्ड पर लैटर है कि आपने जो मार्बल पालिसी बनायी, खनिज पालिसी जो आपने बनायी उसमें वास्तव में आपने सरलीकरण किया है। कई सालों से जो समस्याएं थीं वास्तव में उनका निराकरण करने का प्रयास किया और काफी उसमें सफलता भी मिली लेकिन जो मार्बल पालिसी आपने बनायी उससे सारे राजस्थान में जो मार्बल का डबलपमेंट हो रहा था उसको आपने ग्राईंडिंग होल्ड पर ला दिया। जब खनिज मंत्री जी जवाब दें तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में, खनिज पालिसी आने से पहले आपने कितने पट्टे दिये और अब खनिज पालिसी आने के बाद में कितने पट्टे दिये। मैं, मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं "वह वक्त भी देखा है तवारीख की घड़ियों ने। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पायी" आपकी यह मार्बल पालिसी इस राजस्थान के इतिहास में....

श्री अध्यक्ष : श्रीमान रामरिछपाल जी नुवाल।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं बहुत शार्ट में बोल रहा हूं कि इस मार्बल का जो डबलपमेंट होना है- मार्बल एक ऐसी मिनरल है कि जिसमें टेक्नोलाजी हण्ड्रेड पर्सेंट ट्रांसफर हो गयी है, मशीन मैन्यूफेक्चरिंग से लेकर टूल तक सारी टेक्नोलाजी यहां ट्रांसफर हो गयी है तो आप इसको रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद में आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो प्रोवीजन था उसको निश्चित रूप से लागू करें।

अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आपकी भी और विभाग की भी जानकारी है, आंधी में जो कुछ भी हो रहा है, आप होम मिनिस्टर भी हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहां हो गयी और वहां पर जितना यह

(श्री विष्णु मोदी)

अहसास हो रहा है, मैं परसों ही, लास्ट संडे को ट्रेन से आ रहा था चित्तौड़गढ़ से, तो मुझे चार आदमी मिले और उन्होंने भी यह कहा कि रात को पहले गलत काम होते हमने बहुत देखें थे लेकिन इस तरह का खुला नंगा नाच आंधी में हो अब हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि आप खुद जानकार हैं और इस तरह की व्यवस्था करायें कि राज की अथारिटी इरोड न हो, राज की अथारिटी कायम रह सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गयी है, बार-बार नाम काटे जाते हैं। +++

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं काट रहे हैं। अभी आप बिराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हमारा नाम नौवें नम्बर पर था। बदल कैसे गया बार-बार। तीन आदमी फिर बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा प्रिरोगेटिव है। This is my prerogative. Please sit down.

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नहीं, यह तो नहीं है लेकिन आपको भी कोई व्यवस्था बनाये रखनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हमारा नाम गायब कैसे हो जाता है?

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य दिन में चार बार बोलते हैं उनको और जो माननीय सदस्य बिलकुल बोलते ही नहीं हैं, वह डेलीब्रेशन में नहीं रहेंगे, यह नहीं होगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं उनका एतराज नहीं कर रहा। मैं श्री नुवाल साहब का एतराज नहीं कर रहा, लेकिन यह पक्षपात हो रहा है। नौवां था और सूची में नाम बदले हैं। यह क्या हुआ, उन्होंने क्या नहीं किया है, नाम बदले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कृपया बिराजें। ध्यानाकर्षण भी आप लगायें, जीरो आवर में भी आप बोलें, दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कौन बोला जीरो आवर में?

श्री अध्यक्ष : आप आज चार बार बोल चुके हैं और किसी माननीय सदस्य का नाम आज तक नहीं आया है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं बोला हूं और यहां कटौती प्रस्ताव दिया है इसलिये मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कोई नाम नहीं काट रहे हैं आपका। बैठिये। अभी दो घंटे का समय दिया है। सबका नाम आएगा। मैंने कल जितने नाम थे उन सब को, पूरी की पूरी लिस्ट को बुलवाया है। बोलें आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग एवं खनिज के ऊपर सदन में चर्चा चल रही है। मैं भीलवाड़ा का विधायक होने के नाते भीलवाड़ा के बारे में निवेदन कर रहा हूं। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, वहां पर पिछले सात वर्षों से उद्योग के अन्दर जो प्रगति आयी है उसके लिये मैं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और उद्योग मंत्री भामड़ा साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज भीलवाड़ा राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का मेनचेस्टर बन चुका है। भीलवाड़ा के अन्दर औद्योगिक नीति के हिसाब से जितना कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं।

वहां पर अभी करीबन 6 हजार लूम जो कपड़ा बनाने का काम करती हैं उनके अन्दर सल्जर लूम 450, जो आज की कीमत के अनुसार 40 लाख रुपये का एक लूम होता है, ऐसे ही यू.टी.सी. 300 लूम, जो करीबन 7 लाख रुपये का एक लूम है, इसी तरह से सिमको साढ़े चार हजार लूम, यू.टी.बी. 300 लूम, ऐसे करीबन 6 हजार लूम खाली भीलवाड़ा नगर में चल रही हैं जिनका एवरेज डेढ़ करोड़ मीटर कपड़ा हर महीने बनता है जो साल भर का करीब 15 से 18 करोड़ मीटर कपड़ा बन रहा है। इसी तरह से औद्योगिक नगरी के अन्दर 16 प्रोसेस हाउस हैं वह भी बिलकुल अबाध गति से चल रहे हैं। आठ स्पिनिंग मिलें भी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस थोड़े से समय में बहुत तेज गति के साथ भीलवाड़ा आगे बढ़ रहा है।

एक्साइज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हम साल भर में 65 से 70 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को एक्साइज के देते हैं और नगर के अन्दर नगर परिषद को 40 लाख रुपये केवल चुंगी का अदा करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सफलता का एक प्रमाण है।

औद्योगिक नगरी होने के नाते चारों तरफ 50 किलोमीटर के एरिया में यह भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी बसी हुई है। वह तेज गति से बढ़ रही है लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं कि जिनके कारण तेज गति से आगे बढ़ने में कठिनाइयां आ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं उनको आप ठीक करने का प्रयास करें। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग से 40 प्रतिशत कपड़ा बनकर के सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी जाता है। विदेशों में भी यह कपड़ा बहुत तेज गति से जाता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी बना रहे हैं। कुछ ऐसी कमियां हैं, उन कमियों को अगर ठीक कर दिया जाएगा तो जो हमारा उत्पादन 18 करोड़ रुपये का है वह एक वर्ष के अन्दर दो हजार करोड़ तक बढ़ सकता है।

यह कमियां कुछ ऐसी हैं, जैसे हमारे हमीरगढ़ के पास में वायुदूत का है, वहां पर हवाई अड्डा बना हुआ है, छोटे रूप में है। अगर उसको चालू कर दिया जाए, इसके लिये भामड़ा साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको बहुत जल्दी चालू करेंगे, तो बहुत सुविधा मिल सकती है। इसी तरह से, वहां पर छोटी लाइन है, ब्राडगेज नहीं है। अगर चित्तौड़ से अजमेर तक ब्रॉडगेज लाइन बन जाएगी तो बाहर

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

से आने वाले व्यापारियों को बहुत सुविधा हो सकती है। यह भी इस औद्योगिक नगरी को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो सकता है। इसी तरह से, मेरा रोडवेज मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर एयर कंडीशन या अच्छी बढ़िया परिवहन सेवाएं, क्योंकि आगरा से, दिल्ली से, जोधपुर से, अहमदाबाद से, अनेक स्थानों से वहां पर काफी यात्री आते हैं, वह अगर सुपर डीलक्स या एयर कंडीशन बसों की सुविधा मिल जाए तो उसका भी काफी लाभ मिल सकता है।

वहां पर दूर संचार की भी काफी अव्यवस्था है। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि 50 किलोमीटर एरिया में यह औद्योगिक नगर बसा हुआ है। अभी भी दूरसंचार की व्यवस्था ठीक ढंग की नहीं है। तो मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि आप दूरसंचार की व्यवस्था को भी ठीक करावें।

मेरा थोड़ा-सा निर्माण मंत्रीजी से भी निवेदन है। वहां पर बाईपास का काम पिछले वर्ष से होने वाला था, इसके आदेश भी हो चुके थे, परन्तु अभी तक वह काम नहीं हो सका है। भीलवाड़ा एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है कि वहां पर नेशनल हाई-वे है, वहां पर हजारों गाड़ियां, ट्रक रोज निकलते है। इस कारण से वह कर्मचारी जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, इनको जाने में बहुत कष्ट होता है। अगर वह बाई-पास बन जाएगा तो यह फैक्ट्री एरिया सारा सेफ हो जाएगा। बाई पास बनाने के लिये आदेश भी हो चुके हैं, परन्तु पता नहीं वह किस स्थिति में है इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके बारे में भी ध्यान दें।

इसी तरह से वहां पर डिवाइडर बनाने के लिये भी मैंने आपसे निवेदन किया था। भीलवाड़ा के चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र बसा हुआ है, वहां पर नेशनल हाईवे है, सड़क सात-साढ़े सात मीटर चौड़ी है। मैंने इसके बारे में निर्माण मंत्रीजी से निवेदन किया था कि अगर इस सड़क को डेढ़-डेढ़ मीटर दोनों साइड से चौड़ी करके अगर डिवाइडर बना सकते हैं तो यहां पर जो मजदूर लोग या उद्योगपति लोग मोटर से जाते हैं, एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है, आपस में फ्रंट की टक्कर से एक्सीडेंट होते हैं, आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, अभी चार रोज पहले कालूलालजी गूजर ने भी बताया था कि आरजिया के पास में एक गाड़ी आ रही थी, ट्रक ने टक्कर मार दी। चार व्यक्ति वहां पर एट-द-स्पाट मर गये और 28 लोग अस्पताल के अन्दर घायल स्थिति में पहुंचाये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर डिवाइडर बनाने का निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम बनायें जिससे मजदूरों को और व्यापारियों को जाने में बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएं।

विद्युत के बारे में मेरा निवेदन है कि विद्युत की सेवाओं में भी बहुत बड़ी कमी है। वहां पर वोल्टेज कम मिलता है। 440 वोल्टेज मिलना चाहिये उसकी जगह 360 या 380 वोल्टेज मिलता है। इस कारण प्रोडक्शन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

से निवेदन है कि इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। इससे प्रोडक्शन बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है।

एक्सपोर्ट जोन के बारे में मैंने हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र द्वारा निवेदन किया था और उद्योग मंत्रीजी को भी पत्र के द्वारा निवेदन किया था। एक्सपोर्ट जोन अगर वहां पर हो जाता है, तो काफी राहत मिलेगी। इसलिये उसके बारे में आप अभी से कार्यवाही करें। केन्द्र सरकार को उसके बारे में लिखें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां कपड़ा बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। वहां पर मध्यस्थता करने बम्बई के एजेंटों के माध्यम से फौरेन में कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। अगर यह एक्सपोर्ट जोन वहां पर बनता है, इसकी वहां पर पूरी फैसेलिटी भी है, वहां पर जगह है, उसके बारे में मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी, उद्योग मंत्रीजी से भी निवेदन है कि इसके बारे में केन्द्र सरकार को लिखें तो यहां पर बहुत बड़ी उपलब्धता हो सकती है। इसके माध्यम से रेडिमेड गारमेंट्स भी, हमारे यहां से कपड़ा जाकर फैक्ट्रियों में बनता है और विदेशों में जाता है। अगर यह एक्सपोर्ट जोन यहां बन जाए और आपके प्रयासों से यह हो सकता है तो यह औद्योगिक नगरी, भीलवाड़ा बहुत तेज गति से, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह हिन्दुस्तान का मेनचेस्टर छोटे से प्रयास से बन सकता है। यह मेरा सुझाव है।

मेरे ऐसे एक दो और सुझाव है। मेरे से पहले के बंधु कालूलालजी गूजर ने भी और बद्रीप्रसाद गुरुजी ने ग्रोथ सेन्टर के बारे में सुझाव दिया था। मेरा निवेदन है, ग्रोथ सेन्टर के बारे में, यहां पर धारा 4 और 5 के नोटिस अखबारों में आ चुके हैं, परन्तु मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन था कि यह 6 धारा का नोटिस राज्य सरकार का पहुंचना चाहिये। इस कारण से वहां पर ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हो सकती है। आपके द्वारा सारा इस तरह का मार्गदर्शन हो चुका है, वहां अधिकारियों ने इसकी जांच कर ली है, उस जांच के माध्यम से यह तय हो गया कि 750-800 बीघा जमीन वहां पर इस कारण उपलब्ध है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ग्रोथ सेन्टर वहां के लायक है, कहीं पर भी मांडल में यह ग्रोथ सेन्टर नहीं बन सकता है, मांडलगढ़ में यह नहीं जा सकता है, स्थान उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सारी औद्योगिक नगरी वहां पर है, कपड़े का सबसे बड़ा मार्केट वहां पर है, विविंग मिलें वहां पर है, वहां पर बाहर के खरीदने वाले हैं, तो ग्रोथ सेन्टर की स्थापना के लिये मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए।

मुख्य मंत्रीजी जब भीलवाड़ा पधारे थे, वहां के कुछ बंधुओं ने उनके मन में यह शंका डाल दी थी कि यहां पर तो उपजाऊ जमीन है, यहां पर ग्रोथ सेन्टर कैसे बन सकता है। किसानों के बीच में मेरा एरिया है, सरूपगंज है, कानेखेड़ी है, ये सारे गांव हैं। मैं वहां जाकर घूमकर आया हूं तो किसी भी किसान ने एतराज नहीं किया। केवल वहां के पूर्व सरपंच ने एतराज किया था। श्री जमनेशजी चौबे, जो कांग्रेस का नेता हैं, उन्होंने एतराज इस बात के लिये किया था

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

कि उनकी 84 बीघा 4 बिस्वा जमीन उसके अन्दर आ रही थी और उन्होंने गलत ढंग से गलत नाम से अलाट करायी थी। कभी श्री जमनेशजी चौबे के नाम से, कभी जमनालाल चौबे के नाम से, कभी श्री जमना शंकर चौबे के नाम से, कभी पत्नी-बच्चों के नाम से वह 84 बीघा जमीन अलाट करायी है। यह शर्मनाक बात है। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को गुमराह किया है। मेरा आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से, निवेदन है कि उनके चक्कर में नहीं आयें। उन्होंने वहां की जनता को खूब परेशान किया है। इस ढंग से यदि 84 बीघा 4 बिस्वा जमीन जाती है तो जाने दीजिये। वहां के किसान बंधु इस बात के लिये खुश हैं कि हमारे ग्रोथ सेन्टर आएगा तो उससे हमारे भीलवाड़ा और ग्रामीण इलाकों का बहुत बड़ा विकास होगा। मेरा निवेदन है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से 15,000 लेबर काम कर रही हैं इस वक्त में, 1000 अकाउण्ट्स सेक्शन में काम करने वाले आदमी हैं और वाचमैन जो रिटायर्ड सैनिक हैं, वे 1000 की संख्या में उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लेबर काम कर रही है। मेरा निवेदन है कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाये। इसके अन्दर जितना आप सहयोग दे सकें वह दीजिये।

मेरा आर.एफ.सी. के बारे में विशेष निवेदन है, हालांकि पूर्व में सदस्यों ने इसके बारे में काफी जानकारी दी है। मैं कोई खिलाफत के तौर पर नहीं कह रहा हूं फिर भी यह बात भी सही है कि उनकी ब्याज की रेट बहुत ज्यादा है। उसमें कमी की जाए और जैसे आज उद्योगपति आते हैं उनको बार-बार चक्कर लगाने के लिये और कुछ कमी-वेशी कागज की रहती है। एक कागज के बाद दूसरा कागज मांगते हैं, फिर तीसरा कागज मांगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर थोड़ी सी सहूलियत की जाए। इसके नियमों में सरलीकरण किया जाए तो वहां पर बाहर से जो उद्योगपति आने वाले हैं वे बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर उद्योग लगाने के लिये आ सकते हैं। उससे भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग को आप तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और इस कारण से वहां पर आय होती है, मजदूरों को राहत मिलती है, वह मिलने में हमारे कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे।

मेरा विशेष निवेदन केवल एक और है। पहले भी मंत्री महोदय ने इस बात के लिये आश्वस्त किया था कि जो निरीक्षण कार्यक्रम होते हैं उद्योगों के अन्दर वे निरीक्षण के कार्यक्रम नहीं हो। आपने आश्वस्त किया था कि हम यह किसी कीमत पर नहीं करेंगे सब्सिडी के बारे में मेरा निवेदन है, जो मीडियम क्लास के उद्योग थे, उनको सब्सिडी देने के लिये मार्च, 1995 तक वह सब्सिडी दी जाएगी, परन्तु अभी तक सब्सिडी नहीं मिल पायी है और बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात के लिये आश्वस्त किया था कि यह सब्सिडी मिल जाएगी। हाई कोर्ट का फैसला भी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सब्सिडी की कार्यवाही आप शीघ्र करायें। यह कुछ मोटी-मोटी बातें मैंने आपके माध्यम से निवेदन की है, इनके लिये आप प्रयास करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उससे हमारे भीलवाड़ा को लाभ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : भीमराज जी भाटी ।

श्री रामरिछपाल नुवाल : केवल एक, खनिज के सम्बन्ध में मेरा निवेदन हैं ...

श्री अध्यक्ष : अब आपका खनिज से कोई लेना–देना नहीं । अपने यहां उद्योग ही बहुत हैं । बिराजिये ।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सदस्य कभी–कभी बोलते हैं, बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : करीबन 15 मिनट में भी आप सारी बातें, चाहते तो कह सकते थे । कुछ बातों में रिपीटेशन हुआ है । बिराजिये आप ।

श्री रामरिछपाल नुवाल : नहीं–नहीं, मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में, खनिज मंत्री आपके जिले के ही हैं । आप बात बाद में कर लेना । माननीय श्रीभीमराजजी भाटी ।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मेरा सुझाव है, केवल एक छोटा–सा सुझाव है, यह जो कुछ उन्होंने प्लाट्स दिये थे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक कमेटी और बनी हुई है, उनको भी प्लाट्स देने का निश्चय करते हैं क्या ? खड़ीपुर खनन श्रमिक अनुसूचित जनजाति समिति, यह भी बनी हुई है । पहले कुछ आपने प्लाट्स दिये हैं धारा 65 के अन्तर्गत, यह भी एक ऐसी कमेटी बनी हुई है, क्या इसको भी आप प्लाट देने का मानस रखते हैं ? रखते हैं तो कब देंगे ? यह मेरा सुझाव था । अगर उनको भी देंगे, इसके अन्दर भी अनुसूचित जनजाति के लोग वास्तव में बहुत ज्यादा मात्रा में हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रामरिछपाल नुवाल : इनको भी लाभ मिल सके, यह मेरा आपसे निवेदन हैं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये हार्दिक धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब ।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि हम राजस्थान में उद्योग....

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप संक्षेप में कहेंगे आज ।

श्री भीमराम भाटी : ऐसा है, मैं भी रोज घड़ी देखकर बोलता हूं । समय की पाबंदी का ख्याल रखता हूं लेकिन मैं बोलना शुरू नहीं करता हूं उसके पहले मेरे ऊपर बंदिश डाल देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे धन्यवाद दीजिये कि मैंने आपको अवसर दिया है ।

श्री भीमराज भाटी : क्यों, उसमें अवसर की क्या बात है । मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह मैं बाउंड नहीं हूं कि आपकी लिस्ट आये उसके अनुसार ही बुलवाऊं । बोलिये आप ।

श्री भीमराज भाटी : तो फिर अगर आपकी मेहरबानी नहीं हो तो नही बोलू ?

श्री अध्यक्ष : यह मैं बाउंड नहीं हूं । मैं तो उद्योगपति समझकर आपको आज

(श्री अध्यक्ष)

इस बात का अवसर दे रहा हूं। आप जल्दी से जल्दी सारी बातें कहें।

श्री भीमराज भाटी : आपकी कृपा नहीं हो तो नहीं बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : बोलें, मैं उद्योगपति के नाते बुलवा रहा हूं। बोलें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : यह अध्यक्ष महोदय, आपकी जो अथोरिटी है वह आज ही आपने जाहिर की है। अब तक तो चीफ व्हिपों से ही नाम लेते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा, जब अपन लोग राजस्थान के बाहर वे कई प्रान्तों में जो लोग बैठे हैं, उनको इन्वाइट करना चाहते हैं तो उनके लिये अपने यहां राजस्थान में इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट बनाना बहुत जरूरी है। लोगों को यह मैसेज मिलना चाहिये, माननीय उद्योग मंत्रीजी उस काम में लगे हुए हैं, माननीय श्रम मंत्रीजी उस काम में लगे हुए हैं, पूरी सरकार ही उस बारे में चिन्तित हैं। वेस्टर्न राजस्थान की जो सबसे बड़ी मिल है, महाराजा श्री उम्मेद मिल, वह पिछले तीन महीने से बन्द है। मुझे खुशी है कि माननीय उद्योग मंत्रीजी उस मिल को चालू करवाने में लगे हुए हैं लेकिन एक विशेष बात उद्योग मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं। कहीं ऐसा नहीं हो कि उन उद्योगपतियों में और मिल मजदूरों के झगड़े में आज की तारीख में 95 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर मिल में काम करने के लिये तैयार हैं। कोई छोटे–मोटे मतभेद की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि मिल मालिक उसमें कोई और बात कर जाए और उसकी वजह से मजदूरों को बहुत भारी नुकसान हो जाए। पहले ही 33 करोड़ का प्रोडक्शन का लोस हुआ है, 3 करोड़ का सरकार को रेवेन्यू का लोस हुआ है, 3 करोड़ रुपये का मजदूरों को मजदूरी का लोस हुआ है। मजदूरों की हालत आज यह है कि उनके पास पढ़ाई के लिये, बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिये पैसा नहीं बचा है। उनके पास खाने की तकलीफ होने लग गयी है तो आज वेस्टर्न राजस्थान का जो सबसे बड़ा उद्योग है, वह जितना जल्दी चालू हो, बाहर जगह–जगह से मैसेज आ रहा है कि जितना जल्दी चालू हो, उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। मुझे मालूम है, उद्योग मंत्रीजी स्वयं प्रयत्नशील हैं लेकिन मजदूरों के हित में मैं निवेदन करूंगा कि इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट, आज स्ट्राइक वगैरह वेस्टर्न बंगाल में भी नहीं होती हैं और जब वह राजस्थान में होती हैं तो उससे गलत मैसेज जाता है।

मेरा एक और निवेदन है कि अपने यहां पर रीको है, आर. एफ. सी. है या इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उनके जो आफिसर्स हैं, उनका एटीट्यूड उद्योगपतियों के प्रति जो होना चाहिये, जो एप्रोच होनी चाहिये, वह एप्रोच नहीं है। यह बात मैं उद्योग मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो उद्योगपति हैं, वे री-पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनके ओरिजिनल डाक्युमेंट उनको 2–2, 3–3, 4–4 साल बाद भी वापस नहीं लौटाये जाते हैं।

228

(श्री भीमराज भाटी)

हालांकि हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, वे ही इण्डस्ट्री लगा रहे हैं। उनकी इण्डस्ट्री को सब्सिडी प्रोडक्शन चालू होने के तीन साल बाद तक भी नहीं मिली है तो यह जो आपका छोटा लेबल पर करप्शन है, करप्शन की रोकथाम करके आर. एफ. सी., रीको और इस तरह के छोटे लेबल पर जो करप्शन है, उसको मिटायें ताकि उद्योगपतियों को यह लगे कि मैं राजस्थान में आया हूं, मेरी कहीं न कहीं कोई सुनवाई हो रही है।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं विशेष तौर पर राजस्थान के बाजू में दिल्ली में, गुजरात में पोल्यूशन फैलाने वाली इण्डस्ट्रीज हैं। उनको मेहरबानी करके, व्यक्तिगत मोनीटरिंग करके उन पोल्यूशन फैलाने वाली इण्डस्ट्रीज को कभी राजस्थान में प्रोत्साहन नहीं दें। औद्योगीकरण के नाम से, ह्यूमन पापुलेशन तक राजस्थान में अच्छा शुद्ध क्लाइमेटिक वातावरण है, जलवायु है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है।

एक और निवेदन है, आपने फरमाया, मेरा कर्नाटक में जो उद्योग चल रहा था, उस उद्योग में मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड की जो रोड्स हैं, जो वहां पर ट्री-गार्ड्स लगे हैं, जो वहां का प्लांटेशन है, जो वहां पर सोडियम वेपर लैम्प्स लगे हुए हैं, जो वहां के नाले की पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था, मैं कई इण्डस्ट्रियल एरियाज में घूमा हूं, मुझे राजस्थान के अन्दर कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आयी, इवन भिवाड़ी जैसी जगह पर भी हमारे अपटूडेट सिस्टम नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के प्रयास जारी हैं लेकिन इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट के साथ एक एन्वायरनमेंटल क्लाइमेट भी हो ताकि इण्डस्ट्रियल एरिया में आदमी जाए, तो उसको यह लगे कि अच्छी रोड्स पर ड्राइव कर रहा हूं। कोई उद्योगपति यहां पर 20-30 किलोमीटर जाए तो उसको लगे कि रात को वह बाहर अगर फैक्ट्री से निकले, मजदूर भी फैक्ट्री से निकले तो उन को प्रोपर लाइटेड इण्डस्ट्रियल एरिया हो, नहीं तो अपने यहां इण्डस्ट्रियल एरिया में भी विशेषकर बहुत अंधेरा, सड़कों पर और नालों में गंदगी मिलती है।

एक निवेदन है कि मेरे ख्याल से मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी का ध्यान उस स्तर पर गया है। चूंकि मैं लैदर इण्डस्ट्री से सम्बन्धित रहा हूं, हालांकि वेस्टर्न राजस्थान में चमड़ा है, चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरी का चमड़ा हो, चाहे ऊंट का हो, लो लैदर स्कीन है, उसकी जो फिनिश है और उसका ग्रेंस है, वह दुनिया में सबसे बढ़िया है और हमारे यहां वेस्टर्न राजस्थान में एनिमल पापुलेशन भी ज्यादा है, तो इस लैदर इण्डस्ट्री से चाहे लैदर हो चाहे टेनरीज के अन्दर तो उसमें एक्स्ट्रा फेसिलिटीज देकर, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर, एक्स्ट्रा सब्सिडीज देकर उस लैदर इण्डस्ट्रीज को अगर राजस्थान की सरकार ट्रस्ट सैक्टर में पूरा जोर लगाकर उस इण्डस्ट्री को पनपाने की कोशिश करे तो मैं सोचता हूं कि अपन दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। अपने जो ग्रेंस हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, भेड़-बकरी के ग्रेंस हैं और लैदर

(श्री भीमराज भाटी)

की जो फिनिश आती है वैसी फिनिश कहीं आस्ट्रेलिया की भेड़-बकरी के ग्रेस की नहीं है, न्यूजीलैण्ड की भेड़-बकरी के ग्रेस की नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं । मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । मैं उद्योग मंत्रीजी को संवेदनशील मानता हूं । उन्होंने जिस दिन मैंने प्रस्ताव दिया उसके दूसरे दिन ही मुझसे पूछ लिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी की नोलेज में लाना चाहता हूं कि आपने जो भी मशीनरी का सप्लायर है, उस मशीनरी के सप्लायर की सबसे पहले तो जब आप उसकी मशीनरी के अगेंस्ट में फाइनेंस करते हैं तो आपको बहुत क्लोजली उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिये और स्क्रूटनी करने के बाद अगर उसको चैम्बर आफ कामर्स और इण्डस्ट्री के लोग कह दें, गेंगसा और टाइल्स मेन प्लांट मेन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के लोग कह दें, आपके पास भारी शिकायत आ जाए और मुख्य मंत्रीजी से आकर लोग मिल लें, तो ऐसे जो मशीनरी सप्लायर्स हैं, चाहे वो कोई भी हों, चाहे उदयपुर का अलंकार इंजीनियर्स आये या कोई भी मशीनरी मेन्यूफैक्चरर हों, आपकी मशीनरी अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं देगी, आपकी मशीनरी में ब्रेक-डाउन होगा तो आपका रिपेमेंट रुकेगा, आपका आर.एफ.सी. का पैसा रुकेगा। ऐसे मशीनरी सप्लायर्स जो आफ्टर सेल सर्विस का खयाल नहीं रखते हैं या मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं करते ऐसे लोगों को तो आप क्लोजली स्क्रूटनी करके, ऐसे लोगों का पक्का खयाल रख कर या तो इमीजियेट ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिये या उनको इमीजियेट बाध्य करना चाहिये कि मशीनरी का रिप्लेसमेंट प्रोपर तरीके से करें ।

दूसरा, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये जो सब्सिडी आप 31.3.96 को बन्द करने जा रहे हैं, मेहरबानी करके एक तरफ तो अपन इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट खड़ा करके राजस्थान के भाइयों को इन्वाइट करना चाहते हैं इस सब्सिडी को एक-दो साल, अभी राजस्थान इस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि यहां बहुत सारा इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो इसलिए इण्डस्ट्रियलाइजेशन को जारी रखने के लिये यह आपने जो सिलसिला चालू किया है, यह बहुत अच्छी बात है । उसको जारी रखने के लिये और राजस्थान के लोग जो बाहर जाकर के पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को इन्वाइट करने के लिये और उन लोगों को सस्टेन करने के लिये यह जो सब्सिडी है उसको भी कंटीन्यू करने के बारे में राजस्थान सरकार प्रयास करे ।

अब मैं खनिज के बारे में जरा दो-तीन मिनट आपके लेऊंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि खनिज मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन राजस्थान खनिज के मामले में जितना रिच है । खनिज सम्पदा जितनी राजस्थान में है, उतनी मेरे खयाल में बहुत कम प्रान्तों में है । मध्य प्रदेश में काफी खनिज है लेकिन सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि खनिज की जगह-जगह जो इल्लीगल माईनिंग हो रही है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपको बताता हूं कि भीलवाड़ा में

(श्री भीमराज भाटी)

बिजोलिया एक जगह है, वहां ऊपरमाल करके एक स्थान पर, वहां आप रूल 26 में, 1986 का जो आपका रूप है उस रूल 26 में 30 प्रतिशत आपने शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्व किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक और रूल आपने लगा दिया 65। 65 में आप कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी पावर यूज करके किसी भी आदमी को आप दे देते हैं। आपके अधिकारियों ने क्या किया है, मैं सरकार को दोषी नहीं मानता लेकिन आप के अधिकारियों ने क्या किया कि उस रूल 65 की आड़ लेकर के एक कोई पुरानी कॉ-आपरेटिव सोसायटी है, उस को-आपरेटिव सोसायटी के जो सरगना हैं, शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको प्रोफिट का पता ही नहीं है और जो पैसे वाले लोग हैं वे लोग उसमें इन्वाल्व होकर वहां आपकी जो गोचर थी, उस गोचर में उन लोगों ने जमीन ले ली। 30–30, 40–40 प्लाट ले लिये हैं। उन शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को पता ही नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से इस तरह के जो बदमाश और बेईमान लोग, जो सरकारी कानूनों का और सरकारी अधिकारियों की नजदीकी का फायदा उठाकर सरकार को लाखों-करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस नुकसान की रोकथाम के लिये इल्लीगल माइनिंग, बिजौलिया की ही बात नहीं है। इल्लीगल माइनिंग के बारे में मैंने पिछली बार भी यहां पर कहा था। हमारे यहां पाली जिले में कोलीवाड़ा में क्या, जवड़िया में क्या, आपको बीसों स्थान ऐसे बता सकता हूं जिन जगहों पर इल्लीगल माइनिंग हो रही है। इल्लीगल माइनिंग के ऊपर रोक लगायी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि इल्लीगल माइनिंग के ग्रेनाइट के ब्लाक्स पकड़े गये। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि इल्लीगल माइनिंग हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है लेकिन यह आपके जयपुर में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उदयपुर में जो अधिकारी बैठे हुए हैं और कुछ राजनैतिक पहुंच के लोग बैठे हुए हैं वो उस इल्लीगल माइनिंग को खुद की जेबें गर्म करने के लिये, खुद के लोगों को ओब्लाइज करने के लिये और खुद फायदा उठाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। इस इल्लीगल माइनिंग को अपन जब तक नहीं रोकेंगे तब तक अपनी खनिज सम्पदा का जो दोहन हो रहा है वो दोहन तो हो रहा हैं, पर गवर्नमेंट को प्रोपर रेवेन्यू मिल नहीं रही है; पैसा प्रोपर जगह पर जा नहीं रहा है और उस पैसे का, पूंजी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लेकिन वो पैसा गलत लोगों को जेबों में जा रहा है और वह लोग उस पैसे से कुछ नहीं करते बल्कि राजनीतिक वातावरण को खराब करते हैं। वे उस पैसे का दुरुपयोग राजनीति में करते हैं। अभी सारे हिन्दुस्तान में जो क्लाइमेट बना हुआ है वो इस तरह के इल्लीगल पैसे से ही बना हुआ है। वही इल्लीगल माइनिंग का पैसा राजस्थान में अपने लोगों को भ्रष्ट कर रहा है या सरकार और सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट कर रहा है इसलिये यह जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है उस को बन्द करवाने के लिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खनिज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री बनवारी लाल जी (अनुपस्थित)। श्री जुबेर जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य जैसा जिक्र कर रहे थे माइंस और उद्योग की मांग के ऊपर, इल्लीगल माइनिंग होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जो अवैध खनन हो रहा है उससे न सिर्फ माननीय सदस्यों को चिन्ता है बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। धौलपुर और करौली में, वहां पर माइंस डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लोगों को ठेके छोड़ दिये। धौलपुर का तो एक करोड़ 25 लाख का जो एक्सेस रॉयल्टी वसूल करगा, जितना कोटा दिया हुआ है किसी लीज होल्डर को उससे ज्यादा अगर जायेगा तो उससे एक गुना पेनल्टी लगाकर उसका रवन्ना काटेंगे लेकिन उसकी आड़ में वो ठेकेदार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की मिलीभगत से क्या करते हैं कि जो इल्लीगल माइनिंग्स का माल भी निकलता है उसको भी इसी एक्सेस रॉयल्टी के नाम से निकाल देते हैं जिससे करोड़ रुपये का नुकसान विभाग को हो रहा है, राजस्व ट्रेजरी को हो रहा है। क्योंकि उनको तो अपना एक करोड़ 25 लाख रुपये पूरा करना है। इसमें विभाग को चाहिये कि वो अलग से अपना कर्मचारी बैठाये जो लीज होल्डर न हो और वहां से कोई इल्लीगल माइनिंग का माल आ रहा है उस पर दस गुना अगर आप पेनल्टी लगायेंगे तो आपके राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और इल्लीगल माइनिंग भी रुकेगी। इसी तरह से करौली का भी यही हाल है और वहां का जोग्राफिया इस तरह का है, अध्यक्ष महोदय, एक ही सड़क निकलती हैं। अगर नाके पर कोई विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बैठ जायेगा तो मैं मानता हूं कि जो इल्लीगल माइनिंग का माल जा रहा है एक्सेस रॉयल्टी की आड़ में वह जाता हुआ रुकेगा और विभाग को इसका फायदा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे कुछ व्यवस्था करें।

दूसरा मैं उद्योग के मामले में भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिये का यहां काफी जिक्र किया गया। अलवर जिले में एक मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया भी हैं। मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया अलवर जिले का सबसे पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया है लेकिन आज स्थिति वहां क्या है कि ज्यादातर उद्योग बन्द हो गये। वहां अगर कोई उद्योग एक दो को छोड़कर, जनरल उद्योग चल रहे हैं तो केमीकल छोटी-छोटी यूनिट्स चल रही हैं इसलिये माननीय उप मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री से मेरा निवेदन हैं कि आप मत्स्य उद्योग क्षेत्र के लिये कुछ कर नहीं सकते इसलिए इसका एम. आई. ए. की जगह नाम सी. आई. ए. रख दें ताकि केमिकल इण्डस्ट्रियल एरिया हो जाये और आपके जवाब के मुताबिक वहां पर जो छोटे-छोटे तालाब हैं, जिनसे सिंचाई हो रही है उनमें इनका प्रदूषण जाकर फैले, उनका गन्दा और जहरीला पानी जाकर मिले, पशु पीयें और मरें, यह हाल वहां हो रहा है। मैंने विधान सभा में सवाल भी पूछा था। आपने उत्तर में माना हैं कि काफी ऐसे उद्योग एम. आई. ए. एरिया में हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है। और तो और आपकी यह जो केमिकल यूनिट्स हैं ये रात में जब कभी अंधेरा होता है,

(श्री जुबेर खान)

सर्दियों के दिनों में, अध्यक्ष महोदय, रात में वे अपना सफेद-सफेद सा गैस भरते हैं और सड़क के पास खाली कर आते हैं। जब कोई गाय-भैंस उसके पास जाती है या कभी-कभी भैंस बैठ जाती है, चिकनाई देखकर तो वो वहीं खतम हो जाती है, यह स्थिति है। डाक्टरों ने इस चीज की रिपोर्ट आपको दे रखी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मत्स्य उद्योग एरिया के। जितना भी प्रदूषित पानी है वह हंससरोवर जो सिंचाई का डेम हैं उसमें जाकर गिर रहा है पहले आप उसको रुकवाइये इसकी कोई व्यवस्था कराइये।

(20.00)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में जिसमें कोई शक नहीं, सब चाहते हैं कि औद्योगीकरण हो, इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो, इन्फास्ट्रक्चर राजस्थान में तैयार हो लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कम से कम किसानों की हत्या करके नहीं। काश्तकारों की जमीन एक्वायर करती है 40 हजार रुपये, 60 हजार रुपये बीघा में और वही काश्तकार अगर सीधे उद्योगपतियों को बेचता है तो साढ़े तीन लाख, चार लाख, पांच लाख, छह लाख तक की कीमत में बेचता हैं। कितना अन्याय है और अलवर जिले के लोगों को क्या मिलता है? मैं सच्चाई कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब तक बिल्डिंग खड़ी होती हैं तब तक तो जरूर स्थानीय लोगों को कचरा डालने के पैसे मिल जाएंगे, पत्थर का पैसा मिल जाएगा, कोई छोटी-मोटी चुनाई में उनको रोजगार मिल जायेगा लेकिन जैसे ही उद्योग बनकर तैयार हो जायेगा उड़ीसा बिहार और बंगाल की लेबर आयेगी, हमारे यहां के स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। जमीनें लोगों की चली जाती हैं, पढ़ाई-लिखाई होती नहीं, है, इतने काबिल नहीं होते कि कोई उद्योग-धन्धा लगा सकें या कोई व्यापार कर सकें। आखिरकार गलत रास्तों पर जाते हैं और गलत रास्तों पर पैसा खर्च कर देते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप सरकार में बैठे हैं, आप कोई भी ऐसी व्यवस्था करें कि जिन लोगों की जमीन रीको अवाप्त करके उद्योगपतियों को देता है उन परिवारों के ज्यादा नहीं कम से कम एक सदस्य को उन उद्योगों में रोजगार दिया जाए और उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले। यहां तक हालत हो रही है कि भिवाड़ी और तिजारा के बीच में सारी जमीनों पर उद्योग बन गये हैं, काश्तकार बेघर हो गये हैं, वे पहाड़ी की ओर जाकर बस गये हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं हैं, चोरी का धंधा कर रहे हैं। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो तस्करी हो रही हैं हरियाणा में, सारी उधर से हो रही है, क्योंकि लोगों की जमीनें ले लीं, लोग बेरोजगार हो गये, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वहां तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं।

एक मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे माननीय श्री वी. पी. सिंह जी कह रहे थे कि साहब, जनरल मैनेजर दिल्ली में बैठना चाहिये। इस सरकार की जो परम्परा है और मुख्य मंत्री जी की कार्यशैली हैं, बन-

(श्री जुबेर खान)

मैन-शो जो उनकी स्टाइल है,उसी के अनुरूप आप देख लेंगे राजस्थान हाउस की ओल्ड बिल्डिंग में मुख्य मंत्री जी का रेजिडेंशियल कम-आफिशियल काम्पलैक्स बन रहा है। उसमें वही काम होगा, सारी लायजनिंग मुख्य मंत्री जी खुद करेंगे, किसी जनरल मैनेजर या सैक्रेटरी को बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सारा राजस्थान जानता है कि वह तो खुद ही करेंगे, जो कुछ करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री से निवेदन है कि जितने भी आप उद्योगों को लाइसेंस देते हैं, क्योंकि आज कोई आदमी दुकान बना लेता है, या कोई छोटा मकान बना लेता है, तो आप जब हाइवेज को चौड़ा करेंगे तो उनको मुआवजा देकर हटा सकते हैं लेकिन आप नेशनल हाइवेज, स्टेट हाइवेज के 50 या 75 फीट की दूरी पर इण्डस्ट्री लगवा देंगे, तो कल को आपको सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी तो आपकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनको आप हटा नही पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाइवेज पर कम से कम ढाई सौ मीटर की दूरी तक कोई कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का नहीं हो। आप बहरोड़ का उदाहरण ले लीजिये। बहरोड़ में दो-दो किलोमीटर तक दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में फैक्ट्रियां लग रही हैं। अगर कल को आप को बहरोड़ में बाईपास बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बहरोड़ में बाईपास नहीं बना सकेंगे। इसलिये अब आप आगे आने वाली इण्डस्ट्रीज इस तरह से लगे कि हमारे नेशनल हाइवेज और स्टेट हाइवेज पर कम से कम ढाई सौ मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन हों उनके बीच में आप ग्रीन बैल्ट रखिये, आप चाहें उसमें पेड़ लगवाइये और चाहे खेती कराइये। कम से कम जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको भूमि उपलब्ध हो जाएगी।

मैं एक बात और कहना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी गये थे सरिस्का में। सरिस्का में जिन लोगों की माइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बन्द हैं उन लोगों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि सरकार ने उनको पट्टे दिये थे। यह सरकार का देखने का काम था कि यह फोरेस्ट की लैण्ड है या सरकारी लैण्ड है या सिवायचक लैण्ड है। माननीय मुख्य मंत्री जी गोठ खाकर आये थे। वहां रमाकान्त जी के निमन्त्रण पर गये थे और वहां यह कहकर आये थे कि जब राज्यपाल महोदय का प्रशासन था, आप चिन्ता मत करो मैं छुट्टी पर हूं और जैसे ही मेरी छुट्टी खतम होगी और राज में आऊंगा तब सब माइंस को चलवा दूंगा। आज तक कोई माइंस नहीं चली। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है मुख्य मंत्री जी अलवर में जिस तरह से इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है। वह....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : माइंस के ऊपर काफी निर्भर करता है। आप लोगों को भी यह कोशिश है कि वहां जो माइंस है, कम से कम जो कागजों में सरिस्का टाइगर सैंक्चुअरी में आ रही हो लेकिन जहां एक पेड़ भी पिछले 15-20 साल से मौजूद

(श्री जुबेर खान)

नहीं है, वहां की माइंस को शुरू करवाइये। क्योंकि 30–40 हजार लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन माइंस में रोजगार से जुड़े हुए हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता था। मैंने बहुत विनम्र शब्दों में कुछ सुझाव आपको दिये हैं इसलिये आप इनको लागू करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री भवानी जी जोशी (अनुपस्थित)। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, माग संख्या 42 और 43 पर निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो उद्योग की दृष्टि से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्री जी ने एक वातावरण बनाया है। बाहर के लोग, अप्रवासी भारतीय और अन्य लोग राजस्थान में आकर उद्योग लगायें, इस प्रकार का माहौल बनाया है और उद्योग लग भी रहे हैं। अभी उद्योग विभाग ने एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 26 उद्योगों को विशेष रूप से लिया था उसमें 12 प्रकार के उद्योग तो प्रगति पर हैं और 14 प्रकार के उद्योग नुकसान में हैं या नुकसान में जा रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो उद्योग कमजोर हो रहे हैं उनके कारणों का पता लगाकर उनका उत्पादन सही ढंग से हो, उनको लाभ मिल सके इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके साथ ही, मैं बूंदी जिले की ओर आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लगभग ढाई साल हो गये हम कहते तो हैं कि उद्योग लगाओ, परन्तु बूंदी जिले में आज तक ऐसी कोई जमीन नहीं है जो रीको के पास हो और वहां उद्योग लग सकें। इसके बारे में मैंने पहले निवेदन किया। 1991-92 में साढ़े पांच सौ बीघा जमीन एक्वायर करने के लिये धारा 4 के नोटिस जारी किये थे राज्यपाल शासन के अन्दर, पर पता नहीं किस प्रकार से वह धारा 4 की कार्यवाही समाप्त हो गयी और आज वहां पर एक बीघा भूमि ऐसी नहीं है जहां पानी हो और उद्योग लगाने के लिये कोई उद्योगपति आये तो उसको जमीन दे सकें। मैंने कई बार उद्योग मंत्री जी से निवेदन किया और उद्योग मंत्री जी ने उनके अधिकारियों से कहा, परन्तु अधिकारियों ने दूसरी जमीनें दे दीं। वह जमीन जोड़ दी मेरा निवेदन करना यह है कि मुझे किसी जमीन से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब इस बात से है कि उद्योग लगे और उद्योग जहां लगे, वहां पर जमीन में पानी हो। अगर 400 फीट नीचे पानी होगा तो उद्योग लगाने वाला वहां नहीं आएगा। आज हेटीपुरा में इस प्रकार की जमीन पांच साल से पड़ी हुई हैं। लोगों की जमीन खरीद रखी हैं, परन्तु वहां कोई जाता ही नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप पहले उद्योग के लिये जमीन बूंदी में प्राप्त करिये और रीको के आधार पर लीजिये तभी जाकर उद्योग लगेंगे।

बूंदी एक कृषि पर आधारित जिला है, वहां कृषि से सम्बन्धित उद्योग ही लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां दूसरा उद्योग लगायेंगे तो चल नहीं पाएंगे और बूंदी पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पर्यटन

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

को बढ़ावा दिया जाए, होटलें बनायी जाएं। होटलों के लिये कुछ फर्मों ने लगभग 4 साल से दरख्वास्तें दे रखी हैं, फार्म दे रखे हैं लेकिन वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी के नवयुवकों की बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, जब तक बूंदी में पर्यटन के माध्यम से होटलों का निर्माण नहीं होगा, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं लगेंगे जब तक बेरोजगारी बढ़ती जाएगी।

इसी प्रकार से ग्रीन बैल्ट की बात आती है। जो व्यक्ति पावरफुल होता है, जिसकी पहुंच होती है वह तो ग्रीन बैल्ट में भी जमीन ले लेता है लेकिन रीको या सरकार चाहती हैं वहां उसको जमीन नहीं मिलती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ग्रीन बैल्ट के ठीक पास में और कुछ ग्रीन बैल्ट के अन्दर आज एक आर. टी. एक्सपोर्ट नाम का एक उद्योग लगा, उसको जमीन दे दी गयी और उसने 9-10 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जब रीको ने जमीन मांगी तो कहा कि ग्रीन बैल्ट है। तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। ग्रीन बैल्ट अगर है तो एक तरफ करिए, उसको देखिए। मास्टर प्लान वाले अधिकारियों से जाकर अगर कोई मिल लेगा तो उसके लिये ग्रीन बैल्ट में भी उद्योग लगना सम्भव हैं। अगर वहां जाकर नहीं मिलेगा तो ग्रीन बैल्ट लिखी हुई आयेगी और ऊपर तक वो ठीक नहीं होगी। मेरा निवेदन करना यह है कि ग्रीन बैल्ट अगर हैं, तो उसका पूरा मास्टर प्लान बने, उद्योग कहां लगे उसकी जगह बने और शीघ्रातिशीघ्र उस जमीन को एक्वायर किया जाए। इसी प्रकार बिना इजाजत के रेवेन्यू भूमि में, चरागाह भूमि में और सिवायचक की भूमि में उद्योग लग रहे हैं। लोगों ने मकान बना लिये, दीवारें खींच लीं, पर उद्योग के लिये जमीन नहीं है। इसलिये मेरा पुनः निवेदन है कि उद्योग के लिये उद्योग मंत्री जी जमीन अधिकृत करायें। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था और मैं आज फिर आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि बूंदी में बेरोजगारी दूर करने के लिये जमीन की आवश्यकता है।

अब मैं मांग संख्या 43 खनिज पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैंने कई बार मांग की थी कि बूंदी में 100×200 मीटर की लीज देने का तय कर रखा है। खनिज मंत्री जी आप डाबी गये थे और डाबी जाने के बाद आपने कहा था कि 100×100 या 60×120 की लीज कर दी जाएगी। मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, अब खनिज मंत्री बड़े हैं, सरकार बड़ी है या एक डायरेक्टर, यह मेरे समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट ने यह नीति बना दी कि 100×100 की लीज दी जाए, परन्तु आज तक बूंदी जिले में ऐसा नहीं किया जा सका। मैं समझता हूं कि खनिज मंत्री बड़े बोल्ड भी हैं, दबंग भी हैं मगर उनके अधिकारी उनकी इतनी सी बात नहीं मानेंगे। बूंदी जिले में अवैध खनन इसलिये हुआ कि 100×200 मीटर की लीज बनती ही नहीं है और वो 100×200 मीटर से नीचे की लीज देते नहीं हैं। इसलिये वहां अवैध रूप से कार्य हो रहा है और धड़ल्ले से काम हो रहा है। लोगों ने मांग की, लगभग वहां 5000

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

लोगों ने मांग की उसके बावजूद भी आज तक वो नीति लागू नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा अगर वो आदेश जारी कर दिया है, (व्यवधान) नहीं, समझ में अभी तक नहीं आयी। लागू भी नहीं हुई है। इसलिये उसे तत्काल लागू करें। इसी के साथ मैं....

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के राज्य सरकार के आदेश भी हो चुके हैं और डायरेक्टोरेट से भी इस तरह का एक स्पष्टीकरण जा चुका है। इनकी समस्या का हल हो चुका है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सड़क के किनारे सड़क के मध्य से 45 मीटर दायीं और और 45 मीटर बांयी ओर कोई लीज नहीं दी जा सकती। 1978 में सड़क बनी थी सूंथला से लेकर माताजी के नले, डाबी से लेकर गुढ़राणा जी का, आप दिखवा लीजिए। वहां पर कई लोगों ने खानें लगा ली हैं और मलवा सारा रोड पर लाकर रख दिया है। 1978 से, जब वो रोड बनी उसके बाद से आज तक उस पर एक पैसा नहीं लगा। मंत्री महोदय भी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए हैं और कोटा नजदीक पड़ता है। माताजी के नले से लेकर आप सूंथलातक दो घंटे के पहले जा नहीं सकते। रोड नीचे बैठ गया, मलवा दोनों तरफ है, पानी भरा रहता है और लगभग 400 ट्रक रोजाना पट्टी के वहां से निकलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप के पास बजट नहीं हो, तो कम से कम टोल टैक्स की नीति के आधार पर उस सड़क को लिया जाए वरना वहां पर सैंकड़ों ट्रक वाले रोजाना गाली निकालते हैं। पंचवर्षीय योजना पूरी होने जा रही है। आपके पास मेरी जानकारी के अनुसार लगभग तीन करोड़ रुपया बचता है। आप या तो उसमें से पैसा दीजिए या ऐसी नीति बनाइए कि वो रोड बन सके।

श्री अध्यक्ष: क्या समाप्त कर रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश शर्मा: एक मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज रेवेन्यू भूमि या सिवायचक भूमि, वन विभाग की जमीन के पास समीपवर्ती आती है और कई बार यह लीज पूरी होने में वन विभाग की भूमि भी इसमें आती है। इसके लिये सरलीकरण किया जाए और जिला हैड क्वार्टर पर, जिला मुख्यालय पर ही इसका समाधान हो सके, ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाए।

इसके साथ ही मैं दो-तीन बातें निवेदन करूंगा। आपने कुछ सड़कें बनायी थीं–बरमल चौराहे से लेकर सूंथला वाया लक्ष्मीपुरा, गड़दा से डाबी और बूंदी। ये सड़कें जब तक आप इसको स्टेट हाइवे नहीं करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। आज तक लक्ष्मीपुरा से लेकर सूंथला वाली सड़क, जो आपकी सड़क है, सारी विक्षिप्त हो रही है, सारी खराब हो रही है। आप उसके लिये पैसा दीजिए आपको उससे और रायल्टी अधिक आएगी।

श्री अध्यक्ष: बिराजें। श्री अमराराम जी (धोद)। नहीं है? (अनुपस्थित)।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: मैं एक आखरी निवेदन करना चाहूंगा, अवैध रूप से जो खनिज वहां निकाल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री रामपालजी उपाध्याय (अनुपस्थित)। श्री माधव सिंहजी दीवान। (अनुपस्थित)। श्री शिवनाथ सिंहजी (अनुपस्थित। नाम मैं पूरे लूंगा आज, बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उनको रोकने का प्रयास करें, रोके और रायल्टी वसूल करें। आपने जो 100 × 100 की लीज की उसके लिये पुनः धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आपने लिस्ट दी है। कोई यह नहीं कहे कि आप मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं। कृपया पांच मिनट में अपनी बात खतम करें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री और खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : कोई अमूल्य सुझाव दें वरना भाषण तो अपन रोज करते ही हैं यहां।

श्री रामस्वरूप मीणा : वही दे रहा हूं साहब, सुझाव ही दे रहा हूं। **India is the richest country, but lives poor.** भारतवर्ष एक खनिजों का देश है, धनी देश है। लेकिन उसके अन्दर गरीब रहते हैं। सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा था कि जब मैं अपने क्षेत्र की ओर जाती हूं तो रास्ते में मुझे जयपुर की फैक्ट्रियां, कोटा की फैक्ट्रियां, ब्यावर की फैक्ट्रियां, किशनगढ़ की फैक्ट्रियां देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी एवं खनिज मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सवाईमाधोपुर जिले में आप पधारें। आप चाहे हमारे श्री महावीरजी के दर्शन करें, चाहे मां केलादेवी के चरणों ने दर्शन करें, चाहे आप रणथम्भौर के हमारे टाइगर प्रोजेक्ट को देखें, तो आपको पता चलेगा। मेरा दिल जब मैं वहां जाता हूं, मेरे क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा वहां पर माल मिलता है और जिसने सारे हिन्दुस्तान में नाम रोशन कर रखा है। लेकिन वहां एक भी कारखाना आपने आज तक नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, केला मैया के चरणों में लाल पत्थर निकलता है, करौली के अन्दर। यही लाल पत्थर हिन्दुस्तान के सबसे सर्वोच्च सदन राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है और वां भी हमारे माननीय सदस्य जो बाड़ी से जीत करके आये हैं, इन्हीं के पिता श्री धर्मसिंहजी के ठेके के द्वारा लगाया गया है। वह लाल पत्थर जो राष्ट्रपति भवन में लगाया हुआ है। जो पार्लियामेंट में लगा हुआ है, जो राज्यसभा में लगा हुआ है, जो लाल किले में लगा हुआ है, वो आज सवाईमाधोपुर जिले के नाम को रोशन कर रहा है। इतनी बड़ी सम्पत्ति जो सारे हिन्दुस्तान के महत्वपूर्ण भवनों में लगी हो, वहां आज एक भी कारखाना आपने पत्थर का नहीं दिया। मेरे जिले में एक भी कारखाना नहीं है। आज सरकार चाहे तो बहुत बड़ी इन्कम उसे हो सकती है। पत्थर की घिसाई का काम, पत्थर की कटाई का काम, पत्थर के बड़े-बड़े धंधे, जो वहां स्थापित हो सकते हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है और हिन्दुस्तान में नहीं सारे विश्व में आप

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उससे नाम कमा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे यहां के लाल पत्थर के बारे में वहां कोई उद्योग लगवायें। माननीय उद्योग मंत्रीजी, नोट कर लें इस बात को ताकि आपको पैसा मिलेगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि मेरे यहां लाल पत्थर निकलता है और वो मैटीरियल निकलता है जिसके द्वारा शीशा बनता है। रोजाना 10 और 20 ट्रक मेरे जिले से जा रहे हैं। मगर उस पर आधारित फैक्ट्रियां कहां खुली हैं? फिरोजाबाद में और दिल्ली में, फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि वे फैक्ट्रियां जो फिरोजाबाद में खुल सकती हैं, वे आप मेरे सवाईमाधोपुर जिले में क्यों नहीं खोलते? पैसा मिलेगा, वहां काम आएगा। उसके जाने—आने का खर्चा बचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यही वह शीशा है, जिससे मेरी बहनों की चूड़ियां बनती हैं। (व्यवधान) सत्य कह रहे हो आप, और आपके सुहाग की रक्षा होती है। आपको तो पता ही नहीं है, उद्योग मंत्रीजी, आपका सुहाग है या नहीं है। आप तो क्या जानें, सुहाग क्या चीज होती है। इसलिये, आप इस बात को नहीं सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष : पुरुषों का सुहाग होता होगा? यह आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, पुरुषों का सुहाग कैसा है?

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे उद्योग तो क्या देंगे, मेरा जो उद्योग मौजूद है, उस उद्योग को भी आपने वर्षों से बन्द कर दिया। सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर पांच हजार आदमी रोजगार प्राप्त करते थे, उसको भी आपने बन्द कर दिया। आपने घोषणा की थी यहां पर, कि वह चालू कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं, मात्र लोक सभा के चुनावों में उसको चालू किया गया था, आज सीमेंट फैक्ट्री बन्द है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज उसकी तीन इकाइयों में से एक भी इकाई चालू नहीं है। बताओ मंत्रीजी, चालू हो तो। उद्योग मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप सीमेंट फैक्ट्री को चालू करो, जिसके बारे में किसी समय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, सवाई-माधोपुर में जाकर कि आप कांग्रेस का धुआं निकाल दो, मैं सीमेंट फैक्ट्री में धुआं निकाल दूंगा। वहां की जनता ने उस वक्त हमारा निकाला, अब के आपका निकाल दिया, आपके असत्य बोलने के कारण। इसलिये आप सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को, जो एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, चालू करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : 5 हजार आदमियों के रोजगार का सवाल है, उस सीमेंट फैक्ट्री को आप चालू करें।

अन्त में, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप हमारे यहां कारखाने खुलाएं और सीमेंट फैक्ट्री को पुनः चालू करके वहां के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लोगों को रोजगार दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री मोहनजी मेघवाल, नहीं हैं। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र जी गहलोत। (अनुपस्थित) श्री अमरचन्द जी मिड्ढा। इन्हें आप बोलने दें।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उद्योग मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई साल के अन्दर हमारे यहां कोई फैक्ट्री नहीं लगायी गयी है। रीको ने ढाई साल पहले दफा 4 का नोटिस निकाला था, उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर एक आर्य साहब या वर्मा साहब आये थे। उन्होंने कुछ मण्डियों में, घड़साना में अनूपगढ़ में, विजयनगर में फिरकर कुछ काम किया था। शिकायत के आधार पर उनको वहां से अधिकारियों ने हटा दिया। अब जो आदमी आया है; पता नहीं वह कौन है, न हम उसको शक्ल से जानते हैं, न हमको वह शक्ल से जानता है। उसने कोई काम नहीं किया है। 70 साल पहले स्टेट टाइम के अन्दर विजयनगर मण्डी आबाद हुई थी। आठ प्लाट हैं सिर्फ और वहां कृषि उपज मण्डी बनी है। इसके लिये सारी कार्यवाही होकर जगह एक्वायर कर दी गयी है। मण्डी बनाने के लिये ठेका दे दिया गया है। परन्तु रीको ने उसके अन्दर कोई प्रगति नहीं की है। यही अनूपगढ़ के हालात हैं और यही घड़साना के हालात हैं। वहां न तो एक इंच जगह है, न कोई कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिये उद्योग मंत्री महोदय से मेरी यही प्रार्थना है कि उसके अन्दर कोई न कोई काम करवाकर कोई न कोई जगह एक्वायर करें और लोगों को दें, ताकि लोग उसके अन्दर इण्डस्ट्रीज लगा सकें। कृषि उद्योग क्षेत्र वहां लग सकता है। यानि, जैसे कपास की है, तेल की है, वहां पर चाहें तो खाण्ड की मिल भी लग सकती है, खाद की फैक्ट्री भी लग सकती है। सूरतगढ़ में गवर्नमेंट की जमीन बहुत है। बिजली भी आने वाली है और पानी भी बहुत है परन्तु उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमारे विधान सभा क्षेत्र को सूरतगढ़, अनूपगढ़, घड़साना और श्री विजयनगर इन चारों मण्डियों में कोई न कोई जगह एक्वायर करें और उसके अन्दर कोई न कोई फैक्ट्री लगवाइये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी। (अनुपस्थित) श्री लक्ष्मीनारायणजी बैरवा। (अनुपस्थित)।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम लिया था।.....

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट ठहरिये। आप बैठिये। अब आप बोलें नहीं। मैं सबको निपटा दूंगा। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : साहब निपटाना थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई यह भी नहीं कहे कि मेरा नाम नहीं पुकारा। बैठिये आप, अभी आपका नाम आ जाएगा। श्री महावीरजी भगोरा, 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मांग सख्या 42 और 43 पर चर्चा हो रही है। खनिज और उद्योग दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। कई उद्योग खनिज आधारित हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो जनजाति सम्भाग है, एक तो पहाड़ी है और खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में सबसे अधिक धनाढ्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में निकलने वाले खनिज, जिसमें मार्बल तो प्रमुख है ही और मार्बल में भी व्हाइट, ग्रीन और पिंक, तीनों तरह के मार्बल हमारे यहां से निकलते हैं। सोफ्ट स्टोन और लाइम स्टोन है, और कुछ क्षेत्र ग्रेनाइट के भी अभी नये-नये विकसित हो रहे हैं, उसका सर्वे हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के लोग, इन उद्योगों में, इन खनिज व्यवसायों में, जैसा कि अभी खैरवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि मजदूरी करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मेरी भी यही मांग है कि जो स्थानीय खनिज हैं, जनसंख्या के अनुपात में उनमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। चाहे खनिज डिपार्टमेंट, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट चाहे जनजाति विकास विभाग, उनको सब्सिडी दे ताकि जो वहां के बेरोजगार बच्चे हैं, वे अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सकें। इसी तरह से वहां जिस तरह से खनिज व्यवसाय और उद्योग विकसित हो रहे हैं, उनमे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। उस तरह के ट्रेड्स के लिये उस क्षेत्र में आई. टी. आई. में कोर्सेज शुरू किये जाएं ताकि वहां पर ट्रेनिंग पाकर के वे बच्चे वहां समायोजित हो सकें।

मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं। उनमें मैंने जो बिन्दु उठाए हैं, उसमें विशेष रूप से वन क्षेत्रों में खनिज कार्य का मामला है। जिस तरह से हम खनिजों का दोहन कर रहे हैं, अवैध खनिजों का दोहन हो रहा है, इससे वन क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। न तो खनिज विभाग ने और न उद्योग विभाग ने उसी अनुपात में नये सिरे से वन लगाने की कोई व्यवस्था की है, न उन व्यवसायियों को पाबन्द किया गया है। मैं चाहूंगा कि खनिज मंत्रीजी इस ओर ध्यान देकर के जितनी जमीन में वे खनन कार्य करते हैं, पास में उतनी ही जमीन में वन लगाने के लिये वे पाबन्द करें।

दूसरी बात अवैध खनन की है। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, वहां लाइम स्टोन का बहुत विशाल भण्डार है। वहां सीमेंट फैक्ट्री लगनी थी, किन्हीं कारणों से नहीं लग पायी। परन्तु वहां से जिस तरह से अवैध खनन दोहन होकर पास में भीलवाड़ा क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें वह जा रहा है। हमें न तो कोई उससे रायल्टी मिल रही है और न ही उसका फायदा स्थानीय लोगों को मिल रहा है। मैं चाहूंगा खनिज मंत्रीजी कि आप वहां कोई चैक–पोस्ट कायम करावें। आपके विभाग का कोई अधिकारी उसको चैक करे। पुलिस विभाग तो चौथ वसूली जरूर कर रहा है जो माण्डवा क्षेत्र से आता है। माननीय गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपको अभी एक फोटोग्राफ दूंगा कि एक चौकी में पुलिस कर्मी तो नहीं हैं, उस चौकी की रखवाली वहां कुत्ते जरूर कर रहे हैं यह आपको फोटो से दर्शित हो जाएगा, मोपाला-बेड़ा नाम की चौकी है जो सिरोही जिले के

(श्री महावीर भगोरा)

बॉर्डर पर है। मेहरबानी करके आप उस चौकी को चैक करावें। वहां पर जो अवैध खनन की सामग्री, दिन में कम से कम सौ से डेढ़ सौ ट्रक लाइम स्टोन सिरोही में जा रहा है, उसको आप चैक कराएं। यही मेरी विनती है।

दूसरा, जिस तरह से खनिज का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लखपति, अरबपति सेठों को बना रहे हैं, परन्तु यह जो खनिज सम्पदा है, कभी न कभी इसका सेच्युरेशन पाइंट आएगा। तो इसके बाद आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इस पर भी हमें चिन्तन करना पड़ेगा। तो आप उसकी भी कोई सीमा निर्धारित करें कि इतना खान का दोहन होना चाहिये।

तीसरी बात, खनन कार्य के बाद व्यवसायी लोग उन खानों को इतना गहरा खोद देते हैं। प्रकृति निश्चित रूप से विद्रोह करती है। यह आप और हम सब जानते हैं तो इन गहरी खानों को उन खनन व्यवसायियों से ही वापस भराने की आप व्यवस्था करिये। इतनी गहराई पर ले जाकर के वे छोड़ देते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र के चाहे मवेशी या इंसान हों, एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष सैंकड़ों की संख्या में मरते हैं। इसमें कुछ पाबन्दी होनी चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा : इसी तरह से उद्योग के मामले में संक्षेप में निवेदन करूं। उद्योग अधिकतर जिला हैड क्वार्टर पर या सम्भागीय हैड क्वार्टर पर ही कम्पैक्ट वे में स्थापित हो रहे हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि उनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। यह मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। वैसे मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे क्षेत्र के कई उद्यमी चाहे वे कर्नाटक में हों, आन्ध्र में हों, गुजरात में हों महाराष्ट्र में हों वहां जाकर उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होने से वे चाहते हुए भी उद्योग वहां पर नहीं लगा पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने भी मेरे क्षेत्र को देखा था, मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भी आप उद्योग के लिये स्थान आरक्षित करायें, जो सुविधाएं आवश्यक हैं, वे वहां पर विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो उद्यमी बाहर जाकर के जिस परेशानी में अपना उद्योग चला रहे हैं, उन्हें जो तकलीफ होती है, उन्हें भी राहत मिलेगी।

इसी तरह से उद्योग में भी मैं यह चाहूंगा कि उद्योग में भी कोई निश्चित मानदंड तय करके स्थानीय लोगों को छोटे-छोटे उद्योग, जिसमें खादी–ग्रामोद्योग का तो प्रचार आपने बहुत किया ही है पर अन्य भी जिसमें लोकल, जैसे जो दस्तकार अपने जो उद्योग डवलप करते हैं, उनको भी आप प्रोत्साहन देंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलजी कोली।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं पहले बोलना चाहता हूं।

(२५१)

श्री अध्यक्ष : हां, आपका आ रहा है, एक मिनट। आप पहले बोलना चाहते हैं, चलिये, आप बोल लीजिये। कोई बात नहीं, आप नहीं थीं, वापस बुलवा लेंगे दो-दो मिनट। कृपया फरमाये। पांच-पांच मिनट सब बात कहें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योग और खनिज के विषय में चर्चा हो रही है। मैं भूमिका नहीं बांधते हुए सीधी मेरी बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की उद्योग और खनिज नीति के कारण राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना, जिसके कारण प्रवासी भारतीय और राजस्थान के प्रवासियों का यहां आना-जाना प्रारम्भ हुआ और एक सम्भावना बनी कि हमारे यहां उद्योग लग कर, यहां के खनिज के आधार पर यहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है और राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। इस सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में यहां के उद्योगों को संरक्षण देने के लिये वाणिज्यिक कर, बिक्री कर में भी राहत दी, जिससे यहां कई उद्योग अच्छे ढंग से पनप सकें। मेरे पश्चिमी राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में हैंडीक्राफ्ट का उद्योग बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस से करीब 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री महोदय के प्रयास से हैंडीक्राफ्ट को बिक्रीकर से मुक्ति दी गयी, जिसके कारण इस उद्योग को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला और आज मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में, विशेष कर सीमान्त क्षेत्र के गांव और ढाणी में जो छोटे-छोटे कारीगर और दस्तकार हैं वे इस काम में लगे हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इसके कारण सुधरी है। इसमें एक लाख परिवार लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन और संरक्षण दिया है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय उद्योग मंत्रीजी के प्रति अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, उसके बाद मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में बड़े-बड़े उद्योग आएंगे और लगेंगे परन्तु हमें एक और दृष्टि डालनी पड़ेगी, वह है हमारे यहां के छोटे उद्योग। कृषि उत्पादन आधार पर जो उद्योग राजस्थान में लगे हुए हैं, विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान में लगे हुए हैं, जिनमें ग्वारगम, दाल मिलें, तेल मिलें और उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। पश्चिमी राजस्थान में करीब 50 ग्वार मिल की जो फैक्ट्रियां हैं, वे बन्द हो चुकी हैं। ग्वार मिल फैक्ट्रियों के कारण, अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में इनकी मांग है और उसके कारण हमें करीब 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह जरूर घोषणा की है कि शत-प्रतिशत जो हमारी नयी एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयां लगेंगी उनको हम टैक्स से मुक्ति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी को मेरा यह निवेदन है कि जब पुरानी इकाइयां ग्वार की बन्द हो रही हैं और नयी इकाइयों को आप चाहे कितना

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

भी प्रोत्साहन दें, वह लग नहीं सकतीं। इसलिये इस बात पर आप पुनर्विचार करें। हमारी पचास इकाइयां बन्द हुई हैं और आस-पास के जो हमारे प्रदेश हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उनमें यह इकाइयां ग्वारगम की लग रही हैं, जिसके कारण हमारा और उनका कम्पीटीशन हो रहा है। साथ में पाकिस्तान में ग्वारगम का उद्योग तेजी से अन्तरराष्ट्रीय मार्केट पर चल रहा है। इस सारी बात को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्वारगम उद्योग को, पूरे ग्वार को वाणिज्यिक कर, बिक्री कर से मुक्ति दी जाए और इसको संरक्षण प्रदान किया जाए।

साथ ही साथ हमारे यहां जो दाल मिलें लगी हुई हैं, तेल मिलें लगी हुई हैं, उनको भी संरक्षण देने की जरूरत है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर अभी आया नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह दाल मिलें हैं, यह जो तेल मिलें हैं, उनको यदि आपने संरक्षण नहीं दिया तो यह उद्योग धीरे-धीरे बन्द हो जाएंगे। यह उद्योग पास के प्रदेशों में चले जाएंगे और हमारे यहां के किसान की उपज का पूरा लाभ उसको हमारे प्रदेश में नहीं मिलेगा। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारी तेल मिलें और दाल मिलें बन्द हैं, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। हमारे किसानों का जो प्रोडक्शन है, वह बाहर जा रहा है। उससे हमारी कृषि मण्डी का जो भी रेवेन्यू है, उसका भी नुकसान हो रहा है और उसका जो प्रोडक्शन बनकर आकर बिक रहा है, उससे हमारे सेल टैक्स का नुकसान हो रहा है। इसको टैक्स से पूरी मुक्ति नहीं दी गयी तो यह उद्योग आगे चलने वाला नहीं है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप माननीय मुख्य मंत्रीजी तक मेरी यह बात पहुंचायें। इस बात को वे देखें। नये उद्योग चाहे कितने ही लग जाएंगे पर पुराने उद्योगों पर जो हमारा रोजगार आधारित है और किसानों को उनका पूरा-पूरा लाभ मिले, इसके लिये आपको इस बात की ओर देखना पड़ेगा।

दूसरी बात, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हैंडीक्राफ्ट में आपने बिक्री कर की छूट दी। पर हैंडीक्राफ्ट का गांव और ढाणी से जो अपना माल बनाकर लेकर आते हैं उसको सेल टैक्स वाले बड़े परेशान करते हैं। उसको पूछते हैं कि यह कहां से बनाकर के लेकर आया है। वह कहता है, यह तो मैं हैंडीक्राफ्ट में जाकर बेचूंगा। उसके कारण उसके ऊपर बड़ा दबाव डालते हैं और गलत टेक्टिक्स करके उनसे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप जोधपुर पधारे थे तब हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ने आपको ज्ञापन भी दिया था। उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हैंडीक्राफ्ट के अन्दर जो वस्तुएं आ रही हैं, उनकी विदेशों में मांग है और बाहर अन्य प्रदेशों में मांग है, उसके लिये आप संरक्षण प्रदान करें। जिससे यह सैल टैक्स के अधिकारी उनको परेशान नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जोधपुर में इण्डस्ट्रियल एरिया चार हैं और एक इण्डस्ट्रियल एरिया आप बोरानाड़ा में और बनाने जा रहे हैं। वहां किसानों की

244

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

भूमि है और किसानों की बस्ती बसी हुई है, आप उस भूमि का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। भूमि का अधिग्रहण करने के बाद किसानों को उस भूमि का बाजार की दर के अनुसार पैसा नहीं दे रहे हैं। एक ओर तो आप किसान की बस्ती उजाड़ रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि शहर के आस-पास जहां उद्योग लगाने के लिये आप भूमि ढूंढ रहे हैं, शहर बहुत बड़ा हो रहा है पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ेगा इस कारण शहर के बाहर सैटेलाइट इण्डस्ट्रियल टाउन आप बनायें, उससे आपका शहर पर्यावरण के हिसाब से संरक्षित भी रह सकता है। और किसानों की जो आस-पास उपजाऊ भूमि है जिससे शहर में सब्जी और फल आदि आते हैं उसको उससे आप बचा सकें और किसानों के रोजगार पर, पेट पर लात नहीं मारें। यह भी मेरा आप से निवेदन है।

इसके साथ-साथ जोधपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया का जिस प्रकार से विकास किया गया है उसके लिये माननीय उद्योग मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां हमारी समस्या का समाधान किया। जोधपुर के उद्योग बासनी प्रथम फेज और दूसरी फेज के अन्दर आज उद्यमियों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, फिल्टर पानी नहीं मिल रहा है इसके लिये मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को इसलिये धन्यवाद दूंगा, इन्होंने आदेश दे दिया, इसी वर्ष पानी देने की व्यवस्था करेंगे। 45 लाख रुपये आपने पी.एच.ई.डी. में जमा करवा दिये इसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाइप लाइन जल्दी से लग जाए जिससे उद्यमियों को पानी की सुविधा मिले।

इसके साथ-साथ जो हमारा मंडोर इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण को हटाने के लिये कई बार रीको के अधिकारियों से निवेदन किया, उन्होंने नहीं हटाया, उन अतिक्रमणों को हटायें जिससे जिनको प्लाट अलाट हैं उनको प्लाट मिल सकें।

साथ ही मेरा यह निवेदन है कि आप जोधपुर और जयपुर के साथ भेदभाव करते हैं। जोधपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर शहर के अन्दर आपने एक वरिष्ठ अधिकारी आपका लगा रखा है। इसके साथ जहां 5 इण्डस्ट्रियल एरिया है, ग्रामीण एरिया भी उसमें लगता है उसमें भी रीको का जो वरिष्ठ आर.ओ. होता है उसको आप लगायें, जिससे वहां की देखभाल ढंग से हो सके, ढंग से विकास हो सके, इसकी मांग की पूर्ति हो सके।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं कि जोधपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अन्दर आज जो सुविधाएं हैं, वह सब तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिये। सड़क की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, यह पूर्ति आप जल्दी करायें, वहां का विकास करायें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप के खनिज से क्या लेना-देना है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरे यहां खनिज ही खनिज है।

श्री अध्यक्ष : चलिये, चलिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सैंड स्टोन बहुत है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे जोधपुर में सैंड स्टोन है जिसकी मांग देश और विदेश में काफी अधिक है और आपने जोधपुर का छीतर पैलेस देखा होगा, वह जोधपुर के पत्थर का बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का फिदुसर का खनिज क्षेत्र, मंडोर का खनिज क्षेत्र और शेरगढ़ के बालेश्वर का खनिज क्षेत्र है। जहां करीब 50 हजार खानें हैं और करीब दो-ढाई लाख परिवार उन पर निर्भर करते हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पत्थर की मांग थी, पहले हाउसिंग बोर्ड में वह ही हमारे जोधपुर की पट्टी लगा करती थी, सरकारी भवन में वह पट्टी लगा करती थीं, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग और हाउसिंग बोर्ड ने यह तय कर लिया कि जोधपुर की पट्टी नहीं लगेगी जिसके कारण जोधपुर की पट्टी की मांग कम हो गयी है....

श्री अध्यक्ष : विधान सभा भवन में लग रही है अभी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : और उसके कारण वहां पर जो हजारों लोगों का रोजगार है, वे संकट में आकर खड़े हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जोधपुर के आस-पास के गांवों में, जोधपुर के आस-पास के क्षेत्रों में जहां बीकानेर तक जोधपुर की पट्टी जाया करती थीं, उसमें टेक्निकल हिसाब से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, उसका उपयोग सरकारी भवनों में होना चाहिये। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

साथ ही खनिज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर का इतना व्यापक खनिज क्षेत्र है, उसके विकास के लिये आज तक पैसा नहीं लगाया गया। जोधपुर से रायल्टी आती है, जोधपुर से राजस्व आता है उसके बाद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया।

माननीय खनिज मंत्रीजी, मैंने आपसे कई बार पत्र लिख कर निवेदन किया है कि जोधपुर के अन्दर 1956 में एक खनिज क्षेत्र घोषित किया गया था और 1982 के अन्दर 80 लोगों को खानें आबंटित कर दी गयी थीं, उनको आज तक वह खानें नहीं मिलीं। उसका किराया आज तक जमा हो रहा है। आबंटनकर्ता के, विभिन्न न्यायालयों में उनके पक्ष में फैसले हो गये, उसके बाद भी खनिज विभाग उन अतिक्रमणकारियों को अपना संरक्षण प्रदान कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के सारे लोग जो 1982 से इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि हमारा अधिकार कब मिलेगा, माननीय खनिज मंत्रीजी, इसकी ओर आप ध्यान दें।

इसके साथ-साथ जोधपुर जिले में लाइम स्टोन और अन्य खनिज हैं जिनके बारे में वहां उद्योग लगने की सम्भावनाएं हैं, उनके उद्योग लगने चाहिये। मैं उद्योग मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा, यह बात मैं भूल जाता, मिनी सीमेंट प्लांट जो बहुत तेजी से सारे राजस्थान में लगे थे और पश्चिमी राजस्थान में भी लगे हैं, पर आज मिनी सीमेंट प्लांट का क्या भविष्य है? यदि इस पर भी हमने संरक्षण नहीं दिया तो यह मिनी सीमेंट प्लांट भी धीरे-धीरे बन्द हो जाएंगे। सब से ज्यादा यहां की जो

246

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

पर्यावरण नीति है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वह आपकी औद्योगिक नीति के विपरीत काम कर रहा है, वो एक-दूसरे के सहयोगी बन कर काम करते, दिशा-निर्देश देते कि पर्यावरण संतुलन के क्या-क्या काम करने चाहिये। उद्योग बन्द कर देते हैं और उद्योग बन्द करने के कारण गरीब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है, उद्यमियों को भी भारी नुकसान होता है। यह सारी चीजें हैं। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पर्यावरण मंत्री और आप दोनों तालमेल करके कि किस प्रकार से पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है और उसके साथ साथ उद्योग-धंधे कैसे चल सकते हैं, उस प्रकार की नीति बनायें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलजी। बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं।

श्री कमल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, खनिज तथा उद्योग के बारे में जो चर्चा यहां चल रही है उसके सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं का यहां जिक्र करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन के पत्थर के जो व्यापारी हैं उन पर आज-कल रायल्टी की दोहरी मार पड़ रही है। हिण्डौन में जितना भी पत्थर आता है वह सब रायल्टी पैड आता है। उसके बाद जब वो वहां से आगे व्यापारियों के द्वारा खरीद कर ले जाया जाता है तो उस पर बयाना में दुबारा रायल्टी ली जा रही है। इसके लिये मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था, परन्तु अभी तक इस पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगायी जाय।

हिण्डौन की जो सैंड स्टोन की खानें हैं उनमें एप्रोच रोड की बहुत कमी है, मेरा यह निवेदन है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में एप्रोच रोड बनायी जाएं। दूसरा, वहां डाकुओं का भी आतंक हमेशा बना रहता है और जिससे वहां पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण होता है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर जो अस्थायी चौकी बार-बार लगायी जाती है और उसके विभिन्न बहाने बना कर, कभी कैलादेवी का मेला है, कभी महावीरजी का मेला, कभी और परेशानियों के कारण हटा ली जाती है इससे भी वहां स्थायी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है। अतः मैं खनिज मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप गृह मंत्री भी हैं, वहां जो आर.ए.सी. की चौकी लगती है उसको स्थायी किया जाए जिससे उनकी सुरक्षा का माकूल उपाय हो सके।

अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन क्षेत्र में ऐसे बहुत से ट्रेक्टर हैं जो कि किसी निजी कार्य के लिये खरीदे गये और पंजीकृत कराये गये। उनमें से अधिकतर ट्रेक्टर खनिज दोहन के काम में लाये जाते हैं या तो उन पर पाबन्दी लगायी जावे, नहीं तो उन पर जो कर सरकार को लिया जाना चाहिये, पूरा लिया जाए।

(श्री कमल)

उद्योग के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हिण्डौन में रीको एरिये में प्लाट उपलब्ध नहीं हैं। वहां जो उसके विस्तार के लिये कार्यवाही चल रही है उसको शीघ्रता से किया जाए जिससे कि जो उद्योग लगाने चाहें उनको जल्दी से प्लाट मिल जाएं और वो अपना उद्योग लगायें।

दूसरा उद्योग लगाने के लिये जो लोन लेकर उद्योग लगाना चाहते हैं उनको रैंड टेविज्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके कारण बहुत से व्यक्ति बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं जिससे उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हिण्डौन में ज्यादातर पत्थर के उद्योग लगाये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि दूसरे उद्योगों को भी प्रोत्साहिन दिया जाये जिससे वहां का विकास हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बहुत अच्छा। श्री राकेश जी मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-42 उद्योग विभाग पर जो आज चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि देश में अगर कोई विश्व विख्यात मार्बल मण्डी है तो वह मकराना का औद्योगिक क्षेत्र है। आज से छह महीने पहले नागौर में मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे नागौर जिले के अधिकारियों और व्यवसायियों को बुलाकर उद्योग मंत्री जी ने विचार-विमर्श किया और उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कल्याणकारी मीटिंग ली। मैंने वहां भी उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि मकराना का औद्योगिक क्षेत्र विश्व विख्यात है, आज देश के कोने-कोने से यह प्रचार, यह मैसेज आप देते हैं कि आप राजस्थान में आकर उद्योग लगाइये। उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विदेश भी इसलिए आप गये थे कि विदेशों में जो राजस्थानी भाई हैं, उनको यह कहा कि राजस्थान में मकराना में आकर मार्बल उद्योग लगाइये।

आज से पचास साल पहले जो डायमण्ड जर्मनी और इटली की लगी हुई थी उसके बाद से वहां आज एक भी डायमण्ड मकराना में नहीं लग रही, जो पहले की लगी हुई है वही लगी हुई है। उसकी कास्ट ज्यादा है। लेकिन मकराना में आज 20 लाख में डायमण्ड बन रही है लेकिन लगाने वाला कोई नहीं हैं। इसका कारण औद्योगिक क्षेत्र में आज से बीस साल पहले बनी हुई सड़कें, गन्दे नाले, पाण्डु डालने की जगह नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। आठ घण्टे लाइट आती है और वह भी बार-बार ट्रीप हो जाती है। मैंने पहले भी आपसे यह निवेदन किया था कि इस औद्योगिक क्षेत्र में रीको की जो भी सड़कें हैं उनको ठीक कराया जाए। एक सड़क स्वीकृत हुई थी, परन्तु 12 महीने तक तो वह बनी नहीं। पत्थर डाले थे, वह बारिश में साफ हो गये। उस समय आपने यह निर्देश दिया था कि तुरन्त इस औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें बनायी जाएं लेकिन आज तक भी नहीं बनीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये इस औद्योगिक क्षेत्र में 132 के. वी. जी. एस. एस. नया स्थापित किया जाए और सड़क, पानी और बिजली

(248)

(श्री राकेश मेघवाल)

की समस्या दूर की जाए। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप औद्योगिक क्षेत्र तो घोषित कर देते हैं लेकिन उसमें काम करने वाले गरीब तबके के श्रमिक लोगों को वहां कोई राहत नहीं मिलती। न वहां कोई स्कूल की व्यवस्था है। न कोई दवाई के लिये हास्पिटल है। अगर डायमण्ड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो पन्द्रह किलोमीटर तक उसको ले जाना पड़ता है तब तक वह मौत का शिकार हो जाता है। इसलिये आगे आप जो भी औद्योगिक क्षेत्र खोलें तो उन श्रमिकों के लिये इस इण्डस्ट्रीज एरिये में स्कूल होनी चाहिये, हास्पिटल होना चाहिये और खाने-पीने का छोटा-सा मार्केट भी होना चाहिये।

खनिज मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां भी माइंस एरिया है उस एरिये में चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर तक कोई हास्पिटल नजर नहीं आयेगा, कोई स्कूल नजर नहीं आयेगा। इसलिये गृह मंत्री महोदय आप अनुसूचित जाति के हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आ गयी न आपकी बात कि आपके यहां रोड नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट हुए हैं और यह जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान में ही नहीं, विश्व में जो मार्बल मंडी है, वह मकराना है। मकराना मार्बल के नाम से जाना जाता है, उस मकराना के लिये आप समय ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समय दे रहा हूं पर आप इधर-उधर की बातें नहीं करें। क्या-क्या चाहियें वह बताइये आप।

श्री राकेश मेघवाल : इधर-उधर की नहीं कर रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत भवन बनाकर दे दें। यदि खनन व्यवसायी हैं तो स्कूल और अस्पताल खोल दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब सजेशन दे दें।

श्री राकेश मेघवाल : इधर-उधर की बात नहीं है। आप खुद देखें। खानों पर आप गये हुए हैं। पचास किलोमीटर, के एरिये में कहीं हास्पिटल देखा, आपने कहीं स्कूल देखा। हमारे गरीब तबके के अनुसूचित जाति के भाई लोग उसमें मजदूरी करते हैं, जनजाति के लोग करते हैं, गरीब तबके के लोग करते हैं और सभी समाज के गरीब तबके के लोग उसमें मजदूरी करने जाते हैं। क्या उनके बच्चों को पढ़ने के लिये प्राइमरी या सैकण्डरी स्कूल मिलती है, क्या पट्टी और पत्थर से लग जाती है, पट्टी बांधने को हास्पिटल मिलता है? आज जो बड़ी-बड़ी औद्योगिक कम्पनियां हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनके पास में हास्पिटल मिलेगा। उनमें पहले से यह योजना रखी जाती है कि स्कूल होगा आदि।

(श्री राकेश मेघवाल)

आज राजस्थान में खनिज ही ऐसा उद्योग है जो राजस्थान का महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें यह सुविधाएं आप नहीं दे रहे हैं। उद्योग मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसे विश्व विख्यात मार्बल मंडी विदयात के अलावा एक और औद्योगिक क्षेत्र मकराना, परबतसर और कुचामन में रीको का नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। इससे पहले भी मैंने बार-बार निवेदन किया था। आपने आश्वासन भी दिया था कि परबतसर में नये औद्योगिक क्षेत्र के लिये जमीन अलॉट कर देंगे और औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देंगे। किन्हीं कारणों से वह जमीन मिल नहीं पायी। इसमें मुख्यतया आप ध्यान देवें। उद्योग मंत्री जी, आपका खुद का स्वयं का जिला है इसलिये इस जिले पर विशेष गौर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू जिला है इनका तो।

श्री राकेश मेघवाल : चूरू जिले से तो यह जीते हैं। नागौर जिले के डीडवाना तहसील के रहने वाले हैं। खुद का पैतृक गांव डीडवाना है और खुद का जिला नागौर है, श्री मामड़ा जी का।

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी। कृपया समाप्त करें अब।

श्री राकेश मेघवाल : एक मिनट और। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलो न अब। इधर-उधर की बात मत करो। अब आप ज्यादा बात नहीं करें।

श्री राकेश मेघवाल : उधर पौन-पौन घंटा बोल रहे थे! सब्जैक्ट थोड़ा सीरियस है, आप बीच में टोका-टोकी नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : टोक नहीं रहा हूं। आप इधर-उधर की बात नहीं करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग और खनिज दोनों मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

दोनों मांगे पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है। बहुत जल्दी हो रहा है काम। बोलो आप।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर अग्रेतर विचार

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने खनिज नीति 1994 की घोषणा करते हुए उद्योगों को अनेक सुविधाएं प्रदान कीं। राजस्थान की भूमि पर 42 प्रकार के प्रधान खनिज तथा 23 प्रकार के अप्रधान खनिज उत्पन्न होते हैं जिन पर अनेक उद्योग पनप रहे हैं जैसे संगमरमर, मार्बल, कोटास्टोन, पट्टियां और कातले, देश के अप्रधान खनिजों की सम्पदा में कुल मूल्य का लग-

(श्री राकेश मेघवाल)

मग 30 प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है। 1993 की राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में राजस्थान की उदारीकरण की नयी नीति एक कदम है। इसके लिये राजस्थान सरकार और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत और राजस्थान के खनिज मंत्री, श्री कैलाश जी मेघवाल इस राजस्थान की नहीं बल्कि इस देश की जनता की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की धरती में इतने अथाह खनिज के भंडार हैं जिप्सम, लाइम स्टोन आदि जिनके आधार पर सीमेंट उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है। राजस्थान के अनेक इलाकों में मार्बल ग्रेनाइट स्टोन निकलता है, अनेक देशों में जाता है और राजस्थान का नाम विदेशों में विख्यात है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। इधर-उधर की बात नहीं करें। बैठें आप। I am not allowing you. श्री मदन मोहन जी।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मार्बल.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका आ रहा है बैठें आप। दो मिनट बैठें। I am not allowing yon.

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेन समस्या है।

श्री अध्यक्ष : वह मेन समस्या बोलने वाले होते तो अब दस मिनट हो गये।

श्री राकेश मेघवाल : अच्छा, मेन बोल देता हूं। इधर-उधर की बात नहीं करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दो मिनट (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : चलिये अब। सारी रात नहीं बैठेंगे।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिराजें आप।

(21.00)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय मकराना में माता माइंस पर सड़क नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बात बोलें आप काम की बोल ही नहीं रहे हो इधर-उधर की बातें कर रहे हो।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कोला डूंगरी माइंस रोड बनाने की कृपा करावें। माननीय गृह मंत्री जी जब परबतसर और मकराना पधारे थे तो उन्होंने मकराना कांटा और विदयात कांटा की घोषणा की थी। मकराना कांटे का सामान तो वहीं का वहीं सड़क पर पड़ा है लेकिन विदयात का सामान अभी पहुंचा नहीं और पूरे राजस्थान में मकराना में ही यह एक कांटा है जिससे यह मार्बल तोला जाता है।

आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिये अध्यक्ष

(श्री राकेश मेघवाल)

महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जो मार्बल लगाया जाता है उसको टैक्स और रायल्टी से फ्री किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मकराना में खनन माफिया गिरोह के साथ रोजाना झगड़े होते हैं, मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि उन विवादों को निपटाने के लिये और खान विभाग के लिये एक पुलिस की चौकी खोली जाए ताकि मकराना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिले।

देश के कोने–कोने में गुरुद्वारों में और मन्दिरों में मार्बल की जो मूर्ति लगती हैं वह कहीं के पत्थर की नहीं लगती सिर्फ संगमरमर के पत्थर की ही लगती है इसलिये उसके हैण्डीक्राफ्ट्स और जितने भी स्टेच्यू, मार्बल की मूर्ति हैं, उनको टोटली टैक्स फ्री किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक अतिक्रमण की बात मैं बता देता हूं। अभी मकराना में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाया गया और सड़क सीमा के पचास फीट इस साइड में, और पचास फीट उस साइड में इस तरह सौ फीट में करोड़ों रुपये की भूमि और भवनों पर कब्जा हटाया गया था, अतिक्रमण हटाया गया था। एक माइंस विभाग का लैटर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, सबने अपने मकान तोड़ लिये, लाखों रुपये की बिल्डिंग्स तोड़ लीं, मार्बल हटा लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन मकराना बोराबड़ रोड पर स्थित स्टेट हाइवे नम्बर दो पर खानों में सड़क सीमा पर हो रहे खनन कार्य बाबत, एक सड़क सीमा को छोड़कर दीवार बनाने बाबत।

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं? आप तो 295 पढ़ने लग गये।

श्री राकेश मेघवाल : एक नोटिस है, सर।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला प्रशासन नागौर, दि. 14.6.96 आपके पक्ष में स्वीकृत खान संख्या 49 खननं कार्य सड़क के मध्य बिन्दु से नापकर अंकित 50 फीट के निशानांत तक आप तुरन्त प्रभाव से खनन कार्य बन्द करें। अत: उक्त क्षेत्र में यदि कोई मशीनरी इत्यादि पक्का निर्माण हो तो तुरन्त प्रभाव से हटावें साथ ही खान क्षेत्र का जिला प्रशासन नागौर द्वारा लगाये गये मार्बल के ऊपर दीवार पक्की सीमेंट चिनकर निर्माण कार्य के तहत निशान....

श्री अध्यक्ष : यह क्या पढ़ रहे हैं आप? आप बताइये कि क्या चाहते हैं, आप इतना लम्बा क्या पढ़ रहे हैं? बिराजें आप।

श्री राकेश मेघवाल : ....ध्यान रहे कि निर्देशों, पालना एवं चेतना प्राप्ति के पन्द्रह दिवस में पालना नहीं किये गये। राजस्थान अप्रधान खनिज नियम के पक्ष में खान खारित कर दी जाएगी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री मदन मोहनजी।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, खान नम्बर 49, 50, 119, 132, 133, 49, 44/1, 45/1, 47, 42/सी और 42 डी, इनकी 15 दिन की अवधि खतम

(श्री राकेश मेघवाल)

हो गयी। अध्यक्ष महोदय, इनको सड़क सीमा से खालसा करके या सड़क सीमा में पिलर चिनकर, नहीं तो हजारों लोग रोज आते हैं, जाते हैं, तीस-तीस टन के ट्रक भरकर रोज इस सड़क से गुजरते हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की सौ बसें इस रूट से गुजरती हैं, कोई हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी खनिज विभाग की होगी। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहनजी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में उद्योग विभाग और खनिज विभाग की मांगों के ऊपर जो चर्चा हो रही है, मैं भी इन मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए जिससे कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके।

दूसरा, उद्योगों में क्षेत्रीय लोगों की प्राथमिकता के आधार पर उनको रोजगार दिया जाए जिससे वहां के किसानों के बेटे बेरोजगारी से पीड़ित न हों।

अध्यक्ष महोदय, जो जमीन उद्योगों के लिये दी जाती है उस जमीन को बेचने के लिये पट्टा प्रणाली लागू की जाए, इनका बेचान न हो। केवल पांच साल या दस साल के लिये पट्टे पर दी जाए जिससे कि किसानों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अधिग्रहण के मामले में दो ही शब्दों में निवेदन करूंगा। जिस तरह से अलवर में एग्रीकल्चर लैण्ड का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण के लिये भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको के द्वारा जिस तरह से किसानों का खून निकाला जा रहा है, वहां पर किसानों को भूमि का जो रेट दिया जा रहा है वह पचास, साठ और सत्तर हजार रुपये बीघा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहीं से लगती हुई हरियाणा की सीमा पर लगभग डेढ करोड़ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मिलती है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हरियाणा के अन्दर आने वाले उद्योगपतियों से किसानों को सीधे बात करने का मौका मिलता है यहां से भी इस रीको विभाग को खतम करके किसानों को सीधे सम्पर्क में आने दिया जाए जिससे इन किसानों का शोषण नहीं हो सके और उनको न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली से 168 प्रदूषित इकाइयां निकाली गयी हैं, 9037 इकाइयां पिछली बार निकाली गयी थीं और राजस्थान में करीब पच्चीस हजार इकाइयों का पंजीयन किया गया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस तरह से 9037 प्रदूषित इकाइयां दिल्ली से निकाली गयीं और इस बार अभी तीन चार दिन पहले 168 को निकाला गया है तो, अध्यक्ष महोदय, क्या दिल्ली में ही लोग बसते हैं? वहां के नजदीक एन.सी.आर. का क्षेत्र है उसमें लगाने की जो बात कही है उसके अन्दर यू.पी; हरियाणा और राज-

(श्री मदन मोहन)

स्थान की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान, हरियाणा और यू. पी. की सीमा के पास ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहां पर इन उद्योगों को स्थापित किया जाए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रदूषित इकाइयों को ज्यादातर अलवर जिले में स्थापित किया जा रहा है। मेरा माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इस तरह की इकाइयों को अलवर में अधिक स्थापित नहीं किया जाए जिससे की एग्रीकल्चर लैण्ड बरबाद नहीं हो और किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

अब मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी भूमि एग्रीकल्चर बैल्ट में अधिगृहीत हुई है उसके अन्दर आज तक के जो घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करायें, उनकी जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाए। जिस तरह से वहां के किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है, इन किसानों को बीस–बीस दिन के लिये 151 में बन्द करके उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और डेढ़–डेढ़ लाख के मुचलके पर उनको छोड़ा गया है, जिनके घर बुल्डोजर से तुड़वा दिये गये और वे बेघर पड़े हुए हैं, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, आप उन्हें बचा लीजिये।

आज आने वाला उद्योगपति तीन, चार सौ या एक हजार बीघा जमीन की मांग करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से पूछता हूं, एक उद्योग को लगाने के लिये एक सौ बीघा की जरूरत पड़ सकती है, डेढ़ सौ बीघा की जरूरत पड़ सकती है लेकिन डेढ़ हजार बीघा तक की कोई जरूरत नहीं होगी इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उद्योगों के आकार को देखकर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनावें कि उनको जमीन की जरूरत तो सौ या पचास बीघा की है और वह ले लें वहां पर पांच सौ या एक हजार बीघा।

एक और निवेदन करूंगा कि रीको ने जो बैंक बनाया है वह बैंक भूमि बैंक नहीं है। जो रीको की मार्फत बनायी गयी है वह किसानों के शोषण की बैंक है, इस बैंक को भी समाप्त कर दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार को, हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय को, जिनके पास उद्योग विभाग भी है और हमारे खनिज मंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने राजस्थान के विकास के लिये, बहबूदी के लिये खनिज और उद्योग नीति बनायी और उसका अनुसरण किया। मैं न तो उद्योगपति हूं और न ही मेरे पास खान है लेकिन मैं किसानों के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं और नागौर जिले के अन्दर जो पाबन्दी लगायी गयी है उसके सम्बन्ध में बात करूंगा। एक आदेश, माइंस ग्रुप-2 डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन, दिनांक 9 फरवरी 1987, यह लिखा कि नागौर जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला और जैसलमेर जिला ये चारों जिले एस. एम. एस. ग्रेड यानी स्टील ग्रेड के लाइम स्टोन के लिये रिजर्व किये जाते हैं। इसका मतलब राज्य सरकार

(श्री भंवर सिंह डांगावास)

के अन्दर इसके सारे हक निहित हो गये। यह 1987 में निकला, कौनसी सरकार थी यह ध्यान आप रखिये। फिर एक आदेश 1990 में निकला, 8.3.89 में इसके अन्दर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा तत्कालीन सरकार को प्रभाव में लेकर जोधपुर और पाली जिले को इससे अलग करवा दिया। खनन का बैल्ट स्टील ग्रेड, लाइम स्टोन का बैल्ट वो का वो है। बोरून्दा और पुनरू में कोई फर्क नहीं। पुनरू नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। बोरून्दा एडजाइनिंग विलेज है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही पाली डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं। इसमें एक और चाल की गयी। "एजेण्ट" वर्ड यूज किया, वहां गवर्नमेंट नहीं, खनन कौन करेगा। **'The existing notification dated 9th February, 1987, will continue to operate for Jaisalmer and Nagaur districts, only in favour of the State Government or its agent; अब स्टेट गवर्नमेंट** वहां थी। अब 'एजेण्ट'।

दूसरा, अब मैं निवेदन करूं, तीसरा आदेश मैं पढ़ ही देता हूं। इसकी मंशा कुछ ठीक थी लेकिन इसमें शब्द ठीक यूज नहीं किये गये। हमारी सरकार ने 15 नवम्बर, 1995 को एक आदेश निकाला कि कोई भी खनन कार्य जमीन के ओनर की इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। यह 'ओनर' शब्द जो यूज किया गया है इसके बजाय "टीनेंट" शब्द होना चाहिये था। सारी भूमि सरकार में निहित है। ओनर सरकार है, टीनेंट को कोई अधिकार नहीं मिले सिर्फ ओनर को मिले लेकिन मंशा यही है कि काश्तकार से इजाजत लेकर वहां खनन किया जा सकता है। इन आदेशों के बावजूद इनके पास में, उद्योगपतियों के पास में एक हथियार है प्रिलिमिनरी लीज। एक स्कीम बनाकर दी यहां हम उद्योग लगाएंगे। वहां पचास-पचास किलोमीटर की जमीन चाहे वह खातेदारी की हो और चाहे सरकारी हो, उस सारी का लीज ले लिया और लेकर दस साल तक चाहे उस जमीन को खनन के लिये उपयोग में न लें, लेकिन उसमें काश्तकार, जैसा कि उन्होंने छूट दी है, न तो खनन कर सकता है, न किसी दूसरे व्यक्ति को खनन के लिये अपनी सहमति दे सकता है। यह प्रिलिमिनरी लीज ज्यादा से ज्यादा एक उद्योग को लगाने के समय को गिनते हुए साल भर; दो साल, 1800 या दो हजार रुपये देकर के एक साल के लिये लीज रिन्यू होती जा रही है। दस-दस, बारह-बारह साल से हो रही है। उसमें काश्तकार अपनी जमीन में भी खनन करना चाहे तो प्रिलिमिनरी लीज के बाद वह खनन नहीं कर सकता।

मैं एक और निवेदन कर दूं। नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इनमें अथाह जिप्सम है और उसके खनन के लिये जो खेत का मालिक है उसको अधिकार दिये जाएं। यद्यपि यह रूल्स ओनर जो शब्द लिखा है इसलिये काम नहीं आएंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : दो मिनट और। अन्तिम निर्णय, खनिज मंत्री महोदय, काश्तकारों को यह मालूम ही नहीं है कि इसके नियम क्या हैं, सब अनपढ़ हैं। वह तो यह समझते हैं कि सरकार की जमीन

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

हो गयी और जो भी खनन करने वाले हैं उनको अधिकार है और उन्हें अधिकार ही नहीं है। इन नियमों का सरल हिन्दी भाषा में तरजुमा करके अखबारों में छपवाया जाए ताकि काश्तकारों को यह मालूम पड़ जाए कि हमारे हक क्या हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : सिर्फ एक बात और मैं उद्योग मंत्री महोदय को कहूंगा इस साल जो दो प्रतिशत तिलहन पर कर लगा है, यह कर किसी भी मिल पर नहीं, किसी मिल ओनर पर नहीं, व्यापारी पर नहीं, पड़ते खाते के हिसाब से व्यापारी या मिल मालिक हमसे तिलहन खरीदेगा और दो प्रतिशत रेट काश्तकार को कम मिलेगी इसलिये काश्तकारों को हानि होगी। इसको विथड्रा करने की बात करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, राजस्थान के सन्दर्भ में औद्योगीकरण की बात को लेकर सुबह से यहां काफी चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में तो मैं कोई बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा लेकिन एक बात जो मेरे सामने आयी, एक पक्ष अभी तक बिलकुल अछूता है, मैं उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

भारतीय जनता पार्टी के आज दो मूल मंत्र हैं "स्वदेशी और स्वराज्य" इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब स्वराज्य की बात हम करते हैं तो ग्राम स्वराज्य को कैसे भूल गये? 1977 में उस समय की जनता पार्टी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, गांधी जी की समाधि पर बैठकर इन्होंने गांधी जी को अपना आराध्य देव माना था और आज जो हमारी औद्योगिक नीति बनी है और जिस प्रकार से इस प्रान्त का औद्योगीकरण किया जा रहा है, उद्योगों का विकास किया जा रहा है उसमें गांधीजी की भावना का कहीं भी कोई दिग्दर्शन नहीं है।

स्वराज्य की बात जब हम करते हैं तो ग्राम स्वराज्य तक हमें उसको ले जाना पड़ेगा। आज बड़े–बड़े उद्योग हो रहे हैं, होने चाहियें क्योंकि उद्योगों के हिसाब से हमारा प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन यदि हम ग्राम की इकाई को छोड़ देंगे, ग्राम की इकाई को उद्योगों के हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे तो इस देश का, इस प्रान्त का सही विकास नहीं हो पाएगा और न ही ग्राम इन औद्योगीकरण क्षेत्रों में अपने आप को समा जाएगा। ग्राम उजड़ जाएंगे और औद्योगिक बस्तियां बस जाएंगी।

अध्यक्ष जी, वेस्टर्न वर्ल्ड को हम देखते हैं, जहां-जहां औद्योगीकरण हुआ है, वहां-वहां गांवों का विनाश हुआ है और आज भी वह इस बात के लिये पछता रहे हैं। इसलिये मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांधी जी के स्वप्न को सामने रखें। इसलिये ग्रामों के समुचित विकास के लिये हमें काम करना चाहिये। ग्राम के उद्योग धंधे जो बिगड़ चुके हैं, उनको पनपाने की हमारी चेष्टा होनी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दूसरी बात है कि आज दिल्ली से हजारों-हजार

256

(श्री शिवनाथ सिंह)

उद्योग बाहर निकाले जा रहे और उन सभी की निगाह राजस्थान पर है। वह राजस्थान में आयें, सब ठीक है लेकिन उनका डी-सेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। भिवाड़ी एक ऐसा स्थान है जिसकी तरफ सबकी आंख है और यह सब वहां स्थापित हो गये तो फिर एक ऐसी समस्या आ जाएगी। इसलिये मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की प्लानिंग शुरू से करें। जितने भी उद्योग धंधे आयें हम इनको स्वीकार करें लेकिन उनको अलग-अलग बस्ती में पचास–साठ–सौ किलोमीटर की दूरी पर रखना चाहिये ताकि ग्रीन बैल्ट हमारा रहे और पशुधन नहीं बिगड़ पाये।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन उद्योगों में कुछ ऐसे हेजाड्र्स उद्योग भी हैं जिनके वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा अभी मकराना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं कह रहा हूं आपकी बात।

श्री राकेश मेघवाल : मकराना में तो, यह जैसे विधान सभा है इसके नीचे ही मार्बल निकाल रहे हैं। घरों के नीचे और सड़क के नीचे। गृह मंत्री जी स्पेशल कोई टीम भेजकर मकराना की खानों का सर्वे करवाएंगे तो आधी बस्ती के नीचे खाने खोद लीं। 90 डिग्री के एंगल में खाने खोदते हैं, 70 डिग्री एंगल में खाने खोदते हैं और सड़क के उस साइड में खानें खोद लीं, इस साइड में खोद लीं। अब पुल-पुल बाकी बचा है और कुछ नहीं बचा है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : इसी प्रकार के और उद्योग हैं जहां काम करने वाले कारीगर, मजदूर और उनके स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया जाए। आज बड़े-बड़े उद्योग बने हैं मेरे जिले में भी खेतड़ी कार्पर काम्प्लैक्स मेरे ख्याल से यह एशिया का सबसे बड़ा काम्प्लैक्स है और उसके आने की जब बात हुई हम बहुत खुश हुए थे, राजी हुए थे कि हमारे जिले को फायदा होगा, आज उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। एयर पाल्यूशन हुआ है, वाटर पाल्यूशन हुआ है, लोगों की फसलें बरबाद हो रही हैं इसलिये इस प्रकार के जो उद्योग पनपें हैं उनमें पर्यावरण का ध्यान पहले रखा जाए। यह क्या करते हैं कि पर्यावरण का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं उसके बाद उसका इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ भी हम ध्यान दें और जितने भी उद्योग आने वाले हैं, उन उद्योगों को डी-सैंट्रलाइज करके बचाया जाए।

ग्राम स्वराज की कल्पना जो गांधी जी के मन में थी उसको माननीय श्री भाभड़ा साहब साकार रूप में उतारेंगे, क्योंकि आपके भी आराध्य देव आज गांधीजी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी कि एक तो मेरा सुझाव यह है कि मकराना का जो मार्बल निकलता है वह मूर्तियों के लिये बहुत ही ठीक है, उसको ईयर मार्क किया जाए। उससे मकानों में काम आने वाली चीजें या चकला-बेलन आदि बनाना बंद किया जाए। कहीं ऐसा न हो एक समय ऐसा आये कि मूर्ति बनाने के लिये हमारे कारीगर हैं या जो हमारी आस्था है उसको कहीं आघात पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां भी बहुत निकलने लग गया अब तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसको ईयर मार्क करें। वह कहीं तो एण्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इस पर भी चिन्तन करना चाहिये। मेरा सुझाव है, पता नहीं आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे, पर मैं मेरी बात कहना चाहूंगी।

मान्यवर, अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य ने कहा कि ग्राम के उद्योगों को लें, मैं यह कहना चाहूंगी मंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने, इस बजट में कमीशन दिल्ली वालों ने बंद कर दिया है लेकिन हमारे यहां 30 लाख से बढ़ करके 1 करोड़ के टर्न ओवर पर भी कर की छूट दी गयी है। मैं कहना चाहूंगी कि हस्तशिल्प के मेले लगाये जाए, प्रदर्शनी लगायी जाए जिससे इनको काउण्टर मिल सके और अधिक हस्तशिल्प का प्रचार-प्रसार हो। राजस्थान का हस्तशिल्प दुनियाभर में प्रसिद्ध है, लोग आ-आ करके हमारे यहां की कारीगरी को देखते हैं और खरीदते हैं। यह किसी भी किस्म का हो, पीतल, चांदी, तांबा इन सब उद्योगों में हमारा कोई सानी नहीं है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगी। हमारी कपड़े की मिलें थीं, बन्द पड़ी हुई थीं, मैं नहीं जानती हूं उनमें कितनी खुल गयीं लेकिन निश्चित रूप से, मान्यवर, मंत्री महोदय उनके चालू करेंगे जिससे कि यहां पर सूती कपड़ा सस्ता मिल सके। चाहे वह पावर लूम हो, चाहे हैण्ड लूम हो, इन सब पर आप निगाह रखेंगे जिससे कि इसका प्रचार-प्रसार भी हो सके। यह एक दर्शन है, इसको अपनाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उद्योग के साथ-साथ बिजली पर अगर बातचीत हो जाती तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि अगर बिजली की कटौती होगी तो उद्योगों का कोई लेना-देना रहेगा ही नहीं। इन सबकी साथ में बातचीत होनी चाहिये थी लेकिन अलग से बातचीत की जाएगी, जैसी मंशा है सरकार की, जैसा वह चाहें।

मान्यवर, खनिज मंत्री भी यहां बैठे हैं, मेरे यहां साऊ में चीनी मिट्टी की खान है और रामगढ़ में इतनी बढ़िया खान है; उसका हल्का सा भूरा रंग है, बिलकुल व्हाइट तो नहीं है लेकिन उसका भी आप उपयोग करें तो बहुत अच्छा है साऊ वाली खान पर एक आदमी ने ऐसा विवाद खड़ा कर रखा है कि पूछो मत। उसको जरूर आप देख लें। मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर में हमारे 6 बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं, इनमें इतने सर्टिफिकेट लगाये जाते हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं। निरीक्षक आ-आ कर के कारखाने वालों को, उद्योग वालों को तंग करता है, उसका सरलीकरण करें। यह मैंने जानकारी प्राप्त की है। आप इसको निश्चित

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रूप से सरलीकरण की ओर ले जायेंगे, यह बहुत जरूरी है ।

पिछले दिनों जयपुर की जो खदान हैं, जो घाटगेट की खानें है या चेजा-पत्थर की खानें हैं, मेरे वन विहार कालोनी और इसके पीछे वेदपुरी में हैं, इनमें भूमि फिसलाव हुआ, मकान दब गये और आदमी मर गये तो इनमें देखा जाए कि उनसे कहीं और कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है । कहां से पोल आ गयी है, यह मैं नहीं कहती । मैंने पिछली बार भी आपसे आग्रह किया था कि मेरे सुमेल में पहाड़ियां हैं वहां भी आप चेजा पत्थर के लिये निर्देश दे सकते हैं । वहां से ले लेना । लेकिन जिस प्रकार नकादा में काम किया कि बाहर की कोई सहकारी समिति जाकर पत्थर तोड़ने लगे और उनके मकान बनाने की....

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवकिशोर जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो मिनट बोल कर मेरी बात समाप्त कर रही हूं ।

उस पर भी वह लीज लेने लगे, झगड़े की एक उत्पत्ति हो गयी । इस प्रकार करना हो तो मैं गलता के पीछे की पहाड़ियों के लिये नहीं कहूंगी, लेकिन, गलता के पीछे की पहाड़ियों की खुदाई करना चाहें तो वहां के गांव वालों को प्राथमिकता देकर उनकी सुविधाओं को देखते हुए सिर्फ शहर के लोगों की सुविधा के लिये आप बात-चीत करें । यह मैं कहना चाहूंगी ।

पहले गंगानगर शुगर मिल थी, वही हमारी जान को बला थी अब अलवर में इतने शराब के कारखाने खुल गये, पीने का पानी तो नहीं है लेकिन दारू पाउच में मिलती है, इन शराब के कारखानों से मंत्री महोदय, अपने आप को विरक्त करें । यह लोगों के लिये घर बरबाद करने की चीज है । इसकी कोई उपयोगिता बढ़ने वाली नहीं है । मैं निवेदन करूंगी आप से अपना मुंह मोड़ें और दूसरी तरह के कारखानें आप लगायें जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके । ....(व्यवधान)....हमारे इण्डस्ट्रियल एरिया से लेकर छओं इलाकों में अन्य चीजों की सुविधा की भी बहुत जरूरत है, सड़क, बिजली, पानी और जमीन की भी बहुत जरूरत है । लेकिन जहां बसी हुई कालोनीज हैं वहां पर, काशीपुरी में कारखानें लगे हुए हैं, वहां की जमीन को अवाप्त करके आप होटल उद्योग को देने जा रहे हैं । इस प्रकार की चीजों से लोगों को परेशान करने से आप थोड़ा बचाने की व्यवस्था करें । यह परेशानियां निश्चित रूप से बहुत परेशान करने वाली हैं । मैं प्रशंसा करती हूं कि आपने उद्योग में, कृषि में, व्यापार में इस बार बहुत कुछ छूट दी है, जैसे महिलाओं के काम में आने वाली मशीनें, इसकी मैं प्रशंसा करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीया, बिराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और चाहूंगी कि आप शराब के कारखानों को बन्द करें, और आगे ना खोलें ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खनिज मंत्रीजी ने 29 फरवरी, 1995 को यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये मार्बल एवं ग्रेनाइट में प्लाट्स का रिजर्वेशन, किया जाएगा जिससे समाज के कमजोर तबके के लिये आर्थिक सम्बल मिलेगा। मेरा निवेदन है कि इसमें पैसा बहुत चाहिये और जिन लोगों को आप देगें वह धीरे धीरे किसी पूंजीपति के पास पहुंच जाएंगे। इसलिये इनकी को-आपरेटिव्ज बनायी जाएं और इनके लिए प्रबन्ध किया जाए वित्त का, इसके लिए प्रबन्ध किया जाये नई तकनीकी का। आपकी जो घोषणाएं हुई वह इनके आर्थिक उत्थान में बहुत होगी। मैं इसके साथ-साथ एक आग्रह और करूंगा। यह जो ब्लाक्स हैं, इनके ऊपर आप रायल्टी लेते हैं, उनका उसमें बहुत-सा तो वेस्टेज निकल जाता है इसलिये अगर पाटिया, जो स्लेब्स कटते हैं, उनकी अगर आप रायल्टी लें तो ठीक रहेगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि छोटे कटर्स हैं, इन छोटे कटर्स से आप लम्प-सम रायल्टी वसूल कर रहे हैं इसकी वजह से छोटे कटर वाले अपने आपको बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं इसलिये आप मेहरबानी करके इस पर पुनर्विचार करें।

एक मेरा निवेदन यह है कि छोटे अखबारों में खबरें छपती हैं। आपका निदेशालय उदयपुर में है, उदयपुर के बारे में या राजस्थान भर में मीडिया जिस तरह की खनिजों के बारे में सूचनाएं देता है, खबरें छपती हैं इसलिए आप अपने यहां पर एक ऐसा ऑफिसर या एक ऐसा सेल बना दें। "प्रति दिन सेवा" दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 में जो मुख्य पृष्ठ पर "राजसमंद के खनन क्षेत्रों पर माफिया का कब्जा" शीर्षक से खबर छपी है। यह माफिया कौन है, आप तो गृह मंत्री भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी जो खबरें छपती हैं उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिये। और ऐसी जो खबरें छपती हैं वह केवल एक दिन ही नहीं छपती उसके ऊपर फोटो छपा है एक बिल का। इसकी जांच होनी चाहिये ताकि लोगों को विश्वास हो कि हम जो शिकायत करते हैं उन शिकायतों पर कुछ होता है। मैं उद्योग मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसी खबर में एक बिल छपा है। जिसकी दो बार सब्सिडी ले ली गयी, आर. एफ. सी. के लोगों द्वारा मिली-भगत से, आप इसकी जांच करायें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सारे लोग कह रहे हैं कि छोटे उद्योगों को पनपाना चाहिये। गांधीजी जिस तरीके से लघु उद्योगों के ऊपर ध्यान देने की बात कहा करते थे, उसकी चर्चा की गयी। एक महिला उद्यमी उदयपुर की, जिसने अपनी थोड़ी सी पूंजी से 1985 में अलंकार इंजीनियर्स के नाम से मशीनें बनाने का काम शुरू किया और वह जो गेंगसा की मशीनें उसने बनायी वह गुणवत्ता की दृष्टि से विदेश से आयात की गयी मशीनों से किसी प्रकार कम नहीं थी। राजसमंद की अनेक खनिज माइंस को उन्होंने गेंगसा सप्लाई की लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के धंधे करते हैं, उन लोगों ने गलत शिकायतें की कि यह मशीनें ठीक काम नहीं कर रही। टेलीग्राम दे-दे करके आर. एफ सी. के लोगों ने वहां पर बुलाया और उनको इसके लिये बाध्य किया कि वह शिकायत करें। जब अलंकार इंजीनियर्स को पता लगा तो उसने जयपुर के आर. एफ. सी. को लिखा कि आप अपने यहां से टीम भेजें और हमारी मशीनों की गुणवत्ता को देखें,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

और यह गलत शिकायतें हो रही हैं। यहां से एक टेक्निकल टीम गयी, उसने गुणवत्ता को देखा और उसके बाद में उसने पास किया।

अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय विधायक की मैं इस बात से सहमत हूं कि गलत काम नहीं होने चाहिये। उद्योग मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये आप टेक्निकल टीम बनाएं जो उनकी मशीनों को देखें कि वे किस प्रकार की गुणवत्ता रखती हैं। जो छोटे उद्यमी हैं उनको निराश नहीं किया जाना चाहिये, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर उन मशीनों में कुछ नहीं होता तो 1993–94 में उनकी 37 लाख की, 1994–95 में 11 लाख की, 1995-96 में 138 लाख की मशीनें बिकी हैं। अगर मशीनें खराब होतीं तो लोग नहीं खरीदते। इस तरह की अनेक शिकायतें जो राजसमन्द में छपती रही हैं, आती रही हैं। जिन लोगों ने शिकायतें की हैं उन लोगों से भी इन्क्वायरी करने वाले लोगों को पूछना चाहिये कि आपके पास क्या सबूत है? मैं आपसे यह आग्रह करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल। यह खास माइंस वाले हैं। एरिया पूरा ही है। नहीं, नहीं, एरिये के लिये बता रहा हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले खान मंत्री जी का और उद्योग मंत्री जी का इस बात के लिये आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि खनिज नीति और उद्योग नीति जो राजस्थान में बनायी गयी, पिछले वर्ष लागू की है। जहां तक खनिज नीति का प्रश्न है। खनिज व्यवसाय बड़े-बड़े लोगों के लिये बना हुआ है ऐसी आम लोगों की मान्यता है। लेकिन खनिज मंत्री जी ने जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया है, वह अत्यन्त सराहनीय बात है। मैं उनसे इस तथ्य के बारे में और निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी आपने आरक्षण का प्रावधान तो किया है लेकिन यह ठीक उसी तरह से आरक्षण है जिस तरह से भारत सरकार का पेट्रोल पम्पस के आबंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये आरक्षण का प्रावधान है। आप आंकड़े एकत्रित करा लीजिये राजस्थान में जितने पेट्रोल पम्प इन वर्गों के लिये आरक्षित हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जाति के लोगों के पास कितने हैं। अपितु वे सवर्ण जाति के लोगों के पास हैं। इस तथ्य से मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। आज पेट्रोल पम्प यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम पर आबंटित होता है तो उसे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये की राशि रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है। अब आप समझते हैं कि किसी अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति के बलबूते की बात है कि वह 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये रिश्वत के देकर अपने नाम पर करवा ले। यह सम्भव नहीं है आप सर्वे करवा लीजिये आज मैं नहीं समझता कि यह जो एस. सी., एम, टी. के लोगों के निमित्त पेट्रोल पम्पस हैं

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

उनमें 5 पर्सेंट का मालिकाना हक भी उनका हो । यह बहुत गम्भीर विषय है ।

ठीक, इसी तरह यह खनिज पट्टों का मामला है । खनिज पट्टे के लिये भी आरक्षण कर दिया लेकिन उस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उठा नहीं पा रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तौर-तरीका निकालें जिससे उनको वास्तविक लाभ मिल सके । मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और खनिज मंत्री जी इसके बारे में ध्यान देंगे । जिस तरह की आपकी मंशा है, हमारे मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि गरीब तबके को लाभ मिले, वह लाभ उनको मिल सके । अध्यक्ष महोदय, हां, यह दुर्भाग्य है कि मंत्री जी की अच्छी मंशा होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस तरह के आरक्षण का, आबंटन का लाभ नहीं मिल पा रहा है । यद्यपि इनकी मंशा में कोई खराबी नहीं है ।

मैं राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो सिर्फ हिन्दुस्तान के नक्शे में ही नहीं अपितु विश्व के नक्शे में मार्बल और मार्बल से रिलेटेड फैक्ट्री के बारे में जाना माना एक स्थान है । वहां दुर्भाग्य इस बात का है कि स्थानीय व्यवसायी अनुपातिक दृष्टि से बहुत कम हैं और अधिकांश धनाढ्य लोग गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से आते हैं । जितने धनाढ्य लोग हैं उन्होंने अपना एक नीड़ बना रखा कि जो आए उसमें चरे और अपना भरण-पोषण करें । यहां की सम्पदा को एक्सप्लायट करें और धनाढ्य बनने की कोशिश करें । मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में आपको आबंटन-नीति में मेंगसा के लिये फाइनेंसियल असिसटेंस देने के लिये आपकी जो एजेंसीज है, लोन देने के लिये ऐसी कोई नीति बनाएं कि स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन मिले । स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन मिलने से निश्चित रूप से उस क्षेत्र का भला होगा । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में विपुल मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं उनका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले ताकि उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो ।

मैं वहां की कुछ दिक्कतों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो उस बारे में पूर्व में इस मांग के सम्बन्ध में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने इंगित किया है । लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि आज रायल्टी ब्लाक्स में लग रही है । ब्लाक्स में

(21.37)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

रायल्टी लगने पर छोटे-छोटे खनिज मालिक बड़े परेशान हैं । परेशानी इस बात की है कि यदि ब्लाक्स पर आप रायल्टी वसूल करते हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं है । उसके पैकेजेज बहुत हो जाते हैं तो उसके पाटिये बहुत कम निकल पाते हैं । इस तरह यह कोई मितव्ययी व्यवसाय नहीं होगा । ऐसी स्थिति में यदि पाटिये पर रायल्टी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इंपोज करते हैं तो निश्चित रूप से इतना असर उन खनिज व्यावसायियों पर नहीं होगा, अपितु जो क्रेता हैं, जो सक्षम हैं आर्थिक दृष्टि से उन पर होगा। इस तरह जो वर्तमान में रायल्टी वसूल की जा रही है। उससे कई गुना रायल्टी वसूल की जा सकती है। मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहूंगा कि यदि इस नीति में इस तरह परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो रेवेन्यू है उसमें भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। कई बार यह परिवर्तन का प्रसंग चला कि क्लावस में, स्लेब्स में रायल्टी परिवर्तित कर दी जाए। लेकिन मुझे खेद है कि इसके बारे में प्रोपरली परश्यू कोई कर नहीं पाया, कोई समिति का गठन हो नहीं पाया और किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाये। यह बहुत खेदजनक विषय है। इस बात का मुझे बड़ा दुःख है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अधिकारियों में संवेदनशीलता की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के अभाव में व्यवसायी अपना उद्योग स्थापित करने में हिचकिचाते हैं। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य राजसमन्द के एक व्यवसायी के बारे में बता रहे थे। मैं इस प्रकरण में नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां पर पिछले छह साल से एक डिप्टी मैनेजर, आर. एफ. सी. आनन्द बरुआ काम कर रहे थे। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में लोगों के काम-काज करने के बजाय क्या किया ? उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, अपने साले के नाम पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर लगभग 15 खानें आबंटित करवा लीं। 15 खानों की कीमत क्या होगी, उपाध्यक्ष महोदय ? आज हम यह कहते हैं कि यह फ्राड हो गया, वहां पर वह करप्शन है। 15 खानों की कीमत लगभग 15 करोड़ है। अब हैसियत देखिए, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की, डिप्टी मैनेजर आर. एफ. सी. की कि 15 खानें अपने रिश्तेदारों के नाम पर आबंटित करवा लीं और फिर उस बाड़े में चरने के लिये, मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी से उसके कार्य-कलापों के बारे में जानकारी दी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, कहा कि ऐसे व्यक्तियों को वहां पर रखना ठीक नहीं है, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया भीलवाड़ा में। आज वह तड़फड़ा रहा है वापस राजसमंद आने के लिये कि इतना बढ़िया बीहड़, हरा जहां पर चरने के लिये इतनी अच्छी जगह वहां, मैं वापस चला जाऊं। चारों ओर से दबाव डलवा रहा है और वह चाहता है कि पुनः उसकी पोस्टिंग राजसमंद में हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि उसकी पोस्टिंग वहां नहीं हुई तो अगले छह महीने में वह त्याग पत्र देकर वह अपने उद्योगों को सम्भालने के लिए वहां पर आ जाएगा। क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आप जांच नहीं करवाना चाहते, उद्योग मंत्री जी ? निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच करवानी चाहिए ताकि अन्य अधिकारी इस तरह के कार्य-कलापों में लिप्त हों उनको भी इससे सीख मिले।

यही नहीं, जैसा कि अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जानकारी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

दी कि एक मशीन तो अलंकार इंजीनियर्स से खरीद ली और उसकी सब्सिडी उठा ली और एक मशीन भीलवाड़ा से और खरीद ली और दोनों को वेरीफाई करने वाला शख्स यही आनन्द बैरवा है। उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है ? यह बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। इस ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यदि कार्यवाही नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उद्योग मंत्रीजी मैं नहीं मानता कि हमारी सरकार की संवेदनशीलता पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करायें और ऐसे अधिकारी को तत्काल सस्पैंड करिये, डिसमिस करिये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसका खामियाजा सिर्फ जनता को नहीं, सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं अपितु अपनी सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है।

एक छोटे से तथ्य की जानकारी और निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी वो ही है जिसके पास राजसमंद जिले की सैकड़ों की संख्या में गेंगसा हैं। मार्बल का ऐसा कोई गेंगसा नहीं है जहां पर उसके ब्लाक्स सैकड़ों की संख्या में पड़े हुए न हों। उनको मजबूर करते हैं कि हमने आर. एफ. सी. से आपको लोन दिया है, आप इनकी चिराई करिये और पाटिये निकालिये। क्या वह व्यवसाय इसी बात के लिए बना हुआ है ? ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि यह एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है माननीय उद्योग मंत्रीजी इस बारे में ध्यान देंगे।....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मेरे पास कोई ज्यादा और तथ्य निवेदन करने के लिए नहीं है, मुझे समय भी बहुत लिमिट ही मिल रहा है। मैं निवेदन यही करूंगा कि जो तथ्य मैंने प्रस्तुत किये हैं उद्योग मंत्रीजी के कंसीडरेशन के लिये, खनिज मंत्रीजी के कंसीडरेशन के लिये विशेष तौर से अलाटमेंट आफ लीकेज के, आरक्षण के ऊपर ध्यान देंगे और जो मंशा है सरकार की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यवसायी को लाभ मिले, तो वह लाभ वास्तव में उन्हें मिले। मुझे आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योग विभाग के सम्बन्ध में जो सार्थक चर्चा हुई और इसमें जिन माननीय सदस्यों ने भाग लेकर रचनात्मक योगदान किया मैं उसके लिये उनका बहुत आभारी हूं और उनको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी औद्योगिक नीति की चर्चा निरन्तर 1994 से हो रही है और पिछली बार भी मैं एक बात स्पष्ट कर चुका था कि हमारी उद्योग नीति का अंग केवल मात्र बड़े और मध्यम उद्योग पर नहीं बल्कि उससे भी अधिक जोर हम लघु उद्योग, घरेलू उद्योग और शिल्प पर दे रहे हैं और इसलिये हमारे सारे कार्यक्रम उद्योग विभाग के, रीको के, आर. एफ. सी. के, हैण्डलूम के, बुनकर संघ, स्माल स्केल

264

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

इण्डस्ट्री के, इसी उद्देश्य को लेकर बनाये जा रहे हैं। कुछ महानुभावों ने राजस्थान की तुलना अन्य प्रदेशों से की। राजस्थान का पूरा बैक-ग्राउण्ड ध्यान में रख कर यदि हम आज की स्थिति में सोचें तो कुछ दृश्य और नजर आएगा और हम सीधे-सीधे उड़ीसा या बंगाल या गुजरात की चर्चा या उसकी तुलना में राजस्थान को लें तो दृश्य और नजर आएगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि राजस्थान को छोड़ कर बाकी सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान के उद्योगपतियों ने उद्योग धन्धे स्थापित किये हैं। आज आप बंगाल ले लीजिये, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिये, आंध्र ले लीजिये, कर्नाटक को ले लीजिये, मद्रास को भी ले लीजिये, राजस्थान के उद्योगपति आज पूरे देश की पूंजी का 60 प्रतिशत नियंत्रण कर रहे हैं। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि उसमें से अधिकांश उद्योगपति ऐसे हैं जिनको गये कई पीढ़ियां बीत गयी हैं और वे शायद अभी तक यह समझ रहे हैं कि राजस्थान वैसा ही है जैसा हमारे बडेरे छोड कर आये थे। इसलिये हमारे ही राजस्थान में उद्योगपति को राजस्थान की ओर से आकर्षित करने के लिये देश के भिन्न-भिन्न नगरों में हमको शिविर करने पड़े और जिस निमन्त्रण की आप बार-बार चर्चा करते हैं उस निमंत्रण का बैक ग्राउण्ड यह है। एक उद्योगपति चूरू का रहने वाला है जो अहमदाबाद में बड़ा उद्योगपति है। जिन्दगी में पहली बार राजस्थान में आया था, जयपुर में पहली बार और उससे एक घंटे तक मेरी बात हुई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा हम तो यह समझते थे कि राजस्थान में न पानी है, न बिजली है यह तो डेजर्ट है इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। हमारे दिमाग में यही कल्पना थी, अनेक लोगों के दिमाग में यही कल्पना है और इसलिये हमारे और मुख्य मंत्रीजी के इन प्रयासों से उनमें राजस्थान के प्रति रुचि जागृत हुई है, इससे एक माहौल बना है। इसलिये उस परिप्रेक्ष्य में हम यदि राजस्थान की स्थिति को आज देखें और सदन में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे लेकिन समाचार पत्रों में और खास तौर से जिस "बिजनेस टुडे" की बात हमारे विष्णु जी कहते हैं....

श्री विष्णु मोदी : आज मैंने वर्ल्ड बिजनेस की बात कही थी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : 'बिजनेस टुडे' की कह रहा हूं। आप बदलते रहते हैं मगर मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं जिस पर आपने पहले ज्यादा ध्यान दिया था। उसने जो सर्वेक्षण कराया है, उद्योगपतियों का सर्वेक्षण किया है। उसमें उन्होंने राजस्थान की आज की स्थिति का भिन्न-भिन्न विषयों में अलग-अलग किया है। हिन्दुस्तान के कुल 27 राज्यों में एक सर्वेक्षण से तय हुई कि दी बेस्ट राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से 10 छांटें हैं उनमें राजस्थान का भी नाम है जबकि बंगाल, यू. पी. हमसे बहुत पीछे रहे हैं। यह उनका सर्वेक्षण है और उसमें उन्होंने अलग-अलग बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया है। जैसे प्रशासन एक बिन्दु लिया। राजस्थान का प्रशासन में तीसरा नम्बर है। राजनैतिक स्थायीत्व का लिया, इसमें राजस्थान पांचवें नम्बर पर है। मजदूरों के सम्बन्ध में लिया, राजस्थान उसमें छठे नम्बर पर है। शहरीकरण का लिया, राजस्थान उसमें छठे नम्बर पर है। कानून और व्यवस्था का लिया, राजस्थान

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

उसमें सातवें नम्बर पर है और सरकारी तंत्र के लचीलेपन पर लिया, उसमें राजस्थान का नम्बर पांचवा है। जहां तक सुविधाओं का सवाल है, उद्योगपतियों को सुविधाओं में राजस्थान का नम्बर दसवां है और विद्युत सप्लाई में राजस्थान का नम्बर आठवां है, विद्युत की गुणवत्ता में राजस्थान का नम्बर नवां है, औद्योगिक क्षेत्र जोन में राजस्थान का नम्बर चौदहवां है, आधुनिकीकरण सुविधाओं में चौदहवां स्थान है। कुल मिलाकर यह जो स्थिति हमारी बनी है यह उत्साहवर्धक है और यह 1994 की नीति आने के बाद हुआ है। .. इतना ही नहीं परसों का इकॉनामिक टाइम्स लिखता है, राजस्थान श्योज दी वे इन एक्सपोर्ट, यह उसका हेडिंग है। मैं इसको पूरा पढ़कर आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूं लेकिन उसने वर्णन किया है कि जिस राजस्थान में 1973-74 में केवल 31.14 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था आज वहां 1994-95 में 2820 करोड़ रुपये और 1996-97 में 4000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ है। आज मुझसे पूछा गया कि पिछले तीन साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? आप राजस्थान की तुलना उन रेगूलर स्टेट्स से करेंगे तो हम प्रतिशत में उनसे कम नहीं है, ज्यादा हैं। लेकिन यह बात सही है कि रुपयों के हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। लेकिन जब हम बैक ग्राउण्ड के हिसाब से सोचते हैं तो यह हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1993-94 में 3285.31 करोड़ रुपये, 1994-95 में 2761.77 करोड़ रुपये और 1995-96 में 3405 करोड़ रुपये पर यह अधूरा है, कुल मिलाकर 9451.77 करोड़ रुपये हैं। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि बैक ग्राउण्ड को आप देखें तो राजस्थान के अन्दर औद्योगिक विकास के लिये जो प्रयास हुए हैं...।

श्री विष्णु मोदी : कौनसे बैक ग्राउण्ड की बात कर रहे हैं?

श्री हरिशंकर भामड़ा : राजस्थान के उद्योगपति जो सब बाहर चले गये थे और उन्होंने बाहर औद्योगिक विकास किया लेकिन अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया मैं उस बैकवर्डनेस के बारे में बता रहा हूं.... (व्यवधान)...। इसके अलावा जहां तक सर्विसेज के बिहेवियर का मामला है, लचीलेपन का मामला है, आप बैक ग्राउण्ड को भी देखिये। उदारीकरण की नीति से पहले उद्योग विभाग के पास सिवाय कोटा लाइसेंस, परमिट के अलावा कोई काम नहीं था। उसका मुख्य काम यही था। इसीलिये उनका व्यवहार जैसा कोटा परमिट वालों का होता है वैसा स्वाभाविक रूप से उद्योगपतियों के साथ होता था। उसी प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स का व्यवहार था। हमारी बैक ग्राउण्ड भी फ्यूडेलिस्टिक है, फ्यूडल बैक ग्राउण्ड है। इन सारे बैक ग्राउण्ड्स को आज हम देखें तो....।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : पचास साल हो गये।

श्री हरिशंकर भामड़ा . श्री शिवनाथ सिंहजी, आपको आज भी अपनी कटी हुई मूछें याद आ रही हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमको बहुत साल हो गये। आप अभी भूले नहीं हैं। आपकी उम्र के बहुत से लोग दोनों तरफ बैठे हैं। इसलिये वह

266

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बैक ग्राउण्ड एकदम खतम हो गया, ऐसा नहीं है....(व्यवधान)....आपको पता नहीं। इन्होंने इसी हाउस में परसों कहा था कि मुझे वह मूछें याद हैं जो काट ली थीं।

श्री विष्णु मोदी : जिस पीरियड में आपने राजस्थान में 9 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट ठीक बताया है उस पीरियड में एक लाख 4 हजार 322 करोड़ का गुजरात में हुआ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसीलिये मैंने आपको कहा कि डवलप्ड स्टेट्स से तुलना करें तो हम कहीं नहीं हैं। आज एक आदमी सौ रुपये लगाकर दो साल में लखपति बनता है और एक करोड़पति एक साल में करोड़ रुपये कमा लेता है। दोनों की स्थिति और बैक ग्राउण्ड्स में अन्तर है। उनकी विकास गति में अन्तर है। मैं इस हिसाब से बता रहा हूं।

आज राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना है और मुझे भी फीड बैक होना है। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं कलकत्ता गया और मुझसे कहा कि वहां जाते हैं तो रोते फिरते हैं मेरे पास भी इस तरह के लोग आये थे लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि राजस्थान में जादू हो गया है। आज जयपुर में हमारा उद्योग विभाग, आर. एफ. सी; रीको और ब्यूरोक्रेट्स काउंसिल इस तरह का व्यवहार करते हैं जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की थी। यह बैक ग्राउण्ड भी हमको आज मिलता है। दे आर वैरी हैप्पी। अब किसी की यह शिकायत नहीं रही कि हम यहां पर आये हमने जो इन्फोर्मेशन और सहायता मांगी वह हमको नहीं मिली। उद्योग लगाना या न लगाना अनेक बातों पर निर्भर करता है। वे हमारे बुलाने से या बात करने से उद्योग लगा देंगे ऐसे भोले नहीं। ऐसे भोले तो विष्णु जी आप भी नहीं हो, नहीं तो आप ही कुछ लगा दो। उद्योग लगाने वाला कई बातें सोचेगा। किसी माननीय सदस्य ने कह दिया कि थाइलैण्ड गये, इजरायल गये, क्या ले आये ?...।

श्री विष्णु मोदी : सर इफ यू परमिट मी जस्ट फोर हाफ मिनट ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुख्य मंत्रीजी इजरायल उद्योग के लिये नहीं गये, कृषि के लिये गये और दो एम.ओ.यू. भी किये। हो भी चुके हैं और केवल इसीलिये गये थे। थाइलैण्ड वहां के प्राइम मिनिस्टर के इंवीटेशन पर गये लेकिन फिर भी कहने को तो देखिये....।

श्री विष्णु मोदी : आप भी जायें और अपने अधिकारियों को भी भेजें इससे तो फायदा ही होगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, मगर मेरे जाने के बाद आप यहां पर आलोचना करेंगे कि मुफ्त में घूम आये। मेरा अभी जर्मनी जाने का मौका था पर मैं गया नहीं मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मै जानता हूं और मानता हूं कि मुझे जाना चाहिये पर नहीं गया। आपके दृष्टिकोण को भी मै विष्णुजी जानता हूं।

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय श्री भाभड़ा साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाएं, अपने अधिकारियों को भेजें। आलोचना तो होती रहेगी ।

(श्री विष्णु मोदी)

राजस्थान का विकास करना आपका और हमारा कमिटमेंट है बल्कि आप डावोस में भी जाएं।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी आप बता रहे थे, गुजरात में एक लाख के करीब बताया। यह आई. एन. एफ. है, इन्वेस्टमेंट नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : इन्वेस्टमेंट है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह सैंट्रल गवर्नमेंट के पास.... खैर, आप इसकी जांच कर लेना। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बैक ग्राउण्ड के बाद राजस्थान के विकास की बात करें बाकी बातें तो बहुत हुई हैं। अभी श्री शिवनाथ जी ने कहा कि आप तो गांधीजी के चेले हो। मुझे खुशी है और यह बिलकुल सही है कि आज हम गांधीजी के स्वावलम्बन और स्वदेशी को मान रहे हैं, उसको लेकर एजीटेट कर रहे हैं मगर दुर्भाग्य तो यह है कि जो कल तक गांधीजी के चेले थे वे आज सफेद टोपी लगाये बैठे हैं वे इसकी आलोचना करते हैं और हमको कहते हैं कि स्वदेशीकरण करके भट्टा बिठा रहे हो। हमारे स्वावलम्बन और स्वदेशी पर अटैक हो रहा है। आज तक गांधीजी के नाम की कमाई खाते रहे और आज उसकी आलोचना कर रहे हैं, स्वदेशी का मजाक उड़ा रहे हैं कि यह कौनसा स्वदेशी है। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह है....

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय श्री भामड़ा साहब, मैं आपको इन्टरप्ट नहीं करना चाह रहा हूं....(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेशी के मामले में मेरी पार्टी ने हमेशा गांधीजी को तरजीह दी है और गांधीजी के बताये रास्ते पर कांग्रेस चली है और जहां तक....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ(जौहरी बाजार): उत्तर प्रदेश में तो आप बी.एस.पी. से गठबन्धन कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : बी.एस.पी. आपसे हट गयी तो आप बोलने लग गये। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी इसी लोक सभा में जो बहस हुई थी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मायावती से राखी आपने ही बंधवायी थी,

श्री हरिशंकर भामड़ा : मेरे पास इतना मसाला है कि मैं रात भर भी बोलूं तो सारा मसाला आपको नहीं बता सकूंगा। यदि आप मुझे इन्टरप्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे अपनी जो बात कहनी है वह तो कहनी ही पड़ेगी. (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : गांधीजी के वही चेले आज गाली निकालते हैं यह तथ्यों से दूर है....

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस सदन में मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : गांधीजी की परम्पराओं को आप मन से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिये आलोचना हो रही है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : प्लीज शिवनाथसिंह जी मुझे सुनिये। मैं तो कुछ बोला

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

ही नहीं। आज अमेरिका जैसे विकसित देश में भी "बी अमेरिकन बाई अमेरिकन" का नारा लगाया जाता है तो हिन्दुस्तान में जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कौनसा पाप है ? हमारे स्वदेशी का कंशप्सन भी यही है कि हम भारतीय बनें और भारतीय वस्तुओं को खरीदें। जो लोग इसको यह इन्टरप्रियेट करते हैं कि यह तो बैलगाड़ी की ओर ले जा रहे हैं, वे भी गांधीजी पर टोंट कसते हैं। वे हमको कहते हैं कि स्वदेशी के नाम पर बैलगाड़ी पर ले जाना चाहते हैं।

अभी-अभी आपने ग्राम स्वराज की बात की। इसीलिये मैंने कहा कि हमारी उद्योग नीति का मुख्य प्रयत्न लघु उद्योग, कॉटेज इण्डस्ट्रीज और शिल्प को प्रोत्साहित करना है। क्योंकि जहां तक लार्ज और मीडियम उद्योगों का प्रश्न है, हम इस बात को जानते हैं कि आज इस देश का जो वातावरण बना है उसमें हमारे उद्योगपति जो राजस्थान से बाहर हैं उनको एक न एक दिन राजस्थान में आकर उद्योग लगाने की मजबूरी होगी, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीयवाद फैल रहा है, क्षेत्रीय दल जिस तरह बोल रहे हैं उनका पहला अटैक राजस्थानी उद्योगपतियों पर होता है चाहे वह कोई-सा ही प्रदेश हो। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे बंगाल हो, असम हो या मद्रास हो, अटैक का पहला भय राजस्थानी उद्योगपति को होता है।

ऐसी हालत में हमारी उद्योग नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लें तो हमें किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। यह तो पल्यूलरी जानकारी के लिये हम यह सब बात कर रहे हैं। यह बात मैंने कलकत्ता, बम्बई, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाडु में कही कि मैं आपको निमंत्रण देने नहीं आया हूं बल्कि मैं तमिल लोगों को निमत्रण देने आया हूं, तेलगू लोगों को निमंत्रण देने आया हूं कि आप रेसीप्रोकेट करें। अब तक हमारे लोगों ने यहां आकर औद्योगीकरण किया अब आप राजस्थान में आइये और पूंजी लगाइये। उनको तो बताने आया हूं कि

(22.00)

आपका सम्बन्ध घर से टूट गया है उसको जोड़ने का अवसर हम दे रहे हैं। यह मेरा उनको कहना है। मैंने अपने भाषणों में कही है यह बात और इसीलिये यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की दृष्टि से हम गृह उद्योग की बात कर रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो गया तो निश्चित रूप से आप बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों के आने में राजस्थान का जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण में निश्चित रूप से राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। लेकिन एक समस्या और है कि जैसे-जैसे औद्योगीकरण होगा उसका फल भी निकलेगा, उसका कुछ परिणाम भी होगा और यह परिणाम आज की संस्कृति, जो उपभोक्ता संस्कृति है निश्चित रूप से जिन्होंने गोल्डस्मिथ की "डिजिटिक विलेज" कविता पढ़ी है, जब इंग्लैण्ड का औद्योगीकरण हुआ उस समय गांवों में फैक्ट्रियां लगीं और जिस तरह से वहां का ग्राम्य जीवन समाप्त हो गया तो उसने गांव की एक-एक चीज का वर्णन किया है और ऐसा पैथेटिक वर्णन किया है। तो हमें भी यह लगेगा कि जब औद्योगीकरण

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

होगा तो निश्चित रूप से अपने आचरण में, अपनी संस्कृति में, अपने व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वह परिवर्तन खास तौर से गांव के लोगों को कष्टप्रद भी हो सकता है।

एक तरफ तो आप सब मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां औद्योगीकरण क्षेत्र बनने चाहिये और हमारे यहां भी औद्योगीकरण होकर उद्योग लगने चाहिए और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि जो उद्योग लगे हुए हैं हम उनसे परेशान हैं। क्योंकि औद्योगीकरण में सब प्रकार का ध्यान देने के बाद भी, पर्यावरण ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद भी उद्योग लगेंगे तो आज की जो शुद्ध गांव का जीवन जिस तरह से है उस वातावरण में तो अन्तर निश्चित रूप से आएगा। और वह भी शायद लोगों को सहन नहीं होगा। दूसरी तरफ यह है कि औद्योगिक विकास के लिये हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि भूमि तो हमको लेनी पड़ेगी। यह बात सही है कि हमारी नीति के अनुसार जो हमने अब तक भूमि एक्वायर की राजस्थान में, उसमें जो सिंचित भूमि है उसका प्रतिशत साढ़े 12 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पड़त भूमि है पहले हम उसको लें। फिर बारानी लें और बीच में यदि कोई सिंचित भूमि आती है, जिसको कि अवाइड करना मुश्किल है तो उसको हमें लेना पड़ता है। और फिर एक बात और है कि जब आप औद्योगीकरण की बात करते हैं, बेकारी हटाने की बात करते हैं, तो खेती का प्रतिशत कम होगा और उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत बढ़ेगा तभी देश में विकास होगा। जैसे आज अमेरिका में मुश्किल से 4 प्रतिशत या 10 प्रतिशत खेतिहर हैं और वह बम्पर क्राप कर रहे हैं और हमारे यहां भी गुलामी के हजार वर्ष पहले भी हमारे यहां भी स्थिति यही थी कि 40 प्रतिशत लोग खेती में थे और 60 प्रतिशत उद्योग-धंधों में थे....

एक माननीय सदस्य : कितना समय और लेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अभी तो शुरू ही किया है मैंने। अभी तो भूमिका बता रहा हूं। अभी तो आप सबके जवाब हैं वह मैं दूंगा। आप सुनना चाहें तो सुनें नहीं तो मेरे पास अपनी लिखी स्पीच भी है। आप कहें तो पढ़ दूं। आप कहें तो मैं अपनी लिखित स्पीच पढ़ दूं फिर आपके सारे जवाब रह जाएंगे। इसलिये कह रहा हूं। आप कहें तो लिखित पढ़ दूं मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना लिखित पढ़ देता हूं आपके जवाब दे दूंगा। कटमोशंस के के जवाब तो मैंने सबके दे दिये हैं और बहुत से प्रश्न जो खड़े किये हैं उसमें विस्तार से जवाब सबके आ गये चाहे वह सवाई माधोपुर की फैक्ट्री हो या हिण्डौन की प्राब्लम हो....

श्री परसादीलाल मीणा : सवाईमाधोपुर का तो बतायें कम से कम ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सबका जवाब लिखित में दे दिया है। वह बता दूंगा। वह अलग से है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं। बहुत जरूरी बात है। माननीय मंत्री

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय आपने अभी फरमाया कि उद्योगों के लिये भूमि ली है। आपने कुछ सिंचित भूमि को अधिग्रहित किया है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में औद्योगीकरण की गति के बारे में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए इस सदन में तथा कुछ अन्य अवसरों पर चर्चाएं हुई हैं। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना उचित होगा कि राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने की दिशा में अभी और बहुत प्रयासों की आवश्यकता है....

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की काश्त की दो दो और चार-चार बीघा जमीन है उनको लेकर आपने उद्योग स्थापित कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलते हैं तो (व्यवधान)....क्या अधिकार नहीं है मुझे बोलने का ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह हो क्या रहा है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उसमें यदि आपने दो-दो और चार-चार बीघा वाले काश्तकारों की जमीन को अधिग्रहित किया तो वह परिवार भूखें मरने पर मजबूर हो जाएंगे....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह क्या हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हो यह रहा है कि मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उद्योगों के लिये आप भूमि अधिग्रहित करने की बात कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात थोप रहे हैं। आप बिराजें, आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन में यही है कि बात को थोपना पड़ता है। आप सुनते नहीं हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आप सुन लें पहले। कृपया व्यवधान नहीं। आप बैठे बैठे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विकास के किसी भी दायरे में एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का मानस होता है और इस हेतु प्रयास किये जाते हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। औद्योगीकरण के प्रयासों को भी उसी दृष्टि से देखना होगा।

बदलते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि औद्योगीकरण की गति में वृद्धि से राज्य की आर्थिक व्यवस्था एवं विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इसके लिये एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता महसूस की गयी, जिसमें सरकार के ही विभिन्न विभागों के अतिरिक्त उद्योग से सम्बन्धित संगठनों, जानकार व्यक्तियों का सहयोग वांछनीय समझा गया। इस तरह की सोच के साथ किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की नई औद्योगिक नीति, 1994 बनायी गयी। नयी औद्योगिक नीति से राज्य के औद्योगीकरण को एक स्पष्ट दिशा मिली है और औद्योगीकरण के वातावरण में बदलाव आया है। गत 2 वर्षों में उपलब्धियां आशाजनक रही हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन : आर्थिक उदारीकरण के बाद जिसके अन्तर्गत लाइलेंस प्रथा को अत्यधिक सीमित किया गया है, अब मझले एवं बड़े उद्योगों की स्थापना के पूर्व उद्यमी द्वारा औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय में दाखिल करने होते हैं। अतः जहां तक किसी भी प्रदेश में मझले एवं बड़े उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में उद्यमियों के आकर्षण के आकलन का प्रश्न है, ये ज्ञापन एक सही संकेत प्रदान कर सकते हैं। यह सन्तोष का विषय है कि राजस्थान इस संकेत के आधार पर अपनी प्रमुखता बनाये हुए है। जहां मार्च, 1996 तक औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन में प्रस्तावित सकल विनियोजन में राजस्थान का पूरे देश में सातवां स्थान है वहां अनुपातिक वृद्धि के अनुसार हम चौथे स्थान पर हैं। वृद्धि का आकलन अक्टूबर, 1994 के अन्त में ज्ञापनों के माध्यम से इंगित विनियोजन को आधार मानकर किया गया है। अक्टूबर, 1994 के अन्त में 15291 करोड़ रुपये प्रस्तावित विनियोजन के विरुद्ध मार्च, 1996 में 22753 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित किया गया है। वृद्धि का प्रतिशत 53 प्रतिशत होता हैं। राजस्थान से ऊपर केवल 3 प्रदेश यथा तमिलनाडु, गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश हैं जिनमें प्रतिशत वृद्धि राजस्थान से अधिक है।

नये मझले व बड़े उद्योगों की स्थिति का जो जिक्र किया गया है उसके साथ यह बात भी जोड़ देना उपयुक्त होगा कि औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापनों के क्रियान्यन में राजस्थान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहा है। जहां देश में औसत क्रियान्वयन 45.01 प्रतिशत है, राजस्थान में यह प्रतिशत 51 29 प्रतिशत है।

लघु एवं कुटीर उद्योग : वृहत एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में भी पिछले वर्षों में आशातीत प्रगति हुई है। वर्ष 1991–92 से 1995–96 तक 24547 इकाइयां स्थापित हुई हैं जिनमें 898 करोड़ रुपयों का पूंजी विनियोजन हुआ है। ऐसे उद्योगों की संख्या जो 1990–91 में के अन्त में 153060 थी, 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त वर्ष 1995–96 के अन्त में 177607 हो गयी जिनमें 1758.28 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ।

विदेशी पूंजी विनियोजन : राज्य में वर्ष 1995–96 के अन्त तक 64 उद्योग विदेशी इक्विटी सहयोग से स्थापित किये गये जिनमें 2039 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है। 5 वर्ष पूर्व यह संख्या मात्र 12 थी जिनमें 191.81 करोड़ रुपयों का पूंजी विनियोजन था। 15 परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 618 करोड़ रुपये है, विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है। विदेशी पूंजी के सहयोग से लगने वाली इकाइयों में प्रमुख क्लाइमेंट कन्ट्रोल इण्डिया लि., एरिक्सन इण्डिया लि., बॉश एण्ड लाम्ब इण्डिया लि., सेमकोर ग्लास लि. आदि हैं। अधिकतर इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें नवीनतम तकनीक के आधार पर उच्च स्तर का माना जा सकता है। हाल ही में विदेशों से उच्च तकनीक के उद्योगों में पूंजी विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 1275 करोड़ रुपयों का पूंजी विनियोजन प्रस्तावित हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निर्यात संवर्धन : राज्य में गत 5 वर्षों में 154 शत-प्रतिशत निर्यातक उद्योगों की स्थापना हेतु पंजीयन हुआ है । 41 उद्योगों ने अपना उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है और 21 उद्योग स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं । इन उद्योगों में 1489 करोड़ रुपयों का पूंजी विनियोजन प्रस्तावित है। राज्य से किये जाने वाले निर्यात की राशि में गुणोत्तर दर से वृद्धि हुई है । वर्ष 1990–91 में 421.81 करोड़ के निर्यात के विरुद्ध वर्ष 1994–95 में निर्यात 2800 करोड़ रुपयों से अधिक का हुआ है जो एक कीर्तिमान है । वर्ष 1995–96 में निर्यात की राशि 4,000 करोड़ रुपयों से अधिक की होने की सम्भावना है ।

निर्यातक इकाइयों के विकास में और गति प्रदान करने हेतु जयपुर में 47 करोड़ रुपयों की लागत से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है । प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा देश के 10 राज्यों में एक-एक ऐसा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की थी । इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में हुई प्रगति दूसरे सभी प्रदेशों से अच्छी रही । इस उपलब्धि को महत्व देते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य में एक और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गयी है, यह भिवाड़ी में है। इसकी परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही भारत सरकार को भेजी जा रही है । निर्यात प्रोत्साहन में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चलाये जा रहे जयपुर एवं जोधपुर में दो इनलैण्ड कंटेनर डिपो तथा जयपुर में कार्यरत एयर कार्गो काम्पलेक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । जोधपुर स्थित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना वर्ष 1995–96 में की गयी है । कोटा और उदयपुर में भी दो इनलैण्ड कंटेनर डिपो केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के माध्यम से शीघ्र ही चालू होने की आशा है । राज्य में दो और अन्य स्थानों यथा भीलवाड़ा एवं भिवाड़ी में भी ऐसे डिपो विकसित करने हेतु लघु उद्योग निगम प्रयासरत है । भीलवाड़ा के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ।

रोजगार सृजन : पिछले वर्ष सदन में घोषणा की गयी थी कि वर्ष 1995–96 में उद्योगों के माध्यम से एक लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । उपलब्ध सूचना के अनुसार घोषणा के विरुद्ध लगभग एक लाख 31 हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए । इन आंकड़ों की सत्यता की जांच भी करायी गयी है । 5 जिलों की 53 इकाइयों का निरीक्षण हाल ही में कराया गया है । इन 53 उद्योगों में 677 व्यक्तियों को नियोजित पाया गया है । इस प्रकार औसतन एक इकाई में 12 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना पाया गया जबकि रोजगार सृजन के आंकड़ों में लघु औद्योगिक इकाई में प्रति इकाई 6 व्यक्तियों को नियोजन बताया गया है । जिला उद्योग केन्द्रों में महाप्रबन्धकों को जनवरी, 1996 में, मैंने एक नयी योजना चालू की थी, जैसा आपने कहा कि नीचे सेपरकुलेट होना चाहिये। तो मैंने जो हमारे उद्योग के जिला प्रबन्धक हैं उनको भी कहा था कि आप अपने स्तर पर प्रयास करके उद्योग लगायें अपने खुद के जिले में । उनकी संख्या बताइये, उन्होंने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

टार्गेट दिया श्रौर उन्होंने ही पार्टी से मिलकर के उद्योग की स्थापना की। वह है यह। उनके द्वारा की गयी पहल पर स्वयं प्रयास से लगाये जाने वाले उद्योगों के लक्ष्य दिये गये थे। कुल 591 इकाइयां स्थापित करने हेतु महाप्रबन्धकों द्वारा अपनी प्रतिबद्धता जतायी थी जिसके विरुद्ध 611 इकाइयों की स्थापना की गयी है एवं 36 इकाइयां स्थापना की प्रक्रिया में हैं। परीक्षण के तौर पर 7 जिलों में 37 इकाइयों का निरीक्षण भी कराया गया। निरीक्षण के दौरान उद्यमियों ने अवगत कराया कि महाप्रबन्धकों द्वारा प्रोजेक्ट चयन, एप्राइजल, विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त इकाई को भूमि आबंटन, पावर कनेक्शन, ऋण सुविधा आदि में भी सहायता प्रदान की गयी है।

हमारा पिछले साल रोजगार का एक लाख का टार्गेट था। इस बार एक लाख 25 हजार का टार्गेट किया है और मुझे आशा है कि इससे भी ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे पायेंगे। रोजगार में वृद्धि के लिये अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों का जिक्र करना उचित होगा। जैसा सदन को विदित है, सरकार ने पहली बार उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन एवं वित्तीय सुविधाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ा है। भविष्य में हर उद्योग में अकुशल श्रमिकों का 70 प्रतिशत एवं अन्य वर्गों का 50 प्रतिशत रोजगार राज्य के ही व्यक्तियों को उपलब्ध होगा तभी वे उद्योगों के लिये राजकीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। अभी जो रीको जमीन लेता है तो उसमें जो गांव आते हैं उन लोगों के लिए रीको ने अलग से व्यवस्था की है। भूमि से अवाप्ति के मुआवजे की राशि के एक प्रतिशत के बराबर एक स्किल डवलपमेंट फण्ड की स्थापना भी की गयी है जिससे इन स्थानों पर जहां पर उद्योगों हेतु भूमि अवाप्त की जाएगी वहां के निवासियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाने के प्रयास किये जाएंगे ताकि उस क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में वे रोजगार प्राप्त कर सकें। उद्योगों में उपलब्ध रोजगार की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं तथा राज्य में उपलब्ध बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाने की एक योजना भी विचाराधीन है जिसे शीघ्र ही मूर्त रूप दिया जाएगा। एक दिन में हजार लोगों को रोजगार देने की हम व्यवस्था करेंगे। ऐसी योजना हम बना रहे हैं जो अगले साल से लागू करेंगे। एक अन्य योजना सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रस्तावित की गयी जिसमें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिन्हें लाभ नहीं मिल सकता है उन्हें भी रोजगार के लिए आवश्यक ऋण सुविधा, सहायता एवं अनुदान उपलब्ध हो सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इन दो योजनाओं की क्रियान्विति के व्यावहारिक पहलुओं पर अध्ययन कर लागू किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

आधारभूत सुविधाओं का विकास : औद्योगिक क्षेत्रों के समुचित विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है। 1986-87 से 1990-91 की अवधि में 2611 एकड़ भूमि अवाप्त कर 1655 भूखण्ड विकसित किये गये थे, जिसके विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में 15589 एकड़ भूमि अवाप्त की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

गयी तथा 6182 भूखण्ड विकसित किये गये। तुलनात्मक वृद्धि क्रमशः 497 प्रतिशत एवं 274 प्रतिशत हुई। गत दो वर्षों यथा 1994-95 एवं 1995-96 में क्रमशः 3177 एवं 3959 एकड़ भूमि अवाप्त की गयी है। औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे वर्ष 1994–95 में औद्योगिक विकास एवं रख-रखाव पर 44 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, वर्ष 1995–96 में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1996–97 को "क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें 193 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करेंगे।

महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में समन्वित विकास की दृष्टि से औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने हेतु एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है जिसे चालू सत्र में पारित करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिनियम किसी औद्योगिक क्षेत्र विशेष के लिये नहीं है। अपितु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी औद्योगिक क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए यह औद्योगिक प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में भूमि आवंटन, योजना तैयार करना, औद्योगिक व्यावसायिक, रिहायशी एवं अन्य मूलभूत सामाजिक सुविधाओं हेतु क्षेत्र इंगित करना....

श्री परसादीलाल मीणा : पढ़ा हुआ मान लो साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठ नहीं सकते तो आप घर जाइये। हर चीज की मजाक क्यों उड़ाते हो।

आधारभूत सुविधाओं एवं म्यूनिसिपल सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा भूमि के समुचित उपयोग को संस्थापित करना आदि सम्मिलित है। प्राधिकरण में स्थानीय उद्यमियों में से भी पांच सदस्यों का मनोनयन किया जाना प्रस्तावित किया गया है, ताकि उनके सहयोग से स्थानीय समस्याओं के समुचित निराकरण हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

उद्यमियों से खुली चर्चा : वर्ष 1994–95 में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर उद्योगपतियों से खुली चर्चा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसमें मेरी अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा भी भाग लेकर अधिकांश समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 1995–96 में संभाग स्तर पर चार बैठकें एवं जिला स्तर पर पांच बैठकों का आयोजन किया गया। प्रत्येक गुरुवार को उद्योग भवन में मैं उद्यमियों को सुनवाई के लिये विभागाध्यक्षों के साथ उपलब्ध रहता हूं ताकि मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा सके। खुली चर्चा से राज्य के औद्योगिक विकास पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा है तथा उद्योगपतियों तथा सरकार के बीच अधिक सामिप्य स्थापित होने में मदद मिली है।

ऋण सुविधाएं : राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1986–87 से 90–91 की अवधि में इकाइयों को 501.77 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था जबकि वर्ष 91–92 से 95–96 की अवधि में 937.95 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

किये जो कि 86–91 की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। रीको द्वारा वर्ष 1986-91 के कालान्तर में 144.63करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये जबकि वर्ष 91–96 की अवधि में 321.96 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये जो 1986-91 की तुलना में 122.61 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय सुविधाएं : पूंजी विनियोजन अनुदान योजना अन्तर्गत 1986–91 की अवधि में केन्द्रीय पूंजी विनियोजन योजना (पूर्व योजना 30.9.1988 को समाप्त हो गयी) में 1676 इकाइयों को 51.77 करोड़ रुपये अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1991–96 की अवधि के दौरान नयी राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना जो कि सितम्बर, 1990 से लागू की गयी थी, के अन्तर्गत 1991–96 की अवधि में 8858 इकाइयों को 241.36 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जो कि वर्ष 86–91 की अवधि की तुलना में 366.22 प्रतिशत अधिक है।

बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1987–89 आरम्भ की गयी। इस योजना में 87–91 की अवधि में 1500 इकाइयों को बिक्री कर छूट प्रदान की गयी जबकि वर्ष 1991–96 की अवधि में 3666 इकाइयो को यह छूट प्रदान की गयी जो पूर्व के चार वर्षों की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : आप तो गागर में सागर भर रहे हो (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने आपको छह घण्टे सुना है, आप मुझे एक घण्टा नहीं सुन सकते।

श्री परसादीलाल मीणा : आप जबानी भाषण देते उससे ज्यादा (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह दूंगा, वह भी दूंगा, वह तो बाकी है अभी, आपका जवाब उसी में दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आप पहले मंत्री हो, जिस किसी ने डिमांड का जवाब पढ़कर दिया हो। हमने तो कभी देखा नहीं। सारे मंत्री जबानी जवाब देते हैं। आप सबसे सीनियर हो। आप तो यहां से पढ़ते थे, वही यहां पढ़ने लग गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जहां रहा हूं, नयी चीज शुरू की है। यह नयी चीज समझिये।

श्री परसादीलाल मीणा : यह नयी शुरूआत है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : **रुग्ण इकाइयों का पुनरुत्थान** : प्रथम बार 1994 की नयी औद्योगिक नीति में बी. आई. एफ. आर, की परिधि में नहीं आने वाली रुग्ण इकाइयों के पुनर्चालन हेतु राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाली रियायतें सुविधाओं का पैकेज अधिघोषित किया गया है। इन पैकेज में वे सभी सुविधाएं एवं रियायतें जो बी. आई एफ. आर. प्रकरणों में उपलब्ध करायी जाती है, नान बी. आई. एफ. आर. में भी उपलब्ध होगी। दी जाने वाली रियायतों में मुख्य रियायतें अधिशेष भूमि बेचने की स्वीकृति, बकाया बिक्री कर पुन-

(276)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निर्वारण विद्युत कर एवं बिक्री कर के ब्याज/शास्ति की माफी, अतिरिक्त संयंत्र एवं मशीन पर चुंगी मुक्त आदि शामिल हैं। रुग्ण इकाइयों एवं नान बी.आई.एफ. आर. प्रकरण में पुनर्चालन पैकेज सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा तैयार किये जाते हैं और उसी के आधार पर राज्य सरकार एवं इसकी सम्बन्धित एजेंसियां रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान हेतु रियायतें/सुविधाएं प्रदान करते हैं।

बी. आई. एफ. आर. में दिनांक 31.12.95 तक 85 रुग्ण इकाइयों के प्रकरण पंजीकृत हुए हैं जिनमें से बी. आई. एफ. आर. द्वारा 39 प्रकरणों को या तो निरस्त कर दिया गया है या बन्द होने के आदेश दिये गये हैं। 23 रुग्ण इकाइयों के प्रकरण बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन हैं। 23 रुग्ण इकाइयों के प्रकरणों में बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुनर्चालन योजना स्वीकृत कर दी गयी है।

राजस्थान वित्त निगम के पास वर्ष 1994–95 के प्रारम्भ में 4475 इकाइयां बन्द थीं। वर्ष के दौरान 1133 और इकाइयों का अधिग्रहण किया गया और वर्ष के दौरान पुनर्वासित इकाइयों की संख्या 2125 थी, जोकि किसी भी एक वर्ष की उपलब्धि की दृष्टि से कीर्तिमान है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह मार्च, 1996 तक 278 इकाइयों का और पुनरुद्धार किया गया है।

रीको द्वारा जनवरी, मार्च 1996 तक सहायता प्राप्त कुल 612 इकाइयों में से वर्तमान में 63 इकाइयां रुग्ण हैं। ये सभी इकाइयां बी. आई. एफ. आर. के अन्तर्गत आती हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रीको द्वारा रुग्ण/बन्द डिफाल्टर इकाइयों का अब तक अधिग्रहण किया गया है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष में अधिग्रहित चार इकाइयां भी सम्मिलित हैं। अधिग्रहित इकाइयों में से 8 इकाइयों की परि-सम्पत्तियों का पूर्ण अथवा आंशिक बेचान इसी वर्ष 1995-96 में किया गया है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों का विकास : ग्रामीण बेरोजगारों की स्थिति को लक्षित रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 1995–96 में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिये एक नयी नीति बनायी गयी। इस नीति में ग्रामीण उद्यमों में स्वरोजगार, अंशकालीन रोजगार तथा नियमित रोजगार की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं के कई क्षेत्र हैं, परन्तु प्रोत्साहन प्रयासों को संकेन्द्रित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उनमें से तीन क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये क्षेत्र चमड़ा, ऊन एवं खनिज आधारित उद्योगों से सम्बन्धित है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र नीति के कार्यान्वयन हेतु नवम्बर, 1995 में राज्य सरकार द्वारा एक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र विकास एजेंसी का गठन किया है। पिछले कुछ महीनों में नीति के अन्तर्गत कई कार्य सम्पादित किये गये हैं।

रीको के सहयोग से मानपुर माचेड़ी में एक चर्म औद्योगिक काम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है जिसमें चर्म रंगाई,

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

फिनिशिंग तथा चर्म आधारित इकाइयां स्थापित की जाएंगी। चर्म आधारित उत्पाद की इकाइयों के लिए एक नया काम्प्लेक्स भरतपुर में भी स्थापित किया जा चुका है। राजस्व में चर्म आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ पर्यावरण की ओर समुचित ध्यान दिया जाये, इस दृष्टि से एनवायरनमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट का कार्य केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास के माध्यम से करवाया गया है। चर्म क्षेत्र से सम्बन्धित दक्षता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया है। इसके लिये एफ. डी. डी. आई. नोयडा एवं केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास के सहयोग से विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो प्रगति पर है।

माह अप्रेल, 1996 में विकास अध्ययन संस्थान- जयपुर द्वारा बीकानेर में एक ऊन आधारित उद्योगों की सेमिनार आयोजित की गयी हैं। इसी प्रकार, राजस्थान लघु उद्योग निगम के सहयोग से एक कम्प्यूटर कारपेट डिजाइन केन्द्र की जयपुर में स्थापना की जा रही है। ऊन आधारित उद्योगों के विकास के लिए नरबदखेड़ा (ब्यावर) तथा खारा (बीकानेर) में ऊनी धागा काम्प्लेक्स स्थापित किये जाने की कार्यवाही जी प्रगति पर है।

लघु खनिज उद्योगों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिये गठित एजेंसी द्वारा खनिज विभाग से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लेकर कार्य योजना बनायी जा रही है।

गैर कृषि क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान किये जाने का निश्चय किया गया है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित होने वाली प्रथम तीन इकाइयों के लिये अनुदान की राशि में बढ़ोतरी भी सम्मिलित है।

भावी कार्यक्रम : राज्य में जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना सम्बन्धी जानकारी एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक शिविरों का आयोजन किये जाने का एक वृहद् कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। वर्ष 1996-97 में 271 औद्योगिक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

छोटे एवं दस्तकार उद्योगों को विपणन में सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला स्तर पर 18 प्रदर्शनियां एवं मेलों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर ये प्रदर्शनियां 15 जिलों में आयोजित की जायेंगी। जिन छोटे जिलों में प्रदर्शनियां आयोजित नहीं की जायेगी, उन जिलों की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन निकट के जिलों की प्रदर्शनियों में लिये जाएंगे।

राज्य में उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना के लिये प्रारम्भिक कदम उठा लिये गये हैं। इन संस्थानों के माध्यम से उद्यमी तकनीकी एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण का लाभ उठा सकेंगे। संस्थान के संचालन हेतु एक स्वायत्तशासी निकाय का पंजीयन करवा लिया गया है और इसमें राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपयों का अनुदान भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार के तथा नाबार्ड द्वारा भी

278

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस संस्थान के लिये राशि स्वीकृत की गयी है।

राज्य में मशरूम, एसफेरेगस, जोजोबा, कटफलोवर, फलोरीकल्चर, तुम्बा तेल इत्यादि के उत्पादन तथा कपास, सोयाबीन, सरसों, ग्वारगम, ईसबगोल, गुलाब, संतरे, माल्टा, किन्नू पर आधारित उत्पादों एवं मसालों के निर्यात की विपुल सम्भावना है।

राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयासरत है आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिए। इस साल हमने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 193 करोड़ रुपये रीको का है, बाकी 25 करोड़ उद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। प्रक्रिया के नियम 272 के अनुसार, आप जानते हैं, कोई भी माननीय सदस्य या मंत्री पढ़कर कोई भाषण नहीं दे सकता....

श्री परसादीलाल मीणा : सदन को बोर नहीं करेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने इसीलिये सबसे पहले आप सभी से अनुमति मांगी थी (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हमने पढ़ने की अनुमति नहीं दी है....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब मैं आखिरी हिस्सा पढ़ देता हूं।

इस वर्ष हाथकरघा के क्षेत्र में भी लगभग 20 विशेष परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएगी। जिनके लिये केन्द्र सरकार से भी सहायता उपलब्ध होगी। कुल मिला कर लगभग रुपये आठ करोड़ की लागत इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में आयेगी जिनकी क्रियान्विति से 2,000 से अधिक बुनकरों को लाभ प्राप्त हो पायेगा।.... (व्यवधान)

अब आपने जो यहां पर भाषण दिया, आपने जो फिगर्स मांगे, वह मैं दे रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, वह तो जवाब देना ही पड़ेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह मैं फिगर्स दे रहा हूं। जैसा श्री लक्ष्मण सिंह जी ने आपत्तियां उठायी, मैं उन्हीं के फिगर्स दे रहा हूं....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हम सभी आपत्तियां विदड्रा कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब मैं जब बोलने लगा हूं तो आप कह रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, जब भाषण दे रहा था. वह भी सुनना नहीं चाहते।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, उप मुख्य मंत्रीजी...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई-माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बताओ। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छा विष्णु

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जी, आप एक तो सवाईमाधोपुर का सुन लीजिये। (व्यवधान) सवाईमाधोपुर का नहीं सुनेंगे, सवाईमाधोपुर का नहीं सुनना ?

श्री परसादीलाल मीणा : सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, तो कह रहा हूं न। सुनिये आप। सवाईमाधोपुर, गेनन डंकन एण्ड कम्पनी ने बी. आई. एफ. आर. के मार्फत इसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। इस कम्पनी ने अपना प्रबंधन लेने के बाद इसकी सारी मशीनरी को ठीक किया है, व्यवस्थाएं सुधारी हैं और लगभग इसमें 1500 से 1600 के बीच में अभी मजदूर काम कर रहे हैं। इसमें सीमेंट ग्राइंडिंग की चार इकाइयां हैं, एक इकाई इकाइयां हैं, एक इकाई इन्होंने चालू कर दी है। लेकिन यह इकोनोमिकली वायबल तब होगी कि जब दो इकाइयां इसकी चालू हों। एक चालू हो चुकी है, दूसरी को चालू करने की वह प्रक्रिया में है। जब दूसरी में उत्पादन पैदा हो जाएगा तो फिर यह कामर्शियल उत्पादन करना शुरू कर देगी।

श्री परसादीलाल मीणा : अभी बन्द पड़ी है, साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं। देखिये आप, मजदूरों को बराबर वेतन दिया जा रहा है। मई तक के मेरे पास वेतन की राशि है। बन्द तो, सैकण्ड जब चालू होगी तब कामर्शियल प्रोडक्शन होगा। अभी एक इकाई से कामर्शियल नहीं होगा। अभी तो उन्होंने टैस्ट चेकिंग की है। अब वह दूसरी को चालू कर रहे हैं, दूसरी जब हो जाएगी तो दो इकाइयां मिलकर वह चालू हो जाएगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत सेटिस्फाइड हैं। अब आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : एक सवाल साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ही का पढ़ रहा हूं मैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने एक ने कहा था कि आपने औद्योगीकरण में कितने एम.ओ.यू. किये और यह सारी बातें पूछीं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सब ठीक है साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लेकिन एम. ओ. यू. के आधार पर औद्योगीकरण नहीं होता है, आज-कल तो यह सिर्फ आई.एम. एस. ही होता है और उसकी संख्या मैं आपको बता चुका हूं, आप कहें तो दुबारा रिपीट करूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम आपके चैम्बर में आकर सब मालूम कर लेंगे। कृपापूर्वक।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक यह प्रश्न उठा था कि यह जो अप्रेजल का सवाल है, आर.एफ.सी. और बैंकों का एक ही हो जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो आर.एफ.सी. ने अपना बना लिया है इसमें कि वह अपना अप्रेजल बैंक को देने को तैयार है और इसलिये बैंकों से वह इस सम्बन्ध में कांटेक्ट में भी है और उनके अप्रेजल को बैंक स्वीकार कर लेगा तो डबल अप्रेजल कराने की जरूरत नहीं होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो पूछ ही नहीं रहे हैं गरीब परवर, बिराजो आप।

(280)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक नहीं बिराजेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक माननीय सदस्य ने कहा था कि 150 करोड़ रुपये का खाद्य तेल का जो प्रोजेक्ट लगाया जाना था उसका क्या हुआ। दूसरा आई.टी.सी. के बारे में पूछा था कि उसका क्या हुआ। 150 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट लगना था खाद्य तेल का, उस पर आयात शुल्क 125 प्रतिशत से घटा कर केन्द्र सरकार ने 60 प्रतिशत कर दिया इसलिये वह वायबल नहीं रहा। क्योंकि आयात सस्ता पड़ने लगा। इसी प्रकार से आई.टी.सी. में विदेशी साझीदारों के आपस में वेत कम्पनी में तनाव हो गया। तनाव होने के कारण वह अपना उद्योग नहीं लगा सके। इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कैलाशजी मेघवाल का कृपापूर्वक।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक आपने उस चम्बल फर्टिलाइजर का कहा था, श्री धारीवाल साहब ने।

श्री राजेन्द्र पारीक : कहने वाले गये साहब।

श्री रोहिताश्व : यह इनके समझ से बाहर की बात है साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया के बारे में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भोजन करके आये हैं क्या साहब?

श्री रोहिताश्व : हमारी तो सुबह तक की तैयारी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, सारी अलग है रीको की वह। अच्छा, सवाईमाधोपुर में यह कहा था, हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र के बारे में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आयन्दा से आप की डिमाण्ड कभी नहीं रखेंगे। आप बिराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाईमाधोपुर में 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं। वह कह रहे थे कि सवाईमाधोपुर में एक भी नहीं है। वहां पर 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो विकसित किये जा रहे हैं। बीछवाल के लिये कहा था उन्होंने, वहां पानी की रेट वही है जो पी.एच.ई.डी. की है। माण्डलगढ़ में...

श्री शिवनाथ सिंह : बिजनस एडवाइजरी कमेटी को सोचना पड़ेगा कि आयन्दा कभी इसको डिस्कसन में रखें या नहीं रखें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बस, सोच-समझ कर ही कहना आप। भीलवाड़ा के ग्रोथ सैण्टर का सवाल था, वह हमीरगढ़ में ही होगा। हमीरगढ़ के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति के लिये हमने भेजा है। वहां से स्वीकृति आने पर करवा देंगे। मकराना औद्योगिक क्षेत्र की वह शिकायत कर रहे थे। इस बार रीको ने वहां की सड़कों की मरम्मत के लिये अभी 26-26 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और उसके लिये स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : और कोई रियायत देने की घोषणा करनी है तो वह कर दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम तो यह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

काम करते हैं, रियायतें तो वह लोग देते हैं जो नौकर-नौकरों को । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो जो बैठे हुए हैं उन सब को थोड़ा–थोड़ा प्रसाद मिलेगा ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य अब आपका पेट भर गया तो मैं फिर से....

श्री शिवनाथ सिंह : संतुष्ट हैं हम सब ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर रहा हूं ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नो, नो । अभी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : खनिज मंत्री महोदय । सब की यह इच्छा है कि आप शार्ट और स्वीट उत्तर दे दें । बढ़िया रहेगा ।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं बहुत कंसाइंस रहता हूं और शार्ट में जवाब देता हूं, लेकिन सवेरे से हमने खनिज विभाग के ऊपर चर्चा की है । माननीय सदस्यों के भी बहुत अच्छे सुझाव भी आये हैं, आलोचना भी हुई है, टीका-टिप्पणी भी हुई है, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि थोड़ा बहुत समय लगे लेकिन एक प्रतिक्रिया सरकार की आ जाए हर बिंदु के ऊपर, तो एक चर्चा की सार्थकता होगी । बाकी तो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो माननीय सदस्य यहां हैं उनका तो आप जवाब दे दीजिये, बाकी को आप लिख कर भेज दीजिये, बाकी आप अपनी पालिसी बता दीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, जो है उनका जवाब दे दूंगा । यह भी आपकी बात ठीक है । तो सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और प्रकृति ने राजस्थान राज्य पर विशेष रूप से कृपा की है, यहां खनिज सम्पदा के विपुल भण्डार हैं । राजस्थान खनिजों का अजायबघर है । यहां 67, 23 तो यहां मिलते हैं अप्रधान खनिज और 44 मिलते हैं यहां प्रधान खनिज और यह कई तरह से राजस्थान के लिये हितकर है, लाभकारी है । क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन हमारी रत्नगर्भा जो भूमि है, वहां से हमको यह पूंजी मिलती है, इससे केपिटल पैदा होती है, इससे एम्पलायमेंट जनरेशन होता है, इससे विकास के काम में और सारे उद्योग धन्धे कई तरह के खनिज विभाग से चलते हैं । इस मायने में, उपाध्यक्ष महोदय, हम जो एक उछाल ले रहे हैं, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज विभाग से जिस योजनाबद्ध और जिस वैज्ञानिक ढंग से यह विकसित किया जाना चाहिए था, यह हुआ नहीं । इसके लिये आज बहुत घाटा हमको उठाना पड़ रहा है । अब हम सारे राजस्थान के आधार पर वह कदम उठा रहे हैं, जिससे राजस्थान

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रगति की दिशा में खनिजों के आधार पर आगे बढ़ सके। इससे सरकार के खजाने में भी आय होती है। इसीलिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस राज्य का जेस्पार, गारनेट, जैल, बोलेस्टोनाइट के उत्पादन में सम्पूर्ण भारत में एकाधिकार है। लगभग सम्पूर्ण जिंक कंस्ट्रेंट, जिप्सम, फ्लोराइड ग्रेडेड, एस्बेसटोस, बेल्साइड भी राजस्थान में पाया जाता है। इसके साथ ही लेड कंस्ट्रेंट-77 प्रतिशत टंगस्टन कंस्ट्रेंट-56 प्रतिशत, फास्फोराइट-62 प्रतिशत, केवोलीन-44 प्रतिशत, वाल क्ले-55 प्रतिशत, सोप स्टोन-85 प्रतिशत, अन्य-66 प्रतिशत और फेल्सफार-70 प्रतिशत में भी अग्रणी राज्य है और इस तरह अप्रधान खनिज में भी 50 प्रतिशत से ऊपर सारे देश में हमारा उत्पादन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस योजनाबद्ध ढंग से हम चल रहे हैं, उसमें हमको विशेष तौर से प्राकृतिक गैस की उपलब्धि राजस्थान में हुई है और वह इसलिये कहना चाहता हूं, आपके तो बिलकुल नजदीक है माननीय मुख्य सचेतक कांग्रेस पार्टी के, कि जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में गैस आधारित 3 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र हाल ही में प्रारम्भ होने को है। राज्य में प्राकृतिक गैस का प्रथम बार फलदायी उपयोग प्रारम्भ हुआ है। गैस पर आधारित 33.5 मेगावाट का एक अन्य ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें विद्युत उत्पादन जनवरी, 1998 में प्रारम्भ हो जाएगा। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, गैस हमारे यहां उपलब्ध हुई है जिसका हम सही दिशा में उपयोग करने के लिये जा रहे हैं। खनिज तेल की खोज भी हुई है। ये सरकार के जो प्रयत्न चल रहे हैं, संयुक्त क्षेत्र में प्राकृतिक गैस एवं तेल की खोज हेतु चार खंडों के लिये जो क्रमशः जैसलमेर 2750 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 3900 वर्ग किलोमीटर इंडियन 2 खंड 32800 वर्ग किलोमीटर एवं 37200 वर्ग किलोमीटर के नाम से बनाये गये हैं। इनकी निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। परिणामस्वरूप राजस्थान बागेवाला खंड के लिये 9 निविदायें एवं जैसलमेर खंड के लिये दो निविदायें प्राप्त हुई हैं। सैल इन्टरनेशनल जो राजस्थान में खोज हेतु भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। प्रपत्र एम. ए. यू. पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर 10558 वर्ग किलोमीटर पैट्रोलियम क्षेत्र हेतु एक्सप्लोरेशन लाइसेंस राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-1-96 से स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को मनोहर टीबा जैसलमेर में 24 किलोमीटर क्षेत्र का पैट्रोलियम हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर हमने लिग्नाइट की खोज भी की है और लिग्नाइट के बारे में इतना ही कह देना चाहता हूं कि ऐसी खोज है जो हमारे ईंधन की कई तरह की पूर्ति करेगी। इस लिग्नाइट के आधार पर भी किराल क्षेत्र में खनन पट्टे स्वीकृति के

(श्री कैलाश मेघवाल)

पश्चात्, जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को स्वीकृत किया गया था, वहां उत्पादन प्रारम्भ हो गया और मई, 1996 तक 89 हजार टन लिग्नाइट का उत्पादन हम कर चुके हैं जिसका वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं घरेलू कार्यों हेतु उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर, कपूरडी एवं जालिप्पा के लिग्नाइट भण्डारों के आधार पर क्रमशः 2 × 240 मेगावाट, 2 × 520 मेगावाट एवं 4 × 250 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट के क्षेत्र में भी हमारे यहां 13 कारखानें चल रहे हैं और तेजी से हम यहां पर आशय पत्र और स्वीकृतियां केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद देते जा रहे हैं। निकट भविष्य में कई तो निर्माणाधीन हैं और 13 सीमेंट के कारखानें भी और प्रारम्भ हो जाएंगे। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास लाइम स्टोन का भण्डार अपार हैं और उसके आधार पर हम सारे देश की सीमेंट की आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं और इसके साथ ही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सीमेंट की इतनी हमारे यहां पर सम्भावनाएं हैं। मेरा ऐसा विचार है कि जरा शार्ट में ही अपने विचार रखूं और मैं मुख्य बिन्दुओं पर आ जाऊं, जैसा मूड चल रहा है।

मैं सबसे पहले बाड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने सवेरे यहां एक मसला उठाया था और मसला भी इतना महत्वपूर्ण उठाया कि 10 करोड़ रुपये खो दिये, 3 करोड़ रुपये खो दिये सरकार ने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में मैं बिलकुल संक्षेप में आपके सामने स्थिति रखना चाहता हूं कि यह गोरखधंधा क्या है जिसमें आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपये खो दिये हैं, कभी कह रहे हैं कि अभी तक 3 करोड़ रुपये खो दिये हैं। यह गोरखधंधा समझ में आना चाहिये। सभी माननीय विधायकों को, जिससे कि किसी तरह कि कोई शंका मन में नहीं रहे और इसके बाद भी मैं आमंत्रित करूंगा, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक ने भी माननीय श्री जुबेर खां जी ने भी सबने इस विषय पर विचार रखे हैं। प्रश्न यह है कि वहां पर लीजें दे रखी हैं और प्रत्येक लीज के साथ डेड रेंट स्थिर भाटक तक फिक्स होता है। पहले वो फार्मूला समझ लें, श्रीमन्, और डेड रेंट तो आदमी को, चाहे लीज होल्डर खनन करे और चाहे खनन नहीं करे, सरकार उससे डेड रेंट पूरा वसूल करती है। स्थिति यह बनती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब खनिज का उत्पादन किया जाता है, दोहन किया जाता है तो रवन्ना इश्यू किये जाते हैं और डेड रेंट तक के रवन्ना तो उस खनिज के जो हमारा रेंट स्थिर है उसके अगेंस्ट अकाउण्ट फार हो जाते हैं और जब डेड रेंट की राशि वो उन रवन्ना के आधार पर जब पूरी चुक जाती है उसके बाद एक्सेस रायल्टी चालू हो जाती है और वो एक्सेस रायल्टी वसूल हो जाती है तो मैं यह बिन्दु आपके सामने इसलिये रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने पिछली बार पहली बार वहां पर एक्सेस रायल्टी के ठेके दिये हैं और एक्सेस रायल्टी के ठेके दिये हैं उसकी स्थिति

(284)

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि स्थिर भाटक, वो सब इससे सहमत होंगे खनिज क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं और जो खनिज क्षेत्र को जानते हैं स्थिर भाटक तो वसूल होना ही है चाहे हो या नहीं हो। लेकिन जो एक्सेस रायल्टी थी उसके आंकड़े मैं आपके सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आप जिस शंका को उठाये हैं वो शंका भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा कि आपने किस आधार पर यह शंका उठायी है। स्थिर भाटक जो है वो तो वसूल होता ही है उसको छोड़ दो, अब एक्सेस रायल्टी धौलपुर जहां की आपने चर्चा की है। धौलपुर में 1992 और 1993 में दो लाख सतरह हजार की एक्सेस रायल्टी हमको मिली। स्थिर भाटक के ऊपर 1992–93 और 1993–94 में जब राष्ट्रपति शासन था राजस्थान में उस समय एक्सेस रायल्टी 96,000 मिली (केवल नाइंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज) और उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब फिर से नया शासन बना तो 1994–95 में एक्सेस रायल्टी 35 लाख 33 हजार मिली और अब जो इसके बाद फिर बढ़ा तो 1995–96 में एक्सेस रायल्टी 63 लाख 21 हजार रुपये मिली धौलपुर से और अब हमने जो ठेका दिया है 1996–97 के लिए वो ठेका एक करोड़ पच्चीस लाख में गया है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : खाली धौलपुर में या पूरे राजस्थान में ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं–नहीं, जहां-जहां हमने ठेके दिये हैं। आप इस स्थिति को समझिये। यह समझे बिना आपको समझ में नहीं आएगी। उनका मुद्दा भी, आपका मुद्दा भी मैं रख दूंगा यह क्यों उठा रहे हैं मैं बताऊं होता क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायल्टी जब जाती है और जब हमारे नाके थे, सरकारी नाके थे उन सरकारी नाकों के वक्त से एक-एक रायल्टी की स्लिप से वहां जिस तरह से माफिया गिरोह काम कर रहा था। मैंने जो आपको आंकड़े बताये कि एक्सेस रायल्टी की सारी रकम खायी जा रही थी चाहे उसमें हमारे विभाग के अधिकारी मिले हों, चाहे कनाइवेन्स हो, चाहे लापरवाही हो लेकिन जो वहां का खान माफिया था वो खान माफिया इस सरकार को एक पैसा नहीं दे रहा था। हमने जब नाके लगा दिये तो नाके पर ठेकेदार किसी भी ट्रक को नहीं निकलने देते। अब उसमें एक स्थिति साफ है, आप कहेंगे कि साहब इल्लीगल माइनिंग का ट्रक भी वहां जाता है, नाके पर जब जाता है तो व्यवस्था यह है कि अगर डेड रेंट की रायल्टी के उसके पास कागज नहीं हैं तो वो फ्री माना जाता है, उसी खान का ही माना जाता है। लीगल माइनिंग का भी हो सकता है, इल्लीगल माइनिंग का भी हो सकता है। अब उसना के पर जो ठेकेदार वसूल कर रहा है उसको यह कतई मालूम नहीं है कि यह लीगल माइनिंग का खनिज है या इल्लीगल माइनिंग का खनिज है। आप जो बिन्दु इसमें उठाना चाहते हैं वो यह है कि साहब इल्लीगल माइनिंग का खनिज भी है और उसको केवल सिंगल रायल्टी जो हम लेते हैं वो ही लेकर 10 गुना क्यों नहीं ली जो कि हमारी पेनल्टी है। यह ठेकेदार को अधिकार नहीं है। क्योंकि ठेकेदार

(श्री कैलाश मेघवाल)

के नाके पर लीगल माईनिंग का खनिज है या इल्लिगल माईनिंग का खनिज है यह तो पता नहीं चलता है और इसलिए आज तक भी जो खान माफिया था उस खान माफिया के (व्यवधान) देखिये सुन लीजिये। पहले मेरी बात सुन लीजिये। मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपकी सुनूंगा। मैं इसके कारण बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस क्षेत्र से आते हैं। करौली में हमारा स्थिर भाटक....

श्री दलजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर का जिक्र हो रहा है। मैं सरेआम यहां कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह महत्वपूर्ण बात है। आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने गलत आंकड़े दिये हैं। मैं सरेआम आरोप लगा रहा हूं कि ये आंकड़े जो हैं गलत हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट इनका वक्तव्य समाप्त हो जाने दीजिये उसके बाद आप बोलिये। इनका वक्तव्य समाप्त हो जाने दीजिये....

श्री दलजीत सिंह : नहीं-नहीं, हमें कहने दो संग के संग ही। यह खान माफिया का जो जिक्र किया जा रहा है मैं यह साबित करना चाहता हूं। कि जो खान माफिया है वो सरकारी माफिया है, यह सरकारी खान माफिया है, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं अब कहता हूं कि सब दुनिया जानती है, साहब, सुन लें मेरी बात। प्लीज, एक महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात को आपके सामने, उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद समय दूंगा। उसके बाद आपको मैं समय दूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक मिनट मेरी सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य समाप्त करने के बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री दलजीत सिंह : ठीक है, साहब।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कृपा की मेरे ऊपर। मैं इस बिन्दु को बिलकुल स्पष्ट इसलिये कर देना चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि कोई विधायक यहां पर हो वो इस बात को लाकर आंकड़े देवे कि हम अब जो डेड रैंट प्लस जो हमारी एक्सेस रायल्टी का जो ठेका दिया है इस रकम से कभी भी ज्यादा पिछले 50 साल में एक पायी भी ज्यादा आयी हो, तो वो साबित करें तब हम मानेंगे। वहां पर इल्लीगल माइनिंग इतना चलता था सरकारी संरक्षण में भी दूसरे विभागों के संरक्षण में भी और जो इंट्रेस्टेड पार्टी उनके संरक्षण में भी। अब चोट उन लोगों के पड़ी है जो कह देते हैं खोद और ले जा, निकाल रवन्ना। आज उनके चोट पड़ी है जो ये सरकारी पैसा खा रहे रहे थे पिछले 50 साल से। इस बात की यह पैरवी की जा रही है इस खान माफिया की, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आज की तारीख 1996–97 तक डेड रेंट एक्सेस रायल्टी जो राज्य सरकार के खजाने में आयी है उस रकम से कभी भी गत 50 सालों में ज्यादा आयी हो तो मैं खान मंत्री से त्यागपत्र देने को तैयार हूं।

श्री दलजीत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : आप बैठिये, दर्द कहां है मुझे मालूम है (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : मैं प्रूव कर दूं, आप दे दोगे ? यह मुझे जवाब दीजिये। फिर मैं कागज के साथ दे दूंगा तो आप देने के लिये तैयार हो जायं (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आपके लिये नहीं कहा है मैंने ? मैंने आपका नाम नहीं लिया। माननीय विधायक का नाम नहीं लिया, मैंने खान माफिया का नाम लिया है। आगे और देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा हो जाए पूरी। मैं आगे आपको करौली के फीगर देना चाहता हूं। करौली की फीगर क्या है; डेड रेंट तो करौली में वसूल होता ही है और करौली में 1994-95 में एक्सेस रायल्टी का 40 लाख रुपया मिला, 1995-96 में एक्सेस रायल्टी का 50 लाख रुपया मिला और अभी हमने जब ठेका दिया है, एक्सेस रायल्टी का एक करोड़ 25 लाख 53 हजार में ठेका गया है। अब वह हमको डेड रेंट तो मिलेगा ही। उस डेड रेंट के साथ यह रकम और जोड़ दीजिये। यह सरकार के खजाने में आएगी जो आज तक खान माफिया दादागिरी से एक रायल्टी के परमिट पर 10-10 ट्रकें ले जाते थे। सब मिले हुए थे उसमें।

फिर मैं आपको बयाना का बताता हूं। बयाना में देखिये आप, आश्चर्य की स्थिति है, बयाना में 1994-95 में एक्सेस रायल्टी का हमको 3 हजार रुपया मिला, 1995-96 में एक्सेस रायल्टी जीरो और अब जब हमने भरतपुर के ठेकों को उठाया है तो एक्सेस रायल्टी हमको 29 लाख 51 हजार रुपये की आ रही है इसलिये जिस ढंग से यहां बात रखी जा रही है, यह खान माफिया जिस तरह से दादागिरी करता था और जो रकम बराबर में आनी चाहिये थी, उसको जो हजम करते थे उनकी पैरवी की जा रही है। यह मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। यह मैंने आपके सामने इसलिये रख दिया, उपाध्यक्ष महोदय, यह मालूल होना चाहिये कुछ मुद्दे उठे हैं और उन मुद्दों के आधार पर अब मैं आगे चलना चाहता हूं। मैं सूक्ष्म में ही जाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय विधायक ने 2-3 मुद्दे उठाये हैं। एक मुद्दा आपने उठाया कि फोरेन की कम्पनीज, अब उस फोरेन की कम्पनीज में मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने किया क्या है। हमारे पास जो स्वदेशी, देखिये स्वदेशी का पहले अध्ययन कर लिया जाए और स्वदेशी नीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी थोड़ा स्टडी कर लिया जाए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय विधायक अध्ययन और अध्यापन के बड़े शौकीन हैं, इसलिये वह स्वदेशी पढ़ ली जाए। उस स्वदेशी में स्पष्ट है कि ऐसे उद्योग या ऐसे एडवेंचर या ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हिन्दुस्तान में उपलब्ध नहीं है या ऐसे उद्योग जो कि हिन्दुस्तान में जिसकी पूंजी का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसी कम्पनियों के लिये हम फोरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे। यह भी हमारी स्वदेशी नीति के साथ प्रावधान है जिसको बार-बार यहां कहा जाता है स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी। हम स्वदेशी

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं। मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। पहले स्वदेशी की नीति पढ़ लीजिये और हमारी भारतीय जनता का घोषणा पत्र पढ़ लीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने क्या किया है, आस्ट्रेलिया की मैसर्स बी. एच. पी. ने बेस्ट मेटल्स की खोज हेतु सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौते प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। अब क्या करेंगे? हवाई सर्वेक्षण, इसके पास इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये जमीन पर तो घूमेंगे, उतरेंगे ही और हिन्दुस्तान जिंक के पास वह टेक्नोलॉजी नहीं थी। यह एरो सर्वे है, यह एरो सर्वे होगा, हवाई जहाज से आएंगे जितना उनको क्षेत्र दिया है, वहां अपना हवाई जहाज दौड़ाएंगे। उस हवाई जहाज से वहां पर बेस्ट मेटल्स के आधार पर, जो भी मेटल्स उपलब्ध है जमीन के अन्दर उसका पता लगाकर हमको रिपोर्ट देंगे। इसी तरह इंगलैण्ड मेक्डिस्ट जिसका आपने नाम लिया है। मेक्डिस्ट ग्रुप की कम्पनी मेटेनिंग एण्ड होल्डिंग लिमिटेड बाम्बे ने निकिल एवं बेस्ट मेटल्स के लिये आवेदन किया है। आस्ट्रेलिया की मैसर्स सी. आर. ए. ने एक्सप्लोरेशन ने मेटल्स हेतु सर्वश्री ए. टी. सी. लिमिटेड के साथ मिलकर खोज करने का अनुबन्ध किया है। इन तीनों कम्पनियों ने बड़े क्षेत्रों में प्रोस्पेक्टिव रीको से लाइसेंस के अन्तर्गत एयर बोर्न्ड जियो फिजिकल में सर्वे किये जाने की प्रक्रिया भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मेटेनिंग फाइनेंस एण्ड होल्डिंग लिमिटेड ने दो क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु जो आवेदन किया है उसको भी भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अब यह आर्थिक सर्वेक्षण होने वाला है, इसमें 10–15 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट होने वाला है और जो प्रिलिमिनरी डेटाज मिलेंगे उन डेटाज के आधार पर राजस्थान की सरकार सारा डेबुलेशन करके और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस को जमीनी एम. एल. या पी. एल. दी जाती है उसकी स्थिति आएगी। यह सबसे रेपुटेड कम्पनीज आफ द माईनिंग है, इन द वर्ल्ड। इसके अलावा, दूसरी कोई इतनी बड़ी कम्पनियां नहीं हैं। वह यहां पर आकर हमको मदद कर रहे हैं यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। हमने उनका स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि ऐसी और भी कम्पनियां आवें। इसलिये श्रीमाधोपुर से माननीय विधायक इस बात का मेरे से स्पष्टीकरण ले लेते तो शायद अब आप एप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, नहीं यह राजस्थान के हित में हो रहा है। यहां के बेस्ट मेटल्स का पता लगे। सोना भी है जिसमें और चांदी भी है जिसमें। जो बेस्ट मेटल्स हैं उसके लिये हमने बुलाया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसमें चांदी है, यही मैं कह रहा था।

श्री कैलाश मेघवाल : चांदी भी है। अगर चांदी है तो यहां भी आजाएगी अंगूठी, वहां भी अंगूठी आ जाएगी। उसमें क्या है? चांदी की अंगूठियां भी बनती हैं। अब सोना है तो चेनें बन जाएंगी। मेरी बनेगी, आपकी भी बन जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर काम तो अच्छा हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री कैलाशजी, ये तो किसी के कहने से बोल देते हैं, वैसे आदमी बहुत भले हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको एक निवेदन करूं। वह भी मैं बताता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने कुछ फीगर्स रखना चाहता हूं। फीगर्स इसलिये रखना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी मिले कि हमारे खनिज क्षेत्र में कितना पोर्टेशियल है। माण्डल से आने वाले माननीय विधायक ने सवेरे कुछ आंकड़े रखे थे। एक साल में उन्होंने बड़ा उछाल बताया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके वक्त में यह जो नये खनिज की आधार भूमि है, यह उनके वक्त में बनी है। मैं उनको आज बधाई देना चाहता हूं लेकिन एकदम जो उछाल खाया था वह करीब 50 करोड़ का फीगर बताया था। श्रीमान्, मैं स्थिति सामने रखना चाहता हूं कि उस समय रायल्टी रिवाइज हुई थी एग्जेक्टली, उस समय रायल्टी कर रिवीजन हुआ था और रायल्टी के रिवीजन से रेट्स बढ़ गयी थीं तो रेट्स बढ़ने के कारण 1991–92 में तो 103 करोड़ 90 लाख रुपये की रायल्टी थी और वह रायल्टी रिवीजन होने के कारण 1992–93 में 153 करोड़ 1 लाख तक पहुंच गयी। अब इसके बाद वापस हुआ है। मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि आज हमने बिना रायल्टी रिवीजन के जो मिनरल पालिसी आने के बाद और मिनरल पालिसी, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक की खुद की बनायी हुई मिनरल पालिसी है। खनिज परामर्शदात्री सीमित हमने बनायी है और हमनेदो मीटिंग की। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है और मेरा ऐसा ख्याल हैं कि आज सारे राजस्थान का मिनरल वर्ल्ड से सम्बन्धित व्यक्ति यह जानता है कि जो सुझाव राजस्थान के खानों के विकास के लिये और उसके लिये जो हो सकते हैं, जो भी इनके हर्डल्स होते थे, जो भी इनकी दिक्कतें आती थीं सारी हल करने की कोशिश की है। आज भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आमन्त्रित करना चाहता हूं, क्योंकि यह बड़ी ट्रांसपेरेंट वर्किंग हमने कर दी है।

(23.00)

सारे मिनरल एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक ने, सबने बढ़कर कह दिया कि अधिक से अधिक खनिज का दोहन हो और यह जो लीज होल्डर्स हैं It is an extended arm of the state working. और इससे राज्य सरकार के खजाने में पैसा आ जाए, इसमें हमको सहयोग मिला है। इस सहयोग के मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि 1992–93 में 153 करोड़ और कुछ लाख रुपये लिये, 1994–95 में 182 करोड़ और कुछ लाख रुपये लिये, पिछले साल 1995–96 में 214 करोड़ रुपये लिये हैं और इस साल का हमारा टार्गेट है 250 करोड़ रुपये वसूल करने का। मैं यह फिगर आपके सामने इसलिये रख रहा हूं कि आखिर हम खनिज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खनिज का काम बढ़ा रहे हैं। सारे राजस्थान के खनिज व्यवसायियों को, पट्टेधारियों को, काम करने वालों को विश्वास में लेकर हम चल रहे हैं और मुझको उम्मीद है कि यह बहुत अधिक बढ़ सकता है। हमारे यहां इतना अधिक खनिज

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, क्योंकि हमारा खनिज तो विश्व में सब जगह मान्य है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इटली गया था । यहां के कुछ माननीय सदस्य भी और दूसरे लोग भी साथ थे। इटली की आज बड़ी मांग है । मैं एक बात विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इटली में माल इतना बढ़िया नहीं है जितना हमारे पास है । दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्बल हमारे यहां उपलब्ध है । लेकिन दुर्भाग्य है कि इटली का पोलिशिंग और इटली की टेक्नोलॉजी हमसे इतनी आगे है कि वो अपना धूला भी सोने के भाव बेच रहे हैं और हम अपने सोने का मार्बल भी ठीक ढंग से नहीं बेच पा रहे हैं । अब इस बात के प्रयत्न चल रहे हैं, हमारे लोग बेरोना में जा रहे हैं एक्सपोजर में जा रहे हैं, बैंगलोर में जा रहे हैं और सरकार पूरा प्रोत्साहन दे रही है और बराबर शेयर के लिये कई लोगों को हम आगे लाये हैं और वो आएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उसका जवाब दे दूं, जो एक पोस्ट है । एक बिंदु था । पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक श्री विष्णु जी ने 1994 में मेरे यहां पर दिये गये भाषण का हवाला देकर एक विशेष अधिनियम के पास कराने और बनाने की उन्होंने बात कही । मैं उनसे सहमत हूं कि मैंने वो भाषण दिया था और वो भाषण देने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विचार क्या था कि इल्लीगल माइनिंग जो होती है, यह इल्लीगल माइनिंग रुके और इसके लिये पेनल्टीज या दूसरे ऐसे प्रावधान उस एक्ट में किये जाएं जिसके आधार पर इल्लीगल माइनिंग रुके । वही व्यवस्था हमने, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक अगर इससे नहीं हुआ तो हम देखेंगे । लेकिन हमने इन रूल्स में ..

श्री विष्णु मोदी : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि आपने कहा था लेकिन आपने जो रूल्स रिवाइज किये हैं, उनमें इसका कोई तात्पर्य नहीं है । आपने जो कहा और जो रूल्स रिवाइज किये, उसका कोई तात्पर्य नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से असहमति हो सकती है । लेकिन मेरी मंशा यह थी उस समय, जो उसके पढ़ने से सामने आ जाए कि इल्लीगल माइनिंग राजस्थान में रोकी जानी चाहिये । उस मंशा को पूरा करने के लिये हमने, जो हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स में पहले प्रावधान था कि अवैध खनन करते कोई पकड़ा जायेगा तो इस हेतु 6 माह जेल तथा एक हजार रुपये अर्थ दंड का प्रावधान था तथा अवैध खनन जारी रहने पर प्रतिदिन सौ रुपये के अतिरिक्त अर्थ दंड का प्रावधान था । इसको हमने बदलकर के संशोधित प्रावधानों में एक वर्ष की जेल तथा पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड तथा अवैध खनन जारी रहने पर प्रतिदिन पांच सौ रुपये की दर से अर्थ दण्ड की व्यवस्था रूल्स में की है । दूसरा था रूल–42 में पहले गलत रेकार्ड मेनटेन करने का, रेकार्ड में हेराफेरी करने के लिये स्पष्ट दंड के प्रावधानों का अभाव था, पहले के रूल्स में । हमने इस नियम में संशोधन करके खनिज उत्पादन और निर्गमन के गलत रेकार्ड का या रेकार्ड में हेराफेरी करने पर 6 माह की जेल व एक हजार रुपये अर्थ

(290)

(श्री कैलाश मेघवाल)

दंड का प्रावधान जोड़ दिया है तथा इस प्रकार की स्थिति लगातार जारी रहने पर सौ रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दंड का प्रावधान जोड़ा गया है। हमने एक और बदला, पहले विभागीय अधिकारियों को ऐसे ऑफन्सेज को कम्पाउंड करने के लिये अर्थदंड लगाने के अधिकार थे, जो न्यूनतम सौ रुपये की राशि पर कम्पाउंडेबल थे। विभागीय अधिकारियों को न्यूनतम पांच सौ रुपये लगाकर ही ऐसे ऑफेंसेज को कम्पाउंड करने के अधिकार किये गये हैं। क्वेरी लाइसेंसधारियों के द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करने पर क्वेरी लाइसेंस खंडित करने के प्रावधान नहीं थे। संशोधित नियम 19 (7) नया जोड़ा गया है। जिसके अनुसार क्वेरी लाइसेंसधारी द्वारा क्षेत्र के बाहर खनन करने पर लाइसेंस खंडित करने का प्रावधान डाला गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमने परिवर्तन किये हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इन परिवर्तनों से प्रभावी स्थिति बन गयी है। मैं आपको आज भी विश्वास दिलाता हूं कि इन परिवर्तनों से अगर हम इल्लीगल माईनिंग को रोकने में किसी तरह से असफल रहे और अगर हम यह महसूस करेंगे इसी सदन में कि जिससे वह लगे कि ये प्रावधान इल्लीगल माईनिंग रोकने के लिये अपर्याप्त हैं तो माननीय विष्णु जी उस वायदे पर हमेशा कायम रहूंगा। जब वो स्थिति आएगी और आपकी खनिज परामर्शदात्री समिति में इस विषय पर चर्चा भी करा सकते हैं। आपकी राय बड़ी ध्यान से वहां सुनी जाती है। आपके सुझावों का भी पालन किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक मांग उठी। उस मांग के साथ कुछ मुद्दे भी आये। वो माननीय विधायक तो नहीं हैं लेकिन उस विषय पर मैं सरकारी पक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा। मांग यहां पर उठी थी कि जनजाति क्षेत्र जो है ट्राइब्ल एरियाज, वो ट्राइब्ल एरियाज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर है। इन ट्राइबल एरियाज में 50 पर्सेंट खनिज के क्षेत्र सुरक्षित करने की मांग आज उठी है, दोनों तरफ के पक्ष में। हमने पिछली बार खनिज परामर्शदात्री समिति से राय करके ग्रेनाइट और मार्बल के 20 पर्सेंट पट्टे सारे राजस्थान की दृष्टि से सुरक्षित किये हैं। लेकिन आज एक नया विचार आया और जैसा कि राजस्थान, हमारे देश के संविधान में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रीएम्बल की पहली लाइन है "वी दी पीपुल ऑफ" करके। एक ही बोलूंगा :– 'Justice social, political and economic.'' इकोनोमिक जस्टिस सबको देना है, यह संविधान की व्याख्या है और इस प्रीएम्बल की पृष्ठभूमि में आर्टीकल–39 ऑफ दी कांस्टीट्यूशन क्या कहता है कि "समाज के प्राकृतिक संसाधनों का सभी वर्गों में समान रूप से वितरण किया जायेगा। जिससे कि किसी एक वर्ग का, या किसी एक तरह के लोगों का उस पर एकाधिकार नहीं हो सके। तो समाज के प्रत्येक वर्ग पर... ।" इन दो संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठ भूमि पर मैं उनकी मांग के ऊपर गंभीरता से विचार करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि मेरा यह भी मानना है कि पढ़ाई-लिखाई और पैसे वाला जब तक शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

बनेगा, तब तक उसके लिये यह सारी स्वतंत्रता अधूरी है, तब तक उसके लिये संविधान के सारे प्रावधान बेकार हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं।

अभी एक माननीय विधायक ने इसी रेफरेंस में एक चर्चा उठाई थी और राजसमंद से आने वाले माननीय विधायक ने भी उस चर्चा को थोड़ा समर्थन दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में मैं पहली बार खान मंत्री था और पहली बार राजस्थान के नियमों में यह प्रावधान किया गया था, 1977 में कि खानों के प्रावधान, खानों के अलाटमेंट करने में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स मैन्युअल लेबर, काम करने वाले और फार्मर। उस समय भी राजस्थान में एक मांग उठी थी, यह तो बेच देंगे, यह कर देंगे, इनका क्या है। मैंने उस समय भी एक सवाल उठाया था, जब यह मांग उठी थी। एक चर्चा में मैंने कहा कि जितने बड़े लीज होल्डर्स हैं वो तो जाकर वहां हथौड़ा लेकर के काम करते होंगे और एक पट्टाधारी करोड़पति पट्टा लेकर बैठा है। मैनजमेंट से नीचे तनख्वाहदरों से काम कराता है और एक हमारा शिड्यूल्ड कास्ट है। आज भी पट्टा उसके नाम है और उसको कोई फाइनेंस करता है तो वो लीज ट्रांसफर हो गयी। हमने उसमें प्रावधान डाल दिया कि लीज ट्रांसफर नहीं हुई, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जारी है, अब इसके बाद कहीं से वो फाइनेंस लेता है, तो सारा बिजनेस वर्ल्ड आज कर्ज पर टिका हुआ है, फाइनेंस करते हैं। लेकिन यह तर्क, मुझे खुशी है इस बात की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 के बाद आप जोधपुर और मसूरिया में चले जाइए, 1977 के बाद आप बिजोलिया में चले जाइए, आज शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में करोड़पति तक मिलेंगे, अरबपति मिल जाएंगे। उसी नीति का परिणाम है और उसको आगे बढ़ाने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा।

एक आलोचना यह भी की गयी कि कोई बिजोलिया में समिति है, मैंने पिछली बार भी इसी विधान सभा में कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की एक समिति है और उस समिति को 1984 में प्लाट्स मिले थे। 1984 में मिले हुए प्लाट्स को लगातार आगे बढ़ाते गये। उसमें कुछ प्लाट्स इसलिये सरेंडर किये, मैंने उस समिति को प्लाट्स दिये और प्लाट्स भी समिति के नाम के नहीं है। हमने उसमें भी एक सावधानी बरती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि समिति के सदस्य के इंडिविजुअल के नाम पर प्लाट्स हैं, जिनको वह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सहकारिता की भावना भी आगे बढ़े, सामूहिक रूप से वो काम भी करे और उस समिति को या उसके सदस्यों को कहीं से फाइनेंस मिलता है, यह तो आज के बिजनेस वर्ल्ड की एक परिपाटी हो गयी है, उस आधार पर मैं नहीं रूकने वाला। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो सोसल इकोनोमिक जस्टिस देने के लिये मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में जितना भी करना पड़ेगा मैं करता चला जाऊंगा और इस सदन में अपनी स्थिति साफ रखते हुए सदन का विश्वास भी प्राप्त करूंगा, यह भी करूंगा। रह तो बहुत गया लेकिन आपका

(श्री कैलाश मेघवाल)

मूड ऐसा ही है तो केवल मीठालाल जी वाली बात बता देता हूं आपको।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम में डेपुटेशन पर लोग आते हैं। जब डेपुटेशन होता है तो उस प्रतिनियुक्ति के हिसाब से श्री नरहरि शर्मा आई.ए.एस. इसमें डेपुटेशन पर आये और 4.8.1992 से 12.1.1993 तक वे रहे। श्री अजयसिंह चित्तौड़ा इसमें डेपुटेशन पर आये और 23.8.1993 से 22.2.1994 तक रहे। श्री राजेन्द्र भानावत जो आज आई. ए. एस. हैं पहले आर. ए. एस. थे, वे डेपुटेशन पर आये और 21.3.1994 से 8.11.1994 तक रहे। अब श्री दिलीप शिवपुरी हैं, जो इण्डियन रेवेन्यू सर्विस के सदस्य हैं वे 9.6.1995 से डेपुटेशन पर आये हैं। यह वहां की व्यवस्था है न तो उनके लिये कोई नया पद सृजित किया गया है, न ही उनको आउट–ऑफ–वे जाकर कोई लाभ दिया गया है। यह एक डेपुटेशन की पोस्ट थी, हम राजस्थान के अधिकारियों में से भी लेते आये थे। अब हमने केन्द्र सरकार के एक अधिकारी को पात्र मानकर ले लिया है। इसमें किसी तरह का कुछ नहीं हुआ।

राजसमन्द में, माननीय विधायक तो चले गये, उन्होंने खानों का मामला उठाया था। (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी तो उन्होंने फेक्ट ठीक रखे, 1984 से लेकर 1989 तक के घपले उन्होंने रखे और ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि आप यह कह दो कि यह तो कांग्रेस काल का है, और मैं भी स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस काल का है। लेकिन जब मेरी निगाह में सारी बात आ गयी तो धीरे-धीरे सारी जांच करके, बड़ी ऑनेस्टली और स्मार्टली हमने उन 3 खानों का तो कब्जा ले लिया, जिस एक खान के लिये उन्होंने कहा कि उसका कब्जा नहीं लिया, उसको हाई-कोर्ट से स्टे है।

श्री विष्णु मोदी : आपने गलत किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : गलत किया है तो हाई–कोर्ट में चले जाओ। वे पहले भी हाई–कोर्ट में थे।

श्री विष्णु मोदी : उसमें राठौड़ी की है।

श्री कैलाश मेघवाल : राठौड़ी तो कहीं कहीं करनी पड़ेगी। खान माफिया को खतम करना है तो राठौड़ी करनी पड़ेगी और राठौड़ी हमेशा करूंगा अगर खान माफिया किसी भी तरह से मेरे रास्ते में आया, क्योंकि जो जैसा होता है, उसके साथ वैसा ही डील करना पड़ता है। और इसलिये पुलिस भी मेरे पास। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय श्री जोगेश्वरजी गर्ग बिराजे होंगे, वे चले गये लेकिन उनका मामला स्पष्ट कर दूं कि जो ग्रेनाइट पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हमारी एग्जिस्टिंग....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : राठौड़ी कर रहे हो आप। कानून के तौर–तरीकों से तो कर नहीं रहे हो। आप तो राठौड़ी से ही कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक महोदय, मैं कानूनी राठौड़ी करता हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : नहीं, आपने यह नहीं कहा कि कानूनी राठौड़ी। (व्यवधान) आपने यहां कहा कि मैं राठौड़ी करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : क़ानूनी राठौड़ी (व्यवधान) कानून की परिधि में राठौड़ी करता हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपने कानूनी राठौड़ी कहा ही नहीं। आपने यहां कहा कि मैं राठौड़ी से कर रहा हूं। (व्यवधान) इसका मतलब आप सब इल्लीगल काम कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इल्लीगल काम नहीं, मैं कानून की मंशा के अनुरूप राठौड़ी करता हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसका पट्टा.... (व्यवधान) और पट्टा ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक महोदय, उसके लिए मुझे कई बार मजबूर होना पड़ता है।

श्री टीकमचन्द कांत : इसका नाम सख्ती है।

श्री कैलाश मेघवाल : अब वह जिस तरह की भाषा थी, मैंने भी उसको कह दिया, सख्ती मैंने कहा।

एक माननीय सदस्य : आप धमकाना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, इनको तो धमकाने का सवाल नहीं है। ये और मेरी धमकी में आएं। ये 1977 से 1980 तक भी मुझे गाइड करते थे और आज भी मुझे गाइड कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर मेरी खनिज परामर्शदात्री समिति चल रही है, और ये मेरी धमकी में आएं....। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेनाइट के जो प्लाट हैं, वहां ग्रेनाइट के प्लाट्स देने की बात उठी कि 200 कारखाने हमारे लग रहे हैं। ग्रेनाइट की पॉलिसी में हमने 10 प्रतिशत तो स्पेशल कंसीडरेशन, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, अपनी बढ़िया यूनिट लगाएं, उनके लिये रख रखे हैं। 40 प्रतिशत प्लाट्स उन लोगों के लिये सुरक्षित रखे हैं जो कि उद्यमी हैं, जो एग्जिस्टिंग कारखानेदार हैं, जो खातेदार हैं उनके लिये हमने सुरक्षित रखे हैं। इनको पट्टे दिये जा सकते हैं और दूसरे पट्टे जनरल रखे हैं। इसमें कहीं किसी तरह की बाधा नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। अब ज्यादा यहां भी यह विधान सभा की राठौड़ी हो जाएगी।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपने खान माफिया की बात कही। मैंने खुद ने अपने भाषण में कहा था कि भू-माफिया, शराब-माफिया और अब खान माफिया भी बनता जा रहा है। आप उसमे राठौड़ी करें, कानून के दायरे में करें लेकिन इल्लीगल माइनिंग के लिये करें तब तो अच्छा है। जिन खानों का है, मैं उसमें जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन आपने धौलपुर, करौली, भरतपुर का जिक्र किया, आपने अधि–शुल्क संग्रह के कारण एक्सेज रायल्टी देने का ठेका

(294)

(श्री विष्णु मोदी)

दिया है। एक्सेज रायल्टी आपको नहीं मिलती थी, आप वसूल करें, यह आप किसी भी तरीके से करें। (व्यवधान) एक सेकेण्ड, साहब।

स्टेट एक्सचेकर का जो नुकसान है, वह इसमें इसलिये है कि आपका जो फार्म है, उसके अन्दर क्रमांक, नाम व्यापारी, नाम ठेकेदार, क्षेत्र, एक्सेज रायल्टी है। तो जिस लीज से मिल रहा है जिस कांट्रेक्ट से जाएगा, उसकी ही तो एक्सेज रायल्टी आप लेंगे, जिस लीज से डेड-रेंट के ऊपर माल जाएगा उसी की ही तो एक्सेज रायल्टी आप वसूल करेंगे जो कि पहले आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन इसमें....

श्री कैलाश मेघवाल : अब मैं आपका पाइंट समझ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एक्सेज रायल्टी उसको कहते हैं जिसके पास लीगल रवन्ना माईनिंग डिपार्टमेंट का नहीं है, हम उसको, एक्सेज लीगल माइनिंग किया हुआ माल भी एक्सेज है। जैसे क्या होता है कि हम रायल्टी इतनी देते हैं जिसमें डेड-रेंट एडजस्ट हो जाए। डेड-रेंट एडजस्ट होने के बाद हम रवन्ना नहीं देते उसके बाद वह लीगल माईनिंग वाला ट्रक भी नाके पर जाएगा तो उससे भी एक्सेज रायल्टी ली जाएगी और कहीं इल्लीगल माईनिंग वाला ट्रक है, वह भी नाके पर जाएगा तो उससे भी एक्सेज रायल्टी ली जाएगी। क्योंकि नाके पर तो यही ...(व्यवधान) नाके पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं कि वह यह मालूम कर सके।....

श्री विष्णु मोदी : यही, यही एक मिनट, साहब। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही इश्यू बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है कि आपने एक्सेज रायल्टी... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सदन के नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि जिनका व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हो, वे वह मामला नहीं उठा सकते। ये भी माइनिंग ऑनर हैं, जिस प्रकार से ये यहां पर चर्चा कर रहे हैं, यह गलत है।....

श्री विष्णु मोदी : मैं धौलपुर स्टोन का माइनिंग ऑनर नहीं हूं। (व्यवधान) लेकिन आप यह कहने की कोशिश करें कि... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय संकलन, प्रथम खण्ड के पृष्ठ 269 पर पढ़िये।

श्री विष्णु मोदी : लीज से जो एक्सेज रायल्टी जा रही है वह तो आप ठेके से वसूल करें लेकिन अगर लीज से नहीं जा रही है, तो आपके कानून में प्रावधान है कि आप उसका टेन-टाइम वसूल करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पृष्ठ संख्या 269 पर पढ़िये कि सदस्य द्वारा सदन में ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिये जिसमें उनका व्यक्तिगत लाभ निहित हो। राजस्थान लघु उद्योग निगम के जोधपुर कार्यालय में कुछ व्यक्तियों को अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा अपने विचार.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रूलिंग से मेरा कतई वास्ता नहीं है। धौलपुर में सैंड स्टोन (व्यवधान) की मेरी कोई लीज नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय, धौलपुर में मेरी कोई माइनिंग लीज नहीं है। मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की, मेरे किसी मिलने वाले की भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : धौलपुर की बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर की बात नहीं है। (व्यवधान) यह सदन अपने किसी व्यक्तिगत उद्देश्यों को बाच करने का माध्यम नहीं बन सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : इसलिये आप इस बात को पढ़िये। (व्यवधान)....बात सिर्फ धौलपुर की हो रही है। (व्यवधान) आप इसको समझ लें। (व्यवधान)....यह सिर्फ इसलिये हो रहा है कि आपने इस.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन अपनी पैरवी करने का, और यह गलत संदेश जाता है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें यह लेकुना ही मानो। आप ये नियम और कानून छोड़ दो। ये नियम और कानून पढ़ कर ही हम इस सदन में आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय विष्णुजी विराजें।

श्री विष्णु मोदी : इसके अन्दर मैं आप को इंगित कर रहा हूं, जो इसमें कमी रह गयी है, जो फ्लो है इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। इसमें स्थिति यह बनेगी कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वहां वास्तव में माइंस माफिया के पक्ष में स्थिति जाएगी। आप इस बात को समझिये।

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, कृपया आप विराजिये। खनिज मंत्रीजी ने जनरल बात कही थी। कोई आपके लिये थोड़ी कहा था।

श्री दलजीत सिंह : एक मिनट बात कर लेने दीजिए, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह जी, उन्होंने जनरल बात कही थी।

श्री दलजीत सिंह : मैं भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान).... प्लीज, एक बात करने दीजिए, महत्वपूर्ण बात है।

खनिज मंत्रीजी, इसको आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिये। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं भी इसमें चाहता हूं, जैसे आप चाहते हैं कि इल्लीगल माइनिंग समाप्त हो। मैंने आपको अपने भाषण में कहा था। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने वहां ठेकेदार नियुक्त किया लेकिन इसमें आपने एक गलती की। एक फ्लो रह गया था उसमें अधिक अधि-शुल्क का आपने ठेका दिया था उसको आप संग के संग ठेका देते कि जो अनधिकृत माइनिंग आ रहा है, उससे 10 गुना वसूल किया जाएगा। आज आपके एम.ई.ज. को क्षेत्र के अन्दर जाना पड़ता है और खान बन्द करनी पड़ती है, उसके अ. एक भी खनिज नहीं आता। क्योंकि माननीय खनिज मंत्रीजी, सरमथुरा,

(श्री दलजीत सिंह)

बाड़ी, धौलपुर, ये मेरे 3 सैंटर्स हैं, फिर बसेड़ी और एक है कोट। एक स्वयं राज्य मार्ग के अलावा इस इल्लीगल खनिज को और कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। आज की तारीख में, जो मैं कह रहा हूं, माननीय खनिज मंत्रीजी, आपने वास्तव में जो स्थिति थी, मेरा उस टाइम पर कोई पट्टा नहीं था।....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं।

श्री दलजीत सिंह : 26.75 लाख रुपये लेसीस के द्वारा एक्सेज एण्ड रायल्टी के अनुसार वसूल किये गये। इसमें से 67 लाख रुपया किसी लीज के थ्रू नहीं हुआ था। किसी लेसी के थ्रू नहीं। यह हुए थे या तो किसी दुकानदार के नाम से या.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दलजीत सिंह : किसी अनधिकृत माईनिंग, जो भी ट्रैक्टर वाला आ गया, जो भी ट्रक वाला आ गया, मंत्री महोदय,....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रांगण का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

श्री दलजीत सिंह : उसके ऊपर दस गुना रॉयल्टी लगनी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आप मांग पास करवाइयें और आप अपनी व्यवस्था इस पर दें।

श्री दलजीत सिंह : आज की तारीख में मैं कह रहा हूं...(व्यवधान) अधिक शुल्क लगाना है। बड़े सोच से चाहे कोई थानेदार बैठा हो चाहे कोई आदमी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। माननीय सदस्य, हो गया।

श्री दलजीत सिंह : पर इल्लीगल माइनिंग को, लीगल माईनिंग को इक्वेट मत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया।

श्री दलजीत सिंह : इन दोनों को, जैसे आप कह रहे हो कि लीगल माईनिंग का है उस पर भी एक्सेस रायल्टी लगेगी और इल्लीगल का है, उस पर भी एक्सेस रायल्टी लगेगी, यह कानून के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। प्लीज, आप इसको पर्सनल मत मानिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं स्पष्टीकरण दे दूं, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण देना जरूरी है। जहां ठेकेदार ने अपने नाके लगा रखे हैं वहां पर उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे कि वह यह पता लगा सके कि उस ट्रक में जो माल है, वह लीगल माईनिंग का है, या इल्लीगल माईनिंग का है।

श्री दलजीत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है। केवल इसमें लिख दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय श्री विष्णुजी से निवेदन करूंगा कि खनिज परामर्शदात्री में ले आयें। सब कमेटी भी बनी हुई है, उसमें ले आयें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री दलजीत सिंह : इसमें लिख दीजिये कि कौनसे क्षेत्र से आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : बस ठीक है, साहब, मान लिया।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,79,85,000/- (एक अरब छत्तीस करोड़, उन्यासी लाख, पिच्चासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,69,45,000/- (बियालीस करोड़, उन्हत्तर लाख, पैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.22 बजे शुक्रवार; 12 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

298

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 285 का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा शीघ्र ऋण स्वीकृत/वितरण कराने हेतु विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

1— जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी व कर्मचारी नियमित रूप से लाभार्थियों से सम्पर्क कर बैंक अनौपचारिकताएं पूरी करा रहे हैं तथा उन्हें बैंक में ले जाकर ऋण वितरण करवा रहे हैं।

2— जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी में पी.एम.आर.वाई. योजना की क्रियान्विति नियमित रूप से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मोनिटर की जाती है।

3— निदेशालय के पत्र दिनांक 22.11.95 के द्वारा समस्त जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को लिखा गया कि वे प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित लक्ष्यों को क्षेत्रीय अधिकारियों में आबंटित करें और उद्योग प्रसार अधिकारियों/उद्योग निरीक्षकों की बैठकों में अर्जित प्रगति की समीक्षा करें, एतद्नुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

4— निदेशालय के अ.शा. पत्र दिनांक 30.10.95, 31.10.95 एवं 2.11.95 द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को ऋण स्वीकृति और वितरण में तीव्रता लाने के लिये जिला स्तरीय पी.एम.आर.वाई समिति की नियमित बैठकें आयोजित करवाने के लिये अनुरोध किया गया। इसी आशय से प्रमुख शासन सचिव, उद्योग की ओर से भी समस्त जिला कलक्टरों को दिनांक 19.2.96 को अ.शा. पत्र लिखे गये।

5— निदेशालय स्तर से दिनांक 6.9.95 को सभी पंचायत समिति के प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे गये जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें साथ ही ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में इस योजना के अन्तर्गत अर्जित प्रगति की समीक्षा करें।

6— विकास आयुक्त नई दिल्ली के पत्र दिनांक 13.6.95 के अनुसरण में ऋण वितरण में त्वरित गति लाने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को उन अभ्यर्थियों से सम्पर्क करने के लिये लिखा गया जिन्हें ऋण स्वीकृत होने के तीन माह बाद भी ऋण वितरण नहीं हो पाया है। ताकि देरी के कारणों का पता चल सके और इन कारणों/बाधाओं को दूर कर ऋण वितरण में त्वरितता लायी जा सके।

7— प्रधान मंत्री रोजगार योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के क्रम में स्वयं उप मुख्य मंत्री द्वारा गत वर्ष दिल्ली में आयोजित उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन

में योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को उठाया गया तथा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है :—

(अ) कुछ सेवा उद्यम यथा आटोरिक्शा चालक, हेयर कटिंग, चाट, दुग्ध वितरण, साइकिल मरम्मत आदि के लिये प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त करने अथवा इसे कम करके 15 दिवस करने का सुझाव दिया गया।

(ब) बाहर से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में दी जाने वाली वृतिका की राशि बढ़ाकर 500/– रु. करने का सुझाव दिया गया।

(स) टास्क फोर्स द्वारा अभिषाशित ऋण राशि में बैंक द्वारा अपने स्तर से कमी कर दी जाती है, जिससे प्रोजेक्ट आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं रह जाता और लाभार्थियों में असन्तोष होता है। अतः बैंकों द्वारा की जाने वाली कटौती को निषेधित करने का सुझाव दिया गया।

(द) स्वीकृति जारी होने के बाद ऋण वितरण में काफी समय लगता है, इसे समयबद्ध किया जाकर अधिकतम चार सप्ताह की अवधि में ऋण वितरण करने के निर्देश बैंकों को देने का सुझाव दिया गया।

(य) ऋण के लिये "कालेट्रल–गारंटी" के स्थान पर व्यक्तिगत गारंटी का सुझाव दिया गया, क्योंकि आम तौर पर इस योजना में ऋण लेने वाले गरीब व्यक्ति के लिये "कालेट्रल–गारंटी" दिया जाना सम्भव नहीं होता है।

8– इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी बैंकों के शीर्ष-अधिकारी तथा उद्योग विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक की गयी, जिसमें योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों तथा बैंकों द्वारा निचले स्तर पर अपनाये जा रहे अव्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा यह अपेक्षा की गई कि बैंक लाभार्थियों को ऋण वितरण करने में न्यूनतम औपचारिकताओं की पूर्ति, कालेट्रल–सिक्योरिटी नहीं मांगने तथा ऋण स्वीकृति के बाद यथाशीघ्र वितरण करने की कार्यवाही करें। जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ है तथा गत वर्ष 1995–96 में कुल लक्ष्य 10400 के विरुद्ध 10272 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया।

परिशिष्ठ-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठकें

288. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बोर्ड (वन्य जीव सलाहकार बोर्ड) गठित है ? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन है ?

(2) इसकी बैठकें कब-कब आयोजित की गयीं तथा उनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

(3) वर्ष 1995-96 में अवैध शिकार के कितने मामले किस-किस अभयारण्य में सरकार की जानकारी में आये उसमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा कितनों में चालान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वन अभयारण्य में अब तक नवीनतम गणना से कितने टाइगर्स की संख्या का पता लगा है ? विगत 10 वर्षों में क्या-क्या संख्या रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) राज्य वन्य जीव सलाहकार मण्डल की बैठक दिनांक 13.10.95 को आयोजित की गई है। मुख्य निर्णयों का विवरण संलग्न है।

(3) एक जनवरी, 95 से 31 दिसम्बर, 95 तक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों में अवैध शिकार के कुल 36 प्रकरण दर्ज हुए है। अवैध शिकार के सरिस्का अभयारण्य में 17 प्रकरण, रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क में 10 प्रकरण, डेजर्ट नेशनल पार्क में 1 प्रकरण, कुम्भलगढ़ अभयारण्य में 1 प्रकरण, सीतामाता अभयारण्य में 1 प्रकरण, जयसमन्द अभयारण्य में 1 प्रकरण, वस्सी अभयारण्य में 4 प्रकरण तथा उदयपुर (उड़नदस्ता) द्वारा 1 प्रकरण दर्ज किये गये है। दर्ज किये गये प्रकरणों से 8 प्रकरणों का कोर्ट चालान किया गया 9 प्रकरणों को विभागीय स्तर पर निस्तारित किया गया तथा 18 प्रकरणों में अभी विभागीय जांच चल रही है, एवं 1 प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। न्यायालय में दायर किये गये प्रकरणों में से 1 प्रकरण का फैसला हुआ है, जिसमें अपराधी के ऊपर 1060/– रुपये जुर्माना किया गया है।

(4) राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों में नवीनतम गणना (वर्ष 1995) के आधार पर 66 बाघ है। गत 10 वर्षों की गणना के अनुसार बाघों की संख्या निम्नवत् रही है :–

वर्ष	बाघों की संख्या
1	2
1986	101
1987	69 (रणथम्भौर में वर्षा

(वन मंत्री)

1	2
	के कारण गणना वर्ष 87 में नहीं हुई)
1988	121
1989	88
1990	70 (सरिस्का में वर्षा के कारण वर्ष

1	2
	1990 में गणना नहीं हुई)
1991	88
1992	25 (रणथम्भोर रा. उद्यान तथा केला देवी की वर्ष 1992 की गणना मान्य नहीं होने से सम्मिलित नहीं की गई)
1993	64
1995	66

37वें राजस्थान राज्य वन्य प्राणी सलाहकार मण्डल के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद
1.	माननीय मंत्री वन विभाग, राज. जयपुर	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग	पदेन सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर	पदेन सदस्य
4.	उप निदेशक, वन्य जीव संरक्षण बम्बई	सदस्य
5.	मु. व. सं. एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर	पदेन सदस्य
6.	शासन सचिव, पशुपालन विभाग	सदस्य
7.	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	सदस्य
8.	निदेशक, पर्यटन विभाग राज., जयपुर	सदस्य
9.	निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज., जयपुर	सदस्य
10.	पुलिस महानिदेशक, राज., जयपुर	सदस्य
11.	श्री केशरी सिंह रूपवास पाली	सदस्य
12.	श्री राजपाल सिंह, पत्रकार, जयपुर	सदस्य
13.	श्री हर्षवर्धन, अवैतनिक महासचिव, तिलक नगर, जयपुर	सदस्य

302

14.	श्रीमती उषा राय, वरिष्ठ संवाददाता, इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व गृह मंत्री, जयपुर	सदस्य
16.	श्री वी.डी. शर्मा, सेवानिवृत मुख्य वनसंरक्षक एवं मु व जी.प्रति. राज. जयपुर, सी–101, जयपुर	सदस्य
17.	श्री डा. प्रकाश बाकरे, एसोशियेट प्रोफेसर, ज्यूलोजी राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
18.	श्री सन्तकुमार विश्नोई, अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा, अबोहर, पंजाब	अध्यक्ष
19.	श्री डा. किरोड़ीमल मीणा, (जनजाति) पूर्व सांसद, सवाईमाधोपुर	सदस्य
20.	श्री महिपतसिंह, प्रधान पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा	सदस्य

राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 13.10.95 में लिये गये मुख्य निर्णयों का विवरण

1. आरा मशीन को वन क्षेत्र के आस-पास लगाने से रोकने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक मिलकर जिला स्तर पर मण्डल वन अधिकारियों के स्तर से कार्यवाही कराने के लिए निर्देश प्रसारित करें।

2. टहला से सरिस्का जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के खोलने पर ध्यान दिया जावे तथा मूल रास्ते पर सूर्यास्त से सूर्योदय तक भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाय।

3. रणथम्भौर व सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अलावा अन्य सभी अभयारण्यों में भी हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाय एवं साथ ही अन्य साधन जैसे शस्त्र, टार्च, वर्दी, गश्तीदल किट आदि भी नियमित रूप से दिया जाय।

4. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर स्थित ईंट भट्टों को जहां तक सम्भव हो सके जिला कलक्टर के माध्यम से बन्द करने की कार्यवाही की जाय एवं कोई नया भट्टा चालू न होने दिया जाय।

5. बीसलपुर बांध के पानी के भराव के क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव भेजे जाय किन्तु इससे पूर्व होने वाले प्रतिबंध के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर लिया जाय।

6. बस्सी अभयारण्य के क्षेत्र में नजदीक के 57.14 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को भी सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

7. उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ अभयारण्य के पूर्व दिशा में स्थित 185 हेक्टेयर पहाड़ी बन क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाय।

8. रणथम्भोर अभयारण्य में वनरक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय।

9. अभयारण्यों हेतु स्वीकृत वाहनों की खरीद पर लगी रोक में छूट प्रदान की जाय।

10. वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने एवं शिकारियों को पकड़ने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को आधुनिक वाहन एवं हथियार दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

11. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन्टरप्रिटेशन सेन्टर डब्लू. डब्लू. एफ. के सहयोग से स्थापित करने एवं इसका नाम स्व. डा. सलिम अली के नाम पर रखने की सहमति दी गई।

पुरातात्विक स्मारकों का रख-रखाव

289: **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में पुरातत्व महत्व के स्मारक (मोनोमेंट्स) तोड़े गये हैं या उनका स्वरूप बदला गया है और कुछ को नष्ट किया गया है? यदि हां, तो ऐसे स्मारक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार के संरक्षित कुछ स्मारकों को पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण कर आंशिक रूप से तोड़ा गया है या स्वरूप बदला गया है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान स्मारक पुरावशेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 19,1961) के प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ मामलों में सम्बन्धित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, कुछ मामलों में सम्बन्धित स्थानीय निकाय, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, अन्य सम्बन्धित विभागों तथा जिला कलक्टरों को संरक्षित स्मारकों को बचाने हेतु लिखा गया। समय-समय पर सम्बन्धित संभागीय आयुक्तों की जानकारी में लाया गया।

(304)

पिछले कुछ वर्षों में जिन संरक्षित स्मारकों को अतिक्रमण कर आंशिक रूप से तोड़ा गया या स्वरूप बदला गया, उनकी सूची

1- जयपुर नगर की दीवार (सभी द्वारों को सम्मिलित करके)।

2- भरतपुर का किला (कमरा खास, पुराना किला, किशोरी महल किले के अन्दर का भाग) तथा शहर की कच्ची चहार दीवारी।

3- नायला राज प्रसाद, किला जयपुर।

4- बीकानेर शहर की प्राचीन चार दीवारी (समस्त नगर द्वारों सहित) तथा दोनों ओर का बीस फीट का क्षेत्र।

महुआ-जयपुर एवं उदयपुर के राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं

290. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर महुवा से जयपुर एवं जिला उदयपुर में वर्ष 1994-95 से 13 जून, 1996 तक कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई ?

(2) सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल हुये एवं कितने विकलांग हुये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुर्घटनाओं के कारण क्या रहे एवं सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1-2) घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	अवधि	दुर्घटनाएं	मृतकों की संख्या	घायल/विकलांगों की संख्या
1-	1994	1632	401	1620
2-	1995	1404	425	1842
3-	1996	710	219	871

(उदयपुर जिले की सूचना दिनांक 31. 5. 96 तक)

(3) इस दुर्घटनाओं के मुख्य कारण वाहन के चालक के द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन संचालन, सड़कों पर क्षमता से अधिक वाहनों का संचालन, खराब मौसम, वाहनों की यांत्रिक खराबियां आदि हैं। राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, यथा वाहनों की संयुक्त सघन जांच कार्यवाही, ड्राइविंग लाइसेन्स प्रक्रिया में सुधार, ड्राइविंग स्कूल

(राज्य मंत्री, यातायात)

एवं ड्राइविंग ट्रेकों का निर्माण, राजमार्गों से अतिक्रमण हटाना, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, में संशोधन के प्रस्ताव इत्यादि।

संयुक्त निदेशक, कृषि के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना प्रकरण

291. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त निदेशक, कृषि के कितने कार्यालय स्थापित हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) संयुक्त निदेशक, कृषि के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या सरकार ने कोई मानदण्ड/नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त निदेशक के और कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार संयुक्त निदेशक, कृषि श्री गंगानगर के क्षेत्रीय कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में विभागान्तर्गत सात क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि के अधीन जयपुर/कोटा/भरतपुर/भीलवाड़ा/उदयपुर/जोधपुर व गंगानगर में स्थापित हैं।

(2) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं कृषि जलवायिक दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा की गई है।

(3) जी हां। एक अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय सीकर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) इस बाबत मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तिलम संघ इकाई जालौर में दोषपूर्ण मशीनरी प्रकरण

292. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तिलम संघ की जालौर इकाई में दोषपूर्ण मशीनरी लगने के कारण इसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो उक्त इकाई की निर्माण के समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक निर्धारित तथा निर्माण में रखी गयी क्षमता सहित इस समय हो रहे क्षमता उपयोग का आनुपातिक प्रतिशत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त इकाई से तिलम संघ को आर्थिक हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी तथा इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? इस सम्बन्ध में किए गए पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दोषपूर्ण कार्य करने वाली

306

(श्री रामनारायण मीणा)

फर्म पर शास्ति आरोपित की गई है ? यदि हां, तो कितनी तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता 100 टन प्रतिदिन की थी तथा निर्माण के पश्चात 75 टन प्रतिदिन क्षमता का ही प्रदर्शन हो पाया, क्षमता उपयोग निम्न प्रकार है:—

वर्ष	स्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग
1992–93	15000	51.60 प्रतिशत
1993–94	15000	53.80 ,,
1994–95	15000	44.31 ,,
1995–96	15000	40.00 ,,

(2) जी हां, हानि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	संचालन लाभ/हानि	शुद्ध लाभ/हानि
1991–92	33.78	–51.22
1992–93	–133.92	–224.01
1993–94	–25.60	–139.94
1994–95	–54.97	–169.22

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 7 मार्च 94 द्वारा समिति का गठन कर तिलम् संघ को हानि के कारण एवं लाभ में लाने हेतु सुझाव देने हेतु आदेशित किया गया। समिति द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन हैं।

(3) (अ) दोषपूर्ण कार्य करने वाली फर्म मैसर्स यूनाइटेड आयल मिल कम्पनी (उमास), नई दिल्ली पर तत्कालीन प्रबन्ध संचालक महोदय की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा निम्न प्रकार शास्ति आरोपित की गई थी :–

1. देरी के कारण 10 प्रतिशत लिक्वीडेटेड डेमेजेज।
2. संपूर्ण तेल मिल का सकल वाणिज्यिक उत्पादन/जमानती क्षमता की नहीं देने की वजह से 10 प्रतिशत।
3. उक्त पार्टी के हर्जे खर्चे पर की गई अतिरिक्त लागत की वसूली।
4. उक्त पार्टी द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने की दशा में बैंक गारन्टी इनवोक कर ली गई, उस निर्णय के विरुद्ध पार्टी द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश लिये गये जिसे संघ द्वारा निरस्त करवाया गया। अब वर्तमान में पार्टी द्वारा अपील की गई तथा वाद न्यायालय में लंबित है।

(ब) दूसरी पार्टी मैसर्स मारूति इंजीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर जिसको यह कार्य दिया गया था, के द्वारा भी सही संचालन आदि की कमी की वजह से रुपये 3,23,656.50 की शास्ति आरोपित की गई।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

293. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती

(श्री रमाकान्त)

राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने राजस्व गांव एवं ढाणियां हैं जिनकी आबादी 275–400 के बीच में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन उप गांवों (ढाणियों) में अभी प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इससे जनता को काफी असुविधा है ? यदि हां, तो इस समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, थानागाजी में 16 गांव एवं ढाणियां है जिनकी आबादी 275–400 के बीच है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिला राजसमन्द में उद्योगों हेतु भूमि का आवंटन

294. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त उद्योग हेतु सरकार एवं जिला कलक्टर द्वारा 1992–93, से 31 मई, 1996 तक पृथक-पृथक आवंटित किये गये भू-खण्डों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक भू-खण्ड का स्थान खसरा नम्बर एवं जिन्हें आवंटित किया है, का प्रयोजन दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96 तथा 31.5.96 तक पृथक-पृथक स्वीकृत किये गये भू-खण्डों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) भूखण्ड का स्थान, खसरा नम्बर, आवंटी एवं प्रयोजन भी विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

295. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां हैं ? प्रत्येक में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? पद रिक्त रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में औषधियां वितरण के क्या मानदण्ड हैं ? विगत तीन

(श्री कुबेर सिंह)

वर्षों में प्रत्येक औषधालयों में किस-किस किस्म की कितनी-कितनी औषधियां वितरित की गई ?

(3) क्या सरकार आदिवासी बाहुल्य उक्त क्षेत्र में औषधियों का बजट बढ़ाने एवं रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1996–97 में उक्त क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) औषधालयों/चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों तथा रिक्त रहने के कारण का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) औषधालयों / चिकित्सालयों में औषधियों के वितरण हेतु निम्न मानदण्ड गत वर्ष के रोगी संख्या के आधार पर निर्धारित है ।

1. बहिरंग विभाग हेतु 2.00 रुपया प्रतिरोगी प्रतिदिन ।

2. अन्तरंग विभाग हेतु 6.00 रुपया प्रतिरोगी प्रतिदिन ।

इन औषधालयों/चिकित्सालय को गत तीन वर्षों में दी गई औषधियों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हेतु पृथक से औषधियों का बजट स्वीकृत नहीं होता है अपितु इस निमित्त सामूहिक बजट प्रावधान विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। सभी क्षेत्र के औषधालयों को निर्धारित मापदण्ड की सीमा अन्तर्गत औषधि वितरित की जाती है । आवश्यकता होने पर अधिक औषधि भी वितरित की जाती है । फलासिया विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में 295 चिकित्सकों व नर्स-कम्पाउण्डरों का कोई भी पद रिक्त नहीं है । परिचारक के 2 पद रिक्त हैं जो शीघ्र भर दिये जावेंगे ।

(4) जी नहीं । राज्य में वर्ष 1996-97 में कोई नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

विद्यालयों का निरीक्षण प्रकरण

296. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने गत वर्ष शिक्षा मद की बहस के समय तथा डिविजनल मुख्यालयों की बैठकों में यह सुझाव स्वीकार किया था कि राज्य की शिक्षण संस्थाओं के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जावेगी तथा सरकार इस निरीक्षण कार्यक्रम को प्रत्येक स्तर पर गम्भीरता से लेगी ? यदि हां, तो पिछले शिक्षा सत्र में इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा निरीक्षणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक तथा जिला शिक्षा

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधिकारियों ने कितने-कितने निरीक्षण किन-किन संस्थाओं के किये तथा निरीक्षण कार्यों के लिए उक्त ने कितने रात्रि विश्राम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक उपनिदेशक (पुरुष/महिला) व जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा/प्रा. शि.) के लिये निरीक्षण पद्धति एवं निरीक्षण मानदण्डों का निर्धारण किया गया है। निरीक्षण की प्राप्त सूचना निम्नानुसार हैं :–

निरीक्षण अधिकारी	किये गये निरीक्षण की संख्या
उपनिदेशक (पुरुष)	503
उपनिदेशक (महिला)	460
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	2428
(छात्रा)	1434
(प्रा.शि.)	1493

(2) निरीक्षण तथा रात्रि विश्राम का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। इनके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा निदेशक ने भी विद्यालयों के अनौपचारिक / आकस्मिक निरीक्षण किये हैं।

क्रम सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षित विद्यालयों का स्तर सीमा वि. शहरी	सीमा वि. ग्रामीण	मा. वि. शहरी	मा. वि. ग्रामीण	उ. प्रा. वि. शहरी	उ. प्रा. वि. ग्रामीण	प्रा. वि शहरी	प्रा. वि ग्रामीण	योग	विश्राम रात्रि
1.	शिक्षा उप निदेशक (पु.)	75	124.	89	124	50	39	2	—	503	28
2.	शिक्षा उप निदेशक (म.)	71	52	106	88	93	28	9	12	460	31
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	327	478	444	1044	46	58	7	24	2428	111
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	157	125	263	284	243	267	56	39	1434	55
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.)	—	—	8	10	225	999	156	95	1493	72

विद्युत कनेक्शन के स्थानान्तरण पर शुल्क वसूली

297. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (ग्रामीण विद्युतिकरण आदेश क्रमांक/अनु–9 प्रे. 473, दिनांक 24–6–1995 से किसानों के नर्सरी, तुरन्त प्राथमिकता, शिफ्ट योजना में कनेक्शन होने के बाद यदि परिस्थितिवश उपभोक्ता द्वारा उसी गांव में दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाता हैं तो 33% लाइन व सबस्टेशन का पूर्ण चार्ज परिवर्तन के नाम पर विद्युत मण्डल द्वारा वसूल किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो जब किसान उपभोक्ता ऐसा सम्पूर्ण चार्ज लगभग पूरा दे चुका होता है और परिस्थितिवश इसी कनेक्शन को उसी ग्राम में स्वयं के अन्य खेतों में स्थानान्तरित करवाता है तो हर बार ऐसा चार्ज मण्डल द्वारा वसूलने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार विद्युत मण्डल द्वारा की जा रही इस खुली लूट पर रोक लगाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कृषि कनेक्शन स्थान परिवर्तन के लिये आदेश संख्या 473 दिनांक 24.6.95 के तहत नये स्थान पर कनेक्शन को चालू करने के खर्चे उपभोक्ता को वहन करने होंगे। ये खर्चे तकनीकी साध्यता की आवश्यकता को पूरी करने के लिये चाहें 11 के. वी. लाइन के विस्तार के सम्बन्ध में हो या 11/0.4 केवी के ट्रांसफार्मर को स्थापित के सम्बन्ध में ही, है। इसके लिये स्थान परिवर्तन के लिये जितनी पुरानी बची हुई लाइन के पोल नई जगह काम आ सकेंगे उनके लिये पोल दर एक तिहाई तथा अतिरिक्त लगाये जाने वाले पोलों के लिये दूरी के अनुसार पूरी दर वर्तमान दर के अनुसार चार्ज किये जाने का प्रावधान है।

(2) विद्युत मण्डल द्वारा एक बार कनेशन दिये जाने में खर्चा वहन करने के पश्चात पुनः उसी लाइन का सामान स्थान परिवर्तन के समय दुबारा पुराना सामान लगाना सम्भव नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ता से पुरानीं लाइन के पोल नई जगह काम आ सकेंगे, उनके लिये पोल की दर एक तिहाई सिर्फ मजदूरी के रूप में ली जाती है तथा इससे अतिरिक्त लगने वाले पोल के ही चार्ज लिये जाते हैं। जबकि पूर्व में इस अतिरिक्त साधन का कोई चार्ज नहीं लिया गया है। सामान्यता स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा स्थान परिवर्तन के नाम से कोई मनचाही राशि उपभोक्ता से नहीं चार्ज की जाती है। अतः उक्त आदेश में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि कनेक्शन परिवर्तन के नाम पर प्रायः कनेक्शन ऊंची दरों पर बेचने के प्रयास भी किये जाते हैं—यहां तक कि एक जिले से कनेक्शन दूसरे जिले में स्थानान्तण कराने के प्रयास किये जाते हैं जो बोनाफाइड नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे भी मामले सामने

(ऊर्जा मंत्री)

आये हैं कि एक/दो पोल योजना के अन्तर्गत केवल पास में खड्डा खोद कर कनेक्शन ले लिये और फिर कुछ ही दिनों बाद, कई पोल दूर, वास्तविक कुएं पर सिफटिंग के लिये प्रार्थना पत्र दे दिया गया। कुएं व कनेक्शन को खुले में नहीं बेचकर, खेत का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया जाता है, जिसमें कुआ व कनेक्शन है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल भारी अनुदान देकर कुएं का कनेक्शन बोनाफाइड उपभोग के लिये देता है लेकिन इसकी आड़ में कनेक्शन ऊंची दरों पर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से स्थानान्तर से उस जिले में प्रतीक्षा कर रहे कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जिला उदयपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

298. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) उदयपुर जिले में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय या क्षेत्र हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विद्यालय क्रमोन्नत के क्या मानदण्ड होंगे एवं कब तक क्रमोन्नति के आदेश जारी करने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के पंचायत क्षेत्र जहां उ. प्रा. वि. नहीं हैं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उ. प्रा. स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाये जाने का लक्ष्य है इस लक्ष्य की पूर्ति उपलब्ध सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत निम्न मापदण्ड की पूर्ति करने वाले पंचायत क्षेत्रों में की आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नत किया जाता है:–

	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
जनसंख्या–91 (छात्र)	1000	500
छात्र विद्यालय	20	15
कक्षा–1 से 5 तक		
छात्र संख्या	100	75
फिडर विद्यालय	2	2
दूरी किलोमीटर	2	2

अन्य बिन्दु :–

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान।
2. प्रशासनिक आधार।
3. क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकताएं।
4. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं।
5. मा. एवं. सीमावि का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर समग्र रूप से विद्यालय क्रमोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उदयपुर जिले में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा विहीन 58 ग्राम पंचायत मुख्यालय/क्षेत्र की सूची

जिला	पं. स. का नाम	उ. प्रा. स्तर की शिक्षा विहीन ग्राम पंचायतों के नाम	
उदयपुर	खैरवाड़ा	1. बायडी	2. ज़लवका
		3. चिकला	4. पीपली–ए
		5. बिछीवाड़ा	6. नीचला मांडला
		7. माण्डवाकलां	8. गुड़ा
		9. तकलाल	10. हर्षावाड़ा
		11. नवाघरा	
	गिर्वा	1. सूलावास	2. सवीनाग्राम
		3. कोट	4. पडुन्दा
	बड़गांव	1. अम्बेरी	
	आवली	1. आमली	
	झाड़ोल	1. आमोड	2. गौरन
		3. जेतावाडा	4. नेवज
		5. काडा	
	गोगुन्दा	1. पाटिया	2. बिसमा
		3. चितगवास	
	कोटड़ा	1. घघवंता	2. ढेमारिया
		3. तेजाका बास	4. खटूरिया
		5. मेंवाडाकामदम	6. कूकावास
		7. गोमरूद	8. उखलियावास
		9. खाखरिया	10. सडा
		11. लाम्बन्दू	
	भीण्डर	1. सारंगपुर	2. पीपलपुरा
		3. अमरपुरा (लूणदी)	4. भोपाखेडा
		5. तवना	6. वाणिया तलाई

(314)

1	2	3	4
	धरियाबद	1. ओबरा	2. आजणी
		3. मानपुरियो का गडा	4. बिलडिया
		5. बजपुरा	6. आड
		7. अणुत	8. आरणिया
		9. दांतलिया	10. ललवा
		11. टटाकिया	
	सलूम्बर	1. कडूनी	2. मारिला
		3. खजूरी	4. आमलवा
		5. बुडेल	

स्प्रिंकलर सिंचाई योजना

299. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995–96 में राजस्थान प्रान्त में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हेतु किस-किस ब्रान्ड को किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी अनुदान राशि वितरित की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1996–97 में राजस्थान प्रान्त में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत कितनी राशि आबंटित की गई ? योजनावार एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार को वर्ष 1996–97 में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हेतु पर्याप्त मात्रा में राशि प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त राशि प्राप्त हो जावेगी ।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) वर्ष 1996–97 में राजस्थान प्रान्त में स्प्रिंकलर हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत रुपये 1178.33 लाख की राशि आबंटित की गई है, जो निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1. ओ. पी. पी.	953.33
2 एन. पी. डी. पी.	160.00
3. आई. सी. डी. पी. (कपास)	65.00

राशि का आवंटन जिलेवार किया जाता है, तहसीलवार नहीं । विवरण परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है । ओ. पी.

(राज्य मंत्री कृषि)

पी. योजनान्तर्गत रुपये 300 लाख की राशि अग्रिम भुगतान प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर को किया गया है। जिसका उपयोग कृषकों को फव्वारा सैट पर ऋण के साथ अनुदान स्वीकृति हेतु किया जायेगा।

(3) जी, नहीं। लक्ष्यों के अनुरूप पर्याप्त फण्ड प्राप्त करने के लिये प्रयास जारी है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

300. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाडा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला भूमि विकास बैंकों (पी.एल.डी.बी.) तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के लम्बे समय से चुनाव नहीं हो पाए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इनके चुनाव कब तक करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या आज प्रदेश के सभी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, क्रय विक्रय सहकारी समितियां तथा अन्य में प्रशासक कार्यरत है ? यदि हां, तो इनमें चुनाव करवाये जाकर कब तक जन प्रतिनिधियों को लगाने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार सभी सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा परिवर्तन करने का विचार है ? यदि हां, तो क्यों व किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी, हां। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के संस्थागत ढांचों में एकीकरण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न अस्पष्ट है। क्योंकि 'अन्य' से कोई तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता।

(3) जी, नहीं। राज्य के प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन किये जाकर लघु सामान्य सभाएं एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सृजन के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्तमान अधिनियम व नियमों के अधीन रहते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से संशोधन किए जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

जिला परिषद्, कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति प्रकरण

301 श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी और उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में माह नवम्बर में टैगोर

316

(श्री रामगोपाल बैरवा)

हाल में चली जिला परिषद् की मीटिंग में सदस्यों ने शिकायतें कर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि नियुक्ति में हुई धांधली की जांच हेतु 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार जिला परिषद्, कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति में हुई धांधली, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करवाई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । जिला परिषद् की बैठक के दौरान दिनांक 25.11.95 को श्री किशनचन्द गुप्ता, सदस्य जिला परिषद् ने नियुक्ति में धांधली का मुद्दा उठाया था ।

(2) जी, हां । जिला प्रमुख द्वारा 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन विधि विरुद्ध होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था । इस समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी, नहीं । तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुसार ही की गयी हैं ।

दिल्ली की प्रदूषित इकाइयों की अलवर में स्थापना

302. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली की प्रदूषित इकाइयों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक अलवर में स्थापित करने का फैसला किया गया है ? यदि हां, तो अलवर जिले में अब तक कितनी इकाइयों को स्थापित किया जा चुका है ?

(2) क्या दिल्ली की इन इकाइयों से अलवर की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है । किन्तु दिल्ली से हटाई जाने वाली इकाइयों को वांछित सूचनाएं अवश्य उपलब्ध कराई गई है । अब तक ऐसी कोई भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाई अलवर जिले में स्थापित नहीं हुई है ।

(2) दिल्ली की विस्थापित इकाईयां जो अलवर जिले में स्थापित होना चाहेगी, उन्हें जल एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही नियमानुसार अनुमति दी जावेगी । प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी इकाई को अनुमति नहीं दी जायेगी । इस प्रकार अलवर की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का प्रश्न नहीं उठता । राज्य

(उद्योग मंत्री)

सरकार ऐसी इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण में कोई छूट नहीं देगी।

उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति प्रकरण

303. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी और उप निदेशक के पद पर पदस्थापन के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एक ही व्यक्ति को जिला आयुर्वेद अधिकारी व उप निदेशक के पदों पर पद स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो किसे कब से, कहां से कहां एवं क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी/व्यक्तियों उपनिदेशक के पद पर इसी संवर्ग के अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं, परन्तु यदि इन संवर्गों के अधिकारी उपलब्ध न होवें तो प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था करने के लिए उन संवर्गों से ठीक नीचे के संवर्ग के अधिकारियों से इन पदों का कार्य करवाया जाता है।

(2) जी, हां। जिन जिला आयुर्वेद अधिकारियों को उप निदेशक के पद का कार्यभार पद रिक्त होने के कारण दिया हुआ है उनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रसं.	नाम अधिकारी मय मूल पद	पद जिसका अतिरिक्त कार्यभार मय दिनांक
1.	श्री मदनलाल जीनगर जिला आयुर्वेद अधिकारी, जोधपुर	1. उपनिदेशक जोधपुर दि. 10.1.95 से
		2. उपनिदेशक, बीकानेर दि. 1.12.95 से
	श्री जगदीशप्रसाद शुक्ल, जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर	1. उपनिदेशक (मुख्यालय) निदेशालय, अजमेर दि. 5.4.96 से
	श्री चौथमल शास्त्री जिला आयुर्वेद अधिकारी, बूंदी	1. उपनिदेशक कोटा दि. 1.11.95 से
	श्री जगदीश राम शर्मा मूल पद जिला आयुर्वेद अधिकारी किन्तु विशेषाधिकारी सचिवालय, जयपुर के पद पर पदस्थापन	1. उपनिदेशक जयपुर दि. 1.12.95 से

निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान

304. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कालूलाल गूजर)

(1) सरकार द्वारा राज्य में गत दो वर्षों में किन-किन निजी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ? स्कूलों का नाम एवं मालिकों का नाम पते सहित उन्हें स्वीकृत सहायता राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में निजी शिक्षण संस्थानों को दी जा रही सहायता में कोई वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में किन-किन शिक्षण संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि की वृद्धि की गई ? विवरण सदन की मेज पदे रखें।

(3) क्या मांडल कस्बा, जिला भीलवाड़ा में संचालित बाल विद्या मन्दिर स्कूल को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और कब से ? क्या इस सहायता में वृद्धि हेतु प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इस विद्यालय के अच्छे कार्य को देखते हुए इसकी सहायता 90 प्रतिशत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 व 1995-96 में जिन नये गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है उनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में संलग्न है।

(2) वर्ष 1994-95 में पूर्व में अनुदान प्राप्त सभी गैर सरकारी बालिका विद्यालयों के अनुदान प्रतिशत को 1.4.1994 से बढ़ा कर 90 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1995-96 में जिन गैर सरकारी अनुदानित विद्यालयों के प्रतिशत में वृद्धि की गई है उनका विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(3) बाल विद्या मन्दिर प्राथमिक विद्यालय, माण्डल जिला भीलवाड़ा को वर्ष 1966 से 60 प्रतिशत अनुदान प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय किया जा रहा है। संस्था के अनुदान प्रतिशत में 10 प्रतिशत वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त हुए थे, किन्तु पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में गत 2 वर्षों में किसी भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अनुदान प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही भविष्य में इस विद्यालय के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र सीकर में विद्युत कनेक्शन

305. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में नर्सरी योजनान्तर्गत कितने काश्तकारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु नियमानुसार राशि कब-कब जमा करवाई ? उनमें से किस-किस काश्तकार को कनेक्शन कब-कब दिये तथा किस-किस को अभी तक कनेक्शन नहीं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दिये गये ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक पोल, दो पोल योजना के अन्तर्गत कितने कनेक्शन दिये गये तथा कितने देने अभी शेष हैं ? अभी तक कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ? सूची मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत शेष रहे काश्तकारों के विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर विधान सभा क्षेत्र में नर्सरी योजनान्तर्गत 127 काश्तकारों ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई। उनमें से 108 कनेक्शन दे दिये गये हैं तथा 19 कनेक्शन करने शेष हैं। जारी किये गये कनेक्शनों तथा शेष बचे कनेक्शनों के कारण सहित सूची परिशिष्ट "कI" व "क-II" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक-दो पोल योजनान्तर्गत 123 कनेक्शन दिये गये तथा 30 कनेक्शन बकाया है। बकाया कनेक्शनों का कारण सहित विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। शेष बचे कनेक्शन संसाधनों की उपलब्धि के अनुरूप शीघ्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्द्रपुरा नर्सरी (झुन्झुनूं) का भवन निर्माण

306. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (भण्डावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत इन्द्रपुरा इकाई पर वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक प्रशासनिक व्यय किस मद में कितना किया गया ? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) इन्द्रपुरा नर्सरी में भवन निर्माण पर कितना रुपया व्यय किया गया ? इस व्यय का क्या औचित्य है ?

(3) यह निर्माण कार्य टैण्डर मांगे जाकर करवाया गया या विभागीय स्तर पर ? यदि ठेके पर करवाया गया तो ठेकेदार कौन था ?

(4) इस निर्माण कार्य पर प्रति वर्ग मीटर छत नाप के आधार पर कितना खर्चा आया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डों से यह कितना अधिक है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत इन्द्रपुरा इकाई पर किये गए प्रशासनिक व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

3.20

(वन मंत्री)

(2) इन्द्रपुरा नर्सरी में भवन निर्माण पर कुल 8.09 लाख रुपये व्यय किये गए हैं, यह व्यय वन चेतना केन्द्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुर वाटी का कार्यालय एवं निवास रेंज मुख्यालय पर रहने वाले कर्मचारियों के निवास तथा सीड स्टोर हेतु भवन निर्माण के निमित्त किया गया है।

(3) निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया है।

(4) निर्माण कराये गये चार भवनों पर प्रति वर्ग मीटर प्लिन्थ क्षेत्र के आधार पर औसत खर्चा 2141/– रुपये आया है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डों से रुपये 36/– प्रति वर्ग मीटर कम है एक भवन का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

321

परिशिष्ट "क"

झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में इन्द्रपुरा इकाई पर प्रशासनिक व्यय का विवरण वर्ष 1994–95, 95–96 एवं 96–97

क्र. सं.	वर्ष	विवरण मदवार					
		2406–वानिकी गुढा–सिंघाना	2406–वानिकी X – अरावली वृक्षारोपण परियोजना	2501–मरु विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	2406–01–001 II-निदेशन एवं प्रशासन	2406–01–101 परिभाषित वनों का पुनरारोपण	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1994–95	1,30,450	2,38,250	2,21,370	1,66,801	47,335	8,04,206/–
2.	1995–96	—	3,08,981	3,64,381	1,92,260	56,935	9,22,557/–
3.	1996–97 (जून, 96 तक)	—	67,820	84,756	44,129	6,018	2,02,723/–
	योग :—	1,30,450	6,15,051	6,70,507	4,03,190	1,10,288	19,29,486/–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रकाशित राज-पत्र

307. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (बल्लभ नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नामक राज्य परिवहन उपक्रम ने मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 (केन्द्रीय अधिनियम 4 सन् 1939) की धारा 68 ग के अनुसरण में राज-पत्र में 4 जून, 1973 को स्कीम प्रकाशित की, जिस पर आपत्तियां सुनकर स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई एवं जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 9 अक्टूबर, 1975 को किया गया था ?

(2) क्या स्कीम के अन्तर्गत राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निगम ने कतिपय कार्यों पर अन्य व्यक्तियों की सेवाओं को पूर्णतया समाप्त करते हुये यात्री पथ परिवहन से बसें उपलब्ध करवाई थी ? सरकार द्वारा किन-किन मार्गों पर अन्य व्यक्तियों की सेवाओं को पूर्णतया समाप्त की गई एवं राज्य परिवहन निगम ने कितनी गाड़ियां उपलब्ध कराई तथा नित्य प्रति एकल सेवा की सीमा क्या निर्धारित की ?

(3) क्या उन मार्गों पर या उसके हिस्से पर निर्धारित बसें एवं नित्य प्रति एकल सेवाओं का संचालन हो रहा है ? यदि हां, तो कितनी बसें एवं नित्य प्रति एकल सेवाओं का वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । राष्ट्रीयकरण के समय निम्न मार्गों पर निजी वाहन संचालकों द्वारा संचालित की जा रही सेवाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था । इन मार्गों पर राज्य परिवहन निगम को, प्रत्येक मार्ग के सामने अंकित संख्या अनुसार, नित्य प्रति एकल सेवा संचालन करनी थी ।

मार्ग	नित्य प्रति उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या	बसों की संख्या
1. अजमेर-उदयपुर	6	7
2. अजमेर-भीलवाड़ा	20	14
3. अजमेर-विजयनगर	6	2
4. अजमेर-भिनाय	10	5
5. विजयनगर-भीलवाड़ा	4	2
6. भीलवाड़ा-उदयपुर	16	16
7. भीलवाड़ा-चित्तौड़	24	9
8. मंगलवाड़-उदयपुर	8	4
9. चित्तौड़-उदयपुर	4	2
10. भटेवर-उदयपुर	44	9
11. उदयपुर-डबोक	40	4
12. उदयपुर-दरोली	16	3
13. चित्तौड़-मंगलवाड़	2	1
14. भीलवाड़ा-शाहपुरा चौराया	32	3

(राज्य मंत्री, यातायात)

(3) उदयपुर-डबोक और भीलवाड़ा शाहपुरा चौराया मार्गों को छोड़ कर शेष सभी मार्गों पर स्कीम के अनुसार या उससे अधिक एकल सेवाएं संचालित की जा रही है । वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान मार्गवार संचालित बस सेवाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

अजमेर से उदयपुर वाया बान्दनवाड़ा-विजयनगर-गुलाबपुरा-कंवलियास-भीलवाड़ा-गंगरार-चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़-मटेवर एवं उसके हिस्सों पर परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र. सं.	मार्ग	दैनिक संचालित सेवा			
		एकल परिचक्र		बसों की संख्या	
		94-95	95-96	94-95	95-96
1.	अजमेर-उदयपुर	9	9	9	9
2.	अजमेर-भीलवाड़ा	61	72	55	64
3.	अजमेर-विजयनगर	6	6	3	3
4.	अजमेर-भिनाय	10	10	3	3
5.	विजयनगर-भीलवाड़ा	16	18	8	8
6.	भीलवाड़ा-उदयपुर	16	16	12	12
7.	भीलवाड़ा-चित्तौड़	60	70	43	47
8.	मंगलवाड़-उदयपुर	12	12	6	6
9.	चित्तौड़-उदयपुर	16	20	8	10
10.	मटेवर-उदयपुर	60	60	35	35
11.	उदयपुर-दरोली	42	42	30	30
12.	चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़	4	4	1	1

(324)

जिला पाली में सब यार्ड का निर्माण

308. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की कृषि मण्डी समिति का सब यार्ड खीवाड़ा तहसील देसूरी में स्वीकृत है व कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब हुई और यह कार्य कब से चालू है व कितना बजट किस-किस मद में खर्च हुआ ;

(2) इस सब यार्ड का कार्य चालू होने से आज तक किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया व क्या-क्या कमियां पाई गई ? निरीक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य के क्वालिटी कन्ट्रोल की विभाग द्वारा जांच की गई यदि हां, तो इसमें क्या-क्या कमियां पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील में भी सोजत रोड कृषि मण्डी समिति का सब यार्ड है ? यदि हां, तो उपरोक्त सब यार्ड को चालू हुए कितना समय हुआ व कौन-कौन से साल में कृषि जिन्सों की नीलामी का कार्य हुआ ? कृषि मण्डी समिति को कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

(1) जी, हां । परियोजना राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्रांक एफ (प्रोजेक्ट) 2597 दिनांक 16–5–94 द्वारा स्वीकृत हुई तथा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांक निकृवि/मण्डी/बजट/1551–55 दिनांक 11–1–95 द्वारा जारी की गई । कार्य प्रारम्भ एवं मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) कार्य प्रारम्भ होने पर निर्माण शाखा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये गये हैं । जिसका विवरण परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है ।

(3) जी, हां । उक्त कार्यों की समय-समय पर क्वालिटी की भी जांच की गई है तथा निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं पायी गयी ।

(4) जी, हां । राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. 10(91) कृषि/2/5/68 दिनांक 15-1-75 से मारवाड़ जंक्शन में सबयार्ड घोषित किया गया व घोषित दिनांक से ही सबयार्ड कार्यरत है । वर्ष 91–92 में नवनिर्मित सबयार्ड स्थानान्तरित होने पर निलामी कार्य निरन्तर आरम्भ है ।

वर्ष 91–92 से सबयार्ड की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	कुल आय
1.	91–92	280251
2.	92–93	216883
3.	93–94	260700
4.	94–95	262171

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3
5.	95-96	225454
6.	96-97 (मई 96 तक)	76575

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बड़ोदिया बहारी (बांसवाड़ा) में सड़क निर्माण प्रकरण

309. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बड़ोदीया जिला-बांसवाड़ा में वर्ष 1990-91 में ग्रामीण सड़क बड़ोदीया बहारी के मस्टररोल दिनांक 18-7-1991 को सहायक अभियन्ता सीढ़ी जिला परिषद, बांसवाड़ा एवं प्रशासक ग्राम पंचायत बड़ोदीया ने मिलकर जांच के बहाने भ्रष्टाचार के सबूत नष्ट करने की नियत से पंचायत से गायब कर दिये थे ?

(2) क्या इसकी जानकारी बांसवाड़ा जिला कलक्टर को है ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध आज तक उक्त भ्रष्टाचार के तहत क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो ग्रामीण सड़क निर्माण बड़ोदीया बहरी वर्ष 1990-91 के मस्टररोल नं. 280, 1080, 1082, 1083, 1274, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 में दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाना कालिंजरा जिला बांसवाड़ा में मुकदमा नम्बर 331/93 दर्ज होकर अनुसंधान जारी है। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज लि. जयपुर को आबंटित भूमि

310. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में टोंक रोड स्थित जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज लिमिटेड द्वारा उन को आबंटित भूमि का दुरुपयोग करने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब और क्या तथा कितनी भूमि का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया ?

(2) उक्त मामला सरकार के ध्यान में आने के बाद उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा आबंटन रद्द कर उक्त भूमि को राज्य के कब्जे में अभी तक नहीं लिए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जानी शेष है एवं उसे कब तक की जा सकेगी।

326

उत्तर

(i) जी, हां। प्रकरण की जांच करवाई गई जिसके अनुसार मै. जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज वर्क्स लि. जयपुर ने 71783 वर्गगज भूमि में से 24710 वर्गगज भूमि को स्वयं के स्तर से बिना किसी स्वीकृति के अन्य इकाइयों को स्थानान्तरित की है। कम्पनी द्वारा वर्ष 1965 से 1975 के मध्य यह भूमि बेची गई।

(2) मामला राज्य सरकार के ध्यान में आने के पश्चात उस पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "अ" में उल्लिखित घटनाक्रम के कारण भूमि का कब्जा अभी तक नहीं लिया जा सका है।

(3) इकाइयों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पक्षकारों को सुनने के पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

1. सर्व प्रथम दिनांक 11–12–92 को राज्य सरकार द्वारा निदेशक, उद्योग विभाग को निर्देश दिया गया कि इकाई के भू–आबंटन को प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निरस्त कर कब्जा लिया जावें।

2. इस अनुक्रम में निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा भूमि आबंटन निरस्त करने व भूमि कब्जा लेने हेतु इकाई को दिनांक 15–1–93 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

3. नोटिस का उत्तर इकाई द्वारा दिनांक 5–3–93 को प्रेषित किया गया।

4. इकाई का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया। अतः दिनांक 27–4–95 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर उद्योग निदेशालय द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया।

5. इस सन्दर्भ में 21–12–95 एवं 2–3–96 को राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि आबंटियों तथा अन्य पार्टियों जिनका भूमि पर वर्तमान में कब्जा है, के विरुद्ध आबंटन निरस्त कर भूमि को कब्जे में लिए जाने की कार्यवाही की जावें।

6. वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

राज्य के एस. टी. सी. ट्रेण्ड अध्यापक

311. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने एस. टी. सी. ट्रेण्ड युवक/युवतियां बेरोजगार हैं तथा कितने पद अध्यापकों के खाली हैं ? इन खाली पदों को भरने की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

(2) क्या इन पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(3) इन बेरोजगार युवक-युवतियों को कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों की सूचना संलग्न है । राज्य में 1638 पद अध्यापकों (तृतीय श्रेणी) के रिक्त है । विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति 75 प्रतिशत रिक्त पद ग्रामीण एवं विकास विभाग में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण से तथा शेष 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने हेतु रोजगार कार्यालय से प्रशिक्षित आशार्थियों के नाम जुलाई, 96 से प्रारम्भ हो रहे शिक्षण सत्र में मंगवाये जाकर रिक्त एवं संभावित रिक्तियों की पूर्ति की जायेगी ।

(2) जी, हां । अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण किया जाता है तथा ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में आरक्षण क्रमशः 5% एवं 45 % है ।

(3) रिक्तियो के आधार पर मैरिट में आने वाले आशार्थियों को ही नियुक्ति दिया जाना संभव है ।

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31–12–95 को पंजीकृत एस. टी. सी. आशार्थी

क्र. सं.	जिले का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	347	614	961
2.	अलवर	372	397	769
3.	बांसवाड़ा	185	140	325
4.	बांरा	141	53	194
5.	बाड़मेर	79	97	176
6.	भरतपुर	287	171	458

1	2	3	4	5
7. भीलवाड़ा		215	285	500
8. बीकानेर		182	205	387
9. बूंदी		119	158	277
10. चित्तौड़गढ़		187	146	333
11. चूरू		197	188	385
12. दौसा		620	55	675
13. धौलपुर		262	78	340
14. डूंगरपुर		194	212	406
15. जयपुर		669	661	1330
16. जैसलमेर		120	74	194
17. जालौर		76	48	124
18. झालावाड़		213	127	340
19. झुंझुनूं		325	457	782
20. जोधपुर		188	269	457
21. कोटा		191	223	414
22. नागौर		432	38	470
23. पाली		131	131	262
24. राजसमन्द		72	82	154
25. सवाईमाधोपुर		356	334	690
26. सीकर		370	289	659
27. सिरोही		61	96	157
28. श्री गंगानगर		245	326	571
29. टोंक		263	204	467
30. उदयपुर		166	352	518
	योगः–	7265	6510	13775

पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) का विद्युतीकरण

312. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार जो गांव राजस्व रिकार्ड में गांव घोषित हो चुका है, उनको विद्युतीकृत किया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार पंचायत समिति कोटपूतली के रामगढ़, रामनगर, तालवा, गुलाबगढ़ पदमगढ़, चेचीपुरा गांव को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती हैं?

(2) चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी पंचायत समितियों के कौन-कौन से गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका में अंकित राजस्व ग्रामों में से घोषित विद्युतीकृत ग्रामों से टूट कर बने नये राजस्व ग्रामों में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है। जनगणना 1991 के अनुसार पंचायत समिति, कोटपूतली जिला जयपुर के नये राजस्व ग्राम रामगढ़, रामनगर, तालवा, गुलाबगढ़ पूर्व में विद्युतीकृत ग्राम पनेरा, बनेटी, दातिल एवं दातिल से अलग होकर बने है, उन्हें विद्युतीकृत मानते हुये कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पदमगढ़ व चेचरीपुरा जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं हैं तथापि यदि ये नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं तथा ये पूर्व में घोषित विद्युतीकृत गांव से बने हैं तो इन्हें भी विद्युतीकृत मानते हुए मांग होने पर इनमें कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(2) चालू वर्ष के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में 700 गांवों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं 50 गांवों को रा. ऊ. वि.प्र. द्वारा विद्युतीकरण करने का प्रावधान है। पंचायत समितिवार आबंटन अभी तय नहीं हुआ है।

शेखावटी के पर्यटक स्थल

313. **डा. जितेन्द्रसिंह** (खेतड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शेखावटी क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं योजना का स्वरूप क्या है?

(2) क्या यह सही है कि इस बारे में खेतड़ी के प्राचीन महल व अन्य दर्शनीय स्थल इस योजना में सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास हेतु विभाग ने मैसर्स टाटा कन्सलटेन्सी सर्विस, नई दिल्ली से विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करवाई है, जो कि मई, 1996 में प्राप्त हुई है। भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण रिपोर्ट को उक्त मन्त्रालय को भिजवाया गया है। चौबीस कोसी परिक्रमा तथा हर्ष का विकास किया जा रहा है।

330

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

इसके अतिरिक्त इस वर्ष विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया है जो कि प्रति वर्ष आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शेखावाटी क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु विभाग ने प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पर्यटन साहित्य का मुद्रण कर वितरण किया है।

(2) खेतड़ी के पर्यटन स्थलों को अभी इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट में आंकी गई प्राथमिकता में नहीं है।

जिला टोंक में अवैध बसों का संचालन

314. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में कौन-कौन से रूट प्राइवेट बसों के लिये आरक्षित हैं तथा उन पर कितनी बसें चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक जिले में निवाई से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, टोंक से देवली मार्गों पर अवैध वाहन चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(3) उक्त अवैध वाहनों को रोकने के सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) टोंक जिले के निर्धारित प्राइवेट बस मार्गों पर संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2-3) अवैध वाहनों के संचालन का मार्ग और समय निर्धारित नहीं होता है तथापि अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु विभाग समय-समय पर चैकिंग कर, नियमानुसार कार्यवाही करता है। इन मार्गों पर वर्ष 1995-96 व 1996-97 (जून 96 तक) में की गई चैकिंग कार्यवाही निम्नानुसार है :—

वर्ष	चालान बनाए गए	सीज किये गये वाहन
1995-96	246	83
1996-97 (जून तक)	28	15

परिशिष्ट "क"

टोंक जिले के निर्धारित प्राइवेट बस मार्गों की सूची व उन पर संचालित बसों की संख्या।

क्र. सं.	मार्ग का नाम	संचालित बसों की संख्या
1	2	3
1.	टोंक-टोड़ा वाया झाराना	12
2.	टोंक-माधोराजपुरा वाया नाथड़ी	8

1	2	3
3.	टोंक से कठमाण्य वाया सोयला	3
4.	टोंक से इन्द्रगढ	4
5.	टोंक से कवालाजी	4
6.	टोंक मालपुरा वाया कडीरला	8
7.	बनेठा-ग्रामली	1
8.	टोंक से सुरेली स्टेशन	1
9.	टोंक-टोड़ा वाया मेन्दवाय	2
10.	टोंक-टोड़ा वाया छानखरेड़ा	2
11.	टोंक-नैनवां	1
12.	टोड़ा-उनियारा	1
13.	टोंक-बौली	2
14.	टोंक-नगर-नैनवां	3
15.	टोंक-नैनवा-वाया-अम्निया	3
16.	टोंक-टोड़ा वाया बीसलपुर	1
17.	टोंक से बून्दी का गोठड़ा	2
18.	बीसलपुर-मालपुरा	1
19.	मालपुरा-झाड़ली	2
20.	बासी-चौथका बरवाड़ा	11
21.	मालपुरा-इन्दोकिया	1
22.	टोंक-मालपुरा वाया टोरड़ी	2
23.	टोंक-टोड़ा वाया नासीरहा	3
24.	टोंक-इसरदा	5
25.	टोंक से बासी	3
26.	निवाई-लाखनपुर	3
27.	देवली-टोडा वाया बीसलपुर	9
28.	देवली-नैनवां	1
29.	देवली-उनियारा	1
30	निवाई-फागी	1

1	2	3
31.	निवाई–माणकपुरा	1
32.	टोड़ा–मालपुरा वाया पथराड़ा	1
33.	निवाई–डिग्गी वाया बरोनी	2
34.	निवाई–डिग्गी वाया डागरथल	7
35.	निवाई–सारसोप	5
36.	निवाई–दत्तवास	1
37.	निवाई–राहोली	1
38.	निवाई–बौली वाया दत्तवास	2
39.	निवाई–बौली वाया बरोनी	1
40.	निवाई–बौली	8

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग (भरतपुर) द्वारा सड़कों का निर्माण

315. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग द्वारा सड़कें बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है एवं इन पर स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग के निम्न सड़कों को बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है :–

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई (कि.मी.)
1–	जनूथर रोड से गारोली	2.50
2–	डीग कुम्हेर रोड से बदनगढ़ (शेष लम्बाई)	0.50
3–	कोरेर से खेड़ा ब्रामण (शेष लम्बाई)	1.75
4–	मौरोली से मवई (शेष लम्बाई)	0.30

उक्त सड़कों में से सम्पर्क सड़क जनूथर रोड से गारोली की स्वीकृति दिनांक 4.7.96 को जारी हो गयी है एवं शेष प्रस्तावित तीन सड़कों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना/प्रमाण पत्र मण्डी से अपेक्षित है, प्राप्त होने पर स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 368 की प्रति)

सेवामें,

श्रीमान् सहायक अभियन्ता,
राज. राज्य विद्युत मण्डल,
लालसोट।

विषय :– मांग पत्र जारी करने बाबत

मान्यवर,

निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा मुझे मांग पत्र सं. 1702 दिनांक 5.3.90 को रुपया 3500) का मिला था, मैं गरीब किसान होने के वजह से जमा कराने में असमर्थ रहा। आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे ही गांव के श्री मांगीलाल का कृषि कनेक्शन हो गया है। इसके बाद मेरे कुए तक 2 खम्भों की ही लाइन खिचने के बाद मेरा कनेक्शन होना सम्भव है। जो कि रिवाइज मांग पत्र आपके कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि दो खम्भों के पैसे जमा कर मुझे कनेक्शन देने की कृपा करें।

प्रार्थी
ह०/–
(गोपाल पुत्र छोटू मीणा)
जयसिंहपुरा

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

क्र.सं.	आबंटी का नाम	पता	पट्टे की साइज
1.	श्री फतेह चन्द/किशन चन्द पंजाबी	सीमल्या	120 वर्ग फुट
2.	श्रीमती रामधनी/मुरलीधर कलाल	,,	नाप नहीं
3.	श्रीमती संतोष/अरविन्द जैन	,,	1350 वर्ग फुट
4.	श्री रशीद खां/रहमान खां	,,	नाप नहीं
5.	श्रीमती गुलनाज पत्नी अब्दुल हकीम	,,	3350 वर्ग फुट
6.	श्री भैरू लाल/पन्नालाल धाकड़	,,	2500 वर्ग फुट
7.	श्रीमती नन्द कंवरी/भैरू लाल गूजर	,,	2000 वर्ग फुट
8.	श्री रामपाल/रतनलाल धाकड़	,,	1600 वर्ग फुट
9.	श्री हजारीलाल/हीरालाल गूजर	,,	625 वर्ग फुट
10.	श्रीमती विद्या बाई/किशनचन्द माली	,,	256 वर्ग फुट
11.	श्रीमती इन्द्राबाई/धनपाल धाकड़	,,	1600 वर्ग फुट
12.	श्री पुष्पचन्द/बालाजी लुहार	,,	1080 वर्ग फुट
13.	श्री लक्ष्मीनारायण/मंगला माली	,,	250 वर्ग फुट
14.	श्रीमती मनोरमा पत्नी जगदीश प्रसाद ब्राह्मण	,,	3000 वर्ग फुट
15.	श्रीमती सावित्री/चन्द्रशेखर ब्रा.	,,	3150 वर्ग फुट
16.	श्रीमती कमलादेवी/बृजमोहन ब्रा.	,,	2050 वर्ग फुट
17.	श्रीमती बद्री बाई/नवलबिहारी धाकड़	,,	2660 वर्ग फुट
18.	श्री बद्रीप्रसाद/छीतरलाल धाकड़	,,	2000 वर्ग फुट
19.	श्री अशोक कुमार/बृजमोहन ब्रा.	,,	200 वर्ग फुट
20.	श्रीमती सुमित्रा बाई/शिवप्रसाद ब्रा.	,,	3500 वर्ग फुट
21.	श्री नवल बिहारी/छीतरमल धाकड़	,,	2800 वर्ग फुट
22.	श्री अरविन्द/कन्हैयालाल जैन	,,	नाप नहीं
23.	श्रीमती संतोष/अरविन्द जैन	,,	नाप नहीं

335

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 375 की सूची)

क्र.सं.	शिक्षाकर्मी विद्यालय का नाम	सत्र	क्र.सं	शिक्षाकर्मी विद्यालय का नाम	सत्र
1	2	3	1	2	3
1.	नेवज	जुलाई 92	21.	रोहीमाला	1995–96
2.	दोब	जुलाई 92	22.	झालीबोवडा	1995–96
3.	नया गांव	जुलाई 92	23.	बवेल	1995–96
4.	अदंकालिया	जुलाई 92	24.	हिन्डोरी	1995–96
5.	झेलरिया	जुलाई 92	25.	अम्बाबी	1995–96
6.	नालननामा	जुलाई 92	26.	लथूनी	1995–96
7.	आमलेटा	सितम्बर 92	27.	चतरपुरा	1995–96
8.	झाला	जुलाई 92	28.	कुण्डा	1995–96
9.	तुरगट	जुलाई 92	29.	सहली	1995–96
10.	आमीवाडा	जुलाई 92	30.	कवेल	1995–96
11.	आमोह	जुलाई 92	31.	उमरिया लथूनी	1995–96
12.	गोदावाडा	जुलाई 92	32.	गुर्जर	1995–96
13.	सु.फ. ममटी	जुलाई 92	33.	बागड़ा	1995–96
14.	ढाडी बेरी	सितम्बर 92	34.	पारेवी	1995–96
15.	भेसाना	सितम्बर 92	35.	गेला बावडी	1995–96
16.	माण्डवा	1995–96	36	बोल्या बडला	1995–96
17.	बोबराबाडो	1995–96	37.	कोल्यारा	1995–96
18.	सोनकला	1995–96	38.	बसलीकातर	1995–96
19.	बरबली	1995–96	39.	भूण्डिया	1995–96
20.	झाझर की पाल	1995–96	40.	वडेरा तालाब	1995–96

336

1	2	3	1	2	3
41.	पादर	1992–93	47.	चौदडी	1992–93
42.	निचली गोरण	1992–93	48.	माकणी	1992–93
43.	निचली सरादीत	1992–93	49.	घामणी	1992–93
44.	बलोलिया पाडा	1992–93	50.	नाडी	1992–93
45.	जगन्नाथपुरा	1992–93	51.	डागोल	1992–93
46.	लिलडी	1992–93	52.	फूटी तलाई	1992–93

कुल शिक्षाकर्मी विद्यालयों की संख्या–52

"परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की सूची)

अलवर जिले में दिनांक 1.1.90 से 31.3.96 तक राज्य मण्डल द्वारा दायर मुकदमों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	औद्योगिक इकाई का नाम	दायर मुकदमे की प्रकृति	दायर करने की दिनांक	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(अ)	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दायर मुकदमें :—				
1.	मै. एन.डी.ई. टेनर्स	निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33	22.10.91	सी.जे एम. अलवर	लंबित
2.	—तदैव—	परिवाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 43, 44	22.10.91	—तदैव—	लंबित
3.	मै. फीदर टच, भिवाड़ी	निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33	3.6.93	—तदैव—	लंबित

338

1	2	3	4	5	6
4.	मै. रेनू एक्सट्रेक्शन, अलवर	निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33	20.7.93	सी.जे.एम. अलवर	लंबित
5.	" उत्तम सोल्वेन्ट, अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
6.	" राठी मिनी स्टील, अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
7.	" पिन ब्रिडिंग, अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
8.	" राजस्थान सोलवेन्ट, अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
9.	" एक्स.एल.ओ; एम.आई.ए. अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
10.	" के.सी.सी. ऑयल, एम.आई.ए; अलवर	–तदैव–	4.4.94	—तदैव—	लंबित
किशनगढ़बास					
11.	मै. नलीन कैमीकल्स, भिवाड़ी	–तदैव–	6.7.93	ए.सी.जे.एम. किशनगढ़बास	लंबित
12.	" अलवर प्रोसेसर्स, खेरथल	–तदैव–	12.5.94	—तदैव—	लंबित
13.	" एक्यूरन फाइबर्स, भिवाड़ी	–तदैव–	12.5.94	—तदैव—	लंबित
14.	" सूरज पेपर मिल्स, भिवाड़ी	–तदैव–	22.7.94	—तदैव—	लंबित
बहरोड़					
15.	मै. कोन्टीनेन्टल पेट्रोलियम	–तदैव–	14.7.94	एस.सी.जे.एम. बहरोड़	लंबित

अलवर जिले में उद्योग द्वारा स्थापित नहीं किये गये ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) की सूची

1 मै. [illegible]

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूची)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1996–97 में विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाने वाली आयुर्वेद औषधियों की सूची

क्रम. सं.	नाम औषधि	क्रम सं.	नाम औषधि
1.	कपूर रस	15.	कपूर धारा
2.	आनन्द भरव रस	16.	कृष्णा मरहम
3.	रस माणक्य	17.	वेदनानाशक
4.	संजीवनी	18.	नेत्र बिन्दु
5.	लवंगादि वटी	19.	जात्यादि तेल
6.	तिन्दुक वटी	20.	विषम ज्वरादि वटी
7.	चन्द्रप्रभा वटी	21.	अर्क विषुचिकान्तक
8.	तालिसादि चूर्ण	22.	च्यवनप्राश
9.	आमलिक चूर्ण	23.	क्षार सूत्र
10.	लवण भास्कर	24.	कॉटन
11.	अग्नि संदीपन	25.	बेन्डेज
12.	गोदन्ती भस्म	26.	साबुन लाइफबॉय
13.	गोजिवादि क्वाथ	27.	एडिसिव प्लास्टर
14.	जन्म–घूटी		